SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मिलने वाली छूट एवं कटौतियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संघ सरकार

राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर

2025 की प्रतिवेदन संख्या 40

निष्पादन लेखापरीक्षा (सिविल)

मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मिलने वाली छूट और कटौतियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संघ सरकार

राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर

2025 की प्रतिवेदन संख्या 40

निष्पादन लेखापरीक्षा (सिविल)

………….…… को लोकसभा एवं राज्यसभा के पटल पर रखा गया

विषयसूची		
पैरा संख्या	**शीर्षक**	**पृष्ठ संख्या**

पैरा संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	i
	कार्यकारी सारांश	iii-ix
	अनुशंसाओं का सारांश	xi-xx
अध्याय 1	**परिचय**	1-8
अध्याय 2	**लेखापरीक्षा दृष्टिकोण**	9-20
अध्याय 3	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2008 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 7 में की गई अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई	21-25
अध्याय 4	**प्रणालीगत मुद्दे**	27-93
4.1	आयकर अधिनियम/इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कमियाँ	29
4.2	आयकर अधिनियम/इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत पाई गई अस्पष्टताएँ	50
4.3	प्रक्रियात्मक अपर्याप्तताएँ	52
4.4	दावों/कटौतियों की अनुमतता में पाई गईं विसंगतियां	70
4.5	नमूने का व्यावसायिक कोड-वार विश्लेषण	89
4.6	व्यवसाय कोड के गैर-निवल समावेशन के कारण सीबीडीटी के केंद्रीकृत आंकड़ों और उनके क्षेत्रीय संरचनाओं के आंकड़ों के मध्य विसंगति	92
4.7	निष्कर्ष	92
अध्याय 5	**अनुपालन मुद्दों सहित 360-डिग्री विश्लेषण**	95-313
5.1	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चयनित निर्धारणों का 360-डिग्री विश्लेषण	100
5.2	निजी क्षेत्र के बैंकों के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण	138
5.3	विदेशी बैंकों के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण	188
5.4	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण	194

विषयसूची		
पैरा संख्या	**शीर्षक**	**पृष्ठ संख्या**
5.5	अनुपालन मुद्दे और अन्य अनियमितताएं	246
अध्याय 6	**आंतरिक नियंत्रण, समन्वय मुद्दे और निगरानी तंत्र**	315-367
6.1	आंतरिक नियंत्रण मुद्दे	318
6.2	अन्य नियामक निकायों के साथ समन्वय संबंधी मुद्दे	346
6.3	आयकर विभाग में निगरानी तंत्र	356
6.4	बैंकों के निर्धारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)	362
6.5	निष्कर्ष	366
	अनुलग्नक	369-580
	संक्षिप्त शब्द	581-582

प्राक्कथन

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के राजस्व विभाग के आयकर विभाग द्वारा पूर्ण किए गए निर्धारण में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा दावा की गई छूटों और कटौतियों के निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को प्रस्तुत करती है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक किए गए लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के संबंध में विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाएँ हैं। कोविड-19 महामारी के कारण लेखापरीक्षा स्थगित होने के दौरान नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच लेखापरीक्षा नमूनों से संबंधित कुछ मामलों की भी जांच की गई। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा पूरा होने के बाद प्रस्तुत मामलों की पूरक लेखापरीक्षा जून 2023 में की गई। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूनों के संबंध में नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए कुछ मुद्दों को भी प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुशंसाओं पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया की निगरानी के लिए क्षेत्रीय स्तर और केंद्रीय स्तर पर नियमित प्रयास किए। सीबीडीटी से प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर शीघ्र प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, मामले को वित्त मंत्रालय के सचिव (राजस्व) को भी भेजा गया (अक्टूबर 2024, मई 2025, अक्टूबर 2025 और नवंबर 2025), इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार स्तर पर आयकर विभाग से प्राप्त उत्तरों की स्थिति के बारे में सूचित करते हुए अनुस्मारक भी जारी किए गए (अक्टूबर 2024, नवंबर 2024, जनवरी 2025, मार्च 2025, अक्टूबर 2025 और नवंबर 2025), ताकि प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुशंसाओं पर मंत्रालय/ आयकर विभाग की प्रतिक्रिया को प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जा सके।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई थी।

कार्यकारी सारांश

किसी देश का आर्थिक विकास मुख्यत: बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) जैसी संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। भारत में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) वित्तीय क्षेत्र की निगरानी करता है और वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण, प्रावधान, मान्यता और वित्तीय परिणामों की रिपोर्टिंग के लिए समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करता है। आरबीआई नियामक ढाँचे भी स्थापित करता है जो बैंकों और एनबीएफसी को अपने पोर्टफोलियो में संपीड़ित परिसंपत्तियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और विदेशी बैंकों सहित बैंकों के निर्धारण पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) (2008 की सीएजी पीए प्रतिवेदन संख्या 7) वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक के निर्धारण वर्षों के लिए आयोजित की गई थी। प्रतिवेदन में निर्धारण अधिकारियों (एओ) द्वारा किए गए निर्धारणों से संबंधित विभिन्न प्रणालीगत और अनुपालन मुद्दों को उजागर किया गया और आंतरिक नियंत्रण और इन निर्धारणों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अनुशंसाएँ की गईं। इसके उत्तर में, सीबीडीटी ने 26 नवंबर, 2008 को निर्देश जारी किए।

निष्पादन लेखापरीक्षा में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) के वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान पूर्ण किए गए निर्धारण सम्मिलित थे। विभिन्न मापदंडों के आधार पर, डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा उपलब्ध कराए गए 86,018 मामलों के डेटाबेस से लेखापरीक्षा जांच के लिए 2,463 मामलों का एक नमूना चुना गया। लेखापरीक्षा के दौरान जांचे गए 2,378 मामलों में से 116 मामलों की जांच जून 2023 में एक पूरक लेखापरीक्षा में की गई। इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में न केवल विभाग द्वारा पिछली लेखापरीक्षा अनुशंसाओं के आधार पर की गई अनुवर्ती कार्रवाइयों की समीक्षा की गई, बल्कि परिसंपत्ति वर्गीकरण, आय पहचान और प्रावधान पर आरबीआई मानदंडों के अनुपालन की भी जांच की गई। ये दिशानिर्देश कर योग्य आय और कर देनदारियों की गणना को सीधे प्रभावित करते हैं। आयकर अधिनियम, 1961 गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के लिए पर्याप्त प्रावधानों की आरबीआई की आवश्यकता के अनुरूप बैंकों और एनबीएफसी को विभिन्न राहतें प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुपालन का मूल्यांकन करना था।

इस प्रतिवेदन में कुल 1,847 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं, जिनमें 671 प्रणालीगत मुद्दे, 118 संबंधित-पक्ष संबंधी अभ्युक्तियां, 525 आंतरिक नियंत्रण मुद्दे और 533 अनुपालन मुद्दे सम्मिलित हैं, जिनमें ₹ 74,766.39 करोड़ का संभावित कर निहितार्थ है।

प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालन मुद्दों पर 533 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से संबंधित संभावित कर प्रभाव ₹ 74,766.39 करोड़ में से, मंत्रालय ने ₹ 1,061.58 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 25 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर उत्तर प्रस्तुत किए हैं। इन 25 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से, मंत्रालय ने ₹ 799.38 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 21 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया है और ₹ 24.50 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित दो लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। 25 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से, ₹ 599.04 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 17 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में सुधारात्मक कार्रवाई पूरी हो चुकी है और ₹ 224.84 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित छह लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। मंत्रालय ने ₹ 237.70 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित दो लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया। क्षेत्रीय इकाइयों के स्तर पर, आयकर विभाग (आईटीडी) ने ₹ 47,557.33 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 212 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर उत्तर प्रस्तुत किए थे। इन 212 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से, आयकर विभाग ने ₹ 28,639.13 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 88 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया, ₹ 5,056.59 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 79 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर सुधारात्मक कार्रवाई पूरी की और ₹ 15,324.15 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 64 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की। आयकर विभाग ने ₹ 6,900.25 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित 41 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया।

सम्मिलित बैंक आरबीआई की एक तकनीकी लेखांकन आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋणों को बट्टे खाते में डाल देते हैं, जिसके अनुसार परिसंपत्तियों की हानि को खातों में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। ये राशियाँ आम तौर पर पिछली अवधियों में पहले ही आवंटित की जा चुकी होती हैं। ऋण माफ करने से तुलन-पत्र ऋणमुक्त हो जाती है, लेकिन उधारकर्ता ऋण चुकाने के लिए बाध्य रहता है और बैंक वसूली के प्रयास जारी रखते हैं। अशोध्य ऋणों या परिसंपत्तियों की हानि को माफ करने से बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) को अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों की कटौती के रूप में कर लाभ प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय

संस्थान (एनबीएफसी) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत भी कटौती का दावा करते हैं, जिन्हें अनुवर्ती निर्धारण वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के विरुद्ध समायोजित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, बैंक और दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थान अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के निर्माण के लिए कटौती का लाभ भी उठाते हैं।

लेखापरीक्षा में निरंतर बनी रहने वाली कमियों की पहचान की गई, जिनमें अशोध्य ऋण अनुमतियों, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों और विशेष आरक्षित निधियों के लिए गलत कटौतियाँ, साथ ही अन्य कटौतियाँ और छूटें सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ मुद्दों को पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पहले ही उठाया जा चुका था, और सीबीडीटी ने सीएजी की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 7, 2008 के उत्तर में 26 नवंबर 2008 को निर्देश जारी किए।

बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) आयकर विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र आईटीआर-6 का उपयोग करके आयकर रिटर्न और प्रपत्र 3सीडी में कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जमा करते हैं। तथापि, इन फॉर्मों में धारा 36(1)(vii), 36(1)(viiए) और 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए विशिष्ट कॉलम नहीं हैं, जिससे निर्धारण अधिकारियों के लिए अनुमत कटौतियों की सटीक गणना करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में अशोध्य ऋणों, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों और विशेष आरक्षित निधियों के सृजन से संबंधित अत्यधिक कटौतियों का पता चला, जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः ₹ 33,459.08 करोड़, ₹ 2,971.26 करोड़ और ₹ 531.18 करोड़ के संभावित कर निहितार्थ सामने आए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर नियम, 1961 के नियम 6ईए के अंतर्गत, किसी ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) तब माना जाता है जब छह महीने से अधिक समय तक बकाया रहती है, जबकि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार यह अवधि केवल तीन महीने है। इस अस्पष्टता के कारण कई कर विवाद उत्पन्न हुए हैं, जिनमें विभाग तीन से छह महीने की अवधि के लिए बकाया राशि पर अर्जित ब्याज पर कर प्रभारित करने का प्रयास करता है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43डी के अनुसार, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या अनुसूचित बैंक के मामले में, निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय पर उस पूर्व वर्ष में कर प्रभार्य होगा जिसमें इसे

उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में जमा किया जाता है या जब इसे वास्तव में उस संस्थान या बैंक द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो भी पहले हो। वित्त अधिनियम संख्या 23, 2019 के अंतर्गत, धारा 43डी को दो श्रेणियों की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर 1 अप्रैल 2020, यानी निर्धारण वर्ष 2020-21 से प्रभावी किया गया। परिणामस्वरूप, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) के गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) पर ब्याज से प्राप्त आय पर निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2019-20 तक की अवधि के लिए कर आरोपित किया जाना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग ने धारा 43डी का अनुपालन करने के लिए नियम 6ईए के प्रावधानों में संशोधन नहीं किया है। लेखापरीक्षा में एनबीएफसी के 36 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एनपीए पर ब्याज पर संचय के आधार पर कर आरोपित नहीं किया गया है।

अधिनियम की धारा 139ए के अंतर्गत राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा निर्धारित विशिष्ट संव्यवहारों के लिए व्यक्तियों को अपना पैन विवरण उद्धृत करना अनिवार्य है। आयकर नियमों का नियम 114बी सोलह प्रकार के संव्यवहारों को परिभाषित करता है जिनके लिए पैन विवरण आवश्यक है, जिनमें बैंक खाता खोलना भी सम्मिलित है। आमतौर पर, बैंक ऋण स्वीकृति के लिए पैन विवरण मांगते हैं। लेखापरीक्षा में 127 ऐसे मामले पाए गए जिनमें बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) ने उधारकर्ता के पैन विवरण के बिना ₹ 40,178.47 करोड़ के अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया। इसके अतिरिक्त, 58 ऐसे मामले थे जिनमें उधारकर्ता की सूचना के बिना ₹ 1,69,782.47 करोड़ के अशोध्य ऋणों को कटौती के रूप में अनुमत किया गया, तथापि इसे लाभ और हानि खाते में डेबिट नहीं किया गया।

इस समीक्षा में वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक के निर्धारण वर्षों के लिए 17 बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण किया गया। इसमें प्रणालीगत कमियों, अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और निर्धारित नियमों एवं विनियमों के अननुपालन के कई उदाहरण सामने आए।

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, स्थापित नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अनुपालन में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है और साथ ही सीबीडीटी द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करती है। 2,378 नमूना मामलों की समीक्षा में, आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधी सूचना केवल 1,110 मामलों के लिए उपलब्ध थी। इनमें से,

विभाग ने केवल 290 मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा की, जबकि 253 मामलों में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई। शेष 567 मामलों के लिए, विभाग ने यह पुष्टि नहीं की कि आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी या नहीं। लेखापरीक्षा में विभाग द्वारा किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा में 290 मामलों में से 123 मामलों में ₹ 3,773.39 करोड़ की कमियां पाई गईं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 41 की उपधारा 4 के अनुसार, पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की वसूली पर वसूली के वर्ष में कर प्रभार्य अनिवार्य है। आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को आरबीआई को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें एक वित्तीय वर्ष में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की वसूल की गई कुल राशि का विवरण दिया जाता है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) का नियामक प्राधिकरण है। एनएचबी के निर्देश के अनुच्छेद 44 में यह प्रावधान है कि एचएफसी को निर्धारित अनुसूचियों में विभिन्न प्रतिवेदन एनएचबी को प्रस्तुत करने चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रपत्र 3सीडी के खंड 25 के अनुसार, कर लेखापरीक्षक को धारा 44एबी के अंतर्गत प्रस्तुत कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में धारा 41(4) के अंतर्गत कर के लिए प्रस्तुत आय का विवरण देना अनिवार्य है। आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की तुलना कर लेखापरीक्षकों द्वारा प्रपत्र 3सीडी में प्रस्तुत आंकड़ों से करने पर, लेखापरीक्षा में ऐसे 52 मामले सामने आए जिनमें निर्धारितियों ने कर के रूप में केवल ₹ 2,098.35 करोड़ का भुगतान किया था, जबकि आरबीआई को मूल वसूली के रूप में ₹ 14,303.00 करोड़ की राशि की सूचना दी गई थी। इसके अतिरिक्त, एनएचबी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की तुलना कर लेखापरीक्षकों द्वारा प्रपत्र 3सीडी के खंड 25 के अंतर्गत प्रस्तुत आंकड़ों से करने पर, लेखापरीक्षा में ऐसे 15 मामले सामने आए जहां एनएचबी को वसूली के रूप में रिपोर्ट की गई ₹ 137.89 करोड़ की राशि कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं थी।

लेखापरीक्षा का प्रभाव विभाग द्वारा की गई वसूली कार्रवाइयों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो लेखापरीक्षा निष्कर्षों की विभाग की स्वीकृति को दर्शाती है। विशेष रूप से, इन अभ्युक्तियों के परिणामस्वरूप एस8 से ₹ 3,141 करोड़, डी1 से ₹ 248 करोड़, सी3 से ₹ 42.36 करोड़, टी6 से ₹ 36.51 करोड़ और टी3 से ₹ 35.57 करोड़ की वसूली की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग के पास आयकर रिटर्न में दर्ज किए गए ग्रामीण अग्रिमों के दावों की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं था। लेखापरीक्षा में 21 मामलों में अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों के लिए कटौती पात्रता सत्यापन के बिना ही अनुमत कर दी गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक ही निर्धारिती के लिए अलग-अलग निर्धारण वर्षों (नि.व.) में जनगणना आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण अग्रिमों के लिए कटौती की अनुमति देने में विसंगतियां थीं। इसके अतिरिक्त, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती को बहीखातों में किए गए प्रावधानों की राशि तक सीमित किए बिना ही अनुमत कर दिया गया था, और अनर्ह ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों को अनियमित रूप से धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत किया गया था। लेखापरीक्षा में मुख्य निर्धारिती के साथ संव्यवहार में सम्मिलित संबंधित पक्षों द्वारा आय की कम प्रस्तुति के उदाहरण भी पाए गए, जैसा कि मुख्य निर्धारिती के अभिलेखों से स्पष्ट है, जिनकी सूचना क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारियों (जेएओ) को नहीं दी गई थी। निर्धारितियों के वित्तीय विवरणों में दर्ज अशोधित ऋणों और ऋणों की बट्टे खाते में डालने संबंधी सूचना भी संबंधित पक्षों के जेएओ को नहीं दी गई थी। निर्धारिती ने अशोध्य ऋणों की वसूली, अशोध्य ऋणों के लिए कटौती और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना आयकर रिटर्न (आईटीआर) और कर लेखापरीक्षकों द्वारा निर्धारित कॉलम में प्रकट नहीं की, और न ही कर लेखापरीक्षकों ने इसे प्रमाणित किया। निर्धारिती द्वारा ऐसी महत्वपूर्ण विवरणों को उजागर न करने और कर लेखापरीक्षकों द्वारा इन्हें प्रमाणित न करने से गलत कटौतियों की अनुमति और आय के निर्धारण से बचने का जोखिम पैदा करता है।

सीबीडीटी को आईटीडी प्रणाली के माध्यम से अशोध्य ऋणों और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों की कटौती के दावों की निगरानी करनी चाहिए। इसके लिए आयकर विभाग (आईटीआर-6/टीएआर) के प्रपत्र 3सीडी में धारा 36(1)(viiए) के प्रावधान के अंतर्गत निर्धारितियों को अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों की वर्ष-वार निर्धारण सूचना दर्ज करनी होगी, ताकि अनुवर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की कटौती के दावे की सत्यता सुनिश्चित हो सके। सीबीडीटी को बैंकों के निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार करनी होगी, ताकि सभी निर्धारण शुल्कों में बैंकों/एनबीएफसी को दी जाने वाली छूटों और कटौतियों में एकरूपता सुनिश्चित हो सके और निर्धारण की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

माननीय वित्त मंत्री ने जुलाई 2024 के बजट भाषण में कहा था कि आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा का उद्देश्य अधिनियम को *"संक्षिप्त, स्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान"* और मौजूदा प्रावधानों को सरल बनाते हुए अनावश्यक प्रावधानों को समाप्त करना है। चूंकि आयकर अधिनियम, 2025 संसद द्वारा अगस्त 2025 में इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के दौरान पारित किया गया था, इसलिए लेखापरीक्षा ने आयकर अधिनियम, 1961 की तुलना आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों से करने का प्रयास किया है। आयकर अधिनियम, 2025 के निहितार्थों की जांच आगामी अनुपालन लेखापरीक्षा और इस विषय पर अनुवर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान की जाएगी।

अनुशंसाओं का सारांश

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर, हम निम्नलिखित की अनुशंसा करते हैं:

अनुशंसा संख्या 1:

सीबीडीटी, नियम 6ईए के प्रावधानों में संशोधन कर एनबीएफसी की दो श्रेणियों: जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को, स्पष्टता हेतु और मुकदमेबाज़ी की संभावना को समाप्त करने के लिए, अधिनियम की धारा 43डी के प्रावधानों के अनुसार और आरबीआई के अनुसार एनबीएफसी के वर्गीकरण के अनुरूप सम्मिलित करने पर विचार कर सकता है।

(पैरा 4.1.1.2)

अनुशंसा संख्या 2:

सीबीडीटी, व्यवसाय या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ की गणना करते समय, धारा 36(1)(vii), 36(1)(viiए) और 36(1)(viii) के अंतर्गत दावा की गई कटौतियों से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त कॉलम सम्मिलित करने के लिए आईटीआर-6 में संशोधन पर विचार कर सकता है। धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती दर्शाने के लिए, दो उप-कॉलम - एक कॉलम ग्रामीण अग्रिमों के 10 *प्रतिशत* की कटौती के लिए और दूसरा कुल आय के 8.5 *प्रतिशत* की कटौती के लिए प्रदान किए जाने चाहिए।

(पैरा 4.1.2)

अनुशंसा संख्या 3:

सीबीडीटी धारा 36(1)(vii), 36(1)(viiए) और 36(1)(viii) के अंतर्गत दावा की गई कटौतियों के प्रमाणीकरण के लिए अलग-अलग कॉलम प्रदान कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/ प्रपत्र 3सीडी में संशोधन करने पर विचार करे ताकि निर्धारिती को दी गई कटौतियों की सटीकता सुनिश्चित की जा सके, ताकि कर लेखापरीक्षक निर्धारिती कंपनी की कर योग्य आय और कर देनदारी के सटीक निर्धारण के लिए इन धाराओं के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा दावा की गई कटौतियों की सटीकता की पुष्टि और प्रमाणीकरण कर सके।

(पैरा 4.1.3)

अनुशंसा संख्या 4:

राजस्व विभाग (डीओआर) आयकर अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है ताकि उधारकर्ता के ऋण के मूलधन के निपटान के कारण दायित्व की समाप्ति से उत्पन्न आय पर आरोपित किया जा सके।

(पैरा 4.1.4)

अनुशंसा संख्या 5:

सीबीडीटी आयकर अधिनियम की धारा 285बीए के अंतर्गत जमा किए जाने वाले वार्षिक सूचना रिटर्न के माध्यम से बैंकों/एनबीएफसी द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के मूलधन और ब्याज घटकों पर सूचना एकत्र करने पर विचार कर सकता है ताकि उधारकर्ताओं की करदेयता सुनिश्चित की जा सके।

(पैरा 4.1.4)

अनुशंसा संख्या 6:

सीबीडीटी के पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र हो सकता है कि अशोध्य ऋण के उद्‌घाटित होने के बाद उसे बट्टे खाते में डालने की अनुमति दी जाए, ताकि निर्धारितियों को धारा 36(1)(vii) के प्रावधानों का उपयोग अशोध्य ऋणों की आड़ में कर देयता को कम करने के लिए एक कार्यप्रणाली के रूप में करने से रोका जा सके।

(पैरा 4.1.5)

अनुशंसा संख्या 7:

सीबीडीटी, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ पर ब्याज आय के कर प्रशोधन में असंगति तथा संभावित मुकदमेबाज़ी से बचाव हेतु, एनबीएफसी पर धारा 43डी के प्रावधानों को लागू होने तक, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ पर ब्याज आय की कर योग्यता की जांच करे एवं स्पष्टीकरण जारी करे।

(पैरा 4.1.6)

अनुशंसा संख्या 8:

सीबीडीटी आयकर अधिनियम की धारा 41(4ए) में उपयुक्त संशोधन लाने पर विचार कर सकता है, क्योंकि दीर्घकालिक वित्त का व्यवसाय बंद करने के बाद इकाई द्वारा विशेष आरक्षित निधि में प्रतिधारित धन पर कर प्रशोधन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

(पैरा 4.1.7)

अनुशंसा संख्या 9:

सीबीडीटी आयकर अधिनियम की धारा 43डी के साथ पठित आयकर नियम 6ईए में निर्धारण वर्ष 2020-21 से पहले की अवधि के लिए ऋण की बकाया अवधि को एनपीए के रूप में मानने से संबंधित अस्पष्टता को दूर कर सकता है, ताकि निर्धारण के दौरान विभेदक कर प्रशोधन से बचा जा सके और कानूनी विवादों को कम किया जा सके।

(पैरा 4.2.1)

अनुशंसा संख्या 10:

(i) सीबीडीटी कर योग्य आय से बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमतता पर पुनर्विचार कर सकता है, जहां निर्धारिती ने अनर्ह दावों की अनुमति के लिए, एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक ऋण के लिए उधारकर्ताओं के पैन विवरण का प्रकटीकरण नहीं किया है।

(ii) सीबीडीटी एक ऐसी व्यवस्था विकसित करे जिसके माध्यम से एक निर्दिष्ट सीमा से ऊपर के उन उधारकर्ताओं के विवरण का सत्यापन किया जा सके जिनके लिए निर्धारण के दौरान बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति है, ताकि ऐसे उधारकर्ताओं की देयता की समाप्ति की राशि की करदेयता सुनिश्चित की जा सके।

(पैरा 4.3.1)

अनुशंसा संख्या 11:

सीबीडीटी उन मामलों के विवरण का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है, जहां निर्धारण के दौरान बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण के लिए कटौती का दावा किया गया था और उन्हें अनुमत किया गया था, यद्यपि लाभ और हानि खाता में कोई अशोध्य ऋण डेबिट नहीं किया गया था।

(पैरा 4.3.2.1)

अनुशंसा संख्या 12:

सीबीडीटी आईटीआर-6 में संशोधन करे ताकि उधारकर्ताओं के अशोध्य ऋणों का विवरण, जिसमें उनके पैन संख्या भी सम्मिलित हैं, दर्ज किया जा सके, जिनका ऋण सीबीडीटी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है और निर्धारण में अशोध्य

ऋणों के लिए दी गई समुचित कटौती की सटीकता को सत्यापित करने के लिए जिसे बट्टे खाते में डाल दिया गया है, चाहे अशोध्य ऋणों को लाभ और हानि खाते से डेबिट किया गया है अथवा नहीं।

(पैरा 4.3.2.2)

अनुशंसा संख्या 13:

सीबीडीटी संशोधित आयकर रिटर्न जमा करते समय, जब भी संशोधित रिटर्न में कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रमाणित राशि में संशोधन/सुधार की मांग की जाती है, संशोधित कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जमा करना अनिवार्य कर सकता है।

(पैरा 4.3.3)

अनुशंसा संख्या 14:

सीबीडीटी, आय गणना एवं प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस-VIII) के कार्यान्वयन के होने के बाद, दीर्घकालीन मुकदमेबाज़ी से बचने के लिए, निर्धारण वर्ष 2017-18 से, खंडावधि के ब्याज की अनुमति, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए अधिमूल्य के परिशोधन, और निवेश पर कमी को कटौती के रूप में अनुमतता के संबंध में स्पष्टीकरण दे सकता है। सीबीडीटी, समान परिस्थितियों में एक ही कानून की प्रयोज्यता में महत्वपूर्ण भिन्नताओं के कारणों की जाँच करे और विशेष रूप से संवीक्षा निर्धारण के दौरान, एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारण अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी कर सकता है।

(पैरा 4.4.3)

अनुशंसा संख्या 15:

सीबीडीटी आयकर अधिनियम की धारा 80जी या किसी अन्य धारा के अंतर्गत सीएसआर व्यय की कटौती की अनुमतता को स्पष्ट करने पर विचार कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रावधानों की व्याख्या निर्धारण अधिकारी द्वारा समान रूप से की जाए और कर विवादों और संभावित मुकदमेबाज़ी को कम करने के लिए इसके निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा सके।

(पैरा 4.4.4)

अनुशंसा संख्या 16:

सीबीडीटी कर प्रशोधन में एकरूपता सुनिश्चित करने और संभावित राजस्व हानि से बचने के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनियों/परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को परिसंपत्तियों की विक्रय पर होने वाले लाभ/हानि के प्रशोधन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

(पैरा 4.4.5)

अनुशंसा संख्या 17:

सीबीडीटी एनबीएफसी की व्यापक श्रेणी में आने वाले अर्ह निर्धारितियों की पहचान के लिए एनबीएफसी को एक अलग व्यावसायिक कोड आवंटित कर सकता है, जिससे अनर्ह निर्धारितियों द्वारा कटौती के दावे के दुरुपयोग को रोका जा सके।

(पैरा 4.5)

अनुशंसा संख्या 18:

सीबीडीटी धारा 115जेबी के अंतर्गत लाभ की गणना करते समय समायोजन के रूप में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति देने के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर सकता है, जब बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों को लाभ और हानि खाते में डेबिट नहीं किया जाता है, ऐसा राजस्व की महत्वपूर्ण राशि को ध्यान में रखते हुए और इस मुद्दे पर दीर्घकालिक मुकदमेबाज़ी से बचने के लिए किया जा सकता है।

(पैरा 5.1.1.6)

अनुशंसा संख्या 19:

सीबीडीटी पूर्व वर्षों में कटौती के रूप में अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के अथ शेष को समायोजित करने के बाद, बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती के रूप में अनुमत राशियों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अपने निर्देशों को दोहरा सकता है।

(पैरा 5.2.1.5)

अनुशंसा संख्या 20:

सीबीडीटी दीर्घकालिक वित्त से लाभ की गणना के लिए एक मानक पद्धति की जाँच और उसे निर्धारित करने पर विचार कर सकता है, क्योंकि आयकर अधिनियम में धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की अनुमति देने के लिए वर्तमान में यह पद्धति निर्धारित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप कटौती के रूप में स्वीकृत और दावा की गई राशियों के बीच विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं।

(पैरा 5.2.1.6)

अनुशंसा संख्या 21:

सीबीडीटी, धारा 36(1)(vii) में स्पष्टीकरण 2 को सम्मिलित करने के बाद, अधिनियम के संशोधित प्रावधान के संबंध में निर्धारण अधिकारी को निर्देश जारी कर सकता है, जो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत पीबीडीडी के लिए कटौती की अनुचित अनुमतता को रोकने के लिए सभी प्रकार के अग्रिमों के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत केवल एक ही पीबीडीडी खाता होगा।

(पैरा 5.2.6.6)

अनुशंसा संख्या 22:

सीबीडीटी उन महत्वपूर्ण मूल्य के शेष संबंधित-पक्ष संव्यवहारों की समीक्षा करे, जिनकी जांच नहीं की गई थी, क्योंकि लेखापरीक्षा जांच 360-डिग्री विश्लेषण के लिए चयनित नमूने में आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों तक सीमित थी।

(पैरा 5.4.7.7)

अनुशंसा संख्या 23:

सीबीडीटी समय-समय पर बैंकों और एनबीएफ़सी से संबंधित गैर स्वीकार्य-आय और व्यय की मदों के निर्धारण के संबंध में निर्धारण अधिकारी को संवेदनशील बनाने के लिए अपने निर्देशों को दोहराए ताकि निर्धारण में अनुपालन विचलन को कम किया जा सके और चूक की त्रुटियों से बचा जा सके।

(पैरा 5.5.5.4)

अनुशंसा संख्या 24:

सीबीडीटी बैंकों और एनबीएफसी से संबंधित गैर-स्वीकार्य व्यय की मदों की पहचान कर सकता है, ताकि अर्ह दावों पर व्यय की अनुमति सुनिश्चित करने के लिए इसे निर्धारण अधिकारियों के बीच प्रसारित किया जा सके।

(पैरा 5.5.6.1)

अनुशंसा संख्या 25:

सीबीडीटी विदेशी बैंकों को धारा 44सी के अंतर्गत कटौती की अनुमति देने में विसंगति की जाँच कर सकता है और समान मामलों के निर्धारण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है।

(पैरा 5.5.9)

अनुशंसा संख्या 26:

सीबीडीटी, क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारियों के साथ संबंधित पक्ष संव्यवहार के विवरण साझा करने और मुख्य निर्धारिती के अभिलेखों और दस्तावेजों में किए गए संव्यवहार की तुलना में संबंधित दलों के अभिलेखों के प्रति सत्यापन को मजबूत करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है।

(पैरा 5.5.12.2)

अनुशंसा संख्या 27:

सीबीडीटी अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के प्रावधानों के अंतर्गत समग्र ग्रामीण अग्रिमों के आधार पर कटौती के दावों और उनकी पात्रता के सत्यापन के लिए एक उचित संस्थागत तंत्र स्थापित कर सकता है।

(पैरा 6.1.1)

अनुशंसा संख्या 28:

सीबीडीटी, आय की गणना और आयकर प्रतिवेदन के अनुसूची एमएटी में दर्शाए गए संदिग्ध देनदारियों, जैसे कि मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, की निगरानी के लिए एक प्रणाली विकसित करे ताकि अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत बही लाभ की सटीक गणना सुनिश्चित की जा सके।

(पैरा 6.1.2.2)

अनुशंसा संख्या 29:

सीबीडीटी, बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के कारण उधारकर्ताओं की कर देयता की निगरानी के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारियों के बीच समन्वय हेतु एक मानक संचालन प्रोटोकॉल को संस्थागत रूप दे सकता है।

(पैरा 6.1.2.3)

अनुशंसा संख्या 30:

सीबीडीटी निर्धारण अधिकारियों को निर्देश जारी कर सकता है कि वे संवीक्षा निर्धारण के दौरान वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने संबंधित पक्षों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों से संबंधित वित्तीय संव्यवहार के विभिन्न स्तरों की जांच करें, ताकि ऐसे ऋणों और अग्रिमों का उपयोग अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान और बाद में अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिए कटौती के दावे और अनुमति के लिए एक बनावटी साधन के रूप में उपयोग किए जाने के संभावित जोखिम को कम किया जा सके।

(पैरा 6.1.2.5)

अनुशंसा संख्या 31:

सीबीडीटी यह सुनिश्चित कर सकता है कि फेसलेस योजना के अंतर्गत निर्धारण पूरा करते समय संबंधित बैंकों और एनबीएफसी के पिछले वर्षों में पूरे किए गए निर्धारणों की जांच की जा सकती है।

(पैरा 6.1.3)

अनुशंसा संख्या 32:

सीबीडीटी

(i) हाल के वर्षों में निर्धारण के दायरे में हुए बदलावों, निर्धारण पूरा करने की समय-सीमा में परिवर्तन और पुन:निर्धारण की अवधि में न्यूनता के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा के कामकाज को सुव्यवस्थित कर सकता है।

(ii) बैंकों, जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी, आदि जैसी उच्च जोखिम निर्धारण इकाइयों के आंतरिक लेखापरीक्षा को समय पर पूरा करना सुनिश्चित कर सकता है, ताकि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की

गई अनियमितताओं या गलतियों के मामलों में समय-सीमा समाप्त होने से पहले उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

(पैरा 6.1.4)

अनुशंसा संख्या 33:

सीबीडीटी, आरबीआई को सूचित की गई वसूली की राशि और प्रपत्र 3सीडी में दर्ज राशि के बीच विसंगतियों की जांच करे ताकि गैर-मिलान के कारणों की पहचान की जा सके और ऐसे मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके जहां आयकर विभाग को कर योग्य राशि की कम रिपोर्टिंग की जाती है।

(पैरा 6.2.1.1)

अनुशंसा संख्या 34:

सीबीडीटी, भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए गए कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (टीएआर) में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की वसूली के आंकड़ों में अंतर की जांच के उपरान्त उचित कार्यवाही कर सकता है जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या बैंकों ने अपनी बही खातों में अशोध्य ऋणों की वसूली का हिसाब नहीं रखा है, अथवा कर लेखापरीक्षक ने प्रपत्र 3सीडी में इसकी रिपोर्ट करने में लापरवाही बरती है।

(पैरा 6.2.2)

अनुशंसा संख्या 35:

सीबीडीटी

(i) **आरबीआई/एनएचबी से बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों और उनसे वसूली के माध्यम से प्राप्त आय के आंकडें वार्षिक रूप से प्राप्त करे और इस सूचना को बैंकों और एनबीएफसी के निर्धारण के दौरान उपयोग के लिए निर्धारण अधिकारियों के बीच साझा करे।**

(ii) **बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों और बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों से प्राप्त आय, जैसा आरबीआई और एनएचबी को सूचित किया जाता है, के प्रकटीकरण हेतु आयकर रिटर्न (आईटीआर) प्रारूप में संशोधन करें, ताकि कटौती की गलत अनुमति और आय के निर्धारण से बचने के संबंधित जोखिम से बचा जा सके।**

(पैरा 6.2.3.1)

अनुशंसा संख्या 36:

सीबीडीटी आयकर विभाग की प्रणालियों के माध्यम से अशोध्य ऋणों के लिए कटौती के दावों और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की निगरानी पर विचार करे, जिसके लिए आयकर रिटर्न जमा करने वाले प्रपत्र 3सीडी में आईटीआर-6/टीएआर में धारा 36(1)(viiए) के प्रावधान के अंतर्गत निर्धारितियों को दी गई अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों के निर्धारण की वर्षवार सूचना एकत्र कर ली जाएगी, ताकि आगामी वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती के दावे की सत्यता सुनिश्चित की जा सके।

(पैरा 6.3.2.1)

अनुशंसा संख्या 37:

सीबीडीटी बैंकों के निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर सकता है, ताकि सभी निर्धारण शुल्कों में बैंकों के लिए छूट और कटौतियों की अनुमति देने में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके और निर्धारण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

(पैरा 6.4.2)

अध्याय 1 परिचय

1.1 बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का सिंहावलोकन

बैंक संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की रीढ़ हैं। वे जनता से जमा के रूप में धन प्राप्त करते हैं और व्यापार तथा अन्य उद्देश्यों के लिए ऋण देते हैं। वे बचत को ऐसी गतिविधियों में लगाना चाहते हैं जो व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों के लिए फायदेमंद हों। बैंकों का मुख्य कार्य बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच सेतु के रूप में कार्य करना है और बचत को उन लोगों को निर्देशित करना जो अर्थव्यवस्था को उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। एनबीएफसी भारतीय वित्तीय क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को विशेष रूप से उन क्षेत्रों में पूरा करते हैं, जिनमें आमतौर पर बैंक वित्तीय समावेशन, समग्र उत्पादन क्षमता और आर्थिक विकास में योगदान नहीं करते हैं।

1.2 बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों की परिभाषा

भारत में बैंकों के कामकाज को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 है। अधिनियम की धारा 5(बी) बैंकिंग को "उधार देने या निवेश के उद्देश्य से जनता से धनराशि जमा करने, मांग पर या अन्यथा चुकाने योग्य, और चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा द्वारा निकासी योग्य" के रूप में परिभाषित करती है।

धारा 5(सी) एक बैंकिंग कंपनी को "कोई भी कंपनी जो भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करती है" के रूप में परिभाषित करती है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 के नीचे स्पष्टीकरण के अनुसार (सी), 'बैंकिंग कंपनी' का अर्थ एक ऐसी कंपनी है जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है और इसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई भी बैंक या बैंकिंग संस्थान सम्मिलित है।

आरबीआई अधिनियम, 1934 एक ढांचा प्रदान करता है जिसके अधीन भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग की निगरानी और विनियमन किया जाता है। अधिनियम आरबीआई को बैंकों को लाइसेंस देने, शेयरधारकों की शेयरधारिता और मतदान के अधिकारों पर विनियमन करने, बोर्ड और प्रबंधन की नियुक्ति की निगरानी करने, बैंकों के संचालन को विनियमित करने, लेखांकन, लेखापरीक्षा, नियंत्रण स्थगन, विलय और परिसमापन के लिए निर्देश, जनहित और बैंकिंग नीति पर निर्देश जारी करने और शास्ति आरोपित करने का अधिकार प्रदान करता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 भारत में सभी बैंकिंग कंपनियों को परिचालन ढांचा प्रदान करता

है। बैंकों को मुख्यत: पाँच श्रेणियों में विभाजित किया गया है, यथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45-आई(एफ़) के साथ पठित धारा 45-आई(सी) के अनुसार, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी) एक वित्तीय संस्थान है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी है जो ऋण और अग्रिम, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी शेयरों/ प्रतिभूतियों के अधिग्रहण या इसी प्रकार की अन्य विपणन/ डिबेंचर /बॉन्ड स्टॉक / योग्य प्रतिभूतियों, पट्टे, किराया-खरीद, बीमा व्यवसाय, चिट व्यवसाय के कारोबार में लगी हुई है।

एक कंपनी को आरबीआई द्वारा एनबीएफ़सी के रूप में पंजीकृत[1] किया जाएगा जब कंपनी का मुख्य व्यवसाय वित्तीय गतिविधि हो और जब कंपनी की वित्तीय संपत्ति कुल संपत्ति के 50 *प्रतिशत* से अधिक हो और वित्तीय संपत्तियों से आय सकल आय के 50 *प्रतिशत* से अधिक हो। 'मुख्य व्यवसाय' शब्द को आरबीआई अधिनियम द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। रिज़र्व बैंक ने इसे यह सुनिश्चित करने के लिए परिभाषित किया है कि केवल वित्तीय गतिविधियों में मुख्य रूप से संलग्न कंपनियां ही इसके साथ पंजीकृत हों और इसके द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित हों।

आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के नीचे स्पष्टीकरण (vii) के अनुसार, 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' का अर्थ आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के अनुच्छेद (एफ) में दिया गया है। आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई(एफ) के अनुसार, एनबीएफसी का अर्थ है:

- एक वित्तीय संस्थान जो एक कंपनी है।
- एक गैर-बैंकिंग संस्थान जो एक कंपनी है, और जिसका मुख्य व्यवसाय किसी योजना या व्यवस्था के अंतर्गत या किसी अन्य रीति से जमा प्राप्त करना या किसी भी तरीके से उधार देना है, और
- ऐसी अन्य, गैर-बैंकिंग संस्थान या ऐसी संस्थानों का वर्ग जिसे बैंक[2], केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से और आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करें।

---

1 एनबीएफसी पर आरबीआई के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न "एनबीएफसी के बारे में आप जो कुछ भी जानना चाहते थे" दिनांक 10.01.2017।

2 भारतीय रिजर्व बैंक।

- एनबीएफसी उधार देते हैं और निवेश करते हैं, इसलिए उनकी गतिविधियाँ बैंकों के समान हैं। तथापि, आरबीआई के दिशानिर्देशों और आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत दोनों के बीच कुछ अंतर हैं।

बैंकों और एनबीएफसी के बीच अंतर ***अनुलग्नक 1.1*** में दिए गए हैं।

1.3 बैंकों की श्रेणियाँ

भारत में बैंकों को मुख्य तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है- अनुसूचित बैंक[3] और गैर-अनुसूचित बैंक[4]। अनुसूचित बैंक, आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक होते हैं। अनुसूचित बैंक कुछ विनिमय पत्र और शपथ पत्र खरीद, बिक्री और छूट सकते हैं, विदेशी मुद्रा खरीद और बिक्री कर सकते हैं, और आरबीआई से ऋण ले सकते हैं। इन विशेषाधिकारों के फलस्वरूप वे अन्य बैंकों की तुलना में अधिक सख्त नियमों के अधीन होते हैं। भारत में कार्यरत बैंकों का विवरण निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1: बैंकों की श्रेणियाँ

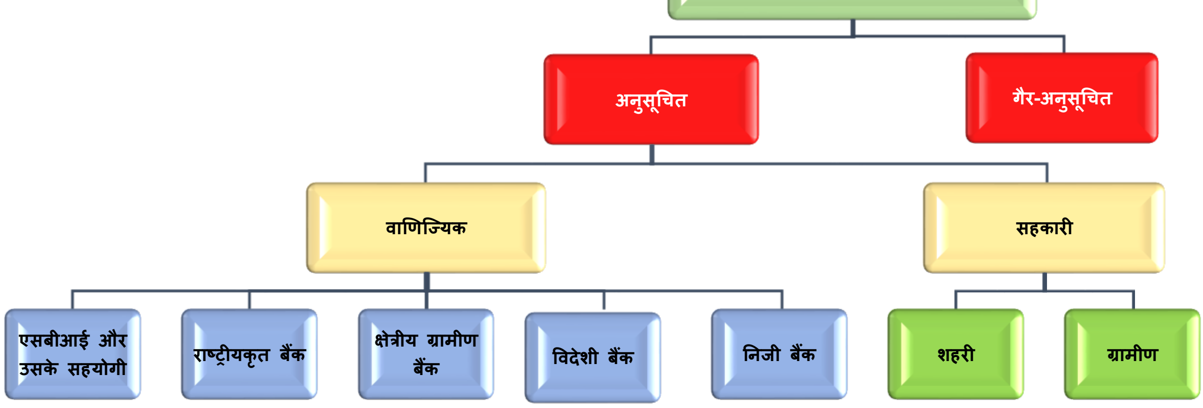

1.4 बैंकों द्वारा परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधानों का अनुमान लगाने हेतु विभिन्न श्रेणियों में ऋणों को वर्गीकृत करने हेतु दिशानिर्देश या विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक ऋण को मानक परिसंपत्ति या गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। कोई परिसंपत्ति तब एनपीए बन जाती है जब

---

3 आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के नीचे प्रदत्त स्पष्टीकरण (ii) के अनुसार, "अनुसूचित बैंक" का अर्थ है एस8 अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अंतर्गत गठित एस8, एस8 (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में परिभाषित एक सहायक बैंक, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अंतर्गत गठित एक नया बैंक, या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अंतर्गत गठित एक नया बैंक, या कोई अन्य बैंक जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक है।

4 आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत नीचे प्रदत्त स्पष्टीकरण (i) के अनुसार, "गैर-अनुसूचित बैंक" का अर्थ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) में परिभाषित बैंकिंग कंपनी है, जो अनुसूचित बैंक नहीं है।

वह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है। यदि ब्याज और/या मूलधन भुगतान की नियत तिथि से 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है, तो एक सावधि ऋण को एनपीए माना जाता है। इक्विटी पर प्रतिफल, परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, उत्तोलन, लाभ अंतर और अशोध्य ऋण बैंक के प्रदर्शन के महत्वपूर्ण घटक हैं। अशोध्य ऋण बैंक के मुनाफे पर एक बड़ा बोझ डालते हैं। एनपीए को अग्रेतर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है।

श्रेणी	विशेषताएँ	कार्रवाई
मानक परिसंपत्तियाँ	मानक परिसंपत्ति वह होती है जिसमें कोई समस्या नहीं होती और जो व्यवसाय से जुड़े सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम नहीं उठाती। ऐसी परिसंपत्ति एनपीए नहीं होनी चाहिए।	ऋण की प्रकृति के आधार पर बकाया राशि के 0.25 *प्रतिशत* से 0.40 *प्रतिशत* की दर से प्रावधान करें।
अवमानक परिसंपत्ति	1. 12 महीने से अधिक समय तक एनपीए नहीं रही हो।	1. सुरक्षित परिसंपत्तियों के लिए 15 *प्रतिशत* का प्रावधान करें। 2. असुरक्षित परिसंपत्तियों के लिए अतिरिक्त 10 *प्रतिशत* का प्रावधान करें।
संदिग्ध परिसंपत्तियां	1. 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में रही हों। 2. ऐसी अक्षमताएं हों जिनके कारण वसूली या परिसमापन पूर्णतः असंभव या संदिग्ध हो।	1. असुरक्षित भाग के लिए 100 *प्रतिशत* प्रदान करें। 2. सुरक्षित हिस्से के लिए एक वर्ष तक 25 *प्रतिशत*, एक से तीन वर्ष तक 40 *प्रतिशत* और संदिग्ध श्रेणी में तीन वर्ष से अधिक के लिए 100 *प्रतिशत* प्रदान करें।
हानि परिसंपत्तियां	हानि परिसंपत्ति वह है जिसमें बैंक या आंतरिक या बाह्य लेखापरीक्षकों या आरबीआई निरीक्षण द्वारा हानि की पहचान की गई है, लेकिन राशि को पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।	इन परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डाल दें या इनके लिए पूर्ण प्रावधान करें।

स्रोत: आरबीआई मुख्य परिपत्र दिनांक 1 जुलाई 2015

1.5 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की विभिन्न श्रेणियों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का विश्लेषण

आरबीआई बैंकों को उनके खातों में विवादास्पद परिसंपत्तियों के कुशल प्रबंधन के लिए नियामक ढाँचा प्रदान करता रहा है। आरबीआई समय-समय पर विवादास्पद परिसंपत्तियों के वर्गीकरण, प्रावधान, पहचान, सूचना और समयबद्ध समाधान के लिए दिशानिर्देश जारी करता रहा है। वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर आरबीआई के

प्रतिवेदन के अनुसार, इस अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और विदेशी बैंकों (एफबी) द्वारा ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण नीचे तालिका 1.1 में दिया गया है।

तालिका 1.1: बैंकों द्वारा ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण (₹ करोड़ में)

बैंकों की श्रेणी	मार्च के अंत में	मानक परिसंपत्तियाँ		अवमानक परिसंपत्तियाँ		संदिग्ध परिसंपत्तियाँ		हानि परिसंपत्तियाँ	
		राशि	*प्रतिशत**	राशि	*प्रतिशत**	राशि	*प्रतिशत**	राशि	*प्रतिशत**
पीएसबी	2017	45,01,200	87.5	1,64,100	3.2	4,60,300	9	16,700	0.3
	2018	46,02,125	84.5	2,05,340	3.8	5,93,615	10.9	46,521	0.9
	2019	50,86,874	87.8	1,37,377	2.4	5,06,492	8.7	66,239	1.1
	2020	53,27,903	89.2	1,32,530	2.2	4,04,724	6.8	1,07,163	1.8
	2021	55,87,450	90.6	1,03,744	1.7	3,51,014	5.7	1,22,217	2
पीवीबी	2017	20,31,000	96.5	24,400	1.2	42,900	2	6,500	0.3
	2018	24,50,552	96	27,203	1.1	69,978	2.7	5,243	0.2
	2019	31,03,581	95.2	42,440	1.3	1,04,696	3.2	9,576	0.3
	2020	34,14,554	94.9	56,588	1.6	92,396	2.6	34,986	1
	2021	37,57,240	95.3	65,363	1.7	90,228	2.3	31,350	0.8
एफ़बी	2017	3,30,200	96	4,000	1.2	8,200	2.4	1,400	0.4
	2018	3,49,475	96.2	3,831	1.1	8,364	2.3	1,635	0.5
	2019	3,94,638	97	3,190	0.8	8,019	2	1,034	0.3
	2020	4,25,857	97.7	3,273	0.8	5,775	1.3	1,161	0.3
	2021	4,10,418	97.6	3,648	0.9	5,566	1.3	986	0.2
एसएफ़बी**	2017								
	2018								
	2019	61,652	98.2	719	1.1	360	0.6	44	0.1
	2020	89,800	98.1	1,023	1.1	648	0.7	39	0
	2021	1,05,619	94.6	4,965	4.4	841	0.8	165	0.1
सभी एससीबी	2017	68,62,400	90.4	1,92,500	2.5	5,11,400	6.7	24,700	0.3
	2018	74,02,152	88.1	2,36,374	2.8	6,71,957	8	53,398	0.6
	2019	86,46,745	90.8	1,83,726	1.9	6,19,567	6.5	76,894	0.8
	2020	92,58,114	91.7	1,93,413	1.9	5,03,543	5	1,43,349	1.4
	2021	98,60,726	92.7	1,77,720	1.7	4,47,648	4.2	1,54,717	1.5

स्रोत: वित्त वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर आरबीआई के प्रतिवेदन का अध्याय IV

1) *: सकल अग्रिमों के *प्रतिशत* के रूप में संदर्भित

2) **: अनुसूचित लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को संदर्भित करता है

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में सकल अग्रिमों में मानक परिसंपत्तियों का *प्रतिशत* वित्त वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान 84.5 *प्रतिशत* से 90.6 *प्रतिशत* तक था। निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में, यह तुलनात्मक रूप से बेहतर था, जो इसी अवधि में 94.9 *प्रतिशत* से 96.5 *प्रतिशत* तक था। विदेशी बैंकों के मामले में, यह अपेक्षाकृत बेहतर था, जो 96 *प्रतिशत* से 97.6 *प्रतिशत* तक था।

1.6 रिज़र्व बैंक विनियमों के अंतर्गत एनबीएफसी की संरचना

एनबीएफसी को उनकी परिसंपत्ति देयता संरचना के अनुसार मुख्य तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है- जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी), जमा स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी), परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ और आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)। इसके अतिरिक्त, जमा स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी दो श्रेणियों में आती हैं: 'व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी' जिनकी परिसंपत्ति का आकार अंतिम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक है, जबकि शेष को 'अन्य एनबीएफसी-एनडी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

यद्यपि मर्चेंट बैंकिंग कंपनियाँ, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक-ब्रोकिंग/सब-ब्रोकिंग व्यवसाय में लगी कंपनियाँ, वेंचर कैपिटल फंड कंपनियाँ, निधि कंपनियाँ, बीमा कंपनियाँ और चिट फंड कंपनियाँ एनबीएफसी हैं, फिर भी उन्हें आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकरण की आवश्यकता से छूट[5] दी गई है।

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में संशोधन किया है, जिससे आरबीआई को आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के विनियमन के लिए कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसके उपरांत एचएफसी को एनबीएफसी की एक श्रेणी के रूप में माना जाता है।

1.7 बैंकों और एनबीएफसी के लिए कानूनी ढांचा

भारत में बैंक और एनबीएफसी मुख्य रूप से आरबीआई अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/दिशानिर्देशों/मुख्य निर्देशों[6] के माध्यम से शासित और विनियमित होते हैं। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान जो आम तौर पर कंपनियों पर लागू होते हैं, कुछ अपवादों के साथ बैंकों और एनबीएफसी पर भी लागू होते हैं। तथापि, आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रावधान हैं जहाँ बैंकों और एनबीएफसी को विशेष छूट और कटौती मिलती है।

धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत प्रदान की गई कटौती निर्दिष्ट निर्धारिती को पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की खाता पुस्तकों में अप्राप्य के रूप में लिखे गए किसी भी अशोध्य ऋण या उसके हिस्से पर कटौती का दावा करने का लाभ प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, जहां ऐसे ऋणों की राशि या उसके हिस्से को निर्धारिती की आय की गणना करने में संज्ञान में रखा गया है,

---

[5] "आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट" पर आरबीआई मुख्य परिपत्र आरबीआई/2005-2006/139 डीएनबीएस.पीडी.सीसी सं.56/02.04/2005-06 दिनांक 24 अगस्त 2005

[6] मुख्य परिपत्र- अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड, मुख्य निर्देश- भारतीय रिज़र्व बैंक (निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, निर्धारण और संचालन) जो नियमित अंतराल पर जारी किए जाते हैं।

जिसमें उक्त राशि खातों में दर्ज किए बिना धारा 145(2) के अंतर्गत अधिसूचित आय गणना और प्रकटीकरण मानकों (आईसीडीएस) के आधार पर अप्राप्य हो जाती है, तो ऐसे ऋणों या उनके हिस्से को पिछले वर्ष में अनुमति दी जानी चाहिए जिसमें ऐसे ऋण या उनके भाग अप्राप्य हो जाते हैं। वित्त अधिनियम 2001 द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, निर्धारिती के खातों में किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किसी भी प्रावधान को निर्धारिती के खातों में अप्राप्य के रूप में लिखे गए 'किसी भी अशोध्य ऋण या उसके हिस्से' के दायरे और दायरे से विशेष रूप से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम 2013 द्वारा अंतर्वेशित स्पष्टीकरण 2[7] के अनुसार, इसमें संदर्भित खाता अनुच्छेद (viiए) के अंतर्गत केवल एक खाता होगा और ऐसा खाता ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए अग्रिमों सहित सभी प्रकार के अग्रिमों से संबंधित होगा। यह स्पष्टीकरण कैथोलिक सीरियन बैंक (2012) (206 टैक्समैन 182) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर अंतर्वेशित किया गया है, जिसमें धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत दो प्रकार के प्रावधानों, अर्थात् ग्रामीण और गैर-ग्रामीण, के बीच अंतर किया गया। चूँकि आयकर अधिनियम में संशोधन निर्धारण वर्ष 2014-15 से लागू हुआ था, इसलिए लेखापरीक्षा ने धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत संशोधित प्रावधान पर विचार किया है।

धारा 36(1)(viiए)(ए) के अंतर्गत कटौती, किसी अनुसूचित बैंक या गैर-अनुसूचित बैंक द्वारा लेखा पुस्तकों में किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किसी भी प्रावधान के संबंध में कटौती प्रदान करती है, जो इस अनुच्छेद और अध्याय VIए के अंतर्गत कोई कटौती करने से पहले गणना की गई **कुल आय** के 8.5 *प्रतिशत* से अधिक नहीं हो सकती है और ऐसे बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दावा किए गए कुल **ग्रामीण अग्रिमों** के 10 *प्रतिशत* से अधिक नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुच्छेद (डी)[8] किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लेखा पुस्तकों में किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किसी भी प्रावधान के संबंध में कटौती का प्रावधान करता है, जो इस अनुच्छेद और अध्याय VIए के अंतर्गत कोई कटौती करने से पहले गणना की गई कुल आय के पांच *प्रतिशत* से अधिक नहीं हो सकती है।

धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती किसी निर्दिष्ट इकाई[9] द्वारा सृजित किए गए और व्यवस्थित किए गए किसी भी विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती प्रदान करती है, जो कि व्यवसाय और पेशे के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत अर्ह व्यवसाय से प्राप्त लाभ के 20 *प्रतिशत* से अधिक नहीं है और इस तरह से आरक्षित निधि में अग्रेनीत किया जाता है कि

---

[7] 01.04.2014 से प्रभावी

[8] वित्त अधिनियम 2016 द्वारा 01.04.2017 से अंतर्वेशित

[9] वित्तीय निगम, बैंकिंग कंपनी, आवास वित्त कंपनी आदि।

आरक्षित की गई ऐसी राशियों का कुल योग निर्दिष्ट इकाई की प्रदत्त शेयर पूंजी और सामान्य आरक्षित निधि की राशि के दोगुने से अधिक नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, बैंक और एनबीएफसी आयकर अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं, जैसे धारा 10, धारा 80एलए आदि के अंतर्गत छूट का दावा भी करते हैं। बैंक और एनबीएफसी विदेशों के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौतों (डीटीएए) के अंतर्गत रियायती कर दरों या राहत का भी दावा करते रहे हैं। बैंकों और एनबीएफसी से संबंधित अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट प्रावधानों का विवरण ***अनुलग्नक 1.2*** में दिया गया है।

1.8 आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत कानूनी प्रावधान

आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025, 11 अगस्त, 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करना है। यह विधेयक फरवरी 2025 में प्रस्तुत आयकर विधेयक, 2025 के स्थान पर लाया गया है। माननीय वित्त मंत्री ने जुलाई 2024 में अपने बजट भाषण में कहा था कि आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा का उद्देश्य अधिनियम को *"संक्षिप्त, स्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान"* बनाना और अनावश्यक प्रावधानों को हटाकर मौजूदा प्रावधानों को सरल बनाना है। यह अधिनियम 1961 के अधिनियम के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है। आयकर अधिनियम, 2025 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के दौरान, अगस्त 2025 में संसद द्वारा आयकर अधिनियम, 2025 पारित किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा में आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों की जांच की गई। दोनों अधिनियमों के अंतर्गत बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का विवरण ***अनुलग्नक 1.3*** में दिया गया है। 2025 अधिनियम के निहितार्थों की जांच इस विषय पर आगामी अनुपालन लेखापरीक्षा और अनुवर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान की जाएगी।

अध्याय 2 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निर्धारितियों के संबंध में वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2020-21 (सितंबर 2020) की अवधि के लिए आयकर महानिदेशक (प्रणाली) से रिटर्न का पूरा डेटाबेस मांगा गया था। आयकर महानिदेशक (प्रणाली) ने अगस्त 2021 में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2021-22 (जून 2022 तक) की अवधि के दौरान संसाधित/निर्धारित/परिशोधित आयकर रिटर्न (आईटीआर) के निर्धारिती-वार आंकड़े उपलब्ध कराए गए। इस डेटाबेस से कई मापदंडों के आधार पर लेखापरीक्षा नमूना चुना गया था और लेखापरीक्षा में विस्तृत जांच के लिए क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों (एफएओ) को प्रदान किया गया था।

2.1 हमने यह विषय क्यों चुना

- भारत सरकार बैंकों और एनबीएफसी को अप्राप्य होने के कारण बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान और विशेष आरक्षित निधि में अंतरित राशि आदि के लिए कटौती और छूट के रूप में लाभ प्रदान करती है। परिणामस्वरूप, महत्वपूर्ण राजस्व की हानि होती है।

- वर्तमान अध्ययन आरबीआई द्वारा निर्धारित परिसंपत्ति वर्गीकरण, आय पहचान और प्रावधान के मानदंडों के अनुपालन की सीमा की जांच करता है, क्योंकि इसका कर योग्य आय और कर देनदारी की गणना पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

- आयकर अधिनियम, 1961 के नियमों, विनियमों और प्रावधानों की पर्याप्तता और उनके अनुपालन का निर्धारण करने के लिए 2002-03 से 2005-06 तक के निर्धारण वर्षों (नि.व.) के लिए संवीक्षा निर्धारण समेत सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों सहित बैंकों के निर्धारण की एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। 2008 की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 7, जिसमें "बैंकों के निर्धारण की समीक्षा" पर अध्याय I सम्मिलित है, को 11 मार्च 2008 को संसद में प्रस्तुत की गई थी। प्रतिवेदन में निर्धारण में कई प्रणालीगत और अनुपालन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया और आंतरिक नियंत्रण तथा निर्धारण की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए कुछ अनुशंसाएं की गईं। इस प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं के आधार पर, सीबीडीटी ने 26 नवंबर 2008 को निर्देश संख्या 17/2008 जारी किया था। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य बैंकों और एनबीएफसी के निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारियों (एओ) द्वारा पूर्व अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई और सीबीडीटी के निर्देशों के पालन का भी पता लगाना था।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य (एओ) निम्नलिखित की जाँच करना था:

- क्या बैंकों और एनबीएफसी से संबंधित निर्धारितियों के संबंध में मौजूदा नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि का निर्धारितियों द्वारा पालन किया जाता है और क्या वे अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं (एओ-1);
- क्या विभाग के भीतर और बाहरी विभागों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, निगरानी और समन्वय तंत्र पर्याप्त थे (एओ-2); और
- क्या विद्यमान प्रणालियाँ और प्रक्रिया नियंत्रण आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अंतर्गत बैंकों और एनबीएफसी के लिए विशिष्ट प्रावधानों के अनुपालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अनुपालन के लिए पर्याप्त हैं (एओ-3)।

2.3 लेखापरीक्षा का दायरा और आच्छादन

निष्पादन लेखापरीक्षा में चयनित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 (30 सितंबर 2021 तक विस्तारित अवधि सहित) के दौरान पूर्ण किए गए निर्धारण सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त, अध्ययन के विषय से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए 123 मामलों को भी प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में नमूनों के चयन और लेखापरीक्षित नमूनों में अपनाई गई प्रक्रिया का पूरा विवरण इस अध्याय के निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.4 लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा पद्धति में निर्धारण अभिलेखों की जाँच, लेखापरीक्षा मांगों के माध्यम से सूचना का संग्रह, लेखापरीक्षा मानदंडों के संदर्भ में आँकड़ों का विश्लेषण और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी करना सम्मिलित था। 17 दिसंबर 2020 को सीबीडीटी के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा के दायरे, उद्देश्यों और कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला गया था। इस प्रतिवेदन में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई 123 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अतिरिक्त निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान जाँचे गए मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं। जनवरी 2022 से अगस्त 2022 की अवधि में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा की गई और जून 2023 में उन मामलों की पूरक लेखापरीक्षा की गई, जो पहले लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग से

बैंकों और एनबीएफसी को दावा की गई और प्रदत्त छूटों और कटौतियों पर सांख्यिकीय सूचना, बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों से संबंधित सूचना और भारतीय रिज़र्व बैंक (जनवरी 2022) और राष्ट्रीय आवास बैंक (अप्रैल 2022) से बट्टे खाते में डाले गए ऋणों और अग्रिमों के विपरीत वसूल की गई कुल राशि से संबंधित सूचना भी माँगी। मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पहली बार 25 जुलाई 2024 को मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों के लिए जारी की गई। सितंबर 2024 और नवंबर 2024 में मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्राप्त होने के बाद, लेखापरीक्षा निष्कर्षों और लेखापरीक्षा अनुशंसाओं पर उनके उत्तरों/टिप्पणियों के साथ चर्चा करने के लिए 06 नवंबर 2024 को सीबीडीटी के साथ एक समापन सम्मेलन आयोजित की गई थी। समापन सम्मेलन के दौरान चर्चा के परिणाम, मंत्रालय द्वारा उनके उत्तरों में दी गई टिप्पणियां और उसके बाद लेखापरीक्षा टिप्पणियां निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विधिवत सम्मिलित की गई हैं।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों का महत्व, कर राजस्व हानि सहित, जिन पर विभाग द्वारा तत्काल ध्यान और कार्रवाई की आवश्यकता थी, जुलाई 2024 में प्रतिवेदन जारी होने के बाद अक्टूबर 2024 में वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव के संज्ञान में लाया गया। लेखापरीक्षा ने प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा सम्मिलित निष्कर्षों और अनुशंसाओं पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया का अनुपालन करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर तथा केंद्रीय स्तर पर नियमित प्रयास किए गए। प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सीबीडीटी से शीघ्र प्रतिक्रिया प्राप्त करने से संबंधित मुद्दे को वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव के समक्ष भी उठाया गया (अक्टूबर 2024, मई 2025, अक्टूबर 2025 और नवंबर 2025 में), साथ ही क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार स्तर पर आयकर विभाग से प्राप्त उत्तरों की स्थिति से अवगत कराते हुए सीबीडीटी को अनुस्मारक भी जारी किए गए (अक्टूबर 2024, नवंबर 2024, जनवरी 2025, मार्च 2025, अक्टूबर 2025 और नवंबर 2025 में) यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुशंसाओं पर मंत्रालय/आयकर विभाग की प्रतिक्रिया को सम्मिलित किया जा सके।

2.5 लेखापरीक्षा बाधाएँ और अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण

एनबीएफ़सी से संबंधित निर्धारणों के विस्तृत आंकड़ों की अनुपलब्धता तथा कोविड महामारी के कारण क्षेत्रीय कार्यालयों के सामने आई कठिनाइयों के चलते जनवरी 2021 में समीक्षा स्थगित कर दी गई थी, और क्षेत्रीय लेखापरीक्षा जनवरी 2022 में फिर से शुरू किया गया। आगे, विभाग में फेसलेस निर्धारण योजना लागू होने के परिणामस्वरूप, निर्धारण से संबंधित अभिलेखों की उपलब्धता उन अभिलेखों तक सीमित हो गई जो संवीक्षा निर्धारण के समय निर्धारितियों द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किए गए थे। जिन रिटर्नों का संवीक्षा के लिए चयन नहीं हुआ,

उनमें उपलब्ध अभिलेख केवल उन्हीं अनिवार्य दस्तावेज़ों तक सीमित थे जिन्हें आयकर रिटर्न के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा को अपनी टिप्पणियाँ उपलब्ध सूचना तक ही सीमित रखनी पड़ीं। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित 2,463 मामलों में से विभाग ने 2,378 अभिलेख प्रस्तुत किए, जबकि 75 मामले लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। दस मामले अवांछनीय थे, क्योंकि वे पीए के दायरे से बाहर थे (जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैरा 2.8 की तालिका 2.3 में उल्लिखित है)। इसके अतिरिक्त, अनुवर्ती उपलब्ध कराए गए 116 मामलों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जून 2023 में किए गए अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान की गई।

2.6 नमूना चयन पद्धति

लेखापरीक्षा नमूना, विभिन्न मानदंडों के आधार पर, वित्तीय सेवा क्षेत्र के निर्धारितियों के डीजीआईटी (प्रणाली) से वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए प्राप्त रिटर्न के डेटाबेस से प्राप्त किया गया था और इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों (एफएओ) को प्रदान किया गया था। डेटाबेस में 86,018 मामले सम्मिलित थे जिनमें सारांश, संवीक्षा, पुनर्निर्धारण, परिशोधन और अपील के अंतर्गत संसाधित निर्धारण मामले सम्मिलित थे। गैर-कॉर्पोरेट मामलों के अतिरिक्त, आईटीआर-6 प्रपत्र पर आधारित आंकड़ों से कॉर्पोरेट मामलों का चयन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 38,660 मामले सामने आए, जिनमें से 38,099 और 561 क्रमशः एनबीएफसी और बैंकों से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, दुहराए गए मामलों और वित्त वर्ष 2016-17 से संबंधित मामलों के अतिरिक्त, नमूने के लिए 25,100 आँकड़ें प्राप्त हुए। उच्च मूल्य वाले मामलों के चयन के लिए मापदंडों के अनुप्रयोग के बाद, 2,463 मामलों का नमूना प्राप्त किया गया, जैसा कि नीचे तालिका 2.1 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है तथा विभाग से मांगा गया।

तालिका 2.1: संख्या से नमूना निष्कर्षण का विवरण

क्र.सं.	विवरण	मामलों की संख्या
1	आयकर महानिदेशक (प्रणाली), आयकर विभाग से प्राप्त वित्त वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक के बैंकों और एनबीएफसी के आंकड़ें	86,018
2	कंपनियों के लिए लागू आईटीआर-6 प्रपत्र जमा करने वाले कॉर्पोरेट मामले और गैर-कॉर्पोरेट मामलों के अतिरिक्त बैंकिंग कंपनिया और एनबीएफसी के आंकड़ें यथा,	38,660

<table>
<tr><th colspan="3">तालिका 2.1: संख्या से नमूना निष्कर्षण का विवरण</th></tr>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>मामलों की संख्या</th></tr>
<tr><td>3</td><td>सीबीडीटी आंकड़ों के अनुसार नमूनाकरण के लिए उपयोग किए गए मामलों का विवरण</td><td><table><tr><th>क्र.सं.</th><th>श्रेणी</th><th>संख्या</th></tr><tr><td>1</td><td>व्यावसायिक कोड के आधार पर बैंक</td><td>561</td></tr><tr><td>2</td><td>व्यावसायिक कोड के आधार पर एनबीएफसी</td><td>38,099</td></tr><tr><td></td><td>कुल (1) + (2)</td><td>38,660</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>वित्त वर्ष 2016-17 से संबंधित बैंकों और एनबीएफसी के मामले और नमूने से बाहर रखे गए दुहराए गए मामले</td><td><table><tr><th>क्र.सं.</th><th>श्रेणी</th><th>संख्या</th></tr><tr><td>1</td><td>बैंक</td><td>159</td></tr><tr><td>2</td><td>एनबीएफ़सी</td><td>13,401</td></tr><tr><td></td><td>कुल (1) + (2)</td><td>13,560</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>नमूनाकरण के लिए प्रयुक्त आंकड़ों की संख्या</td><td><table><tr><th>क्र.सं.</th><th>श्रेणी</th><th>संख्या</th></tr><tr><td>1</td><td>बैंक</td><td>402</td></tr><tr><td>2</td><td>एनबीएफ़सी</td><td>24,698</td></tr><tr><td></td><td>कुल (1) + (2)</td><td>25,100</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>चयनित नमूने</td><td><table><tr><th>क्र.सं.</th><th>श्रेणी</th><th>संख्या</th></tr><tr><td>1</td><td>बैंक</td><td>355</td></tr><tr><td>2</td><td>एनबीएफ़सी</td><td>2,108</td></tr><tr><td></td><td>कुल (1) + (2)</td><td>2,463</td></tr></table></td></tr>
</table>

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, विदेशी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के संबंध में दावा की गई और अनुमत कटौतियों और छूटों के लिए नमूना आंकड़ों की संख्या का सापेक्ष विश्लेषण इस अध्याय के अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिया गया है। विभाग द्वारा गैर-प्रस्तुत लेखापरीक्षा नमूने और अभिलेखों का क्षेत्रवार वितरण भी नीचे दिया गया है।

2.7 लेखापरीक्षा नमूने का क्षेत्रवार वितरण

लेखापरीक्षा नमूने में देश भर के आयकर विभाग के सभी क्षेत्र/राज्य क्षेत्राधिकारों से संबंधित निर्धारण मामले सम्मिलित थे। नमूने में सम्मिलित प्रमुख राज्य/क्षेत्र महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, दिल्ली और तमिलनाडु थे, जो क्रमशः नमूने का 27.57 *प्रतिशत*, 25.05 *प्रतिशत*, 15.71 *प्रतिशत* और 8.08 *प्रतिशत* थे। अन्य राज्य/क्षेत्र नमूने के 0.89 *प्रतिशत* से 3.41 *प्रतिशत* के बीच कुल 23.59 *प्रतिशत* थे, जैसा कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: क्षेत्रवार और सेक्टरवार नमूना चयन

क्षेत्र राज्य/	जनसंख्या	चयन	एनबीएफसी	सार्वजनिक बैंक	निजी बैंक	विदेशी बैंक
गुजरात	632	69	62	0	7	0
राजस्थान	492	38	38	0	0	0
कर्नाटक और गोवा	466	75	63	7	5	0
तमिलनाडु	1514	199	150	17	25	7
केरल	577	84	54	0	30	0
नई दिल्ली	4,099	387	340	23	0	24
पश्चिम बंगाल और सिक्किम	10,466	617	592	8	5	12
पूर्वोत्तर क्षेत्र	292	17	17	0	0	0
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	502	68	68	0	0	0
ओडिशा	64	22	22	0	0	0
उत्तर प्रदेश	772	62	57	0	5	12
मध्य प्रदेश	330	32	32	0	0	0
बिहार और झारखंड	180	39	39	0	0	0
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र[10]	868	75	71	0	4	0
महाराष्ट्र	3,846	679	503	38	48	90
कुल	**25,100**	**2,463**	**2,108**	**93**	**129**	**133**

स्रोत: डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े

2.8 मामलों का गैर-प्रस्तुतीकरण

जांच के लिए चयनित 2,463 मामलों में से, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और दिल्ली में 75 मामले (3.04 *प्रतिशत*) निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए, जैसा कि नीचे तालिका 2.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3: लेखापरीक्षा के दौरान गैर-प्रस्तुत मामले

क्षेत्र/राज्य	चयनित नमूना	कुल	प्रस्तुत नहीं किए गए	स्थानीय नमूना
गुजरात	69	107		
राजस्थान	38		0	
कर्नाटक और गोवा	75	75	0	
तमिलनाडु	199	283	15	5
केरल	84			
दिल्ली	387	419	1	17

10 चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पंजाब

तालिका 2.3: लेखापरीक्षा के दौरान गैर-प्रस्तुत मामले

क्षेत्र/राज्य	चयनित नमूना	कुल	प्रस्तुत नहीं किए गए	स्थानीय नमूना
मध्य प्रदेश	17			
छत्तीसगढ़	15			
पश्चिम बंगाल और सिक्किम	617	634	27	
पूर्वोत्तर क्षेत्र[11]	17			
महाराष्ट्र	679	679	32	2
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	68	90		4
ओडिशा	22		0	
उत्तर प्रदेश	55	101	*	
उत्तराखंड	7			
बिहार	11			
झारखंड	28			
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र	75	75	0	
कुल	**2,463**	**2,463**	**75**	**28**

नोट: उत्तर प्रदेश क्षेत्र के दस मामलों की जांच नहीं की गई क्योंकि वे नमूने के लिए तय बैंकों और एनबीएफसी की श्रेणी में नहीं आते।

विभाग ने इन अभिलेखों को प्रस्तुत न करने का कोई कारण नहीं बताया है। केंद्रीय स्तर पर चयनित 2,463 मामलों के अतिरिक्त, 28 स्थानीय मामले क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर चुने गए। प्रस्तुत न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा इन मामलों में किए गए निर्धारण की सत्यता के बारे में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका।

2.9 जनसंख्या के सापेक्ष लेखापरीक्षा नमूने का विश्लेषण

यद्यपि नमूना कुल आंकड़ों की संख्या का केवल 10 *प्रतिशत* था, फिर भी नमूने में 25,100 मामलों की कुल आंकड़ों की संख्या की रिटर्न आय का 94.92 *प्रतिशत* था, अशोध्य ऋण का 98.71 *प्रतिशत*, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान का 86.26 *प्रतिशत*, अन्य प्रावधानों का 94.13 *प्रतिशत*, अध्याय VIए की कटौतियों का 95.62 *प्रतिशत* सम्मिलित था। इस प्रकार, सभी उच्च-जोखिम वाले मामलों को नमूने में सम्मिलित किया गया है, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

---

[11] अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा

तालिका 2.4: विभिन्न मापदंडों पर कुल आंकड़ों में से आच्छादित नमूने के *प्रतिशत* का विवरण (₹ करोड़ में)								
मानदंड		वित्त वर्ष 2017-18 में किया गया निर्धारण	वित्त वर्ष 2018-19 में किया गया निर्धारण	वित्त वर्ष 2019-20 में किया गया निर्धारण	वित्त वर्ष 2020-21 में किया गया निर्धारण	वित्त वर्ष 2021-22 में किया गया निर्धारण	कुल	*प्रतिशत* आच्छादित
मामलों की संख्या	कुल आँकड़ें	8,935	6,449	8,044	1,453	219	25,100	9.81
	नमूना	737	605	748	285	88	2,463	
रिटर्न की गई आय	कुल आँकड़ें	1,67,977	2,75,276	2,48,499	2,28,786	45,131	9,65,669	94.92
	नमूना	1,54,333	2,63,277	2,35,062	2,21,357	42,561	9,16,590	
अशोध्य ऋण	कुल आँकड़ें	11,723	37,195	51,096	83,187	4,361	1,87,562	98.71
	नमूना	11,304	36,792	50,172	82,661	4,214	1,85,143	
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	कुल आँकड़ें	1,21,910	1,73,036	2,22,938	2,51,268	1,02,880	8,72,033	86.26
	नमूना	90,644	1,46,726	2,08,695	2,13,482	92,685	7,52,232	
अन्य प्रावधान	कुल आँकड़ें	23,459	25,910	38,825	33,944	10,103	1,32,241	94.13
	नमूना	21,681	24,321	38,220	30,952	9,306	1,24,480	
अध्याय VIए के अंतर्गत कुल कटौती	कुल आँकड़ें	306	815	2,557	2,365	421	6,464	95.62
	नमूना	258	783	2,468	2,300	373	6,182	
कुल छूट प्राप्त आय	कुल आँकड़ें	27,628	29,901	22,767	25,000	1,331	1,06,626	88.02
	नमूना	22,301	27,277	18,539	24,476	1,256	93,849	
स्रोत: डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े और आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख								

2.10 कटौती का धारा-वार विवरण

निम्नोक्त चार्ट 2.1 में बैंकों और एनबीएफसी द्वारा श्रेणी-वार दावा की गई छूट और कटौती को दर्शाया गया है। यह देखा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दावा किया गया अशोध्य ऋण कुल अशोध्य ऋणों का 58 *प्रतिशत* था, जबकि विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों ने क्रमशः 1.29 *प्रतिशत* और 31.19 *प्रतिशत* अशोध्य ऋणों का दावा किया। धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधान के लिए बैंकों को दी गई कटौती एनबीएफसी के लिए केवल 9.46 *प्रतिशत* की तुलना में 90.54 *प्रतिशत* थी। यह इस तथ्य के कारण था कि अशोध्य और संदिग्ध ऋण के प्रावधान के लिए कटौती को एनबीएफसी को निर्धारण वर्ष 2017-18 से प्रदान किया गया। धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए किए प्रावधान के मामले में, एनबीएफसी ने बैंकों द्वारा दावा किए गए ₹ 13,857 करोड़ की तुलना में ₹ 25,806 करोड़ की कटौती का दावा किया।

चार्ट 2.1: आयकर रिटर्न में दावा की गई छूट और कटौतियाँ बनाम आयकर विभाग द्वारा अनुमत

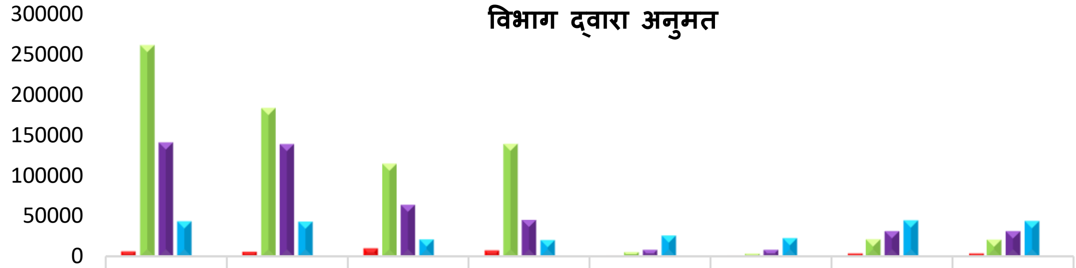

	दावित अशोध्य ऋण	अनुमत अशोध्य ऋण	अशोध्य ऋण का प्रावधान	अनुमत अशोध्य ऋण का प्रावधान	दावित विशेष निधी का प्रावधान	अनुमत विशेष निधी का प्रावधान	दावित छूट प्राप्त आय	अनुमत छूट प्राप्त आय
विदेशी बैंक	5831	5371	9236	7137	246	246	3600	3251
सार्वजनिक बैंक	261457	183614	114892	139468	5316	3358	21304	20817
निजी बैंक	140602	138357	63800	44916	8295	8144	31352	31348
एनबीएफसी	42899	42835	20767	20020	25806	22278	44176	43569
कुल	450789	370177	208695	211541	39663	34026	100432	98985

स्रोत: डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े और आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

उपरोक्त चार्ट से यह भी देखा जा सकता है कि अशोध्य ऋण पूरे वित्तीय क्षेत्र में दावा की गई और अनुमत कटौती की प्रमुख मदों में से एक हैं। विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों ने अशोध्य ऋणों की अधिकतम राशि का दावा किया।

2.11 धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के लिए दावा की गई कटौती का विश्लेषण

लेखापरीक्षा में जांचे गए कुल 2,378 मामलों में से 628 मामलों में धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति दी गई, जैसा कि नीचे तालिका 2.5 में विस्तृत रूप से बताया गया है:

तालिका 2.5: उन मामलों का विवरण जहां आयकर विभाग द्वारा धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋण की अनुमति दी गई है (₹ करोड़ में)

श्रेणी	उन मामलों की संख्या जहां अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति दी गई	रिटर्न की गई आय	लाभ और हानि खाते में डेबिट अशोध्य ऋणो	आयकर रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋण	आयकर विभाग द्वारा अनुमत अशोध्य ऋण [निर्धारण अभिलेख के अनुसार[
विदेशी बैंक	39	43,286	1,684	5,768	5,371
सार्वजनिक बैंक	44	28,323	1,419	2,28,845	1,83,614
निजी बैंक	89	3,60,375	1,28,586	1,40,138	1,38,357
कुल बैंक	**172**	**4,31,984**	**1,31,689**	**3,74,751**	**3,27,342**
एनबीएफसी	456	1,34,169	47,475	42,836	42,835
कुल योग	**628**	**5,66,153**	**1,79,164**	**4,17,587**	**3,70,177**

स्रोत: डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े और आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

लेखापरीक्षा ने पाया कि लाभ और हानि खाते में केवल ₹ 1,79,164 करोड़ डेबिट किए गए और निर्धारितियों ने आयकर रिटर्न में ₹ 4,17,587 करोड़ की कटौती का दावा किया और निर्धारण में ₹ 3,70,177 करोड़ की अनुमति दी गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि मौजूदा प्रारूप में आईटीआर-6 निर्धारिती द्वारा किए गए वास्तविक दावे को स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं करता है और केवल लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई राशि को दर्ज करता है जो धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति न करने के कारण गैर-अनुमत है। इस मुद्दे पर अध्याय 4 के पैरा 4.1.2 में चर्चा की गई और इस प्रतिवेदन के अध्याय 5 में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। आयकर रिटर्न में दावा की गई कटौती और निर्धारण में अनुमत कटौती नीचे चार्ट 2.2 में प्रस्तुत की गई है।

चार्ट 2.2: दावा किए गए और अनुमत अशोध्य ऋण

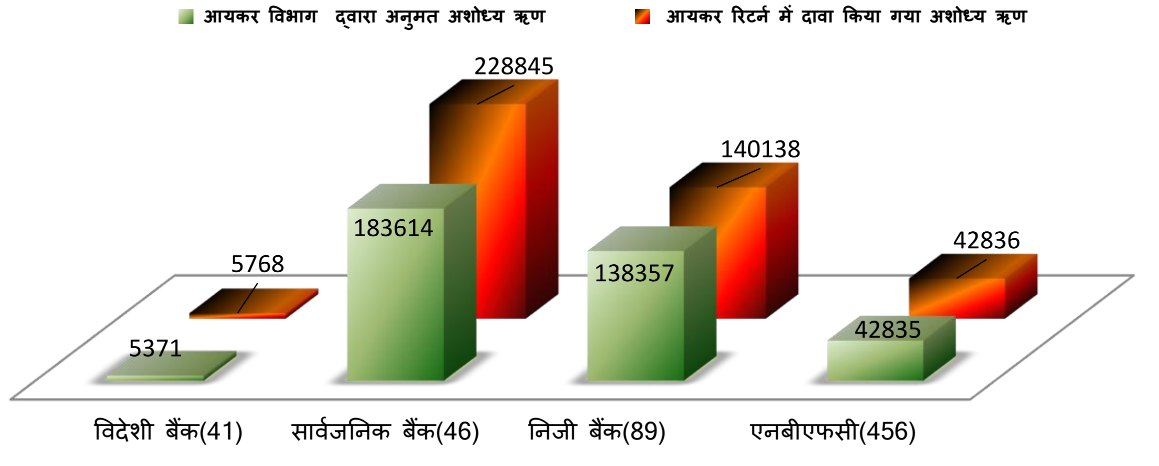

स्रोत: डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े और आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

2.12 धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु दावा की गई कटौती का विश्लेषण

तालिका 2.6 धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु दावा की गई और अनुमत कटौती का विवरण दर्शाती है।

तालिका 2.6: उन मामलों का विवरण जहां आयकर विभाग द्वारा धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु कटौती की अनुमति दी गई है (₹ करोड़ में)

श्रेणी	मामलों की संख्या	रिटर्न की गई आय	लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	आयकर रिटर्न में दावा किए गए बीडीडी के लिए प्रावधान	आयकर विभाग द्वारा अनुमत बीडीडी के लिए प्रावधान [निर्धारण अभिलेख के अनुसार]
विदेशी बैंक	50	81,035	8,567	7,198	7,137
सार्वजनिक बैंक	63	80,610	4,17,962	1,10,110	1,39,468
निजी बैंक	78	291,086	71,300	55,211	44,917

तालिका 2.6: उन मामलों का विवरण जहां आयकर विभाग द्वारा धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु कटौती की अनुमति दी गई है (₹ करोड़ में)

श्रेणी	मामलों की संख्या	रिटर्न की गई आय	लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	आयकर रिटर्न में दावा किए गए बीडीडी के लिए प्रावधान	आयकर विभाग द्वारा अनुमत बीडीडी के लिए प्रावधान [निर्धारण अभिलेख के अनुसार]
कुल बैंक	191	4,52,731	4,97,829	1,72,519	1,91,522
एनबीएफसी	287	1,33,291	17,809	20,079	20,020
कुल योग	**478**	**5,86,022**	**5,15,638**	**1,92,598**	**2,11,542**

स्रोत: आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े और आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि बैंकों और एनबीएफसी ने अपने बहीखातों में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधान के अंतर्गत ₹ 5,15,638 करोड़ डेबिट किए, जबकि आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत केवल ₹ 2,11,542 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई। आईटीआर-6 का मौजूदा प्रारूप दावे की सीमा और उस पर छूट की निगरानी के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए वास्तविक दावे को स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं करता। इस मुद्दे पर अध्याय 4 के पैरा 4.1.2 में चर्चा की गई है और इस प्रतिवेदन के अध्याय 5 में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में जांचे गए 2,378 मामलों में से 478 मामलों के संबंध में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए कटौती की अनुमति दी गई।

2.13 धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि में अंतरण हेतु दावा की गई कटौती का विश्लेषण

तालिका 2.7, दीर्घकालिक वित्तपोषण से प्राप्त लाभ से सृजित विशेष आरक्षित निधि में अंतरण हेतु धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत दावा की गई कटौती का विवरण दर्शाती है।

तालिका 2.7: उन मामलों का विवरण जहां धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा विशेष आरक्षित निधि में अंतरण के लिए कटौती की अनुमति दी गई है (₹ करोड़ में)

श्रेणी	मामलों की संख्या	रिटर्न आय	आयकर रिटर्न में दावा की गई कटौती	आयकर विभाग द्वारा अनुमत कटौती [निर्धारण अभिलेख के अनुसार]
विदेशी बैंक	10	45,507	246	246
सार्वजनिक बैंक	21	33,920	4,215	3,358
निजी बैंक	51	1,07,310	8,117	8,144
कुल बैंक	**82**	**1,86,737**	**12,578**	**11,748**
एनबीएफसी	120	1,37,378	25,749	22,278
कुल योग	**202**	**3,24,115**	**38,327**	**34,026**

स्रोत: डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े और आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

लेखापरीक्षा में जांचे गए 2,378 मामलों में से 202 मामलों में विशेष आरक्षित निधि में अंतरण हेतु कटौती की अनुमति दी गई। रिटर्न में दावा की गई कटौती की कुल राशि ₹ 38,327 करोड़ थी, जिसके विरुद्ध आयकर विभाग द्वारा ₹ 34,026 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई।

2.14 विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत दावा की गई छूट प्राप्त आय का विश्लेषण

तालिका 2.8 में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत दावा की गई और विभाग द्वारा प्रदत्त छूट की राशि दर्शाई गई है।

तालिका 2.8: उन मामलों का विवरण जहां छूट प्राप्त आय के लिए कटौती की अनुमति दी गई

(₹ करोड़ में)

वर्ग	मामलों की संख्या	रिटर्न की गई आय	छूट प्राप्त आय	आयकर रिटर्न में दावा की गई छूट प्राप्त आय	छूट प्राप्त अनुमत आय
विदेशी बैंक	47	99,915	3,236	3,583	3,251
सार्वजनिक बैंक	84	71,374	13,523	21,304	20,817
निजी बैंक	100	3,72,760	31,152	31,352	31,348
कुल बैंक	**231**	**5,44,049**	**47,911**	**56,239**	**55,416**
एनबीएफसी	867	2,18,811	44,181	44,156	43,569
कुल योग	**1,098**	**7,62,860**	**92,092**	**1,00,395**	**98,985**

स्रोत: डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े और आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

उपरोक्त तालिका 2.8 से यह देखा जा सकता है कि ₹ 1,00,395 करोड़ के दावे के समक्ष बैंकों और एनबीएफसी के निर्धारण में ₹ 98,985 करोड़ की छूट दी गई थी।

2.15 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा, आवश्यक आँकड़ें/अभिलेख/सूचना उपलब्ध कराने और इस निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन को सुगम बनाने में आयकर विभाग के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है। लेखापरीक्षा, भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा आरबीआई को दी गई सूचना के अनुसार एनपीए को बट्टे खाते में डालने और अशोध्य ऋणों की वसूली से संबंधित आँकड़ें साझा करके दिए गए सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करती है।

अध्याय 3 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2008 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 7 में की गई अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई

वित्तीय वर्ष 2006-07 में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के निर्धारण पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई, जिसमें निर्धारण वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक 89 बैंकों को सम्मिलित किया गया। "बैंकों के निर्धारण की समीक्षा" पर 2008 की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 7, जिसे 11 मार्च 2008 को संसद में प्रस्तुत किया गया था, के अध्याय I में ये लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में समीक्षा अवधि के दौरान पूर्ण किए गए निर्धारणों में कई प्रणालीगत और अनुपालन संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, जिसके लिए लेखापरीक्षा ने आंतरिक नियंत्रण और निर्धारण की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए अनुशंसाएँ कीं।

इस प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं के आधार पर सीबीडीटी ने 26 नवंबर 2008 को निर्देश संख्या 17/2008 जारी किया। सीएजी द्वारा किए गए बैंकों के निर्धारण की निष्पादन समीक्षा प्रतिवेदन का हवाला देते हुए; सीबीडीटी ने बताया कि *उसने 'व्यापार और पेशे से लाभ और अभिलाभ' शीर्षक के अंतर्गत बैंकों की आय की गणना करते समय पाया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित सत्यापन के बिना विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बड़ी मात्रा में कटौती की अनुमति दी जा रही थी, जिससे राजस्व की बहुत हानि हो रही थी।* सीबीडीटी ने निर्देश दिया कि *बैंकों के निर्धारण के मामलों को उचित सावधानी और उचित सत्यापन के बाद पूरा किया जाना चाहिए। इस बात पर भी जोर दिया गया कि निर्देशों में निर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत कटौती केवल आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार तथ्यों और कानून के आधार पर दावे की पूरी जांच के बाद ही दी जानी चाहिए।*

3.1 दिनांक 26 नवंबर 2008 के निर्देश संख्या 17/2008 के द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में अनुपालन प्रतिवेदन

वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य सीबीडीटी द्वारा जारी 26 नवंबर 2008 के निर्देश संख्या 17/2008 की अनुपालन सीमा की जाँच हेतु एक अनुवर्ती अध्ययन करना है। इस संबंध में वर्तमान अध्ययन के परिणाम नीचे तालिका 3.1 में दिए गए हैं:

तालिका 3.1: दिनांक 26 नवंबर 2008 के निर्देश संख्या 17/2008 के अंतर्गत द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन		
निर्देश के अंतर्गत खंड	**निर्देश का सार**	**निर्देश के अनुपालन पर टिप्पणियाँ**
(i)	अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत, निर्धारिती के खातों में अप्राप्य होने के कारण बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के कारण कटौती अनुमत है। तथापि, यह अनुमति तभी दी जानी चाहिए जब निर्धारिती ने अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान खाते में ऐसे ऋणों की राशि डेबिट की हो, जैसा कि अधिनियम की धारा 36(2)(v) में अपेक्षित है।	इस निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर विभाग (आईटीडी) के पास धारा 36(1)(viiए) के प्रावधानों के अंतर्गत पिछले निर्धारण वर्षों में अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की राशि की निगरानी के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं है। अशोध्य ऋण लेने वाले बैंकों के 172 मामलों और एनबीएफसी के 456 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने देखा कि 80 मामलों में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में उपलब्ध अथशेष के अनुचित समायोजन के कारण अशोध्य ऋणों के लिए ₹ 68,127.50 करोड़ की अधिक कटौती और ₹ 5,846.20 करोड़ की कम कटौती की अनुमति दी गई थी। इस प्रतिवेदन के पैरा 5.5.1.1 और पैरा 6.3.1 में गैर-अनुपालन के उदाहरणों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस संबंध में सुझाव और अनुशंसाएं भी संबंधित अनुच्छेदों में रेखांकित की गई हैं।
(v)	भारत में निर्धारण योग्य विदेशी बैंकों या बैंक शाखाओं के मामलों में, निर्धारण अधिकारी को ऐसे दावों को अनुमति देने से पहले धारा 44सी के अंतर्गत कार्यालय व्यय शीर्ष के दावे की सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए और इसमें निहित प्रावधानों और लागू दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीएए) के प्रासंगिक खंड (ओं) के प्रकाश में जांच करनी चाहिए।	लेखापरीक्षा ने आठ मामलों में पाया कि कार्यालय व्यय शीर्ष के लिए ₹ 1,470.35 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई थी, तथापि ऐसे व्यय का दावा करने के लिए अभिलेख में पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे, और विभाग इस मुद्दे पर एक समान रुख नहीं अपना रहा था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि निर्धारिती को अधिनियम की धारा 44सी के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी गई थी, तथापि व्यय को कार्यालय व्यय शीर्ष के लिए लाभ-हानि खाते में डेबिट नहीं किया गया था। विदेशी बैंकों को धारा 44सी के अंतर्गत गलत अनुमति के मामलों पर इस प्रतिवेदन के पैरा 5.5.9 में चर्चा की गई है।
(vi)	ऐसे मामलों में जहाँ कोई निर्धारिती बैंक किसी पूंजी खाते के अंतर्गत किसी भी प्रोद्भूत ब्याज सहित मूल्य पर प्रतिभूतियाँ खरीदता है, वहां संपूर्ण क्रय प्रतिफल पूंजीगत व्यय की प्रकृति का होता है। इसलिए, क्रय प्रतिफल में सम्मिलित कोई भी ब्याज तत्व उन प्रतिभूतियों पर प्रोद्भूत आय के बरक्श व्यय के रूप में अनुमेय नहीं है (विजया	सीबीडीटी ने अधिनियम की धारा 145(2) के अंतर्गत दस आय गणना एवं प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस) अधिसूचित किए हैं, जो निर्धारण वर्ष 2017-18 से लागू हैं। इनमें प्रतिभूतियों से संबंधित आईसीडीएस VIII भी सम्मिलित है। 'प्रतिभूतियों' पर आईसीडीएस VIII का भाग बी, अनुसूचित बैंकों द्वारा धारित प्रतिभूतियों से संबंधित है। आईसीडीएस VIII के भाग बी के पैरा 3 में कहा गया है कि प्रतिभूतियों का वर्गीकरण, मान्यता और

तालिका 3.1: दिनांक 26 नवंबर 2008 के निर्देश संख्या 17/2008 के अंतर्गत द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन		
निर्देश के अंतर्गत खंड	**निर्देश का सार**	**निर्देश के अनुपालन पर टिप्पणियाँ**
	बैंक बनाम सीआईटी 187 आईटीआर 541 सर्वोच्च न्यायालय)।	मापन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा इस संबंध में जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा और उक्त दिशानिर्देशों से अधिक की कटौती के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। आय गणना और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीसी)-VIII के क्रियान्वयन के साथ, जो कि निर्धारण वर्ष 2017-18 से प्रभावी है, प्रतिभूतियों की क्रय पर भुगतान किए गए खण्डावधि के ब्याज को कटौती के रूप में व्यय के रूप में अनुमति देने के लिए असंगत कानूनी विधान है, जबकि सिटीबैंक एनए[12] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, प्रतिभूतियों की क्रय पर भुगतान किया गया खंडावधि का ब्याज कटौती के रूप में स्वीकार्य है। लेखापरीक्षा ने 24[13] ऐसे मामले देखे जहाँ विभाग ने निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 में खण्डावधि के ब्याज को अस्वीकार कर दिया था, जबकि एक निजी बैंक के दो मामलों में खण्डावधि के ब्याज के लिए कटौती की अनुमति दी गई थी, जैसा कि पैरा 4.4.1 में चर्चा की गई है। सीबीडीटी निर्धारण के दौरान खण्डावधि के ब्याज के प्रशोधन के लिए निर्धारण अधिकारी के असंगत रुख की समीक्षा कर सकता है।
(vii)	1 जुलाई 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है: परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) और विक्रय विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस)। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाज़ार मूल्य पर अंकित करने की आवश्यकता नहीं है और इन्हें अधिग्रहण लागत पर ही रखा जाता है, जब तक कि ये अंकित मूल्य से अधिक न हों, ऐसी स्थिति में अधिमूल्य का परिशोधन परिपक्वता तक शेष अवधि में किया जाना चाहिए। बैंक के व्यापार	सीबीडीटी ने अधिनियम की धारा 145(2) के अंतर्गत दस आय गणना और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस) अधिसूचित किए हैं जो निर्धारण वर्ष 2017-18 से लागू होंगे, जिनमें प्रतिभूतियों से संबंधित आईसीडीएस VIII भी सम्मिलित है। 'प्रतिभूतियों' पर आईसीडीएस VIII का भाग बी, अनुसूचित बैंकों द्वारा धारित प्रतिभूतियों से संबंधित है। आईसीडीएस VIII के भाग बी[14] के पैरा 3 में कहा गया है कि प्रतिभूतियों का वर्गीकरण, मान्यता और मापन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए विभिन्न बैंकों के निर्धारिती आदेशों से लेखापरीक्षा अभ्युक्ति यह है कि एचटीएम श्रेणियों के अंतर्गत

[12] सिटीबैंक एनए सिविल अपील संख्या 1549/2006 दिनांक 12.8.2008 में

[13] निजी क्षेत्र के बैंकों के 14 मामले और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 10 मामले

[14] आईसीडीएस VIII की प्रतिभूतियों के वर्गीकरण, मान्यता और मापन पर पैरा 8.1

तालिका 3.1: दिनांक 26 नवंबर 2008 के निर्देश संख्या 17/2008 के अंतर्गत द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन		
निर्देश के अंतर्गत खंड	**निर्देश का सार**	**निर्देश के अनुपालन पर टिप्पणियाँ**
	में स्टॉक बनाने वाली एचएफटी और एएफएस प्रतिभूतियों के मामले में, मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि को शेयर-वार समेकित किया जाना चाहिए और केवल निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, के लिए खातों में प्रावधान किया जाना आवश्यक है। ऐसे दावों की अनुमति देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के नवीनतम दिशानिर्देशों का संदर्भ लिया जा सकता है।	धारित प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए अधिमूल्य के परिशोधन को कुछ मामलों में विभाग द्वारा अनुमत कर दिया गया है, इसे कुछ अन्य मामलों में कटौती के रूप में भी अनुमति दी गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को अपने निवेश का 25 *प्रतिशत* तक एचटीएम श्रेणी में निवेश करने की अनुमति है। इस प्रकार, एचटीएम श्रेणी में निवेश के परिशोधन की कर देयता का मुद्दा सभी अनुसूचित बैंकों के लिए एक समान है। एचटीएम श्रेणियों के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए अधिमूल्य के परिशोधन के लिए कटौती की अनुमति के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाए गए असंगत रुख के मामलों पर पैरा 4.4.2 में चर्चा की गई है। सीबीडीटी निर्धारण के दौरान एचटीएम श्रेणियों के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए अधिमूल्य के परिशोधन के प्रशोधन के लिए निर्धारण अधिकारी के असंगत रुख की समीक्षा कर सकता है।
(viii)	आयकर नियम, 1962 के नियम 8डी के साथ पठित अधिनियम की धारा 14ए में यह प्रावधान है कि अधिनियम के अंतर्गत कुल आय की गणना के प्रयोजनार्थ, निर्धारिती द्वारा उस आय के संबंध में किए गए व्यय के संबंध में कोई कटौती नहीं दी जाएगी जो कुल आय का हिस्सा नहीं है। इसलिए, छूट प्राप्त आय से संबंधित व्यय को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।	लेखापरीक्षा ने 1,098 मामलों में से 36 ऐसे मामलों का पता लगाया जहाँ छूट प्राप्त आय पर किए गए व्यय को उचित रूप से समायोजित किए बिना ही गलत तरीके से कटौती की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 785.46 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिस के कारण ₹ 293.59 करोड़ का कर प्रभाव पड़ा। धारा 14ए के अंतर्गत छूट प्राप्त आय अर्जित करने के लिए किए गए व्यय की अनुचित अनुमति के मामलों पर पैरा 5.5.4.2 में चर्चा की गई है।
(xi)	अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, किसी भी अनिश्चित देयता या गैर-अर्जित देयता से संबंधित कोई भी प्रावधान कटौती के लिए देय नहीं है। तथापि, यह पाया गया है कि बैंक विभिन्न खातों पर प्रावधानों का दावा कर रहे हैं, संभवतः आरबीआई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत [जैसे वेतन बकाया के लिए प्रावधान जिसके लिए समझौता वार्ता को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, मानक परिसंपत्तियों के	लेखापरीक्षा में जांचे गए 2,378 मामलों में से 79 मामलों में, गैर-अनुमत अनुमत व्यय के लिए अनियमित कटौतियों, अनिश्चित देयता के लिए किए गए प्रावधान आदि के कारण ₹ 15,646.01 करोड़ की कटौती गलत तरीके से की गई। इसमें ₹ 2,766.55 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था। प्रावधानों और व्यय के लिए कटौती की अनुचित अनुमति के मामलों पर पैरा 5.5.6 में चर्चा की गई है।

तालिका 3.1: दिनांक 26 नवंबर 2008 के निर्देश संख्या 17/2008 के अंतर्गत द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन		
निर्देश के अंतर्गत खंड	**निर्देश का सार**	**निर्देश के अनुपालन पर टिप्पणियाँ**
	लिए प्रावधान, आदि]। एक आकस्मिक देयता आयकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कटौती योग्य व्यय नहीं बन सकती। इस प्रकार, किसी घटना के घटित होने पर व्यय बनने वाली धनराशि को पृथक करना सामान्यतः आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुमत व्यय नहीं माना जाएगा। निर्धारण अधिकारियों को यह निर्धारित करने के लिए ऐसे दावों का सत्यापन करना चाहिए कि क्या वे आयकर अधिनियम के अनुसार स्वीकार्य हैं।	
(xii)	अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत, 'व्यावसायिक लाभ और प्राप्ति' या 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षकों के अंतर्गत आय की गणना, निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अपनाई जाने वाली नकद या व्यापारिक लेखांकन प्रणाली के अनुसार की जानी आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत, बैंकों को व्यापारिक लेखांकन प्रणाली का पालन करना होगा और प्रोद्भवन आधार पर लेखा तैयार करने होंगे। निर्धारण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंक (आय के सभी स्रोतों के संबंध में) इस प्रणाली का कठोरतापूर्वक से पालन करें।	लेखापरीक्षा में जांचे गए 2025 मामलों में से 63 के संबंध में, एनबीएफसी ने एनपीए पर अर्जित ब्याज पर कर प्रभारित करने की प्रस्तुति नहीं की, तथापि धारा 43डी के प्रावधान एनबीएफसी पर निर्धारण वर्ष 2019-20 तक की अवधि के लिए लागू नहीं थे। एनबीएफसी के संबंध में धारा 43डी के अंतर्गत एनपीए पर ब्याज के कर प्रशोधन के मामलों पर पैरा 4.1.6 में चर्चा की गई है।

अध्याय 4 प्रणालीगत मुद्दे

लेखापरीक्षा ने वित्तीय क्षेत्र के निर्धारिती के कर निर्धारण से संबंधित मौजूदा नियमों, विनियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की पर्याप्तता की जाँच की ताकि उनमें किसी भी प्रकार की कमियों या अस्पष्टता की पहचान की जा सके। इसका उद्देश्य वित्तीय सेवा क्षेत्र के निर्धारितियों के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत मौजूदा नियामक कानून और प्रक्रिया का पता लगाना था।

लेखापरीक्षा ने प्रपत्र आईटीआर-6 और कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (टीएआर) में कमियां पाईं, क्योंकि अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए दावा की गई कटौती, अप्राप्य रूप से बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती और दीर्घकालिक वित्तपोषण से लाभ से सृजित विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती के साथ-साथ बैंकों और एनबीएफसी द्वारा किए गए दावों के प्रमाणीकरण की सूचना टीएआर के मौजूदा प्रारूप में उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले भी पाए जहां निर्धारिती को उधारकर्ताओं के पैन विवरणों को दर्शाये बिना ₹ एक लाख से अधिक के बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की अनुमति दी गई थी। संवीक्षा निर्धारण के दौरान भी, विभाग ने ऐसे अशोध्य ऋणों का विवरण नहीं मांगा था। लेखापरीक्षा द्वारा बैंकों और एनबीएफसी के निर्धारण में पाये गए विशिष्ट मुद्दों के कर प्रशोधन में विभिन्न नि.अ. द्वारा अपनाई गई असंगत स्थितियाँ संज्ञान में लाईं गईं।

आयकर अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के बीच कुछ अस्पष्टताएं तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई प्रक्रियागत अपर्याप्तताएं तालिका 4.1 में सारणीबद्ध की गई हैं।

तालिका 4.1: लेखापरीक्षा में देखे गए प्रणालीगत मुद्दे

पैरा सं.	मुद्दों का सार	कुल जांचे गए मामले	ऐसे मामलों की संख्या जहाँ मुद्दे संज्ञान में लाये गए
4.1	**आयकर अधिनियम/नियमों में कमियाँ**		
4.1.1	एनबीएफसी के लिए धारा 43डी में किए गए संशोधन के अनुरूप नियम 6ईए में परिशोधन न किया जाना	--	--
4.1.2	कंपनियों के आयकर रिटर्न प्रपत्र (आईटीआर-6) में प्रस्तावित आशोधन	--	--

तालिका 4.1: लेखापरीक्षा में देखे गए प्रणालीगत मुद्दे			
पैरा सं.	**मुद्दों का सार**	**कुल जांचे गए मामले**	**ऐसे मामलों की संख्या जहाँ मुद्दे संज्ञान में लाये गए**
4.1.3	धारा 36(1)(vii), 36(1)(viiए) और 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती के दावे को सत्यापित करने के लिए धारा 44एबी के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अपर्याप्त जानकारी	--	--
4.1.4	अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने के कारण देयता के अवसान का प्रशोधन	--	34
4.1.5	गैर-उद्घाटित अशोध्य ऋणों के दावे की छूट की अनुमति	628 (केवल अशोध्य ऋण दावे के मामले)	49
4.1.6	एनबीएफसी के संबंध में धारा 43डी के अंतर्गत गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ पर ब्याज का कर प्रशोधन	2,025 (केवल एनबीएफसी)	63
4.1.7	धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि से कथित निकासी पर कर प्रभारित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान का अभाव	--	1
4.2	**आयकर अधिनियम/इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत पाई गई अस्पष्टताएं**		
4.2.1	आयकर नियम 6ईए और धारा 43डी के प्रावधानों में अस्पष्टता के कारण उत्पन्न परिहार्य वैधानिक विवाद	220 (सार्वजनिक और निजी बैंकों के मामले)	36
4.3	**प्रक्रियात्मक अपर्याप्तताएँ**		
4.3.1	उधारकर्ताओं के पैन का प्रकटीकरण किए बिना अशोध्य ऋण का दावा और छूट	628 (केवल अशोध्य ऋण दावे के मामले)	127
4.3.2	उधारकर्ताओं के विवरण के सत्यापन के बिना अशोध्य ऋणों की अनुमति	628 (केवल अशोध्य ऋण दावे के मामले)	181
4.3.3	संशोधित रिटर्न जमा करते समय संशोधित कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जमा करने के लिए अधिनियम में प्रावधान का अभाव	--	2
4.4	**दावों/कटौतियों की अनुमतता में पाई गईं विसंगतियां**		
4.4.1	खंडावधि के ब्याज की छूट के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत दृष्टिकोण	220 (सार्वजनिक और निजी बैंक)	24

तालिका 4.1: लेखापरीक्षा में देखे गए प्रणालीगत मुद्दे			
पैरा सं.	**मुद्दों का सार**	**कुल जांचे गए मामले**	**ऐसे मामलों की संख्या जहाँ मुद्दे संज्ञान में लाये गए**
4.4.2	एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत प्रतिधारित प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए अधिमूल्य के परिशोधन की कटौती की छूट के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत दृष्टिकोण	220 (सार्वजनिक और निजी बैंक)	51
4.4.3	निवेश के मूल्य में कमी की कटौती की अनुमति के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत दृष्टिकोण	353 (केवल बैंक)	15
4.4.4	सीएसआर व्यय के लिए कटौती की अनुचित अनुमति	2,378	66
4.4.5	प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/ परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को परिसंपत्तियों की विक्रय पर लाभ के कराधान के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत दृष्टिकोण	--	22
4.5	नमूने का व्यावसायिक कोड-वार विश्लेषण	--	--
4.6	व्यवसाय कोड के गैर-निवल समावेशन के कारण सीबीडीटी के केंद्रीकृत आंकड़ों और उनके क्षेत्रीय संरचनाओं के आंकड़ों के मध्य विसंगति	--	--
	कुल		**671**
नोट: आयकर अधिनियम/नियमों के अंतर और कमियों को प्रणालीगत मुद्दों के अंतर्गत दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रपत्र और प्रतिवेदन में कमियों को भी इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।			

4.1 आयकर अधिनियम/इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कमियाँ

4.1.1 एनबीएफसी के लिए धारा43 डी में किए गए संशोधन के अनुरूप नियम6 ईए में परिशोधन न करना

धारा 43डी के अनुसार, किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या अनुसूचित बैंक के मामले में, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय उस पिछले वर्ष में कर देय होगी जिसमें इसे उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में जमा किया गया था या जब यह उस संस्थान या बैंक द्वारा वास्तव में प्राप्त किया गया था, जो भी पहले हो। आयकर नियम, 1962 का नियम 6ईए, धारा 43डी के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए जारी किया गया है, जो गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर ब्याज की कर-देयता से संबंधित है।

4.1.1.1 आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप एनबीएफसी के लिए धारा 43डी में किए गए संशोधन के अनुरूप नियम 6ईए में परिशोधन न किया जाना

नियम 6ईए के अनुसार, यदि कोई ऋण छह महीने से अधिक समय तक बकाया रहता है तो उसे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ माना जाता है, जबकि आरबीआई के दिशानिर्देश[15] के अनुसार, किसी भी ऋण या ब्याज को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ मानने के लिए बकाया अवधि केवल तीन महीने है।

इस प्रकार, धारा 43डी आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों (तीन महीने से अधिक बकाया होने पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ) का संदर्भ देती है, जबकि नियम 6ईए धारा 43डी के प्रावधानों को लागू करने के लिए छः महीने की अवधि निर्धारित करता है। इस अस्पष्टता के कारण, यदि ऋण तीन से छः महीने तक बकाया रहता है, तो अलाभकारी या अटके हुए अग्रिमों पर अर्जित ब्याज के कराधान में कई कर विवाद उत्पन्न हुए हैं।

चूँकि नियम 6ईए को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप संशोधित नहीं किया गया है, इसलिए धारा 43डी और नियम 6ईए के बीच एक विरोधाभास मौजूद है। हालाँकि विधि में एक सुस्थापित सिद्धांत है कि सांविधिक प्रावधान नियमों पर प्रबल होंगे, इस अस्पष्टता के कारण कई परिहार्य विवाद उत्पन्न हुए हैं। इसलिए, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप नियम 6ईए के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है ताकि विभाग गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ पर अर्जित ब्याज से निपटने में एक समान दृष्टिकोण अपना सके। इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर इस प्रतिवेदन के पैरा 4.2.1 में चर्चा की गई है।

4.1.1.2 वित्त अधिनियम के अनुसार एनबीएफसी के लिए धारा 43डी में किए गए संशोधन के अनुरूप नियम 6ईए में परिशोधन न किया जाना

वित्त अधिनियम संख्या 23, 2019 द्वारा एनबीएफसी की दो श्रेणियों, अर्थात् (i) जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और (ii) प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, पर निर्धारण वर्ष 2020-21 से लागू करने के लिए धारा 43डी में संशोधन किया गया है। इन श्रेणियों को, एनबीएफसी को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ पर अर्जित ब्याज को पूर्व वर्ष (पीवाई) में आय के रूप में या उसे एनबीएफसी द्वारा वास्तव में प्राप्त होने पर, जो भी पहले हो, कर देय घोषित करना होगा।

---

15 आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 1 जुलाई 2015 को बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों पर मुख्य परिपत्र का पैरा 2.1.2।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर नियम, 1962 के नियम 6ईए[16] को एनबीएफसी की इन दो श्रेणियों को सम्मिलित करने के लिए धारा 43डी के संशोधित प्रावधानों के अनुरूप संशोधित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने मार्च 2022 में विभाग (मुंबई प्रभार) को इसकी सूचना दी। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुशंसा:

सीबीडीटी, नियम 6ईए के प्रावधानों में संशोधन कर एनबीएफसी की दो श्रेणियों: जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को, स्पष्टता हेतु और मुकदमेबाज़ी की संभावना को समाप्त करने के लिए, अधिनियम की धारा 43डी के प्रावधानों के अनुसार और आरबीआई के अनुसार एनबीएफसी के वर्गीकरण के अनुरूप सम्मिलित करने पर विचार कर सकता है।

उत्तर में, मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2024) कि, ''वित्त अधिनियम, 2023 के अंतर्गत, अधिनियम की धारा 43डी में संशोधन किया गया है और अब इसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की उन श्रेणियों का उल्लेख है जिन्हें केंद्र सरकार इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है। इन श्रेणियों को सीबीडीटी अधिसूचना संख्या 79/2023 दिनांक 22.9.2023 के अंतर्गत निम्नलिखित रूप में अधिसूचित किया गया है-

(क) शीर्ष स्तर में वर्गीकृत सभी एनबीएफसी;

(ख) ऊपरी स्तर में वर्गीकृत सभी एनबीएफसी;

(ग) मध्य स्तर में वर्गीकृत सभी एनबीएफसी।''

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों को सम्मिलित करने के संबंध में धारा 43डी में संशोधन का उल्लेख करता है, जबकि लेखापरीक्षा में पाया गया (मार्च 2022) कि वित्त अधिनियम 2019 द्वारा अधिनियम की धारा 43डी के संशोधित प्रावधानों के अनुसार, अपरिशोधित नियम 6ईए में एनबीएफसी की दो श्रेणियाँ: जमा लेने वाली एनबीएफसी और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि एनबीएफसी की कई श्रेणियों को सम्मिलित करने के लिए धारा 43डी में संशोधन किया गया है, इसलिए मंत्रालय एनबीएफसी की इन श्रेणियों को सम्मिलित करने के लिए नियम 6ईए के प्रावधानों में संशोधन करने पर पुनर्विचार करे। इसके अलावा,

[16] आयकर नियमों के नियम 6ईए के अनुसार, धारा 43डी के प्रावधान प्रत्येक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, अनुसूचित बैंक, राज्य वित्तीय निगम और राज्य औद्योगिक निवेश निगम के मामले में लागू होंगे, जहां नियमों में निर्दिष्ट अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की श्रेणियों के ब्याज के रूप में उनकी आय होती है।

1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने के लिए प्रस्तावित नए आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत धारा 56 के अंतर्गत निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों की ब्याज आय के मामले में विशेष प्रावधान के अनुरूप नए आयकर नियमों के अंतर्गत इस मुद्दे की जांच और विचार किया जाए।

4.1.2 कंपनियों के आयकर रिटर्न प्रपत्र (आईटीआर-6) में प्रस्तावित संशोधन

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 में प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी को प्रपत्र आईटीआर-6 में आय का रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, नियम 12 के उप-नियम (2) के अनुसार, आईटीआर के साथ रिटर्न के आधार पर देय कर की गणना वाला विवरण संलग्न करना आवश्यक नहीं है।

धारा 36(1)(vii) और धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत क्रमशः बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों और विशेष आरक्षित निधि में अंतरण की गई राशियों के लिए कटौती का दावा केवल 'व्यापार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ' शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना में किया जाता है।

कुशल कर प्रबंधन के लिए आयकर विभाग में ई-फाइलिंग, करों का ई-भुगतान, ई-कार्यवाही और उपस्थिति विहीन आकलन कार्यप्रवाह जैसी प्रक्रियाओं को डिजिटल कर दिया गया है। विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 से अब तक पूरे किए गए कर निर्धारणों के डिजिटल प्रारूप कर निर्धारण अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि धारा 36(1)(viiए) और 36(1)(viii) के अंतर्गत किए गए कटौतियों के दावों को आईटीआर-6 अनुसूची बीपी में दर्ज या प्रकट नहीं किया गया था। धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत दावा किए गए बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के मामले में, लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई राशि और आईटीआर में दावा की गई राशि में अंतर था क्योंकि बैंकों के अधिकांश मामलों में अप्राप्य रूप में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों को तुलन-पत्र में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते के साथ समायोजित किया जाता है। निर्धारिती आमतौर पर इस कटौती का प्रकटीकरण आईटीआर-6 की अनुसूची बीपी के विविध शीर्ष, मद क्रमांक ए(33)- 'कटौती के रूप में अनुमेय कोई अन्य राशि' के अंतर्गत करते थे, सभी कटौती मदों को एक साथ जोड़ देते थे, जिससे निर्धारण अधिकारी के लिए कटौती की वास्तविक राशि निर्धारित करना कठिन हो जाता था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2023-24 का नवीनतम आयकर प्रपत्र, आईटीआर-6, भी उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत की गई कटौतियों के वास्तविक दावे को दर्शाने के लिए अलग कॉलम प्रदान नहीं करता है।

चूँकि बैंक और एनबीएफसी उपर्युक्त तीन धाराओं के अंतर्गत बड़ी मात्रा में कटौतियों का दावा करते हैं, इसलिए निर्धारण अधिकारी को संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत इसकी अनुमतता की जाँच करने के लिए निर्धारण को अंतिम रूप देते समय इन धाराओं के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा दावा की गई कटौती की सटीक राशि का पता होना चाहिए। वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान पूरे किए गए निर्धारणों के लिए धारा 36(1)(vii), 36(1)(viiए) और धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत दावा और अनुमत की गई कटौतियों का विवरण नीचे तालिका 4.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.2: बैंकों और एनबीएफसी द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(vii), 36(1)(viiए) और 36(1)(viii) के अंतर्गत दावा की गई और दी गई कटौती का विवरण **(₹ करोड़ में)**

स्थिति	मामलों की संख्या	दावा किए गए अशोध्य ऋण	अनुमत किए गए अशोध्य ऋण	दावा किये गये बीडीडी के लिए प्रावधान	अनुमत बीडीडी के लिए प्रावधान	दावा किए गए विशेष आरक्षित निधि के लिए प्रावधान	अनुमत किए गए विशेष आरक्षित निधि का प्रावधान
विदेशी बैंक	133	5,831	5,371	9,236	7,137	246	246
सार्वजनिक बैंक	93	2,61,457	1,83,614	1,14,892	1,39,468	5,316	3,358
निजी बैंक	127	1,40,602	1,38,357	63,800	44,916	8,295	8,144
कुल बैंक	**353**	**4,07,889**	**3,27,342**	**1,87,928**	**1,91,522**	**13,857**	**11,748**
एनबीएफसी	2,025	42,899	42,835	20,767	20,019	25,807	22,278
कुल योग	**2,378**	**4,50,788**	**3,70,177**	**2,08,695**	**2,11,541**	**39,664**	**34,026**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति दिसंबर 2020 में विभाग के संज्ञान में लाई गई थी। प्रधान आयकर आयुक्त-2, मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (जून 2021 और मार्च 2022) को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि लेखापरीक्षा के सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था, और इन सुझावों को उच्च अधिकारियों और आवश्यक संशोधन के लिए कर नीति और विधायी इकाई (टीपीएल) को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया था।

अनुशंसा:

सीबीडीटी, व्यवसाय या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ की गणना करते समय, धारा 36(1)(vii), 36(1)(viiए) और 36(1)(viii) के अंतर्गत दावा की गई कटौतियों से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त कॉलम सम्मिलित करने के लिए आईटीआर-6 में संशोधन पर विचार कर

सकता है। धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती दर्शाने के लिए, दो उप-कॉलम - एक कॉलम ग्रामीण अग्रिमों के 10 *प्रतिशत* की कटौती के लिए और दूसरा कुल आय के 8.5 *प्रतिशत* की कटौती के लिए प्रदान किए जाने चाहिए।

इसके प्रत्युत्तर में, मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2024) कि "धारा 11 के अंतर्गत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों द्वारा आईटीआर प्रपत्र 6 जमा किया जाना आवश्यक है। यदि कंपनी धारा 44एबी के अंतर्गत लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है, तो आईटीआर-6 के भाग ए-ओआई में अन्य सूचना भरना अनिवार्य है और अन्य कंपनियों को भी इसे भरना होगा, यदि यह उन पर लागू होता है। उक्त अनुसूची की पंक्ति 6, संबंधित खंडों में निर्दिष्ट शर्त को पूरा न करने के कारण धारा 36 के अंतर्गत गैर-अनुमत सीमा तक लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई राशि का विवरण मांगा गया है। धारा 36(1)(vii), 36(1)(viiए) और 36(1)(viii) के अंतर्गत दावा की गई कटौती से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए आईटीआर-6 में अतिरिक्त कॉलम सम्मिलित करने के सुझाव के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान में आईटीआर प्रपत्र 6 के भाग ए-ओआई की पंक्ति एल, एम और एन में उक्त विवरणों को समावेशित करता है, और इसलिए, इस संबंध में प्रपत्र में कोई और संशोधन आवश्यक नहीं है।

इसके अलावा, इस सुझाव के संबंध में कि धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती दर्शाने हेतु दो उप-कॉलम, एक ग्रामीण अग्रिमों के 10 *प्रतिशत* की कटौती के लिए और दूसरा कुल आय के 8.5 *प्रतिशत* की कटौती के लिए, उपलब्ध कराये जाने चाहिए, यह कहा गया है कि धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत दावा की गई कटौती की राशि का विवरण पहले से ही आईटीआर प्रपत्र -6 में दर्ज किया जा रहा है। चूँकि आईटीआर प्रपत्र-6 अपनी वर्तमान स्थिति में काफी विस्तृत और जटिल है, इसलिए अनुपालन बोझ को कम करने और कराधान व्यवस्था को सरल बनाने की सरकार की घोषित नीति के आलोक में, आईटीआर प्रपत्र-6 में समान विवरणों को दोहराकर उसे और अधिक जटिल बनाना उचित नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्तमान आईटीआर-6 प्रारूप में व्यवसाय और वृत्ति से लाभ और अभिलाभ से आय की गणना में धारा 36(1)(vii), 36(1)(viiए), और 36(1)(viii) के अंतर्गत वास्तविक कटौतियों को अलग से सम्मिलित नहीं किया गया है। इन धाराओं के अंतर्गत दावा की गयी और स्वीकृत की गयी कटौतियों की बड़ी राशि तथा इन कटौतियों के अनियमित छूट के मामले लेखापरीक्षा में पाए गए हैं और इसे प्रतिवेदन के पैरा 5.5.1, 5.5.2 और 5.5.3 के अंतर्गत उजागर किया गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय को

आईटीआर-6 प्रपत्र में संशोधन कर इन कटौतियों के लिए अतिरिक्त कॉलम सम्मिलित करने पर पुनर्विचार करना चाहिए। मंत्रालय दावे की सीमा और उसके अनुपालन की निगरानी हेतु आईटीआर-6 में धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कुल आय और ग्रामीण अग्रिमों पर कटौती के दावे के अलग-अलग आंकड़े दर्ज करने पर भी पुनर्विचार करे।

4.1.3 धारा 36(1)(vii), 36(1)(viiए) और 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती के दावे को सत्यापित करने के लिए धारा 44एबी के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अपर्याप्त जानकारी

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44एबी, कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (टीएआर) के रूप में एक अर्हता प्राप्त सनदी लेखाकार द्वारा करदाता के खातों के सत्यापन और प्रमाणीकरण का प्रावधान करती है। यह निर्धारिती की आयकर गणना को मान्य करती है और आयकर कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। प्रपत्र 3सीए, 3सीबी और 3सीडी में यह प्रतिवेदन, कर अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है, जिससे कंपनी द्वारा रिटर्न कर देयता और कर योग्य आय की सटीक गणना करना आसान हो जाता है।

चूँकि कर लेखापरीक्षक को कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रपत्र 3सीडी) में बैंकों और एनबीएफसी द्वारा बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती के विवरण को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करने का अधिकार नहीं है, इसलिए विभाग बैंकों और एनबीएफसी द्वारा बट्टे खाते में डाले जा रहे अशोध्य ऋणों के लिए टीएआर से महत्वपूर्ण कटौतियों का आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती, उन उधारकर्ताओं का विवरण दिए बिना जिनके सापेक्ष टीएआर या आईटीआर में अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गए थे, बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों को पहले से ही बही खाता में दर्शाये गए अशोध्य ऋणों के प्रावधानों के सापेक्ष समायोजित कर रहे थे, जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैरा 4.1.4 और पैरा 5.5.1 में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि टीएआर के मौजूदा प्रारूप में उपलब्ध सूचना में आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(vii), 36(1)(viiए) और 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की राशि स्पष्ट रूप से सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा, इन कटौतियों को एक साथ मिलाकर अनुसूची बीपी के अंतर्गत आईटीआर में "अन्य कटौतियाँ" शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया है। धारा 36(1)(vii), 36(1)(viiए), 36(1)(viii) के अंतर्गत अनुमत कटौती के संबंध में आवश्यक अनुमतता मानदंड और सूचना ***अनुलग्नक 4.1ए*** में दी गई है।

टीएआर में उधारकर्ता के विवरण का प्रकटीकरण किए बिना निर्धारिती को बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की छूट से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को फरवरी 2022 में विभाग के संज्ञान में लाया गया था। पीसीआईटी-2, मुंबई (जून 2022) और पीसीआईटी-3, मुंबई (मई 2022) ने कहा कि यदि लेखापरीक्षा के सुझाव को लागू किया जाता है, तो निर्धारण अधिकारी प्रमाणित सूचना के आधार पर निर्धारण के दौरान कटौतियों को सत्यापित करने में सक्षम होंगे। पीसीआईटी-2, मुंबई ने यह भी सुझाव दिया कि प्रमाणित सूचना विभाग को टीएआर की तुलना में आईटीआर के अनुसार दावों के मिलान न होने की स्थिति में सीएएसएस के अंतर्गत संवीक्षा के लिए मामलों को स्वचालित रूप से चुनने में सक्षम बनाएगी।

अनुशंसा:

सीबीडीटी धारा 36(1)(vii), 36(1)(viiए) और 36(1)(viii) के अंतर्गत दावा की गई कटौतियों के प्रमाणीकरण के लिए अलग-अलग कॉलम प्रदान कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/ प्रपत्र 3सीडी में संशोधन करने पर विचार करे ताकि निर्धारिती को दी गई कटौतियों की सटीकता सुनिश्चित की जा सके, ताकि कर लेखापरीक्षक निर्धारिती कंपनी की कर योग्य आय और कर देनदारी के सटीक निर्धारण के लिए इन धाराओं के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा दावा की गई कटौतियों की सटीकता की पुष्टि और प्रमाणीकरण कर सके।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2024), "प्रपत्र 3सीडी के अनुच्छेद 19 में, "किसी अन्य प्रासंगिक धारा" के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी प्रदान की गई है, जिसे निर्धारिती के व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। इसके अलावा, अधिक धाराएं जोड़ने से करदाताओं के लिए अनुपालन बोझिल हो जाता है और यह कर कानून और संबंधित नियमों को सरल बनाने की सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि प्रपत्र 3सीडी के अनुच्छेद 19 में धारा 32एसी से 35ई के अंतर्गत स्वीकार्य राशि का उल्लेख है, जिसके संबंध में लाभ और हानि खाते में राशि डेबिट की जाती है तथा आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य राशि का उल्लेख करना होता है। इसके अलावा, लाभ और हानि खाते में डेबिट न की गई राशि, लेकिन अनुच्छेद में उल्लिखित किसी भी धारा के अंतर्गत स्वीकार्य राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए। इस प्रकार, धारा 36 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा दावा की गई कटौतियों की सत्यता की पुष्टि और प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए "किसी अन्य प्रासंगिक धारा" के लिए प्रदान की गई अवशिष्ट श्रेणी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, चूंकि बैंक और एनबीएफसी धारा 36(1)(vii), 36(1)(viiए) और 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की महत्वपूर्ण राशि का दावा कर

रहे हैं, इसलिए सीबीडीटी ऊपर उल्लिखित प्रत्येक धारा के अंतर्गत दावों को अलग-अलग दर्ज करने के लिए कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट/ प्रपत्र 3सीडी में संशोधन पर पुनर्विचार करे।

4.1.4 अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने के कारण देयता के अवसान का प्रशोधन

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आयकर अधिनियम में उधारकर्ता के पास देयता के अवसान पर कर प्रभारित करने का कोई प्रावधान नहीं है, जब उधारकर्ता को वित्त अधिनियम 2023 तक ऋणदाता को ऋण राशि का मूल भाग चुकाने की आवश्यकता नहीं है।

बैंकों और एनबीएफसी के मामले में, अशोध्य ऋणों में मूलधन और ब्याज दोनों घटक सम्मिलित होते हैं। जब कोई ऋणदाता कोई राशि वसूल करता है, तो वह धारा 41(4) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों की वसूली के रूप में कर देय होती है। यदि ऋणदाता ब्याज को बट्टे खाते में डाल देता है, तो उधारकर्ता को इसे धारा 41(1) के अंतर्गत दायित्व की समाप्ति के रूप में घोषित करना होगा। हालांकि, इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या उधारकर्ता ऋणदाता द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋण के मूलधन भाग को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, जब प्राप्तकर्ता अब ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। वित्त अधिनियम 2023 से पहले, ऋण के मूलधन को चुकाने की देयता के अवसान पर कर प्रभारित करने का कोई प्रावधान नहीं था। हालाँकि, ऋणदाता को यह कटौती के रूप में अनुमत था।

लेखापरीक्षा ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए निर्धारण वर्ष 2013-14 से 2019-20 से संबंधित 34 मामलों को देखा, जहां देयता के अवसान के बाद, न तो आय पर कर आरोपित किया गया और न ही निर्धारण के दौरान इसकी जांच की गई, जैसा कि इस प्रतिवेदन की तालिका 4.3 और ***अनुलग्नक 4.1*** में नीचे विस्तार से बताया गया है:

तालिका 4.3: लेखापरीक्षा में पाए गए ऐसे मामले जहां उधारकर्ताओं की देयता के अवसान की जांच नहीं की गई थी

क्रम सं.	क्षेत्र	बैंक/ एनबीएफसी	मामलों की संख्या	अनुमत अशोध्य ऋण (₹ करोड़ में)	उधारकर्ता के पास देयता की मान्य समाप्ति (₹ करोड़ में)
1	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	11	19,440.46	19,440.46
		निजी बैंक	14	3,723.32	3,723.32
		एनबीएफसी	5	1,260.92	1,260.92
2	कोलकाता	एनबीएफसी	1	115.00	115.00
3	अहमदाबाद	एनबीएफसी	3	140.72	140.72
कुल			**34**	**24,680.42**	**24,680.42**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख ***(अनुलग्नक 4.1 देखें)***

नीचे तीन उदाहरणात्मक मामलों पर चर्चा की गई है:

बॉक्स 4.1: कर देयता के अवसान का प्रस्ताव न देने के उदाहरणात्मक मामले

(क) प्रभार: पीसीआईटी-1 वडोदरा

निर्धारिती: एन2

निर्धारण वर्ष: 2017-18 एवं 2018-19

निर्धारण वर्ष 2017-18 (अक्टूबर 2017) और निर्धारण वर्ष 2018-19 (सितंबर 2018) के लिए निर्धारिती द्वारा जमा रिटर्न का निर्धारण धारा 143(3ए) और 143(3बी) के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत नवंबर 2019 और अप्रैल 2021 में अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत क्रमशः ₹ 19.69 करोड़ और ₹ 21.38 करोड़ की आय पर किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के अंतर्गत क्रमशः निर्धारण वर्ष 2017-18 में ₹ 15.20 करोड़ और निर्धारण वर्ष 2018-19 में ₹ 33.91 करोड़ के अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया था, जिसमें से ₹ 15.15 करोड़ और ₹ 7.70 करोड़ ऋण राशि के मूलधन भाग से संबंधित थे। विभाग ने उधारकर्ताओं के निर्धारण अभिलेख से विवरणों का सत्यापन किए बिना ही बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति दे दी।

मार्च 2022 में डीसीआईटी सर्किल आनंद को यह अभ्युक्ति के बारे में सूचित किया गया। *विभाग ने क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान उत्तर दिया कि उधारकर्ता के लिए, बट्टे खाते में डाले गए ऋण का मूलधन भाग पूंजी प्राप्ति का एक हिस्सा है। इसलिए, मूलधन की राशि पर कर नहीं लगाया जा सकता। हालांकि, मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2025) में कहा कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार न करते हुए, वर्तमान मामले में लेखापरीक्षा की आपत्ति उदाहरणात्मक मामले में किसी गलती से संबंधित नहीं है, बल्कि एक अनुशंसा के रूप में है (अनुच्छेद 4.1.4(ii) के नीचे अनुशंसा देखें))।*

मंत्रालय, जहां ऋण राशि का मूलधन भाग उधारदाताओं की बही खातों में बट्टे खाते में डाला जाता है जिसके लिए धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी गई है, वहां उधारकर्ता के पास ऋण राशि की कर-देयता पर मौन है। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार करे (नवम्बर 2025)।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-3, अहमदाबाद

निर्धारिती: जी4

निर्धारण वर्ष: 2018-19

निर्धारण वर्ष 2018-19 (मार्च 2019) के लिए निर्धारिती द्वारा जमा रिटर्न का निर्धारण धारा 144बी के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत सितंबर 2021 में ₹ 11.42 करोड़ की आय पर किया गया था। लेखापरीक्षा ने निर्धारिती के प्रस्तुतीकरण (फरवरी 2021) से नोट किया कि ₹ 91.61 करोड़ के अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया गया, जिसमें से मूलधन भाग ₹ 0.73 करोड़ और ब्याज भाग ₹ 91.54 करोड़ था। ऋणदाता द्वारा बट्टे खाते में डाला गया ब्याज का हिस्सा उधारकर्ता पर अधिनियम की धारा 41(1) के अंतर्गत कर देय था। तथापि, विभाग ने उधारकर्ताओं के निर्धारण अभिलेख से यह प्रति-सत्यापित नहीं किया कि क्या उन्होंने ₹ 91.54 करोड़ के ब्याज पर कर देने को प्रस्तावित किया था।

यह अभ्युक्ति मार्च 2022 में डीसीआईटी सर्किल गांधीनगर को सूचित किया गया था। *विभाग ने क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान उत्तर दिया कि उधारकर्ता के लिए, बट्टे खाते में डाले गए ऋण का मूलधन भाग पूंजी प्राप्ति का एक हिस्सा है। इसलिए, मूलधन पर कर नहीं लगाया जा सकता। अनुस्मारक (नवंबर 2024, जनवरी 2025) जारी होने के बावजूद, डीसीआईटी का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2025)।*

अभ्युक्ति पर मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

(ग) प्रभार: सीआईटी (आईटी और टीपी), कोलकाता

निर्धारिती: एन6

निर्धारण वर्ष: 2019-20

निर्धारिती ने नवंबर 2019 में निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न जमा किया था, जिसमें ₹ 26.08 करोड़ की आय घोषित की गई थी और ₹ 114.74 करोड़ के बट्टे खाते में डाले गए कटौती के संदर्भ में दावा किया गया था। आईटीआर की संवीक्षा से पता चला कि अशोध्य ऋण को एकल निर्धारिती, बी17 के संदर्भ में बट्टे खाते में डाला गया है, जो डीसीआईटी, सर्कल-4, नागपुर के क्षेत्राधिकार में आता है।

निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए बी17 के रिटर्न की संवीक्षा से पता चला कि संचालन आय ₹ 1,059.05 करोड़ और अन्य स्रोतों से आय ₹ 35.08 करोड़ में बट्टे खाते में डाली गई

राशि सम्मिलित नहीं थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि इस निर्धारिती ने एन6 द्वारा बट्टे खाते में डाली गई ₹ 114.74 करोड़ की राशि को अपनी आय नहीं माना था।

यह अभ्युक्ति डीसीआईटी (आईटी) सर्किल 1(2) कोलकाता को जून 2022 में सूचित किया गया था। अनुस्मारक जारी होने (नवंबर 2024) के बावजूद डीसीआईटी का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त अधिनियम 2022 में धारा 194आर को 1 जुलाई 2022 को पेश किया गया था ताकि निवासी व्यक्ति को दिए गए लाभों या अनुलाभों के लिए स्रोत पर कर कटौती की अनुमति दी जा सके। सीबीडीटी ने 2022 के परिपत्र संख्या 12 के बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या 3 में स्पष्ट किया कि एकमुश्त निपटान योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा माफ किए गए मूलधन ऋण की राशि धारा 28(iv) के अंतर्गत आय के रूप में गिनी जाती है, जो सीआईटी बनाम रामानियम होम्स (पी) लिमिटेड[17] के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करती है। लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त अधिनियम, 2023 ने निर्धारण वर्ष 2024-25 से धारा 28 के अनुच्छेद (iv) में संशोधन किया है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि व्यवसाय या पेशे से प्राप्त लाभ या अनुलाभ में नकद या वस्तु के रूप में या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में सम्मिलित हैं और इसलिए वे व्यवसाय और पेशे के लाभ और अभिलाभ से आय के रूप में कर देय हैं।

अनुशंसा:

(i) राजस्व विभाग (डीओआर) ऋण के मूलधन भाग से उधारकर्ता की देयता के अवसान से उत्पन्न आय पर कर प्रभारित करने के लिए आयकर अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार करे।

(ii) सीबीडीटी आयकर अधिनियम की धारा 285बीए[18] के अंतर्गत जमा किए जाने वाले वार्षिक सूचना रिटर्न के माध्यम से बैंकों/एनबीएफसी द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के मूलधन और ब्याज घटकों पर सूचना एकत्र करने पर विचार कर सकता है ताकि उधारकर्ताओं की करदेयता सुनिश्चित की जा सके।

---

[17] (2016) 68 टैक्समैन.कॉम 289 (मद्रास)

[18] आयकर नियमों के नियम 114ई सहपठित अधिनियम की धारा 285बीए के अनुसार निर्दिष्ट रिपोर्टिंग व्यक्तियों को डिपॉजिटरी संव्यवहार के लिए वित्तीय संव्यवहार विवरण (एसएफटी) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2024) कि, "अधिनियम की धारा 28 के अनुच्छेद (iv) को वित्त अधिनियम, 2023 के अंतर्गत संशोधित किया गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि व्यवसाय या पेशे के अभ्यास से उत्पन्न होने वाले लाभ या अनुलाभ में नकद या वस्तु के रूप में या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में सम्मिलित हैं और इस प्रकार, वे व्यवसाय और पेशे से आय के रूप में कर देय हैं।

इस कठिनाई को दूर करने के लिए, सीबीडीटी परिपत्र संख्या 18/2022 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि इसमें निर्दिष्ट कुछ विशेष उधारदाताओं के लिए, अधिनियम की धारा 194आर के अंतर्गत कर की कटौती से ऐसे बैंक पर अतिरिक्त लागत आएगी, क्योंकि इसके लिए कटौतीकर्ता द्वारा पहले से ही कटौती के अलावा कर का भुगतान करना होगा और इस प्रकार ऐसी छूट अधिनियम की धारा 194आर के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती के अधीन नहीं होगी।

हालाँकि, उधारकर्ता के पास इसकी कर-देयता अभी भी मौजूद है और इसमें किसी अलग संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह सूचना बैंकों द्वारा जमा 26क्यू रिटर्न से प्राप्त की जा सकती है। इसमें थोड़ा आशोधन करने पर विचार किया जा सकता है।"

फरवरी 2022 में लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे को इंगित किए जाने के बाद, अधिनियम की धारा 28 के अनुच्छेद (iv) के संबंध में मंत्रालय का उत्तर, जिसे वित्त अधिनियम, 2023 के द्वारा संशोधित किया गया, निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगा, को नोट किया गया है। जहां तक एआईआर के माध्यम से सूचना एकत्र करने का संबंध है, मंत्रालय ने प्रपत्र 26क्यू[19] में संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की है। इस संबंध में कृत कार्रवाई का विवरण लेखापरीक्षा (नवंबर 2025) में प्रतीक्षित है।

4.1.5 गैर-उद्घाटित अशोध्य ऋणों के दावे की छूट की अनुमति

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) और 36(2)(v) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक किसी भी अशोध्य ऋण या उसके हिस्से के लिए कटौती का दावा करने के पात्र हैं, जिसे पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती के बही खातों में अप्राप्य रूप में बट्टे खाते में डाला गया है।

यद्यपि अशोध्य ऋण व्यय और कटौती का एक महत्वपूर्ण मद है, लेकिन निर्धारिती अभिलेखों में यह साबित करने में सक्षम नहीं हैं कि ऋण या प्राप्य राशि वसूली योग्य नहीं रह गई है।

---

19 प्रपत्र 26क्यू एक टीडीएस रिटर्न प्रपत्र है जो वेतन को छोड़कर विभिन्न प्रकार के भुगतानों पर टीडीएस की सूचना एकत्र करने के लिए निर्धारित किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विजया बैंक के मामले में यह भी माना कि कटौती की अनुमति तब दी जानी चाहिए जब इसे लाभ और हानि खाते में डेबिट के रूप में या अग्रिम से कटौती के रूप में बही खाते में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के रूप में दावा किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने 628 मामलों की जांच की और अहमदाबाद, चेन्नई, केरल और कोलकाता में ₹ 39,592.10 करोड़ के अशोध्य ऋणों से संबंधित 49 मामलों को देखा, जहां अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति दी गई थी, तथापि यह साबित करने का कोई सबूत नहीं था कि ऋण अशोध्य हो गए थे (इस प्रतिवेदन के ***अनुलग्नक 4.2*** को देखें)। अशोध्य ऋणों के दावों की क्षेत्रवार छूट का विवरण, तथापि साक्ष्य के अभाव में अशोध्य ऋण उद्घाटित नहीं हुआ है, नीचे तालिका 4.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.4: अनुद्घाटित अशोध्य ऋणों के दावे की छूट का विवरण **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	क्षेत्र	बैंक/एनबीएफसी	मामलों की संख्या	निर्धारण वर्ष	अशोध्य ऋणों की राशि
1	चेन्नई	एनबीएफसी	22	2014-15 एवं 2016-17 से 2019-20	16,374.58
		निजी बैंक	12	2013-14 एवं 2015-16 से 2019-20	3,599.80
		सार्वजनिक बैंक	8	2014-15 से 2018-19	19,049.86
2	केरल	निजी बैंक	3	2015-16 से 2017-18	473.18
		एनबीएफसी	1	2018-19	31.99
3	अहमदाबाद	एनबीएफसी	2	2016-17 से 2018-19	58.19
4	कोलकाता	एनबीएफसी	1	2017-18	4.5
कुल			**49**		**39,592.10**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख ***(अनुलग्नक 4.2 देखें)***

एक उदाहरणात्मक मामले पर नीचे चर्चा की गई है।

बॉक्स 4.2: अनुद्घाटित अशोध्य ऋणों के दावे की छूट के लिए उदाहरणात्मक मामला

प्रभार: पीसीआईटी-1, चेन्नई

निर्धारिती: मेसर्स एच 12

निर्धारण वर्ष: 2014-15 एवं 2016-17 से 2019-20

निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए पुनर्निर्धारण और निर्धारण वर्ष 2016-17 से निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए संवीक्षा निर्धारण धारा 144बी और 143(3) के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत क्रमशः मार्च 2022, दिसंबर 2018, दिसंबर 2019, अप्रैल 2021 और सितंबर 2021

में पूरा किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2016-17 से 2019-20 के लिए कुल ₹ 1,161.40 करोड़[20] के अशोध्य ऋण दावों को धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के लिए लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया था और पैन विवरण के बिना आईटीआर में दावा किया गया था। संवीक्षा/पुनर्निर्धारण के दौरान विवरणों के सत्यापन के बिना ही दावों को अनुमत कर दिया गया क्योंकि कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं पाया गया था।

विभाग ने अशोध्य ऋण को उसकी सत्यता के सत्यापन के बिना ही इस आधार पर कटौती की अनुमति दे दी थी कि उसे बहीखातों में बट्टे खाते में डाल दिया गया था। लेखापरीक्षा निर्धारण अभिलेखों से यह पता नहीं लगा सकी कि क्या ऐसे अशोध्य ऋण दावों की जांच निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई थी और ऐसी कटौतियों की अनुमत करने से पहले उन्हें उद्घाटित पाया गया था।

यह लेखापरीक्षा अभ्युक्ति मई 2022 में डीसीआईटी कॉर्पोरेट सर्किल 1(1), चेन्नई को सूचित की गई थी। अनुस्मारक जारी होने के बावजूद डीसीआईटी का उत्तर अपेक्षित है (दिसम्बर 2024)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

लेखापरीक्षा ने पीसीआईटी-2, मुंबई और पीसीआईटी-3, मुंबई से निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान 38 सार्वजनिक क्षेत्र और 48 निजी क्षेत्र के नमूना बैंकों के मामलों के निर्धारण में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के साथ उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बैंकों के निर्धारण के दौरान पाए जाने वाले मुद्दों के संबंध में किए गए पत्राचार के विवरण के बारे में सूचना (जनवरी 2022) मांगी गई। पीसीआईटी-3, मुंबई ने उत्तर में बताया (मई 2022) कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान आरओसी/एनसीएलटी/डीआरटी के साथ ऐसा कोई पत्राचार नहीं किया गया। पीसीआईटी-2, मुंबई से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

विभाग को निर्धारण के समय एनसीएलटी/डीआरटी/आरओसी के पास लंबित मामलों की स्थिति की जांच करनी होगी, ताकि निर्धारिती द्वारा दावा किए गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमतता पर निर्णय लेने से पहले दावा किए गए अशोध्य ऋणों के उद्घटन और उसकी वसूली की स्थिति का आकलन किया जा सके।

[20] ₹ 66.01 करोड़ (नि.व. 2014-15) + ₹ 118.48 करोड़ (नि.व.2016-17) + ₹ 108.96 करोड़ (नि.व. 2017-18) + ₹ 387.41 करोड़ (नि.व. 2018-19) + ₹ 480.54 करोड़ (नि.व. 2019-20)

अनुशंसा:

सीबीडीटी के पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र हो सकता है कि अशोध्य ऋण के उद्घाटित होने के बाद उसे बट्टे खाते में डालने की अनुमति दी जाए, ताकि निर्धारितियों को धारा 36(1)(vii) के प्रावधानों का उपयोग अशोध्य ऋणों की आड़ में कर देयता को कम करने के लिए एक कार्यप्रणाली के रूप में करने से रोका जा सके।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2024), "यह देखा गया है कि प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि इस प्रावधान को जांचे गए 628 में से 49 मामलों में इस हद तक दुरुपयोग किया गया है कि अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि ऋण अशोध्य हो गए थे, जो कि एक छोटी संख्या है। इस प्रकार, विधानमंडल का उद्देश्य बैंकिंग संस्थाओं को वसूल अशोध्य ऋणों का दावा करने में सक्षम बनाना है, जिसे 98% से अधिक मामलों में निर्धारितियों द्वारा लागू किया जा रहा है। पहले से ही जटिल कानून में संशोधन के बजाय उपलब्ध प्रावधानों को बेहतर तरीके से लागू किए जाने से इसमें और सुधार किया जा सकता है।"

चूंकि मंत्रालय ने उपलब्ध प्रावधानों को लागू करने में और सुधार करने पर सहमति व्यक्त की है, इसलिए इस संबंध में कृत कार्रवाई का विवरण लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित किया जाएगा।

4.1.6 एनबीएफसी के संबंध में धारा 43डी के अंतर्गत गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर ब्याज का कर प्रशोधन

सीबीडीटी ने दिनांक 29.09.2016 को आय गणना और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस) अधिसूचित किया, जो निर्धारण वर्ष 2017-18 से प्रभावी है। राजस्व मान्यता पर आईसीडीएस-IV के अनुसार, ब्याज आय को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जानी है। सीबीडीटी ने दिनांक 23.03.2017 के परिपत्र संख्या 10/2017 में प्रश्न 2 के माध्यम से जारी अपने एफएक्यू में इसे स्पष्ट किया है। आयकर अधिनियम की धारा 43डी किसी निर्धारिती को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर ब्याज को आय के रूप में तभी मान्यता देने की अनुमति देती है, जब वह प्राप्त हो या लाभ-हानि खाते में जमा हो। वित्त अधिनियम संख्या 23, 2019 द्वारा धारा 43डी को एनबीएफसी की दो श्रेणियों (जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) पर 1 अप्रैल 2020 से, अर्थात् निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए लागू किया गया था। गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर ब्याज से प्राप्त आय पर निर्धारण वर्ष 2019-20 तक की अवधि के लिए प्रोद्भवन आधार पर कर आरोपित किया जाना अपेक्षित था।

वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान निर्धारित किए गए 2,025 एनबीएफसी मामलों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 63 मामलों में, जैसा कि इस प्रतिवेदन के ***अनुलग्नक 4.3*** में विस्तृत रूप से बताया गया है कि एनबीएफसी ने कर के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर अर्जित ब्याज प्रस्तुत नहीं किया। उन मामलों का क्षेत्रवार विवरण, जहां गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर ब्याज पर कर आरोपित नहीं किया गया, नीचे तालिका 4.5 में दिया गया है:

तालिका 4.5: उन एनबीएफसी का विवरण जिन्होंने प्रोद्भवन आधार पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर ब्याज प्रस्तुत नहीं किया

क्रम सं.	क्षेत्र	कुल जांचे गए मामले	ऐसे मामलों की संख्या जहां ब्याज पर कर प्रस्तावित नहीं किया गया
1	दिल्ली	371	19
2	मुंबई	471	13
3	बेंगलूरु	63	10
4	अहमदाबाद	62	7
5	जयपुर	38	7
6	चेन्नई	191	7
7	कोलकाता	582	0
8	हैदराबाद	90	0
9	लखनऊ	86	0
10	चंडीगढ़	71	0
कुल		**2,025**	**63**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख ***(अनुलग्नक 4.3 देखें)***

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वित्त अधिनियम 2019 में लाए गए संशोधन से पहले निर्धारण वर्षों के लिए आकलन पूरा करते समय कर के आधार पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर ब्याज आय प्रस्तुत नहीं करने के लिए निर्धारण अधिकारी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा था। नीचे दो मामलों पर चर्चा की गई है:

बॉक्स 4.3: एनबीएफसी के संबंध में धारा 43डी के अंतर्गत गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर ब्याज के कर प्रशोधन पर उदाहरणात्मक मामले

(क) प्रभार: पीसीआईटी-1 मुंबई
निर्धारिती: मेसर्स आई29
निर्धारण वर्ष: 2017-18

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण जुलाई 2021 में ₹ 321.13 करोड़ की आय पर पूरा हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष के दौरान ₹ 62.73 करोड़

के सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर अर्जित ब्याज ₹ 5.67 करोड़ था, जिसे न तो निर्धारिती द्वारा कर के लिए प्रस्तुत किया गया और न ही कर निर्धारण पूरा करते समय विभाग द्वारा वापस जोड़ा गया।

मार्च 2022 में यह मामला डीसीआईटी सीसी 2(1), मुंबई के संज्ञान में लाया गया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (नवंबर 2025) को स्वीकार नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि आईसीडीएस को सीबीडीटी द्वारा अधिनियम 1961 की धारा 145(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर निर्धारित किया गया है और अधिनियम की धारा 145 एक मशीनरी धारा है और निर्धारिती की आय की कर देयता निर्धारित करने के लिए प्रभार धारा नहीं है। किसी निर्धारिती की कुल आय का दायरा अधिनियम की धारा 5 द्वारा नियंत्रित होता है। आईसीडीएस-IV की प्रस्तावना में यह प्रावधान है कि आईसीडीएस और अधिनियम के प्रावधानों के बीच मतभेद की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान ही मान्य होंगे।

तदनुसार, अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान आईसीडीएस प्रावधानों को अधिरोहण करेंगे। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार, भारत में निवासी व्यक्ति की कुल आय में वह आय सम्मिलित है जो भारत में प्राप्त या प्राप्त मानी जाती है या अर्जित या उत्पन्न होती है या वर्ष के दौरान भारत में उसे अर्जित या उत्पन्न मानी जाती है। तदनुसार, एक आय एक निवासी के पास कर के लिए प्रभार्य होगी, जहां ऐसी आय अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारिती को प्राप्त होती है या अर्जित होती है। यह ध्यान रखना अनिवार्य है कि एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति में ऋण राशि की वसूली संदिग्ध और अनिश्चित है। इस संबंध में, यह एक अच्छी तरह से तय सिद्धांत है कि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर ब्याज केवल प्राप्ति के समय अर्जित किया जा सकता है क्योंकि कर केवल वास्तविक आय पर लगाया जा सकता है न कि काल्पनिक आय पर।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि धारा 5 और धारा 145 के प्रावधान परस्पर अनन्य नहीं हैं, लेकिन वे एक-दूसरे के पूरक हैं क्योंकि अधिनियम की धारा 5 में सभी स्रोतों से निर्धारिती की कुल आय के दायरे का प्रावधान है जबकि, धारा 145 में 'व्यवसाय या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ' और 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षों के अंतर्गत प्रभार्य आय के लेखाकरण की एक विधि का प्रावधान है। इसके अलावा, सभी मामले कानून 2017-18 से पहले के नि.व. से संबंधित हैं, और एफएक्यू[21] के प्रश्न 2 के उत्तर के अनुसार, सीबीडीटी ने स्पष्ट किया कि आईसीडीएफ के प्रावधान पिछली न्यायिक मिसालों पर प्रबल होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार करे।

[21] आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 145(2) के अंतर्गत अधिसूचित आय गणना और प्रकटीकरण मानकों (आईसीडी) पर स्पष्टीकरण पर 2017 का सीबीडीटी परिपत्र संख्या 10।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-1 मुंबई
निर्धारिती: मेसर्स एस26
निर्धारण वर्ष: 2018-19

अप्रैल 2021 में धारा 143(3ए) और 143(3बी) के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण जांच के बाद ₹ 270.59 करोड़ की आय पर निर्धारण पूरा किया गया। निर्धारण के दौरान, विभाग ने 90 दिनों से अधिक लेकिन छः महीने से कम अवधि के गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ के संबंध में ₹ 5.15 करोड़ की राशि के गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ पर अर्जित ब्याज के लिए अतिरिक्त राशि जोड़ी। आईसीडीएस-IV के प्रावधानों के अनुसार, पूरे वर्ष के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ के संबंध में अर्जित ब्याज आय में वृद्धि की जानी अपेक्षित थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.29 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ तथा ₹ 3.56 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

मार्च 2022 में यह मामला डीसीआईटी 1(3)(1), मुंबई के संज्ञान में लाया गया। *विभाग ने अपने उत्तर में बताया (मई 2024) कि अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।* अनुस्मारक जारी करने (अप्रैल 2024, नवंबर 2024) के बावजूद आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए गए 63 मामलों में से, विभाग ने मुम्बई क्षेत्र में दो मामलों[22], जयपुर[23] और ग्वालियर[24] क्षेत्र में एक-एक मामले में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा लेखापरीक्षा के अनुरोध पर उपचारात्मक कार्रवाई की। *इसके अलावा, अहमदाबाद क्षेत्र में, विभाग ने समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान कहा कि ऐसे मामलों की आगामी जांच आवश्यक है।*

आयकर विभाग गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ पर ब्याज की कर देयता के संबंध में निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के ऐसे ही मामलों की पुनः जांच करे, जहां राजस्व मान्यता पर आईसीडीएस-IV के अनुसार ब्याज आय पर कर आरोपित नहीं किया गया था।

अनुशंसा:

सीबीडीटी, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ पर ब्याज आय के कर प्रशोधन में असंगति तथा संभावित मुकदमेबाज़ी से बचाव हेतु, एनबीएफसी पर धारा 43डी के प्रावधानों को लागू होने तक, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ पर ब्याज आय की कर योग्यता की जांच करे एवं स्पष्टीकरण जारी करे।

---

22 एस26 (निर्धारण वर्ष 2017-18 और निर्धारण वर्ष 2018-19)- दिसंबर 2023

23 ए5 (निर्धारण वर्ष 2017-18)- मई 2024

24 सी7 (निर्धारण वर्ष 2017-18)- फरवरी 2024

मंत्रालय ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि वित्त अधिनियम 2023 द्वारा धारा 43डी को 01.04.2024 से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू किया गया है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में पाई गई विसंगतियों के मद्देनज़र, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ पर ब्याज की कर-देयता पर स्पष्टीकरण एनबीएफसी पर धारा 43डी का प्रावधान लागू होने से पहले की अवधि के लिए मांगा गया था। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

4.1.7 धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि से कथित निकासी पर कर प्रभारित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान का अभाव

धारा 36(1)(viii) किसी निर्दिष्ट इकाई द्वारा सृजित और अनुरक्षण किए गए किसी भी विशेष आरक्षित निधि के लिए पात्र व्यवसाय से प्राप्त लाभ के बीस *प्रतिशत* तक कटौती की अनुमति देती है।

इसके अलावा, धारा 41(4ए) में यह प्रावधान है कि ऐसे विशेष आरक्षित निधि से बाद में आहरित की गई किसी भी राशि को व्यवसाय या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ के रूप में माना जाएगा तथा उस पर उस पूर्व वर्ष की आय के रूप में कर आरोपित किया जाएगा जिसमें ऐसी राशि आहरित की गई थी। धारा 41(4ए) के अंतर्गत स्पष्टीकरण के अनुसार, जहां किसी पूर्व वर्ष में विशेष आरक्षित निधि से कोई राशि आहरित की जाती है, जिसमें व्यवसाय अस्तित्व में नहीं है, तो इस उपधारा के प्रावधान लागू होंगे। तथापि, जब विशेष आरक्षित निधि में संचित शेष है, तथा व्यवसाय अस्तित्व में नहीं है, तथा विशेष आरक्षित निधि खाते से कोई राशि नहीं आहरित की गई है, के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं थी।

ऐसा ही एक मामला नीचे दर्शाया गया है:

बॉक्स 4.3ए: धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि से कथित निकासी पर कर प्रभारित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान के अभाव का उदाहरणात्मक मामला

प्रभार: पीसीआईटी-1 चेन्नई
निर्धारिती: मेसर्स आई10
निर्धारण वर्ष: 2016-17

निर्धारिती, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी) है, को अप्रैल 2014 में एक नया निजी क्षेत्र का बैंक (आई38) स्थापित करने के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई और उसके बाद से वह एनबीएफसी-निवेश कंपनी के रूप में काम करती रही।

अविलयन के परिणामस्वरूप, कंपनी का वित्तीय उपक्रम नवगठित को हस्तांतरित आई38 कर दिया गया तथा मेसर्स आई10 कंपनी ने 01.10.2015 से वित्तीय उपक्रम का संचालन बंद कर दिया।

निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारण वर्ष 2016-17 तक, निर्धारिती कंपनी ने दावा किया था और उसे निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत क्रमशः ₹ 452.10 करोड़ और ₹ 170.05 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई थी। निर्धारण वर्ष 2017-18 के निर्धारण अभिलेख के अनुसार, निर्धारिती ने धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत किसी कटौती का दावा नहीं किया था।

वित्त वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, कंपनी ने दीर्घकालिक वित्त व्यवसाय बंद करने के बावजूद, 31.03.2016 तक विशेष आरक्षित निधि में ₹ 2,644.23 करोड़ की राशि प्रतिधारित की। निर्धारण वर्ष 2017-18 में धारा 41(4ए) के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त व्यवसाय बंद करने के बाद भी धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि में प्रतिधारित ₹ 2,644.23 करोड़ की राशि पर कर प्रभारित करने के मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता है, क्योंकि मौजूदा स्पष्टीकरण केवल "विशेष आरक्षित निधि से निकासी" से संबंधित है। यह भी स्पष्ट नहीं था कि धारा 41(4ए) के प्रावधानों के अनुसार कर प्रभारित करने से पहले धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि को एनबीएफसी-निवेश के खातों में कितने समय तक रखा जाएगा।

इसे मई 2022 में डीसीआईटी सीसी-1(1), चेन्नई के संज्ञान में लाया गया था। अनुस्मारक (दिसंबर 2024) जारी करने के बावजूद विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुशंसा:

सीबीडीटी आयकर अधिनियम की धारा 41(4ए) में उपयुक्त संशोधन लाने पर विचार कर सकता है, क्योंकि दीर्घकालिक वित्त का व्यवसाय बंद करने के बाद इकाई द्वारा विशेष आरक्षित निधि में प्रतिधारित धन पर कर प्रशोधन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2024) कि अनुशंसित संशोधन व्यवसाय अस्तित्वहीन हो जाने की स्थिति में विशेष आरक्षित निधि की शेष राशि पर कर प्रभारित करने के लिए आवश्यक है और यह स्पष्ट है कि धारा 41(4ए) के अंतर्गत कर देयता को रोकने के लिए राशि को बही खाते में रखा जा रहा है, जांच किया जाए।

चूंकि आयकर अधिनियम की धारा 41(4ए) में लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए संशोधन की जांच चल रही है, इस संबंध में कृत कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित रहेगा (नवम्बर 2025)।

4.2 आयकर अधिनियम/इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत पाई गई अस्पष्टताएँ

4.2.1 आयकर नियम 6ईए और धारा 43डी के प्रावधानों में अस्पष्टता के कारण उत्पन्न परिहार्य वैधानिक विवाद

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43डी में यह प्रावधान है कि किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या अनुसूचित बैंक के मामले में, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय पूर्व वर्ष के लिए कर देय होगी जिसमें इसे उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है या जब यह वास्तव में उस संस्थान या बैंक द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो भी पहले हो। आयकर नियम, 1962 का नियम 6ईए, धारा 43डी के प्रावधानों के अनुपालन हेतु जारी किया गया है, जो गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर ब्याज की कर-देयता से संबंधित है। नियम 6ईए के अनुसार, यदि कोई ऋण छः महीने से अधिक समय तक बकाया रहता है तो उसे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ माना जाता है**,** जबकि आरबीआई के दिशानिर्देशों[25] के अनुसार, किसी भी ऋण या ब्याज को बकाया मानने के लिए बकाया अवधि केवल तीन महीने है।

इस प्रकार, धारा 43डी आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को संदर्भित करती है (जब बकाया गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ तीन महीने से अधिक हो), जबकि नियम 6ईए धारा 43डी के प्रावधानों को लागू करने के लिए छः महीने की अवधि निर्धारित करता है। यदि ऋण तीन से छः महीने के बीच की अवधि के लिए बकाया है, तो इस अस्पष्टता के परिणामस्वरूप अव्यवहार्य या अटके हुए अग्रिमों पर अर्जित ब्याज के कराधान में कर विवादों की अधिकता हो गई है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 218 सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों में से 36 में विभाग ने ₹ 3,642.92 करोड़ की राशि के गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ पर अर्जित ब्याज को वापस जोड़ दिया था, जहां गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ की बकाया अवधि 3 से 6 महीने के बीच थी, जैसा कि नीचे तालिका 4.6 और ***अनुलग्नक 4.4*** में विवरण दिया गया है। किसी भी विदेशी बैंक के निर्धारण में ऐसा कोई मामला नहीं देखा गया।

---

[25] आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 1 जुलाई 2015 को बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों पर मुख्य परिपत्र का पैरा 2.1.2।

तालिका 4.6: आयकर नियम 6ईए और धारा 43 डी के प्रावधानों में अस्पष्टता

क्रम सं.	श्रेणी	क्षेत्र	मामलों की संख्या	निर्धारण वर्ष	अस्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)
1	निजी बैंक	मुंबई	17	2015-16 से 2018-19	2,257.75
2		गुजरात	4	2011-12, 2012-13, 2015-16 एवं 2016-17	143.53
3	सार्वजनिक बैंक	मुंबई	15	2016-17 से 2018-19	1,241.64
कुल			**36**		**3,642.92**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख *(अनुलग्नक 4.4 देखें)*

चूंकि नियम 6ईए को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप संशोधित नहीं किया गया है, इसलिए धारा 43डी और नियम 6ईए के बीच विरोधाभास मौजूद है। यद्यपि विधि में यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सांविधिक प्रावधान नियमों पर हावी रहेंगे, फिर भी इस अस्पष्टता के कारण विवाद उत्पन्न हुए हैं जो परिहार्य थे।

मुंबई क्षेत्र में, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को विभाग के संज्ञान में लाया गया (दिसंबर 2020) और बाद में फरवरी 2022 में संशोधित किया गया। *पीसीआईटी-2, मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए (जून 2021) कहा (मार्च 2021), कि लेखापरीक्षा के सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था और विभाग ने इन सुझावों को उच्च अधिकारियों और आवश्यक संशोधन के लिए कर नीति और विधायी इकाई (टीपीएल) को संदर्भित करने का निर्णय लिया था। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)।*

अहमदाबाद क्षेत्र में, विभाग ने समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और कहा कि मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप नियम 6ईए में अस्पष्टता को दूर करने की आवश्यकता है।

अनुशंसा:

सीबीडीटी, आयकर अधिनियम की धारा 43डी के साथ पठित आयकर नियम 6ईए में निर्धारण वर्ष 2020-21 से पहले की अवधि के लिए ऋण की बकाया अवधि को एनपीए के रूप में मानने से संबंधित अस्पष्टता को दूर कर सकता है, ताकि निर्धारण के दौरान विभेदक कर प्रशोधन से बचा जा सके और कानूनी विवादों को कम किया जा सके।

4.3 प्रक्रियात्मक अपर्याप्तताएँ

4.3.1 उधारकर्ताओं के पैन का प्रकटीकरण किए बिना अशोध्य ऋण का दावा और छूट

अधिनियम की धारा 139ए में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजस्व के हित में, बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कुछ संव्यवहार के लिए पैन संख्या (पैन) का उल्लेख करना होगा। आयकर नियमों के नियम 114बी में सोलह प्रकार के संव्यवहार सूचीबद्ध हैं जिनके लिए पैन संख्या (पैन) का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत आने वाले किसी भी बैंक में खाता खोलना भी सम्मिलित है। बैंक आमतौर पर किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऋण स्वीकृत करते समय खाता खोलने पर जोर देते हैं।

बैंकों और एनबीएफसी के मामले में, अशोध्य ऋण मुख्य रूप से ऋण या ऋण पर देय ब्याज होते हैं, जिन्हें ऋणदाता द्वारा वसूल नहीं किया जाता है और उन्हें बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। लेखापरीक्षा ने बैंकों के 172 मामलों और एनबीएफसी के 456 मामलों में, जैसा कि उनके आयकर रिटर्न (आईटीआर-6) में बताया गया है, पाया कि बैंकों के 28 मामलों और एनबीएफसी के 99 मामलों द्वारा दावा किए गए ₹ 1,37,320.93 करोड़ के कुल अशोध्य ऋणों में से, ₹ 64,696.62 करोड़ के अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया गया था, जो उन व्यक्तियों को दिए गए ऋणों के संबंध में थे जिनके पैन विवरण का प्रकटीकरण निर्धारितियों द्वारा उनकी आयकर रिटर्न में नहीं किया गया था। इन मामलों का क्षेत्रवार विवरण नीचे तालिका 4.7 में दिया गया है, तथा निर्धारिती-वार विवरण इस प्रतिवेदन के ***अनुलग्नक 4.5*** में दिया गया है।

तालिका 4.7: उधारकर्ताओं के पैन का प्रकटीकरण किए बिना बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	क्षेत्र	बैंक/ एनबीएफसी	मामलों की संख्या	निर्धारण वर्ष	वर्ष के दौरान दावा किए गए कुल अशोध्य ऋण	जहां पैन उपलब्ध नहीं है, वहां दावा किए गए अशोध्य ऋणों की राशि	जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहां अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि
1	अहमदाबाद	निजी बैंक	1	2015-16	1,193.17	376.68	376.68
		एनबीएफसी	8	2015-16 से 2019-20	825.13	825.13	825.13
2	बेंगलूरु	सार्वजनिक बैंक	6	2015-16 से 2019-20	24,518.15	24,518.15	0
		एनबीएफसी	12	2014-15 से 2019-20	579.29	578.71	578.71
3	दिल्ली	एनबीएफसी	24	2015-16 से 2018-19	3,326.03	3,243.19	3,243.19
4	गुवाहाटी	एनबीएफसी	1	2018-19	25.36	25.36	25.36

तालिका 4.7: उधारकर्ताओं के पैन का प्रकटीकरण किए बिना बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	क्षेत्र	बैंक/ एनबीएफसी	मामलों की संख्या	निर्धारण वर्ष	वर्ष के दौरान दावा किए गए कुल अशोध्य ऋण	जहां पैन उपलब्ध नहीं है, वहां दावा किए गए अशोध्य ऋणों की राशि	जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहां अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि
5	हैदराबाद	एनबीएफसी	15	2015-16 से 2019-20	524.14	524.14	524.14
6	जयपुर	एनबीएफसी	5	2017-18 से 2019-20	27.83	21.78	21.78
7	कोलकाता	सार्वजनिक बैंक	4	2010-11 से 2012-13 एवं 2018-19	8,574.04	8,574.04	8,574.04
8	मुंबई	निजी बैंक	15	2017-18 से 2019-20	78,844.96	7,688.11	7,688.11
		एनबीएफसी	17	2016-17 से 2019-20	3,125.85	2,583.19	2,583.19
9	चेन्नई	एनबीएफसी	17	2014-15 एवं 2016-17 से 2019-20	15,688.29	15,669.45	15,669.45
		निजी बैंक	2	2016-17 एवं 2018-19	68.69	68.69	68.69
कुल			**127**		**1,37,320.93**	**64,696.62**	**40,178.47**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख ***(अनुलग्नक 4.5 देखें)***

नीचे दो उदाहरणात्मक मामलों पर चर्चा की गई है:

बॉक्स 4.4: उधारकर्ताओं के पैन का प्रकटीकरण किए बिना अशोध्य ऋण दावे और छूट पर उदाहरणात्मक मामले

(क) प्रभार: पीसीआईटी-गुवाहाटी

निर्धारिती: एन1

निर्धारण वर्ष: 2018-19

निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारिती की संवीक्षा निर्धारण मार्च 2021 में ₹ 75.27 करोड़ की आय पर पूरी हुई। निर्धारिती ने आईटीआर में ₹ 25.36 करोड़ के अशोध्य ऋण का दावा किया था, और जांच निर्धारण के दौरान इसे अनुमति दी गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने उन उधारकर्ताओं के पैन विवरण का प्रकटीकरण किए बिना, जिनके बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण ₹ एक लाख से अधिक थे, दावा किया और उसे बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति मिल गई।

मार्च 2022 में इस मामले की सूचना डीसीआईटी सर्किल 2, गुवाहाटी को दी गई। डीसीआईटी ने उत्तर में कहा (अप्रैल 2022) कि निर्धारण अधिकारी को यह सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या ऋण वास्तव में अशोध्य हो गया था और यदि इसे निर्धारिती द्वारा अपने बही खातों से बट्टे खाते में डाला गया था, तो यह कटौती के रूप में स्वीकार्य है। उत्तर अमान्य था, क्योंकि निर्धारिती के लिए यह आवश्यक था कि वह निर्धारण के दौरान दावों के सत्यापन और अनुमति के लिए प्रकटीकरण की सत्यता हेतु आईटीआर में सभी आवश्यक सूचना प्रदान करे।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी 6 मुंबई
निर्धारिती: आर5
निर्धारण वर्ष: 2018-19

अप्रैल 2021 में सामान्य प्रावधान के अंतर्गत ₹ शून्य और अधिनियम की धारा 115जेबी के अंतर्गत ₹ 257.41 करोड़ की आय पर निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया। निर्धारिती ने पैन संख्या एएएएए9999 ए वाले व्यक्ति के लिए ₹ 115.61 करोड़ के अशोध्य ऋण का दावा किया था और उसे इसकी अनुमति दे दी गई थी। लेखापरीक्षा ने आईटीबीए प्रणाली से पैन विवरण का सत्यापन किया और पाया कि पैन एएएएए9999 ए मौजूद नहीं था।

मार्च 2022 में यह मामला डीसीआईटी 14(1)(2) मुंबई को सूचित किया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (नवंबर 2025) और कहा कि आयकर अधिनियम (अगस्त 2024) की धारा 148ए(डी) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए निर्धारण अभिलेखों से, लेखापरीक्षा में जांचे गए नमूना बैंक मामलों में यह पाया गया कि इन दावों की सत्यता की पुष्टि करने के लिए न तो उधारकर्ताओं के पैन विवरण और न ही निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए सत्यापन को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य अभिलेख उपलब्ध थे।

उत्तर में (फरवरी 2022), पीसीआईटी-2 मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए कहा (जून 2022) कि यह बहुत असंभाव्य है कि बैंक ऋण वितरित करते समय अपने ग्राहकों से उनका पैन न पूछें। पीसीआईटी ने सुझाव दिया कि इस रिपोर्टिंग को कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का भाग बनाया जाना चाहिए ताकि इसकी प्रामाणिकता एक कर लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित की जा सके। विभाग ने यह भी सुझाव दिया कि सीबीडीटी ऐसे उधारकर्ताओं के मामले

में ऐसे अशोध्य ऋण को अस्वीकार करने के लिए वैधानिक प्रावधान पर विचार करे, जहां अशोध्य ऋण प्रति ग्राहक ₹ 2,50,000 से अधिक है और जहां पैन उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुशंसा:

(i) **सीबीडीटी कर योग्य आय से बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमतता पर पुनर्विचार कर सकता है, जहां निर्धारिती ने अनर्ह दावों की अनुमति के लिए, एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक ऋण के लिए उधारकर्ताओं के पैन विवरण का प्रकटीकरण नहीं किया है।**

(ii) **सीबीडीटी एक ऐसी व्यवस्था विकसित करे जिसके माध्यम से एक निर्दिष्ट सीमा से ऊपर के उन उधारकर्ताओं के विवरण का सत्यापन किया जा सके जिनके लिए निर्धारण के दौरान बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति है, ताकि ऐसे उधारकर्ताओं की देयता की समाप्ति की राशि की करदेयता सुनिश्चित की जा सके।**

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2024) कि, "आईटीआर-6 के भाग ए-पी और एल जिसमें लाभ और हानि खाता सम्मिलित है, भरना अनिवार्य है। उक्त अनुसूची की पंक्ति 47 में उस व्यक्ति के पैन/आधार संख्या के साथ-साथ अशोध्य ऋणों का विवरण मांगा गया है, जिसके लिए ₹ 1 लाख या उससे अधिक की राशि के अशोध्य ऋण का दावा किया गया है। इसके अलावा, जहां पैन/आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, और दावा किया गया अशोध्य ऋण ₹ 1 लाख या उससे अधिक है, वहां आईटीआर प्रपत्र-6 में नाम और पूरा पता जैसे विवरण मांगे जाते हैं। यद्यपि उक्त आंकड़े को पहले से ही आईटीआर प्रपत्र में दर्ज किया जा रहा है, लेकिन अनुपालन बोझ को कम करने और कराधान व्यवस्था को सरल बनाने की सरकार की घोषित नीति के मद्देनजर, आगे किसी वैधानिक बदलाव की आवश्यकता नहीं है।

मंत्रालय के उत्तर के अनुसार, बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का दावा करते समय रिटर्न में उधारकर्ताओं के पैन का प्रकटीकरण करना अनिवार्य है। तथापि, लेखापरीक्षा ने ऐसे उदाहरण देखे जहां निर्धारितियों को उधारकर्ताओं के पैन विवरण का प्रकटीकरण किए बिना ही बड़ी मात्रा में अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने की अनुमति दी गई थी। इसलिए, मंत्रालय ऐसे उधारकर्ताओं के एकत्रित पैन विवरणों के अनिवार्य सत्यापन के लिए एक निर्दिष्ट सीमा से ऊपर अप्राप्य के रूप में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की कटौती के दावों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए अपने निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए

निर्देश जारी करने पर विचार करे और इसे क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारियों को सूचित करे और देयता के अवसान से संबंधित सीमा की राशि की कर देयता सुनिश्चित करने के लिए उपस्थिति विहिन निर्धारण के दौरान उपयोग हेतु विभाग के इनसाइट्स पोर्टल[26] पर अपलोड करे।

4.3.2 उधारकर्ता के विवरण के सत्यापन के बिना अशोध्य ऋणों की अनुमति

भारतीय रिजर्व बैंक के 1 जुलाई 2015[27] के मास्टर परिपत्र के पैरा 8.4 के अनुसार, बैंक बही खातों में संबंधित अग्रिम बकाया होने के बावजूद, मुख्यालय स्तर पर अग्रिमों को बट्टे खाते में डाल सकते हैं। परिपत्र के पैरा 9 में आगे कहा गया है कि बैंकों की आईटी और एमआईएस प्रणालियां मजबूत होनी चाहिए तथा प्रभावी निर्णय लेने के लिए विश्वसनीय परिसंपत्ति गुणवत्ता की सूचना उपलब्ध करानी चाहिए। इसके अलावा, विनियामक/सांविधिक रिपोर्टिंग के अंतर्गत प्रस्तुत सूचना और बैंकों की एमआईएस रिपोर्टिंग के बीच कोई असंगतता नहीं होनी चाहिए। बैंकों के पास गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों और पुनर्गठित परिसंपत्तियों के बारे में प्रणाली-जनित खंड-वार सूचना भी होनी चाहिए, जिसमें अथ शेष, परिवर्धन, कटौती (उन्नयन, वास्तविक वसूली, बट्टे खाते में डालना, आदि), अंत:शेष, ग्रहण किए गए प्रावधान, तकनीकी बट्टे खाते में डालना आदि के आंकड़े सम्मिलित हों।

इसके अलावा, 1 अक्टूबर 2021 के आरबीआई मास्टर परिपत्र[28] के पैरा 6.2.2 में प्रावधान है कि बैंकों को किसी भी खाते को पूर्णतः या आंशिक रूप से बट्टे खाते में डालने से पहले वसूली के सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करना चाहिए। आरबीआई ने पाया कि कुछ बैंक तकनीकी रूप से खातों को बट्टे खाते में डालने का सहारा ले रहे हैं, जिससे वसूली के लिए प्रोत्साहन कम हो जाता है। अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, बैंकों को उक्त मास्टर परिपत्र के अनुलग्नक-4 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में तकनीकी बट्टे खाते में डालने के विवरण सहित बट्टे खाते में डालने का पूरा विवरण उद्घाटित करने के लिए कहा गया था।

---

[26] आयकर विभाग ने तीन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोजेक्ट इनसाइट लागू किया है: (i) स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना और गैर-अनुपालन को रोकना; (ii) यह विश्वास दिलाना कि सभी अर्ह व्यक्ति उचित कर का भुगतान करते हैं; और (iii) निष्पक्ष एवं विवेकपूर्ण कर प्रबंधन को बढ़ावा देना। इस परियोजना के अंतर्गत, एक एकीकृत डेटा भंडारण और बिज़नेस इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म को चरणबद्ध तरीके से प्रारम्भ किया जाना है। इस परियोजना के अंतर्गत दो नए केंद्र, आयकर संव्यवहार विश्लेषण केंद्र (आईएनटीआरएसी) और अनुपालन प्रबंधन केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीएमसीपीसी) भी चालू किए जा रहे हैं।

[27] आरबीआई/2015-16/101 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.2/21.04.048/2015-16 दिनांक 1 जुलाई 2015, अग्रिमों से संबंधित आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर

[28] आरबीआई/2021-2022/104 डीओआर.सं.एसटीआर.आरईसी.55/21.04.048/2021-22 दिनांक 1 अक्टूबर 2021

बैंकों और आरबीआई द्वारा गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ और उसके बट्टे खाते में डाले जाने की संवीक्षा के लिए मजबूत आईटी और एमआईएस प्रणालियां मौजूद होने के बावजूद, लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंकों ने कर योग्य आय में से कटौती के रूप में बड़ी मात्रा में अशोध्य ऋणों का दावा किया है, जबकि उन्होंने उन उधारकर्ताओं के बारे में कोई सूचना नहीं दी है जिनके ऋण बट्टे खाते में डाले गए थे। इन दावों पर दो भागों में चर्चा की गई है: (i) बैंकों द्वारा आयकर रिटर्न में कर योग्य आय की गणना में अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का दावा करना, बिना लाभ और हानि खाते में डेबिट किए और आयकर विभाग को उधारकर्ताओं का कोई विवरण प्रदान किए बिना, और (ii) बैंकों द्वारा लाभ और हानि खाते में डेबिट करके अशोध्य ऋणों का दावा करना, लेकिन आयकर विभाग को उधारकर्ताओं का पूरा विवरण प्रदान नहीं करना। लेखापरीक्षा ने ऋणदाताओं द्वारा दावा किए गए तथा आयकर विभाग द्वारा अनुमत अशोध्य ऋण की रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण भिन्नताएं देखीं, जैसा कि बाद के पैरा में चर्चा की गई है।

4.3.2.1 लाभ और हानि खाते में राशि डेबिट किए बिना अशोध्य ऋण को अनुमति और आयकर विभाग के पास अशोध्य ऋणों के बारे में सूचना का अभाव

आईटीआर-6 के मौजूदा प्रोफार्मा में लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए अशोध्य ऋणों का उद्घाटित करना आवश्यक है। बैंक इन अशोध्य ऋणों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित करने अपेक्षा बही खाते में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधानों के सापेक्ष उनकी कटौती कर देते हैं। इसके बावजूद, ये बैंक आईटीआर-6 जमा करते समय कर पात्र आय की गणना में कर योग्य आय से कटौती के रूप में अशोध्य ऋणों का दावा करते हैं। आयकर विभाग आय की गणना में अशोध्य ऋणों के लिए दावा की गई कटौतियों का ब्यौरा सम्मिलित नहीं करता है, जैसा कि अशोध्य ऋणों के लिए दावा की गई कटौती पर आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट है, जिसमें आय की गणना में दावा किए गए अशोध्य ऋण सम्मिलित नहीं थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बैंक लाभ-हानि खाते से डेबिट किए बिना ही भारी मात्रा में अशोध्य ऋण का दावा कर रहे थे। अशोध्य ऋणों को तुलन-पत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रावधान के सापेक्ष समायोजित किया गया था, तथा ऐसे अशोध्य ऋणों का विवरण आईटीआर में प्रकट नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि उधारकर्ताओं के पैन विवरण का प्रकटीकरण न करने के बावजूद, बैंकों ने उनका दावा किया और आयकर विभाग ने आईटीआर में उधारकर्ताओं के विवरण के सत्यापन के बिना ही बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के

लिए कटौती की अनुमति दे दी। इसके अलावा, इन विवरणों की संवीक्षा निर्धारण के दौरान मांग नहीं की गई थी, जैसा कि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत निर्धारण अभिलेख से पता चला है।

लेखापरीक्षा में चार राज्यों[29] के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, चेन्नई में 10 निजी क्षेत्र के बैंकों और दिल्ली में चार विदेशी बैंकों के 44 मामले देखे गए, जहां यद्यपि लाभ और हानि खाते में कोई अशोध्य ऋण डेबिट नहीं किया गया था, फिर भी ₹ 2,60,466.27 करोड़ के अशोध्य ऋण का दावा किया गया था, और इस प्रतिवेदन के ***अनुलग्नक 4.6*** में दिए गए विवरण के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पूरे किए गए निर्धारण में ₹ 1,69,782.47 करोड़ अनुमत किया गया था। उन मामलों का क्षेत्रवार विवरण, जहां अशोध्य ऋणों को लाभ-हानि खाते में डेबिट नहीं किया गया, लेकिन उधारकर्ताओं का कोई विवरण मांगे बिना निर्धारण में सम्मिलित कर लिया गया, नीचे तालिका 4.8 और ***अनुलग्नक 4.6*** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.8: उन मामलों का विवरण जहां अशोध्य ऋणों को लाभ और हानि लेखा में डेबिट नहीं किया गया, परंतु उधारकर्ताओं का विवरण प्राप्त किए बिना उन्हें निर्धारण में अनुमत किया गया

क्र. सं.	क्षेत्र	बैंक/ एनबीएफसी	मामलों की संख्या	निर्धारण वर्ष	अशोध्य ऋण, जैसा कि महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में बताया गया है	लाभ और हानि खाता में डेबिट की गई और आईटीआर में दर्शाई गई अशोध्य ऋण की राशि	रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋण की राशि (₹ करोड़ में)	निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋण की राशि (₹ करोड़ में)
1	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	15	2014-15 से 2019-20	0	0	49,692.92	19,049.86
		निजी बैंक	10	2014-15 से 2019-20	0	0	2,792.84	2,541.48
2	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	10	2010-11 से 2018-19	0	0	13,916.30	13,916.30
		विदेशी बैंक	4	2016-17 से 2018-19	0	0	280.84	280.84
3	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	12	2016-17 से 2019-20	0	0	1,72,658.97	1,12,869.59
4	कोलकाता	सार्वजनिक बैंक	7	2010-11 से 2012-13, 2015-16 से 2018-19	0	0	21,124.4	21,124.4
कुल			**58**		**0**	**0**	**2,60,466.27**	**1,69,782.47**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख *(अनुलग्नक 4.6 देखें)*

[29] चेन्नई, महाराष्ट्र, कोलकाता और दिल्ली

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, निर्धारण अधिकारी (एओ) ने निर्धारिती के दावे को स्वीकार करते समय उधारकर्ताओं का कोई विवरण नहीं माँगा और बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए दावा की गई कटौतियों को अनुमत कर दिया था। लेखापरीक्षा उन उधारकर्ताओं की स्थिति का पता नहीं लगा सकी जिनके ऋण बट्टे खाते में डाले गए और उधारकर्ताओं के विवरण के अभाव में यह भी पता नहीं लगा सकी कि उधारकर्ताओं के बट्टे खाते में डाले गए ऋणों पर कर का क्या प्रभाव पड़ा था। विभाग के पास यह जाँचने के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी कि अशोध्य ऋण प्रत्यक्ष बट्टे खाते में डालने, बैंक द्वारा ऋणों के पुनर्गठन, किसी एआरसी को ऋण सौंपने, धोखाधड़ी, अथवा किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुए थे।

इसके अतिरिक्त, कर लेखापरीक्षक द्वारा दावा किए गए अशोध्य ऋणों की प्रामाणिकता के प्रमाणीकरण के अभाव में, विभाग इन बैंकों और एनबीएफसी द्वारा बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए दावा किए गए ₹ 2,60,466.27 करोड़ की कटौती की अनुमति की सत्यता की पुष्टि नहीं कर पाया था। आयकर विभाग द्वारा, उधारकर्ताओं का विवरण प्राप्त किये बिना बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की छूट, यदि निर्धारिती द्वारा आईटीआर जमा करते समय अथवा कर लेखापरीक्षक द्वारा टीएआर में प्रमाणीकरण के माध्यम से इसका प्रकटीकरण नहीं किया जाता है, तो राजस्व की एक बड़ी राशि की हानि का संभावित जोखिम उत्पन्न होता है।

दो उदाहरणात्मक प्रकरण निम्न हैं:

बॉक्स 4.5: उधारकर्ताओं का कोई विवरण दिए बिना दावा किए गए और अनुमत किए गए अशोध्य ऋणों के उदाहरणात्मक मामले

क) प्रभार: पीसीआईटी-2, मुंबई
निर्धारिती: एस8
निर्धारण वर्ष: 2017-18, 2018-19 और 2019-20

निर्धारण वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 हेतु निर्धारिती का कर निर्धारण क्रमशः मार्च 2019, मार्च 2020 और सितंबर 2021 में संपूर्ण संवीक्षा के उपरांत पूर्ण किया गया। इन तीन वर्षों के दौरान, निर्धारिती ने उधारकर्ताओं का कोई विवरण दिए बिना ₹ 1,58,974.19 करोड़ के अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का दावा किया।

इन तीन वर्षों के लिए विभाग द्वारा अनुमत कटौती ₹ 99,184.81 करोड़ थी, जिसका विवरण निम्न तालिका 4.9 में दिया गया है।

तालिका 4.9: उधारकर्ताओं का कोई विवरण दिए बिना दावा किए गए और अनुमत अशोध्य ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नि. व.	धारा के अंतर्गत निर्धारण एवं निर्धारण तिथि	रिटर्न आय	निर्धारित आय	महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार अशोध्य ऋण	जमा की गई रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋण	निर्धारण में अशोध्य ऋणों को अनुमत करना
1	2017-18	143(3) दिनांक 16.3.2019	10,865.89	33,126.08	0	32,905.63	19,764.74
2	2018-19	143(3) दिनांक 20.3.2020	(-)28,209.29	15,425.61	0	71,374.23	24,725.74
3	2019-20	143(3) दिनांक 29.9.2021	0	3,479.85	0	54,694.33	54,694.33
		योग		**52,031.54**	**0**	**1,58,974.19**	**99,184.81**

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, निर्धारिती ने आय की गणना में उधारकर्ताओं का कोई विवरण दिए बिना ही निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए कुल ₹ 1,58,974.19 करोड़ के अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का दावा किया। विभाग ने उन उधारकर्ताओं का विवरण मांगे बिना ही निर्धारिती को ₹ 99,184.81 करोड़ की कटौती को अनुमत कर दिया, जिनके सापेक्ष ये अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गए थे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि महानिदेशक (प्रणाली) से एकत्रित आंकड़ों से पता चलता है कि अशोध्य ऋणों को शून्य के रूप में बट्टे खाते में डाला गया, जबकि निर्धारिती को ₹ 99,184.81 करोड़ की राशि अनुमत की गई थी।

जनवरी 2022 और फरवरी 2022 में पीसीआईटी-2, मुंबई को उधारकर्ताओं का विवरण एकत्र नहीं किए जाने से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी की गई थी। पीसीआईटी-2, मुंबई ने उत्तर दिया (जून 2022) कि जब बही खातों में अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिए जाते थे, तो उन्हें अनुमत कर दिया जाता था। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि जिन उधारकर्ताओं के ऋण बट्टे खाते में डाला गया था, उनकी संख्या अधिक थी, इसलिए निर्धारण अधिकारी (एओ) के लिए प्रत्येक उधारकर्ता के खाते का सत्यापन करना कठिन होगा। पीसीआईटी-2 मुंबई ने यह सुझाव दिया कि ऋणों को बट्टे खाते में डालने के सत्यापन को आयकर रिटर्न के साथ प्रस्तुत की जाने वाली कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का भाग बनाया जाना चाहिए। की गई उपचारात्मक कार्रवाई का और विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

ख) प्रभार: पीसीआईटी-1, चेन्नई
निर्धारिती: मेसर्स ए13
निर्धारण वर्ष: 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19

निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 हेतु निर्धारित बैंक के निर्धारण क्रमशः नवंबर 2017, दिसंबर 2018, दिसंबर 2018, दिसंबर 2019 और अप्रैल 2021 में संवीक्षा के पश्चात पूर्ण हुए थे। इन पांच वर्षों के दौरान, निर्धारिती ने संबंधित आईटीआर में किसी भी अशोध्य ऋण का प्रकटीकरण नहीं किया। निर्धारिती ने संवीक्षा निर्धारण के दौरान निर्धारिती द्वारा अलग से प्रस्तुत आय से संबंधित गणना में अशोध्य ऋणों हेतु कटौती का दावा किया था, जो कुल मिलाकर ₹ 21,488.25 करोड़ थी। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने के दावों को संवीक्षा निर्धारण में यथावत अनुमत किया गया था। निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2018-19 हेतु, अशोध्य ऋण का दावा धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत प्रावधान खाते तक सीमित था, जबकि निर्धारण वर्ष 2017-18 में यह गैर-ग्रामीण क्षेत्रों के बट्टे खाते में डालने तक सीमित था। हालाँकि, निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए कुल ₹ 14,537.55 करोड़ के अशोध्य ऋण दावों को उधारकर्ता के विवरण के सत्यापन के बिना ही अनुमत कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति डीसीआईटी सीसी 1(1), चेन्नई को मई 2022 में सूचित किया गया था। अनुस्मारक जारी करने (नवंबर 2025) के पश्चात भी विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुशंसा:

सीबीडीटी उन मामलों के विवरण का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है, जहां निर्धारण के दौरान बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण के लिए कटौती का दावा किया गया था और उन्हें अनुमत किया गया था, यद्यपि लाभ और हानि खाता में कोई अशोध्य ऋण डेबिट नहीं किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

4.3.2.2 लाभ और हानि लेखा में अशोध्य ऋण को डेबिट करना और उधारकर्ताओं के विवरण का प्रकटीकरण/गैर-सत्यापन

सात राज्यों[30] में लेखापरीक्षा में जाँचे गए नमूना मामलों में से निजी बैंकों और 108 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के 15 मामलों में, विभाग ने ₹ 32,063.46 करोड़ के अशोध्य ऋण को अनुमति दी, हालाँकि निर्धारितीओं ने उन उधारकर्ताओं का कोई विवरण नहीं दिया जिनके

---

[30] चेन्नई, केरल, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और लखनऊ

अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डाला गया था। यहाँ तक कि जिन मामलों में पैन विवरण प्रदान किए गए थे, उनमें भी विभाग ने उधारकर्ताओं द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऐसे अग्रिमों पर दिए गए कर प्रक्रिया का पता लगाने के लिए उधारकर्ता की ओर से कोई पूछताछ नहीं की। विवरण ***अनुलग्नक 4.7*** और तालिका 4.10 में निम्नानुसार दिए गए हैं।

तालिका 4.10: पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	क्षेत्र	बैंक/ एनबीएफसी	मामलों की संख्या	निर्धारण वर्ष	लाभ और हानि लेखा में डेबिट की गई और आईटीआर में दर्शाई गई अशोध्य ऋणों की राशि	रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की राशि	निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि
1	चेन्नई	एनबीएफसी	23	2014-15, 2016-17 से 2019-20	16,285.62	16,282.76	16,285.62
		निजी बैंक	4	2016-17 से 2018-19	1,060.68	2,340.21	2,032.56
2	चंडीगढ़	निजी बैंक	4	2012-13 और 2015-16 से 2017-18	2,787.93	2,787.93	2,787.93
		एनबीएफसी	14	2015-16 से 2017-18 और 2019-20	530.19	528.65	528.65
3	अहमदाबाद	निजी बैंक	4	2011-12 से 2012-13 और 2015-16 से 2016-17	5,781.99	5,781.99	5,781.99
		एनबीएफसी	9	2015-16 से 2019-20	1,329.14	1,329.14	1,329.14
4	जयपुर	एनबीएफसी	6	2016-17 से 2019-20	149.23	149.23	149.23
5	लखनऊ	एनबीएफसी	1	2017-18	32.91	32.91	32.91
6	गुवाहाटी	एनबीएफसी	2	2017-18 से 2018-19	उपलब्ध नहीं है	25.47	25.47
7	कोलकाता	निजी बैंक	3	2017-18 से 2019-20	359.68	359.68	359.68
		एनबीएफसी	43	2011-12, 2012-13, 2014-15 से 2019-20	2,601.80	2,601.80	2,173.38
8	केरल	एनबीएफसी	10	2016-17 से 2019-20	578.23	578.23	576.90
कुल			**123**		**31,497.4**	**32,798**	**32,063.46**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख *(अनुलग्नक 4.7 देखें)*

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, लेखापरीक्षा अधिकारियों ने उधारकर्ताओं के विवरणों की पुष्टि किए बिना ही निर्धारिती के दावे को स्वीकार कर लिया तथा उसे अनुमति दे दी, यद्यपि निर्धारिती ने आईटीआर-6 में उन उधारकर्ताओं का कोई विवरण नहीं दिया था जिनके प्रति इन अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डाला गया था।

निम्न दो उदाहरणात्मक मामलों पर चर्चा की गई है।

बॉक्स 4.6:

(क) प्रभार: पीसीआईटी-3, चेन्नई

निर्धारिती: मेसर्स एस6 एवं एस7

निर्धारण वर्ष: 2017-18 और 2018-19

दिसंबर 2019 और अगस्त 2021 में संवीक्षा के पश्चात, निर्धारण वर्ष 2017-18 और निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारिती एनबीएफसी का निर्धारण पूर्ण हो गया, जिससे क्रमशः ₹ 2,168.70 करोड़ और ₹ 2,726.71 करोड़ की आय प्राप्त हुई। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि निर्धारिती द्वारा निर्धारण वर्ष 2017-18 और निर्धारण वर्ष 2018-19 हेतु किए गए ₹ 9,020.51 करोड़ और ₹ 3,017.29 करोड़ के अशोध्य ऋण दावों को भी जांच निर्धारण में स्वीकार कर लिया गया था।

निर्धारिती ने दो प्रकार के लेखा तैयार किये थे - एक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक उद्देश्यों के लिए और दूसरा आयकर उद्देश्यों के लिए। जहाँ आयकर उद्देश्यों के लिए रखे गए लेखा में अशोध्य ऋणों को लाभ-हानि लेखा में डेबिट के रूप में "बट्टे खाते में डाले गए" के रूप में दर्शाया गया था, वहीं वैधानिक लेखा पुस्तकों में उन्हें "एनपीए के लिए प्रावधान" के रूप में दर्शाया गया था, जैसा कि नीचे दिया गया है:

निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष	कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रखे गए लेखा के अनुसार बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण (₹ करोड़ में)	आईटी प्रयोजनों के लिए रखे गए लेखा के अनुसार बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण (₹ करोड़ में)	लाभ और हानि लेखा में डेबिट की गई अशोध्य ऋण की राशि और आईटीआर-6 में दर्शाई गई राशि (₹ करोड़ में)	निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋण की राशि (₹ करोड़ में)	राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)
एस6	2017-18	1,241.05	3,627.59	1,241.05	3,627.59	1,255.44
	2018-19	1,474.60	5,392.92	1,474.60	5,392.92	1,966.38
एस7	2017-18	446.26	1,236.19	446.26	1,236.19	427.82
	2018-19	629.87	1,781.12	629.87	1,781.12	616.41
	कुल	**3,791.78**	**12,037.82**	**3,791.78**	**12,037.82**	**4,266.05**

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि उपरोक्त निर्धारिती आरबीआई द्वारा विनियमित एनबीएफसी हैं, तथापि उन्होंने एनपीए आदि के लिए प्रावधान बनाने/बनाए रखने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों/ निर्देशों का विधिवत् अनुपालन किया, परंतु आईटी उद्देश्यों के लिए लाभ एवं हानि लेखा में इसे "वास्तविक बट्टे लेखा में डालना" के रूप में छद्मावरित किया गया, जो उचित नहीं है।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि आईटीआर-6 के लाभ एवं हानि लेखा में डेबिट के रूप में दिखाए गए अशोध्य ऋण के दावे के संबंध में, उपरोक्त निर्धारितीओं द्वारा आईटीआर-6 में पैन विवरण का प्रकटीकरण नहीं किया गया। लेखापरीक्षा को पैन विवरणों के संग्रह के संबंध में कोई कार्यवाही और अभिलेख नहीं मिले, और परीक्षण/यादृच्छिक आधार पर भी पुष्टिकरण प्रतिक्रियाएं नहीं मिलीं। इस प्रकार, बड़ी मात्रा के अशोध्य ऋण दावों को बड़ी मात्रा में जांच संवीक्षा निर्धारण में अनुमति दी गई थी। चूंकि धारा 36(1)(vii) के साथ पठित 36(1)(viiए) के साथ पठित 36(2)(v) के प्रावधानों का निर्धारिती एनबीएफसी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था और अशोध्य ऋणों के दावे को अस्वीकार करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा संबंधी अभ्युक्ति की सूचना मई 2022 में डीसीआईटी, कॉर्पोरेट सर्किल 3(1), चेन्नई को दी गई थी। मंत्रालय ने अपने उत्तर में (जून 2025) में कहा कि निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 2017-18 तक कोई प्रावधान नहीं बनाया और ऐसे प्रावधान के लिए धारा 36(1)(viiए)(घ) के अंतर्गत किसी कटौती का दावा नहीं किया गया है और यह भी की निर्धारिती द्वारा दो अलग-अलग लेखा-पुस्तकों को बनाए रखने की प्रथा, पहला आई टी अधिनियम की धारा 145 के प्रावधान के अनुसार धारा 28 एवं 56 के अंतर्गत प्रभार्य कुल आय की गणना के लिए और दूसरा कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ के निर्धारण के उद्देश्य से, जिसे क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय ने निर्धारिती के अपने मामले में बरकरार रखा है और विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणी धारा 36(1)(viiए)(घ) के प्रावधान से संबन्धित है, जिसे वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा 01-04-2017 से प्रभावी रूप से लागू किया गया था और यह वित्तीय वर्ष 2017-18 से लागू है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से आय गणना एवं प्रकटीकरण मानक धारा 145 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए थे और लागू हैं। सीबीडीटी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि आईसीडीएस को सभी पूर्व न्यायिक मामलों एवं निर्णयों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित किया गया है। इसलिए उपरोक्त निर्णय लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणी पर लागू नहीं होता है।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी, अहमदाबाद

निर्धारिती : मेसर्स ए6

निर्धारण वर्ष: 2011-12, 2012-13, 2015-16 और 2016-17

निर्धारण वर्ष 2011-12, 2012-13, 2015-16 और 2016-17 हेतु निर्धारिती बैंक का निर्धारण क्रमशः नवंबर 2018, नवंबर 2018, फरवरी 2018 और जनवरी 2020 के महीनों में पूर्ण किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सात में से चार मामलों में निर्धारिती ने धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत ₹ 5,757.35 करोड़ के अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का दावा किया था। निर्धारण वर्ष 2011-12, निर्धारण वर्ष 2012-13, निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान, निर्धारिती ने पैन विवरण के साथ शीर्ष 20 अशोध्य ऋणों की सूची प्रस्तुत की। लेखापरीक्षा ने पाया कि डबल्यू4 और एन8 जैसे उधारकर्ताओं के कर निर्धारण मामलों का सत्यापन पीसीआईटी-सेंट्रल सूरत और पीसीआईटी-1 सूरत में किया गया था, जहाँ उधारकर्ताओं ने ऋणदाता ए6 द्वारा अशोध्य ऋणों के रूप में बट्टे खाते में डाली गई राशि प्रस्तुत नहीं की। तथापि, विभाग ने न तो उधारकर्ताओं के लिए लिखे गए अशोध्य ऋणों का सत्यापन किया और न ही उसने उधारकर्ताओं के क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारियों को इन उधारकर्ताओं की लेखापुस्तकों में अशोध्य ऋणों के प्रशोधन के परस्पर सत्यापन हेतु सूचित किया और यह पता लगाने के लिए कि क्या ऋणदाता बैंक द्वारा लिखे गए अशोध्य ऋणों की राशि को आयकर अधिनियम की धारा 41(1) के अंतर्गत उधारकर्ताओं द्वारा आय के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

जनवरी-मार्च 2022 में डीसीआईटी सर्किल 1(1)(1) को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से अवगत कराया गया। 23 जनवरी 2023 को अहमदाबाद क्षेत्र में आयोजित निर्गम बैठक में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा कि निर्धारण के दौरान नमूना जाँच के आधार पर उधारकर्ताओं का विवरण मँगवाया और सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

जिन उधारकर्ताओं के अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डाला गया था, उनके विवरण के अभाव और कर लेखापरीक्षक द्वारा इन दावों की प्रामाणिकता के प्रमाणीकरण के अभाव में, विभाग इन बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के दावों की सत्यता की पुष्टि नहीं कर पाएगा। लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या आरबीआई के उन निर्देशों का पालन

किया गया था जिनमें किसी भी खाते को पूर्णतः या आंशिक रूप से बट्टे खाते में डालने से पूर्व उनकी परिसंपत्तियों के मूल्य की रक्षा करने और वसूली के सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था।

इस प्रकार, विभाग ने निर्धारिती की लेखा-बही में दर्ज बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के आधार पर, उनकी वास्तविकता की पुष्टि किए बिना ही अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति दे दी। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि अशोध्य ऋणों के लिए कटौती दावों के उचित सत्यापन के बिना ही दी गई थी, जिसमें लेखा-बही में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों या अग्रिमों के प्रावधानों के प्रति समायोजित दावे भी सम्मिलित थे।

उधारकर्ता के विवरण की अप्राप्ति एवं सत्यापन न होने से संबंधित अभ्युक्तियों को अप्रैल 2022 से मई 2022 तक विभाग को सूचित किया गया था। केरल क्षेत्र (पीसीआईटी तिरुवनंतपुरम, पीसीआईटी कोझीकोड प्रभार) में विभाग ने कहा कि अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत और विजया बैंक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, उधारकर्ता इकाई की लेखा-पुस्तकों की आगामी जांच की कोई संभावना नहीं है। *विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पैन, जो कि एक विशिष्ट पहचानकर्ता है, निर्धारितियों के वितीय संव्यवहार की पहचान और प्रभावी संवीक्षण पता लगाने में सहायक होता है। आयकर विभाग निर्धारितियों के पास विद्यमान राशि पर कर प्रभारित करने के लिए निर्धारितियों द्वारा दावा की गई कटौतियों की जाँच हेतु कर निर्धारण के समय पैन से संबंधित सूचना का उपयोग करे।*

अनुशंसा:

सीबीडीटी आईटीआर-6 में संशोधन करे ताकि उधारकर्ताओं के अशोध्य ऋणों का विवरण, जिसमें उनके पैन संख्या भी सम्मिलित हैं, दर्ज किया जा सके, जिनका ऋण सीबीडीटी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है और निर्धारण में अशोध्य ऋणों के लिए दी गई समुचित कटौती की सटीकता को सत्यापित करने के लिए जिसे बट्टे खाते में डाल दिया गया है, चाहे अशोध्य ऋणों को लाभ और हानि खाते से डेबिट किया गया है अथवा नहीं।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2024), "धारा 11 के अंतर्गत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अतिरिक्त अन्य कंपनियों द्वारा आईटीआर प्रपत्र 6 जमा किया जाना आवश्यक है। आईटीआर-6 के भाग ए-पी और एल जिसमें लाभ और हानि लेखा सम्मिलित है, को भरना अनिवार्य है। उक्त अनुसूची की पंक्ति 47 में उस व्यक्ति के पैन/आधार संख्या सहित अशोध्य ऋणों का विवरण मांगा गया है, जिसके लिए ₹ 1 लाख या उससे अधिक की राशि के अशोध्य

ऋण का दावा किया गया है। इसके अतिरिक्त, जहां पैन/आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, और दावा किया गया अशोध्य ऋण ₹ 1 लाख या उससे अधिक है, आईटीआर प्रपत्र-6 में नाम और पूरा पता जैसे विवरण मांगे जाते हैं। इसलिए, इस संबंध में प्रपत्र में कोई और संशोधन आवश्यक नहीं है।"

मंत्रालय के उत्तर के अनुसार, बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों पर कटौती का दावा करते समय रिटर्न में उधारकर्ताओं के पैन का प्रकटीकरण अनिवार्य है। यद्यपि, लेखापरीक्षा में ऐसे मामले पाए हैं जहाँ आयकर रिटर्न में उधारकर्ताओं के विवरण का प्रकटीकरण किए बिना ही अशोध्य ऋणों पर कटौती की अनुमति दी गई। इसलिए, मंत्रालय उन उधारकर्ताओं के विवरण अनिवार्य रूप से एकत्र करने और सत्यापित करने के लिए एक तंत्र तैयार करने पर पुनर्विचार करे जिनके लिए निर्धारण के दौरान बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों पर कटौती की अनुमति है।

4.3.3 संशोधित रिटर्न जमा करते समय संशोधित कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जमा करने के लिए अधिनियम में प्रावधान का अभाव

धारा 44एबी उन शर्तों से संबंधित है जिनके अंतर्गत कुछ करदाताओं के लिए कर लेखापरीक्षा अनिवार्य हो जाता है। कर लेखापरीक्षा, वित्तीय अभिलेख की सटीकता को सत्यापित करने एवं धोखाधड़ी अथवा कर चोरी से बचने के लिए आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत एक पेशेवर सनदी लेखाकार (सीए) द्वारा निर्धारिती के लेखा पुस्तकों की एक प्रति परीक्षण है। टीएआर में सीए द्वारा पहले प्रमाणित किसी भी मद के संशोधित आईटीआर में कोई भी बदलाव पुनः प्रमाणित करने की आवश्यकता है, और संशोधित टीएआर को संशोधित आईटीआर के साथ होना चाहिए। हालांकि, अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि संशोधित टीएआर के साथ संशोधित आईटीआर दायर किया जाना चाहिए। हालांकि, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(9) में नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, एक आईटीआर को दोषपूर्ण माना जाएगा जब तक कि धारा 44एबी के अनुसार टीएआर साथ प्रदत्त न हो। आईटीआर संशोधित होने पर टीएआर में संशोधन न करने के परिणामस्वरूप निर्धारिती को कटौतियों की गलत अनुमति दी गई।

गुजरात क्षेत्र में, लेखापरीक्षा ने 66 लेखापरीक्षित मामलों में से दो मामलों में यह पाया कि मूल रिटर्न में लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित राशियों को संशोधित रिटर्न जमा करके संशोधित किया गया था। यद्यपि, प्रपत्र 3सीडी प्रतिवेदन को संशोधित नहीं किया गया था, जैसा कि निम्न तालिका 4.11 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.11: उन मामलों का विवरण जहां प्रपत्र 3सीडी को संशोधित नहीं किया गया, तथापि संशोधित आईटीआर में दावों को बदल दिया गया था **(₹ करोड़ में)**

क्रमांक	पीसीआईटी प्रभार	बैंक/ एनबीएफसी का नाम	निर्धारण वर्ष	दावे की प्रकृति	मूल रिटर्न और प्रपत्र 3सीडी प्रतिवेदन में प्रमाणित गैर-अनुमत व्यय	संशोधित आईटीआर में गैर-अनुमत व्यय	लेखापरीक्षा के अनुसार गैर-अनुमत राशि
1.	पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	ए6	2015-16	धारा 14ए के अंतर्गत अस्वीकृति	3.51	1.16	2.35
2.	पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एच10	2017-18	धारा 80 जेजेएए के अंतर्गत कटौती	शून्य	32.75	32.75
योग							**35.10**

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, ₹ 35.10 करोड़ के अतिरिक्त दावे को अस्वीकृत किया जाना आवश्यक था; अस्वीकृत करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 12.13 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया है।

एक उदाहरणात्मक मामले पर की गई चर्चा निम्न है।

बॉक्स 4.7: संशोधित रिटर्न जमा करते समय संशोधित कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जमा करने के लिए अधिनियम में प्रावधान न होने का उदाहरणात्मक प्रकरण

प्रभार: पीसीआईटी-1 अहमदाबाद
निर्धारिती: एच10
निर्धारण वर्ष: 2017-18

दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 1,063.53 करोड़ की आय पर निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने मार्च 2019 में संशोधित रिटर्न जमा करके धारा 80जेजेएए[31] के अंतर्गत ₹ 32.75 करोड़ की कटौती का दावा किया था। हालाँकि, निर्धारिती ने धारा 80जेजेएए के अंतर्गत कटौती के संशोधित दावे की पात्रता प्रमाणित करने के लिए कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संशोधित नहीं किया। इस प्रकार, संशोधित रिटर्न त्रुटिपूर्ण थी और इसे धारा 139(9) के अंतर्गत अमान्य माना जाना आवश्यक था, और धारा 80जेजेएए के अंतर्गत निर्धारिती के दावे को अस्वीकार किया जाना था।

[31] आयकर अधिनियम की धारा 80जेजेएए, वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा 01.04.2017 से प्रभावी, तीन निर्धारण वर्षों के लिए पिछले वर्ष में ऐसे व्यवसाय की लागत में किए गए अतिरिक्त कर्मचारी लागत के 30 *प्रतिशत* की राशि की कटौती प्रदान करती है।

फरवरी 2022 में डीसीआईटी सर्किल 2(1)(1) अहमदाबाद को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से अवगत कराया गया। डीसीआईटी ने समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि उन मामलों में प्रपत्र 3सीडी को संशोधित करने की आवश्यकता है जहाँ मूल प्रपत्र 3सीडी में प्रमाणित छूट और कटौतियों के किसी भी दावे को बाद में संशोधित रिटर्न में बदल दिया गया हो। जुलाई 2025 में मंत्रालय ने उस लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जिसमें कहा गया था कि लेखापरीक्षा आपत्ति इस आधार पर उठाई गई है कि आयकर रिटर्न में दावा करने के लिए निर्धारिती द्वारा कोई संशोधित कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जमा नहीं की गई थी। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139(9) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो निर्धारिती को संशोधित आकार रिटर्न जमा करने पर संशोधित का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जमा करने के लिए बाध्य करता हो। यह तथ्य लेखापरीक्षा द्वारा की गई अनुशंसा से भी स्पष्ट होता है, अर्थात सीबीडीटी संशोधित आयकर रिटर्न जमा करते समय संशोधित कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जमा करना अनिवार्य कर सकता है, जब भी संशोधित रिटर्न में कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रमाणित राशियों के संशोधन/सुधार की मांग की गई हो। *मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि निर्धारितीने संशोधित आकार रिटर्न में धारा 80जेजेएए के अंतर्गत कटौती के दावे को संशोधित किया है, जिसे पुनः प्रमाणित करने की आवश्यकता है, और संशोधित दावे के लिए संशोधित कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जमा करना आवश्यक है। संशोधित आयकर रिटर्न जमा करते समय संशोधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का जमा करना अनिवार्य बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण लेखापरीक्षा में प्राप्त होने की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)।*

अनुशंसा:

सीबीडीटी संशोधित आयकर रिटर्न जमा करते समय, जब भी संशोधित रिटर्न में कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रमाणित राशि में संशोधन/सुधार की मांग की जाती है, संशोधित कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जमा करना अनिवार्य कर सकता है।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2024) कि, "यह सुझाव विचाराधीन है क्योंकि इसमें उस परिवर्तन के विश्लेषण की आवश्यकता है जिसे संशोधित रिटर्न में मांगा जा सकता है।"

इस संबंध में कृत कार्रवाई का विवरण लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

4.4 दावों/ कटौतियों की अनुमतता में पाई गईं विसंगतियां

4.4.1 खंडावधि के ब्याज की अनुमति के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत दृष्टिकोण

सरकारी प्रतिभूतियों जैसे ऋण उपकरणों, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी बांड सम्मिलित हैं, पर आवधिक ब्याज भुगतान होता है, जो अधिकतर अर्धवार्षिक होता है। इन प्रतिभूतियों को वर्ष के दौरान किसी भी समय खरीदा अथवा बेचा जा सकता है क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से व्यापार पात्र हैं। ब्याज केवल प्रतिभूति के धारक को ब्याज भुगतान की तिथि पर देय होता है। खंडावधि का ब्याज (बीपीआई) किसी बैंक द्वारा प्रतिभूतियों की विक्रय अथवा क्रय के समय क्रमशः प्राप्त या भुगतान किया जाने वाला ब्याज है। जब कोई प्रतिभूति मध्य वर्ष में की जाती है, तो क्रय की तिथि तक अर्जित ब्याज एक निश्चित राशि होती है जिसकी प्रतिपूर्ति विक्रेता को की जाती है। ब्याज राशि निश्चित होती है और इसका बाजार स्थितियों से कोई संबंध नहीं होता है। जहां सरकारी प्रतिभूतियों का क्रेता खंडावधि का ब्याज चुकाएगा, वहीं विक्रेता को खंडावधि का ब्याज प्राप्त होगा।

माननीय बंबई उच्च न्यायालय ने अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन [2002][32] के मामले में खंडावधि के ब्याज पर कटौती का दावा स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की कि निर्धारिती की लेखांकन पद्धति के कारण विभाग को कर राजस्व में कोई हानि नहीं हुई। न्यायालय ने यह भी माना कि आयकर अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत खंडावधि की आय का निर्धारण करने के पश्चात, विभाग को खंडावधि के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती की अनुमति देनी चाहिए थी। मुंबई उच्च न्यायालय ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम सीआईटी-2 मुंबई के मामले में आयकर अपील संख्या 330/2012[33] में अपने 23 जुलाई 2014 के आदेश के माध्यम से भी ऐसा ही निर्णय दिया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिटीबैंक एनए[34] (अगस्त 2008) के मामले में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन बनाम सीआईटी (258 आईटीआर 601) (2002) के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय पर सहमति व्यक्त की और विभाग की अपील को खारिज कर दिया।

सीबीडीटी ने अधिनियम की धारा 145(2) के अंतर्गत 10 आय गणना और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस) अधिसूचित किए हैं, जो निर्धारण वर्ष 2017-18 से लागू हैं। आईसीडीएस VIII

---

[32] अमेरिकन ऐक्स्प्रैस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन बनाम सीआईटी (258 आईटीआर 601) [2002]

[33] *स्रोत: एच4 का निर्धारण फ़ोल्डर, निर्धारण वर्ष 2018-19*

[34] सिटीबैंक एनए सिविल अपील संख्या 1549/2006 दिनांक 12.8.2008 में

के भाग बी के पैरा 3 में कहा गया है कि प्रतिभूतियों को आरबीआई द्वारा जारी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकृत, मान्यता प्राप्त और आँके जाएंगें। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा प्रतिधारित निवेशों को 'परिपक्वता के लिए धारित' (एचटीएम), 'विक्रय के लिए उपलब्ध' (एएफएस) और 'व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)' में वर्गीकृत किया गया है। बैंकों के मामले में, सरकारी प्रतिभूतियों को, चाहे एचटीएम, एएफएस या एचएफटी के रूप में प्रतिधारित किया गया हो, बैंक द्वारा व्यापार में स्टॉक के रूप में माना जाता है। आरबीआई के दिशानिर्देश यह प्रदान करते हैं कि प्रतिभूतियों के क्रय पर भुगतान किए गए खंडावधि के ब्याज को लाभ और हानि लेखा में डेबिट किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में 22 ऐसे मामले संज्ञान में आएं हैं जहां विभाग ने निर्धारण वर्ष 2017-18 और निर्धारण वर्ष 2018-19 में खंडावधि के ब्याज को अस्वीकृत कर दिया, जैसा कि निम्न तालिका 4.12 और इस प्रतिवेदन के ***अनुलग्नक 4.8*** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

तालिका 4.12: निर्धारण में अस्वीकृत खंडावधि ब्याज का विवरण **(₹ करोड़ में)**

क्र.सं.	क्षेत्र	बैंकों	मामलों की संख्या	निर्धारण वर्ष	खंडावधि ब्याज की राशि अस्वीकृत/ अनुमति प्राप्त
1	मुंबई	निजी बैंक/सार्वजनिक बैंक	22	2017-18 से 2018-19	**10,515.83 (अस्वीकृत)**
2	मुंबई	निजी बैंक*	2	2017-18 से 2018-19	डेटा उपलब्ध नहीं[35] (अनुमत)
कुल			**24**		**10,515.83**

(*नोटः उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 2 में उल्लेखित एक निजी बैंक के दो मामलों के संबंध में, निर्धारण के दौरान खंडावधि के ब्याज के लिए कटौती की अनुमति दी गई थी)। ***(अनुलग्नक 4.8 देखें)***

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि लेखापरीक्षा में जाँचे गए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के 220 नमूना मामलों में से 22 में, विभाग ने निर्धारण वर्ष 2017-18 और निर्धारण वर्ष 2018-19 में खंडावधि के ब्याज के मामले पर ₹ 10,515.83 करोड़ की राशि की वृद्धि की और उसे अस्वीकृत कर दिया। इनमें से कुछ मामले अपीलीय चरणों में लंबित हैं। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एक निजी बैंक के दो मामलों में खंडावधि के ब्याज के लिए कटौती की अनुमति दी गई थी।

---

35 जैसा कि निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए निर्धारण में दावों की अनुमति देते समय लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा खंडावधि के ब्याज की राशि का विवरण नहीं मांगा गया था, इसलिए खंडावधि के ब्याज (बीपीआई) के लिए किए गए दावे की वास्तविक राशि, जिसे लाभ और हानि लेखा के 'व्यय किए गए ब्याज' मद के अंतर्गत एक संयुक्त राशि (जमा पर ब्याज, रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक और अन्य पर ब्याज) के रूप में डेबिट किया गया था और बीपीआई के रूप में अलग से दावा नहीं किया गया था, उपलब्ध अभिलेख से पता नहीं लगाया जा सका।

नीचे दो उदाहरणात्मक मामलों पर चर्चा की गई है।

बॉक्स 4.8: खंडावधि के ब्याज की अनुमति के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत रुख

(ए) प्रभार: पीसीआईटी-2, मुंबई

निर्धारिती: मेसर्स 14

निर्धारण वर्ष: 2017-18 और 2018-19

नवंबर 2021 में, निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण, निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 हेतु क्रमशः ₹ 7,400.07 करोड़ और ₹ 10,184.37 करोड़ की आय पर पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 हेतु निर्धारिती के दावे को स्वीकार करते हुए, खंडावधि ब्याज में कोई वृद्धि नहीं की गई। अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन[36] [2002] में बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने बैंक को निर्धारण वर्ष 1995-96 से 2000-01 तक के लिए खंडावधि ब्याज की अनुमति दी थी। निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिए निर्धारिती के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अक्टूबर 2019 को इस मामले पर विभाग[37] द्वारा दायर एसएलपी(सी) 19414/2018 को खारिज कर दिया।

खंडावधि ब्याज की अनुमति के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को फरवरी 2022 में पीसीआईटी-2, मुंबई को सूचित किया गया था। पीसीआईटी-2, मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (मार्च 2022) कहा कि खंडावधि ब्याज के लिए कटौती की अनुमति न्यायिक अधिमान के माध्यम से निर्धारिती बैंकों के पक्ष में तय की जाती है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

(बी) प्रभार: पीसीआईटी-2, मुंबई

निर्धारिती: मेसर्स एस8

निर्धारण वर्ष : 2017-18 और 2018-19

निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 हेतु निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण मार्च 2019 और मार्च 2020 में क्रमशः ₹ 33,126.08 करोड़ और ₹ 15,425.61 करोड़ की आय पर पूर्ण किए गए। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि बम्बई उच्च न्यायालय ने अमेरिकन एक्सप्रेस

---

[36] अमेरिकन ऐक्स्प्रैस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन बनाम सीआईटी (258 आईटीआर 601) [2002]

[37] स्रोत: निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आईसीआईसीआई बैंक का निर्धारण आदेश।

इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन के निर्णय के अनुसरण में, निर्धारण वर्ष 1996-97 के लिए निर्धारिती के पक्ष में खंडावधि के ब्याज की अनुमति के मामले पर निर्णय दिया। लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2017-18 (मार्च 2019) और निर्धारण वर्ष 2018-19 (मार्च 2020) के कर निर्धारण आदेशों से पाया[38] कि निर्धारिती के पक्ष में मामला पहले ही निपट जाने के बाद भी निर्धारिती को खंडावधि का ब्याज देने से मना कर दिया गया।

खंडावधि के ब्याज की अनुमति के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को फरवरी 2022 में पीसीआईटी-2, मुंबई को सूचित किया गया था। पीसीआईटी-2, मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (मार्च 2022) कहा कि खंडावधि के ब्याज के लिए कटौती की अनुमति न्यायिक अधिमान के माध्यम से निर्धारिती बैंकों के पक्ष में तय की जाती है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण वर्ष 2017-18 से प्रतिभूतियों पर आय गणना और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस)-VIII के कार्यान्वयन के साथ, और सिटीबैंक एनए[39] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के ध्यानार्थ यह माना गया कि प्रतिभूतियों के क्रय पर भुगतान किया गया खंडावधि का ब्याज कटौती के रूप में स्वीकार्य है।

दिसंबर 2020 में, खंडावधि के ब्याज की अनुमतता के लिए असंगत दृष्टिकोण का मामला विभाग के संज्ञान में लाया गया। पीसीआईटी-2, मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (जून 2021 और मार्च 2022) कि खंडावधि का ब्याज बैंकों के पक्ष में एक सुलझा हुआ मुद्दा था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2019 में एक निजी बैंक के मामले में विभाग की अपील खारिज कर दी थी। विभाग ने यह भी कहा कि चूँकि मामला अब निर्धारित हो गया है, इसलिए भविष्य में आगामी मुकदमेबाज़ी से बचने के लिए सभी बैंक मामलों में एकसमान प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

---

[38] 12 फरवरी 2019 को निर्धारिती के प्रस्तुतीकरण पर आधारित निर्धारण आदेश।

[39] सिटीबैंक एनए सिविल अपील संख्या 1549/2006 दिनांक 12.8.2008 में

4.4.2 एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत प्रतिधारित प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए अधिमूल्य के परिशोधन की कटौती की अनुमति के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत दृष्टिकोण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों[40] के पैरा 2.1 में यह निर्धारित किया गया है कि बैंकों द्वारा परिपक्वता तक प्रतिधारित के आशय से प्राप्त प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। बैंकों को अपने कुल निवेश के 25 *प्रतिशत* तक एचटीएम श्रेणी में निवेश सम्मिलित करने की अनुमति है, और इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश पर चुकाए गए अधिमूल्य को बैंक की लेखा पुस्तकों में परिपक्वता अवधि के दौरान परिशोधित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, माननीय बंबई उच्च न्यायालय[41] ने यह माना है कि एचटीएम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर चुकाए गए अधिमूल्य का परिशोधन एक स्वीकार्य कटौती है।

निर्धारण वर्ष 2017-18 और निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए विभिन्न बैंकों के निर्धारण आदेशों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि विभाग ने एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत प्रतिधारित प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए अधिमूल्य के परिशोधन की कर पात्रता पर असंगत रुख अपनाया है, जबकि कुछ मामलों में विभाग ने कटौती के उक्त दावे को अस्वीकार कर दिया था, जबकि अन्य मामलों में कटौती की अनुमति दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के 220 मामलों में से 51 मामलों में, विभाग ने नि.व. 2017-18 से 2019-20 तक 33 मामलों के लिए एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत प्रतिधारित प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए अधिमूल्य के परिशोधन को अस्वीकृत कर दिया था, जिसकी राशि ₹ 4,624.73 करोड़ थी, जबकि बैंकों के 18 मामलों में, निर्धारण के दौरान ₹ 802.33 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई थी जैसा कि ***अनुलग्नक 4.9*** और निम्न तालिका 4.13 में दर्शाया गया है।

---

40 आरबीआई मुख्य परिपत्र - बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, निर्धारण और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड दिनांक 01.07.2014

41 सीआईटी बनाम एचडीएफसी बैंक लिमिटेड [2014] 49 टैक्समैन.कॉम 335 (बम्बई) के मामले में

तालिका 4.13: एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत प्रतिधारित प्रतिभूतियों पर अनुमत/अस्वीकृत अधिमूल्य का विवरण					
क्र.सं.	**क्षेत्र**	**बैंक/एनबीएफसी**	**मामलों की संख्या**	**निर्धारण वर्ष**	**अधिमूल्य के परिशोधन की राशि (अनुमति/ अस्वीकृत) (₹ करोड़ में)**
1	मुंबई	निजी बैंक	12	2017-18 से 2018-19	756.72 (अस्वीकृत)
		सार्वजनिक बैंक	10	2017-18 से 2018-19	3,535.37 (अस्वीकृत)
2	चेन्नई	निजी बैंक	13	2017-18 से 2019-20	385.18 (अनुमत)
		सार्वजनिक बैंक	5	2017-18 से 2019-20	417.15 (अनुमत)
3	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	9	2017-18 से 2019-20	175.52 (अस्वीकृत)
4	कोलकाता	सार्वजनिक बैंक	2	2017-18 से 2018-19	157.12 (अस्वीकृत)
स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख					***(अनुलग्नक 4.9 देखें)***

नि.व. 2013-14 से 2016-17 से संबन्धित ***अनुलग्नक 4.9*** और नीचे दी गई तालिका 4.14 में सूचीबद्ध 15 मामलों में से, विभाग ने दिल्ली क्षेत्र के छः मामलों में ₹ 608.89 करोड़ की कटौती को अस्वीकार कर दिया तथा चेन्नई और कोलकाता क्षेत्रों के नौ मामलों में कटौती की अनुमति दी।

तालिका 4.14: निर्धारण वर्ष 2017-18 से पहले के निर्धारण वर्षों से संबंधित मामलों का विवरण					
क्र.सं.	**क्षेत्र**	**बैंक/एनबीएफसी**	**मामलों की संख्या**	**निर्धारण वर्ष**	**अधिमूल्य के परिशोधन की अनुमत/ अस्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)**
1	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	6	2013-14 से 2016-17	608.89 (अस्वीकृत)
2	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	4	2015-16 से 2016-17	328.09 (अनुमत)
		निजी बैंक	3	2015-16 से 2016-17	39.83 (अनुमत)
3	कोलकाता	सार्वजनिक बैंक	2	2015-16 से 2016-17	312.28 (अनुमत)
स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख					***(अनुलग्नक 4.9 देखें)***

प्रतिउत्तर में, पीसीआईटी-2, मुंबई ने कहा (जून 2022) कि यह प्रकरण सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है और परिशोधन राशि की गणना आम तौर पर विभिन्न निर्धारण वर्षों में विस्तीर्ण होती है। पीसीआईटी ने सुझाव दिया कि इस मामले पर बैंकों से सटीक और सही

प्रकटीकरण प्राप्त करने के लिए, इन निवेशों से संबंधित सूचना और गणनाओं को बैंकों की कर लेखापरीक्षा रिपोर्टों के साथ-साथ आयकर रिटर्न का भी भाग बनाया जाना चाहिए।

तमिलनाडु में क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित समापन बैठक (जनवरी 2023) में, विभाग ने कहा कि एचटीएम निवेश पर अधिमूल्य पूंजीगत प्रकृति का है और इसे परिशोधित नहीं किया जा सकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

4.4.3 निवेश के मूल्य में कमी के लिए कटौती की अनुमति के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत दृष्टिकोण

सीबीडीटी के 24.04.1991 के परिपत्र में स्पष्ट किया गया कि बैंकों द्वारा प्रतिधारित प्रतिभूतियों को उनके विक्रय माल के रूप में माना जाना चाहिए, और यदि लेखा पुस्तकों में डेबिट किया जाता है तो हानि के दावे को तदनुसार अनुमति दी जाएगी। इस परिपत्र को जुलाई 1991 में वापस ले लिया गया और सीबीडीटी ने उत्तरावर्ती परिपत्र दिनांक 05.10.1993 में स्पष्ट किया कि इस संबंध में समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए, निर्धारण अधिकारी (एओ) को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या किसी विशेष प्रतिभूति में विक्रय माल या निवेश है। सीबीडीटी ने अपने परिपत्र संख्या 17/2008 दिनांक 16.10.2008 के अंतर्गत अन्य बातों के साथ यह निर्देश दिया कि बैंकों द्वारा निवेश मूल्य में कमी के संबंध में किसी भी दावे की अनुमति देने के लिए आरबीआई के नवीनतम दिशानिर्देशों का संदर्भ दिया जाए। इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 2017-18 से आईसीडीएस की प्रयोज्यता के साथ, "प्रतिभूतियों" पर आईसीडीएस-VIII में कहा गया है कि प्रतिभूतियों को इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकृत, मान्यता प्राप्त और आँका जाएगा और उक्त दिशानिर्देशों से अधिक कटौती के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों[42] के अनुसार, ट्रेडिंग के लिए धारित और विक्रय के लिए उपलब्ध श्रेणियों के अलग-अलग शेयरों का निर्धारण तिमाही या उससे अधिक अंतराल पर बाज़ार मूल्य पर किया जाएगा। इनका निर्धारण शेयर के अनुसार किया जाएगा और निवेशों के निवल मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि की गणना करने के लिए प्रत्येक वर्गीकरण के लिए

[42] मुख्य परिपत्र - बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, निर्धारण और संचालन हेतु विवेकपूर्ण मानदंड, दिनांकित 01.07.2014

मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि को जोड़ा जाएगा। निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाएगा और यदि कोई निवल मूल्यवृद्धि हो, तो उसे नज़रअंदाज़ कर दिया जाएगा।

निवेश पर मूल्यह्रास के लिए कटौती की अनुमति का मामला पूरे भारत में मुकदमेबाज़ी का विषय रहा है। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक बैंक लिमिटेड[43] के मामले में फैसला सुनाया कि निर्धारिती ने भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के अनुसार लेखा व्यवस्थित किए थे, और इसे दो दशकों से अधिक समय से विक्रय माल के रूप में लेखा पुस्तकों में निवेश के रूप में दिखाया गया था और दावे के अनुसार मूल्यह्रास की अनुमति थी। न्यायालय ने माना कि वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का निर्धारण करते समय, बैंक को शेयरों के बाज़ार मूल्य को ध्यान में रखना होगा, और यदि बाज़ार मूल्य लागत मूल्य से कम है, तो बैंक कटौती का हकदार है, जिससे कर अधिकारी नकार नहीं सकते। उपरोक्त निर्णय का पालन बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा मेसर्स एचडीएफसी बैंक[44] के मामले में भी किया गया था।

लेखापरीक्षा ने तमिलनाडु में यह पाया कि 75 चयनित निर्धारितीओं (12 बैंक और 63 एनबीएफसी, जिनमें 199 कर निर्धारण मामले सम्मिलित हैं) में से, 15 कर निर्धारण मामलों वाले छह निर्धारिती-बैंकों के निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास के दावों को कर निर्धारण के दौरान दो प्रमुख आधारों पर अस्वीकार कर दिया गया था: (i) आरबीआई के दिशानिर्देश आयकर अधिनियम 1961 के अनिवार्य प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकते, और (ii) निर्धारिती की ओर से यह स्थापित करने में विफलता कि मूल्यह्रास के दावों की गणना वर्गीकरण के अनुसार मूल्यह्रास और शेयर-वार समग्र मूल्यवृद्धि को घटाकर की गई है। विवरण निम्न ***अनुलग्नक 4.10*** और तालिका 4.15 में दिए गए हैं।

तालिका 4.15: निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास की कटौती की अनुमति के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत रुख **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	क्षेत्र	बैंक/ एनबीएफसी	मामलों की संख्या	निर्धारण वर्ष	निवेश पर दावा किया गया मूल्यह्रास	निवेश पर मूल्यह्रास की अनुमति	निवेश पर मूल्यह्रास अस्वीकृत
1	चेन्नई	निजी बैंक	9	2016-17 से 2019-20	481.87	356.92	124.95
2		सार्वजनिक बैंक	6	2017-18 से 2019-20	3,422.14	1,978.67	1,443.47
		कुल	**15**		**3,904.01**	**2,335.59**	**1,568.42**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख *(अनुलग्नक 4.10 देखें)*

43 कर्नाटक बैंक लिमिटेड बनाम सहायक सीआईटी मैंगलोर (2013) 356 आईटीआर 549 (कर्नाटक):

44 [2014] 49 टैक्समैन.कॉम 335 (बम्बई)

निवेश के निर्धारण के संबंध में विभाग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन न करने और अनुवर्ती अस्वीकृति के परिणामस्वरूप लंबी और परिहार्य अपील मुकदमेबाज़ी हो सकती है।

नीचे एक उदाहरणात्मक मामले पर चर्चा की गई है:

बॉक्स 4.8क: निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास की कटौती की अनुमति पर उदाहरणात्मक मामला

प्रभार: पीसीआईटी-1, चेन्नई

निर्धारिती: मेसर्स 19

निर्धारण वर्ष: 2017-18, 2018-19 और 2019-20

निर्धारिती ने क्रमशः निर्धारण वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए निवेश में कमी/मूल्यह्रास के लिए ₹ 102.06 करोड़, ₹ 314.88 करोड़ और ₹ 1,128.59 करोड़ की कटौती का दावा किया था। निर्धारण वर्ष 2017-18 के निर्धारण के दौरान निवेश मूल्य में कमी को दर्शाने वाली राशि की अनुमति दी गई थी। निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए जांच के दौरान मेसर्स टीएन पावर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड [2006][45] के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए दावे को खारिज कर दिया गया था, जिसमें यह माना गया था कि आरबीआई के निर्देश अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। नि.व. 2019-20 के लिए, निर्धारिती द्वारा दावा की गई पूरी कटौती को भी इस आधार पर संवीक्षा निर्धारण में अस्वीकार कर दिया गया था कि निर्धारिती ने कोई संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण वर्ष 2018-19 में दावे को अस्वीकार करने के लिए उपर्युक्त आदेश इस मुद्दे से संबंधित था कि क्या लाभ-हानि लेखा में डेबिट किए गए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के प्रावधान, जो पूँजीगत प्रकृति के हैं, धारा 36(i)(vii) के अंतर्गत स्पष्टीकरण के अनुसार कटौती के पात्र थे। उपरोक्त आदेश निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए कटौती की अनुमति के मुद्दे से संबंधित है। निर्धारण वर्ष 2017-18 से लागू प्रतिभूतियों पर आईसीडीएस-VIII यह निर्धारित करता है कि आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान किया गया मूल्यह्रास एक पात्र कटौती है। इसलिए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन किया गया है, उपरोक्त दावे की जाँच आवश्यक थी।

45 *टीएन पावर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड 2006-टीआईओएल-112-एचसी-एमएडी-आईटी[2006]*

इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी ने परिपत्र संख्या 10/2017 के अंतर्गत अपने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)-2 में कहा है कि आईसीडीएस को पिछले न्यायिक निर्णयों और उदाहरणों पर विचार करने के पश्चात लागू किया गया था। इसलिए, पिछले न्यायिक निर्णयों पर भरोसा करना सीबीडीटी परिपत्र के अनुरूप नहीं है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को डीसीआईटी कॉर्पोरेट सर्किल 1(1) चेन्नई को सितंबर 2019 में सूचित किया गया था। निर्धारण वर्ष 2017-18 के संबंध में, डीसीआईटी ने उत्तर दिया (मई 2022) कि लेखापरीक्षा बिंदु पर विचार किया गया था, और धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण पूरा हो गया था (मार्च 2022), लेकिन पुन:निर्धारण आदेश में कोई अस्वीकृति नहीं दी गई थी। अनुस्मारक (दिसंबर 2024) जारी करने के बाद भी, निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 के संबंध में डीसीआईटी का उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025) है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित (जनवरी 2023) समापन बैठक में, आयकर विभाग, तमिलनाडु के विभागीय अधिकारियों ने बताया कि निवेश पर मूल्यह्रास के लिए कटौतियों की अनुमति का मुद्दा सुलझा हुआ है और आयकर अधिनियम के प्रावधानों में कोई विसंगति नहीं है। लेखापरीक्षा ने स्पष्ट किया कि ऐसे दावों को विनियमित करने में निर्धारण अधिकारियों द्वारा अलग-अलग रुख अपनाया गया है- कुछ निर्धारण वर्षों में दावों को अनुमति दी गई जबकि अन्य कर निर्धारण वर्षों में अस्वीकृत कर दिया गया।

अनुशंसा:

सीबीडीटी, आय गणना एवं प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस)-VIII के कार्यान्वयन के होने के बाद, दीर्घकालीन मुकदमेबाज़ी से बचने के लिए, निर्धारण वर्ष 2017-18 से, खंडावधि के ब्याज की अनुमति, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए अधिमूल्य के परिशोधन, और निवेश पर कमी को कटौती के रूप में अनुमतता के संबंध में स्पष्टीकरण दे सकता है। सीबीडीटी, समान परिस्थितियों में एक ही कानून की प्रयोज्यता में महत्वपूर्ण भिन्नताओं के कारणों की जाँच करे और विशेष रूप से संवीक्षा निर्धारण के दौरान, एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारण अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी कर सकता है।

मंत्रालय ने अपने प्रतिउत्तर (नवंबर 2024) में कहा है कि अनुशंसा की जांच की जा रही है।

इस संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई/ कृत कार्रवाई आगामी लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित होगी।

4.4.4 सीएसआर व्यय के लिए कटौती की अनुचित अनुमति

निर्धारण वर्ष 2015-16 से धारा 37(1) के अंतर्गत स्पष्टीकरण 2 को सम्मिलित किया गया है, जिसके अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित गतिविधियों पर निर्धारिती द्वारा किया गया कोई भी व्यय, व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा किया गया व्यय नहीं माना जाएगा।

वित्त अधिनियम के व्याख्यात्मक ज्ञापन (सं. 2) 2014 के अनुसार, सीएसआर का उद्देश्य एक सीमा से अधिक निवल मूल्य/आवर्त/लाभ वाली कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक सेवाओं के सरकारी भार को साझा करना था। यदि ऐसे व्ययों को दान माना जाता है और आयकर अधिनियम की धारा 80जी या किसी अन्य धारा के अंतर्गत दान या कर उद्देश्यों के लिए किसी अन्य लाभ के लिए लागू लाभ की अनुमति दी जाती है, तो इससे सरकार द्वारा कर प्रभाव की सीमा तक सीएसआर व्यय को सहायिकी दी जाएगी। इसलिए, सीएसआर व्यय पर धारा 80जी के अंतर्गत कटौती की अनुमति देने से इसे व्यावसायिक व्यय के रूप में अनुमति न देने की विधायिका की मंशा विफल हो जाएगी।

आयकर अधिनियम, 1961 में दान जैसे सीएसआर व्ययों के लिए धारा 80जी के अंतर्गत कटौती की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। लेखापरीक्षा जाँच से यह पता चला है कि धारा 37 के प्रावधानों के अंतर्गत अस्वीकृत सीएसआर व्ययों के बदले धारा 80जी के अंतर्गत कटौती का दावा किया गया था। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी ने भी इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

लेखापरीक्षा ने 2,378 मामलों में से 66 ऐसे उदाहरण देखे, जहां धारा 37 के अंतर्गत अस्वीकृत सीएसआर व्यय के लिए धारा 80जी के अंतर्गत वैकल्पिक रूप से कटौती का दावा किया गया था, तथापि आयकर अधिनियम, 1961 में दान के रूप में ऐसी कटौती की अनुमति का प्रावधान नहीं है, जैसा कि ***अनुलग्नक 4.11*** और नीचे तालिका 4.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.16: धारा 80जी के अंतर्गत अनुमत सीएसआर व्यय **(₹ करोड़ में)**

क्रमांक	क्षेत्र	बैंक/ एनबीएफसी	मामलों की संख्या	कटौती की अनुमत राशि	कर प्रभाव
1	मुंबई	एनबीएफसी	26	131.26	45.29
		निजी बैंक	7	155.72	53.85
2	दिल्ली	एनबीएफसी	14	97.34	34.34

तालिका 4.16: धारा 80जी के अंतर्गत अनुमत सीएसआर व्यय					**(₹ करोड़ में)**
क्रमांक	**क्षेत्र**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**मामलों की संख्या**	**कटौती की अनुमत राशि**	**कर प्रभाव**
3	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	1	5.25	1.81
4	अहमदाबाद	निजी बैंक	2	67.98	23.33
5	कोलकाता	एनबीएफसी	2	6.71	2.09
		विदेशी बैंक	2	21.03	9.1
6	चंडीगढ़	एनबीएफसी	2	0.3	0.14
7	केरल	एनबीएफसी	6	31.44	12.59
		निजी बैंक	4	14.56	5.9
कुल			**66**	**531.59**	**188.44**
स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख					***(अनुलग्नक 4.11 देखें)***

नीचे दो उदाहरणात्मक मामलों पर चर्चा की गई है:

बॉक्स 4.9: उदाहरणात्मक मामले में मामलों का विवरण है जहां सीएसआर व्यय को धारा 80जी के अंतर्गत दान के रूप में दावा किया गया था

(क) प्रभार: पीसीआईटी, कोलकाता-1

निर्धारिती: सी13

निर्धारण वर्ष: 2017-18

निर्धारिती ने 30 अक्टूबर 2017 को शून्य आय के साथ निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न जमा की, जिसका निर्धारण 27 दिसंबर 2019 को धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 9.35 करोड़ की हानि पर किया गया।

निर्धारिती ने लाभ-हानि लेखा में ₹ 6.22 करोड़ का सीएसआर व्यय डेबिट किया, जिसे आय की गणना के समय कर पात्र आय में परिवर्धन था। लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त राशि का दावा अधिनियम की धारा 35एसी[46] के अंतर्गत कटौती के रूप में किया गया था, जिसकी अनुमति विभाग द्वारा दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.22 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.92 करोड़ का संभावित कर प्रभाव पड़ा।

[46] आयकर अधिनियम की धारा 35एसी के अंतर्गत अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अधीन किसी अर्ह परियोजना अथवा योजना को क्रियान्वित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण या राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित किसी संघ और संस्था को किसी राशि के भुगतान के माध्यम से व्यय पर कटौती की अनुमति दी गई है।

फरवरी 2022 में डीसीआईटी सर्किल 7(1) कोलकाता के संज्ञान में यह लेखापरीक्षा अभ्युक्ति लाई गई। डीसीआईटी ने अपने प्रतिउत्तर (फरवरी 2022) में कहा कि वित्त अधिनियम 2014 के व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुसार धारा 35एसी के अंतर्गत सीएसआर व्यय की अनुमति है, जिसके अनुसार, तथापि आयकर अधिनियम की धारा 37(1) के अंतर्गत सीएसआर व्यय की अनुमति नहीं है, लेकिन ऐसे सीएसआर व्यय जो धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति के हैं, इन धाराओं के अंतर्गत कटौती के पात्र होंगे, बशर्ते कि उनमें निर्दिष्ट शर्तें पूरी हों। इस प्रकार, विभाग के अनुसार, धारा 37(1) के संशोधित प्रावधान निर्धारिती कंपनी को धारा 35एसी के अंतर्गत ऐसे व्ययों का दावा करने से नहीं रोकते।

विभाग को एक प्रत्युत्तर जारी किया गया (मार्च 2022) जिसमें कहा गया कि यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विधायिका का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कुछ निर्दिष्ट कंपनियाँ सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने में सरकार के भार को साझा करें और ऐसे व्ययों को आय के अनुप्रयोग के रूप में माना जाए जो कर अर्ह आय की गणना के लिए कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, इसके परिणामस्वरूप सरकार कर व्यय के माध्यम से ऐसे व्ययों का लगभग एक-तिहाई भाग सहायिकी के रूप में वहन करेगी। इसलिए, आयकर अधिनियम की किसी अन्य धारा अथवा शीर्ष के अंतर्गत सीएसआर व्यय की अनुमति देने से अधिनियम की धारा 37(1) में स्पष्टीकरण संख्या 2 को सम्मिलित करने का विधायी उद्देश्य विफल हो जाएगा। अनुस्मारक जारी होने (नवंबर 2024) के बावजूद आगामी उत्तर प्रतीक्षित है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी, सेंट्रल कोच्चि

निर्धारिती: मेसर्स एम8

निर्धारण वर्ष: 2016-17

निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में पूर्ण हुआ, जिससे ₹ 1,878.03 करोड़ आय निर्धारित हुई। इस मामले में, लाभ एवं हानि लेखा में डेबिट किए गए ₹ 14.62 करोड़ के सीएसआर व्ययों को अस्वीकार कर दिया गया और व्यवसाय से आय की गणना में धारा 37(1) के अंतर्गत वापस जोड़ दिया गया। हालांकि, कर अर्ह आय की गणना करते समय, सीएसआर व्ययों के 50 *प्रतिशत* के रूप में ₹ 7.31 करोड़ की राशि का दावा किया गया और मेसर्स एम21 को दिए गए दान के लिए धारा 80जी के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमति दी गई। अभिलेख के अनुसार निर्धारिती ने सीएसआर उद्देश्यों को

प्राप्त करने के लिए एक सीएसआर समिति का गठन किया था और इसकी गतिविधियों को कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के लिए एक चैरिटी फाउंडेशन के माध्यम से किया गया था। चूंकि निर्धारिती ने धारा 80जी से एम21 में निर्धारित कोई स्वैच्छिक योगदान नहीं दिया था, इसलिए धारा 80जी के अंतर्गत अनुमत ₹ 7.31 करोड़ की कटौती क्रम में नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.31 करोड़ की कटौती की अतिरिक्त छूट मिली, जिसमें ₹ 3.36 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को फरवरी 2022 से एसीआईटी सेंट्रल सर्किल (1) कोच्चि के संज्ञान में लाया गया था। मंत्रालय ने (अप्रैल 2025) लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया है जिसमें कहा गया है कि धारा 80जी(2) के उप-खंडों (iiiएचके) और (iiiएचएल) के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों के हिस्से के रूप में स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा कोष में किए गए योगदान धारा 80जी के अंतर्गत कटौती के लिए अनर्ह हैं। हालांकि, यह प्रतिबंध केवल इन दो निर्दिष्ट निधियों पर लागू होता है और अन्य निधियों के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए, उपरोक्त दो निधियों के अलावा, धारा 12ए/12एए के अंतर्गत पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट को सीएसआर व्यय के रूप में किए गए योगदान धारा 80जी के अंतर्गत कटौती के लिए अर्ह रहते हैं। यदि विधायिका का इरादा अन्य धर्मार्थ न्यासों को दिए गए सीएसआर योगदान को भी अस्वीकृत करना था, तो इसे धारा 80जी में स्पष्ट रूप से बताया गया होता। तथापि धारा में इसका कोई बयान उल्लेखित नहीं है। इसके अलावा, माननीय आईटीएटी की कोचीन बेंच ने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मामले में आईटीए संख्या 55/कोच/2021 में 27 अक्टूबर 2022 के अपने आदेश में, एफ़एनएफ़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 05 जनवरी 2021 के अपने पहले के फैसले का हवाला देते हुए, इस मुद्दे पर निर्धारितीके पक्ष में फैसला सुनाया है। *मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, सीएसआर व्यय अनिवार्य हैं और कुछ निर्दिष्ट कॉर्पोरेट्स के लिए स्वैच्छिक नहीं हैं और आगे धारा 37(1) के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार [वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 देखें; लागू प्रपत्र नि.वर्ष [2015-16], ऐसे सीएसआर व्यय व्यावसायिक व्यय के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं। इसलिए, धारा 80जी के अंतर्गत सीएसआर व्ययों को कटौती के तौर पर देना, 2015 के परिपत्र 1 के खंड 13.2 - फाइनेंस (संख्या.2) एक्ट, 2014 के प्रोविज़न्स के व्याख्यात्मक टिप्पणी के अंतर्गत बताए गए विधायिका के अभिप्राय के मुताबिक नहीं है।*

इसे देखते हुए, मंत्रालय/सीबीडीटी सेक्शन 80जी के प्रावधानों में बदलाव करने पर विचार करे ताकि सीएसआर व्यय से किए गए सभी दान के संबंध में कटौती को सीमित किया जा सके।

विभाग ने 62 मामलों में से छह मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है, जबकि 11 मामलों को स्वीकार नहीं किया है, पाँच मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ/पूरी कर ली है और शेष मामलों में उत्तर प्रतीक्षित हैं। लेखापरीक्षा ने यह पाया है कि सीबीडीटी ने वर्ष 2022 के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन[47] संख्या 12 के पैरा 5.5(iv) पर अपने उत्तर (मार्च 2024) में कहा था कि बजट प्रक्रिया के उद्देश्य से धारा 80जी के अंतर्गत कटौती हेतु सीएसआर अंशदान की पात्रता के मुद्दे को जाँच हेतु नोट किया है। हालाँकि, आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुशंसा:

सीबीडीटी आयकर अधिनियम की धारा 80जी या किसी अन्य धारा के अंतर्गत सीएसआर व्यय की कटौती की अनुमतता को स्पष्ट करने पर विचार कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रावधानों की व्याख्या निर्धारण अधिकारी द्वारा समान रूप से की जाए और कर विवादों और संभावित मुकदमेबाज़ी को कम करने के लिए इसके निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा सके।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

4.4.5 प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को परिसंपत्तियों की विक्रय पर लाभ के कराधान के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत रुख

आरबीआई ने बैंकों द्वारा संपीड़ित परिसंपत्तियों की विक्रय के संबंध में दिशानिर्देश[48] और मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में मास्टर निर्देश[49] जारी किए हैं। संपीड़ित ऋण परिसंपत्तियों पर परिसंपत्ति देयता बेमेल से बचने के लिए, बैंक आमतौर पर ऋण (परिसंपत्तियां) एआरसी को बेचते हैं, जो बदले में संपीड़ित ऋण परिसंपत्तियों की वसूली के लिए कदम उठाते हैं। एआरसी प्रतिभूतियों की शीघ्र प्राप्ति में विशेषज्ञता रखते हैं और ऋणदाताओं को उनकी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करने में मदद करते हैं।

एससी/एआरसी को परिसंपत्तियों की विक्रय दो तरीकों से हो सकती है: (i) वास्तविक विक्रय के आधार पर, जिसमें विक्रेता द्वारा सभी संबद्ध जोखिम क्रेता को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं (ii) समनुदेशन के आधार पर, जिसमें उक्त ऋण परिसंपत्तियों से संबद्ध सभी जोखिम समनुदेशिती, अर्थात् निर्धारिती बैंक के पास बने रहते हैं।

---

[47] धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को छूट पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

[48] *बैंकों द्वारा संपीड़ित परिसंपत्तियों पर आरबीआई दिशानिर्देश डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.9/21.04.048/2016-17, दिनांक 01.09.2016*

[49] *आरबीआई मुख्य निर्देश (मानक परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण) 2021, दिनांक 24.09.2021*

बैंकों द्वारा संपीड़ित परिसंपत्तियों को समनुदेशन के आधार पर एआरसी को बेचने पर, बैंकों को आंशिक प्रतिफल नकद के रूप में और शेष राशि सुरक्षा रसीदों के रूप में प्राप्त होती है, जिन्हें निवेश के रूप में दर्शाया जाता है। यदि विक्रय प्रतिफल ऋण लेखा के बही शेष से कम है, तो विक्रय पर हानि होती है, और यदि विक्रय प्रतिफल बही शेष से अधिक है, तो यह परिसंपत्तियों की विक्रय पर लाभ होता है। गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की विक्रय से होने वाले सभी हानियों को विक्रय के वर्ष में लेखा पुस्तकों में तुरंत दर्ज किया जाता है। लेखांकन की इस पद्धति का पालन आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाना बताया गया है।

यद्यपि लेखा पुस्तकों में राजस्व की पहचान की विधि में आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन किया गया था, संपीड़ित परिसंपत्तियों की विक्रय से उत्पन्न आय पर कराधान के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय ने न्यायिक रूप से [2006][50] माना कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश आयकर अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय ने [2002][51] यह भी माना कि ब्याज से आय को अगले वर्षों में विस्तीर्ण नहीं किया जा सकता है, जब निर्धारिती ने लेखा वर्ष में सभी वर्षों के लिए ब्याज प्राप्त करना चुना हो। इसलिए, प्राप्त सुरक्षा रसीदों से संबंधित विचार को भी पूर्ण रूप से आय के रूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे ऋणों के समनुदेशन के समय विक्रय मूल्य पूरी तरह से प्राप्त होता है।

लेखापरीक्षा ने एससी/एआरसी को परिसंपत्तियों की विक्रय पर लाभ के कर निर्धारण में असंगति देखी। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहाँ परिसंपत्तियों की विक्रय पर लाभ को आय के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि कुछ मामलों में, एससी/एआरसी को परिसंपत्तियों की विक्रय पर हुए पूरे हानि का दावा किया गया और उसे कटौती के रूप में स्वीकार किया गया।

लेखापरीक्षा ने 22 मामलों में यह पाया कि कुछ मामलों में प्राप्त प्रतिभूति रसीदों को आय के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था, जबकि अन्य मामलों में, एससी/एआरसी को परिसंपत्तियों की विक्रय पर हुए पूरे हानि का दावा कटौती के रूप में किया गया था और उसे अनुमति दी गई थी। एक मामले में, निर्धारिती बैंक ने स्वयं एक निर्धारण वर्ष के लिए आय की गणना में परिसंपत्तियों की विक्रय पर हुए हानि को वापस जोड़ दिया था, जबकि अन्य निर्धारण वर्षों के

---

50 टीएन पावर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड 2006- टीआईओएल-112-एचसी-एमएडी-आईटी[2006]

51 सीआईटी बनाम ए आर संथाकृष्णन (2002) 252 आईटीआर 18 (मद्रास) के मामले में - मद्रास उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पूरी अवधि के लिए प्राप्त रियायती ब्याज को अगले वर्षों में नहीं बढ़ाया जा सकता, जब निर्धारिती ने लेखा वर्ष के सभी वर्षों के लिए ब्याज प्राप्त करने का विकल्प चुना हो। ब्याज के रूप में प्राप्त राशि के अलावा, निर्धारिती को बाद में ब्याज के रूप में कोई अन्य राशि प्राप्त नहीं होने वाली थी, इसलिए उसे आस्थगित ब्याज माना जा सकता है। इसलिए, वर्ष के अंत में राजस्व के रूप में गैर-मान्य राशि पर कर आरोपित किया जा सकता है।

लिए उसने अलग प्रशोधन अपनाया था जैसा कि बॉक्स 4.10 में दर्शाया गया है। विवरण निम्न ***अनुलग्नक 4.12*** और तालिका 4.17 में दिए गए हैं।

तालिका 4.17: प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) / परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को परिसंपत्तियों की विक्रय पर लाभ/हानि के कराधान के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत रुख

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	बैंक/ एनबीएफसी	मामलों की संख्या	निर्धारण वर्ष	एआरसी को विक्रय पर लाभ पर कर नहीं लगाया जाएगा	एआरसी को विक्रय पर होने वाले हानि को कटौती के रूप में अनुमति दी गई
1	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	8	2013-14 से 2019-20	5,457.71	0.00
		निजी बैंक	8	2015-16 से 2019-20	178.55	1,279.30
		एनबीएफसी	3	2014-15, 2016-17 से 2017-18	85.40	0.00
2	हैदराबाद	एनबीएफसी	1	2017-18	13.60	4.50
3	कोलकाता	सार्वजनिक बैंक	2	2011-12 और 2015-16	192.00	0.00
कुल			**22**		**5,927.26**	**1,283.80**

(अनुलग्नक 4.12 देखें)

नीचे दो उदाहरणात्मक मामलों पर चर्चा की गई है।

बॉक्स 4.10: प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को परिसंपत्तियों की विक्रय पर लाभ के कराधान के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाए गए असंगत रुख पर उदाहरणात्मक मामले

क) प्रभार: पीसीआईटी- कोलकाता-2
निर्धारिती: यू2
निर्धारण वर्ष: 2011-12 और 2015-16

निर्धारण वर्ष 2011-12 और 2015-16 के लिए संवीक्षा निर्धारण क्रमशः फरवरी 2014 और दिसंबर 2017 में पूरे किए गए, जिससे आय ₹ 388.44 करोड़ और ₹ 1,580.37 करोड़ निर्धारित हुई। निर्धारण वर्ष 2011-12 के दौरान, निर्धारिती ने "परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को वित्तीय परिसंपत्तियों की विक्रय पर लाभ" के रूप में ₹ 11.26 करोड़ अर्जित किए, जैसा कि तुलन-पत्र की टिप्पणी 4.3 से देखा जा सकता है। हालाँकि, उक्त राशि को लाभ-हानि लेखा में जमा नहीं किया गया।

निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2011-12 के मामले की जाँच के दौरान अपने निवेदन में कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के अनुसार, परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण पर प्राप्त लाभ को विशेष रूप से प्रतिभूतिकरण पर भविष्य के हानि/प्रावधानों को पूरा करने के लिए आरक्षित निधियों के रूप में रोककर रखा जाना था, इसलिए इसे न तो लाभ-हानि लेखा में जमा किया गया और न ही कर के लिए प्रस्तुत किया गया। चूँकि आयकर अधिनियम में ऐसी किसी भी आय को कर अर्ह आय से बाहर रखने का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने इन लाभों को निर्धारिती की कर अर्ह आय में वापस जोड़ दिया और तदनुसार उन पर कर प्रभारित किया।

निर्धारण वर्ष 2015-16 के दौरान, निर्धारितीने "परिसंपत्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को वित्तीय परिसंपत्तियों की विक्रय पर लाभ" के रूप में ₹ 191.57 करोड़ (तुलन-पत्र का नोट-4.3) अर्जित किए, लेकिन इसे न तो लाभ-हानि लेखा में जमा किया गया और न ही निर्धारिती की उस वर्ष की कर अर्ह आय में जोड़ा गया, जैसा कि निर्धारण वर्ष 2011-12 और निर्धारण वर्ष 2012-13 में किया गया था। "परिसंपत्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को वित्तीय परिसंपत्तियों की विक्रय पर लाभ" के लिए कर निर्धारण में असंगतता के परिणामस्वरूप निर्धारिती की आय का ₹ 191.57 करोड़ का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 65.11 करोड़ का कर प्रभाव हुआ।

मार्च 2022 में डीसीआईटी सर्किल 5(1) कोलकाता को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से अवगत कराया गया। डीसीआईटी सर्किल 5(1) कोलकाता ने अपने उत्तर (अप्रैल 2025) में कहा कि अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत संशोधन का प्रस्ताव नि.व. 2015-16 से संबंधित निर्धारण के लिए प्रस्तुत किया गया है। नि.व. 2011-12 के संबंध में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

ख) प्रभार: पीसीआईटी-1, मदुरै

निर्धारिती: मैसर्स टी3

निर्धारण वर्ष: 2016-17, 2018-19 और 2019-20

तीन निर्धारण वर्ष के लिए संवीक्षा निर्धारण 2016-17, 2018-19 और 2019-20 मार्च 2018, मई 2021 और सितंबर 2021 में पूरे हुए। निर्धारिती ने "एआरसी को परिसंपत्तियों की विक्रय पर हानि" के लिए कटौती का दावा किया, जो तीन निर्धारण वर्षों के लिए आय की गणना में

कुल मिलाकर ₹ 1,069.35 करोड़ था और संवीक्षा निर्धारण में इसकी अनुमति दी गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त हानि एआरसी को समनुदेशन/विक्रय के बिंदु पर स्पष्ट नहीं हुए थे, क्योंकि निपटान का लेखांकन बाद में संबंधित लेखा को बंद करने के समय ही किया जाता है। चूंकि एआरसी को परिसंपत्तियों की विक्रय पर नुकसान बेचे गए एनपीए के संबंध में पहले से बनाए गए प्रावधानों/तकनीकी राइट-ऑफ के अलावा है, ऐसा नुकसान बेचे गए एनपीए के अवशिष्ट राइट-ऑफ को दर्शाता है, जो कटौती धारा 36(1)(vii) के साथ पठित धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत उपलब्ध है। अतः एआरसी को बेची गई परिसंपत्तियों की विक्रय पर हानि का दावा धारा 37 के अंतर्गत कटौती के रूप में मान्य नहीं है। कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 1,069.35 करोड़ की कुल आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 373.05 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति डीसीआईटी सर्किल 2(1), त्रिची को मई 2022 में अवगत कराई गई थी। *अपने प्रतिउत्तर में, विभाग ने (जून 2023) कहा कि बैंक ने ऋण परिसंपत्ति की विक्रय को एआरसी को माना, और उधारकर्ता एआरसी को पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था (बैंक को नहीं)। इसलिए, एआरसी को परिसंपत्तियों की विक्रय एक व्यावसायिक हानि है और धारा 37 के अंतर्गत स्वीकार्य है।*

यह प्रतिउत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संवीक्षा कार्यवाही के दौरान, निर्धारिती ने यह प्रस्तुत किया कि एससी/एआरसी के साथ संव्यवहार "समनुदेशन" आधार पर है, यानी बेचे गए उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण परिसंपत्तियाँ अभी भी उसके लेखा में विद्यमान हैं। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए, बैंक ने स्वयं ₹ 252.76 करोड़ की हानि को अस्वीकार कर दिया और कुल आय में वापस जोड़ दिया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

एससी/एआरसी को परिसंपत्तियों की विक्रय पर हुए निपटान का लेखा-जोखा केवल लेखा बंद करते समय ही किया जाता है, और इसलिए, एआरसी को परिसंपत्तियों की विक्रय पर हुई हानि एआरसी को समनुदेशन/ विक्रय के समय तक स्पष्ट नहीं हुआ है। चूँकि एआरसी को परिसंपत्तियों की विक्रय पर हुई हानि, विक्रय एनपीए के संबंध में पहले से बनाए गए प्रावधानों/तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए, के संबंध में है, इसलिए ऐसी हानि बेचे गए एनपीए के अवशिष्ट बट्टे खाते में डाले जाने का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके लिए धारा 36(1)(vii) के साथ पठित धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती उपलब्ध है। इसलिए, एआरसी को परिसंपत्तियों की विक्रय

पर हुई हानि का दावा धारा 37 के अंतर्गत कटौती के रूप में अर्ह नहीं था और इसे अस्वीकार कर कुल आय में परिवर्धित किया जाए।

अनुशंसा:

सीबीडीटी कर प्रशोधन में एकरूपता सुनिश्चित करने और संभावित राजस्व हानि से बचने के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनियों/परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को परिसंपत्तियों की विक्रय पर होने वाले लाभ/हानि के प्रशोधन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

मंत्रालय ने अपने प्रतिउत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि अनुशंसा की जांच की जा रही है।

इस संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई/कृत कार्रवाई का विवरण लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित होगा (नवंबर 2025)।

4.5 नमूने का व्यावसायिक कोड-वार विश्लेषण

आयकर विभाग ने व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर विशिष्ट व्यावसायिक कोड आवंटित किए हैं, और निर्धारितीको रिटर्न जमा करते समय सही व्यावसायिक कोड का उल्लेख करना आवश्यक है। विभिन्न व्यवसायों को विशिष्ट कोड आवंटित करना उचित निगरानी, संग्रह और प्रासंगिक सूचना के आदान-प्रदान के साथ-साथ निर्धारण के दौरान क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दों के विशेषज्ञ प्रबंधन के लिए आवश्यक है। सीबीडीटी द्वारा निर्धारण वर्ष 2018-19 से व्यावसायिक कोड संशोधित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित कुल 2,463 मामलों के लेखापरीक्षा नमूनों में से, 1,808 मामले निर्धारण वर्ष 2017-18 तक की अवधि से संबंधित थे और 655 नमूने मामले वर्ष 2018-19 के पश्चात के थे, जैसा कि निम्न तालिका 4.18 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

तालिका 4.18: नमूने का व्यवसाय कोड-वार विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2017-18 तक के व्यावसायिक कोड				वित्तीय वर्ष 2018-19 से संशोधित व्यावसायिक कोड			
1	**101**	**2**	विनिर्माण उद्योग (कृषि आधारित)	16	**1001**	**2**	चाय की खेती और निर्माण
2	**107**	**1**	विनिर्माण उद्योग (अभियांत्रिक माल)	17	**4041**	**3**	औषधि (फार्मास्यूटिकल्स) निर्माण
3	**124**	**1**	विनिर्माण उद्योग (अन्य)	18	**4097**	**1**	अन्य विनिर्माण
4	**204**	**16**	व्यापार (अन्य)	19	**7002**	**2**	स्व-स्वामित्व वाली इमारतों की अचल संपत्ति का संचालन

तालिका 4.18: नमूने का व्यवसाय कोड-वार विश्लेषण							
वित्तीय वर्ष 2017-18 तक के व्यावसायिक कोड				**वित्तीय वर्ष 2018-19 से संशोधित व्यावसायिक कोड**			
5	**401**	**1**	बिल्डर्स (बिल्डर्स)	20	**7005**	**7**	अन्य अचल/किराये पर संपत्ति
6	**403**	**1**	बिल्डर्स (संपत्ति विकासलपर्स)	21	**9005**	**2**	सामान्य कमीशन एजेंट, कमोडिटी ब्रोकर एवं नीलामीकर्ता
7	**404**	**1**	बिल्डर्स (अन्य)	22	**9027**	**5**	अन्य उत्पादों की थोक विक्रय
8	**505**	**1**	ठेकेदार (अन्य)	23	**9028**	**3**	अन्य उत्पादों की खुदरा विक्रय
9	**708**	**2**	सेवा क्षेत्र (होटल)	24	**11001**	**2**	ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर
10	**714**	**5**	सेवा क्षेत्र (अन्य)	25	**13001**	**169**	वाणिज्यिक बैंक, बचत बैंक और डिस्काउंट हाउस
11	**801**	**278**	वित्तीय सेवा क्षेत्र (बैंकिंग कंपनियां)	26	**13002**	**58**	ऋण प्रदान करने वाली विशिष्ट संस्थाएँ
12	**803**	**151**	वित्तीय सेवा क्षेत्र (वित्तीय संस्थान)	27	**13003**	**9**	वित्तीय पट्टे
13	**804**	**2**	वित्तीय सेवा क्षेत्र (वित्तीय सेवा प्रदाता)	28	**13004**	**3**	किराया-क्रय वित्तपोषण
14	**805**	**4**	वित्तीय सेवा क्षेत्र (पट्टा कंपनियां)	29	**13005**	**58**	आवास वित्त गतिविधियाँ
15	**807**	**1,342**	वित्तीय सेवा क्षेत्र (एनबीएफसी)	30	**13006**	**297**	वाणिज्यिक ऋण गतिविधियाँ
				31	**13008**	**1**	म्यूचुअल फंड्स
				32	**13010**	**19**	निवेश गतिविधियाँ
				33	**13018**	**13**	अन्य वित्तीय मध्यस्थता सेवाएँ
				34	**21008**	**1**	अन्य सेवाएँ
कुल		**1,808**				**655**	**कुल मामले 2,463**
स्रोत: डीजीआईटी (प्रणाली) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ें							

बैंकिंग कंपनियों को निर्धारण वर्ष 2017-18 तक 801 और निर्धारण वर्ष 2018-19 से 13001 व्यावसायिक कोड आवंटित किए गए थे। एनबीएफसी के लिए निर्धारण वर्ष 2017-18 तक विशिष्ट कोड (807) थे। हालाँकि, निर्धारण वर्ष 2018-19 से, एनबीएफसी के लिए कोई विशिष्ट कोड आवंटित नहीं किया गया। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2018-19 से, विभाग एनबीएफसी

की अलग से पहचान नहीं कर पाता, और मामलों के चयन, रिटर्न न भरने वालों की पहचान आदि के लिए एनबीएफसी-विशिष्ट मानदंड लागू नहीं किया जा सकता। लेखापरीक्षा में 53 ऐसे मामले सामने आए जहाँ आयकर रिटर्न (आईटीआर) में व्यावसायिक कोड गलत भरे गए थे, लेकिन विभाग ने किसी भी मामले में गलती सुधारने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 2017-18 तक व्यवसाय गतिविधि-आधारित कोडीकरण और निर्धारण वर्ष 2018-19 के बाद व्यवसाय कोड वर्गीकरण की नवीनतम योजना के अनुसार, लेखापरीक्षा नमूनों से यह देखा गया कि क्रमशः 31 और 27 मामलों में अप्रासंगिक व्यवसाय कोड थे, अर्थात विनिर्माण, व्यापार, अन्य अचल संपत्ति या किराये पर देना आदि।

सही व्यवसाय कोड के अभाव में, निर्धारण अधिकारी प्रासंगिक धाराओं की प्रयोज्यता का पता लगाने और जमा रिटर्न में निर्धारिती द्वारा दावा किए गए व्यय, कटौती या छूट की सटीकता का निर्धारण करने में सक्षम नहीं हो सकते, जिससे राजकोष को राजस्व हानि के जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अनुशंसा:

सीबीडीटी एनबीएफसी की व्यापक श्रेणी में आने वाले अर्ह निर्धारितियों की पहचान के लिए एनबीएफसी को एक अलग व्यावसायिक कोड आवंटित कर सकता है, जिससे अनर्ह निर्धारितियों द्वारा कटौती के दावे के दुरुपयोग को रोका जा सके।

प्रतिउत्तर में, मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2024) कि वर्तमान में 18 व्यावसायिक कोड वित्तीय मध्यस्थता सेवाओं में लगे व्यवसायों के लिए समर्पित हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंक, बचत बैंक और डिस्काउंट हाउस, ऋण देने वाले विशिष्ट संस्थान, वित्तीय पट्टे, वाणिज्यिक ऋण गतिविधियाँ, किश्तों पर क्रय वित्तपोषण, आवास वित्त गतिविधियाँ, निवेश गतिविधियाँ, अन्य वित्तीय मध्यस्थता सेवाएँ सम्मिलित हैं। इसलिए, एनबीएफसी पहले से ही आयकर रिटर्न प्रपत्र जमा करने के प्रयोजनों के लिए एक या एक से अधिक वर्तमान व्यावसायिक कोड के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। अतः, एनबीएफसी के लिए एक अलग व्यावसायिक कोड की आवश्यकता नहीं है। यह भी आग्रह किया जाता है कि सभी श्रेणियों में अनर्ह निर्धारितियों द्वारा कटौती के दावे के दुरुपयोग को रोकने के लिए आयकर कानून में पहले से ही सुरक्षा उपाय और प्रावधान विद्यमान हैं।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि वित्तीय मध्यस्थता सेवाओं में लगे व्यवसायों के लिए समर्पित ये 18 व्यावसायिक कोड, जिन्हें निर्धारण वर्ष 2024-25 के बाद के लिए आवंटित

किया गया है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट कटौतियों की पात्रता का पता लगाने के लिए आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी की व्यापक श्रेणी से संबंधित निर्धारण मामलों/निर्धारितियों की पहचान करने में सक्षम नहीं हैं।

4.6 व्यवसाय कोड के गैर-निवल समावेशन के कारण सीबीडीटी के केंद्रीकृत आंकड़ों और उनके क्षेत्रीय संरचनाओं के आंकड़ों के मध्य विसंगति

सीबीडीटी से प्राप्त 2,463 नमूना मामलों के आंकड़ों की लेखापरीक्षा में जाँच की गई, जिनमें 2,161 एनबीएफसी और 302 बैंक मामले सम्मिलित थे। लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 2,463 के नमूने में वास्तव में 355 बैंक मामले और 2,108 एनबीएफसी मामले सम्मिलित थे। इस अंतर का मुख्य कारण आयकर रिटर्न में उल्लिखित गलत व्यावसायिक कोड था, जैसा कि निम्न तालिका 4.19 में विस्तार से बताया गया है।

तालिका 4.19: डीजीआईटी प्रणाली आंकड़ों और निर्धारण आंकड़ों के अनुसार बैंकों और एनबीएफसी का विवरण

डीजीआईटी प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार			निर्धारण आंकड़ों के अनुसार		
बैंक	एनबीएफसी	योग	**बैंक**	एनबीएफसी	योग
302	2,161	2,463	**355**	2,108	2,463

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख और सीबीडीटी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े

(अनुलग्नक 4.13 का संदर्भ लें)

53 मामलों में, बैंकों द्वारा जमा आयकर रिटर्न में एनबीएफसी से संबंधित व्यावसायिक कोड दर्शाए गए थे। इन 53 मामलों का विवरण ***अनुलग्नक 4.13*** में दिया गया है।

वित्त क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों को विशिष्ट सही कोड आवंटित करना, प्रासंगिक सूचना का उचित संवीक्षण, संग्रह और साझाकरण के साथ-साथ निर्धारण के दौरान क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दों के विशेषज्ञ प्रबंधन हेतु आवश्यक है। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ निर्धारिती नियामकों एवं जाँच एजेंसियों की नज़र से बचने के लिए जानबूझकर गलत व्यावसायिक कोड भर सकते हैं।

4.7 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर रिटर्न-6 और प्रपत्र 3सीडी के वर्तमान प्रारूपों में कटौतियों और अशोध्य ऋणों को दर्ज करने के लिए किए गए ऐसे दावों के प्रमाणीकरण के लिए विशिष्ट कॉलम का अभाव था, जिन्हें धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अप्राप्य होने के कारण बट्टे खाते में डाला गया था, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान और धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत अर्ह व्यवसायों से प्राप्त लाभ से विशेष आरक्षित निधि सृजित

किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बैंकों द्वारा दावों की पात्रता के सत्यापन के बिना और संवीक्षा निर्धारण के दौरान ₹ एक लाख से अधिक के ऋणों के लिए उधारकर्ताओं के पैन विवरण मांगे बिना ही अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति दी गई।

लेखापरीक्षा नें यह पाया कि वित्त अधिनियम 2019 के अंतर्गत धारा 43डी में दिनांक 01.04.2020 से किए गए संशोधन के अनुसार आयकर नियम, 1962 के नियम 6ईए में एनबीएफसी की दो श्रेणियों अर्थात जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सम्मिलित करने के लिए संशोधन नहीं किया गया था, लेखापरीक्षा ने ऐसे प्रकरण देखे जहां एनबीएफसी ने 01 अप्रैल 2020 (निर्धारण वर्ष 2020-21) से प्रभावी प्रोद्भवन के आधार पर एनपीए पर ब्याज के कराधान पर 2017 की परिपत्र संख्या 10 दिनांक 23 मार्च 2017 के माध्यम से सीबीडीटी द्वारा किए गए स्पष्टीकरण के अभाव में निर्धारण वर्ष 2019-20 तक की अवधि के लिए कर के लिए एनपीए पर अर्जित ब्याज के संबंध में आय की प्रस्तुति नहीं की। इसके अलावा, धारा 41(4ए) में दीर्घकालिक वित्त व्यवसाय बंद करने के पश्चात इकाई द्वारा विशेष आरक्षित निधि में रखे गए धन पर कराधान का प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आयकर नियम, 1962 के नियम 6ईए और धारा 43डी के प्रावधानों में ऋण या ब्याज को बकाया मानने की अवधि के संबंध में अस्पष्टता कर संबंधी मुकदमों के अधीन है। नियम 6ईए के अनुसार, ऋण का भुगतान न करने की छह महीने की अवधि को बकाया माना जाता है, जबकि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार यह तीन महीने का समय है, जिसके परिणामस्वरूप तीन से छह महीने की अवधि के लिए बकाया गैर-व्यवहार्य अथवा लंबित अग्रिमों पर अर्जित ब्याज के कर प्रशोधन में असंगति होती है। लेखापरीक्षा ने खंडावधि के ब्याज, एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत प्रतिधारित प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए अधिमूल्य के परिशोधन, निवेश के मूल्य में कमी और प्रतिभूतिकरण कंपनियों/परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को परिसंपत्तियों की विक्रय पर लाभ के कराधान से संबंधित दावों या कटौतियों की अनुमति देते समय निर्धारण में असंगति पाई।

व्यवसाय कोडों के वर्तमान आवंटन के अनुसार, आयकर अधिनियम के अंतर्गत कटौती के दावों की पात्रता का निर्धारण करते समय एनबीएफसी की व्यापक श्रेणी के अंतर्गत आने वाले निर्धारिती की पहचान हेतु एनबीएफसी को एक अलग व्यवसाय कोड नहीं आवंटित किया गया है।

अध्याय 5 अनुपालन मुद्दों सहित 360 डिग्री विश्लेषण

इस अध्याय में निर्धारित नियमों और विनियमों के अननुपालन के मामले, 360-डिग्री विश्लेषण से उत्पन्न लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, साथ ही संबंधित पक्ष संव्यवहार के सत्यापन के संबंध में पाई गई अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं। कर प्रभाव केवल अनुपालन संबंधी मुद्दों के संदर्भ में दर्शाया गया है। विभाग से 30 नवंबर 2025 तक प्राप्त उत्तरों को इस प्रतिवेदन में यथोचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

आयकर विभाग द्वारा क्षेत्रीय लेखापरीक्षा दलों को उपलब्ध कराए गए अभिलेख/विवरण के आधार पर, लेखापरीक्षा ने ₹ 2,72,553.49 करोड़ की आय के अस्थायी अनुचित निर्धारण की अनियमितताओं को पाया और ₹ 74,766.39 करोड़ के कुल संभावित कर प्रभाव[52] वाले 533 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी की, जिसमें ₹ 2,63,100.93 करोड़ की आय के निर्धारण वाली 504 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां सम्मिलित थी, जिसमें ₹ 71,498.45 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण और ₹ 9,452.56 करोड़ की आय के अधिक निर्धारण की 29 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां सम्मिलित थीं, जिसमें ₹ 3,267.94 करोड़ का अधिक कर का उद्ग्रहण किया गया था। ₹ 71,498.45 करोड़ के कुल कम कर उद्ग्रहण में अननुपालन के मुद्दे भी सम्मिलित थे, जिसके परिणामस्वरूप कम आय का निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 70,171.12 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण और ब्याज का अनुचित उद्ग्रहण/एमएटी क्रेडिट, डीआईटी राहत आदि की अनियमित अनुमति सम्मिलित थी, जिसके परिणामस्वरूप आय का गलत निर्धारण नहीं बल्कि ₹ 1,327.33 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया था। ₹ 3,267.94 करोड़ के कुल कर के अधिक उद्ग्रहण में अननुपालन के मुद्दे भी सम्मिलित थे, जिसके परिणामस्वरूप आय का अधिक निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 2,723.98 करोड़ का कर अधिक आरोपित किया गया और ब्याज की गलत वसूली/एमएटी क्रेडिट, डीआईटी राहत आदि की अनियमित अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप आय का गलत निर्धारण नहीं बल्कि इसमें ₹ 543.96 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹ 74,766.39 करोड़ के कर प्रभाव में ₹ 70,200.62 करोड़ का सकारात्मक कर प्रभाव और ₹ 4,565.77 करोड़ का संभावित कर

[52] लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई कर निहितार्थ आयकर विभाग द्वारा क्षेत्रीय लेखापरीक्षा दलों को उपलब्ध कराए गए अभिलेख/विवरणों पर आधारित है, मुख्य रूप से आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत निर्धारण अभिलेख जिन्हें सुधारात्मक कार्यवाही करने से पहले आयकर विभाग द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

प्रभाव सम्मिलित था। लेखापरीक्षा ने मुख्य निर्धारिती के अभिलेखों तथा संबंधित पक्ष के संव्यवहार के अभिलेखों के अनुसार दावों और राशियों के प्रति सत्यापन के आधार पर संबंधित पक्ष के संव्यवहार से संबंधित 118 अनियमितताएं भी पाई। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर निर्धारण में त्रुटियों के परिशोधन के लिए प्रस्तुत की गई मांग से ₹ 3,503.44 करोड़ की और वसूली की गई है।

प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालन अभ्युक्तियों से संबंधित ₹ 74,766.39 करोड़ के कर प्रभाव वाली 533 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से, मंत्रालय ने ₹ 1,061.58 करोड़ के कर प्रभाव वाली 25 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में उत्तर प्रस्तुत किए हैं। इन 25 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से, मंत्रालय ने ₹ 799.38 करोड़ के कर प्रभाव वाली 21 को स्वीकार किया है, और ₹ 24.50 करोड़ के कर प्रभाव वाली दो लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। 25 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से, ₹ 599.04 करोड़ के कर प्रभाव वाली 17 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में सुधारात्मक कार्रवाई पूरी की गई है, और ₹ 224.84 करोड़ के कर प्रभाव वाली छह लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। मंत्रालय ने ₹ 237.70 करोड़ के कर प्रभाव वाली दो लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया। क्षेत्रीय निर्माण स्तर पर, आयकर विभाग (आईटीडी) ने ₹ 47,557.33 करोड़ के कर प्रभाव वाली 212 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में उत्तर प्रस्तुत किए थे। इन 212 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से, आयकर विभाग ने ₹ 28,639.13 करोड़ के कर प्रभाव वाली 88 को स्वीकार किया, ₹ 5,056.59 करोड़ के कर प्रभाव वाली 79 में सुधारात्मक कार्रवाई पूरी की; और ₹ 15,324.15 करोड़ के कर प्रभाव वाली 64 में सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ की। आयकर विभाग ने ₹ 6,900.25 करोड़ के कर प्रभाव वाली 41 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया।

360-डिग्री विश्लेषण से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर इस प्रतिवेदन के पैरा 5.1.1 से 5.4.7 में चर्चा की गई है, जबकि अनुपालन मुद्दों को पैरा 5.5.1 से 5.5.12 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा ने 651 अभ्युक्तियों में कटौती, व्यय, हानि की अनुमति में अनियमितताएं और आय की गणना में त्रुटियां पाईं, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2,72,553.49 करोड़ की आय का अनुचित निर्धारण हुआ और ₹ 74,766.39 करोड़ का कर प्रभाव हुआ, जैसा कि नीचे तालिका 5.1 में प्रदत्त है।

तालिका 5.1: अनुपालन मुद्दों के अंतर्गत पाई गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां **(₹ करोड़ में)**

क्रम.सं.	पैरा संख्या	संक्षिप्त विषय	अनुचित निर्धारण का विवरण			
			अनुचित निर्धारण का प्रकार	पैरा की संख्या	अनुचित निर्धारण की राशि	संभावित कर प्रभाव
1	5.5.1	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की अनुचित अनुमति	अल्प निर्धारण	92	88,758.04	31,979.97
			अधिक निर्धारण	8	5,846.20	1,479.11
			उप-योग	**100**	94,604.24	33,459.08
2	5.5.2	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु कटौती की अधिक अनुमति	अल्प निर्धारण	59	6,665.19	2,316.51
			अधिक निर्धारण	9	1,668.65	654.75
			उप-योग	68	8,333.84	2971.26
3	5.5.3	धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की अनुचित अनुमति	अल्प निर्धारण	32	1431.10	531.18
			अधिक निर्धारण	0	0	0
			उप-योग	32	1431.10	531.18
4	5.5.4	छूट की अनुचित अनुमति	अल्प निर्धारण	45	1,297.80	483.2
			अधिक निर्धारण	0	0	0
			उप-योग	45	1,297.80	483.2
5	5.5.5	निर्धारण से छूट गई आय	अल्प निर्धारण	40	17,941.61	7,700.77
			अधिक निर्धारण	0	0	0
			उप-योग	40	17,941.61	7,700.77
6	5.5.6	प्रावधानों और व्यय के लिए कटौती की अनुचित अनुमति	अल्प निर्धारण	79	15,646.01	2,766.55
			अधिक निर्धारण	0	0	0
			उप-योग	79	15,646.01	2,766.55
7	5.5.7	धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना में अनियमितता	अल्प निर्धारण	28	1,24,644.73	22,375.12
			अधिक निर्धारण	1	985.05	210.22
			उप-योग	29	1,25,629.78	22,585.34
8	5.5.8	दीर्घकालिक पूंजीगत हानि/लाभ की अनुचित अनुमति	अल्प निर्धारण	4	1,553.83	357.35
			अधिक निर्धारण	0	0	0
			उप-योग	4	1,553.83	357.35
9	5.5.9	विदेशी बैंकों को धारा 44सी के अंतर्गत कटौती की अनुचित अनुमति	अल्प निर्धारण	8	1,470.35	636.07
			अधिक निर्धारण	0	0	0
			उप-योग	8	1,470.35	636.07
10	5.5.10	हानियों का अनियमित समायोजन एवं अग्रनयन	अल्प निर्धारण	23	2,293.35	510.09
			अधिक निर्धारण	0	0	0
			उप-योग	23	2,293.35	510.09
11	5.5.11	आय की गणना, कर, अधिभार, ब्याज, एमएटी क्रेडिट, जुर्माना आदि आरोपित करने में त्रुटियां	अल्प निर्धारण	94	1,398.92	1,841.64
			अधिक निर्धारण	11	952.66	923.86
			उप-योग	105	2,351.58	2,765.5
कुल		**कुल (5.5.1 से 5.5.11)**	**अल्प निर्धारण**	**504**	**2,63,100.93**	**71,498.45**
		कुल (5.5.1 से 5.5.11)	**अधिक निर्धारण**	**29**	**9,452.56**	**3,267.94**
			कुल जोड़	**533**	**2,72,553.49**	**74,766.39**

तालिका 5.1: अनुपालन मुद्दों के अंतर्गत पाई गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां						**(₹ करोड़ में)**
क्रम.सं.	**पैरा संख्या**	**संक्षिप्त विषय**	**अनुचित निर्धारण का विवरण**			
			अनुचित निर्धारण का प्रकार	**पैरा की संख्या**	**अनुचित निर्धारण की राशि**	**संभावित कर प्रभाव**
12	5.5.12	संबंधित पक्षों के संव्यवहार पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां [मुख्य निर्धारिती: संख्या: 77, कर प्रभाव: ₹ 38.97 करोड़] [संबंधित पक्ष सं. 41, कर प्रभाव: ₹ 14.84 करोड़]		118	एनएमवी[53]	एनएमवी
कुल				**651**	**2,72,553.49**	**74,766.39**

अधिनियम की धारा 36(1)(vii) और 36(1)(viiए) तथा 36(1)(viii) के अंतर्गत बैंकों और एनबीएफसी को महत्वपूर्ण मात्रा में कटौती की अनुमति दी गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के अथ शेष को समायोजित किए बिना अशोध्य ऋणों की अनुमति दे रहा था, जिसके परिणामस्वरूप काफी अधिक राशि की अनियमित कटौती की अनुमति दी जा रही थी। आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद, निर्धारण अधिकारी ने अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के संबंध में निर्धारितियों द्वारा किए गए दावों की संवीक्षा नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप गैर-अनुमत मदों जैसे मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान और सकल कुल आय के निर्दिष्ट *प्रतिशत* तक कटौती पर प्रतिबंध न होने के कारण कटौती की अनियमित अनुमति मिली, जैसा कि बैंकों और एनबीएफसी के मामले में लागू है। विभाग के पास अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत स्वीकार्य ग्रामीण अग्रिमों के दावों की सत्यता और वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप उन शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के लिए कटौती की अनियमित अनुमति दी गई, जो निर्धारितियों की ग्रामीण शाखाओं के रूप में अर्हक नहीं थीं।

लेखापरीक्षा में बैंकों और एनबीएफसी के संवीक्षा निर्धारण के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी के द्वारा की गई संवीक्षा में कमियां पाई गईं। यद्यपि निर्धारण संवीक्षा के अंतर्गत पूरा किया गया था, लेकिन निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्धारितियों द्वारा किए गए दावों की सत्यता की संवीक्षा नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप कटौती की गलत अनुमति दी गई जो पिछले वर्ष के दौरान विशेष आरक्षित निधि में अंतरित की गई राशि से अधिक थी और निर्दिष्ट व्यवसाय के अलावा अन्य व्यवसाय से आय पर थी।

---

[53] कोई धन मूल्य नहीं

यद्यपि निर्धारण की पूरी संवीक्षा की गई थी, लेकिन निर्धारण अधिकारी ने छूट प्राप्त आय के प्रति अधिनियम की धारा 14ए के अंतर्गत व्यय की अस्वीकृति की गणना के लिए अपनाए गए अनुचित आंकड़ों की संवीक्षा नहीं की। कुछ मामलों में, मुद्दे की संवीक्षा नहीं की जा सकी क्योंकि रिटर्न को सारांश के अंतर्गत संसाधित किया गया था। इसके अलावा, यद्यपि एनबीएफसी, जो विमुद्रीकरण अवधि के दौरान निर्दिष्ट बैंक नोट स्वीकार करने के लिए अर्ह नहीं थे, ने इसे स्वीकार कर लिया था और कराधान के लिए अनधिकृत जमा प्रस्तुत नहीं किया था, लेकिन निर्धारण अधिकारी ने संवीक्षा निर्धारण के दौरान इसे सत्यापित नहीं किया और वापस नहीं जोड़ा।

लेखापरीक्षा में साख पर मूल्यह्रास, अन्य प्रावधान और सत्यापन के बिना बट्टे खाते में डालना, धोखाधड़ी के कारण हानि, पूंजीगत परिसंपत्तियों की विक्रय पर हानि, आकस्मिक व्यय, वापस न जोड़े गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, विदेशी मुद्रा पुनर्निर्धारण के कारण काल्पनिक हानि, विदेशी शाखाओं का प्रावधान, मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान, पूर्व अवधि व्यय, देयता कि गैर-चुकौती आदि जैसी मदों के कारण कटौती की अनियमित अनुमति के मामले देखे गए। लेखापरीक्षा में ऐसे मामले पाए गए, जहां बही लाभ की गणना के लिए निवल लाभ में अपेक्षित समायोजन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बही लाभ की अनुचित गणना हुई। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों को भी नोट किया जहां निर्धारण सामान्य प्रावधान के अंतर्गत हानि पर पूरा किया गया था, तथापि कर अधिनियम की धारा 115जेबी के अंतर्गत आरोपित किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने अधिनियम की धारा 44सी के अंतर्गत व्यय की अनियमित अनुमति के मामले देखे, यद्यपि निर्धारिती ने न तो भारतीय परिचालनों के कारण कार्यालय व्यय शीर्ष की राशि अपने मुख्यालय को अदा की थी और न ही अपने लेखा-बही में ऐसे किसी व्यय को डेबिट किया था। लेखापरीक्षा में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने की अनियमित अनुमति, निर्धारण आदेश के अनुसार की गई अस्वीकृतियों पर विचार न करने के कारण आयकर गणना पत्रक के अनुसार कर की गणना में त्रुटियां, आय की गणना में त्रुटियां, कर की गलत दर लगाना, अधिभार का गलत आरोपण, गैर-अनुमत एमएटी क्रेडिट की अनियमित अनुमति और विदेशी कर क्रेडिट की अधिक अनुमति के मामले भी पाए गए। लेखापरीक्षा ने मुख्य निर्धारिती तथा संबंधित पक्षों के अभिलेखों एवं दस्तावेजों में किए गए संव्यवहार के मूल्य के प्रकटीकरण में भिन्नताएं देखीं।

तीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, छः निजी क्षेत्र के बैंकों और एक विदेशी बैंक के 360-डिग्री विश्लेषण की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर इस प्रतिवेदन के क्रमशः पैरा 5.1.1 से 5.1.3, पैरा 5.2.1 से 5.2.6 और पैरा 5.3 में चर्चा की गई है। इस प्रतिवेदन के पैरा 5.4.1 से 5.4.7 में सात एनबीएफसी के 360-डिग्री विश्लेषण की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रणालीगत मुद्दों और आंतरिक नियंत्रण, समन्वय मुद्दों और संवीक्षण तंत्र वाले 360-डिग्री मामलों के लिए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को अन्य नमूना मामलों के साथ क्रमशः अध्याय 4 और 6 में उजागर किया गया है।

5.1 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के चयनित निर्धारणों का 360-डिग्री विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने आयकर अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अनुपालन का पता लगाने के लिए 360-डिग्री विश्लेषण हेतु बैंकों और एनबीएफसी के 167 विशिष्ट मामलों का चयन किया, तथा 10 बैंकों और सात एनबीएफसी के मामलों को इस अध्याय के पैरा 5.1 से 5.4 में दर्शाया गया है। संबंधित पक्ष संव्यवहार से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर इस अध्याय के पैरा 5.5.12 में चर्चा की गई है।

5.1.1 एस8 के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण

प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एस8, परिसंपत्तियों, जमा, शाखाओं, ग्राहकों और कर्मचारियों की संख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एस8 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक बैंक का कुल निगमित अग्रिम ₹ 8,44,215 करोड़ था, जबकि कुल सरकारी व्यवसाय ₹ 52,62,643 करोड़ था और कुल एसएमई[54] अग्रिम ₹ 2,67,614 करोड़ था। बैंक का कुल ग्राहक आधार ₹ 44.89 करोड़ था तथा इसकी 22,141 शाखाएँ थीं। बैंक की बाज़ार हिस्सेदारी जमा 22.84 *प्रतिशत* तथा अग्रिम के मामले में 19.69 *प्रतिशत* थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए एस8 की वित्तीय विशेषताएं, निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए एस8 के निर्धारण का विवरण, निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान दावा की गई और अनुमत कटौतियों का विवरण और एस8 के निर्धारण की लेखापरीक्षा में पाई गई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां तालिका 5.5 में विस्तृत रूप से दी गई हैं।

एस8 : एस8[55] का एस8 की पांच घरेलू बैंकिंग सहायक कंपनियों (डीबीएस) अर्थात (i) एस18, (ii) एस47, (iii) एस48, (iv) एस13, (v) एस17 ; और बी15 के साथ 01 अप्रैल, 2017 से

---

54 लघु और मध्यम उद्यम

55 वित्तीय वर्ष 2018 के लिए बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन में निदेशक का प्रतिवेदन (पृष्ठ 34)

विलय हो गया। इस विलय के अनुसरण में, हस्तान्तरणकर्ता बैंकों की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावी तिथि[56] पर उनकी विद्‌यमान वहन राशि पर एस8 की बहियों में दर्ज किया गया।

5.1.1.1 बैंक में एनपीए का विवरण और बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली

वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2019-20 तक चार वित्तीय वर्षों के लिए बैंक में एनपीए और बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली का विवरण नीचे तालिका 5.2 में दिया गया है।

तालिका 5.2: एनपीए की गतिविधि (₹ करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष 2017*	वित्तीय वर्ष 2018*	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020
सकल एनपीए	1,77,866	2,23,427	1,72,750	1,49,092
सकल एनपीए [*प्रतिशत* में]	9.11	10.91	7.53	6.15
निवल एनपीए [*प्रतिशत* में]	5.19	5.73	3.01	2.23
नए स्लिपेज + बकाया में वृद्‌धि	1,15,932	1,00,287	39,740	54,510
नकद वसूली/उन्नयन	32,283	14,530	31,512	25,781
बट्टे खाते में डाली गई राशि	27,757	40,196	58,905	52,387
एयूसीए[57] में वसूली	3,963	5,333	8,345	9,250
पीसीआर[58] [*प्रतिशत* में]	61.53	66.17	78.73	83.62

*** विलय के बाद**

स्रोत: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एस8 का वार्षिक प्रतिवेदन

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) वित्त वर्ष 2018 में 5.73 *प्रतिशत* से धीरे-धीरे घटकर वित्त वर्ष 2020 में 2.23 *प्रतिशत* हो गई हैं, जिसका कारण इस अवधि के दौरान बट्टे खाते में वृद्‌धि और वसूली में सुधार है। वित्त वर्ष 2020 के वार्षिक प्रतिवेदन (पृष्ठ 66) के अनुसार, कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में, वित्त वर्ष 2021 के दौरान एनपीए के स्तर में उल्लेखनीय वृद्‌धि का अनुमान लगाया गया था। बैंक ने अपने उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए कई पूर्व-निवारक उपाय किए, जिससे वे चुनौतियों का सामना कर सकें और निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में बने रह सकें। बैंक द्‌वारा की गई विभिन्न कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2020 के

---

56 प्रभावी तिथि वह तिथि है जिस दिन योजना सम्पूर्ण और प्रभावी हो जाती है, अर्थात उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कर दी जाती है या अंतिम अनुमोदन प्राप्त हो जाता है। प्रभावी तिथि से समामेलन प्रभावी हो जाता है और हस्तांतरणकर्ता कंपनी भंग हो जाती है।

57 एयूसीए: संग्रह के अंतर्गत अग्रिम खाता

58 पीसीआर: प्रावधान आच्छादन अनुपात

दौरान सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (जीएनपीए) में निरंतर कमी के कारण मार्च 2020 के अंत तक एनपीए के स्तर में काफी गिरावट आई थी।

वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एस8 की वित्तीय विशेषताएँ नीचे तालिका 5.2क में दी गई हैं।

तालिका 5.2क: एस8 का वित्तीय विवरण **(₹ करोड़ में)**

वित्तीय वर्ष → /वित्तीय विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल परिसंपत्तियाँ	27,05,966.30	34,54,751.99	36,80,914.25	39,51,393.92
कुल अग्रिम	15,71,078.38	19,34,880.19	21,85,876.92	23,25,289.56
कुल जमा	20,44,751.39	27,06,343.28	29,11,386.01	32,41,620.73
अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/छूट	1,19,510.00	1,41,363.17	1,61,640.23	1,79,748.83
शेयरधारक निधि	797.35	892.45	892.46	892.46
खुदरा अग्रिम	954597.65	13,19,933.76	14,91,676.59	15,80,600.47
सीएएसए	9,31,958	12,36,258	13,31,668	14,63,916
संचालन राजस्व	2,10,979.16	2,65,100.00	2,79,643.54	3,02,545.07

स्रोत: एस8 का संबंधित वित्तीय वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन

5.1.1.2 आयकर निर्धारण का विवरण

निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए एस8 का निर्धारण विवरण नीचे तालिका 5.3 में दिया गया है।

तालिका 5.3: निर्धारण वर्ष 2016-17 से निर्धारण वर्ष 2019-20 तक आयकर निर्धारण का विवरण **(₹ करोड़ में)**

निर्धारण वर्ष	रिटर्न जमा करने की तिथि	रिटर्न की गई आय	निर्धारित आय	किए गए परिवर्धन	रिटर्न आय के *प्रतिशत* के रूप में परिवर्धन [*प्रतिशत में*]	धारा के अंतर्गत किया गया निर्धारण और निर्धारण की तिथि
2016-17	22.02.2017 (संशोधित)	12,338.34	31,735.50	19,397.16	157.21	143(3)/ 27.3.2018
2017-18	06.03.2019 (संशोधित)	10,865.89	33,126.08	22,260.19	204.86	143(3)/ 16.3.2019
2018-19	30.03.2019 (संशोधित)	(-) 28,209.29	15,425.61	43,634.90	गणना योग्य नहीं (रिटर्न आय हानि है)	143(3)/ 20.3.2020
2019-20	30.06.2020 (संशोधित)	0	3,479.85	3,479.85	गणना योग्य नहीं (रिटर्न आय शून्य है)	143(3)/ 29.9.2021
कुल		**23,204.23 (-) 28,209.29**	**83,767.04**	**88,772.10**		

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि खण्डावधि के ब्याज, अदेय अर्जित ब्याज, प्रतिभूतियों की परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी पर भुगतान किए गए अधिमूल्य का परिशोधन, धारा 14ए के अंतर्गत व्यय की अस्वीकृति, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से ब्याज

आय, अशोध्य ऋणों का दावा, सतत ऋण उपकरणों पर ब्याज आदि के कारण कई परंपरागत मुद्दों के कारण हर साल काफी वृद्धि हुई।

5.1.1.3 दावा की गई और अनुमत कटौतियों का विवरण

धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के लिए एस8 को दावा की गई और प्रदत्त कटौती, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत छूट प्राप्त आय नीचे तालिका 5.4 में दर्शाई गई है।

तालिका 5.4: दावा की गई और अनुमत कटौतियों का विवरण **(₹ करोड़ में)**

निर्धारण वर्ष	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋण		धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान*		धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती		छूट प्राप्त आय	
	दावा किया	अनुमत	दावा किया	अनुमत	दावा किया	अनुमत	दावा किया	अनुमत
2016-17	27,221.98	0	0.00	13,333.74	309.65	309.65	837.93	837.93
2017-18	32,905.63	19,764.74	0.00	15,469.68	224.84	0	1,139.95	1,139.95
2018-19	71,374.23	24,725.74	0.00	17,058.47	0	0	6,602.73	6,602.73
2019-20	54,694.33	54,694.33	0.00	0.00	0	0	989.27	989.27
कुल	**1,86,196.17**	**99,184.81**	**0**	**45,861.89**	**534.49**	**309.65**	**9,569.88**	**9,569.88**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

*[*नोट: एस8 धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती का दावा नहीं कर रहा था जैसा कि इस तालिका के नीचे उप-पैरा में बताया गया है।]*

लेखापरीक्षा ने पाया कि एस8 अपने रिटर्न में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती का दावा नहीं कर रहा था, और तर्क दिया कि बही खाते में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधान को अशोध्य ऋणों के लिए कटौती के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए। निर्धारण के दौरान निर्धारिती ने प्रस्तुत किया कि वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप वित्तीय विवरण बनाए रखता है। बैंक तुलन-पत्र में ऋण और अग्रिम से अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को कम करता है और ऋण और अग्रिम की निवल राशि दर्शाई जाती है। निवल प्रावधान राशि को लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाता है, जिसे धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत कटौती के रूप में दावा किया जाता है क्योंकि अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

विभाग ने एस8 के इस रुख का विरोध किया और लेखा बहियों में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति दे दी। इसके अधिकरिक्त, विभाग ने विधिवत धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए कटौती की भी अनुमति दी, भले ही रिटर्न में इसका दावा नहीं किया गया हो। ये मुद्दे वर्षों से अपील में चल रहे हैं। इन मुद्दों से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में विस्तार से चर्चा की गई है।

5.1.1.4 360-डिग्री विश्लेषण में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

लेखापरीक्षा ने 15 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पहचान की, जिनमें ₹ 1,28,077.18 करोड़ के ग़लत निर्धारण और ₹ 34,379.55 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित सात निष्कर्ष सम्मिलित हैं, जिनमें ₹ 1,26,417.70 करोड़ की आय के कम निर्धारण और ₹ 32,968.45 करोड़ के कम कर के उद्ग्रहण से संबंधित सात निष्कर्ष, ₹ 1,659.50 करोड़ की आय के अधिक निर्धारण और ₹ 672.25 करोड़ के कर के अधिक उद्ग्रहण से संबंधित तीन निष्कर्ष, ₹ 219.38 करोड़ के कम कर के उद्ग्रहण के साथ डीआईटी राहत की अनुचित अनुमति पर एक निष्कर्ष, ₹ 519.47 करोड़ के अधिक कर उद्ग्रहण के साथ डीआईटी राहत की अनुमति न देने पर एक निष्कर्ष और बिना किसी कर प्रभाव के दो निष्कर्ष प्रणालीगत प्रकृति के हैं। 15 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से, डीसीआईटी-2(2)(1), मुंबई ने 13 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा, दो मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और लेखापरीक्षा के अनुरोध पर ₹ 3,141 करोड़ की वसूली की गई तथा 10 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अनुस्मारक जारी होने (अप्रैल 2024, नवंबर 2024) के बावजूद, कृत सुधारात्मक कार्रवाई का विस्तृत विवरण प्रतीक्षित है। एस8 के निर्धारण में पाए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष/अनियमितताएँ नीचे तालिका 5.5 में सूचीबद्ध हैं।

तालिका 5.5: एस8 के संबंध में पाई गई अनियमितताओं का विवरण **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष/ निर्धारण की धारा और तिथि	अनियमितता का सार	अल्प निर्धारण	अधिक निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	नि.व. 2018-19 143(3) दिनांकित 20.3.2020	पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष में धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में अथ शेष को आगामी वर्ष में अशोध्य ऋणों	5,993.55	--	2,613.56 [अवप्रभार]	स्वीकार किया गया (फरवरी 2022) और धारा 154 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेतर विवरण

तालिका 5.5: एस8 के संबंध में पाई गई अनियमितताओं का विवरण						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**निर्धारण वर्ष/ निर्धारण की धारा और तिथि**	**अनियमितता का सार**	**अल्प निर्धारण**	**अधिक निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
		की अनुमति देते समय कम नहीं किया गया।				प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	नि.व. 2017-18 एवं 2018-19 143(3) दिनांकित 16.3.2019 एवं 20.3.2020	पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष में धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में अथ शेष को आगामी वर्ष में अशोध्य ऋणों की अनुमति देते समय कम नहीं किया गया।	15,293.84	--	5,292.89 [अवप्रभार]	स्वीकार किया गया (फरवरी 2022) और धारा 154 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
3	नि.व. 2019-20 143(3) दिनांकित 29.9.2021	पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष में धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में अथ शेष को आगामी वर्ष में अशोध्य ऋणों की अनुमति देते समय कम नहीं किया गया।	17,058.47	--	5,960.91 [अवप्रभार]	स्वीकार किया गया (जून 2022) और कहा गया कि उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
4	नि.व. 2017-18 143(3) दिनांकित 16.3.2019	1.4.2016 को विदेशी मुद्रा अनुवाद रिजर्व (एफसीटीआर) में ₹6,056.25 करोड़ का अथ शेष, आय गणना और प्रकटीकरण मानकों (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार कर के लिए प्रस्तावित नहीं है।	6,056.25	--	2,598.97 [अवप्रभार	स्वीकृत (मार्च 2022) और मार्च 2021 में धारा 148 के अंतर्गत नोटिस द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
5	नि.व. 2018-19 143(3) दिनांकित 20.3.2020	बही लाभ की गणना करते समय, लेखा बही में किए गए प्रावधान की वास्तविक राशि, जो ₹ 2,121.53 करोड़ थी, को वापस नहीं जोड़ा गया। इसके बजाय,	1,796.70	--	483.14 [अवप्रभार]	स्वीकृत (मार्च 2022)। धारा 263 के अंतर्गत मामला फिर से खोला गया और मार्च 2023 में राशि वापस जोड़ दी गई। विभाग ने

तालिका 5.5: एस8 के संबंध में पाई गई अनियमितताओं का विवरण						**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**निर्धारण वर्ष/ निर्धारण की धारा और तिथि**	**अनियमितता का सार**	**अल्प निर्धारण**	**अधिक निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
		भुगतान की गई राशि ₹ 1,796.70 करोड़ कम कर दी गई।				बताया (जुलाई 2023) कि ₹ 741 करोड़ की राशि वसूल की जा चुकी है।
6	नि.व. 2018-19 143(3) दिनांकित 20.3.2020	बही लाभ की गणना करते समय, ₹674.36 करोड़ के स्थान पर ₹ 1,659.41 करोड़ की राशि वापस जोड़ दी गई, जो स्पष्टतः एक चूक के कारण हुआ।	--	985.05	210.22 [अधिकप्रभार]	निर्धारिती आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील कर रहा है (जनवरी 2022)। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
7	नि.व. 2018-19 143(3) दिनांकित 20.3.2020	धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ से अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति दी गई।	24,725.74	--	5,276.87 [अवप्रभार]	यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया गया (फरवरी 2022) कि यह मुद्दा विवादास्पद है। प्रत्युत्तर जारी किया गया (फरवरी 2022) जिसमें कहा गया कि लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण वर्ष 2017-18 में इसी तरह के दावे को निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
8	नि.व. 2019-20 143(3) दिनांकित 29.9.2021	धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ से अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति दी गई।	55,493.13	--	10,742.11 [अवप्रभार]	स्वीकार किया गया (जून 2022) और कहा गया कि उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। अग्रेतर

तालिका 5.5: एस8 के संबंध में पाई गई अनियमितताओं का विवरण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष/ निर्धारण की धारा और तिथि	अनियमितता का सार	अल्प निर्धारण	अधिक निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
						विवरण प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2025)।
9	नि.व. 2018-19 143(3) दिनांकित 20.3.2020	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए लागू दर 8.5 *प्रतिशत* के स्थान पर कुल आय के 7.5 *प्रतिशत* की दर से कटौती की अनुमति दी गई।	--	324.84	112.42 [अधिक प्रभार]	सैध्दांतिक रूप से स्वीकृत(फरवरी 2022)। निर्धारिती सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील कर रहा है। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
10	नि.व. 2017-18 143(3) दिनांकित 16.3.2019	निर्धारिती द्वारा मांगी गई ₹ 349.61 करोड़ की डीआईटी राहत को निर्धारिती द्वारा मांगी गई कर देयता से कम करने के बजाय कर योग्य आय से कम कर दिया गया।	--	349.61	349.61 [अधिक प्रभार] 150.03 [अवप्रभार]	स्वीकार किया गया (फरवरी 2022) और धारा 154 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
11	नि.व. 2016-17 143(3) दिनांकित 27.3.2018	जब विदेशी शाखाओं की सम्पूर्ण आय को भारत में कर के दायरे में लाया गया था, तो निर्धारिती को उनके वैकल्पिक दावे के अनुसार ₹ 209.88 करोड़ की डीआईटी राहत दी जानी चाहिए थी।	--	--	209.88 [अधिक प्रभार]	सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत (फरवरी 2022)। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
12	नि.व. 2018-19 143(3) दिनांकित 20.3.2020	जब विदेशी शाखाओं की सम्पूर्ण आय को भारत में कर के दायरे में लाया गया तो निर्धारिती को उनके वैकल्पिक दावे के अनुसार ₹ 309.59 करोड़ की डीआईटी राहत दी जानी चाहिए थी।	--	--	309.59 [अधिक प्रभार]	सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत (फरवरी 2022)। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

तालिका 5.5: एस8 के संबंध में पाई गई अनियमितताओं का विवरण						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**निर्धारण वर्ष/ निर्धारण की धारा और तिथि**	**अनियमितता का सार**	**अल्प निर्धारण**	**अधिक निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
13	नि.व. 2019-20 143(3) दिनांकित 29.9.2021	निर्धारिती को धारा 90/91 के अंतर्गत ₹ 219.38 करोड़ की डीआईटी राहत दी गई, जबकि विदेशी शाखाओं की आय को आय में नहीं जोड़ा गया था।	--	--	219.38 [अवप्रभार]	स्वीकार किया गया (जून 2022)। अग्रेतर सूचना प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
14	नि.व. 2016-17 से 2019-20 143(3)	अशोध्य ऋण सूचना के अंतर्गत आईटीआर-6 में उधारकर्ता के पैन का खुलासा न करने के कारण सत्यापन के बिना अशोध्य ऋण की अनुमति दी गई।	--	--	--	स्वीकृत (जून 2022)। जैसा कि पैरा 4.3.2.1 (बॉक्स 4.5) में सम्मिलित किया गया है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
15	नि.व. 2019-20 143(3) दिनांकित 29.9.2021	निर्धारण पिछले निर्धारण अभिलेखों की पुष्टि किए बिना और गैर-अनुमत व्ययों को अस्वीकार किए बिना पूरा किया गया।	--	--	--	स्वीकार किया गया (जून 2022) और बताया गया (जुलाई 2023) कि मार्च 2023 में धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और ₹ 2,400 करोड़ की राशि वसूली गई है।
कुल			**1,28,077.18**		**34,379.55**	

5.1.1.5 धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋण खाते के लिए प्रावधान में अथ शेष राशि के अनुचित समायोजन के कारण अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अधिक अनुमति

लेखापरीक्षा ने एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के निर्धारण के मामले में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की अनुमति में अनियमितताएं देखीं, जो पिछले वर्ष में अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के अंत: शेष के समायोजन न करने और इस बैंक के साथ विलय से पहले धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत सहयोगी बैंकों को दी गई कटौती में कमी न

करने के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप कटौती की अधिक अनुमति दी गई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

मार्च 2019 और मार्च 2020 में धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 2017-18 और निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें क्रमशः ₹ 33,126.08 करोड़ की आय और धारा 115जेबी के अंतर्गत ₹ 36,405.06 करोड़ का बही लाभ निर्धारित किया गया।

एस8 के पांच सहयोगी बैंकों अर्थात एस18, एस47, एस48, एस13 और एस17 का 1 अप्रैल 2017 से एस8 में विलय कर दिया गया। इसलिए निर्धारण वर्ष 2018-19 में केवल एक निर्धारिती, एस8 ने सभी सहयोगी बैंकों के खातों को समेकित करते हुए आयकर रिटर्न जमा किया था।

निर्धारण वर्ष 2018-19 के निर्धारण में, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों (पीबीडीडी) के प्रावधान के साथ समायोजन किए बिना बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए ₹ 40,195.42 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई थी। निर्धारण वर्ष 2017-18 में धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत पीबीडीडी खाते में ₹ 15,469.68 करोड़ का अंत: शेष उपलब्ध था। इसलिए, धारा 36(2)(v) के अंतर्गत निर्धारित समायोजन के अनुसार पीबीडीडी खाते में अथ शेष के साथ समायोजन के बाद, निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए केवल ₹ 24,725.74 करोड़ की राशि के अशोध्य ऋण को निर्धारिती को अनुमति दी गई थी।

इसी प्रकार, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए, निर्धारिती को बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए ₹ 19,764.74 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई थी। निर्धारण वर्ष 2016-17 में धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत पीबीडीडी खाते में ₹ 6,436.00 करोड़ का अंत: शेष उपलब्ध था। इसलिए, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए केवल ₹ 13,328.74 करोड़ के अशोध्य ऋणों को ही निर्धारिती के लिए स्वीकार्य किया गया।

निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए एस8 के पांच सहयोगी बैंकों के धारा 143(3) के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारण से पता चला कि धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत उन्हें ₹ 5,993.55 करोड़ के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, सहयोगियों को धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत पहले से ही अनुमत ₹ 5,993.55 करोड़ के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए यह प्रावधान निर्धारण वर्ष 2018-19 में एस8 को बट्टे

खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति देते समय कम नहीं किया गया था।

इसी प्रकार, निर्धारण वर्ष 2015-16 में, आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा दिनांक 18.03.2019 के अपने आदेश में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत ₹ 15,293.84 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई थी। आयकर आयुक्त (अपील) आदेश को प्रभावी करने वाला आदेश 27.03.2019 को पारित किया गया था, जिसमें धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत ₹ 15,293.84 करोड़ की कटौती की अनुमति देने के बाद 2015-16 के लिए कर योग्य आय का पुनर्निर्धारण ₹ 20,692.94 करोड़ पर किया गया था। इस राशि को निर्धारण वर्ष 2017-18 और निर्धारण वर्ष 2018-19 में एस8 के बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति देते समय भी कम नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21,287.39 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसमें ब्याज की देयता को छोड़कर निर्धारण वर्ष 2017-18 और निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 7,906.45 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

इसे दिसंबर 2020 में आयकर उप आयुक्त-2(2)(1) मुंबई के संज्ञान में लाया गया। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (फरवरी 2022) और कहा कि धारा 154 के अंतर्गत कार्रवाई विचाराधीन है, क्योंकि ये त्रुटियां अभिलेखों से स्पष्ट हैं। अनुस्मारक (अप्रैल 2024, नवंबर 2024) जारी किए जाने के बावजूद अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

सितंबर 2021 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया, जिससे सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत आय ₹ 3,479.85 करोड़ निर्धारित हुई। आय की गणना के अनुसार अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिए निर्धारिती के ₹ 54,694.33 करोड़ की कटौती के दावे को कर निर्धारण आदेश में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया। निर्धारण वर्ष 2018-19 (मार्च 2020) के लिए संवीक्षा निर्धारण आदेश के अनुसार, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए ₹ 17,058.47 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई थी। यद्यपि, निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए अशोध्य ऋणों को अनुमत किए जाने के बावजूद, इस राशि को कम नहीं किया गया। इस प्रकार, निर्धारण वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 17,058.47 करोड़ तक के अशोध्य ऋणों की अधिकरिक्त अनुमति थी, जिसमें ₹ 5,960.91 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था।

जनवरी 2022 में इसे डीसीआईटी-2(2)(1) मुंबई के संज्ञान में लाया गया। उत्तर में (जून 2022), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा कि उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह भी कहा गया कि निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारण पुनः खोला गया और मार्च 2023 में धारा 263 के अंतर्गत पूरा किया गया, जिसमें अशोध्य ऋणों की अधिक अनुमति को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए पुनः खोले गए निर्धारण के संबंध में उठाई गई ₹ 3,612.22 करोड़ की मांग के प्रति निर्धारिती से ₹ 2,400 करोड़ की राशि वसूल की गई। शेष राशि की वसूली का विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.1.1.6 धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना करते समय अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुचित अनुमति

धारा 115जेबी[59] के नीचे स्पष्टीकरण में इस धारा के प्रयोजन के लिए बही लाभ की गणना करने के लिए निवल लाभ में समायोजन का प्रावधान है। धारा 115जेबी के अंतर्गत किसी ऐसे व्यय या दावे के लिए कटौती की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसे लाभ और हानि खाते में डेबिट नहीं किया गया है, जब तक कि वह धारा 115जेबी के नीचे प्रदत्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत दिए गए किसी निर्दिष्ट समायोजन के अंतर्गत न आता हो। अपोलो टायर्स लिमिटेड बनाम सीआईटी[60] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धारा 115जे (अब धारा 115जेबी) के अंतर्गत आय की गणना करते समय निर्धारण अधिकारी केवल यह संवीक्षा कर सकता है कि क्या बही खाते कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अधिकारियों द्वारा प्रमाणित हैं। निर्धारण अधिकारी लाभ-हानि खाते में दर्शाए गए निवल लाभ पर सवाल नहीं उठा सकता। धारा 115जे के स्पष्टीकरण के अनुसार, निर्धारण अधिकारी की शक्तियां केवल परिवर्धन और कटौती करने तक सीमित थीं।

धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कुछ कंपनियों द्वारा कर के भुगतान पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 30/2017[61] में यह भी बताया गया था कि धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों को कम करने का कोई प्रावधान नहीं था। मंत्रालय ने अगस्त 2018 में अपने कृत कार्रवाई नोट में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया था। बही लाभ की

---

59 आयकर अधिनियम की धारा 115जेबी के अनुसार, जहां अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत गणना किया गया कर धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत बही लाभ पर देय कर से कम है, वहां निर्धारिती विशेष प्रावधानों के अनुसार बही लाभ पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

60 [255 आयकर रिट 273 (2002)]

61 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2017 के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 30 का पैरा 2.8.1

गणना करते समय अशोध्य ऋणों की अनुमति की अनियमितता विभाग में अभी भी बनी हुई है, जबकि इस मुद्दे को 2017 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में चिह्नित किया गया था, जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफ में बताया गया है।

मार्च 2020 में धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 15,425.61 करोड़ और धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 36,405.06 करोड़ की आय निर्धारित की गई। धारा 115जेबी के प्रावधानों के अंतर्गत कर देय निर्धारित किया गया। सितंबर 2021 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 3,479.85 करोड़ की आय निर्धारित की गई और ₹ 1,887.97 करोड़ की रिटर्न बही हानि को स्वीकार किया गया। लेखापरीक्षा ने निर्धारण आदेश से पाया कि धारा 115जेबी के प्रावधानों के अंतर्गत बही लाभ की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत अनुमति को ध्यान में रखते हुए, बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 24,725.74 करोड़ की कटौती की अनुमति दी।

निर्धारण वर्ष 2019-20 में, निर्धारिती ने बही लाभ की गणना करते समय बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए निवल लाभ से ₹ 54,617.72 करोड़ की कटौती का दावा किया था। सितंबर 2021 में पारित निर्धारण आदेश में निर्धारिती द्वारा प्रस्तावित लाभ में निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई सकारात्मक समायोजन नहीं किया गया था। इसी प्रकार, निर्धारिती ने अन्य परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालने के लिए ₹ 63.98 करोड़ और निर्धारण वर्ष 2019-20 में विदेशी शाखाओं से आय के लिए ₹ 2,699.40 करोड़ की कटौती का दावा किया। ये कटौतियाँ भी स्वीकार्य नहीं थीं क्योंकि वे धारा 115जेबी के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के अंतर्गत निर्धारित समायोजन के अंतर्गत नहीं आती थीं। निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कुल अस्वीकृत राशि ₹ 57,381.10 करोड़ थी। निर्धारण अधिकारी ने धारा 115जेबी के अंतर्गत निवल लाभ से अनुचित तरीके से अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति दी, तथापि इसे लाभ और हानि खाते में डेबिट नहीं किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि निर्धारण वर्ष 2017-18 में निर्धारिती के इसी प्रकार के दावे को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में अनुच्छेद संख्या 25 के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 24,725.74 करोड़ तथा निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 57,381.10 करोड़ के बही लाभ का कम निर्धारण हुआ, जिसमें निर्धारण वर्ष 2018-19 में

₹ 5,276.87 करोड़ तथा निर्धारण वर्ष 2019-20 में ₹ 10,742.11 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

इसे जनवरी 2022 में डीसीआईटी-2(2)(1), मुंबई के संज्ञान में लाया गया। डीसीआईटी-2(2)(1), मुंबई ने निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (जून 2022) कि उचित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। निर्धारण वर्ष 2018-19 के संबंध में, डीसीआईटी ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि चूंकि धारा 115जेबी के नीचे स्पष्टीकरण 1 के अंतर्गत अशोध्य ऋणों को कटौती के रूप में बट्टे खाते में डालने की अनुमति देने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, इसलिए लेखापरीक्षा में उठाया गया मुद्दा विवादास्पद था।

निर्धारण वर्ष 2018-19 के संबंध में विभाग को एक प्रत्युत्तर जारी किया गया (फरवरी 2022), जिसमें उत्तर को स्वीकार न करते हुए कहा गया कि विभाग ने उसी निर्धारिती के मामले में असंगत रुख अपनाया था और निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए ऐसे दावे को अस्वीकार कर दिया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए भी इसी प्रकार की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुशंसा:

सीबीडीटी धारा 115जेबी के अंतर्गत लाभ की गणना करते समय समायोजन के रूप में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति देने के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर सकता है, जब बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों को लाभ और हानि खाते में डेबिट नहीं किया जाता है, ऐसा राजस्व की महत्वपूर्ण राशि को ध्यान में रखते हुए और इस मुद्दे पर दीर्घकालिक मुकदमेबाज़ी से बचने के लिए किया जा सकता है।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (नवंबर 2024) कि इस अनुशंसा के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं है कि यह अशोध्य ऋणों के प्रावधान या बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों से संबंधित है। अतः इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने का अनुरोध है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि जब बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों को निर्धारिती के लाभ और हानि खाते में डेबिट नहीं किया जाता है, तो बही लाभ की गणना करते समय ऐसे व्ययों को अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह अनुशंसा निरीक्षणाधीन है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना करते समय निवल लाभ से बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के नकारात्मक समायोजन/कमी से संबंधित है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि यद्यपि, धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना में, जब इसे लाभ और हानि खाते में डेबिट नहीं किया जाता है, बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों को कम करने का कोई प्रावधान नहीं है, तथापि बही लाभ की गणना करते समय अशोध्य ऋणों की अनुमति की अनियमितता अभी भी आयकर विभाग में बनी हुई है। इसलिए, सीबीडीटी राजकोष को होने वाली राजस्व हानि तथा दीर्घकालिक कानूनी मामलों से बचाव हेतु आईटी अधिनियम धारा 115जेबी के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त निर्देशों की समीक्षा और उन्हें जारी कर सकता है।

5.1.1.7 आय गणना और प्रकटीकरण मानकों (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार अमान्य राजस्व

धारा 43एए[62] की उपधारा (2) के अनुसार, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के कारण होने वाला लाभ या हानि सभी विदेशी मुद्रा संव्यवहार के संबंध में होगा, जिसमें विदेशी मुद्रा अनुवाद रिजर्व (एफसीटीआर) से संबंधित संव्यवहार भी सम्मिलित हैं। सरकार ने निर्धारण वर्ष 2017-18 से आय गणना एवं प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस) अधिसूचित[63] कर दिए हैं। आईसीडीएस-VI के खंड 5 के अनुसार, मौद्रिक मदों के संबंध में, पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को उनके निपटान या रूपांतरण पर उत्पन्न विनिमय अंतर को उस पूर्व वर्ष में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी। सीबीडीटी ने दिनांक 23.03.2017 के परिपत्र संख्या 10, 2017 के प्रश्न 16 के माध्यम से स्पष्ट किया कि विनिमय अंतर से संबंधित 1 अप्रैल 2016 को एफसीटीआर में अथ शेष को निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित पूर्व वर्ष में मान्यता दी जाएगी, जहां तक पूर्व में आय गणना में मान्यता नहीं दी गई थी।

उपरोक्त स्पष्टीकरण के बावजूद, लेखापरीक्षा ने पाया कि न तो निर्धारिती बैंक ने इसे कर के लिए प्रस्तुत किया और न ही निर्धारण अधिकारी ने संवीक्षा निर्धारण के दौरान इसे वापस जोड़ा, जिसके परिणामस्वरूप एफसीटीआर में विनिमय अंतर के कारण आय निर्धारण से बच गई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

---

62 वित्त अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित आयकर अधिनियम की धारा 43एए, निर्धारण वर्ष 2017-18 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, यह निर्धारित करती है कि विदेशी विनिमय दरों में किसी भी परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को आय या हानि के रूप में माना जाएगा, जैसा भी मामला हो, और इस तरह के लाभ या हानि की गणना धारा 145 की उप-धारा (2) के अंतर्गत सरकार द्वारा अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार की जाएगी।

63 *अधिसूचना संख्या 3079(ई) दिनांकित 29 सितंबर 2016*

बॉक्स 5.1

मार्च 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारिती के निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें ₹ 33,126.08 करोड़ की आय और अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कर देयता निर्धारित की गई। तुलन-पत्र की अनुसूची-2 (आरक्षित निधि एवं अधिशेष) के अनुसार, 01.04.2016 को विदेशी मुद्रा अनुवाद रिजर्व (एफसीटीआर) का अथ शेष ₹ 6,056.25 करोड़ था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने कर योग्य आय की गणना के लिए एफसीटीआर का अथ शेष प्रस्तुत नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6,056.25 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ तथा ₹ 2,598.97 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

यह लेखापरीक्षा अभ्युक्ति दिसंबर 2020 में आयकर उप आयुक्त-2(2)(1), मुंबई के संज्ञान में लाई गई थी। उत्तर में, डीसीआईटी-2(2)(1), मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2022) कि मार्च 2021 में धारा 148 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.1.1.8 भारत में कराधान विदेशी आय पर डीआईटी राहत की गैर अनुमति

आयकर अधिनियम की धारा 90 और 91[64] दोहरे कराधान को रोकने के लिए विदेशी स्रोतों से अर्जित आय पर राहत प्रदान करती है। जब किसी निर्धारिती की आय पर भारत में कर आरोपित किया जाता है और दावा की गई छूट अस्वीकार कर दी जाती है, तो निर्धारिती भारत के बाहर भुगतान किए गए कर पर डीआईटी राहत का दावा करने के लिए अर्ह होता है, जो भारत में भुगतान किए गए कर से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती को डीआईटी राहत नहीं दी गई, यद्यपि विदेशी शाखाओं की सम्पूर्ण आय को भारत में कर के दायरे में लाया गया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

---

[64] अधिनियम की धारा 90 और धारा 91 के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति जो किसी पिछले वर्ष में भारत का निवासी है, यह सिद्ध करता है कि उसकी उस आय के संबंध में, जो उस पूर्व वर्ष के दौरान भारत के बाहर अर्जित या उत्पन्न हुई (और जिसे भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं माना जाता है), उसने किसी देश में उस देश में लागू कानून के अंतर्गत कटौती द्वारा या अन्यथा आयकर का भुगतान किया है, तो वह निर्धारिती द्वारा देय भारतीय आयकर से ऐसी दोगुनी कर योग्य आय पर भारतीय कर दर या उक्त देश की कर दर, जो भी कम हो, के अनुसार गणना की गई राशि की कटौती का हकदार होगा। धारा 90 डीटीएए की उपस्थिति में लागू होती है। अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत, यदि भारत और किसी अन्य देश के बीच डीटीएए की अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति कर राहत का दावा करने के लिए पात्र है।

बॉक्स 5.2

निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए संवीक्षा निर्धारण मार्च 2020 में धारा 143(3) के अंतर्गत पूरा किया गया, जिसमें धारा 115जेबी के अंतर्गत ₹ 36,405.06 करोड़ का बही लाभ निर्धारित किया गया। निर्धारिती ने उन देशों में अपनी विदेशी शाखाओं द्वारा अर्जित आय के लिए ₹ 1,997.29 करोड़ की छूट का दावा किया था, जिनके साथ भारत का दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए) है, और इसे निर्धारण अधिकारी द्वारा पूरी तरह से अस्वीकृत कर दिया गया था और कर योग्य आय में वापस जोड़ दिया गया था। निर्धारण आदेश के अनुसार, यदि डीटीएए के साथ विदेशी शाखाओं की आय के लिए छूट भी निर्धारिती को नहीं दी गई, तो निर्धारिती ने ₹ 309.59 करोड़ की डीआईटी राहत का वैकल्पिक दावा किया था।

चूंकि विदेशी शाखाओं की सम्पूर्ण आय को भारत में कर के दायरे में लाया गया था, तथा निर्धारिती ने प्रपत्र 67[65] नियम 128[66] के अनुसार, भी जमा किया था, इसलिए निर्धारिती को ₹ 309.59 करोड़ की डीआईटी राहत दी जानी चाहिए थी।

जनवरी 2022 में यह बात डीसीआईटी-2(2)(1), मुंबई के संज्ञान में लाई गई। उत्तर में (जून 2022), डीसीआईटी-2(2)(1), मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्ययुक्ति को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया और कहा कि उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.1.1.9 डीआईटी राहत पर अनुमति जब भारत में विदेशी आय कराधान नहीं थी

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती बैंक को डीआईटी राहत दी गई, यद्यपि दावा नहीं किया गया था, तथा भारत के बाहर अर्जित आय को छूट के रूप में अनुमति दी गई।

सितंबर 2021 में धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 3,479.85 करोड़ की आय निर्धारित की गई। संवीक्षा निर्धारण के दौरान धारा 90/91 के

---

65 भारत के बाहर किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में भुगतान किए गए विदेशी कर के क्रेडिट का दावा करने के लिए प्रपत्र 67 जमा करना आवश्यक है। चालू वर्ष की अग्रगामी हानि के मामले में भी इसे जमा करना आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप उस विदेशी कर का प्रतिदाय होता है जिसके लिए किसी भी पूर्ववर्ती वर्ष में क्रेडिट का दावा किया गया है।

66 आयकर नियम, 1962 के नियम 128 के अनुसार, निवासी निर्धारिती भारत के बाहर किसी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में भुगतान किए गए किसी भी विदेशी कर पर क्रेडिट का दावा करने का पात्र है। क्रेडिट तभी दिया जाएगा जब निर्धारिती निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रपत्र 67 में आवश्यक विवरण प्रस्तुत करेगा।

अंतर्गत ₹ 219.38 करोड़ की डीआईटी राहत की अनुमति दी गई। यद्यपि, निर्धारिती की आय की गणना में, डीआईटी राहत का कोई दावा नहीं किया गया था क्योंकि ₹ 2,668.19 करोड़ की संपूर्ण विदेशी आय का दावा किया गया था और उसे छूट प्राप्त आय के रूप में अनुमति दी गई थी। चूंकि भारत के बाहर अर्जित आय को छूट दी गई थी, इसलिए निर्धारिती डीआईटी राहत का हकदार नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 219.38 करोड़ की डीआईटी राहत की अनियमित अनुमति दी गई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को जनवरी 2022 में डीसीआईटी-2(2)(1), मुंबई के संज्ञान में लाया गया। उत्तर में (जून 2022), डीसीआईटी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि 28.03.2023 को धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी, जिसमें विदेशी शाखाओं से आय को कर योग्य आय में वापस जोड़ा गया है और परिणामस्वरूप डीआईटी राहत की अनुमति दी गई है।

5.1.1.10 धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की राशि की गणना में त्रुटियां

मार्च 2020 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए संवीक्षा निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें अधिनियम की धारा 115जेबी के अंतर्गत ₹ 36,405.06 करोड़ का बही लाभ निर्धारित किया गया। निर्धारण आदेश के अनुच्छेद 23 के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए लागू दर 8.5 *प्रतिशत* के स्थान पर कुल आय के 7.5 *प्रतिशत* की दर से धारा 36(1)(viiए) के प्रावधानों के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत ₹ 324.84 करोड़ की कटौती की कम अनुमति दी गई तथा ₹ 112.42 करोड़ के कर के अधिक प्रभार सहित समान राशि का अधिक निर्धारण किया गया।

जनवरी 2022 में यह मामला डीसीआईटी-2(2)(1), मुंबई के संज्ञान में लाया गया। उत्तर में (फरवरी 2022), डीसीआईटी-2(2)(1), मुंबई ने सैद्धांतिक रूप से लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा कि उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.1.1.11 फेसलेस योजना के अंतर्गत संवीक्षा के बाद निर्धारण में कर योग्य आय की अनियमित गणना

सरकार ने निर्धारण कार्यवाही के दौरान निर्धारिती और कर प्राधिकारों के बीच व्यक्तिगत संपर्क को समाप्त करने के उद्देश्य से ई-निर्धारण योजना[67] शुरू की थी।

बॉक्स 5.3

सितंबर 2021 में फेसलेस निर्धारण योजना के अंतर्गत पूर्ण संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 3,479.85 करोड़ की आय निर्धारित की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुछ प्रतिभूतिकरण न्यासों के सर्वेक्षण के दौरान पाए गए मुद्दों की संवीक्षा के लिए धारा 142(1) के अंतर्गत नोटिस 14.9.2021 और 23.09.2021 को जारी किए गए थे। निर्धारण आदेश के अनुसार, धारा 143(2) के अंतर्गत 28.09.2020 को एक नोटिस भी जारी किया गया था। यद्यपि, उक्त नोटिस की प्रति और की गई पूछताछ की स्थिति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई। केवल धारा 142(1) के अंतर्गत जारी नोटिस में उठाए गए मुद्दों पर विचार करते हुए संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि निर्धारण पूर्व निर्धारण अभिलेखों को सत्यापित किए बिना और पूर्व निर्धारणों के अनुसार गैर-अनुमत व्ययों और कटौतियों को अस्वीकार किए बिना पूरा किया गया था। पूर्ववर्ती दो निर्धारण वर्षों में किए गए परिवर्धन को निर्धारण वर्ष 2019-20 के साथ तुलना नीचे तालिका 5.6 में दी गई है:

---

67 ई-निर्धारण योजना को सीबीडीटी द्वारा अधिसूचना संख्या 61/2019 और 62/2019 दिनांक 12 सितंबर 2019 द्वारा अधिसूचित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सूचना या दस्तावेज़ों या साक्ष्य या किसी अन्य विवरण के संबंध में निर्धारण इकाई, समीक्षा इकाई, सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाई या निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सभी संचार राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र के माध्यम से होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारिती के दावों की स्पष्ट तरीके से जांच की जाए और साथ ही उन्हें हर स्तर पर अपने दावे का बचाव करने का अवसर प्रदान किया जाए और बिना किसी त्रुटि या चूक के आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय का निर्धारण किया जाए।

तालिका 5.6: निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान किए गए परिवर्धन का विवरण						**(₹ करोड़ में)**
क्रम सं.	**वह मुद्दा जिस पर संवीक्षा निर्धारण में परिवर्धन किया गया**	**निर्धारण वर्ष 2017-18**	**निर्धारण वर्ष 2018-19**	**निर्धारण वर्ष 2019-20**	**लेखापरीक्षा के अनुसार पूर्व वर्ष के निर्धारण के आधार पर निर्धारण वर्ष 2019-20 में अस्वीकृत की जाने वाली राशियाँ**	**टिप्पणी**
	विवरणीकृत आय	10,865.89	(28,389.97)	3,242.82		
1.	अर्जित लेकिन अदेय ब्याज	2,148.35	3,370.34	0	214.19	निर्धारिती गणना एवं गणना के नोट 12 के अनुसार
2.	खण्डावधि का भुगतान किया गया ब्याज	981.17	2,804.95	0	2,475.93	गणना के नोट 12 के अनुसार
3.	धारा 14क के अंतर्गत अस्वीकृति	95.49	125.54	0	150.63	आय की गणना के अनुलग्नक 8 के अनुसार
4.	एचटीएम प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए अधिमूल्य का परिशोधन	799.08	1,771.72	0	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	
5.	एनपीए पर ब्याज आय	62.2	177.62	0	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	
6.	धारा 35[1] (vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों का दावा	26,469.63	46,648.49	0	17,058.50	पिछले वर्ष का निर्धारण आदेश
7.	बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली	246.09	246.51	0	116.63	गणना और गणना के नोट 20 के अनुसार
8.	विदेशी शाखाओं से आय	3,008.57	1,997.29	0	2,668.19	गणना और गणना के नोट 20 के अनुसार
9.	सतत ऋण लिखतों (आईपीडीआई) पर ब्याज	788.43	1,207.58	0	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	
	कुल	**34,599**	**58,350.05**	**0**	**22,684.07**	
	कर प्रभाव				7,926.72	
स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख						

उपर्युक्त परिवर्धन पिछले निर्धारणों के दौरान निरंतर किए गए थे और इनमें से अधिकांश मुद्दे विभिन्न स्तरों पर अपीलों में लंबित हैं। विभिन्न निर्धारण वर्षों में निर्धारिती के मामले में समान दावों की करदेयता के संबंध में बिना किसी औचित्य या उचित आदेश के असंगत रुख अपनाने से अपीलीय कार्यवाही में विभाग का रुख खतरे में पड़ सकता है। अभिलेखों में उपलब्ध सूचना को पूर्व निर्धारणों में विभाग द्वारा अपनाए गए रुख के अनुरूप होने के लिए, निर्धारण वर्ष 2019-20 में ₹ 7,926.72 करोड़ के कर सहित कम से कम ₹ 22,684.07 करोड़ की वृद्धि की जानी चाहिए थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को फरवरी 2022 में डीसीआईटी-2(2)(1), मुंबई को सूचित किया गया था। उत्तर में (जून 2022), डीसीआईटी- 2(2)(1), मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार

किया और कहा (जुलाई 2023) कि निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारण मार्च 2023 में धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत पुनर्निर्धारण किया गया था। यह देखा गया कि कर योग्य आय सितंबर 2021 में पारित मूल निर्धारण आदेश में निर्धारित ₹ 3,479.85 करोड़ के बजाय ₹ 11,603.55 करोड़ निर्धारित की गई थी। विभाग ने यह भी बताया कि निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए पुनः खोले गए निर्धारण के संबंध में उठाई गई ₹ 3,612.22 करोड़ की मांग के विपरीत निर्धारिती से ₹ 2,400 करोड़ की राशि वसूल की गई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने विभिन्न निर्धारण वर्षों में कर निर्धारिती बैंक के समान दावों की करदेयता के संबंध में असंगत रुख अपनाया है। विभाग उन समान मामलों की समीक्षा करे जिन्हें फेसलेस निर्धारण योजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया, जिसमें मदों या दावों के आधार पर वृद्धि या अस्वीकृति नहीं की गई थी, जबकि उसी निर्धारिती के मामले में ऐसे ही दावे पूर्व निर्धारण वर्षों में अस्वीकृत किए गए थे।

5.1.1.12 संबंधित पक्ष से संव्यवहार

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारिती बैंक के अभिलेखों के अनुसार संबंधित पक्षों को किए गए भुगतानों की करदेयता से संबंधित विवरणों का अपने क्षेत्राधिकार के निर्धारण अधिकारियों से पुन: मिलान नहीं किया गया।

एस8 के कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन[68] में उल्लिखित धारा 40ए(2)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहार की प्रामाणिकता की जाँच के लिए, लेखापरीक्षा ने इनमें से कुछ संव्यवहारों का इन भुगतानों के प्राप्तकर्ताओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में जमा आयकर रिटर्न में दी गई सूचना के साथ पुन: मिलान किया। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित भिन्नताएँ देखीं, जिनका विवरण नीचे तालिका 5.7 में दिया गया है।

---

[68] कर लेखापरीक्षक को प्रपत्र 3सीडी (कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) के खंड 23 में यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि व्यय के लिए संबंधित पक्षों को किए गए या किए जाने वाले भुगतान, जिन्हें लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया था, संव्यवहार के उचित बाज़ार मूल्य के बराबर या उससे कम है।

तालिका 5.7: मुख्य निर्धारिती और संबद्ध पक्ष के अभिलेखों के अनुसार पाए गए अंतर का विवरण

(₹ करोड़ में)

नि.व.	संबंधित पक्ष का नाम	प्रपत्र 3सीडी के खंड 23 के अनुसार किया गया भुगतान	संव्यवहार के प्रकार	प्राप्तकर्ता के रिटर्न में दर्शाई गई राशि	अंतर	वह लेखा शीर्ष जिसके अंतर्गत प्राप्तकर्ता द्वारा संव्यवहार दर्शाया गया है	टिप्पणी
2016-17	एस36	3.59	बांड पर भुगतान किया गया ब्याज	5.43	1.84	ब्याज आय	संबंधित अभिलेख की अनुपलब्धता के कारण, भुगतानकर्ता के प्रपत्र 3सीडी के अनुसार भुगतान किए गए ब्याज और प्राप्तकर्ता द्वारा दर्शाए गए ब्याज आय का सीधा सहसंबंध लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
2017-18	एस36	3.59	बांड पर भुगतान किया गया ब्याज	2.85	-0.74	ब्याज आय	
2018-19	एस36	2.24	बांड पर भुगतान किया गया ब्याज	84.26	82.02	ब्याज आय	
योग		**9.42**		**92.54**	**83.12**		

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने एस36 के क्षेत्राधिकार के निर्धारण अधिकारी से यह सत्यापित करने के लिए कोई पूछताछ नहीं की कि भुगतान के रूप में दिखाए गए बांड पर ब्याज को एस36 द्वारा उचित प्रस्तुतिकरण किया गया है या नहीं।

लेखापरीक्षा में पाए गए अंतर मार्च 2022 में आयकर उप आयुक्त-2(2)(1), मुंबई को प्रेषित किए गए थे। अनुस्मारक (अप्रैल 2024, नवंबर 2024) जारी किए जाने के बावजूद, डीसीआईटी का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.1.2 पी1 के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण

पी1 भारत का एक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जो खुदरा, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) और कॉर्पोरेट ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का एक विविध

पोर्टफोलियो प्रदान करता है। बैंक के पास शाखाओं, एटीएम और अन्य संपर्क बिंदुओं का एक व्यापक नेटवर्क है।

पी1 का निर्धारण पीसीआईटी-7 दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक बैंक के वित्तीय मुख्य बिंदु, निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक बैंक के निर्धारण के विवरण, निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान दावा की गई और स्वीकृत कटौतियों का विवरण, तथा पी1 के निर्धारण की लेखापरीक्षा में पाई गई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों पर नीचे चर्चा की गई है।

5.1.2.1 पी1 के वित्तीय विशेषताओं का विवरण

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के लिए पी1 के वित्तीय मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं।

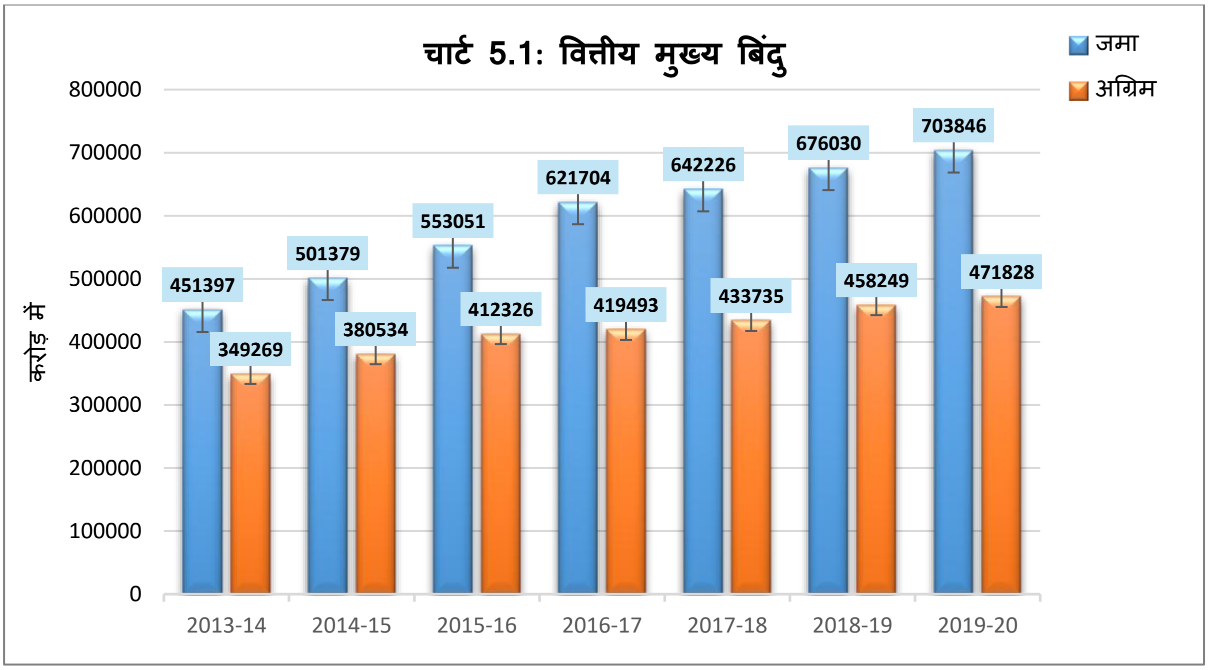

स्रोत: वार्षिक प्रतिवेदन

5.1.2.2 पी1 के आयकर निर्धारण का विवरण

पी1 के निर्धारणों का छह निर्धारण वर्षों (2014-15 से 2019-20) के लिए 360-डिग्री विश्लेषण हेतु चयन किया गया। सभी चयनित निर्धारण वर्षों में पी1 के आयकर रिटर्न का धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण संवीक्षण के लिए चयन किया गया। पी1 के निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक के निर्धारण विवरण से यह स्पष्ट हुआ कि संवीक्षा निर्धारण के दौरान की गई वृद्धि, विवरण आय का 15.18 *प्रतिशत* से 52.07 *प्रतिशत* तक थी, जैसा कि नीचे तालिका 5.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.8: निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक आयकर निर्धारण का विवरण (₹ करोड़ में)							
क्रम. सं.	**नि.व.**	**रिटर्न जमा करने की तिथि**	**रिटर्न की गई आय**	**निर्धारित आय**	**किए गए परिवर्धन**	**रिटर्न आय के *प्रतिशत* के रूप में परिवर्धन (*प्रतिशत* में)**	**जिस धारा के अंतर्गत निर्धारण किया गया/ निर्धारण की तिथि**
1	2014-15	27.11.2014	5,469.46	8,022.75	2,553.29	46.68	143(3)/ 27.12.2017
2	2015-16	23.03.2017	6,009.53	9,030.58	3,021.05	50.27	143(3)/ 21.12.2018
3	2016-17	28.11.2016	3,799.14	5,777.51	1,978.37	52.07	143(3)/ 31.12.2019
4	2017-18	31.03.2018	6,024.39	6,938.86	914.47	15.18	143(3)/ 31.12.2019
5	2018-19	31.03.2019	(-)3,809.51	6,066.66	9,876.17	गणना योग्य नहीं* [क्योंकि रिटर्न आय हानि के रूप में थी]	143(3)/ 05.07.2021
6	2019-20	29.09.2020	(-)47.68	5,156.84	5,204.52	गणना योग्य नहीं* [क्योंकि रिटर्न आय हानि के रूप में थी]	143(3)/ 30.09.2021
योग			**21,302.52 {(-)3,857.19}**	**40,993.20**	**23,547.87**		
स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख **[*नोट: रिटर्न आय हानि के रूप में थी]**							

5.1.2.3 दावा की गई और स्वीकृत कटौतियों का विवरण

धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के लिए दावा की गई और स्वीकृत कटौतियों, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की गई कटौतियों, धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि में अंतरित की गई राशि पर की गई कटौतियों और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दावा की गई करमुक्त आय का विवरण नीचे दी गई तालिका 5.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.9: दावा की गई और स्वीकृत कटौतियाँ (₹ करोड़ में)

नि.व.	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋण		धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती		करमुक्त आय	
	किए गए दावे	स्वीकृत	किए गए दावे	स्वीकृत	किए गए दावे	स्वीकृत	किए गए दावे	स्वीकृत
2014-15	2,731.30	2,731.30	4,362.01	4,362.01	237.53	237.53	203.29	203.29
2015-16	8,095.31	8,095.31	4,948.57	4,948.57	267.42	0	213.30	213.30
2016-17	8,092.52	8,092.52	5,428.49	5,428.49	0	0	241.64	241.64
2017-18	13,692.17	13,692.17	5,528.10	5,528.10	251.70	0	243.91	243.91
2018-19	15,890.75	15,890.75	4,917.58	4,917.58	0	0	257.44	257.44
2019-20	20,468.50	20,468.50	5,928.36	5,928.36	0	0	एनए	एनए
योग	**68,970.55**	**68,970.55**	**31,113.11**	**31,113.11**	**756.65**	**237.53**	**1,159.58**	**1,159.58**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान अशोध्य ऋण, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, तथा करमुक्त आय के कारण दावा की गई कटौती को दावे के अनुसार अनुमति दी गई, जबकि विशेष आरक्षित निधि में अंतरण के लिए ₹ 756.65 करोड़ की कटौती के प्रति केवल ₹ 237.53 करोड़ की कटौती स्वीकृत की गई।

5.1.2.4 360-डिग्री विश्लेषण में प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

लेखापरीक्षा में ₹ 7,803.71 करोड़ के कम निर्धारण और ₹ 3,724.21 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित आठ प्रमुख मामले पाए गए, इनमें से सात निष्कर्ष ₹ 7,803.71 करोड़ की आय के कम निर्धारण तथा ₹ 3,643.65 करोड़ के कम कर उद्ग्रहण से संबंधित थीं, जबकि शेष एक निष्कर्ष ₹ 80.56 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिदाय के निर्गमन से संबंधित थी। इन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार नीचे दी गई तालिका 5.10 में दिया गया है।

तालिका 5.10: पी1 के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	नि.व.	धारा एवं निर्धारण की तिथि	अनियमितता का सार	अल्प निर्धारण	प्रभावी कर	विभाग का उत्तर
1	2014-15	143(3) दिनांक 27.12.2017	धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत अनुचित कटौती	7.53	2.56	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)

तालिका 5.10: पी1 के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार						**(₹ करोड़ में)**
क्रम सं.	**नि.व.**	**धारा एवं निर्धारण की तिथि**	**अनियमितता का सार**	**अल्प निर्धारण**	**प्रभावी कर**	**विभाग का उत्तर**
2	2014-15	143(3) दिनांक 27.12.2017	करमुक्त आय के प्रति धारा 14ए के अंतर्गत व्यय की अनुचित अननुमत	25.54	8.68	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
3	2014-15	143(3) दिनांक 27.12.2017	बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली की अनुचित कटौती	514.84	175.00	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
4	2015-16	143(3) दिनांक 21.12.2018	बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली की अनुचित कटौती	1,017.24	501.35	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
5	2016-17	143(3) दिनांक 31.12.2019	बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली की अनुचित कटौती	2,297.58	1,152.96	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
6	2017-18	143(3) दिनांक 31.12.2019	बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली की अनुचित कटौती	2,132.99	981.78	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
7	2019-20	143(3) दिनांक 30.09.2021	बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली की अनुचित कटौती	1,807.99	821.32	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
8	2019-20	143(3) दिनांक 30.09.2021	धन का अधिक प्रतिदाय	0	80.56	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
			योग	**7,803.71**	**3,724.21**	

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

5.1.2.5 धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती की अनुचित अनुमति

लेखापरीक्षा में पाया गया कि धारा 36(1)(viii)[69] के अंतर्गत अनुमत कटौती को विशेष आरक्षित निधि में अंतरित की गई राशि तक सीमित नहीं रखा गया, जैसा कि नीचे वर्णित है:

[69] आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, किसी विशेष आरक्षित निधि के संबंध में कटौती धारा 36(1)(viii) के प्रयोजनार्थ सृजित किए गए विशेष आरक्षित निधि खाते में पिछले वर्ष के दौरान अंतरित राशि तक सीमित होनी चाहिए केवल उतनी ही राशि तक सीमित होगी।

बॉक्स 5.4

दिल्ली में, प्रधान आयकर आयुक्त-7 के प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए मेसर्स पी1 का निर्धारण दिसंबर 2017 में ₹ 8,022.75 करोड़ की आय पर पूरा किया गया। धारा 143(3) के साथ पठित धारा 250[70] के अंतर्गत आदेश दिसंबर 2018 में ₹ 5,469.46 करोड़ की आय पर पारित किया गया। धारा 250 के अंतर्गत निर्धारण आदेश के अनुसार, निर्धारिती को धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹ 237.53 करोड़ की कटौती स्वीकृत की गई, जबकि विशेष आरक्षित निधि में अंतरित की गई राशि केवल ₹ 230 करोड़ थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 7.53 करोड़ की अतिरिक्त कटौती स्वीकृत हो गई, जिससे ₹ 2.56 करोड़ का कर प्रभाव पड़ा।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को उप आयकर आयुक्त सर्किल-19(1), दिल्ली को मार्च 2022 में प्रेषित किया गया। अनुस्मारक (अप्रैल 2023, जून 2023, अप्रैल 2024 और नवंबर 2024) जारी होने के बावजूद उप आयकर आयुक्त से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.1.2.6 बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली की कटौती की अनुचित अनुमति

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बट्टे खाते में डाले गए खातों की वसूली से कटौती को न तो निर्धारिती बैंक द्वारा आय के रूप में प्रस्तुत किया गया और न ही विभाग द्वारा उसे कर योग्य आय में वापस जोड़ा गया। यद्यपि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2019-20 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली की कटौती का दावा किया, लेकिन उसे कर निर्धारण के दौरान कर योग्य आय में सम्मिलित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7,770.65 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसका कर प्रभाव ₹ 3,632.41 करोड़ रहा, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

बॉक्स 5.5

दिल्ली में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त-7 के प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2019-20 के लिए मेसर्स पी1 का निर्धारण क्रमशः ₹ 8,022.75 करोड़, ₹ 9,030.58 करोड़, ₹ 5,777.51 करोड़, ₹ 6,938.86 करोड़ और ₹ 5,156.84 करोड़ की आय पर पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह तथ्य सामने आया कि

---

[70] आयकर अधिनियम की धारा 250 में अपील प्रक्रिया और सीआईटी (अपील) को अभिलेखों से प्रत्यक्ष त्रुटि को सुधारने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2019-20 के लिए आय की गणना में बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली के रूप में क्रमशः ₹ 514.84 करोड़, ₹ 1,017.24 करोड़, ₹ 2,297.58 करोड़, ₹ 2,132.99 करोड़ और ₹ 1,807.99 करोड़ की कटौती की थी। यद्यपि, निर्धारिती ने इन्हें निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2019-20 से संबंधित पूर्व वर्षों में आय के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 514.84 करोड़ (कर प्रभाव ₹ 175 करोड़) निर्धारण वर्ष 2014-15 में, ₹ 1,017.24 करोड़ (कर प्रभाव ₹ 501.35 करोड़) निर्धारण वर्ष 2015-16 में, ₹ 2,297.58 करोड़ (कर प्रभाव ₹ 1,152.96 करोड़) निर्धारण वर्ष 2016-17 में, ₹ 2,132.99 करोड़ (कर प्रभाव ₹ 981.78 करोड़) निर्धारण वर्ष 2017-18 में तथा ₹ 1,808 करोड़ (कर प्रभाव ₹ 821.32 करोड़) निर्धारण वर्ष 2019-20 में कम आय का निर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को उप आयकर आयुक्त परिक्षेत्र-19 (1), दिल्ली को मई और जून 2022 में प्रेषित किया गया था। अनुस्मारक [अप्रैल 2023, जून 2023, अप्रैल 2024 और नवंबर 2024] जारी करने के बाद भी डीसीआईटी का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.1.2.7 अधिक अनुमत प्रतिदाय

निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की योग आय या हानि का सही निर्धारण करना आवश्यक है तथा ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय या उसे प्रतिदाय योग्य सही राशि निर्धारित करनी होगी। यद्यपि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि मांग प्रस्तुत करते समय प्रतिदाय की गलत राशि को ध्यान में रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 73.98 करोड़ की कम मांग हुई, जिसमें ब्याज सहित ₹ 80.56 करोड़ का कर सम्मिलित था, जैसा कि नीचे उदाहरण सहित दर्शाया गया है।

बॉक्स 5.6

मेसर्स पी1 के निर्धारण वर्ष 2019-20 का निर्धारण सितंबर 2021 में ₹ 5,156.83 करोड़ की आय पर पूर्ण किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह पता चला कि विभाग द्वारा मार्च 2021 में आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के अंतर्गत आदेश पारित करते समय ₹ 188.19 करोड़ की प्रतिदाय जारी की गई थी। यद्यपि, अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत आदेश पारित करते समय विभाग ने ₹ 2,245.90 करोड़ की मांग प्रस्तुत की तथा

₹ 188.19 करोड़ की सही राशि के स्थान पर केवल ₹ 114.21 करोड़ के प्रतिदाय को ही जोड़ा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 73.98 करोड़ की मांग कम प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त, विभाग ने पहले से जारी किए गए प्रतिदाय पर धारा 234डी के अंतर्गत ₹ 6.58 करोड़ का ब्याज भी प्रभारित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप धारा 234डी[71] के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 80.56 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को जून 2022 में उप आयकर आयुक्त परिक्षेत्र-19(1), दिल्ली को प्रेषित किया गया था। अनुस्मारक जारी करने [अप्रैल 2023, जून 2023, अप्रैल 2024 और नवंबर 2024] के बावजूद डीसीआईटी का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.1.2.8 करमुक्त आय के प्रति धारा 14ए के अंतर्गत व्यय की अनुचित अस्वीकृति

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 14ए के प्रावधानों के अनुसार, करमुक्त आय से संबंधित कोई भी व्यय कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्पष्ट[72] किया है कि व्यय की अस्वीकृति उस स्थिति में भी की जाएगी, जब निर्धारिती ने संबंधित वर्ष में कोई करमुक्त आय अर्जित नहीं की हो। कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के खंड 21 (एच) के अनुसार करमुक्त अर्जित आय में किए गए व्यय के संबंध में धारा 14ए के अंतर्गत गैर-अनुमत कटौती की राशि की रिपोर्टिंग आवश्यक है, तथा ऐसी कटौती जो कर योग्य आय की गणना में धारा 14ए के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।

नीचे एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है:

बॉक्स 5.7

निर्धारण वर्ष 2014-15 का संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2017 में पूर्ण किया गया जिससे ₹ 8,022.75 करोड़ की आय की आय प्राप्त हुई। धारा 250/143(3) के अंतर्गत आदेश दिसंबर 2018 में ₹ 5,469.46 करोड़ की आय पर जारी किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि आयकर आयुक्त (अपील) ने आयकर अधिनियम की धारा 14ए के

[71] आयकर अधिनियम की धारा 234डी, दावों के अनुसार निर्धारिती को भुगतान किए गए अतिरिक्त प्रतिदाय पर लगने वाले ब्याज से संबंधित है।

[72] परिपत्र संख्या 5/2014 दिनांक 11.02.2014

साथ पठित नियम 8डी[73] के अंतर्गत ₹ 25.54 करोड़ की अस्वीकृति को स्वीकार किया, तथापि निर्धारण अधिकारी ने कर योग्य आय की गणना करते समय उक्त राशि को वापस नहीं जोड़ा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.54 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसका कर प्रभाव ₹ 8.68 करोड़ रहा।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति मई 2022 में उप आयकर आयुक्त सर्किल-19(1), दिल्ली को प्रेषित की गई थी। अनुस्मारक जारी करने [अप्रैल 2023, जून 2023, अप्रैल 2024 और नवंबर 2024] के बावजूद डीसीआईटी का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.1.3 एस15 के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण

एस15, पीसीआईटी-2 बेंगलुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। एस15 का 01 अप्रैल 2020 से सी6 में विलय हो गया है। विलय से पहले एस15 भारत के सबसे पुराने और प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों में से एक था। एस15 की स्थापना 1925 में कर्नाटक के उडुपी में हुई थी। 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार द्वारा भारत के 13 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के साथ इस बैंक का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। एस15 कृषि बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, एमएसएमई बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग, जमा, कॉर्पोरेट बैंकिंग, स्वर्ण ऋण, म्यूचुअल फंड और बीमा सेवाओं और अन्य में विशेषज्ञता रखता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए बैंक की वित्तीय विशेषताएं, बैंक के निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के निर्धारणों का विवरण, निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान दावा की गई तथा स्वीकृत कटौतियों का विवरण तथा एस15 के निर्धारणों की लेखापरीक्षा में देखी गई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां नीचे दी गई हैं।

5.1.3.1 एस15 की वित्तीय विशेषताओं का विवरण

वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 तक पूर्ववर्ती एस15 की वित्तीय विशेषताएँ नीचे दी गई हैं।

---

[73] नियम 8डी के अनुसार, अननुमत राशि सीधे आय अव संबंधित व्यय के बराबर होगी जो कुल आय का भाग नहीं है और निवेशो के मूल्य के अथ और अंत: शेष के मासिक औसत के वार्षिक औसत के एक *प्रतिशत* के बराबर राशि होगी, जिनसे प्राप्त आय कुल आय का भाग नहीं है या नहीं होगी।

चार्ट 5.2: कुल अग्रिम

जमा

स्रोत: वार्षिक प्रतिवेदन

5.1.3.2 एस15 के आयकर निर्धारण का विवरण

निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के निर्धारणों को 360-डिग्री विश्लेषण के लिए चुना गया। सभी चयनित निर्धारण वर्षों में धारा 143(3) के अंतर्गत सम्पूर्ण संवीक्षण के लिए एस15 के आयकर रिटर्न का चयन किया गया। एस15 का निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक का निर्धारण विवरण नीचे तालिका 5.11 में दिया गया है:

तालिका 5.11: निर्धारण वर्ष 2015-16 से निर्धारण वर्ष 2019-20 तक आयकर निर्धारण का विवरण (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	नि.व.	रिटर्न जमा करने की तिथि	जिस धारा के अंतर्गत निर्धारण किया गया / निर्धारण की तिथि	रिटर्न की गई आय	निर्धारित आय	कृत परिवर्धन	रिटर्न की गई आय के *प्रतिशत* के रूप में वृद्धि (*प्रतिशत* में)
1	2015-16	20.10.2018	धारा 147 और 143(3) के साथ पठित 154/ 04.08.2020	504.76	3,320.74	2,815.98	557.88
2	2016-17	28.11.2016	143(3)/ 23.07.2018	101.08	2,982.76	2,881.68	2,850.89
3	2017-18	21.10.2018	143(3)/ 30.12.2019	165.27	4,574.07	4,408.80	2,667.63
4	2018-19	21.10.2018	धारा 143(3) के साथ पठित	(-5,058.51)	3,168.55	8,227.06	-

तालिका 5.11: निर्धारण वर्ष 2015-16 से निर्धारण वर्ष 2019-20 तक आयकर निर्धारण का विवरण (₹ करोड़ में)							
क्रम सं.	नि.व.	रिटर्न जमा करने की तिथि	जिस धारा के अंतर्गत निर्धारण किया गया / निर्धारण की तिथि	रिटर्न की गई आय	निर्धारित आय	कृत परिवर्धन	रिटर्न की गई आय के *प्रतिशत* के रूप में वृद्धि (*प्रतिशत* में)
			144बी/ /20.04.2021				
5	2019-20	28.10.2019	143(3)/ 30.09.2021	(-6,039.87)	3,185.10	9,224.97	-
योग				**771.11 (-11,098.38)**	**17,231.22**	**27,558.49**	
स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख							

पांच निर्धारण वर्षों अर्थात् निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक, निर्धारिती ने ₹ 771.11 करोड़ की योग आय और ₹ 11,098.38 करोड़ का कुल हानि रिटर्न प्रस्तुत किया। इन पांच निर्धारण वर्षों के दौरान, निर्धारित की गई आय/हानि में ₹ 27,558.49 करोड़ का कुल परिवर्धन किया गया, जिससे कुल निर्धारित आय ₹ 17,231.22 करोड़ हो गई।

5.1.3.3 दावा की गई तथा स्वीकृत कटौतियों का विवरण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संवीक्षा निर्धारण के दौरान किया गया परिवर्धन, रिटर्न आय का 557 *प्रतिशत* से लेकर 2,850 *प्रतिशत* तक था। एस15 से संबंधित प्रणालीगत मुद्दों पर अध्याय 4 में चर्चा की गई है। धारा 36(1)(vii), धारा 36(1)(viiए), धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत एस15 को दी गई और दावा की गई कटौतियां तथा विभिन्न धाराओं के अंतर्गत करमुक्त आय नीचे तालिका 5.12 में दर्शाई गई है:

तालिका 5.12: एस15 द्वारा दावा की गई और अनुमत की गई कटौतियाँ (₹ करोड़ में)								
नि.व.	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋण		धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती		करमुक्त आय	
	किए गए दावे	स्वीकृत	किए गए दावे	स्वीकृत	किए गए दावे	स्वीकृत	किए गए दावे	स्वीकृत
2015-16	975.07	0	1,696.52	281.53	262.90	262.90	29.96	26.31
2016-17	1,296.56	0	1,779.82	281.16	0.00	0.00	21.51	21.51
2017-18	2,764.49	0	2,010.80	408.39	313.12	313.12	12.72	12.72
2018-19	6,206.21	0	2,154.73	174.83	0.00	0.00	18.78	18.78
2019-20	7,198.77	0	2,299.45	303.32	0.00	0.00	11.52	11.52
कुल	**18,441.1**	**0**	**9,941.32**	**1,449.23**	**576.02**	**576.02**	**94.49**	**90.84**
स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख								

निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी भी वर्ष में कर निर्धारण में निर्धारिती के अशोध्य ऋण के दावे को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि यह पहले ही धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत स्वीकार्य प्रावधानों के रूप में दावा किया जा चुका था, जो पिछले वर्षों में लेखांकित किए गए थे।

5.1.3.4 360-डिग्री विश्लेषण में प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

लेखापरीक्षा में ₹ 585.99 करोड़ के गलत निर्धारण के छः मामले पाए गए, जिनका कर प्रभाव ₹ 300.48 करोड़ था। इनमें चार अभ्युक्तियां कटौतियों और व्ययों की अनियमित स्वीकृति से संबंधित थीं, जिनसे ₹ 267.02 करोड़ की कम आय का निर्धारण तथा ₹ 113.32 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण तथा ₹ 318.97 करोड़ की आय के अधिक निर्धारण तथा ₹ 187.16 करोड़ के अधिक कर आरोपण से संबंधित दो अभ्युक्तियां थीं। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार नीचे तालिका 5.13 में दिया गया है।

तालिका 5.13: लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	नि.व.	धारा एवं निर्धारण की तिथि	लेखापरीक्षा में पाई गई अनियमितता का सार	अल्प निर्धारण	अधिक निर्धारण	प्रभावी कर	विभाग का उत्तर
1	2019-20	143(3) दिनांक 30.09.2021	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अल्प अनुमति	---	34.89	15.97 [अधिक प्रभार]	स्वीकृत (जनवरी 2023)। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	2017-18	143(3) दिनांक 20.04.2021	धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए अनुचित कटौती की अनुमति	140.28	---	64.32 [अल्प प्रभार]	स्वीकार नहीं किया गया (मार्च 2021)।
3	2018-19	143(3) दिनांक 20.04.2021	आय की गलत गणना (अधिक निर्धारण)	---	284.08	171.19 [अधिक प्रभार]	विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
4	2015-16	143(3) दिनांक 30.03.2017	करमुक्त आय से संबंधित व्यय की	75.54	---	25.68 [अल्प प्रभार]	स्वीकृत (मार्च 2021)। अग्रेतर

तालिका 5.13: लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार							**(₹ करोड़ में)**
क्रम सं.	**नि.व.**	**धारा एवं निर्धारण की तिथि**	**लेखापरीक्षा में पाई गई अनियमितता का सार**	**अल्प निर्धारण**	**अधिक निर्धारण**	**प्रभावी कर**	**विभाग का उत्तर**
			अनुचित अननुमति				विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
5	2019-20	143(3) दिनांक 30.09.2021	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए शास्ति की अनुमति, जिस पर कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया	2.00	---	0.92 [अल्प प्रभार]	स्वीकार नहीं किया गया (जनवरी 2023) लेखापरीक्षा द्वारा प्रत्युत्तर जारी किया गया (मई 2024)।
6	2017-18	143(3) दिनांक 20.04.2021	गैर-अनुमत व्यय की अनुमति	49.20	---	22.40 [अल्प प्रभार]	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
योग				**267.02**	**318.97**	**300.48**	

कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित अनुच्छेद में प्रस्तुत किया गया है।

5.1.3.5 धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की अल्प अनुमति

लेखापरीक्षा ने धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की अनुमति देते समय निर्दिष्ट दरों को अनुचित तरीके से अपनाने के मामले पाए गए, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

क) निर्धारण वर्ष 2019-20 में निर्धारण, पूर्ण संवीक्षा के उपरांत सितंबर 2021 में ₹ 3,185.10 करोड़ की आय पर किया गया। आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत निर्धारिती ने ₹ 2,299.45 करोड़ की कुल कटौती का दावा किया, जिसके प्रति निर्धारण अधिकारी ने ₹ 1,997.13 करोड़ की कटौती अननुमत करते हुए ₹ 303.32 करोड़ की कटौती स्वीकृत की। लेखापरीक्षा ने यह उल्लेख किया कि यद्यपि निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित कुल आय का 8.5 *प्रतिशत* की दर से कटौती अनुमत की जानी थी, तथापि निर्धारण अधिकारी ने त्रुटिवश 7.5 *प्रतिशत* की दर अपनाई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.97 करोड़ के अतिरिक्त कर-उद्ग्रहण और अधिक प्रभार समेत ₹ 34.89 करोड़ की कटौती अल्प अनुमत हुई।

मार्च 2022 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को बेंगलुरु डीसीआईटी-2(2)(1) के संज्ञान में लाया गया। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकृत किया (जनवरी 2023)। अनुस्मारक जारी करने (दिसंबर 2024, मार्च 2025) के बावजूद अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

(ख) निर्धारण वर्ष 2018-19 में संवीक्षा के उपरांत अप्रैल 2021 में ₹3,168.55 करोड़ की आय पर निर्धारण, किया गया। इसके पश्चात, अप्रैल 2021 में पारित निर्धारण आदेश के कर गणना पत्रक में कुल निर्धारित आय को अनुचित तरीके से अपनाने की त्रुटि के परिशोधन हेतु फरवरी 2022 में अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत परिशोधन आदेश पारित किया गया, जिससे आय ₹3,167.30 करोड़ निर्धारित हुई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि परिशोधन आदेश में ₹3,167.30 करोड़ की सकारात्मक आय निर्धारित की गई थी, फिर भी धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत योग आय के 8.5 *प्रतिशत* की कटौती की अनुमति नहीं दी गई। जिसके परिणामस्वरूप आय का अधिक निर्धारण हुआ फलस्वरूप ₹171.19 करोड़ के कर प्रभार का अधिक उद्ग्रहण हुआ।

मई 2024 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को बेंगलुरु डीसीआईटी-2(2)(1) के संज्ञान में लाया गया। अनुस्मारक जारी किए जाने (दिसंबर 2024, मार्च 2025) के बावजूद विभाग का उत्तर (नवंबर 2025 तक) प्रतीक्षित है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.1.3.6 धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती की अनुचित अनुमति

लेखापरीक्षा में पाया गया कि धारा 36(1)(viii)[74] के अंतर्गत अनुमत कटौती विशेष आरक्षित निधि में अंतरित राशि तक सीमित नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप कटौती की अधिक अनुमति हुई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

[74] आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, किसी निर्दिष्ट इकाई द्वारा सृजित और अनुरक्षित किसी विशेष आरक्षित निधि के संबंध में, "व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति" शीर्षक के अंतर्गत परिकलित पात्र व्यवसाय से प्राप्त लाभ के बीस *प्रतिशत* से अधिक राशि तक कटौती स्वीकार्य है, जो ऐसे आरक्षित खाते में जमा की जाती है। इसके अतिरिक्त, जहाँ समय-समय पर ऐसे आरक्षित खाते में जमा की गई राशि का कुल निर्दिष्ट इकाई की चुकता शेयर पूँजी और सामान्य आरक्षित निधि की राशि के दोगुने से अधिक हो, वहाँ इस प्रावधान के अंतर्गत ऐसी अधिक राशि के संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी। कटौती, धारा 36(1)(viii) के प्रयोजनार्थ सृजित विशेष आरक्षित खाते में पूर्व वर्ष के दौरान अंतरण राशि तक ही सीमित होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹313.13 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई, जबकि वित्तीय विवरणों के अनुसार ₹172.84 करोड़ की राशि विशेष आरक्षित निधि में अंतरित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹140.28 करोड़ की कटौती की अधिक अनुमति हुई तथा उसी सीमा तक कम आय का निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 64.32 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण हुआ।

फरवरी 2021 में यह अभ्युक्ति बेंगलुरु डीसीआईटी-2(2)(1) के संज्ञान में लायी गई। विभाग ने अपने उत्तर (मार्च 2021) में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जिसमें कहा गया है कि निर्धारिती ने 'विशेष आरक्षित निधि' शीर्ष के अंतर्गत ₹172.84 करोड़ की राशि तथा 'अन्य आरक्षित निधि' शीर्ष के अंतर्गत ₹186.11 करोड़ की राशि अंतरित करके योग ₹358.95 करोड़ की आरक्षित निधि का सृजन किया। अतः आय की गणना में धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत दावा की गई ₹313.12 करोड़ की कटौती अनुमन्य है। *विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती, उक्त प्रावधानों के अनुसार धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित किए गए विशेष आरक्षित निधियों की सीमा तक स्वीकार्य है। धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती के रूप में अन्य आरक्षित निधि में जमा की गई राशि की अनुमति देने का विभाग का तर्क भी अधिनियम की धारा 41(4ए) के प्रावधानों पर विचार करते हुए स्वीकार्य नहीं है, अधिनियम में यह प्रावधान है कि धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित किए गए विशेष आरक्षित निधि से आहरण की गई कोई भी राशि कर देय होगी।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.1.3.7 कर-मुक्त आय से संबंधित व्यय की अनुचित अनुमति

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2015-16 में, आयकर अधिनियम की धारा 14ए[75] और नियम 8डी के अंतर्गत कर-मुक्त आय अर्जित करने से संबंधित व्यय की आंशिक अनुमति दी गई थी। यह राशि ₹75.54 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹25.68 करोड़ कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

फरवरी 2021 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को बेंगलुरु डीसीआईटी-2(2)(1) के संज्ञान में लाया गया। विभाग ने (मार्च 2021) में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया। अनुस्मारक जारी

---

[75] आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 14ए में प्रावधान है कि कुल आय की गणना के प्रयोजन के लिए, निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के संबंध में, उस आय के संबंध में कोई कटौती नहीं की जाएगी जो कुल आय का हिस्सा नहीं है।

करने (दिसंबर 2024, मार्च 2025) के बावजूद सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.1.3.8 आरबीआई द्वारा अनुमत उद्ग्रहीत शास्ति तथा उसका कर हेतु गैर-निर्धारण

अधिनियम की धारा 37(1) के अधीन स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, यदि कोई व्यय किसी निर्धारिती द्वारा ऐसे उद्देश्य के लिए किया गया है जो कोई अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है, तो उसे व्यापार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए किया गया व्यय नहीं माना जाएगा तथा ऐसे व्यय के संबंध में कोई कटौती या स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।" निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया जुर्माना या शास्ति स्वीकार्य व्यय नहीं है, इसे कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रपत्र 3सीडी के क्रमांक 21(ए) में प्रकट एवं प्रमाणित किया जाता है, जहाँ निर्धारिती को लाभ-हानि खाते में डेबिट की गई उन राशियों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जो पूंजीगत, व्यक्तिगत अथवा विज्ञापन व्यय के स्वरूप की होती हैं, इसमें वर्तमान में प्रभावी किसी भी कानून के उल्लंघन पर भुगतान की गई शास्ति या जुर्माने के रूप में किया गया व्यय भी सम्मिलित होता है, ताकि ऐसे व्यय को अस्वीकृत किया जा सके। लेखापरीक्षा ने आरबीआई द्वारा आरोपित शास्ति को अस्वीकार न करने का मामला देखा, जिसमें कर का कम उद्ग्रहण था, जैसा कि नीचे बॉक्स 5.8 में चर्चा की गई है।

बॉक्स 5.8

वित्त वर्ष 2018-19 से संबंधित निर्धारण वर्ष 2019-20 के दौरान, आरबीआई ने चेक खरीद/डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटिंग और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन रोधी (एएमएल) मानदंडों के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन न करने पर 08.03.2019 को ₹ 2.00 करोड़ की मौद्रिक शास्ति आरोपित की गई। यह शास्ति बैंक द्वारा आरबीआई के निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आरोपित की गई थी।

कर लेखापरीक्षक द्वारा प्रपत्र 3सीडी में इस बात को इंगित न किए जाने तथा निर्धारण अधिकारी द्वारा इस शास्ति को निर्धारिती की आय में पुनः न जोड़ने के कारण ₹ 2.00 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.92 करोड़ कम कर का उद्ग्रहण हुआ।

मार्च 2022 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को डीसीआईटी-2(2)(1), बेंगलुरु के संज्ञान में लाया गया। डीसीआईटी-2(2)(1), बेंगलुरु (जनवरी 2023) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अस्वीकार करते हुए कहा कि उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि निर्धारण वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 143(3) के अंतर्गत की गई निर्धारण कार्यवाहियों में, कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निर्धारिती द्वारा उजागर की गई राशियों को अस्वीकृत किया गया था। निर्धारण वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में क्रमशः ₹ 3 करोड़, ₹ 5 करोड़ तथा ₹ 1 करोड़ की राशियाँ अननुमत की गई थीं। अतः आय की कोई चोरी या छूट नहीं हुई है, क्योंकि कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उजागर की गई शास्तियां निर्धारण अधिकारी द्वारा अननुमत कर कर योग्य आय में सम्मिलित की गई है। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के संबंध में, कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में आरबीआई द्वारा आरोपित ₹ 1 करोड़ की शास्ति को प्रकट किया गया, और इसे अननुमत कर दिया गया था। यद्यपि, कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में आरबीआई द्वारा 08.03.2019 को निर्धारण वर्ष 2019-20 में आरोपित ₹ 2 करोड़ की शास्ति को उजागर नहीं किया गया, और इसलिए उसे अननुमत नहीं किया जा सका।

सीआईटी (लेखापरीक्षा), बेंगलुरु को (मई 2024) में एक प्रत्युत्तर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि टीएआर की अप्रभावशीलता संबंधी आपत्ति पर विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को वित्तीय लेखापरीक्षा के बाद विधिवत रूप से एक सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणीकृत किया जाना आवश्यक होता है। टीएआर में विसंगतियाँ पाए जाने के कारण यदि आय की चोरी या छूट होती है, तो आयकर अधिनियम, 1961 में ऐसी स्थिति में आय के पुनःनिर्धारण तथा अन्य आवश्यक सुधारात्मक उपायों का प्रावधान किया गया है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.1.3.9 अमान्य व्ययों को अननुमति

लेखापरीक्षा में अवकाश नकदीकरण के लिए अवैतनिक देनदारियों की अनुचित अनुमति पाई गई, जैसा कि नीचे बॉक्स 5.9 में चर्चा की गई है।

बॉक्स 5.9

दिसंबर 2019 में निर्धारण वर्ष 2017-18 का निर्धारण, संवीक्षा के उपरांत ₹ 4,574.07 करोड़ की आय पर किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि "अवकाश नकदीकरण" शीर्षक के

अंतर्गत ₹49.20 करोड़ की देयता का भुगतान अधिनियम की धारा 139 (1) के अंतर्गत आयकर रिटर्न जमा करने के समय या उससे पहले नहीं किया गया था। अधिनियम की धारा 43बी[76] के अंतर्गत उक्त राशि को अननुमत न किए जाने के कारण ₹ 49.20 करोड़ की आय की कम गणना हुई तथा परिणामस्वरूप ₹ 22.40 करोड़ कम कर का उद्ग्रहण हुआ।

फ़रवरी 2021 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को डीसीआईटी-2(2)(1), बेंगलुरु के संज्ञान में लाया गया। अनुस्मारक जारी करने (दिसंबर 2024, मार्च 2025) के बावजूद विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2 निजी क्षेत्र के बैंकों के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण

5.2.1 आई4 के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण

निर्धारिती बैंक, जो पीसीआईटी-2 मुंबई के अधिकार क्षेत्र में आकलित है, भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है, जो खुदरा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) तथा कॉर्पोरेट ग्राहकों को विविध प्रकार के वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का पोर्टफोलियो प्रदान करता है। बैंक की शाखाओं, एटीएम और अन्य संपर्क बिन्दुओं का एक व्यापक नेटवर्क है। निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक बैंक के निर्धारणों का विवरण, इन निर्धारण वर्षों के दौरान की गई तथा स्वीकृत कटौतियों का विवरण, और आई4 के निर्धारणों की लेखापरीक्षा में देखी गई प्रमुख अभ्युक्तियां नीचे दी गई हैं।

5.2.1.1 आई4 की वित्तीय विशेषताएं

वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आई4 की वित्तीय विशेषताएँ नीचे तालिका 5.14 में दी गई हैं।

तालिका 5.14: आई4 का वित्तीय विवरण (₹ करोड़ में)

वि.व. → / वित्तीय विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल परिसंपत्तियाँ	7,71,791.44	8,79,189.16	9,644,59.14	10,98,365.14
कुल अग्रिम	4,64,232.08	5,12,395.28	5,86,646.58	6,45,289.96
कुल जमा राशि	4,90,039.06	5,60,975.20	6,529,19.67	7,70,968.99

[76] अधिनियम की धारा 43बी के अनुसार, अधिनियम के अंतर्गत अनुमत की जाने वाली कटौतियाँ – जिनमें नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को बकाया अवकाश के बदले देय राशि भी सम्मिलित है – केवल उस पूर्ववर्ती वर्ष की आय की गणना में स्वीकार की जाएगी, जिसमें ऐसी राशि का वास्तविक भुगतान निर्धारिती द्वारा किया गया हो।

तालिका 5.14: आई4 का वित्तीय विवरण				**(₹ करोड़ में)**
वि.व. → / वित्तीय विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
ब्याज/अग्रिमों/बिलों पर छूट	39,603.39	40,866.20	47,942.62	57,551.11
शेयरधारक निधि	1,165.10	1,285.10	1,289.45	1,294.76
खुदरा अग्रिम	2,44,038.00	2,93,995.00	3,61,936.00	4,16,217.00
सीएएसए	2,46,822.00	2,89,925.00	3,23,940.00	3,47,819.00
प्रचालन राजस्व	73,660.76	72,385.52	77,913.35	91,246.93
स्रोत: आई4 के संबंधित वित्तीय वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन				

5.2.1.2 आयकर निर्धारणों का विवरण

निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक के निर्धारणों को 360 डिग्री विश्लेषण के लिए चयनित किया गया। आई4 का आयकर रिटर्न को निर्धारण वर्ष 2019-20 को छोड़कर, सभी नमूना निर्धारण वर्षों में, धारा 143(3) के अंतर्गत संवीक्षा के लिए चयनित किया गया। निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2019-20 के लिए आई4 का निर्धारण विवरण नीचे तालिका 5.15 में दिया गया है।

तालिका 5.15: किए गए निर्धारण का विवरण							**(₹ करोड़ में)**
क्रम सं.	**नि.व.**	**विवरणी/संशोधित रिटर्न की तिथि**	**जिस धारा के अंतर्गत निर्धारण किया गया / निर्धारण की तिथि**	**रिटर्न की गई आय**	**निर्धारित आय**	**परिवर्धन**	**रिटर्न की गई आय के *प्रतिशत* के रूप में परिवर्धन**
1	2014-15	22.03.2016 (संशोधित)	143(3)/ 21.2.2018	11,404.92	14,847.81	3,442.89	30.19
2	2015-16	30.03.2017 (संशोधित)	143(3)/ 12.2.2019	13,721.27	16,208.84	2,487.57	18.13
3	2016-17	30.03.2018 (संशोधित)	143(3)/ 14.2.2020	15,808.93	18,112.35	2,303.42	14.57
4	2017-18	29.03.2019 (संशोधित)	143(3)/ 18.11.2021	6,150.12	7,400.07	1,249.95	20.32
5	2018-19	29.03.2019 (संशोधित)	143(3)/ 25.11.2021	8,486.88	10,184.37	1,697.49	20.00
6	2019-20	25.07.2020 (संशोधित)	143(1)/ 23.03.2021	9,330.17	9,330.18	0.01	लागू नही*
योग				**64,902.29**	**76,083.62**	**11,181.32**	
स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख ***[*नोट: धारा 143(1) के अंतर्गत सारांश निर्धारण के अंतर्गत संसाधित)]***							

संवीक्षा निर्धारण के दौरान की गई परिवर्धन, विवरण की गई आय के 14.57 *प्रतिशत* से लेकर 30.19 *प्रतिशत* तक थी। आई4 से संबंधित प्रणालीगत मुद्दों पर अध्याय 4 में चर्चा की गई है, साथ ही अन्य बैंकों में भी इसी प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की गई है।

5.2.1.3 दावा की गई और अनुमत कटौतियों का विवरण

धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के लिए आई द्वारा दावा की गई और अनुमत 4 कटौती, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत करमुक्त आय को नीचे तालिका 5.16 में दिखाया गया है:

तालिका 5.16: दावा की गई और अनुमत कटौतियों का विवरण **(₹ करोड़ में)**

नि.व.	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋण		धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती		करमुक्त आय	
	किए गए दावे	अनुमत	किए गए दावे	अनुमत	किए गए दावे	अनुमत	किए गए दावे	अनुमत
2014-15	1,482.07	1,482.07	1,063.65	1,087.12	815.95	869.54	1,661.28	1,661.28
2015-16	792.11	792.11	1,312.95	1,472.18	1,057.30	1,100.00	2,189.85	2,189.85
2016-17	974.23	974.23	1,560.33	1,747.09	1,136.79	1,296.16	2,159.71	2,159.71
2017-18	12,891.19	12,891.19	992.60	1,081.85	311.56	209.79	6,997.47	6,997.47
2018-19	8,720.60	8,720.60	1,460.21	1,625.52	403.27	485.33	6,745.83	6,745.83
2019-20	10,696.43	10,696.43	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	1,336.68	1,336.68
योग	**35,556.63**	**35,556.63**	**6,389.74**	**7,013.76**	**3,724.87**	**3,960.82**	**21,090.82**	**21,090.82**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

उपर्युक्त कटौतियों की अनुमति से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान पाई गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

5.2.1.4 360-डिग्री विश्लेषण में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

लेखापरीक्षा ने ₹ 1,277.98 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 3,808.44 करोड़ के कम निर्धारण के 12 महत्वपूर्ण मामले पाए, जिनमें ₹ 3,808.44 करोड़ आय के कम निर्धारण और ₹ 1,170.28 करोड़ के कम कर उद्ग्रहण से संबंधित ग्यारह मामले, और ₹ 107.70 करोड़ के कम कर उद्ग्रहण से संबंधित एमएटी क्रेडिट की गलत अनुमति से संबंधित एक मामला सम्मिलित है। डीसीआईटी-2(3)(1) और डीसीआईटी-2(3)(2), मुंबई ने ₹ 398.83 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित पांच लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और आयकर अधिनियम की

धारा 148 और धारा 263 के अंतर्गत इन मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)। इंगित की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार नीचे तालिका 5.17 में दिया गया है।

तालिका 5.17: आई4 के संबंध में जारी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	नि.व.	धारा एवं निर्धारण की तिथि	अनियमितता का सार	अल्प निर्धारण (₹ करोड़ में)	प्रभावी कर (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर
1	2014-15	143 (3) दिनांक 21.2.2018	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में अथ शेष के अनुचित समायोजन के कारण चालू वर्ष में अशोध्य ऋणों की अधिक अनुमति।	31.29	10.63	स्वीकृत(फरवरी 2022) और मार्च 2021 में धारा 148 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	2016-17	143 (3) दिनांक 14.2.2020	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में अथ शेष के अनुचित समायोजन के कारण चालू वर्ष में अशोध्य ऋणों की अधिक अनुमति।.	159.22	55.10	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
3	2017-18	143 (3) दिनांक 18.11.2021	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में अथ शेष के अनुचित समायोजन के कारण चालू वर्ष में अशोध्य ऋणों की अधिक अनुमति।.	186.76	64.64	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
4	2018-19	143(3) दिनांक 25.11.2021	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में अथ शेष के अनुचित समायोजन के कारण चालू वर्ष में अशोध्य ऋणों की अधिक अनुमति।.	89.25	30.89	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)। .
5	2014-15	143(3) दिनांक 21.2.2018	धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती की अनुचित अनुमति	53.59	18.22	स्वीकृत(फरवरी 2022) और मार्च 2021 में धारा 148 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई

तालिका 5.17: आई4 के संबंध में जारी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	नि.व.	धारा एवं निर्धारण की तिथि	अनियमितता का सार	अल्प निर्धारण (₹ करोड़ में)	प्रभावी कर (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर
						शुरू की गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025) ।
6	2015-16	143(3) दिनांक 12.2.2019	धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती की अनुचित अनुमति	42.70	21.34	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
7	2016-17	143(3) के साथ पठित धारा 144सी (3) दिनांक 14.02.2020	धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती की अनुचित अनुमति	159.37	55.16	स्वीकृत(फरवरी 2022) और धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
8	2016-17	143(3) दिनांक 14.2.2020	दीर्घकालिक पूंजी हानि की अनुचित गणना	367.75	84.85	स्वीकृत(फरवरी 2022) और धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
9	2015-16	143(3) दिनांक 12.2.2019	दीर्घकालिक पूंजी हानि की त्रुटिपूर्ण गणना	996.75	229.97	स्वीकृत(मार्च 2022) और धारा 263 के अंतर्गत मार्च 2021 में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
10	2017-18	143(3) दिनांक 18.11.2021	राजस्व आय गणना एवं प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार मान्य नहीं किया गया।	1,698.29	587.75	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
11	2018-19	143(3) दिनांक 25.11.2021	धारा 115जेएए के अंतर्गत एमएटी के लिए क्रेडिट की अनुचित अनुमति	--	107.70	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
12	2015-16	250 दिनांक 29.3.2019	अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुचित अनुमति - धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में अथ शेष का त्रुटिपूर्ण समायोजन।	23.47	11.73	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
		योग		**3,808.44**	**1,277.98**	

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

5.2.1.5 धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में अथ शेष राशि का समायोजन न किए जाने के कारण धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों की अतिरिक्त अनुमति

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) और 36(2)(v) में अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत सृजित किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते में उपलब्ध क्रेडिट शेष से अधिक अशोध्य ऋणों की राशि की कटौती का प्रावधान था, तथापि संवीक्षा निर्धारण के दौरान धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों में किए गए प्रावधान के लिएकटौती को कम नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अशोध्य ऋणों की अधिक अनुमति मिली, जैसा कि नीचे तालिका 5.18 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.18: बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की अनियमित अनुमति का विवरण (₹ करोड़ में)

नि.व.	धारा 36(1) (viiए) के अंतर्गत कटौती की अनुमति	निर्धारण में पीबीडीडी खाते में अथ शेष को संज्ञान में लिया गया	वास्तविक राशि जिसे अथ शेष माना जाना चाहिए था	अशोध्य ऋणों की अतिरिक्त स्वीकृत	अनुमत किए गए अशोध्य ऋणों	अनुमति योग्य अशोध्य ऋण	कर प्रभाव
(कॉलम 1)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)= (कॉलम 4 - कॉलम 3)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)= (कॉलम 6 - कॉलम 5)	(कॉलम 8)
2013-14	851.11						
2014-15	1,087.12	819.82	851.11	31.29	1,482.07	1,450.78	10.63
2015-16	1,472.18	1,063.65	1,087.12	23.47	792.11	768.64	11.73
2016-17	1,747.09	1,312.95	1,472.18	159.22	974.23	815.01	55.10
2017-18	1,081.85	1,560.33	1,747.09	186.76	11,330.87	11,144.10	64.64
2018-19	1,625.52	992.60	1,081.85	89.25	7,728.00	7638.75	30.89
योग		**5,749.35**	**6,239.35**	**489.99**	**22,307.28**	**21,817.28**	**172.99**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

इस प्रकार, निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में धारा 36(1)(vii) के अनुसार स्वीकार्य ₹21,817.28 करोड़ के बजाय ₹22,307.28 करोड़ के अशोध्य ऋण की अनुमति दी गई। इसके परिणामस्वरूप ₹489.99 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसमें ₹172.99 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां क्रमशः दिसंबर 2020 और फरवरी 2022 में डीसीआईटी-2(3)(2), मुंबई और डीसीआईटी-2(3)(1), मुंबई के संज्ञान में लाई गईं। विभाग ने निर्धारण वर्ष 2014-15 (फरवरी 2022) में अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया तथा अन्य निर्धारण वर्षों के संबंध में

अनुस्मारक जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2025) [अप्रैल 2024, नवंबर 2024]। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी निरंतर धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों की अनुमति, पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों में कटौती के रूप में स्वीकृत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के अथ शेष को समायोजित किए बिना दे रहे हैं।

अनुशंसा:

सीबीडीटी पूर्व वर्षों में कटौती के रूप में अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के अथ शेष को समायोजित करने के बाद, बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती के रूप में अनुमत राशियों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अपने निर्देशों को दोहरा सकता है।

5.2.1.6 धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती की अनुचित अनुमति

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग निरंतर धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की गणना की पद्धति को अनुमत नहीं कर रहा था एवं निर्धारिती को अधिक कटौती प्रदान की जा रही थी, जैसा कि नीचे वर्णित है।

बॉक्स 5.10

निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए निर्धारिती के संवीक्षा निर्धारण को धारा 143(3) के अंतर्गत फरवरी 2018, फरवरी 2019 और फरवरी 2020 में क्रमशः ₹ 14,847.81 करोड़, ₹ 16,208.84 करोड़ और ₹ 18,112.35 करोड़ की आय को अंतिम रूप दिया गया।

मार्च 2016 में जमा किए गए निर्धारण वर्ष 2014-15 के संशोधित आयकर रिटर्न में, निर्धारिती ने दीर्घकालिक वित्त से लाभ के लिए धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹ 815.95 करोड़ की कटौती का दावा किया था निर्धारण वर्ष 2015-16 के रिटर्न में धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹ 1,057.30 करोड़ की कटौती का दावा किया गया था।। निर्धारण वर्ष 2015-16 के रिटर्न में धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹ 1,057.30 करोड़ की कटौती का दावा किया गया था। इसी प्रकार, मार्च 2018 में जमा किए गए निर्धारण वर्ष 2016-17 के संशोधित आयकर रिटर्न में, निर्धारिती ने धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹1,136.79 करोड़ की कटौती का दावा किया था। निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई विशेष आरक्षित गणना की कार्यप्रणाली को निर्धारण अधिकारी द्वारा सभी वर्षों में यह कहते हुए अननुमत कर दिया गया कि निर्धारिती द्वारा

अपनाई गई पद्धति उचित नहीं थी। निर्धारण अधिकारी ने पुनर्गणना की और निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 869.54 करोड़, निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 1,100.00 करोड़ तथा निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 1,296.16 करोड़ की अर्ह कटौती निर्धारित की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना की गई और स्वीकृत राशि निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 53.59 करोड़, निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 42.70 करोड़ तथा निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 159.37 करोड़ से अधिक थी, जो कि निर्धारिती द्वारा अपने रिटर्न में दावा की गई राशि से अधिक थी। लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या अनुमत अतिरिक्त कटौती दीर्घकालिक वित्त से संबंधित थी। धारा 36(1)(viiए) के प्रावधानों के विपरीत, जहाँ कटौती कुल गणना की गई आय पर आधारित होती है, धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत अर्ह कटौती की पुनर्गणना और निर्धारिती द्वारा दावा की गई राशि से अधिक कटौती की अनुमति देने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका। इन अभ्युक्तियों का सारांश नीचे तालिका 5.19 में दिया गया है:

तालिका 5.19: विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती की अतिरिक्त अनुमति का विवरण **(₹ करोड़ में)**

एवाई	धारा 36(1)(viii) के तहत दावा की गई कटौती आकलन	धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती की अनुमति आकलन	अतिरिक्त कटौती की अनुमति/आय का कम मूल्यांकन आकलन	कर प्रभाव
2014-15	815.95	869.54	53.59	18.22
2015-16	1,057.30	1,100.00	42.70	21.34
2016-17	1,136.79	1,296.16	159.37	55.16
कुल	**3,010.04**	**3,265.70**	**255.66**	**94.71**

इस प्रकार, निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 में निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमत की गई ₹ 255.66 करोड़ की अतिरिक्त कटौती उचित नहीं थी और इसके परिणामस्वरूप उसी सीमा तक कम आय का निर्धारण हुआ तथा तीन वर्षों में ₹ 94.71 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण हुआ।

यह तथ्य दिसंबर 2020 में डीसीआईटी-2(3)(2), मुंबई के संज्ञान में लाया गया। उत्तर में, डीसीआईटी ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए (फरवरी 2022) कहा कि निर्धारण वर्ष 2014-15 के संबंध में मार्च 2021 में धारा 148 के अंतर्गत और निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए मार्च 2021 में धारा 263 के अंतर्गत नोटिस जारी करके सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। अनुस्मारक जारी करने के बावजूद (अप्रैल 2024, नवंबर 2024) अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुशंसा:

सीबीडीटी दीर्घकालिक वित्त से लाभ की गणना के लिए एक मानक पद्धति की जाँच और उसे निर्धारित करने पर विचार कर सकता है, क्योंकि आयकर अधिनियम में धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की अनुमति देने के लिए वर्तमान में यह पद्धति निर्धारित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप कटौती के रूप में स्वीकृत और दावा की गई राशियों के बीच विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.1.7 गणना एवं प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार अमान्य राजस्व

सीबीडीटी ने दिनांक 23.03.2017 के परिपत्र संख्या 10/2017 के माध्यम से स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल 2016 को एफसीटीआर में अथ शेष, जो असमेकित परिचालनों के लिए अनिवार्य मदों पर विनिमय अंतर से संबंधित है, को निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित पूर्व वर्ष में मान्यता दी जाएगी, जहां तक कि पूर्व में आय गणना में मान्यता नहीं दी गई है।

बॉक्स 5.11

नवंबर 2021 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए संवीक्षा निर्धारण किया गया, जिसमें ₹ 7,400.07 करोड़ की आय निर्धारित की गई। तुलन-पत्र की अनुसूची 2 (आरक्षित एवं अधिशेष) के अनुसार, 01.04.2016 को एफसीटीआर में अथ शेष 'विदेशी मुद्रा अनुवाद आरक्षित' (मद संख्या VI) शीर्षक के अंतर्गत ₹1,698.29 करोड़ थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने कर योग्य आय की गणना के लिए एफसीटीआर का अथ शेष प्रस्तुत नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹1,698.30 करोड़ की सीमा तक कम आय का निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹587.75 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण हुआ।

फरवरी 2022 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को डीसीआईटी-2(3)(1), मुंबई के संज्ञान में लाया गया। डीसीआईटी-2(3)(1), मुंबई का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2025)। यद्यपि, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए एस8 के एक समान मामले में, विभाग ने इस प्रतिवेदन के पैरा 5.1.1.6 में उल्लिखित लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (मार्च 2022)। अनुस्मारक जारी करने (अप्रैल 2024, नवंबर 2024) के बावजूद विभाग से अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.1.8 दीर्घकालिक पूंजी हानि की गैर-निवल गणना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग ने अनियमित रूप से सहायक कंपनियों में निवेश की पुनर्खरीद और पुनर्भुगतान पर निर्धारिती को दीर्घकालिक पूंजी हानि और सूचीकरण हित का लाभ दिया, जहाँ संपूर्ण शेयर पूंजी धारक कंपनी के पास है, जबकि यह संव्यवहार आयकर अधिनियम की धारा[77] 47 के अनुसार अंतरण नहीं माने जाते, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

बॉक्स 5.12

फरवरी 2019 और फरवरी 2020 में धारा 143 (3) के अंतर्गत पूर्ण संवीक्षण के बाद निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया, जिससे क्रमशः ₹ 16,208.84 करोड़ और ₹ 18,112.35 करोड़ की आय हुई। निर्धारण वर्ष 2015-16 में 'दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ'[78] शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना करते समय, निर्धारिती ने आई34, आई31 और आई31 जैसी सहायक कंपनियों[79] में निवेश की पुनर्खरीद पर ₹ 996.75 करोड़ की दीर्घकालिक पूंजीगत हानि का दावा किया। इसी प्रकार, निर्धारण वर्ष 2016-17 में, निर्धारिती ने 31 मार्च 2016 को लागत मूल्य पर आई31 में निवेशित इक्विटी शेयरों की पुनर्खरीद और वरीयता शेयरों के पुनर्भुगतान पर ₹ 367.75 करोड़ की दीर्घकालिक पूंजीगत हानि का दावा किया। इन संव्यवहारों को वार्षिक लेखा में "निवेशों का पुनर्भुगतान/प्रतिदाय" शीर्षक के अंतर्गत संबंधित पक्ष संव्यवहार के अंतर्गत भी सूचित किया जाता है। इन संव्यवहारों पर, निर्धारिती ने लागत मूल्य पर सूचकांक लाभ प्राप्त करके दीर्घकालिक पूंजीगत हानि का दावा किया, और इसे कर निर्धारण में स्वीकार कर लिया गया। चूंकि यह हस्तांतरण एक सहायक कंपनी से एक नियंत्रक कंपनी को हुआ, इसलिए इस संव्यवहार को धारा 47 के अंतर्गत अंतरण नहीं माना जा सकता, और इसलिए निर्धारिती सूचकांक लाभ का दावा करने के लिए अर्ह नहीं था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि निर्धारिती ने विदेशी मुद्रा, अर्थात् कैनेडियन डॉलर (सीएडी) में शेयरों के अधिग्रहण की लागत पर विचार किया और उस राशि पर सूचीकरण लागत

---

[77] आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उप-धारा (v) के अनुसार, यदि किसी सहायक कंपनी की संपूर्ण शेयर पूंजी नियंत्रक कंपनी के पास है और नियंत्रक कंपनी एक भारतीय कंपनी है, तो किसी सहायक कंपनी द्वारा नियंत्रक कंपनी को पूंजीगत परिसंपत्ति का कोई भी अंतरण, अंतरण नहीं माना जाएगा।

[78] आयकर अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के अंतर्गत देय आय की गणना ऐसे अंतरण के संबंध में पूर्णतः और अनन्य रूप से किए गए प्रतिफल व्यय के पूर्ण मूल्य और परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत, जिसमें उसमें किसी भी सुधार की लागत भी सम्मिलित है, को घटाकर की जाएगी।

[79] अनुसूची 18 - लेखाओं का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखा नीतियों, (वित्त वर्ष 2014-15) के पैरा 43 के अनुसार, संबंधित पक्ष संव्यवहार के अंतर्गत यह कहा गया था कि आई31 और आई34, आई4, भारत की सहायक कंपनियां हैं।

(निवेश की लागत के रूप में) लागू की, और विदेशी मुद्रा में अनुक्रमित लागत को विक्रय प्रतिफल (अर्थात विदेशी मुद्रा में) से घटा दिया गया। इसके अलावा, भारतीय ₹ में शेयरों की विक्रय के प्रति हानि की गणना करने के लिए विदेशी मुद्रा के अंतर को विनिमय दर (अर्थात विक्रय की तिथि पर विनिमय दर) से गुणा किया गया।

चूंकि मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई)[80] भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है और भारतीय मुद्रा के संदर्भ में गणना की जाती है, इसलिए विदेशी मुद्रा पर सीआईआई का उपयोग करके अधिग्रहण की सूचकांक लागत की गणना अनियमित थी। इसके परिणामस्वरूप ₹996.75 करोड़ और ₹367.75 करोड़ की दीर्घकालिक पूंजीगत हानि को अनियमित रूप से होने दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए ₹230.00 करोड़ और ₹84.85 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को जनवरी 2021 में डीसीआईटी-2(3)(2), मुंबई के संज्ञान में लाया गया। उत्तर में, विभाग ने दोनों वर्षों के लिए अभ्युक्तियों (फरवरी 2022) को स्वीकार किया और कहा कि धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अनुस्मारक जारी करने (अप्रैल 2024, नवंबर 2024) के बावजूद विभाग से अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.1.9 धारा 115जेएए के अंतर्गत एमएटी के लिए अनुचित क्रेडिट की अनुमति

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेएए(2ए) के अनुसार, निर्धारिती को दिया जाने वाला कर क्रेडिट, धारा 115जेबी के प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान किए गए कर और संबंधित वर्ष में अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत देय कर के मध्य के अंतर के बराबर होगा। दूसरे शब्दों में, यदि अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत देय कर, धारा 115जेबी के अंतर्गत देय कर से अधिक है, तो निर्धारिती उस वर्ष में भुगतान किए गए कर के किसी भी क्रेडिट को किसी भी आगामी वर्ष में अग्रनयन हेतु अनर्ह होगा।

[80] केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करके मुद्रास्फीति सूचकांक की लागत निर्दिष्ट करती है। मुद्रास्फीति सूचकांक की लागत, ठीक पूर्व वर्ष के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) में औसत वृद्धि के 75 *प्रतिशत* के बराबर होती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुओं और सेवाओं के एक संग्रह के वर्तमान मूल्य की तुलना पिछले वर्ष की वस्तुओं और सेवाओं के उसी संग्रह की लागत से करके कीमतों में वृद्धि की गणना करता है।

बॉक्स 5.13

नवंबर 2021 में फेसलेस निर्धारण योजना के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹10,184.37 करोड़ की आय निर्धारित की गई। आईटीबीए में तैयार किए गए गणना पत्रक के अनुसार, निर्धारिती को कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के दौरान ₹107.70 करोड़ का एमएटी क्रेडिट दिया गया, जबकि कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारिती द्वारा जमा आयकर रिटर्न की अनुसूची 'एमएटीसी' के अनुसार, कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के संबंध में एमएटी क्रेडिट का दावा किया गया।

नवंबर 2021 में धारा 143(3) के अंतर्गत पूरे किए गए कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए कर आदेश के अनुसार, सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कर का भुगतान किया गया क्योंकि यह बही लाभ पर देय कर से अधिक था। धारा 115जेबी के अंतर्गत देय कर ₹2,556.17 करोड़ था, जबकि सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत देय कर ₹2,558.10 करोड़ था। चूँकि निर्धारिती को निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए एमएटी क्रेडिट उपलब्ध नहीं था, इसलिए निर्धारिती को दिया गया ₹107.70 करोड़ का एमएटी क्रेडिट अनियमित था।

फरवरी 2022 में यह तथ्य डीसीआईटी-2(3)(1), मुंबई के संज्ञान में लाई गई। अनुस्मारक जारी करने (अप्रैल 2024, नवंबर 2024) के बावजूद विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.1.10 संबंधित पक्ष संव्यवहार के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

आई4 के कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में धारा 40ए(2)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहार की प्रामाणिकता की जाँच करने के लिए, लेखापरीक्षा ने कुछ संव्यवहारों का इन भुगतानों के प्राप्तकर्ताओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में जमा आयकर रिटर्न में दी गई सूचना से सत्यापन करने का प्रयास किया। एक उदाहरणात्मक मामले की चर्चा नीचे की गई है।

आई4 का प्रपत्र 3सीडी में कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2016-17 के दौरान, आई4 ने आई33 को 'होम लोन' पर कमीशन के रूप में ₹8.30 करोड़ का भुगतान किया। निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आई33 के कर रिटर्न के सत्यापन पर, जिसका निर्धारण डीसीआईटी 4(1)(1), मुंबई के प्रभार के अंतर्गत किया गया, पता चला कि उन्होंने अपने रिटर्न

में 'कमीशन से आय' शीर्षक के अंतर्गत कोई आय नहीं दिखाई। विभाग को यह जांच करने की आवश्यकता है कि क्या आई33 द्वारा प्राप्त आय को निर्धारण वर्ष 2016-17 में या किसी अन्य वर्ष में किसी अन्य लेखा शीर्ष के अंतर्गत कर के लिए प्रस्तावित किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आय कर निर्धारण से बची नहीं है।

यह बात मार्च 2022 में डीसीआईटी-2(3)(1), मुंबई के संज्ञान में लाई गई। अनुस्मारक जारी करने [अप्रैल 2024, नवंबर 2024] के बावजूद विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.2 आई24 का 360-डिग्री विश्लेषण

पीसीआईटी-3 मुंबई के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला आई24 अधिनियम, 1964 के अंतर्गत एक विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) के रूप में गठित किया गया और 1 जुलाई 1964 को अस्तित्व में आया। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4ए के प्रावधानों के अनुसार इसे एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान माना जाता था। 27 सितंबर 2004 को, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत आई24 को एक बैंकिंग कंपनी में बदल दिया गया। 7 मई 2008 से बैंक का नाम बदलकर आई24 कर दिया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बैंक की कुल इक्विटी चुकता शेयर पूंजी का 51 *प्रतिशत* अधिग्रहण करने के परिणामस्वरूप, 21 जनवरी 2019 से आरबीआई द्वारा नियामक उद्देश्यों के लिए बैंक को एक निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया। निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2019-20 के लिए बैंक के निर्धारण का विवरण, निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान दावा की गई और अनुमत कटौतियों का विवरण और आई24 के निर्धारण की लेखापरीक्षा में पाई गई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

5.2.2.1 आई24 की वित्तीय विशेषताएं

वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2019-20 तक आई24 की वित्तीय विशेषताएं नीचे तालिका 5.20 में दी गई हैं।

तालिका 5.20: आई24 का वित्तीय विवरण **(₹ करोड़ में)**

वित्तीय वर्ष → /वित्तीय विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल संपत्तियाँ	3,61,767.90	3,50,313.64	3,20,284.49	2,99,942.36
कुल अग्रिम	1,90,825.93	1,71,739.95	1,46,790.43	1,29,841.78
कुल जमा राशि	2,68,538.10	2,47,931.61	2,27,371.72	2,22,424.12

तालिका 5.20: आई24 का वित्तीय विवरण				**(₹ करोड़ में)**
वित्तीय वर्ष → /वित्तीय विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/छूट	19,310.33	15,693.55	14,380.90	13,101.50
शेयरधारक निधि	2,058.81	3,083.86	7,736.29	10,380.59
खुदरा अग्रिम	1,66,889	1,28,470	1,71,469	1,71,634
सीएएसए	19,382.68	20,611.87	8,572.20	19,955.79
प्रचालन राजस्व	31,758.96	30,035.41	25,371.53	25,295.47
स्रोत: आई24 के संबंधित वित्तीय वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन				

5.2.2.2 आयकर निर्धारण का विवरण

आई24 के निर्धारण वर्ष 2014-15 से निर्धारण वर्ष 2019-20 तक के निर्धारणों को 360-डिग्री विश्लेषण के लिए चुना गया। निर्धारण वर्ष 2019-20 को छोड़कर सभी वित्तीय वर्षों में आई24 के आयकर रिटर्न को धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण संवीक्षा के लिए चुना गया। निर्धारण वर्ष 2014-15 से निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए आई24 के निर्धारण विवरण नीचे तालिका 5.21 में दिए गए हैं।

तालिका 5.21: निर्धारण वर्ष 2014-15 से निर्धारण वर्ष 2019-20 तक आयकर निर्धारण का विवरण						**(₹ करोड़ में)**
नि.व.	**रिटर्न की तिथि**	**वह धारा जिसके अंतर्गत निर्धारण किया गया/ निर्धारण का विवरण**	**रिटर्न आय**	**निर्धारित आय**	**किया गया परिवर्धन**	**रिटर्न आय के *प्रतिशत* के रूप में परिवर्धन (*प्रतिशत* में)**
2014-15	27.11.2014	143(3) के साथ पठित धारा 144सी(3)/ 29.12.2017	3,242.84	3,447.12	204.28	6.30
2015-16	26.11.2015	143(3)/ 26.12.2017	2,840.48	3,222.72	382.24	13.45
2016-17	29.11.2016	143(3)/ 29.12.2018	(-)669.28	6,307.04	6,976.32	गणना योग्य नहीं
2017-18	20.02.2019	143(3)/ 27.12.2019	352.53	1,777.08	1,424.55	गणना योग्य नहीं [रिटर्न आय हानि है]
2018-19	30.03.2019	143(3)/ 15.09.2021	(-)7,237.96	(-)6,653.21	584.75	404.00
2019-20	26.06.2020	143(1)/ 15.09.2020	(-)13,026.40	(-)13,026.40	0	गणना योग्य नहीं [रिटर्न आय हानि है]
कुल			**6,435.85 (-)20,933.64**	**14,753.96 (-)19,679.61**	**9,572.14**	
स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख						

5.2.2.3 दावा की गई और अनुमत कटौतियों का विवरण

धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत छूट प्राप्त आय के लिए आई24 को दावा की गई और अनुमत कटौतियां नीचे तालिका 5.22 में दर्शाई गई हैं:

तालिका 5.22: दावा की गई और अनुमत कटौतियों का विवरण (₹ करोड़ में)

नि.व.	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण		धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती		*छूट प्राप्त आय*	
	दावा किया गया	अनुमत	दावा किया गया	अनुमत	दावा किया गया	अनुमत	दावा किया गया	अनुमत
2014-15	1,392.68	1,392.68	0.00	0.00	0	0.00	480.38	480.38
2015-16	1,608.85	1,608.85	0.00	0.00	151.79	151.79	662.52	662.52
2016-17	5,298.42	0	462.87	646.55	0.00	0.00	397.59	397.59
2017-18	2,566.33	2,566.33	264.31	379.82	0.00	0.00	329.76	329.76
2018-19	12,500.97	12,500.97	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.00	0.00	117.87	117.87
2019-20	16,053.24	16,053.24	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	60.05	60.05
कुल	**39,420.49**	**34,122.07**	**727.18**	**1,026.37**	**151.79**	**151.79**	**2,048.17**	**2,048.17**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, आई24 को पूर्व छह वर्षों, अर्थात् निर्धारण वर्ष 2014-15 से निर्धारण वर्ष 2019-20 तक, अशोध्य ऋणों के लिए ₹34,122.07 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई। इस अवधि के दौरान, आई24 ने आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ₹2,048.17 करोड़ की छूट का दावा किया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा जांच में बाधा उत्पन्न हुई क्योंकि निर्धारण वर्ष 2018-19 और निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारिती द्वारा जमा गणना पत्रक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए, इसलिए लेखापरीक्षा इन दो वर्षों में धारा 36(1)(viiए) और 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा दावा की गई कटौती की राशि का पता नहीं लगा सकी।

5.2.2.4 360-डिग्री विश्लेषण में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

लेखापरीक्षा में ₹7,451.41 करोड़ के कम निर्धारण और ₹1,630.10 करोड़ के कर प्रभाव के पाँच महत्वपूर्ण मामले पाए गए, जिनमें ₹7,335.91 करोड़ की आय के कम निर्धारण और ₹1,590.13 करोड़ के सकारात्मक कर प्रभाव वाले चार निष्कर्ष और ₹115.50 करोड़ की आय

के कम निर्धारण और ₹39.97 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाला एक निष्कर्ष सम्मिलित है। आई24 के निर्धारण अभिलेखों की जाँच के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण नीचे तालिका 5.23 में दिया गया है।

तालिका 5.23: आई24 के संबंध में जारी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	नि.व.	धारा जिसके अंतर्गत निर्धारण किया है	कर निर्धारण की तिथि	अभ्युक्तियों का सार	कम निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	2017-18	143(3)	27.12.2019	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों की अनुमति देते हुए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में अथ शेष का अनुचित समायोजन	183.68	63.57	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	2018-19	143(3)	15.09.2021	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों की अनुमति देते हुए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में अथ शेष का अनुचित समायोजन	115.50	39.97	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
3	2017-18	143(3)	27.12.2019	अपतटीय बैंकिंग इकाइयों की कुछ आय के संबंध में धारा 80एलए के अंतर्गत अनियमित कटौती	1.21	0.42	अस्वीकृत (जुलाई 2021) प्रत्युत्तर जारी किया गया (मार्च 2022)
4	2018-19	143(3)	15.09.2021	धारा 115जेबी के अंतर्गत व्यवसाय परिसंपत्ति के मूल्य में कमी के लिए कटौती की अनुमति के कारण बही लाभ की अनुचित गणना, जिसे लाभ और हानि खाते में डेबिट नहीं किया गया।	774.24	165.23	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
5	2018-19	143(3)	15.09.2021	धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की अनुचित गणना	6,376.78	1,360.91	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
कुल					**7,451.41**	**1,630.10**	

नीचे तीन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा की गई है।

5.2.2.5 धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में अथ शेष राशि का समायोजन न करने के कारण अशोध्य ऋणों की अधिक अनुमति

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के संवीक्षा निर्धारण के दौरान पाया कि अशोध्य ऋणों की अनुमति देते समय, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत पूर्ववर्ती वर्ष में किए गए प्रावधान के लिए कटौती को उस सीमा तक कम नहीं किया गया जितनी पूर्ववर्ती वर्षों के संवीक्षा निर्धारण में वास्तव में अनुमत थी। विवरण नीचे तालिका 5.24 में दिया गया है:

तालिका 5.24: दावा की गई और अनुमत कटौतियों का विवरण (₹ करोड़ में)

नि.व.	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत कटौती	निर्धारण में विचारित अथ शेष	वास्तविक राशि जिस पर विचार किया जाना चाहिए	अशोध्य ऋणों की अतिरिक्त छूट और कम निर्धारण	अनुमत अशोध्य ऋण	अनुमेय अशोध्य ऋण	कर प्रभाव
(कॉलम.1)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)= (कॉलम 4 - कॉलम 3)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)= (कॉलम 6 - कॉलम 5)	(कॉलम 8)
2016-17	646.55	--	--	--	--	--	--
2017-18	379.82	462.88	646.55	183.68	2,566.33	2,382.66	63.57
2018-19	लागू नहीं	264.31	379.82	115.50	12,500.29	12,384.57	39.97
कुल		**727.19**	**1,026.37**	**299.18**	**15,066.62**	**14,767.23**	**103.54**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए, धारा 36(1)(vii) के प्रावधानों के अनुसार अनुमत ₹14,767.23 करोड़ के बजाय ₹15,066.30 करोड़ के अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने की अनुमति दी गई। इसके परिणामस्वरूप ₹299.18 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसमें ₹103.54 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए क्रमशः फरवरी 2020 और फरवरी 2021 में डीसीआईटी-3(4), मुंबई के संज्ञान में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को लाया गया। डीसीआईटी-3(4), मुंबई ने अपने उत्तर (जुलाई 2024) में बताया कि वर्तमान मामले में निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए संवीक्षा निर्धारण एनईएफ़एसी के समक्ष लंबित है और निर्धारण आदेश तैयार करते समय इस मुद्दे पर विचार करने और धारा 148 के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारण को पुनः निर्धारण के लिए 01.04.2024 को आईटीबीए पोर्टल पर सूचना प्रस्तुत की

जा रही है। अनुस्मारक [अप्रैल 2024, नवंबर 2024] जारी किए जाने के बावजूद विभाग से अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.2.6 धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना करते समय अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुचित अनुमति

यद्यपि लेखापरीक्षा ने सीएजी के 2017[81] के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 30 में बताया था कि धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों को कम करने का कोई प्रावधान नहीं था, फिर भी विभाग में बही लाभ की गणना करते समय अशोध्य ऋणों के कर प्रशोधन में असंगतता जारी है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

बॉक्स 5.14

पीसीआईटी-3 प्रभार के अंतर्गत आई24 के मामले में, सितंबर 2021 में धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण संवीक्षा के बाद, सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹6,653.21 करोड़ की हानि पर निर्धारित आय का निर्धारण करते हुए, निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया। धारा 115 जेबी के अंतर्गत बही हानि की गणना ₹5,345.42 करोड़ की गई।

निर्धारण आदेश से यह देखा गया कि धारा 115जेबी के प्रावधानों के अंतर्गत बही लाभ की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए ₹12,500.29 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। 'प्रावधान और आकस्मिकताएँ' शीर्ष के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में केवल ₹778.09 करोड़ की राशि डेबिट की गई। कटौती के रूप में दावा की गई शेष राशि ₹11,722.20 करोड़, लाभ-हानि खाते में डेबिट नहीं की गई, बल्कि इसे तुलन पत्र की खाता-बही में बनाए गए एनपीए के प्रावधानों के प्रति समायोजित कर दिया गया। इस खाते में अतिरिक्त कटौती ₹11,722.20 करोड़ हुई और ₹1,360.91 करोड़ का कम कर अधिरोपित हुआ। इसके अलावा, व्यावसायिक परिसंपत्ति के मूल्य में कमी के लिए ₹774.24 करोड़ की कटौती का दावा किया गया। धारा 115जेबी के अंतर्गत दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यह भी अनुमेय कटौती नहीं थी। इस कटौती के कारण ₹ 165.23 करोड़ का कम कर उद्ग्रहण हुआ।

---

[81] धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कुछ कंपनियों द्वारा कर का भुगतान

इसके परिणामस्वरूप ₹12,496.45 करोड़ के बही लाभ का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹1,526.14 करोड़ का कम कर अधिरोपित किया गया।

यह बात फरवरी 2022 में डीसीआईटी-3(4), मुंबई के संज्ञान में लाई गई। विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2024) में बताया कि धारा 147 के अंतर्गत पुनः निर्धारण का प्रस्ताव प्रगति पर है। अनुस्मारक (अप्रैल 2024, नवंबर 2024) जारी करने के बावजूद विभाग से अग्रेत्तर विवरण की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निवेश के मूल्य में कमी के लिए कटौती और बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए, जिन्हें लाभ और हानि खाते में डेबिट नहीं किया था, अधिनियम की धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना करते समय, कटौती का लाभ अनुचित रूप से दिया गया।

5.2.2.7 संबंधित पक्ष संव्यवहार के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

आई24 के कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में धारा 40ए(2)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहार की प्रामाणिकता की जांच के लिए, लेखापरीक्षा ने इन भुगतानों के प्राप्तकर्ताओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में जमा आयकर रिटर्न में दी गई सूचना के साथ इनमें से कुछ संव्यवहार का सत्यापन करने का प्रयास किया। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित भिन्नताएँ देखीं, जिन्हें नीचे तालिका 5.25 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.25: संबंधित पक्ष संव्यवहार के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तिया **(₹ करोड़ में)**

नि.व.	संबंधित पक्ष का नाम, डीसीआईटी प्रभार	भुगतान की गई राशि	संव्यवहार की प्रकृति	प्राप्तकर्ता के रिटर्न में दर्शाई गई राशि	लेखा शीर्ष जिसके अंतर्गत प्राप्तकर्ता द्वारा संव्यवहार दिखाया गया	अंतर
2014-15	आई36, सर्किल 15(1)(2), मुंबई	40.95	ओबीएसटी[82] भुगतान	25.44	ओबीएसटी के अंतर्गत आय	15.51
2015-16	आई36, सर्किल 15(1)(2), मुंबई	00.20	ओबीएसटी भुगतान	0.0019	ओबीएसटी के अंतर्गत आय	00.20
2017-18	आई35, सर्किल 4(1)(1), मुंबई	4.53	ओबीएसटी भुगतान	3.89	जमा से ब्याज आय	00.64

82 ओबीएसटी का अर्थ है क्रम आधारित नियोजन प्रौद्योगिक

तालिका 5.25: संबंधित पक्ष संव्यवहार के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तिया						**(₹ करोड़ में)**
नि.व.	**संबंधित पक्ष का नाम, डीसीआईटी प्रभार**	**भुगतान की गई राशि**	**संव्यवहार की प्रकृति**	**प्राप्तकर्ता के रिटर्न में दर्शाई गई राशि**	**लेखा शीर्ष जिसके अंतर्गत प्राप्तकर्ता द्वारा संव्यवहार दिखाया गया**	**अंतर**
2017-18	आई36, सर्किल 15(1)(2), मुंबई	3.23	जमा पर ब्याज	1.87	जमा से ब्याज आय	1.36
2017-18	आई37, सर्किल 1(2)(1), मुंबई	17.40	जमा पर ब्याज	9.60	जमा से ब्याज आय	7.80
कुल		**66.31**		**40.80**		**25.51**
स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख						

इन विविधताओं को इन सेवाओं के प्राप्तकर्ताओं के क्षेत्राधिकार वाले डीसीआईटी-15(1)(2), मुंबई के संज्ञान में लाया गया (मार्च 2022)। अनुस्मारक जारी करने [अप्रैल 2024, नवंबर 2024] के बावजूद विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.3 एि6 के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण

पीसीआईटी-1 अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारण किया गया ए6, भारत में निजी क्षेत्र का एक बड़ा बैंक है जो खुदरा, एसएमई और कॉर्पोरेट ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का एक विविध पोर्टफोलियो प्रदान करता है। बैंक के पास शाखाओं, एटीएम और अन्य सेवाओं का एक व्यापक नेटवर्क है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए ए6 के वित्तीय विवरण, निर्धारण वर्ष 2011-12, 2012-13, 2015-16 से 2019-20 के लिए ए6 के निर्धारण के विवरण, निर्धारण वर्ष 2011-12, 2012-13, 2015-16 से 2019-20 के दौरान दावा की गई और दी गई कटौतियों का विवरण और ए6 के निर्धारण की लेखापरीक्षा में पाई गई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां नीचे दी गई हैं।

5.2.3.1 ए6 की वित्तीय विशेषताएँ

वित्त वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंक की वित्तीय विशेषताएँ[83] नीचे तालिका 5.26 में दी गई हैं।

[83] स्रोत: ए6 के संबंधित वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन।

तालिका 5.26: ए6 का वित्तीय विवरण					**(₹ करोड़ में)**
वित्तीय वर्ष → /वित्तीय विवरण	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
कुल परिसंपत्तियाँ	5,39,821	6,01,468	6,91,330	8,00,997	9,15,165
कुल अग्रिम	3,38,774	3,73,069	4,39,650	4,94,798	5,71,442
कुल जमा राशि	3,57,968	4,14,379	4,53,623	5,48,471	6,40,105
अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/छूट	16,833	18,093	18,618	21,708	25,206
शेयरधारक निधि	53,165	55,763	63,445	66,676	84,948
खुदरा अग्रिम	1,38,521	1,67,993	2,06,465	2,45,812	3,05,400
सीएएसए[84]	1,69,445	2,13,050	2,43,852	2,43,394	2,63,706
प्रचालन राजस्व	26,204	29,784	29,585	34,838	40,743
स्रोत: ए6 का वार्षिक प्रतिवेदन					

5.2.3.2 आयकर निर्धारण का विवरण

ए6 के निर्धारण वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2015-16 से निर्धारण वर्ष 2019-20 तक के निर्धारणों को 360-डिग्री विश्लेषण के लिए चुना गया। निर्धारण वर्ष 2011-12, 2012-13, 2015-16 और 2016-17 में धारा 143(3) के अंतर्गत ए6 के आयकर रिटर्न को पूर्ण संवीक्षण के लिए चुना गया। निर्धारण वर्ष 2011-12, 2012-13, 2015-16 से 2019-20 तक के लिए ए6 के निर्धारण विवरण नीचे तालिका 5.27 में दिए गए हैं।

तालिका 5.27: निर्धारण वर्ष 2011-12 से निर्धारण वर्ष 2019-20 तक आयकर निर्धारण का विवरण							**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**नि.व.**	**रिटर्न की तिथि (संशोधित विवरण)**	**वह धारा जिसके अंतर्गत निर्धारण किया गया/ निर्धारण की तिथि**	**रिटर्न आय**	**निर्धारित आय**	**परिवर्धन**	**रिटर्न की गई आय के *प्रतिशत* के रूप में परिवर्धन (*प्रतिशत* में)**
1	2011-12	22.05.2018	धारा 147 के साथ पठित 143(3) / 15.11.2018	5,830.67	6,117.66	286.99	4.92
2	2012-13	22.05.2018	धारा 147 के साथ पठित 143(3) / 15.11.2018	6,784.49	7,024.99	240.50	3.54
3	2015-16	30.03.2017	धारा 263 के साथ पठित 143(3) / 02.02.2018	11,253.09	12,200.22	947.13	8.42

[84] सीएएसए का अर्थ है चालू खाता और बचत खाता।

तालिका 5.27: निर्धारण वर्ष 2011-12 से निर्धारण वर्ष 2019-20 तक आयकर निर्धारण का विवरण (₹ करोड़ में)							
क्र. सं.	**नि.व.**	**रिटर्न की तिथि (संशोधित विवरण)**	**वह धारा जिसके अंतर्गत निर्धारण किया गया/ निर्धारण की तिथि**	**रिटर्न आय**	**निर्धारित आय**	**परिवर्धन**	**रिटर्न की गई आय के *प्रतिशत* के रूप में परिवर्धन (*प्रतिशत* में)**
4	2016-17	21.03.2018	धारा 144सी(3) के साथ पठित 143(3) / 28.01.2020	11,655.36	12,927.51	1,272.15	10.91
5	2017-18	28.03.2019	143 (1)/ 21.11.2019	14,163.39	14,156.87	लागू नहीं	लागू नहीं
6	2018-19	29.03.2019	143(1)/ 06.08.2020	4,834.54	4,937.21	लागू नहीं	लागू नहीं
7	2019-20	15.06.2020	143(1)/ 19.03.2021	8,436.38	8,436.38	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल				**62,957.92**	**65,800.84**		**2,746.77**
स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख							

संवीक्षा निर्धारण के दौरान किए गए परिवर्धन, रिटर्न की गई आय[85] के 3.54 *प्रतिशत* से 10.91 *प्रतिशत* तक थे।

5.2.3.3 दावा की गई और अनुमत कटौतियों का विवरण

धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के लिए ए6 को दावा की गई और अनुमत कटौती, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए अनुमत कटौती और आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत छूट प्राप्त आय नीचे तालिका 5.28 में दर्शाई गई है:

तालिका 5.28: दावा की गई और अनुमत कटौतियों का विवरण (₹ करोड़ में)								
नि.व.	**धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण**		**धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान**		**धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती**		**छूट प्राप्त आय**	
	दावा किया गया	**अनुमत**	**दावा किया गया**	**अनुमत**	**दावा किया गया**	**अनुमत**	**दावा किया गया**	**अनुमत**
2011-12	678.37	678.37	276.74	276.74	शून्य	शून्य	16.25	16.25
2012-13	721.87	721.87	138.56	138.56	शून्य	शून्य	68.96	68.96
2015-16	1,217.81	1,217.81	595.43	595.43	शून्य	शून्य	351.18	351.18
2016-17	3,163.94	3,163.94	1,135.14	636.51	शून्य	शून्य	290.65	290.65

85 आंकड़ों के स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख।

तालिका 5.28: दावा की गई और अनुमत कटौतियों का विवरण **(₹ करोड़ में)**

नि.व.	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण		धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती		छूट प्राप्त आय	
	दावा किया गया	अनुमत	दावा किया गया	अनुमत	दावा किया गया	अनुमत	दावा किया गया	अनुमत
2017-18	0	0	0	0	शून्य	शून्य	303.51	303.51
2018-19	11,095.01	11,095.01	0	0	शून्य	शून्य	375.65	375.65
2019-20	8,956.32	8,956.32	0	0	शून्य	शून्य	250.80	250.80
कुल	**25,833.32**	**25,833.32**	**2,145.87**	**1,647.24**	**शून्य**	**शून्य**	**1,657**	**1,657**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

5.2.3.4 360-डिग्री विश्लेषण में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

लेखापरीक्षा में ₹ 183.48 करोड़ की आय के कम निर्धारण के 17 मामले पाए गए, जिनका कर प्रभाव ₹ 54.09 करोड़ था। इनमें ₹ 183.48 करोड़ की आय के कम निर्धारण और ₹ 44.68 करोड़ के कम कर की वसूली से संबंधित पाँच निष्कर्ष, ₹ 2.62 करोड़ के ब्याज की अधिक वसूली से संबंधित एक निष्कर्ष, ₹ 6.79 करोड़ के ब्याज की कम वसूली से संबंधित एक निष्कर्ष और प्रणालीगत मुद्दों पर दस निष्कर्ष सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सारांश नीचे तालिका 5.29 में दिया गया है।

तालिका 5.29: एद के संबंध में अनियमितताओं का सार **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	नि.व.	निर्धारण की धारा और तिथि	अनियमितता का सार	कम निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	2015-16	263/02.02.2018	पैन उजागर किए बिना उधारकर्ताओं के मामले में अशोध्य ऋण	--	--	अस्वीकृत (जनवरी 2023)
2	2011-12 2012-13 2015-16 2016-17	147/15.11.2018 147/15.11.2018 263/02.02.2018 143(3)/28.01.2020	उधारकर्ता के विवरण के सत्यापन के बिना अशोध्य ऋण की अनुमति	--	--	स्वीकृत (जनवरी 2023)। अग्रेत्तर सूचना प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
3	2016-17	263/02.02.2018	वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बकाया एनपीए के प्रति बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की राशि में बेमेल।	21.29	7.37	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
4	2015-16 2016-17	263/02.02.2018 143(3)/28.01.2020	बैंक द्वारा बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की राशि को उधारकर्ताओं ने धारा 41(1) के	55.61	0	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)

तालिका 5.29: ए6 के संबंध में अनियमितताओं का सार						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**नि.व.**	**निर्धारण की धारा और तिथि**	**अनियमितता का सार**	**कम निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
			अंतर्गत आय के रूप में प्रस्तुत नहीं किया।			
5	2015-16	263/02.02.2018	संशोधित रिटर्न जमा करते समय 3सीडी प्रतिवेदन में संशोधन न करना	1.16	0.80	स्वीकृत (जनवरी 2023)। अग्रेतर सूचना प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
6	2016-17	143(3)/28.01.2020	आयकर रिटर्न में अशोध्य ऋणों की अनुमति का न दर्शाया जाना	--	--	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
7	2011-12 2012-13 2015-16 2016-17	147/15.11.2018 147/15.11.2018 263/02.02.2018 143(3)/28.01.2020	ग्रामीण अग्रिमों के विवरण की पुष्टि किए बिना धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की अनुमति	--	--	स्वीकृत (मई 2023)। अग्रेतर सूचना प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025)।
8	2011-12 2015-16 2016-17	147/15.11.2018 263/02.02.2018 143(3)/28.01.2020	कर भुगतान के साक्ष्य की पुष्टि किए बिना धारा 90/91 के अंतर्गत दोहरे कराधान परिहार समझौते से राहत की अनुमति	--	--	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
9	2011-12 2012-13 2015-16 2016-17	147/15.11.2018 147/15.11.2018 263/02.02.2018 143(3)/28.01.2020	आयकर रिटर्न में अशोध्य ऋणों की वसूली उजागर न करना	0	0	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
10	2016-17	143(3)/28.01.2020	आईटीबीए में धारा 234ए के अंतर्गत अधिक ब्याज की वसूली	0	2.62	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
11	2011-12 2012-13 2015-16	147/15.11.2018 147/15.11.2018 263/02.02.2018	संवीक्षा निर्धारण में किए गए परिवर्धन की असततता	--	--	उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025)।
12	2012-13 2015-16 2016-17	147/15.11.2018 263/02.02.2018 143(3)/28.01.2020	आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	--	--	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
13	2017-18	143(1)/30.03.2019	बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की वसूली - आरबीआई के आंकड़ों से मेल नहीं खाती	--	--	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
14	2016-17 2017-18 2018-19 2019-20	143(3)/28.01.2020 143(1)/30.03.2019 143(1)/06.08.2020 143(1)/19.03.2021	बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण - आरबीआई के आंकड़ों से मेल नहीं खाते	--	--	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।

तालिका 5.29: ए6 के संबंध में अनियमितताओं का सार						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**नि.व.**	**निर्धारण की धारा और तिथि**	**अनियमितता का सार**	**कम निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
15	2017-18	143(1)/30.03.2019	एफसीटीआर में अथ शेष राशि से संबंधित आय जो निर्धारण से बची हुई है	102.03	35.31	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
16	2012-13	147/15.11.2018	धारा 234डी के अंतर्गत ब्याज का कम उद्ग्रहण	0	6.79	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
17	2016-17	143(3)/28.01.2020	संबंधित पक्ष संव्यवहार- (i) निदेशक एस33 और एस42 के आयकर रिटर्न में वेतन आय के अंतर्गत अनुलाभों का छूटना	1.77	0.64	(i) उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
			(ii) ए6 द्वारा ए17 को भुगतान किया गया शास्ति और कमीशन को संबंधित पक्ष ए17 द्वारा अपने रिटर्न में कम दर्शाया गया।	1.62	0.56	(ii) स्वीकृत (जून 2023) और अप्रैल 2023 में धारा 148ए(डी) के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। आगे के विवरण प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
कुल				**183.48**	**54.09**	

कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में संक्षेप में चर्चा की गई है।

5.2.3.5 वित्तीय वर्ष के आरंभ में बकाया अशोध्य ऋणों के प्रावधान के प्रति बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की राशि के मध्य गैर-मिलान

ए6 के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि 01.04.2015 तक दो उधारकर्ताओं के प्रति कुल बकाया एनपीए ₹363.72 करोड़ था, जबकि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए और विभाग द्वारा इन दोनों उधारकर्ताओं के लिए अनुमत अशोध्य ऋण ₹385.01 करोड़ थे, जो आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(vii) और 36(2)(v) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जिसमें प्रावधान है कि बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के अथ शेष से अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार, ₹7.37 करोड़ के कर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए ₹21.29 करोड़ की अतिरिक्त कटौती की अनुमति दी गई।

फरवरी 2022 में डीसीआईटी 1(1)(1), अहमदाबाद के संज्ञान में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां लाई गई। अनुस्मारक [नवंबर 2024, जनवरी 2025] जारी करने के बावजूद विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.3.6 आय गणना और प्रकटीकरण मानकों (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार राजस्व की पहचान का अभाव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 01.04.2016 तक एफसीटीआर का अथ शेष कर के दायरे में नहीं लाया गया, जिसके परिणामस्वरूप आय की कर निर्धारण में गणना नहीं हुई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

बॉक्स 5.15

निर्धारण वर्ष 2017-18 में ए6 के आयकर रिटर्न और वार्षिक लेखों की जांच से पता चला कि बैंक के पास 01.04.2016 तक ₹ 102.03 करोड़ के अथ शेष के साथ विदेशी मुद्रा विनिमय रिजर्व (एफसीटीआर) था। निर्धारिती बैंक ने आईसीडीएस-VI के अनुसार आय के लिए इस विशेष आरक्षित निधि की प्रस्तुति नहीं की और यह कहा कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईसीडीएस-VI को रद्द कर दिया है और वर्ष के दौरान कोई आईसीडीएस-VI लागू नहीं था।

निर्धारिती ने वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधन पर विचार नहीं किया, जिसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने और निर्धारण वर्ष 2017-18 से आईसीडीएस-VI को लागू करने के लिए निर्धारण वर्ष 2017-18 से नई धारा 43एए जोड़ी गई, जबकि निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान कर के लिए ₹102.03 करोड़ के एफसीटीआर के अथ शेष की प्रस्तुति नहीं की गई। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹102.03 करोड़ की आय पर कर अधिरोपित नहीं किया जा सका, जिसमें ₹35.31 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था।

यह अभ्युक्तियां अप्रैल 2022 में डीसीआईटी 1(1)(1), अहमदाबाद को बताई गईं। अनुस्मारक [नवंबर 2024, जनवरी 2025] जारी करने के बावजूद विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.3.7 संबंधित पक्ष संव्यवहार पर अभ्युक्तियां

ए6 के कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित धारा 40ए(2)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले संबंधित पक्षों के साथ किए गए संव्यवहार की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए, लेखापरीक्षा ने इन भुगतानों के प्राप्तकर्ताओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में जमा आयकर रिटर्न में दी गई सूचना के साथ इनमें से कुछ संव्यवहार को प्रति सत्यापित करने का प्रयास किया।

5.2.3.7.1 वेतन आय के अंतर्गत अनुलाभों का पलायन

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2)(vi) के अनुसार, अनुलाभों में नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निःप्रभार या रियायती दर पर आवंटित या हस्तांतरित किसी भी निर्दिष्ट प्रतिभूति (ईएसओपी सहित) या स्वेट इक्विटी शेयरों का मूल्य सम्मिलित होता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने बैंक से शेयरों की क्रय के लिए विकल्प के प्रयोग से निर्धारिती की आय का निर्धारण करते समय बैंक के वित्तीय विवरणों से शेयरों के संव्यवहार के विवरण को सहसंबंधित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप आय पर कर अधिरोपित नहीं किया जा सका।

सीमित जांच के लिए चयनित ए6 की एमडी और सीईओ एस33 का निर्धारण दिसंबर 2018 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹17.26 करोड़ की आय पर पूरा किया गया, जिसमें रिटर्न आय को स्वीकार किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने वर्ष के दौरान ईएसओपी योजना के अंतर्गत ए6 के 7.5 लाख शेयर खरीदने के विकल्प के प्रयोग से ₹11.81 करोड़ की आय प्रस्तुत की। निर्धारिती ने विकल्प के प्रयोग की तिथि पर प्रत्येक शेयर के उचित बाजार मूल्य और निर्धारिती द्वारा विकल्प का प्रयोग किए जाने वाले प्रत्येक शेयर के मूल्य के बीच के अंतर को आय के रूप में प्रस्तुत किया था।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए ए6 की खाता बहियों का विश्लेषण किया और पाया कि बैंक की खाता बहियों के अनुसार, निर्धारिती ने अपने रिटर्न में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए 7.50 लाख शेयरों के स्थान पर वर्ष के दौरान 8.50 लाख शेयरों का प्रयोग किया। इसलिए, निर्धारिती ने ₹1.67 करोड़ मूल्य के एक लाख शेयरों से संबंधित कम आय की प्रस्तुति की, जिसमें ₹0.58 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां अप्रैल 2022 में डीसीआईटी 1(1)(1), अहमदाबाद को सूचित की गई। अनुस्मारक [नवंबर 2024, जनवरी 2025] जारी होने के बावजूद विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.3.7.2 निर्धारिती द्वारा अपनी सहायक कंपनी को भुगतान किए गए शास्ति और कमीशन, का सहायक कंपनी द्वारा आयकर रिटर्न में अपूर्ण प्रस्तुति

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अनुसार, किसी भी निवासी व्यक्ति की किसी भी पिछले वर्ष की कुल आय में किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी आय सम्मिलित होती है।

ए6 के संबंधित पक्षों में से एक, मेसर्स ए17 ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट्स में '23-संबंधित पक्ष प्रकटीकरण' के अंतर्गत नियंत्रक कंपनी ए6 से 'सेवा शुल्क' के रूप में ₹ 3.55 करोड़ की आय की सूचना दी। यद्यपि, ए6 ने आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के अंतर्गत अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए अपने संबंधित दल, ए17 को भुगतान की गई "शुल्क और कमीशन" के रूप में ₹ 5.17 करोड़ की राशि दर्शाईथी। इसके परिणामस्वरूप संबंधित पक्ष द्वारा ₹ 1.62 करोड़ की आय कम रिपोर्ट की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.56 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

यह अभ्युक्तियां डीसीआईटी 1(1)(1), अहमदाबाद (जून 2022) के संज्ञान में लाई गई। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया (जून 2023) और बताया कि धारा 148 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई अप्रैल 2023 में शुरू कर दी गई। अनुस्मारक जारी करने के बावजूद (नवंबर 2024, जनवरी 2025) अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2025)। । मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.4 बी11 के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण

बी11 का निर्धारण पीसीआईटी-2 कोलकाता के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया जाता है। बी11 निजी क्षेत्र का एक नया बैंक है और इसका गठन 23 दिसंबर 2014 को आरबीआई द्वारा 9 अप्रैल 2014 को बी14 को निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने हेतु दी गई सैद्धांतिक स्वीकृति के आधार पर हुआ। मेसर्स जी5 (एक एनबीएफ़सी) का 01 जनवरी 2019 से निर्धारिती बैंक में विलय हो गया। यह निजी क्षेत्र का बैंक सामान्यतः भारत और विशेष रूप से पूर्वी भारत के खुदरा, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) और कॉर्पोरेट ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का एक विविध पोर्टफोलियो प्रदान कर रहा है। बैंक के पास शाखाओं, एटीएम और अन्य संपर्क बिंदुओं का एक व्यापक नेटवर्क है। निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए निजी बैंक के निर्धारण का विवरण, निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान दावा की गई और

अनुमत कटौतियों का विवरण और बी11 के निर्धारण की लेखापरीक्षा में देखी गई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

5.2.4.1 बी11 की वित्तीय विशेषताएं

वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2019-20 तक बी11 की वित्तीय विशेषताएं नीचे तालिका 5.30 में दी गई हैं।

तालिका 5.30: बी11 का वित्तीय विवरण (₹ करोड़ में)

वि.व. → / वित्तीय विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल संपत्ति	30,236.09	44,310.05	56,441.71	91,717.80
कुल अग्रिम	16,839.07	29,713.03	39,643.39	66,629.94
कुल जमा	23,228.66	33,869.00	43,231.62	57,081.50
निवल ब्याज आय	2,403.49	3,032.24	4,496.10	6,323.91
शेयरधारक निधि	1,095.14	1,192.80	1,193.08	1,610.25
खुदरा अग्रिम	776.51	1,476.16	2,516.66	19,876.31
सीएएसए	6,837.33	11,623.90	17,617.72	21,028.45
प्रचालन राजस्व	3,908.71	4,802.30	6,644.05	10,885.49

स्रोत: बी11 के संबंधित वित्तीय वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन

5.2.4.2 आयकर निर्धारण का विवरण

बी11 के निर्धारण वर्ष 2015-16 से निर्धारण वर्ष 2019-20 तक के निर्धारणों को 360-डिग्री विश्लेषण के लिए चुना गया। बी11 के वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में आयकर रिटर्न को धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण संवीक्षण के लिए चुना गया, जबकि निर्धारिती बैंक के निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 के रिटर्न का निर्धारण धारा 143(1) के अंतर्गत संक्षिप्त रूप से किया गया निर्धारण वर्ष 2015-16 से निर्धारण वर्ष 2019-20 तक के लिए बी11 का निर्धारण विवरण[86] नीचे तालिका 5.31 में दिया गया हैं:

तालिका 5.31: संवीक्षा निर्धारण के दौरान किए गए परिवर्धन (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	नि.व.	रिटर्न की तिथि	धारा जिसके अंतर्गत निर्धारण किया गया और निर्धारण की तिथि	रिटर्न मे दर्शाई गई आय	निर्धारित आय	किया गया परिवर्धन	रिटर्न की गई आय के *प्रतिशत* के रूप में परिवर्धन
1	2015-16	27.11.2015	143(3) दिनांक 4.12.2018	7.93	7.93	0	0
2	2016-17	30.11.2016	143(3) दिनांक 19.12.2019	490.94	494.46	3.52	0.71
3	2017-18	31.10.2017	143(3) दिनांक 29.12.2019	1,776.97	1,777.26	0.29	0.01

[86] आंकड़ों के स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख।

क्र.सं.	नि.व.	रिटर्न की तिथि	धारा जिसके अंतर्गत निर्धारण किया गया और निर्धारण की तिथि	रिटर्न मे दर्शाई गई आय	निर्धारित आय	किया गया परिवर्धन	रिटर्न की गई आय के *प्रतिशत* के रूप में परिवर्धन
4	2018-19	27.10.2018	143(1) दिनांक 17.11.2019	2,194.74	2,195.00	लागू नहीं	लागू नहीं
5	2019-20	31.10.2019	143(1) दिनांक 15.01.2021	3,298.00	3,298.00	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल			**7,768.58**	**7,772.65**	**4.07**	

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

जांच निर्धारण के दौरान किए गए परिवर्धन, रिटर्न की गई आय के 0.01 *प्रतिशत* से 0.71 *प्रतिशत* तक थी। बी11 के संबंध में प्रणालीगत मुद्दों पर इस प्रतिवेदन के अध्याय 4 में अन्य बैंकों में देखी गई समान समस्याओं के साथ चर्चा की गई है।

5.2.4.3 दावा की गई और अनुमत कटौतियों का विवरण

बी11 को धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए, साथ ही विभिन्न धाराओं के अंतर्गत छूट प्राप्त आय के लिए दावा की गई और अनुमत कटौतियां नीचे तालिका 5.32 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 5.32: दावा की गई और अनुमत कटौतियों का विवरण (₹ करोड़ में)

नि.व.	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋण		धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती	धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत अनुमत विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती	दावा की गई छूट प्राप्त आय	अनुमत छूट प्राप्त आय
	दावा किए गए	अनुमत	दावा किए गए	अनुमत	दावा किए गए	अनुमत	दावा किए गए	अनुमत
2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	2.13	2.13	0	0	0.24	0.24
2017-18	31.18	31.18	16.56	16.56	84.00	83.13	0	0
2018-19	51.00	51.00	374.21	374.21	0	0	0	0
2019-20	277.49	277.49	391.00	391.00	0	0	0	0
कुल	**359.67**	**359.67**	**783.90**	**783.90**	**84.00**	**83.13**	**0.24**	**0.24**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

5.2.4.4 360-डिग्री विश्लेषण में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

लेखापरीक्षा में ₹1,049.92 करोड़ के कम निर्धारण और ₹364.98 करोड़ के कम कर के उद्ग्रहण के पाँच महत्वपूर्ण मामले पाए गए। इन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार नीचे तालिका 5.33 में दिया गया है:

तालिका 5.33: बी11 के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	नि.व.	निर्धारण की धारा और तिथि	अनियमितता का सार	कम निर्धारण (₹ करोड़ में)	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर
1.	2016-17	143(3) दिनांक 19.12.2019	निर्धारिती के खातों में जमा की गई राशि, जिस पर कर आरोपित नहीं किया जा सकता	480.28	166.21	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
2.	2017-18 2018-19 2019-20	143(3) दिनांक 29.12.2019 143(1) दिनांक 17.11.2019 143(1) दिनांक 15.01.2021	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों के अथ जमा शेष के साथ समायोजन किए बिना अशोध्य ऋणों की कटौती की अनुमति	233.85	81.59	नि.व. 2017-18 के लिए अस्वीकृत। नि.व.2018-19 और नि.व. 2019-20 के लिए उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
3.	2019-20	143(1) दिनांक 15.01.2021	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमेय राशि से अधिक अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों हेतु कटौती प्रदान करना	295.40	103.22	डीसीआईटी ने सूचित किया कि धारा 148 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
4.	2017-18	143(3) दिनांक 29.12.2019	अनंतिम/आकस्मिक व्ययों की कटौती को अनुचित प्रदान करना	36.61	12.66	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
5.	2017-18	143(3) दिनांक 29.12.2019	मूल्यह्रास के प्रावधान की कटौती का अनुचित तरीके से दिया जाना	3.78	1.30	अस्वीकृत (अप्रैल 2024) प्रत्युतर जारी (मई 2024) उत्तर के अनुसार (अप्रैल 2025) धारा 148 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2025)
कुल				**1,049.92**	**364.98**	

कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में संक्षेप में चर्चा की गई है।

5.2.4.5 अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के अथ ऋण शेष के साथ समायोजन किए बिना अशोध्य ऋणों की कटौती प्रदान करना

बी11 के मामले में, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए पूर्ण संवीक्षण के अंतर्गत पूर्ण किए गए निर्धारणों और निर्धारण वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए सारांश निर्धारणों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि अशोध्य ऋणों की अनुमति देते समय, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत पूर्व के वर्षों में किए गए और अनुमत प्रावधानों के लिए कटौती को अशोध्य ऋणों के दावे से कम नहीं किया गया। विवरण नीचे तालिका 5.34 में दिए गए हैं:

तालिका 5.34: दावा किए गए अतिरिक्त अशोध्य ऋणों का विवरण (₹ करोड़ में)

नि.व.	निर्धारण में विचारित पीबीडीडी का अथ शेष	लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए अशोध्य ऋण	दावा किए गए अशोध्य ऋणों की कटौती	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अनुमत अशोध्य ऋणों की कटौती	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अनुमत कटौती	अशोध्य ऋणों की अधिक अनुमति और कम निर्धारण	कर प्रभाव
2017-18	8.53	31.18	31.18	31.18	22.65	8.53	2.95
2018-19	25.09	51.00	51.00	51.00	25.91	25.09	8.68
2019-20	200.23	277.49	277.49	277.49	77.26	200.23	69.96
कुल		**359.67**	**359.67**	**359.67**	**125.82**	**233.85**	**81.59**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

इस प्रकार, नि.व. 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में, धारा 36(1)(vii) के प्रावधानों के अनुसार अनुमेय ₹125.82 करोड़ के स्थान पर ₹359.67 करोड़ के अशोध्य ऋण अनुमत किए गए। इसके परिणामस्वरूप ₹233.85 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसमें ₹81.59 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

मार्च 2022, अप्रैल 2022 और मई 2022 में डीसीआईटी 5(1), कोलकाता के संज्ञान में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां लाई गईं। पीसीआईटी-2 ने उत्तर में (मई 2022 (नि.व. 2017-18) और अप्रैल 2024 (नि.व. 2018-19 और 2019-20)) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया।

मार्च 2022, अप्रैल 2022 और मई 2022 में डीसीआईटी 5(1), कोलकाता के संज्ञान में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां लाई गईं। पीसीआईटी-2 कोलकाता, ने उत्तर में [मई 2022 (नि.व. 2017-18) और अप्रैल 2024 (नि.व. 2018-19 और 2019-20) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया।

नि.व. 2017-18 के संबंध में, विभाग ने तर्क दिया कि निर्धारण अधिकारी ने 36(1)(viiए) के अंतर्गत ₹ 47.74 करोड़ (बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए ₹ 31.18 करोड़ की राशि सहित) के सभी व्ययों को अनुमति दी थी, जो कुल आय का 7.5 *प्रतिशत* था। *विभाग*

का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निर्धारिती ने अपनी गणना पत्र और अपनी प्रस्तुति (21 दिसंबर 2019) में, अशोध्य ऋणों और अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए अलग-अलग दावा किया था और अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों का अथ शेष भी प्रस्तुत किया था। यद्यपि, निर्धारण अधिकारी ने अनुमत राशियों को समायोजित किए बिना धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत ₹ 47.74 करोड़ (₹ 31.18 करोड़ + ₹ 16.56 करोड़) की पूरी राशि की कटौती की अनुमति दी थी।

इसके अतिरिक्त, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 के संबंध में, विभाग ने कहा कि धारा 36(1)(vii) और 36(1)(viiए) के अंतर्गत निर्धारिती का कुल दावा अधिनियम के अंतर्गत अनुमेय राशि से कम था। इसलिए, कोई राजस्व हानि नहीं हुई और निर्धारिती क्रमशः निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में ₹ 51 करोड़ और ₹ 668.99 करोड़ की कटौती का दावा करने का हकदार था। *विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि धारा 36(1)(vii) और 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती के दावे की अलग से जांच की जानी चाहिए क्योंकि उनके लिए अलग प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त, निर्देश संख्या 17/2008 के क्रम (ii) में सीबीडीटी द्वारा किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के दावे को खातों की पुस्तकों में पीबीडीडी के शुरुआती शेष के साथ समायोजित किया जाना चाहिए और केवल ऐसे अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने की अनुमति दी जानी चाहिए जो अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत सृजित किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋण खाते के प्रावधान में उपलब्ध क्रेडिट शेष से अधिक हो।*

पीसीआईटी-2, कोलकाता ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.4.6 धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमेय राशि से अधिक अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों हेतु कटौती

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2019-20 के इस मामले को सारांश के अंतर्गत संसाधित किया गया, धारा 36(1)(viiए)[87] के अंतर्गत कटौती के रूप में एनपीए के लिए प्रावधान

[87] आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 36(1)(viiए) में प्रावधान है कि अनुसूचित बैंक अपने द्वारा सृजित किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किसी प्रावधान के संबंध में कटौती के लिए पात्र है, जो कुल आय के साढ़े सात *प्रतिशत* से अधिक न हो, जिसे निर्धारण वर्ष 2018-19 से संशोधित कर साढ़े आठ *प्रतिशत* कर दिया गया है (इस प्रावधान और अध्याय VIए के अंतर्गत कोई कटौती करने से पहले गणना की जाती है) और ऐसी बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिमों के दस *प्रतिशत* तक की राशि जिसकी निर्धारित तरीके से गणना की गई हो।

की अनुमति का मुद्दा विभाग की जांच और उसकी अस्वीकृति से बच गया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

बॉक्स 5.16

निर्धारिती ने 30 अक्टूबर 2019 को निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए परिशोधित आयकर रिटर्न जमा किया, जिसमें कुल ₹3,298 करोड़ की आय घोषित की गई, जिसे धारा 143(1) के अंतर्गत 15 अक्टूबर 2021 को ₹3,298 करोड़ की निर्धारित आय पर संसाधित किया गया।

निर्धारिती बैंक ने अपने खातों में प्रावधान और आकस्मिक व्ययों के रूप में ₹1,796.68 करोड़ डेबिट किए, जिसमें ₹668.49 करोड़ के एनपीए के लिए प्रावधान सम्मिलित था, और सारांश निर्धारण में इसकी अनुमति दी गई। धारा 36(1)(viiए) के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारिती केवल ₹373.09 करोड़ (अर्थात ₹4,389.40 करोड़ की कुल आय का 8.5 *प्रतिशत*) की कटौती के लिए अर्ह था। इसके परिणामस्वरूप ₹295.40 करोड़ (₹668.49 करोड़ - ₹373.09 करोड़) की अतिरिक्त कटौती की अनुमति मिली, जिसमें ₹103.22 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मई 2022 में डीसीआईटी 5(1), कोलकाता के समक्ष इंगित किया गया। डीसीआईटी ने उत्तर (अप्रैल 2025) में कहा कि धारा 148 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है और निर्धारण लंबित है। अनुस्मारक (नवंबर 2024) जारी करने के बावजूद अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.4.7 अनंतिम/ आकस्मिक व्ययों की कटौती का अनुचित अनुदान

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2018-19 के दौरान, निर्धारिती ने लाभ-हानि खाते में "प्रावधान और आकस्मिक व्ययों" के अंतर्गत ₹ 1,084.55 करोड़ डेबिट किए। इन प्रावधानों और आकस्मिक व्ययों में आयकर के लिए ₹ 710.34 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित था, और इसे संवीक्षा निर्धारण के दौरान वापस जोड़ दिया गया। शेष ₹ 374.21 करोड़, जो मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान, एनपीए के लिए प्रावधान आदि थे, को भी वापस जोड़ना आवश्यक था। निर्धारिती ने अपनी आय की गणना में, धारा 28 से 44डीए के अंतर्गत किसी अन्य मद या अतिरिक्त मदों के रूप में ₹ 337.60 करोड़ वापस जोड़ दिए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 36.61 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 12.66 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

अप्रैल 2022 में डीसीआईटी 5(1), कोलकाता को लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां इंगित की गई। डीसीआईटी ने उत्तर (अप्रैल 2025) में बताया कि धारा 148 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और निर्धारण लंबित है। अनुस्मारक (नवंबर 2024) जारी होने के बावजूद अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

चूँकि निर्धारण वर्ष 2019-20 का मामला सारांश के अंतर्गत संसाधित किया गया था, इसलिए मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान और एनपीए के लिए कटौती के रूप में प्रावधान की अनुमति का मुद्दा, जो निर्धारिती द्वारा आय के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया, विभाग की जांच और उसकी अननुमति से बच गया, जिसे आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही हेतु जांचा जाना आवश्यक है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.5 मेसर्स टी11 का 360-डिग्री विश्लेषण

टी11 का निर्धारण पीसीआईटी-1, कोच्चि के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया जाता है। यह बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय अलुवा, केरल में है। 31 मार्च, 2021 तक, टी11 के पास 24 राज्यों, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और चार केंद्र शासित प्रदेशों में 1,272 शाखाएँ, 1,536 एटीएम, 10 मोबाइल एटीएम और 411 कैश रिसाइकलर का नेटवर्क था। इसके विदेश में अबू धाबी और दुबई में प्रतिनिधि कार्यालय भी हैं। 2010-11 से 2019-20 तक के लिए निजी बैंक के निर्धारण का विवरण, 2010-11 से 2019-20 तक के दौरान दावा की गई और दी गई कटौतियों का विवरण और टी11 के निर्धारण की लेखापरीक्षा में पाई गई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां नीचे दी गई हैं।

5.2.5.1 टी11 की वित्तीय विशेषताएं

वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2019-20 तक टी11 की वित्तीय विशेषताएँ नीचे तालिका 5.35 में दी गई हैं।

तालिका 5.35: टी11 का वित्तीय विवरण (₹ करोड़ में)

वित्तीय विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल संपत्ति	1,14,977	1,38,314	1,59,340	1,80,638
कुल अग्रिम	73,336	91,957	1,10,223	1,22,268
कुल जमा	97,665	1,11,992	1,34,954	1,52,290
निवल ब्याज अर्जित	3,053	3,583	4,176	4,649
शेयरधारक निधि	8,942	12,210	13,273	14,518

तालिका 5.35: टी11 का वित्तीय विवरण				(₹ करोड़ में)
वित्तीय विवरण	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
खुदरा अग्रिम	21,794	25,683	31,742	37,878
सीएएसए	31,838	37,252	43,388	46,450
निवल राजस्व	4,134	4,742	5,527	6,580
स्रोतः टी11 का संबंधित वित्तीय वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन				

5.2.5.2 आयकर निर्धारण का विवरण

टी11 के निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक के निर्धारणों को 360-डिग्री विश्लेषण के लिए चुना गया। टी11 के आयकर रिटर्न को निर्धारण वर्ष 2019-20 को छोड़कर सभी निर्धारण वर्षों में धारा 143(3)/147 के अंतर्गत पूर्ण संवीक्षा के लिए चुना गया। उपरोक्त वर्षों के लिए निर्धारण विवरण नीचे तालिका 5.36 में दिए गए हैं:

तालिका 5.36: नि.व. 2010-11 से नि.व. 2019-20 तक आयकर निर्धारण का विवरण							(₹ करोड़ में)
क्र.सं.	**नि.व.**	**रिटर्न की तिथि**	**प्रतिदाय आय**	**निर्धारित आय**	**किया गया परिवर्धन**	**रिटर्न की गई आय के *प्रतिशत* के रूप में परिवर्धन**	**वह धारा जिसके अंतर्गत निर्धारण किया गया और निर्धारण की तिथि**
1	2010-11	18.08.2017	695.12	905.04	209.92	30.20	147/ 28.12.2017
2	2011-12	28.04.2018	817.57	1,067.86	250.28	31.61	147/ 27.12.2018
3	2012-13	18.08.2017	900.22	1,420.31	520.08	57.77	147/ 21.12.2017
4	2013-14	29.04.2018	1,490.19	1,722.37	232.18	15.58	147/ 27.12.2018
5	2014-15	29.04.2019	546.83	1,004.53	457.70	83.70	147/ 19.12.2019
6	2015-16	24.03.2017	2,003.13	2,277.22	274.09	13.68	143(3)/ 29.12.2017
7	2016-17	29.12.2017	751.51	1,327.07	575.55	76.58	143(3)/ 26.12.2018
8	2017-18	31.12.2018	1,399.27	1,844.35	445.08	31.80	143(3)/ 29.12.2019
9	2018-19	30.10.2018	1,204.60	1,979.58	774.98	64.33	143(3)/ 18.04.2021
10	2019-20	31.10.2019	1,868.91	1,868.91	0.00	0	143(1)/ 24.07.2020
कुल			**11,677.35**	**15,417.24**	**3,739.86**		
स्रोतः आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख							

संवीक्षा निर्धारण के दौरान किया गया परिवर्धन, रिटर्न आय का शून्य से लेकर 83.70 *प्रतिशत* तक था।

5.2.5.3 दावा की गई और अनुमत कटौतियों का विवरण

धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के लिए टी11 द्वारा दावा की गई और प्रदत्त कटौती, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत छूट प्राप्त आय को नीचे तालिका 5.37 में दिखाया गया है:

तालिका 5.37: दावा की गई और अनुमत कटौतियों का विवरण (₹ करोड़ में)

निर्धारण वर्ष	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत दावा किए गए अशोध्य ऋण	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अनुमत अशोध्य ऋण	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत दावा किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की अनुमति	धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत दावा किए गए विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती	धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती की अनुमति	दावा की गई छूट प्राप्त आय	अनुमत छूट प्राप्त आय
2010-11	254.08	413.11	200.51	0.00	26.05	16.23	4.69	4.69
2011-12	488.85	230.94	0.00	0.00	36.40	27.95	3.52	3.52
2012-13	148.71	0.00	73.06	0.00	28.50	17.72	5.12	5.12
2013-14	189.28	0.00	0.00	0.00	33.59	33.59	5.89	5.89
2014-15	228.22	0.00	0.00	0.00	33.70	31.09	17.14	17.14
2015-16	204.35	0.00	0.00	0.00	34.85	34.85	12.99	12.99
2016-17	555.32	0.00	0.00	0.00	31.97	30.42	7.94	7.94
2017-18	405.12	0.00	0.00	0.00	46.00	31.07	3.34	3.34
2018-19	756.70	0.00	0.00	0.00	57.00	50.83	3.74	3.74
2019-20	630.55	630.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10
कुल	**3,861.18**	**1,274.60**	**273.57**	**0.00**	**328.06**	**273.75**	**67.47**	**67.47**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

5.2.5.4 360-डिग्री विश्लेषण में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्ति

लेखापरीक्षा में ₹106.30 करोड़ के कम निर्धारण के 11 प्रमुख मामले पाए गए, जिनका कर प्रभाव ₹42.08 करोड़ था, जैसा कि नीचे तालिका 5.38 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका 5.38: टी11 के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण						(₹ करोड़ में)
क्रम सं	**निर्धारण वर्ष**	**निर्धारण की धारा और तिथि**	**अनियमितता का सार**	**अल्प निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
1	2015-16	143(3)/ 29.12.2017	छूट प्राप्त आय के विपरीत धारा 14ए के अंतर्गत व्यय की अनुचित अननुमति-अननुमति की गणना के लिए ब्याज व्यय के स्थान पर छूट प्राप्त आय पर विचार किया गया।	44.75	20.38	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
2	2016-17	143(3)/ 26.12.2018	छूट प्राप्त आय के विपरीत धारा 14ए के अंतर्गत व्यय की अनुचित अननुमति-सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में किए गए ₹ 398 करोड़ के निवेश को गणना में नहीं लिया गया है।	25.92	8.97	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
3	2017-18	143(3)/ 29.12.2019	छूट प्राप्त आय के विरुद्ध धारा 14ए के अंतर्गत व्यय की अनुचित अननुमति - निवेश के अंतर्गत दर्शाए गए ₹ 398 करोड़ के सहायक/ संयुक्त उद्यमों को गणना में नहीं लिया गया है।	3.98	1.38	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
4	2018-19	143(3)/ 18.04.2021	छूट प्राप्त आय के विपरीत धारा 14ए के अंतर्गत व्यय की अनुचित अननुमति - निवेश के अंतर्गत दर्शाए गए ₹ 398 करोड़ के सहायक/ संयुक्त उद्यमों को गणना में नहीं लिया गया है।	3.98	1.90	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
5	2019-20	143(1)/ 24.07.2020	छूट प्राप्त आय के विपरीत धारा 14ए के अंतर्गत व्यय की अनुचित अननुमति - प्रपत्र 3सीडी में प्रतिवेदन की गई धारा 14ए के अंतर्गत अननुमति को कुल आय की गणना में नहीं माना गया।	3.19	1.11	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)

तालिका 5.38: टी11 के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण						(₹ करोड़ में)
क्रम सं	**निर्धारण वर्ष**	**निर्धारण की धारा और तिथि**	**अनियमितता का सार**	**अल्प निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**कर प्रभाव (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
6	2016-17 2018-19 2019-20	147 एवं 154/ 28.12.2017 143(3)/ 18.04.2021 143(3)/ 29.12.2017	धारा 37 के अंतर्गत अन्य अनुमेय दावे - वार्षिक लेखा में दर्शाए अनुसार आरबीआई द्वारा आरोपित शास्ति अननुमत नहीं किया जाएगा।	5.04	1.77	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
7	2010-11	147 एवं 154/ 28.12.2017	आय का गैर-लेखांकन (आरपीटी) - मुख्य निर्धारिती से प्राप्त किराये की आय का संबंधित पक्ष द्वारा लेखों में गैर-लेखांकन।	0.65	0.22	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
8	2011-12	147/ 27.12.2018	आय का गैर-लेखांकन (आरपीटी) - मुख्य निर्धारिती से प्राप्त किराये की आय का संबंधित पक्ष द्वारा गैर-लेखांकन	0.54	0.18	उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025)
9	2016-17	143(3)/ 26.12.2018	आय का गैर-लेखांकन (आरपीटी) - मुख्य निर्धारिती से प्राप्त कमीशन आय का संबंधित पक्ष द्वारा लेखा नहीं किया जाता	3.54	1.23	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
10	2018-19	143(3)/ 18.04.2021	आय का गैर-लेखांकन (आरपीटी) - मुख्य निर्धारिती से प्राप्त कमीशन आय का संबंधित पक्ष द्वारा गैर-लेखांकन	14.28	4.94	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
11	2017-18	143(3)/ 29.12.2019	दान में विसंगति (आरपीटी) - मुख्य निर्धारिती से प्राप्त दान को संबंधित पक्ष द्वारा अल्प-लेखांकन	0.43	0.00	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
		कुल		**106.30**	**42.08**	

कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में संक्षेप में चर्चा की गई है।

5.2.5.5 छूट प्राप्त आय के विपरीत धारा 14ए के अंतर्गत व्यय की अनुचित अनुमति

दिसंबर 2017 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारण पूरा हो गया, जिसमें आय ₹ 2,277.22 करोड़ निर्धारित की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि नियम 8डी[88] के साथ पठित धारा 14ए के अंतर्गत अननुमति की गणना करते समय, ब्याज व्यय को त्रुटिपूर्वक ₹ 12.99 करोड़ माना गया था, जो कि लाभांश के रूप में प्राप्त आय थी, जबकि लाभ और हानि खाते में ₹ 5,039.05 करोड़ की सही राशि डेबिट की गई थी। नियम 8डी के अनुसार, धारा 14ए के अंतर्गत अननुमति की मात्रा निर्धारित करने के लिए लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए ब्याज व्यय पर विचार किया जाना है। गलत आंकड़े अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 20.38 करोड़ का कम कर वसूला गया।

निम्नलिखित निर्धारण वर्षों में व्यय की अनुचित अननुमति नीचे तालिका 5.39 में दी गई है:

तालिका 5.39: दावा किए गए और अनुमत व्यय का विवरण (₹ करोड़ में)

पीसीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष	दावा की गई छूट प्राप्त आय	आयकर विभाग द्वारा अननुमत व्यय	लेखापरीक्षा के अनुसार अननुमत व्यय	अल्प निर्धारण	कर प्रभाव
पीसीआईटी कोच्चि 1	टी11	2015-16	12.99	3.62	48.37	44.75	20.38
		2016-17	7.94	15.96	41.88	25.92	8.97
		2017-18	3.34	1.75	5.73	3.98	1.38
		2018-19	3.74	2.53	6.51	3.98	1.90
		2019-20	3.10	0.00	3.19	3.19	1.11
कुल			**31.11**	**23.86**	**105.68**	**81.82**	**33.74**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

यद्यपि निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2018-19 में निर्धारण की पूर्ण संवीक्षा की गई थी, लेकिन निर्धारण अधिकारियों ने छूट प्राप्त आय के विपरीत अधिनियम की धारा 14ए के अंतर्गत व्यय की अननुमति की गणना के लिए अपनाए गए गलत आंकड़ों की जांच नहीं की। इसके अलावा,

[88] आयकर नियम, 1962 के नियम 8डी में छूट प्राप्त आय अर्जित करने के कारण व्यय की मात्रा की गणना करने की विधि निर्धारित की गई है और तदनुसार छूट प्राप्त आय के संबंध में व्यय निम्नलिखित का योग होगा: i) छूट प्राप्त आय से संबंधित व्यय की राशि, ii) ऐसे मामले में जहां निर्धारिती ने पूर्व वर्ष के दौरान ब्याज के रूप में व्यय किया है जो सीधे किसी विशेष आय या प्राप्ति के कारण नहीं है, ए*बी/सी के रूप में गणना की गई राशि [ए=ब्याज के रूप में व्यय की राशि, बी=निवेश के मूल्य का औसत, जिससे प्राप्त आय कुल आय का हिस्सा नहीं बनती है या नहीं बनेगी, सी=कुल परिसंपत्तियों का औसत, जैसा कि निर्धारिती के तुलन-पत्र में पूर्व वर्ष के पहले और अंतिम दिन दिखाई देता है] और iii) निवेश के मूल्य के औसत के आधे *प्रतिशत* के बराबर राशि, जिससे प्राप्त आय कुल आय का हिस्सा नहीं बनती है या नहीं बनेगी, जैसा कि निर्धारिती के तुलन पत्र में पूर्व वर्ष के पहले और अंतिम दिन दिखाई देता है।

निर्धारण वर्ष 2019-20 में यह मुद्दा जांच से बच गया क्योंकि रिटर्न को सारांश के अंतर्गत संसाधित किया गया था।

मार्च 2022 में डीसीआईटी कॉर्पोरेट सर्किल 2(1), कोच्चि को यह अभ्युक्ति जारी की गई। अनुस्मारक जारी करने (जून 2024) के बावजूद विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.5.6 सम्बद्ध पक्ष संव्यवहार में विसंगतियां

लेखापरीक्षा ने पाया कि कर निर्धारण अधिकारियों ने मुख्य निर्धारिती के बही खातों की तुलना में संबंधित पक्षों के बही खातों की जांच नहीं की, जबकि निर्धारण बैंक की कर लेखापरीक्षा प्रतिवदेन के संबंधित पक्ष संव्यवहार के अंतर्गत दिखाए गए संव्यवहार को अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, मुख्य निर्धारिती की खाता-बही में भुगतान के रूप में दर्शाई गई आय, तथा संबंधित पक्षों द्वारा कराधान के लिए प्रस्तुत नहीं की गई आय, विभाग को दृष्टिगोचर नहीं हुई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

बॉक्स 5.17
प्रभार: पीसी आईटी, कोच्चि
निर्धारिती: मेसर्स टी11
निर्धारण वर्ष: 2010-11 से 2011-12, 2016-17 एवं 2018-19

इस मामले में, निर्धारण वर्ष 2010-11, 2011-12, 2016-17 और 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न क्रमशः ₹ 695.12 करोड़ (अगस्त 2017), ₹ 817.57 करोड़ (अप्रैल 2018), ₹ 751.51 करोड़ (दिसंबर 2017) और ₹ 1,204.60 करोड़ (अक्टूबर 2018) की आय पर जमा किए गए थे। निर्धारण वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए धारा 147 के तहत पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2018-19 के लिए धारा 143(3) के तहत जांच निर्धारण क्रमशः ₹ 905.04 करोड़ (दिसंबर 2017), ₹ 1,067.86 करोड़ (दिसंबर 2018), 1,327.07 करोड़ (दिसंबर 2018) और ₹ 1,979.58 करोड़ (अप्रैल 2021) की आय निर्धारित करते हुए पूरा किया गया।

लेखापरीक्षा ने निर्धारिती कंपनी के प्रपत्र 3सीडी के खंड 18 के अनुलग्नक VIII- 'संबंधित पक्ष संव्यवहार' से पाया कि क्रमशः ₹ 0.65 करोड़ और ₹ 0.54 करोड़ की किराये की आय, निर्धारण वर्ष 2010-11 और 2011-12 से संबंधित पिछले वर्ष के दौरान मेसर्स एफ5 (सहायक कंपनी) को भुगतान की गई थी। यद्यपि, इन किराये की आय को सहायक कंपनी के लाभ

और हानि खाते में जमा नहीं दिखाया गया। इसके अलावा, सहायक कंपनी के आयकर रिटर्न 2010-11 और 2011-12 के भाग ए-पी एंड एल के मद 2 में, आय को 'किराया' शीर्षक के अंतर्गत शून्य दिखाया गया था।

इसके अलावा, यह देखा गया कि प्रपत्र 3सीडी के खंड 23 में, मेसर्स एफ5 (सहायक कंपनी) को पिछले वर्ष के दौरान निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2018-19 के लिए भुगतान की गई कमीशन आय क्रमशः ₹ 3.54 करोड़ और ₹ 14.39 करोड़ थी। यद्यपि, एफ5 द्वारा निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए बही खातों में कोई कमीशन आय नहीं दिखाई गई थी और निर्धारण वर्ष 2018-19 में ₹ 0.11 करोड़ दिखाए गए थे। इस प्रकार, ₹ 19.00 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 6.56 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को जून 2022 में डीसीआईटी कॉर्पोरेट सर्किल 2 (1), कोच्चि को सूचित किया गया। अनुस्मारक [जून 2024] जारी करने के बावजूद विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.5.7 संबंधित पक्ष द्वारा भुगतान किए गए और लेखांकन किए गए दान में विसंगति

टी11 ने निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न जमा किया, जिसमें कुल आय ₹ 1,399.27 करोड़ (दिसंबर 2018) घोषित की गई और धारा 143(3) के अंतर्गत नियमित निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें आय ₹ 1,844.35 करोड़ (दिसंबर 2019) निर्धारित की गई। मेसर्स एफ6 एक न्यास है, जो टी11 का एक संबंधित पक्ष है, जो धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसने धारा 11 के अंतर्गत ₹11.08 करोड़ की छूट का दावा करने के बाद शून्य आय (सितंबर 2017) घोषित करते हुए निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न जमा किया और रिटर्न को धारा 143(1) के अंतर्गत संसाधित किया गया, जिसमें शून्य आय स्वीकार की गई (जुलाई 2018)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए टी11 (मुख्य निर्धारिती) ने प्रपत्र 3सीडी के खंड 23 में अपने संबंधित पक्ष, मेसर्स एफ6 को ₹ 11.48 करोड़ की दान राशि का भुगतान दिखाया है। यद्यपि, संबंधित पक्ष ने टी11 से प्राप्त दान के रूप में केवल ₹ 11.05 करोड़ की राशि का ही लेखांकन किया। इस प्रकार, मुख्य निर्धारिती द्वारा दिए गए दान और संबंधित पक्ष द्वारा हिसाब में लिए गए दान में विसंगति थी, जो ₹ 0.43 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को जून 2022 में डीसीआईटी कॉर्पोरेट सर्किल 2(1), कोच्चि और डीसीआईटी सेंट्रल सर्किल 1, कोच्चि को सूचित किया गया था। अनुस्मारक जारी करने (जून 2024) के बावजूद विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.6 टी6 का 360-डिग्री विश्लेषण

मेसर्स टी6 का निर्धारण पीसीआईटी-1 मदुरै के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया जाता है। मेसर्स टी6 खुदरा, एसएमई और कॉर्पोरेट ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का एक विविध पोर्टफोलियो प्रदान करता है। बैंक के पास शाखाओं, एटीएम और अन्य संपर्क बिन्दुओं का एक व्यापक नेटवर्क है। निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2019-20 के लिए निजी बैंक के निर्धारण का विवरण, निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2019-20 के दौरान दावा की गई और अनुमत कटौतियों का विवरण, निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2019-20 के दौरान धारा 10 के अंतर्गत दावा की गई और अनुमत छूट का विवरण और टी6 के निर्धारण की लेखापरीक्षा में पाई गई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

5.2.6.1 टी6 की वित्तीय विशेषताएँ

वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टी6 की वित्तीय विशेषताएं नीचे तालिका 5.40 में दी गई हैं।

तालिका 5.40: टी6 का वित्तीय विवरण **(₹ करोड़ में)**

वि.व./वित्तीय विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल परिसंपत्तियाँ	36,984.37	37,919.95	40,532.80	42,758.80
कुल अग्रिम	21,972.32	23,768.72	26,487.94	27,715.76
कुल जमा राशि	32,190.15	32,428.33	35,136.25	36,825.03
अर्जित ब्याज	3,380.96	3,250.49	3,224.46	3,466.11
शेयर पूँजी	142.51	142.51	142.51	142.51
खुदरा बैंकिंग - खंड परिसंपत्तियाँ	14,644.34	16,599.55	19,905.31	21,820.66
निवल लाभ	316.66	221.92	258.58	407.69

स्रोत: टी6 का वार्षिक प्रतिवेदन

5.2.6.2 आयकर निर्धारण का विवरण

मेसर्स टी6 के निर्धारण वर्ष 2010-11 से निर्धारण वर्ष 2019-20 के निर्धारण को 360-डिग्री विश्लेषण के लिए चुना गया। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित सभी वर्षों में मेसर्स टी6 के आयकर रिटर्न को धारा 143(3) के अंतर्गत संवीक्षा के लिए चुना गया। निर्धारण विवरण नीचे तालिका 5.41 में दिया गया है।

तालिका 5.41: निर्धारण वर्ष 2010-11 से निर्धारण वर्ष 2019-20 तक आयकर निर्धारण का विवरण **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं	निर्धारण वर्ष	रिटर्न की तिथि	वह धारा जिसके अंतर्गत निर्धारण किया गया/ निर्धारण की तिथि	रिटर्न की गई आय	निर्धारित आय	परिवर्धन	रिटर्न आय के *प्रतिशत* के रूप में परिवर्धन
1	**2010-11**	23-08-2017	147/ 15.11.2017	248.57	269.21	20.6	8.30
2	**2011-12**	19-04-2018	147/ 24.12.2018	352.11	391.43	39.3	11.17
3	**2012-13**	23-08-2017	147/ 05.12.2017	371.88	439.04	67.2	18.06
4	**2013-14**	13-01-2015	147/ 24.12.2018	540.08	588.54	48.46	8.97
5	**2014-15**	07-12-2021	147/ 31.03.2022	184.97	214.59	29.62	16.01
6	**2015-16**	29-09-2015	143(1)/ 31.12.2016	495.60	एनए	एनए	एनए
7	**2016-17**	30-10-2016	143(3)/ 24.12.2018	424.35	566.98	142.62	33.61
8	**2017-18**	31-10-2017	143(3)/ 30.12.2019	450.25	740.38	290.13	64.44
9	**2018-19**	10-10-2018	143(3)/ 12.04.2021	196.75	293.83	97.1	49.34
10	**2019-20**	30-09-2019	143(1ए)/ 18.05.2020; 154/ 12.09.2020	367.96	377.37	9.4	2.56
		कुल		**3,632.52**	**3,881.37**		

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

5.2.6.3 दावा की गई और अनुमत कटौतियों का विवरण

धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के लिए टी6 को दावा की गई और दी गई कटौती, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत छूट प्राप्त आय नीचे तालिका 5.42 में दी गई है।

तालिका 5.42: दावा की गई और अनुमत कटौतियाँ (₹ करोड़ में)

निर्धारण वर्ष	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋण		धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती		छूट प्राप्त आय	
	दावा किया	अनुमत	दावा किया	अनुमत	दावा किया	अनुमत	दावा किया	अनुमत
2010-11	0.00	0.00	22.12	1.48	0.00	0.00	13.45	13.45
2011-12	0.00	0.00	37.96	0.47	8.10	8.10	9.47	9.47
2012-13	0.00	0.00	67.94	4.16	10.00	10.00	6.07	6.07
2013-14	46.21	46.21	46.59	4.95	14.43	14.43	7.80	7.80
2014-15	29.36	29.36	140.73	4.63	23.80	23.80	20.53	20.53
2015-16	0.00	0.00	20.10	20.10	0.00	0.00	18.14	18.14
2016-17	96.55	96.55	133.61	8.56	35.00	35.00	13.10	13.10
2017-18	241.72	241.72	278.40	9.43	27.00	27.00	18.08	18.08
2018-19	592.95	592.95	91.62	1.01	29.00	29.00	22.44	22.44
2019-20	0.00	0.00	440.86	440.86	0.00	0.00	25.52	25.52
कुल	**1,006.79**	**1,006.79**	**1,279.93**	**495.65**	**147.33**	**147.33**	**154.60**	**154.60**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

5.2.6.4 दावा की गई और अनुमत छूटों का विवरण

निर्धारिती-बैंक द्वारा धारा 10[89] के अंतर्गत छूट का दावा की गई आय को उसी रूप में अनुमति दी गई। नियम 8डी के साथ पठित धारा 14ए के प्रावधानों के अनुसार छूट प्राप्त आय से संबंधित व्यय की अननुमति का वापस परिवर्धन किया गया है, जो नीचे तालिका 5.43 में दिया गया है:

तालिका 5.43: धारा 10 के अंतर्गत दावा की गई और दी गई छूट (₹ करोड़ में)

निर्धारण वर्ष	धारा 10 के अंतर्गत दावा की गई और अनुमत छूट की कुल राशि	आयकर रिटर्न में अननुमत व्यय	संवीक्षा निर्धारण में अननुमत व्यय
2010-11	13.45	0.79	0.79
2011-12	9.47	0.16	1.99
2012-13	6.07	0.25	3.62
2013-14	7.80	0.47	7.29
2016-17	13.10	0.07	17.66
2017-18	18.08	0.10	21.25
2018-19	22.44	0.08	2.08
2019-20	25.52	4.71	4.71
कुल	**115.93**	**6.63**	**59.39**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

[89] आयकर अधिनियम की धारा 10 में वे सभी छूटें सम्मिलित हैं जिनका दावा निर्धारिती आयकर का भुगतान करते समय कर सकता है।

5.2.6.5 360-डिग्री विश्लेषण में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्ति

लेखापरीक्षा में ₹ 752.13 करोड़ के अनुचित निर्धारण से संबंधित कटौतियों की अनियमित अनुमति के 12 मामले पाए गए, जिनका कर प्रभाव ₹ 290.71 करोड़ था, जिनमें ₹ 131.39 करोड़ की कम आय का निर्धारण और ₹ 45.53 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण सम्मिलित थे, चार निष्कर्ष जिनमें ₹ 620.74 करोड़ की आय का अधिक निर्धारण और ₹ 213.99 करोड़ के कर का अधिक उद्ग्रहण सम्मिलित था, तथा शेष एक मामला एमएटी क्रेडिट की अनियमित अनुमति का था, जिसका कर प्रभाव ₹ 31.19 करोड़ था। विभाग से लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार नीचे तालिका 5.44 में दिया गया है:

तालिका 5.44: टी6 के संबंध में पाई गई अनियमितताओं का विवरण (₹ करोड़ में)

क्रम सं	निर्धारण वर्ष	निर्धारण की धारा और तिथि	अनियमितता का सार	अल्प निर्धारण	अति निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	2014-15	143(3)/ 22/12/2016	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की अनुचित अननुमति	---	136.10	46.26 [अधिक प्रभार]	उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2025)।
2	2016-17	143(3)/ 24/12/2018	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की अनुचित अननुमति	---	125.05	43.28 [अधिक प्रभार]	उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2025)।
3	2017-18	143(3)/ 30/12/2019	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की अनुचित अननुमति	---	268.98	93.09 [अधिक प्रभार]	उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2025)।
4	2018-19	143(3)/ 12/04/2021	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की अनुचित अननुमति	---	90.61	31.36 [अधिक प्रभार]	उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2025)।
5	2014-15	143(3)/ 22/02/2016	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के लिए कटौती को धारा 36(1)(viiए) के अनुसार विनियमित किया जाएगा	4.95	---	1.68 [अल्प प्रभार]	उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2025)।
6	2016-17	143(3)/ 24/12/2018	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के लिए कटौती को धारा 36(1)(viiए) के अनुसार विनियमित किया जाएगा	24.74	---	8.56 [अल्प प्रभार]	उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2025)।

तालिका 5.44: टी6 के संबंध में पाई गई अनियमितताओं का विवरण							(₹ करोड़ में)
क्रम सं	**निर्धारण वर्ष**	**निर्धारण की धारा और तिथि**	**अनियमितता का सार**	**अल्प निर्धारण**	**अति निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
7	2017-18	143(3)/ 30/12/2019	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के लिए कटौती को धारा 36(1)(viiए) के अनुसार विनियमित किया जाएगा।	8.56	---	2.96 [अल्प प्रभार]	उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2025)।
8	2018-19	143(3)/ 12/04/2021	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के लिए कटौती को धारा 36(1)(viiए) के अनुसार विनियमित किया जाएगा।	9.42	---	3.26 [अल्प प्रभार]	उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2025)।
9	2017-18	143(3)/ 30/12/2019	एचटीएम निवेश के अधिमूल्य के परिशोधन के लिए कटौती की अनुचित अनुमति	23.55	---	8.15 [अल्प प्रभार]	उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2025)।
10	2018-19	143(3)/ 12/04/2021	एचटीएम निवेश के अधिमूल्य के परिशोधन के लिए कटौती की अनुचित अनुमति	30.80	---	10.66 [अल्प प्रभार]	उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2025)।
11	2019-20	143(1)ए/ 18/05/2020	एचटीएम निवेश के अधिमूल्य के परिशोधन के लिए कटौती की अनुचित अनुमति	29.37	---	10.26 [अल्प प्रभार]	उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2025)।
12	2015-16	143(1)/ 31/12/2016	अनर्ह एमएटी क्रेडिट की अनुमति	---	---	31.19 [अल्प प्रभार]	मार्च 2022 में धारा 154 के अंतर्गत परिशोधन आदेश द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की गई तथा वसूली की गई।
			कुल	**131.39**	**620.74**	**290.71**	

कुछ महत्वपूर्ण अनुपालन मुद्दे नीचे दिए गए हैं।

5.2.6.6 पीबीडीडी को ग्रामीण और गैर-ग्रामीण खाते में विभाजित करने के कारण धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की अनुचित अननुमति

निर्धारण वर्ष 2014-15, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए संवीक्षा कार्यवाही क्रमशः फरवरी 2016, दिसंबर 2018, दिसंबर 2019 और अप्रैल 2021 में संपन्न हुई। कार्यवाही के दौरान धारा सी के अंतर्गत निर्धारिती बैंक द्वारा किए गए दावे की जांच करते समय, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती से लेखा बही के अनुसार अशोध्य और संदिग्ध ऋण राशि के लिए ग्रामीण शाखा-वार और गैर-ग्रामीण शाखा-वार प्रावधान के लिए विभाजित विवरण प्रस्तुत करने को कहा। प्रासंगिक वित्तीय वर्षों के लिए निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विभाजित विवरण के आधार पर, निर्धारण अधिकारी ने लेखा बही में किए गए प्रावधानों की पूरी राशि के विपरीत धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती के रूप में केवल ग्रामीण अग्रिमों के लिए बनाई गई प्रावधान राशि को अनुमति दी, जबकि गैर-ग्रामीण अग्रिमों से संबंधित शेष राशि का दावा अस्वीकार कर दिया गया।

वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा अंतर्वेशित धारा 36(1)(vii) के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, धारा 36 के खंड (viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के संबंध में केवल एक खाता होगा और ऐसा खाता ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों सहित सभी प्रकार के अग्रिमों से संबंधित होगा। इसे ध्यान में रखते हुए, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती को ग्रामीण और गैर-ग्रामीण शाखाओं से संबंधित विभाजन किए बिना, बही लेखा में किए गए प्रावधानों की राशि तक सीमित करने की आवश्यकता थी। गैर-ग्रामीण शाखा अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों की अनदेखी के परिणामस्वरूप धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की कम अनुमति मिली, जो कुल ₹ 620.73 करोड़ थी, जिसमें ₹ 213.98 करोड़ का राजस्व प्रभाव सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को अप्रैल 2022 में आयकर उप आयुक्त परिक्षेत्र-1, तिरुनेलवेली को सूचित किया गया था। अनुस्मारक (अक्टूबर 2023, अप्रैल 2024, जून 2024 और दिसंबर 2024) जारी करने के बावजूद विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुशंसा:

सीबीडीटी, धारा 36(1)(vii) में स्पष्टीकरण 2 को सम्मिलित करने के बाद, अधिनियम के संशोधित प्रावधान के संबंध में निर्धारण अधिकारी को निर्देश जारी कर सकता है, जो स्पष्ट

रूप से निर्दिष्ट करता है कि धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत पीबीडीडी के लिए कटौती की अनुचित अनुमतता को रोकने के लिए सभी प्रकार के अग्रिमों के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत केवल एक ही पीबीडीडी खाता होगा।

5.2.6.7 धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के लिए कटौती को धारा 36(1)(viiए) के अनुसार विनियमित किया जाएगा

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी बिना पूर्ववर्ती निर्धारण वर्षों में कटौती के रूप में अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के अथ शेष को समायोजित किए, निरंतर धारा 36(1)(vii)[90] के अंतर्गत अशोध्य ऋणों की अनुमति दे रहे हैं। निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए, लेखापरीक्षा ने पाया कि अशोध्य ऋणों के लिए ₹ 960.59 करोड़ की राशि का दावा किया गया था और धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत प्रावधान खाते के विपरीत समायोजित किए बिना अनुमति दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 47.67 करोड़ के अशोध्य ऋणों की अनुचित अनुमति हुई, जिसमें ₹16.47 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को अप्रैल 2022 में आयकर उप आयुक्त परिक्षेत्र-1, तिरुनेलवेली को सूचित किया गया था। अक्टूबर 2023, अप्रैल 2024, जून 2024 और दिसंबर 2024 में अनुस्मारक जारी किए जाने के बावजूद विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.6.8 कुल आय की गणना में त्रुटि

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2014-15 के संबंध में, मार्च 2022 में धारा 144बी के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत पुनर्निर्धारण किया गया था। दिसंबर 2016 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण के दौरान पहले किए गए परिवर्धन की पुनर्निर्धारण आदेश में चूक हो गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹136.09 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसमें ₹46.26 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था।लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को अप्रैल 2022 में आयकर उप आयुक्त परिक्षेत्र-1, तिरुनेलवेली को सूचित किया गया था। 9 मई 2022 को धारा

---

[90] धारा 36(1)(vii) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक और एनबीएफसी उस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋण खाते के प्रावधान में क्रेडिट शेष से अधिक किसी भी अशोध्य ऋण या उसके हिस्से की राशि के लिए कटौती का दावा करने के पात्र हैं।

154 के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत परिशोधन आदेश पारित करके सुधारात्मक कार्रवाई की गई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.6.9 एचटीएम निवेश के अधिमूल्य के परिशोधन के लिए कटौती की अनुचित अनुमति

आरबीआई ने बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, निर्धारण और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए हैं, जिसके अनुसार बैंकों के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो (एसएलआर प्रतिभूतियों और एसएलआर-रहित प्रतिभूतियों सहित) को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, अर्थात परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस) और व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)।

एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाज़ार मूल्य पर अंकित करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें अधिग्रहण लागत पर ही रखा जाना चाहिए, जब तक कि वह अंकित मूल्य से अधिक न हो, ऐसी स्थिति में अधिमूल्य को परिपक्वता तक शेष अवधि में परिशोधित किया जाना चाहिए। बैंकों को 'अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज: मद II - निवेश पर आय' में परिशोधित राशि को कटौती के रूप में दर्शाना चाहिए तथा उसे अलग से उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिभूति के बही मूल्य को प्रासंगिक लेखा अवधि के दौरान परिशोधित राशि की सीमा तक कम किया जाना चाहिए।

चूंकि एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत किए गए निवेशों को बाज़ार मूल्य पर चिह्नित करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उन्हें "एएफएस और एचएफटी" श्रेणियों के अंतर्गत किए गए निवेशों के विपरीत, व्यापार में स्टॉक के रूप में माना जाना आवश्यक नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एचटीएम निवेशों के अधिमूल्य के परिशोधन के लिए कटौती की अनुमतता के मुद्दे पर बैंकों के निर्धारण में विचार नहीं किया गया था। निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए निर्धारण अभिलेख हेतु वार्षिक प्रतिवेदन से यह देखा गया कि निवेश पर आय, आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार परिशोधन अधिमूल्य का दावा करने के बाद निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ब्याज आय के विपरीत कुल ₹83.72 करोड़ का परिशोधन निर्धारण से संबंधित नहीं था, इसलिए यह अनुमेय कटौती नहीं थी। इसे अननुमत कर कुल आय में जोड़ा जाना आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप ₹83.72 करोड़ की आय कर निर्धारण से बच गई, जिसमें ₹29.07 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को अप्रैल 2022 में आयकर उप आयुक्त परिक्षेत्र-1, तिरुनेलवेली को सूचित किया गया था। अनुस्मारक (अक्टूबर 2023, अप्रैल 2024, जून 2024 और दिसंबर 2024) जारी करने के बावजूद विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.6.10 अनर्ह एमएटी क्रेडिट की अनुमति

लेखापरीक्षा ने पाया कि दिनांक 22.12.2014 के संवीक्षा निर्धारण आदेश में आय में किए गए परिवर्धन के कारण निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए कोई एमएटी क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। तथापि, निर्धारण में किए गए परिवर्धन के प्रभाव पर विचार किए बिना, निर्धारण वर्ष 2014-15 से संबंधित ₹ 31.19 करोड़ के एमएटी क्रेडिट का अनुचित तरीके से दावा किया गया तथा 29.09.2015 को निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए जमा आयकर रिटर्न में धारा 115जेएए के अंतर्गत इसकी अनुमति दी गई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को मई 2022 में आयकर उप आयुक्त परिक्षेत्र-1, तिरुनेलवेली को सूचित किया गया। मार्च 2022 में धारा 154 के अंतर्गत एक परिशोधन आदेश जारी किया गया तथा वसूली की गई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.2.6.11 संबंधित पक्ष संव्यवहार पर अभ्युक्ति

चयनित निर्धारण वर्षों के लिए, धारा 40ए(2)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत 17 संबंधित पक्ष संव्यवहार कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में रिपोर्ट किए गए थे। लेखापरीक्षा ने उचित प्रासंगिक मानदंड अपनाकर एक नमूना निर्धारित करने के लिए रिपोर्ट किए गए संबंधित पक्ष संव्यवहार को एकत्रित किया। अपनाए गए मानदंडों के आधार पर, लेखापरीक्षा ने इन चयनित संव्यवहारों में से कुछ को इन भुगतानों के प्राप्तकर्ताओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में जमा आयकर रिटर्न में दी गई सूचना के साथ प्रति-सत्यापित करने का प्रयास किया। लेखापरीक्षा में कोई महत्वपूर्ण अभ्युक्ति नहीं पाई गई।

5.3 विदेशी बैंकों के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण

5.3.1 डी1 का 360-डिग्री विश्लेषण

डी1 का निर्धारण पीसीआईटी (आईटी)-2 मुंबई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया जाता है। यह बैंक जर्मनी में निगमित है तथा जर्मनी का कर निवासी है, तथा इसका स्थायी प्रतिष्ठान भारत में है। निर्धारिती भारतीय कंपनियों, संस्थाओं और व्यक्तियों को वित्तीय सेवा प्रदान करने वाला

व्यक्ति है और उनकी सेवाओं में अधोतटीय निवेश बैंकिंग, संस्थागत इक्विटी ब्रोकिंग, परिसंपत्ति और निजी संपत्ति प्रबंधन, खुदरा बैंकिंग और व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सम्मिलित हैं। निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2019-20 के लिए विदेशी बैंक के निर्धारण का विवरण और डी1 के निर्धारण की लेखापरीक्षा में पाई गई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

5.3.1.1 आयकर निर्धारण का विवरण

निर्धारण वर्ष 2014-15 से निर्धारण वर्ष 2019-20 तक की अवधि के लिए डी1 का आयकर निर्धारण विवरण नीचे तालिका 5.45 में दिया गया है:

तालिका 5.45: डी1 का निर्धारण विवरण **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं	निर्धारण वर्ष	रिटर्न की तिथि	वह धारा जिसके अंतर्गत निर्धारण किया गया और निर्धारण की तिथि	रिटर्न की गई आय	निर्धारित आय	परिवर्धन	रिटर्न की गई आय के *प्रतिशत* के रूप में परिवर्धन
1	2014-15	31.03.2015	143(3) के साथ पठित धारा 144सी(3) दिनांक 15.2.2018	1,556.02	2,272.95	716.93	46.07
2	2015-16	31.03.2017	143(3) के साथ पठित धारा 144सी(3) दिनांक 26.2.2019	2,656.62	3,421.44	764.82	28.79
3	2016-17	28.03.2018	143(3) के साथ पठित धारा 144सी(3) दिनांक 26.2.2020	2,505.86	3,121.08	615.22	24.55
4	2017-18	27.03.2019	143(3) के साथ पठित धारा 144सी(3) दिनांक 12.11.2021	2,342.88	3,377.95	1,035.07	44.18
5	2018-19	26.03.2019	143(3) के साथ पठित धारा 144सी(3) दिनांक 12.11.2021	2,026.31	2,743.03	716.72	35.37
6	2019-20	25.09.2020	143(1) दिनांक 29.03.2021	2,641.43	2,643.86	2.43	लागू नही
कुल				**13,729.12**	**17,580.31**	**3,851.19**	

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए जमा बैंक के रिटर्न को पूर्ण जांच के लिए चुना गया, जबकि निर्धारण वर्ष 2019-20 को सारांश निर्धारण के अंतर्गत संसाधित किया गया। निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान संवीक्षा निर्धारण में किए गए परिवर्धन, रिटर्न की गई आय के 24.55 *प्रतिशत* से 46.07 *प्रतिशत* तक थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से धारा 92सी[91] के अंतर्गत अंतरण मूल्य समायोजन, धारा 14ए के अंतर्गत छूट प्राप्त आय अर्जित करने के लिए किए गए व्यय की अननुमति, निवेश पर मूल्यह्रास के प्रावधान की अननुमति आदि के कारण हुई।

5.3.1.2 360-डिग्री विश्लेषण में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

लेखापरीक्षा में कटौतियों की अनियमित अनुमति और गणना त्रुटियों के सात निष्कर्ष पाए गए, जिनमें ₹ 244.72 करोड़ की कम आय का निर्धारण और ₹ 114.99 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था, जिसमें ₹ 244.72 करोड़ की कम आय का निर्धारण और ₹ 105.87 करोड़ के कम कर का आरोपण सम्मिलित था, तथा ब्याज लगाने में त्रुटि का एक मामला सम्मिलित था, जिसमें ₹ 9.12 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था। ये अभ्युक्तियां डीसीआईटी (आईटी)-2(1)(2), मुंबई को सितंबर 2021 और फरवरी 2022 में जारी की गईं। डीसीआईटी (आईटी)-2(1)(2), मुंबई ने सभी मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और छह मामलों में त्रुटियों का परिशोधन किया, जैसा कि तालिका 5.41 में दर्शाया गया है। विभाग ने यह भी बताया (अगस्त 2023) कि निर्धारण वर्ष 2015-16, निर्धारण वर्ष 2016-17 और निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने के बाद ₹ 247.52 करोड़ की राशि वसूल की गई है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार नीचे तालिका 5.46 में दिया गया है:

तालिका 5.46: डी1 बैंक के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	धारा के अंतर्गत निर्धारण/ निर्धारण की तिथि	अनियमितता का सार	अल्प निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	2015-16	143(3) दिनांक 22.2.2019	अशोध्य और संदिग्ध ऋण के प्रावधान के लिए कटौती की अनुचित अनुमति	98.38	42.56	स्वीकृत (अगस्त 2023) तथा धारा 154 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की गई (मार्च 2022)।
2	2016-17	143(3) दिनांक	अशोध्य और संदिग्ध ऋण के प्रावधान के लिए	101.45	43.89	स्वीकृत (अगस्त 2023) तथा धारा 147 के अंतर्गत

[91] आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92सी, संबंधित पक्षों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या निर्दिष्ट घरेलू संव्यवहार के लिए आर्म्स लेंथ मूल्य की गणना से संबंधित है।

तालिका 5.46: डी1 बैंक के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	धारा के अंतर्गत निर्धारण/ निर्धारण की तिथि	अनियमितता का सार	अल्प निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
		26.2.2020	कटौती की अनुचित अनुमति			सुधारात्मक कार्रवाई की गई (मई 2022)।
3	2016-17	143(3) दिनांक 26.2.2020	अंतरण मूल्य समायोजन के लिए अनुचित कटौती दी गई	36.39	15.74	स्वीकृत (अगस्त 2023)। धारा 147 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की गई (मई 2022)।
4	2016-17	143(3) दिनांक 26.2.2020	मुख्यालय व्यय जोड़ने में त्रुटि	4.69	2.03	स्वीकृत (अगस्त 2023) तथा धारा 147 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की गई (मई 2022)।
5	2015-16	143(3) दिनांक 22.2.2019	मुख्यालय व्यय जोड़ने में त्रुटि	1.97	0.85	स्वीकृत (अगस्त 2023)। धारा 154 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की गई (मार्च 2022)।
6	2015-16	143(3) दिनांक 22.2.2019	व्यावसायिक आय की गणना में त्रुटि	1.84	0.80	स्वीकृत (अगस्त 2023) तथा धारा 154 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की गई (मार्च 2022)।
7	2018-19	143(3) दिनांक 12.11.2021	धारा 234डी के अंतर्गत ब्याज न लगाया जाना।	0	9.12	स्वीकृत (अगस्त 2023) तथा धारा 154 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेत्तर विवरण की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)।
कुल				**244.72**	**114.99**	

कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में संक्षेप में चर्चा की गई है।

5.3.1.3 अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए कटौती की गलत अनुमति

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए निर्धारणों का पूर्ण संवीक्षण के अंतर्गत पूरी जांच की गई थी, लेकिन निर्धारण अधिकारी ने अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लिए कटौती की अनुमति देते समय लाभ और हानि खाते में 'प्रावधान और आकस्मिकताओं' के अंतर्गत दिखाए गए एनपीए के प्रावधान के लिए कटौती की राशि को सीमित नहीं किया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

बॉक्स 5.18

निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए संवीक्षा निर्धारण फरवरी 2019 में पूरा हो गया, जिससे अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए ₹113.61 करोड़ की कटौती की अनुमति मिल गई। लाभ और हानि खाते के अनुसार, वर्ष के दौरान एनपीए के लिए किया गया प्रावधान केवल ₹15.23 करोड़ था, जैसा कि अनुसूची 17 'प्रावधान और आकस्मिकताएं' में दर्शाया गया है। इस प्रकार, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमेय पीबीडीडी को ₹15.23 करोड़ तक सीमित किया जाना चाहिए था। तथापि, विभाग ने ₹113.61 करोड़ की कटौती की अनुमति दी थी, जिसमें स्पष्ट रूप से मानक परिसंपत्तियों के लिए किए गए प्रावधान को भी अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधान की श्रेणी में सम्मिलित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹98.38 करोड़ की कटौती की अतिरिक्त अनुमति दी गई, जिसमें ₹42.56 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

इसी प्रकार, फरवरी 2020 में पूर्ण संवीक्षण के बाद निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें निर्धारित आय ₹3,121.08 करोड़ निर्धारित की गई। वर्ष के दौरान, निर्धारिती ने एनपीए के लिए ₹ 26.44 करोड़ का प्रावधान किया। यद्यपि, निर्धारण में, विभाग ने धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत ₹ 127.89 करोड़ की कटौती की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 101.45 करोड़ की कटौती की अधिक अनुमति मिली, जिसमें ₹ 43.89 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

उपरोक्त अभ्युक्तियां अगस्त 2021 में डीसीआईटी (आईटी)-2(1)(2), मुंबई के संज्ञान में लाई गईं। उत्तर में (अगस्त 2023), विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और कहा कि निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए धारा 154 के अंतर्गत मार्च 2022 में और निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत मई 2022 में सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भारत ओवरसीज बैंक बनाम सीआईटी[92] के मामले में आईटीएटी चेन्नई ने माना था कि "मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान किसी भी ऐसे ऋण के विपरीत नहीं है जो संदिग्ध हो गया हो। मानक परिसंपत्तियों को हमेशा वसूली योग्य माना जाता है, और बैंक को वसूली के बारे में कोई संदेह नहीं होता। अधिकरण ने कहा कि जब बैंक ने स्वयं ऐसी

[92] आईटीए संख्या 1191/एमडीएस/2012 दिनांक 28.03.2012

परिसंपत्तियों को अच्छा और वसूली योग्य माना है, तो ऐसी परिसंपत्तियों पर किए गए किसी भी प्रावधान को अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नहीं माना जा सकता। इसलिए, निर्धारिती का यह दावा कि धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत निर्धारित शर्त को लागू करने के लिए मानक परिसंपत्तियों के प्रावधान पर भी विचार किया जाना चाहिए, विधिसम्मत नहीं था।" इसके अलावा, 15 जुलाई 2015 के आरबीआई मुख्य परिपत्र के अनुच्छेद 5.5, जो बैंकों की मानक परिसंपत्तियों को संबोधित करता है, खंड (ii) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से बताता है कि निवल एनपीए की गणना करते समय मानक परिसंपत्तियों के लिए किए गए प्रावधानों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

5.3.1.4 अंतरण मूल्य समायोजन के लिए प्रदत्त अनुचित कटौती

लेखापरीक्षा ने पाया कि टीपीओ ने अंतरण मूल्य निर्धारण आदेश को अंतिम रूप देते समय आय की गणना में निर्धारिती द्वारा किए गए समायोजन पर विचार नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप कम कर की वसूली हुई, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

बॉक्स 5.19

निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2016-17 के दौरान मुख्य रूप से विक्रय एवं विपणन सहायता सेवाओं के कारण अंतरण मूल्य निर्धारण से संबंधित समायोजन के लिए ₹ 36.39 करोड़ की कटौती का दावा किया। निर्धारण अधिकारी ने धारा 92सीए के अंतर्गत मामले को टीपीओ को संदर्भित किया और टीपीओ ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, रिटर्न आय में ₹63.02 करोड़ का आरोही समायोजन किया। अंतरण मूल्य समायोजन का निर्धारण करते समय, टीपीओ ने आयकर रिटर्न में अपनी गणना में निर्धारिती द्वारा स्वयं किए गए समायोजनों को ध्यान में नहीं रखा। चूंकि टीपीओ ने पिछले वर्ष के दौरान संबद्ध उद्यमों के साथ किए गए संव्यवहार के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आरोही समायोजन का निर्धारण किया था, इसलिए निर्धारिती द्वारा स्वयं दावा की गई कटौती को कर निर्धारण में अननुमत कर दिया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 36.39 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 15.74 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

यह अभ्युक्ति सितंबर 2021 में डीसीआईटी (आईटी)-2(1)(2), मुंबई के संज्ञान में लाया गया। विभाग ने उत्तर में स्वीकार करते हुए बताया (अगस्त 2023) कि मई 2022 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4 एनबीएफसी के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण

5.4.1 बी5 के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण

2007 में स्थापित बी5 का निर्धारण पीसीआईटी-3 पुणे के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। कंपनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है। कंपनी 5 मार्च 1998 से भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। कंपनी ऋण देने के व्यवसाय में लगी हुई है और मुख्य रूप से दोपहिया और तिपहिया वाहनों, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, लघु व्यवसाय ऋण, व्यक्तिगत ऋण, बंधक ऋण, प्रतिभूतियों पर ऋण आदि के वित्तपोषण में काम करती है। आरबीआई ने 7 अक्टूबर 2010 के अपने पत्र के माध्यम से कंपनी को 'परिसम्पत्ति वित्त कंपनी' से 'ऋण कंपनी' के रूप में पुनः वर्गीकृत किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए वित्तीय विवरण, निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए निर्धारण का विवरण और बी5 के निर्धारण की लेखापरीक्षा में पाई गई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

5.4.1.1 बी5 की वित्तीय विशेषताएं

कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की वित्तीय विशेषताएं नीचे तालिका 5.47 में दी गई हैं।

तालिका 5.47: वित्तीय मुख्य बिंदु (₹ करोड़ में)

विवरण/वित्त वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
उधार	46,620.98	55,836.46	73,158.71	82,778.84
उधार पर ब्याज व्यय	3,354.87	4,123.36	5,938.85	7,857.55
ऋण और अग्रिम	55,445.82	75,532.88	95,181.26	1,13,417.08
ऋण और अग्रिम पर ब्याज आय	8,706.69	11,354.89	15,211.13	20,507.72
कर पूर्व लाभ	2,817.52	4,056.36	6,035.30	6,808.13
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	415.59	58.45	502.26	1,575.37
बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण	402.60	971.73	974.03	* उपलब्ध नहीं है

स्रोत: बी5 का संबंधित वित्तीय वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन और संबंधित निर्धारण वर्षों की आयकर रिटर्न

** नोट: मामला नि.ले.प. के लिए नहीं चुना गया था।*

5.4.1.2 आयकर निर्धारण का विवरण

बी5 के निर्धारण को निर्धारण वर्ष 2016-17 से निर्धारण वर्ष 2019-20 तक 360-डिग्री विश्लेषण के लिए चुना गया। आयकर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा द्वारा चयनित सभी वर्षों के लिए धारा

143(3) के अंतर्गत पूर्ण संवीक्षा के लिए बी5 के आयकर रिटर्न का चयन किया गया था, जैसा कि नीचे तालिका 5.48 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

तालिका 5.48: निर्धारण का विवरण **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं	निर्धारण वर्ष	रिटर्न की तिथि	वह धारा जिसके अंतर्गत निर्धारण किया गया और निर्धारण की तिथि	रिटर्न की गई आय	निर्धारित आय	किए गए परिवर्द्धन	रिटर्न की गई आय के *प्रतिशत* के रूप में परिवर्धन
1	2016-17	21.03.2018 (संशोधित)	143(3) दिनांक 31.12.2018	2,010.77	2,157.10	146.33	7.28
2	2017-18	29.03.2019 (संशोधित)	143(3) दिनांक 27.12.2019	2,913.38	3,112.37	198.99	6.83
3	2018-19	30.03.2019 (संशोधित)	143(3) दिनांक 15.03.2021	3,813.88	4,103.09	289.21	7.58
4	2019-20	30.11.2020 (संशोधित)	143(3) दिनांक 29.09.2021	5,301.77	5,732.81	431.04	8.13
		कुल		**14,039.80**	**15,105.37**	**1,065.57**	

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

संवीक्षा निर्धारण के दौरान किए गए परिवर्धन, रिटर्न की गई आय के 6.83 *प्रतिशत* से 8.13 *प्रतिशत* तक थी।

5.4.1.3 360-डिग्री विश्लेषण में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्ति

लेखापरीक्षा में कटौतियों और व्ययों की अनियमित अनुमति के आठ निष्कर्ष पाए गए, जिनमें से पांच निष्कर्ष ₹746.92 करोड़ की कम आय का निर्धारण और ₹258.40 करोड़ के कम कर उगाही से संबंधित थे, तथा तीन निष्कर्ष प्रणालीगत कमियों के अंतर्गत पाए गए, यथा संबंधित पक्षों को किए गए भुगतानों के आंकड़ों में भिन्नता और आयकर विभाग तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के आंकड़ों में विसंगति तथा सीएसआर व्ययों के लिए कटौती की अनुचित अनुमति। विभाग ने सभी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है और मार्च 2022 में धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। अनुस्मारक [नवंबर 2024] जारी करने के बावजूद अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सारांश नीचे तालिका 5.49 में दिया गया है:

तालिका 5.49: लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सारांश						**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं	**निर्धारण वर्ष**	**निर्धारण की धारा और तिथि**	**अनियमितता का सार**	**निर्धारण के अंतर्गत**	**कर प्रभाव**	**की गई सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण**
1	2017-18	143(3) दिनांक 27.12.2019	आय गणना और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस)-IV के अनुसार, धारा 43डी में निहित विशेष प्रावधान के आधार पर किसी भी सुरक्षा के अभाव में एनपीए के संबंध में ब्याज पर प्रोद्भवन आधार पर कर आरोपित किया जाना था।	68.67	23.77	स्वीकृत (अप्रैल 2024) तथा धारा 263 के अंतर्गत 30.03.2022 को सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेत्तर सूचना प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	2017-18	143(3) दिनांक 27.12.2019	निर्धारण अभिलेखों से पाया गया कि धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती का दावा करने की पात्रता प्रमाणित नहीं हुई।	0.00	0.00	स्वीकृत (अप्रैल 2024) तथा धारा 263 के अंतर्गत 30.03.2022 को सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
3	2018-19	143(3) धारा 143(3ए) और 143(3बी) के साथ पठित, दिनांक 15.03.2021	आय गणना और प्रकटीकरण मानक (आईसीडीएस)-IV के अनुसार, धारा 43डी में निहित विशेष प्रावधान के आधार पर किसी भी सुरक्षा के अभाव में एनपीए के संबंध में ब्याज पर प्रोद्भवन आधार पर कर आरोपित किया जाना था।	84.23	29.15	स्वीकृत (अप्रैल 2024) तथा धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई पर विचार किया गया। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
4	2018-19	143(3) धारा 143(3ए) और 143(3बी) के साथ पठित, दिनांक 15.03.2021	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में अथ शेष के अनुचित समायोजन के कारण चालू वर्ष में अशोध्य ऋणों की अधिक अनुमति।	1.10	00.37	स्वीकृत (अप्रैल 2024) तथा धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई पर विचार किया गया। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
5	2019-20	143(3) के साथ पठित धारा 143	मानक परिसंपत्तियों के संबंध में धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के	20.03	6.93	अनुमत (अप्रैल 2024) धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई।

तालिका 5.49: लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सारांश						(₹ करोड़ में)
क्र. सं	**निर्धारण वर्ष**	**निर्धारण की धारा और तिथि**	**अनियमितता का सार**	**निर्धारण के अंतर्गत**	**कर प्रभाव**	**की गई सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण**
		(3बी) दिनांक 29.09.2021	लिए प्रावधान की कटौती की अनुचित अनुमति।			अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
6	2016-17 2017-18 2018-19 2019-20	143(3) दिनांक 31.12.2018 143(3) दिनांक 27.12.2019 143(3) दिनांक 15.03.2021 143(3) दिनांक 29.09.2021	संबंधित पक्षों को किए गए भुगतान के आंकड़ों में भिन्नता	0	0	निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए अंतरिम उत्तर और निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 (अप्रैल 2024) के लिए स्वीकृत। निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए, धारा 263 के अंतर्गत 30.03.2022 को सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई पर विचार किया गया। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2025)।
7	2017-18 2018-19 2019-20	143(3) दिनांक 27.12.2019 143(3) दिनांक 15.03.2021 143(3) दिनांक 29.09.2021	बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण - भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों से मेल नहीं खाते।	497.57	172.20	निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 (अप्रैल 2024) के लिए स्वीकृत। निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए, धारा 263 के अंतर्गत 30.03.2022 को सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई पर

तालिका 5.49: लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सारांश						(₹ करोड़ में)
क्र. सं	**निर्धारण वर्ष**	**निर्धारण की धारा और तिथि**	**अनियमितता का सार**	**निर्धारण के अंतर्गत**	**कर प्रभाव**	**की गई सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण**
						विचार किया गया। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
8	2016-17 2017-18 2018-19 2019-20	143(3) दिनांक 31.12.2018 143(3) दिनांक 27.12.2019 143(3) दिनांक 15.03.2021 143(3) दिनांक 29.09.2021	सीएसआर व्यय के लिए कटौती की अनुचित अनुमतियां	75.32	25.98	निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए अंतरिम उत्तर और निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 (अप्रैल 2024) के लिए स्वीकृत। निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए, धारा 263 के अंतर्गत 30.03.2022 को सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई पर विचार किया गया। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2025)।
कुल				**746.92**	**258.40**	

कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में संक्षेप में चर्चा की गई है।

5.4.1.4 एनबीएफसी के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 43डी में प्रावधान के अभाव के कारण आय की अनुचित गणना

आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती एनबीएफसी पर निर्धारण वर्ष 2017-18 से लागू कर दी गई। धारा 43डी के प्रावधानों को एनबीएफसी की दो श्रेणियों पर लागू किया गया, अर्थात जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और प्रणालीगत

रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो निर्धारण वर्ष 2020-21[93] से प्रभावी है।

धारा 43डी के अनुसार, वास्तविक क्रेडिट या प्राप्ति के आधार पर एनपीए के संबंध में ब्याज के माध्यम से आय, निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 के बीच की अवधि के दौरान एनबीएफसी पर लागू नहीं थी। इसलिए, एनबीएफसी के मामले में, एनपीए से संबंधित आय पर भी निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 के बीच की अवधि के दौरान व्यापारिक आधार पर कर आरोपित किया जाना आवश्यक था।

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए मेसर्स बी5 का संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2019 में पूरा हो गया, जिसमें ₹ 3,112.37 करोड़ की आय निर्धारित की गई। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट 2(ई) - (राजस्व मान्यता - (i) वित्तपोषण गतिविधि से आय) के अनुसार, अपचारी परिसंपत्तियों (एनपीए) के मामले में ब्याज आय को वास्तविक प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी गई थी। इससे यह संकेत मिलता है कि निर्धारिती एनपीए पर अर्जित कोई ब्याज आय की प्रस्तुति नहीं कर रहा था।

31 मार्च 2017 तक तुलन-पत्र की अनुसूची 11 (एनपीए की गतिविधि) के अनुसार, वर्ष के दौरान सकल एनपीए में ₹ 759.83 करोड़ की वृद्धि हुई। यह नोट किया गया कि एनपीए पर अर्जित ब्याज को न तो निर्धारिती द्वारा कर के लिए प्रस्तुत किया गया था और न ही धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप देते समय विभाग द्वारा इसे वापस परिवर्धित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 759.83 करोड़ [12.05 *प्रतिशत* की दर से 9 महीने की अवधि के लिए गणना (एसबीआई बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट के न्यूनतम 4 वर्ष)] पर अर्जित ब्याज के कारण लगभग ₹ 68.67 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 23.77 करोड़ का कम कर वसूला गया।

मार्च 2022 में डीसीआईटी-सर्किल 8, पुणे को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से अवगत कराया गया। उत्तर में, डीसीआईटी, सर्किल 8, पुणे ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (अप्रैल 2024) को स्वीकार किया और कहा कि मार्च 2022 में धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। अनुस्मारक [नवंबर 2024] जारी करने के बावजूद अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

[93] 1 अप्रैल 2018 से लागू आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 43डी के अनुसार, 2019 के अधिनियम संख्या 23 द्वारा, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों) के संबंध में ब्याज के रूप में आय पूर्व वर्ष में कर देय है जिसमें इसे लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है या प्राप्त किया जाता है।

आयकर अधिनियम की धारा 43डी में प्रावधान न होने के कारण, एनपीए पर अर्जित ब्याज पर न तो निर्धारिती द्वारा कर आरोपित किया गया और न ही विभाग द्वारा संवीक्षा निर्धारण को अंतिम रूप देते समय उसे वापस परिवर्धित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक कम आय का निर्धारण हुआ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.1.5 धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की कटौती की अतिरिक्त अनुमति

मुख्य निर्देश[94] के पैरा 13 के अनुसार, एनबीएफसी द्वारा परिसंपत्तियों की हानि, संदिग्ध परिसंपत्तियों और अवमानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। उक्त निर्देश के अनुसार, मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान को एनपीए के प्रावधान के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा।

यद्यपि निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारण की पूरी जांच की गई थी, लेकिन निर्धारण अधिकारी ने अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के लिए कटौती की अनुमति देते हुए लाभ और हानि खाते में 'प्रावधान और आकस्मिकताओं' के अंतर्गत दिखाए गए एनपीए के प्रावधान के लिए कटौती की राशि को सीमित नहीं किया।

निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए मेसर्स बी5 का संवीक्षा निर्धारण 29/09/2021 को पूरा हो गया, जिसमें धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत ₹ 28.31 करोड़ की कटौती की अनुमति देने के बाद ₹ 5,732.81 करोड़ की कुल आय निर्धारित की गई।

प्रपत्र आयकर विवरण-06 (अनुसूची ए-पी एंड एल खाता) में संशोधित आयकर रिटर्न में, निर्धारिती ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लाभ-हानि खाते में डेबिट किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए ₹502.26 करोड़ की राशि दर्शाई थी। अनुलग्नक-III के पैरा 11 "प्रावधान और आकस्मिकताओं" से पता चलता है कि ₹ 502.26 करोड़ के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में ₹ 263.07 करोड़ का एनपीए और ₹ 239.18 करोड़ की मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान सम्मिलित था। इस प्रकार, निर्धारिती केवल एनपीए के विपरीत किए गए प्रावधान की सीमा तक ₹ 263.07 करोड़ की कटौती के लिए अर्ह था, जैसा कि लाभ-हानि खाते में डेबिट किया गया था, जबकि निर्धारिती द्वारा दावा किए गए और विभाग द्वारा अनुमत ₹ 283.10 करोड़ की कटौती के विपरीत था। इस प्रकार, मानक परिसंपत्तियों के लिए किए गए

[94] मुख्य निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016, 17 फ़रवरी, 2020 तक अद्यतन

प्रावधान के विपरीत ₹ 20.03 करोड़ (₹ 283.10 करोड़ - ₹ 263.07 करोड़) की कटौती उचित नहीं थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 20.03 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 6.93 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति मार्च 2022 में डीसीआईटी सर्किल 8 पुणे को सूचित किया गया था। उत्तर में, डीसीआईटी सर्किल 8, पुणे ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2024) और कहा कि धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है और इसे नियत समय में पूरा कर लिया जाएगा। अनुस्मारक [नवंबर 2024] जारी करने के बावजूद अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.1.6 धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में अथ शेष की कम कटौती के कारण अशोध्य ऋणों की अतिरिक्त अनुमति

निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण मार्च 2021 में पूरा हो गया, जिसमें धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत ₹ 817.52 करोड़ की कटौती की अनुमति देने के बाद कुल आय ₹ 4,103.09 करोड़ निर्धारित की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि, बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का दावा करते समय, निर्धारिती ने ₹ 1.10 करोड़ की अतिरिक्त कटौती को नहीं घटाया, जो कि निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए संवीक्षा निर्धारण के दौरान अनुमत थी। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए संवीक्षा निर्धारण के दौरान इस मुद्दे की जांच नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.10 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.37 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

मार्च 2022 में आयकर उपायुक्त सर्किल 8 पुणे को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से अवगत कराया गया। उत्तर में, आयकर उपायुक्त, सर्किल 8, पुणे ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (अप्रैल 2024) को स्वीकार कर लिया और कहा कि धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अनुस्मारक (नवंबर 2024)जारी करने के बावजूद अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.1.7 समन्वय का मुद्दा- बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों का भारतीय रिज़र्व बैंक आंकड़ों से मिलान न होना

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के अनुसार, अशोध्य ऋण एक स्वीकार्य कटौती है जब इसे निर्धारिती के बही खाते में अप्राप्य के रूप में लिखा जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक

के निर्देशों के अनुसार, एनबीएफसी को विभिन्न विवेकपूर्ण मानदंडों, जैसे पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान और अन्य का अनुपालन करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने भारतीय रिज़र्व बैंक से वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए एनबीएफसी द्वारा जमा प्रासंगिक रिटर्न साझा करने का अनुरोध किया, और डेटा 21 अप्रैल 2022 को प्राप्त हुआ।

लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेखों के अनुसार अनुमत अशोध्य ऋणों की तुलना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के विवरण से करने पर कुछ विसंगतियां देखीं, जैसा कि नीचे तालिका 5.50 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका 5.50: आयकर रिटर्न के अनुसार दावा किए गए अशोध्य ऋणों और भारतीय रिजर्व बैंक आंकड़ों के अनुसार बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों में विसंगतियां (₹ करोड़ में)

निर्धारण वर्ष	आयकर विभाग में निर्धारिती द्वारा दावा किए गए अशोध्य ऋण	विभाग द्वारा अनुमत अशोध्य ऋण	भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की राशि	अंतर
2017-18	402.60	402.60	265.79	136.81
2018-19	971.73	971.73	732.36	239.37
2019-20	974.03	974.03	852.64	121.39
कुल	**2,348.36**	**2,348.36**	**1,850.79**	**497.57**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, ₹ 497.57 करोड़ की कम आय का निर्धारण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 172.20 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

मई 2022 में आयकर उपायुक्त सर्किल 8 पुणे को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से अवगत कराया गया। डीसीआईटी, सर्किल 8, पुणे ने अपने उत्तर (अप्रैल 2024) में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा कि सभी तीन निर्धारण वर्षों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई पर विचार किया गया था। नवंबर 2024 में अनुस्मारक जारी किए जाने के बावजूद, अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित (नवंबर 2025) है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025) है।

5.4.1.8 संबंधित पक्षों को किए गए भुगतान के आंकड़ों में भिन्नता

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40ए(2ए) में यह प्रावधान है कि जहां निर्धारिती कोई ऐसा व्यय करता है जिसके संबंध में इस उपधारा के खंड (बी) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को भुगतान किया जा चुका है या किया जाना है, और निर्धारण अधिकारी का मत है कि ऐसा व्यय उन

वस्तुओं, सेवाओं या सुविधाओं के उचित बाजार मूल्य, जिनके लिए भुगतान किया गया है या निर्धारिती के व्यवसाय या पेशे की वैध आवश्यकताओं या उससे प्राप्त या प्रोद्भूत होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक या अनुचित है, तो व्यय का वह हिस्सा जिसे वह अत्यधिक या अनुचित समझता है, कटौती के रूप में अनुमत नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने निर्धारिती की लेखा बहियों की तुलना में संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार के प्रकटीकरण में भिन्नताएं देखीं, जिसके परिणामस्वरूप आय का कम निर्धारण/अधिक निर्धारण हुआ।

प्रपत्र 3सीडी में कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के खंड 23 के अनुसार धारा 40ए(2)(बी) के अंतर्गत निर्दिष्ट संबंधित पक्षों को किए गए भुगतानों की तुलना, निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2019-20 से संबंधित पक्ष संव्यवहार के प्रकटीकरण के संबंध में वित्तीय विवरणों के नोट्स से करने पर महत्वपूर्ण भिन्नताएं सामने आईं, जैसा कि नीचे तालिका 5.51 में विस्तृत रूप से बताया गया है:

तालिका 5.51: संबंधित पक्षों को किए गए भुगतान के आंकड़ों में भिन्नता **(₹ करोड़ में)**

संबंधित पक्ष	क्षेत्राधिकार	टीएआर से संव्यवहार - मद 23	निर्धारण वर्ष	निर्धारिती की खाता बहियों के अनुसार भुगतान	संबंधित पक्ष की खाता बहियों के अनुसार प्राप्ति	अंतर
1. बी12	डीसीआईटी सर्किल 1(1) पुणे	परिसंपत्ति/वाहन/यात्रा पर बीमा अधिमूल्य का भुगतान	2016-17	0.49	0.52	-0.03
			2017-18	1.06	1.2	-0.14
			2018-19	13.65	12.14	1.51
			2019-20	18.06	17.48	0.58
2. बी13	डीसीआईटी सर्किल 1(1) पुणे	सामूहिक बीमा अधिमूल्य का भुगतान	2016-17	1.52	251.01	-249.49
			2017-18	1.99	100.74	-98.75
			2018-19	3.02	207.03	-204.01
			2019-20	3.68	191.04	-187.36
		एनसीडी पर ब्याज का भुगतान	2016-17	18.47	23.27	-4.8
			2017-18	29.05	32.14	-3.09
			2018-19	25.56	21.86	3.7
			2019-20	12.16	22.87	-10.71
3.बी9	आईटीओ वार्ड 8(1) पुणे	व्यावसायिक सहायता शुल्क का भुगतान	2016-17	0	0	0
			2017-18	0	0	0
			2018-19	1.98	17.75	-15.77
			2019-20	1.13	19.75	-18.62

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

अगस्त 2022 में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, डीसीआईटी सर्किल 8, पुणे ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया (अप्रैल 2024) और कहा कि निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए धारा 264 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी एवं अन्य वर्षों के लिए भी इसी तरह की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। अनुस्मारक [नवंबर 2024] जारी करने के बावजूद अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.2 एल1 के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण

एल1, जो एल7 की एक सहायक कंपनी है, का कर निर्धारण, प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उप आयकर आयुक्त 2(2)(1) के निर्धारण प्रभार में किया जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी आवास वित्त बंधक ऋण कंपनियों में से एक है जिसका पंजीकृत और निगमित कार्यालय मुंबई में है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य आवासीय प्रयोजनों के लिए मकान या फ्लैटों की क्रय या निर्माण तथा मौजूदा फ्लैटों और मकानों की मरम्मत और नवीकरण के लिए व्यक्तियों को दीर्घकालीन वित्तीयन प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए वित्तीय विवरण, निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2019-20 के लिए निर्धारण के विवरण और एल1 के निर्धारण की लेखापरीक्षा में पाई गई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

5.4.2.1 एल1 की वित्तीय विशेषताएं

वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एल1 की वित्तीय विशेषताएं नीचे तालिका 5.52 में दी गई हैं।

तालिका 5.52: एल1 की वित्तीय विशेषताएँ				**(₹ करोड़ में)**
विवरण/वित्त वर्ष	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
उधार	15,939.25	16,517.05	26,383.91	45,140.43
उधार पर ब्याज व्यय	1,179.21	1,120.99	1,741.91	2,333.32
ऋण एवं अग्रिम	1,44,716.71	1,66,162.32	1,92,992.74	2,07,987.97
ऋण और अग्रिम पर ब्याज आय	13,876.71	14,667.03	17,162.80	19,461.95
कर पूर्व लाभ	2,955.77	3,061.87	3,379.55	3,268.99
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	158.68	164.06	182.54	उपलब्ध नहीं
बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण	50.42	23.29	265.66	35.71

स्रोत: एल1 की संबंधित वित्तीय वर्षों की वार्षिक प्रतिवेदन और संबंधित निर्धारण वर्षों का आयकर विवरण

**नोट: मामला नि.ले.प. के लिए नहीं चुना गया था।*

5.4.2.2 आयकर निर्धारण का विवरण

एल1 के निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2019-20 के लिए निर्धारण को 360-डिग्री लेखापरीक्षा विश्लेषण के लिए चुना गया। इन सभी निर्धारण वर्षों में एल1 के आयकर रिटर्न को धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण जांच के लिए चुना गया था। एल1 का निर्धारण वर्ष 2014-15 से निर्धारण वर्ष 2019-20 तक का निर्धारण विवरण नीचे तालिका 5.53 में दिया गया है।

तालिका 5.53: निर्धारण वर्ष 2014-15 से निर्धारण वर्ष 2019-20 तक आयकर निर्धारण का विवरण (₹ करोड़ में)

क्रमांक नहीं	निर्धारण वर्ष	रिटर्न जमा करने की तिथि	वह धारा जिसके अंतर्गत निर्धारण किया गया और निर्धारण की तिथि	रिटर्न की गई आय	निर्धारित आय	परिवर्धन	रिटर्न की गई आय के *प्रतिशत* के रूप में परिवर्धन
1	2014-15	28.11.2014	143(3) दिनांकित 29.12.2017	1,507.09	1,510.07	2.98	0.19
2	2015-16	30.11.2015	143(3) दिनांकित 28.12.2018	1,695.23	1,700.82	5.59	0.33
3	2016-17	23.11.2016	143(3) दिनांकित 10.12.2019	2,177.63	2,180.23	2.60	0.12
4	2017-18	30.03.2019	143(3) दिनांकित 20.12.2019	2,512.66	2,512.96	0.30	0.01
5	2018-19	30.03.2019	143(3) दिनांकित 17.09.2021	2,608.59	2,639.33	30.74	1.18
6	2019-20	29.11.2020	143(3)/144बी दिनांकित 30.09.2021	2,837.41	2,875.40	37.99	1.34
			कुल	**13,338.61**	**13,418.81**	**80.20**	

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

संवीक्षा निर्धारण के दौरान की गई परिवर्धन, रिटर्न की गई आय के 0.01 *प्रतिशत* से 1.34 *प्रतिशत* तक थी।

5.4.2.3 360-डिग्री विश्लेषण में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

लेखापरीक्षा में कटौतियों की अनियमित अनुमति के नौ निष्कर्ष पाए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹750.02 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ तथा ₹142.72 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया। जैस कि तालिका 5.54 में दर्शाया गया है, पीसीआईटी-2 मुंबई ने एक लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (जनवरी 2023) को स्वीकार किया और अपने उत्तर (फरवरी 2023) में कहा कि दो अभ्युक्तियों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी (अप्रैल 2022)। इसके अलावा, तीन अभ्युक्तियों में आगे की उपचारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली गई है जबकि तीन अभ्युक्तियों के उत्तर की प्रतीक्षा है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार तालिका 5.54 में दिया गया है।

तालिका 5.54: लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	धारा के अंतर्गत निर्धारण और निर्धारण की तिथि	अनियमितता का सार	अल्प निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	2015-16	143(3) दिनांकित 28.12.2018	लाभ और हानि खाते में अशोध्य ऋणों को डेबिट करने और आय की गणना (सीओआई) में कटौती का दावा करने के कारण चालू वर्ष में अशोध्य ऋणों की अतिरिक्त छूट।	29.68	10.09	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
2	2016-17	143(3) दिनांकित 10.12.2019	लाभ और हानि खाते में अशोध्य ऋणों को डेबिट करने और आय की गणना (सीओआई) में कटौती का दावा करने के कारण चालू वर्ष में अशोध्य ऋणों की अतिरिक्त छूट।	34.58	11.75	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
3	2018-19	143(3) दिनांकित 17.09.2021	पिछले निर्धारण वर्ष में धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में अंत:शेष राशि के अनुचित समायोजन के कारण चालू वर्ष में अशोध्य ऋणों की अतिरिक्त छूट।	23.29	8.06	उत्तर (फरवरी 2023) के अनुसार, अप्रैल 2022 में धारा 147 के अंतर्गत पुनः खोला जाएगा। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित नवंबर 2025)।
4	2019-20	143(3) दिनांकित 30.09.2021	पिछले निर्धारण वर्ष में धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में अंतिम शेष राशि के अनुचित समायोजन के कारण चालू वर्ष में अशोध्य ऋणों की अतिरिक्त छूट।	265.66	92.83	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
5	2017-18	143(3) दिनांकित 20.12.2019	कटौती की राशि की गणना के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत दावा की गई कटौती को सकल कुल आय में जोड़ने के कारण धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की अतिरिक्त छूट।	26.43	9.15	अनुमत (जनवरी 2023) और धारा 147 के अंतर्गत मार्च 2022 में सुधारात्मक कार्रवाई की गई।

तालिका 5.54: लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार						**(₹ करोड़ में)**
क्रम सं.	**निर्धारण वर्ष**	**धारा के अंतर्गत निर्धारण और निर्धारण की तिथि**	**अनियमितता का सार**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
6	2019-20	143(3) दिनांकित 30.09.2021	कटौती की राशि की गणना के लिए सकल कुल आय में धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत दावा की गई कटौती को जोड़ने के कारण धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की अतिरिक्त अनुमति।	31.01	10.84	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
7	2017-18	143(3) दिनांकित 20.12.2019	पैन और अन्य विवरण प्रदान किए बिना अशोध्य ऋणों की अनुचित अनुमति।	50.42	कोई मौद्रिक मूल्य नहीं	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
8	2018-19	143(3) दिनांकित 17.09.2021	पैन और अन्य विवरण प्रदान किए बिना अशोध्य ऋणों की अनुचित अनुमति।	23.29	कोई मौद्रिक मूल्य नहीं	उत्तर (फरवरी 2023) के अनुसार,आयकर विभाग ने सूचित किया है कि मामला अप्रैल 2022 में धारा 147 के अंतर्गत फिर से खोला गया था। आगे के विवरण प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2025)।
9	2019-20	143(3) दिनांकित 30.09.2021	पैन और अन्य विवरण प्रदान किए बिना अशोध्य ऋणों की अनुचित अनुमति।	265.66	कोई मौद्रिक मूल्य नहीं	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
			कुल	**750.02**	**142.72**	

कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में संक्षेप में चर्चा की गई है।

5.4.2.4 अशोध्य ऋणों की अतिरिक्त छूट

एल1 के निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक के निर्धारण को धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण जांच के बाद क्रमशः दिसंबर 2017 और दिसंबर 2018 में अंतिम रूप दिया गया। यद्यपि मामलों की जांच संवीक्षा निर्धारण के अंतर्गत की गई थी, लेकिन बट्टे खाते में डाले गए

अशोध्य ऋणों के कारण दोहरी कटौती का दावा निर्धारण अधिकारी के ध्यान में नहीं आया, जिसके परिणामस्वरूप बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की अधिक अनुमति हो गई।

यह पाया गया कि ₹ 64.26 करोड़ के अशोध्य ऋणों को लाभ-हानि खाते में डेबिट किया गया तथा आय की गणना में पुनः उसी राशि का दावा किया गया। अतः, अनुमत अशोध्य ऋण, अर्ह राशि से दोगुना था, जैसा कि नीचे तालिका 5.55 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.55: दावा किए गए और अनुमत अशोध्य ऋणों का विवरण **(₹ करोड़ में)**

निर्धारण वर्ष	अशोध्य ऋणों को लाभ एवं हानि खाते में डेबिट किया गया	सीओआई में दावा किए गए अशोध्य ऋण	कुल अनुमत अशोध्य ऋण	वास्तविक स्वीकार्य अशोध्य ऋण	अशोध्य ऋणों की अधिक छूट और कम निर्धारण	कर प्रभाव
2015-16	29.68	29.68	59.37	29.68	29.68	10.09
2016-17	34.58	34.58	69.16	34.58	34.58	11.75
कुल	**64.26**	**64.26**	**128.53**	**64.26**	**64.26**	**21.84**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

इसके परिणामस्वरूप ₹ 64.26 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 21.84 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

अप्रैल 2024 और नवंबर 2024 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद, अप्रैल 2022 में डीसीआईटी 2(2)(1) मुंबई के संज्ञान में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति लाई गई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.2.5 धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में अथ शेष राशि का समायोजन न करने के कारण अशोध्य ऋणों की अतिरिक्त अनुमति

निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए निर्धारिती का निर्धारण धारा 143(3) के अंतर्गत सितंबर 2021 में पूरा किया गया। यद्यपि निर्धारण संवीक्षा के अंतर्गत पूरा किया गया था, लेकिन निर्धारण अधिकारी ने पिछले वर्षों में दावा किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के अथ शेष की तुलना में लिखे गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमतता की जांच नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप कटौतियों की गलत अनुमति दी गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 23.29 करोड़ (निर्धारण वर्ष 2018-19) और ₹ 265.66 करोड़ (निर्धारण वर्ष 2019-20) पर बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की राशि, पिछले वर्षों में दावा किए गए

₹ 158.69 करोड़ (निर्धारण वर्ष 2018-19) और ₹ 138.93 करोड़ (निर्धारण वर्ष 2019-20) के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान (पीबीडीडी) के अथ शेष से कम थी, इसलिए ₹ 288.95 करोड़ पर बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के दावे को गैर-अनुमत मानते हुए, उस सीमा तक अशोध्य ऋणों की अधिक अनुमति दी गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 288.95 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 100.89 करोड़ का कर कम लगाया गया।

मार्च 2022 (निर्धारण वर्ष 2018-19) और अप्रैल 2022 (निर्धारण वर्ष 2019-20) में डीसीआईटी 2(2)(1) मुंबई को लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी की गईं। निर्धारण वर्ष 2018-19 के संबंध में, विभाग ने फरवरी 2023 में उत्तर दिया कि मामला अप्रैल 2022 में धारा 147 के अंतर्गत पुनः खोला गया था। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (मई 2024)। अप्रैल 2024 और नवंबर 2024 में अनुस्मारक जारी किए जाने के बावजूद, निर्धारण वर्ष 2019-20 के संबंध में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025) है।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.2.6 आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की अधिक अनुमति

यद्यपि निर्धारण संवीक्षा के अंतर्गत पूरा किया गया था, लेकिन निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 36(1)(viiए)[95] के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा किए गए दावे की सत्यता की जांच नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप कटौती की अधिक अनुमति दी गई।

निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण सितंबर 2021 में धारा 143(3) के अंतर्गत अंतिम रूप दिया गया था। निर्धारिती ने सकल कुल आय में धारा 36(1)(viiए) और 36(1)(viii) के अंतर्गत क्रमशः ₹ 182.54 करोड़ और ₹ 640.36 करोड़ की कटौती का दावा जोड़ने के बाद धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत ₹ 182.54 करोड़ की कटौती का दावा किया था। विभाग ने इसकी अनुमति दे दी थी, जबकि धारा 36(1)(viiए) के प्रावधानों के अनुसार, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत दावा की गई कटौती को इस धारा के अंतर्गत कटौती की मात्रा की गणना के लिए कर देय योग्य आय में वापस जोड़ा जाना चाहिए था। इस मामले में, धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत दावा की गई कटौती को भी धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की मात्रा की गणना करने के लिए कर देय योग्य आय में जोड़ा गया था।

---

95 धारा 36(1)(viiए) के प्रावधानों के अनुसार, एनबीएफसी को उनके द्वारा किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए कुल आय (इस खंड और अध्याय VIए के अंतर्गत कोई कटौती करने से पहले गणना की गई) के पांच *प्रतिशत* से अधिक राशि की कटौती का दावा करने की अनुमति है।

इसके परिणामस्वरूप धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत ₹ 31.01 करोड़ की अतिरिक्त कटौती की अनुमति मिली, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.84 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया। इसी प्रकार की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति निर्धारण वर्ष 2017-18 में भी देखी गई, जहां कर की कम वसूली ₹ 9.15 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को जनवरी 2021 (निर्धारण वर्ष 2017-18) और अप्रैल 2022 (निर्धारण वर्ष 2019-20) में डीसीआईटी 2(2)(1) मुंबई के संज्ञान में लाया गया था।

निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के मामले में, जिसका कर प्रभाव ₹ 9.15 करोड़ था, डीसीआईटी 2(2)(1) मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2023) और कहा कि मार्च 2022 में धारा 144बी के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी। अप्रैल 2024 और नवंबर 2024 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद, निर्धारण वर्ष 2019-20 के संबंध में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025) है।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.2.7 उधारकर्ता के विवरण के सत्यापन के बिना अशोध्य ऋणों की अनुमति

यद्यपि निर्धारिती कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान ₹ 339.37 करोड़ के अशोध्य ऋणों का दावा किया था, लेकिन जिन उधारकर्ताओं के अशोध्य ऋण ₹ एक लाख या उससे अधिक थे, उनके पैन को निर्धारिती के बही खाते में लिख दिया गया था एवं अन्य विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए थे। विभाग ने भी इसे सत्यापन के लिए नहीं बुलाया था। ऐसे विवरणों के अभाव में, अशोध्य ऋणों को उनकी अनुमतता के सत्यापन के बिना ही अनुमति दे दी गई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अप्रैल 2022 में डीसीआईटी 2(2)(1) मुंबई के संज्ञान में लाया गया। आयकर कार्यालय (मुख्यालय) (तकनीकी)-2 मुंबई ने उत्तर (फरवरी 2023) में बताया कि विभाग ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के संबंध में अप्रैल 2022 में धारा 148 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। अनुस्मारक जारी करने के बावजूद (अप्रैल 2024, नवंबर 2024) निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2019-20 के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.3 एस3 के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण

1989 में निगमित एस3, पीसीआईटी-2 कोलकाता के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। कंपनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जो 1992 से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के

अंतर्गत निगमित है। कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक) के साथ पंजीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। कंपनी 1997 से ऋण देने के व्यवसाय में लगी हुई है और मुख्य रूप से अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण का काम करती है। एस3 ने अक्टूबर 2019 में मंदी विक्रय के माध्यम से अपने कारोबार, परिसंपत्तियों और देनदारियों को एस30 को हस्तांतरित कर दिया। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने 08 अक्टूबर 2021 को अपने आदेश के माध्यम से एस30 को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अंतर्गत स्वीकार किया, जो दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की धारा 227 के अंतर्गत जमा भारतीय रिज़र्व बैंक के आवेदन पर एस3 समूह की कंपनी के विरुद्ध शुरू की गई थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए वित्तीय विवरण, निर्धारण वर्ष 2012-13, 2014-15 से 2019-20 के लिए निर्धारण के विवरण और एस3 के निर्धारण की लेखापरीक्षा में देखी गई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

5.4.3.1 एस3 की वित्तीय विशेषताएं

वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एस3 की वित्तीय विशेषताएं नीचे तालिका 5.56 में दी गई हैं।

तालिका 5.56: एस3 की वित्तीय विशेषताएँ **(₹ करोड़ में)**

विवरण/वित्तीय वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
उधार	11,681.76	10,901.44	9,361.85	453.51
उधार पर ब्याज व्यय	1,339.24	948.84	1,081.96	45.39
ऋण और अग्रिम	8,965.11	10,798.37	9,389.94	0
ऋण और अग्रिम पर ब्याज आय	1,749.40	1,663.53	1,513.52	0.32
कर-पूर्व लाभ	148.36	128.28	122.61	(-)17.76
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	34.48	74.62	(-)730.19	0
बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण	509.79	133.03	733.78	0

स्रोत: एस3 की संबंधित वित्तीय वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन

उधार में दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधार सम्मिलित हैं।

ब्याज व्यय वित्तीय लागतों से लिया जाता है।

ऋण और अग्रिम में दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम तथा अल्पकालिक ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं।

5.4.3.2 आयकर निर्धारण का विवरण

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान एस3 के निर्धारण को निर्धारण वर्ष 2012-13 और निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2019-20 के लिए 360-डिग्री विश्लेषण के लिए चुना गया। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित सभी वर्षों (निर्धारण वर्ष 2019-20 को छोड़कर) में एस3 के आयकर रिटर्न को धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण संवीक्षा के लिए चुना गया था।

एस3 का निर्धारण वर्ष 2012-13, 2014-15 से 2019-20 के लिए निर्धारण विवरण नीचे तालिका 5.57 में दिया गया है:

तालिका 5.57: निर्धारण विवरण (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	रिटर्न की तिथि	विवरणीकृत आय	निर्धारित आय	जोड़ा गया	रिटर्न आय के *प्रतिशत* के रूप में जोड़	वह धारा जिसके अंतर्गत निर्धारण किया गया और निर्धारण की तिथि
1	2012-13	30.11.2012	28.18	55.78	27.6	97.94	143(3) दिनांकित 30.03.2015
2	2014-15	30.11.2014	48.14	74.98	26.84	55.75	143(3) दिनांकित 27.02.2017
3	2015-16	29.11.2015	4.94	28.56	23.62	478.14	143(3) दिनांकित 26.02.2019
4	2016-17	30.11.2016	41.53	56.96	15.43	37.15	143(3) दिनांकित 30.12.2019
5	2017-18	29.11.2017	418.73	440.85	22.12	5.28	143(3) दिनांकित 29.05.2021
6	2018-19	29.03.2019	163.30	194.82	31.52	19.30	143(3) दिनांकित 30.06.2021
7	2019-20	28.09.2020	0	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	143(1)(ए) तिथि उपलब्ध नहीं है
कुल			**704.82**	**851.95**	**147.13**		

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख।

संवीक्षा निर्धारण के दौरान की गई परिवर्धन, रिटर्न की गई आय के 5.28 *प्रतिशत* से लेकर 478.14 *प्रतिशत* तक थी।

5.4.3.3 360-डिग्री विश्लेषण में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्ति

लेखापरीक्षा ने कटौतियों की अनियमित अनुमति और गणना त्रुटियों के 10 मामले देखे, जिनमें ₹ 387.80 करोड़ की कम आय का निर्धारण किया गया, जिसका कर प्रभाव ₹ 95.79 करोड़ था, जैसा कि नीचे तालिका 5.58 में दिया गया है।

तालिका 5.58: एस3 के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	धारा और निर्धारण तिथि	अनियमितता का सार	अल्प निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	2015-16	143(3) दिनांकित 26.02.2019	धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि में अंतरित राशि से अधिक कटौती प्रदान करना।	14.55	4.95	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)

तालिका 5.58: एस3 के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	धारा और निर्धारण तिथि	अनियमितता का सार	अल्प निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
2	2016-17	143(3) दिनांकित 30.12.2019	धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि में अंतरित राशि से अधिक कटौती प्रदान करना।	29.27	10.13	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
3	2017-18	143(3) दिनांकित 29.05.2021	धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती को अनियमित रूप से प्रदान करना।	49.34	11.38	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
4	2017-18	143(3) दिनांकित 29.05.2021	हानि को अनुचित तरीके से अग्रेनयन पूंजीगत लाभ की अनुचित गणना करने के कारण अल्प प्रभार।	277.21	63.96	(नवंबर 2025)
5	2014-15	143(3) दिनांकित 27.04.2017	न्यास के पास छूट प्राप्त लाभांश आय, जब लाभार्थी निर्धारिती को अंतरित की जाती है, तो कर योग्य आय का स्वरूप ले लेती है और उस पर कर आरोपित किया जाना चाहिए था।	2.43	0.82	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
6	2014-15	143(3) दिनांकित 27.04.2017	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत दावा किए गए/ अनुमति दिए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु कटौती, बही लेखों में बनाए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों से अधिक थी।	3.40	0.57	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
7	2012-13	143(3)/147 दिनांकित 29.12.2017	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत दावा किए गए/ अनुमति दिए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु कटौती, बही लेखों में बनाए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों से अधिक थी।	1.36	0.44	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
8	2012-13	143(3)/147 दिनांकित 29.12.2017	'अप्रतिभूत अधीनस्थ बांडों पर अधिमूल्य' पर राजस्व व्यय के रूप में प्रावधान की अनुचित अनुमति।	0.88	0.29	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)

तालिका 5.58: एस3 के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	धारा और निर्धारण तिथि	अनियमितता का सार	अल्प निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
9	2016-17	143(3) दिनांकित 30.12.2019	'दीर्घकालिक निवेश से प्राप्त आय' को कराधान के दायरे में नहीं लाया गया।	3.30	1.14	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
10	2016-17	143(3) दिनांकित 30.12.2019	'मध्यम एवं लघु अवसंरचना कोष' से प्राप्त आय को कराधान के दायरे में नहीं लाया गया।	6.06	2.10	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
कुल				**387.80**	**95.79**	

कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर आगामि अनुच्छेदों में संक्षेप में चर्चा की गई है।

5.4.3.4 धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि में अंतरित राशि से अधिक कटौती प्रदान करना

यद्यपि निर्धारण संवीक्षा के अंतर्गत पूरा किया गया था, लेकिन निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार निर्धारिती द्वारा किए गए दावे की सत्यता की जांच नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप कटौती की अनुचित अनुमति दी गई, जो पूर्व वर्ष के दौरान विशेष आरक्षित निधि में अंतरित की गई राशि से अधिक थी।

फरवरी 2019, दिसंबर 2019 और मई 2021 में पूर्ण संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया, जिनकी आय क्रमशः ₹ 28.56 करोड़, ₹ 56.96 करोड़ और ₹ 440.85 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹ 19.59 करोड़ और ₹ 33.09 करोड़ की कटौती का दावा किया था, जबकि पिछले वर्ष के दौरान निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए क्रमशः ₹ 5.04 करोड़ और ₹ 3.82 करोड़ विशेष आरक्षित निधि में अंतरित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 2017-18 में, निर्धारिती को धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत दावा किए गए अनुसार ₹ 49.34 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई थी, तथापि धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की अनुमति देने से पहले 'व्यवसाय और पेशे से लाभ और प्राप्ति' शीर्षक के अंतर्गत आय शून्य थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 93.16 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 26.46 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था।

यह लेखापरीक्षा अभ्युक्ति डीसीआईटी 11(1) कोलकाता को मार्च 2021 और मई 2023 में जारी किया गया था। अनुस्मारक (नवंबर 2024) जारी होने के बावजूद डीसीआईटी 11(1) कोलकाता का उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025) है।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.3.5 हानि के अनुचित समायोजन के कारण पूंजीगत लाभ की अनुचित गणना

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 74 के अनुसार, जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में पूंजीगत लाभ शीर्षक के अंतर्गत गणना का निवल परिणाम निर्धारिती की हानि है, तो ऐसी हानि को अगले निर्धारण वर्ष में अग्रेनीत किया जाएगा और यदि ऐसी हानि:

i) यह अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित है, तथा इसे उस निर्धारण वर्ष के लिए दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के साथ-साथ अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के प्रति समायोजित किया जा सकता है।

ii) दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित, उस निर्धारण वर्ष के लिए कर देय दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के प्रति समायोजित किया जा सकता है।

यदि ऐसी हानि को पूर्णतः समायोजित नहीं किया जा सकता है, तो समायोजित न की गई हानि की राशि को आगामी निर्धारण वर्ष में अग्रेनीत किया जाएगा, इत्यादि। इस धारा के अंतर्गत किसी भी हानि को उस निर्धारण वर्ष के तुरंत बाद के आठ निर्धारण वर्षों से अधिक के लिए अग्रेनीत नहीं किया जा सकता है जिसके लिए हानि की गणना सबसे पहले की गई थी।

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारण मई 2021 में ₹ 418.74 करोड़ की रिटर्न आय के मुकाबले ₹ 440.85 करोड़ की आय पर अंतिम रूप दिया गया। आयकर अधिनियम, 1961 के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत पूंजीगत लाभ के कारण ₹ 85.49 करोड़ का कर देय निर्धारित किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने क्रमशः निर्धारण वर्ष 2016-17 और निर्धारण वर्ष 2014-15 से संबंधित ₹ 156.58 करोड़ और ₹ 120.63 करोड़ के अग्रिम दीर्घकालिक पूंजीगत घाटे को समायोजित करने के बाद ₹ 418.74 करोड़ की सकल कुल आय प्राप्त की थी। यद्यपि, निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए धारा 143(3) और धारा 154 के अंतर्गत निर्धारण आदेश और निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण आदेश से, ऐसी किसी भी पूंजीगत हानि को भविष्य में समायोजित करने के लिए अग्रनय की अनुमति नहीं दी गई थी।

निर्धारण वर्ष 2017-18 के संबंध में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण पूरा करते समय, उपरोक्त दो निर्धारण वर्षों से संबंधित ₹ 277.21 करोड़[96] की अग्रिम दीर्घकालिक पूंजीगत हानि को चालू वर्ष के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के साथ समायोजित करने की अनुमति दी गई थी।

इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारिती की आय का ₹ 277.21 करोड़ अल्प निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 63.96 करोड़ का कम कर वसूला गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को मार्च 2023 में डीसीआईटी 11(1) कोलकाता के संज्ञान में लाया गया। नवंबर 2024 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद डीसीआईटी 11(1) कोलकाता का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.3.6 अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुचित अनुमति

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारण अभिलेखों से पाया कि वार्षिक लेखों के नोट 7.1 के अनुसार, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान (पीबीडीडी) खाते के अंतर्गत अथ शेष ₹ 144.16 करोड़ था और वर्ष के दौरान निर्धारिती ने ₹ 47.08 करोड़ के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान (पीबीडीडी) बनाया था, जिसे लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अंतः शेष ₹ 191.24 करोड़ था। इसके अलावा, लेखों के नोट 14 के अनुसार, अशोध्य ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान के रूप में ऋणों और अग्रिमों (ऋण परिसंपत्तियों) से ₹ 185.18 करोड़ की राशि हटा दी गई।

निर्धारण वर्ष 2016-17 के संशोधित रिटर्न के अनुसार, विजया बैंक बनाम सीआईटी (2010) 323 आयकर विभाग 166(एससी) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, 'अप्रयोज्य परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान' एवं 'अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान' को 'ऋण परिसंपत्तियों' से कम कर दिया गया था, जिसमें तुलन पत्र से अप्रयोज्य परिसंपत्तियों को कम करना धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत इसे बट्टे खाते में डालने की अनुमति के लिए एक पर्याप्त शर्त है। यद्यपि, निर्धारिती ने अशोध्य ऋणों/अग्रिमों के प्रावधान के अंतर्गत ₹ 191.24 करोड़ की उपलब्ध शेष राशि के स्थान पर केवल ₹ 185.18 करोड़ की राशि को ही हटाया था। इस प्रकार, ₹ 6.06 करोड़ की अंतर राशि को प्रावधान के रूप में अनुमत किया जाना आवश्यक था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 6.06 करोड़ का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.10 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

---

[96] ₹ 156.58 करोड़ + ₹ 120.63 करोड़

यह मुद्दा मई 2022 में डीसीआईटी 11(1) कोलकाता के संज्ञान में लाया गया था। नवंबर 2024 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद, डीसीआईटी 11(1) कोलकाता का उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025) है।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.3.7 धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान की अतिरिक्त छूट

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने ₹ 0.56 करोड़ के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए निर्धारण वर्ष 2014-15 में लाभ एवं हानि खाते में डेबिट करके प्रावधान बनाया था। आय की गणना में, निर्धारिती ने ₹ 0.56 करोड़ की राशि को वापस परिवर्धित कर दिया, लेकिन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के रूप में ₹ 2.56 करोड़ का दावा किया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आगे बढ़ाकर ₹ 3.97 करोड़ कर दिया गया और धारा 143(3) के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारण के दौरान इसे अनुमति दी गई।

चूंकि अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान (पीबीडीडी) को ₹ 3.97 करोड़ की अनुमति दी गई थी, जो कि बही लेखों में बनाए गए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान (पीबीडीडी) अर्थात ₹ 0.57 करोड़ से अधिक थी, इसलिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती को ₹ 0.57 करोड़ तक सीमित किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप निर्धारिती की आय ₹ 3.40 करोड़ का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.57 करोड़ का कम कर वसूला गया।

यह मुद्दा अप्रैल 2022 में डीसीआईटी 11(1) कोलकाता के संज्ञान में लाया गया था। अनुस्मारक (नवंबर 2024) जारी होने के बावजूद डीसीआईटी 11(1) कोलकाता का उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025) है।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025) है।

5.4.3.8 धारा 10(35) के अंतर्गत प्रायोजित न्यास से प्राप्त लाभांश पर छूट प्रदान करते समय असंगत निर्धारण

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(35ए) के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतिकरण न्यास से प्राप्त वितरित आय के रूप में धारा 115टीए[97] में निर्दिष्ट किसी भी आय को, जो उक्त न्यास का निवेशक है, उस पूर्व वर्ष की कुल आय की गणना में छूट दी जाएगी।

[97] अधिनियम की धारा 115टीए के अनुसार, अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में निहित किसी बात के होते हुए भी, किसी प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा किसी निवेशक को वितरित की गई कोई भी आय, वितरित आय पर अतिरिक्त आयकर प्रभारित करने के लिए उत्तरदायी होगी, जो क. 25 *प्रतिशत* की दर से होगी, यदि ऐसी आय किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को दी जाती है, या ख. 30 *प्रतिशत* की दर से होगी, यदि ऐसी वितरित आय किसी व्यक्ति या एचयूएफ के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दी जाती है।

निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए आय की गणना में धारा 10(34)[98]/10(35) के अंतर्गत छूट के रूप में ₹ 3.04 करोड़ की राशि का दावा किया। लाभ-हानि खातों (अनुसूची 22) के अनुसार, निर्धारिती को केवल ₹ 0.62 करोड़ 'लाभांश' के रूप में प्राप्त हुए। निर्धारिती द्वारा निर्धारण अधिकारी (एओ) को अगस्त 2017 को प्रस्तुत किए गए विवरण में, निर्धारिती ने स्वीकार किया कि उसे एस3 ग्रोथ न्यास से ₹ 2.43 करोड़ प्राप्त हुए।

निर्धारण के दौरान निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और प्रस्तुतिकरण के नोट्स के अनुसार, कंपनी एस3 ग्रोथ न्यास की एकमात्र लाभार्थी थी और कंपनी को न्यास से पिछले वर्ष के दौरान ₹ 2.43 करोड़ प्राप्त हुए थे, जो न्यास द्वारा लाभांश आय के रूप में अर्जित किए गए थे। कंपनी द्वारा इसे लाभांश आय के रूप में दावा किया गया था, जो अधिनियम की धारा 10(35)[99] के अंतर्गत छूट प्राप्त है।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीआईटी बनाम श्रीमती कमलिनी खटाऊ[100] के मामले में यह माना कि विभाग के पास विवेकाधीन न्यास के न्यासी या लाभार्थियों से ऐसी आय के संबंध में कर का निर्धारण करने और वसूलने का विकल्प है, जिसे न्यास के लाभार्थी द्वारा वितरित और प्राप्त किया गया है। वर्तमान मामले में, लाभार्थी अर्थात् निर्धारिती कंपनी ने लाभार्थी की क्षमता में न्यास से आय प्राप्त की थी। लाभांश आय, जो न्यास के पास करमुक्त होती है, जब लाभार्थी निर्धारिती को दी जाती है तो वह कर योग्य आय का स्वरूप ले लेती है। इसलिए, कर से मुक्त लाभांश आय के रूप में निर्धारिती द्वारा दर्शाई गई ₹ 2.43 करोड़ की आय को निर्धारिती की कुल आय की गणना के लिए कर योग्य आय माना जाना चाहिए था।

यद्यपि, निर्धारण अधिकारी ने किसी अन्य निर्धारिती को अंतरित लाभांश आय को कर योग्य आय नहीं माना, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.43 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिस पर ₹ 0.82 करोड़ का कर प्रभाव पड़ा।

---

[98] अधिनियम की धारा 10(34) के अनुसार, किसी शेयरधारक द्वारा किसी निर्दिष्ट निवेश से अर्जित आय कर से मुक्त है।

[99] अधिनियम की धारा 10(35) के अनुसार, किसी भी म्यूचुअल फंड की योजनाओं के अंतर्गत निवेशकों द्वारा प्राप्त आय प्राप्तकर्ता यूनिट धारकों की आयकर से मुक्त है।

[100] 74 टैक्समैन 392(एससी)(1994) निर्धारिती कुछ न्यासों का लाभार्थी था और उसे कुछ राशियाँ प्राप्त हुईं, जिनके बारे में उसने दावा किया कि वे उसके पास कर देय नहीं हैं। आयकर विभाग ने इस तर्क को खारिज कर दिया और निर्धारिती के पास मौजूद राशि का निर्धारण किया। न्यायाधिकरण ने निर्धारिती के पक्ष में फैसला सुनाया और उच्च न्यायालय ने अधिकरण के आदेश की पुष्टि की। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि राजस्व विभाग के पास विवेकाधिकार न्यास के न्यासी या लाभार्थियों में से किसी एक से ऐसी आय के संबंध में कर का निर्धारण और वसूली करने का विकल्प है, जो न्यास के लाभार्थी द्वारा वितरित और प्राप्त की गई हो।

यह मामला अप्रैल 2022 में डीसीआईटी 11(1) कोलकाता के संज्ञान में लाया गया था। नवंबर 2024 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद, डीसीआईटी 11(1) कोलकाता से प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.4 एच10 के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण

एच10 की स्थापना 2007 में हुई थी और इसका निर्धारण पीसीआईटी-1 अहमदाबाद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया जाता है। यह कंपनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया गया है। एक एनबीएफसी के रूप में, यह विभिन्न वित्तीय उत्पादों के विपणन और प्रचार के अलावा वित्तपोषण, संग्रह और बीमा सेवाओं में भी संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए वित्तीय विवरण, निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए निर्धारण के विवरण और एच10 के निर्धारण की लेखापरीक्षा में पाए गए महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

5.4.4.1 एच10 की वित्तीय विशेषताएं

वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एच10 की वित्तीय विशेषताएं नीचे तालिका 5.59 में दी गई हैं।

तालिका 5.59: एच10 की वित्तीय विशेषताएं **(₹ करोड़ में)**

विवरण/ वित्त वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
उधार	14,380.83	20,999.96	25,006.55	18,095.65
उधार पर ब्याज व्यय	14,40.07	2,049.92	2,092.10	3,333.33
ऋण और अग्रिम	24,486.43	32,356.22	43,652.81	54,709.41
ऋण और अग्रिम पर ब्याज आय	30,21.79	4,087.08	5,146.05	6,697.62
कर पूर्व लाभ	831.99	1,058.59	1,464.52	1,724.60
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	53.32	75.73	75.27	120.54
बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण	116.55	224.81	376.66	516.40

स्रोत: संबंधित वित्तीय वर्षों की एच10 की वार्षिक प्रतिवेदन

5.4.4.2 आयकर निर्धारण का विवरण

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक 360-डिग्री विश्लेषण के लिए निर्धारणकर्ता के निर्धारण का चयन किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित सभी वर्षों के लिए आयकर विभाग द्वारा धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण जांच के लिए निर्धारिती के आयकर रिटर्न का चयन किया गया था। निर्धारण वर्ष 2016-17 से निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारिती का निर्धारण विवरण नीचे तालिका 5.60 में दिया गया है:

तालिका 5.60: निर्धारण विवरण							**(₹ करोड़ में)**
क्रमांक संख्या	**निर्धारण वर्ष**	**रिटर्न जमा करने की तिथि**	**वह धारा जिसके अंतर्गत निर्धारण किया गया और निर्धारण की तिथि**	**रिटर्न की गई आय**	**निर्धारित आय**	**परिवर्धन**	**रिटर्न की गई आय के *प्रतिशत* के रूप में परिवर्धन**
1	2016-17	29.03.2018 (संशोधित)	143(3) दिनांकित 19.12.2018	942.41	944.61	2.20	0.23
2	2017-18	29.03.2019 (संशोधित)	143(3) दिनांकित 19.12.2019	1,063.17	1,063.53	0.36	0.03
3	2018-19	30.03.2019 (संशोधित)	143(3) के साथ पठित धारा 144बी दिनांक 23.08.2021	1,544.98	1,545.31	0.33	0.02
4	2019-20	20.06.2020 (संशोधित)	143(3) के साथ पठित धारा 144बी दिनांक 26.09.2021	1,753.92	1,798.55	44.63	2.54
कुल				**5,304.48**	**5,352.00**	**47.52**	

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

संवीक्षा निर्धारण के दौरान किए गए परिवर्धन, रिटर्न की गई आय के 0.02 *प्रतिशत* से 2.54 *प्रतिशत* तक थे।

5.4.4.3 360-डिग्री विश्लेषण में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

लेखापरीक्षा में ₹ 298.88 करोड़ की आय के अनुचित निर्धारण और ₹ 103.80 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित छः निष्कर्ष पाए गए, जिनमें ₹ 298.85 करोड़ की आय के कम निर्धारण और ₹ 103.79 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण से संबंधित चार निष्कर्ष, ₹ 0.03 करोड़ के अधिक निर्धारण और ₹ 0.01 करोड़ के कर की अधिक उद्ग्रहण से संबंधित एक निष्कर्ष और आयकर रिटर्न में अशोध्य ऋणों की वसूली उजागर न करने से संबंधित एक प्रणालीगत कमी सम्मिलित है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सारांश नीचे तालिका 5.61 में दिया गया है:

तालिका 5.61: एच10 के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	अनियमितता का सार	अल्प निर्धारण	अति निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	2017-18; 2018-19; 2019-20	एनबीएफसी के संबंध में धारा 43डी के अंतर्गत एनपीए पर ब्याज का कर प्रशोधन - प्रोद्भवन पद्धति के अंतर्गत गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर ब्याज न वसूलना	242.03	---	83.78 [अल्प प्रभार]	विभाग ने समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान उत्तर दिया कि मामले की अग्रेत्तर जांच की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत सूचना प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	2017-18	संशोधित रिटर्न जमा करते समय प्रपत्र 3सीडी में संशोधन न करना	32.75	---	11.34 [अल्प प्रभार]	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
3	2018-19	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के अथशेष का अनुचित समायोजन धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत कटौती की अनुचित अनुमति के परिणामस्वरूप हुआ।	---	0.03	0.01 [अधि प्रभार]	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
4	2016-17; 2017-18; 2018-19; 2019-20	आयकर रिटर्न में अशोध्य ऋणों की वसूली का अप्रकटीकरण	---	---	---	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
5	2018-19	लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई राशि से अधिक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की अनुमति	9.86	---	3.74 [अधि प्रभार	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
6	2016-17; 2017-18; 2018-19; 2019-20	संबंधित पक्ष संव्यवहार : सहायक कंपनी (निर्धारिती) द्वारा नियंत्रक कंपनी (एच4) को भुगतान किया गया किराया, जिस पर उसके आयकर रिटर्न में कर नहीं लगाया गया	14.21	---	4.93 [अल्प प्रभार]	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
		कुल	**298.85**	**0.03**	**103.79**	

कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में संक्षेप में चर्चा की गई है।

5.4.4.4 एनबीएफसी के संबंध में धारा 43डी के अंतर्गत एनपीए पर ब्याज का कर प्रशोधन

आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती एनबीएफसी पर निर्धारण वर्ष 2017-18 से लागू की गई, जबकि धारा 43डी[101] के प्रावधानों को वित्त अधिनियम 2019 द्वारा निर्धारण वर्ष 2020-21 से लागू किया गया। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी आम तौर पर लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का पालन करते हैं; इसलिए, उन्हें राजस्व मान्यता पर आय गणना और प्रकटीकरण मानक - IV (आईसीडीएस-IV) के प्रावधानों के अनुसार, प्रोद्भवन आधार पर ब्याज आय को मान्यता देना आवश्यक है।

यद्यपि, निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 157.05 करोड़ के एनपीए पर ब्याज को मान्यता नहीं दी, जिसमें ₹ 54.35 करोड़ का कर सम्मिलित था, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

बॉक्स 5.20

एच10 के मामले में, पीसीआईटी-1, अहमदाबाद के अंतर्गत, निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए, निर्धारण को अगस्त 2021 में पूर्ण संवीक्षण के अंतर्गत अंतिम रूप दिया गया और आय ₹ 1,545.31 करोड़ निर्धारित की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि निर्धारिती राजस्व प्राप्तियों को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दे रहा था, तथापि वह एनपीए पर ब्याज वास्तविक प्राप्ति के आधार पर दे रहा था। निर्धारिती ने आईसीडीएस-IV के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 157.05 करोड़ के एनपीए पर ब्याज को मान्यता नहीं दी, जिसमें ₹ 54.35 करोड़ का कर सम्मिलित था। इस प्रकार, एनपीए में वृद्धि के संबंध में अर्जित ब्याज पर न तो निर्धारिती द्वारा कर आरोपित किया गया और न ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के दौरान उसे वापस जोड़ा गया।

यह अभ्युक्ति मार्च 2022 में डीसीआईटी 2(2)(1) अहमदाबाद को सूचित किया गया। विभाग ने समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान उत्तर दिया कि मामले की अग्रेतर जांच की आवश्यकता है। इसके अलावा, नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद, अभी भी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

---

[101] आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43डी में, भारतीय रिज़र्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, गैर-निष्पादित ऋणों से प्राप्त ब्याज आय पर कराधान का विशेष प्रावधान है। इस पर कर वसूली के आधार पर या लाभ-हानि विवरण में जमा किए जाने पर, जो भी पहले हो, लगाया जाएगा। यह प्रावधान बैंकों, वित्तीय संस्थानों, एनबीएफसी और एचएफसी की दो श्रेणियों पर लागू है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रोद्भवन आधार पर राजस्व मान्यता पर आईसीडीएस-IV के प्रावधानों के प्रवर्तन के बावजूद न तो एनबीएफसी प्रोद्भवन आधार पर कर के लिए एनपीए पर ब्याज की प्रस्तुति कर रहे थे और न ही इसे निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा वापस परिवर्धित किया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.4.5 धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए कटौती की अतिरिक्त अनुमति

यद्यपि अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की राशि को मौजूदा प्रावधानों के अनुसार लाभ और हानि खाते में डेबिट की जाने वाली सीमा तक सीमित किया जाना चाहिए, लेकिन निर्धारिती को धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए कटौती की अतिरिक्त अनुमति दी गई थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

वर्तमान मामले में, निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारिती का निर्धारण धारा 143(3) के साथ पठित धारा 143बी के अंतर्गत अगस्त 2021 में पूर्ण संवीक्षा के रूप में पूरा किया गया और आय का निर्धारण ₹ 1,545.31 करोड़ किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के कारण कुल आय के पांच *प्रतिशत* पर कटौती का दावा किया था और उसे ₹ 85.13 करोड़ की अनुमति दी गई थी। तथापि, जैसा कि आयकर विभाग और लेखा बहियों से देखा गया, निर्धारिती ने अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान (पीबीडीडी) के रूप में केवल ₹ 75.27 करोड़ ही डेबिट किए थे। इसलिए, सीबीडीटी के निर्देशों के अनुसार, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान (पीबीडीडी) को ₹ 75.27 करोड़ की सीमा तक सीमित किया जाना आवश्यक था। इसके परिणामस्वरूप धारा 234डी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 3.74 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 9.86 करोड़ की अतिरिक्त कटौती हुई।

लेखापरीक्षा ने डीसीआईटी 2(2)(1) अहमदाबाद को फरवरी 2022 में अभ्युक्ति से अवगत कराया। विभाग ने अपने उत्तर (मई 2024) में बताया कि धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई को पीसीआईटी-1 अहमदाबाद (दिसंबर 2023) द्वारा अनुमोदित किया गया था। अनुस्मारक जारी करने के बावजूद (नवंबर 2024, जनवरी 2025) अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.4.6 सहायक कंपनी द्वारा नियंत्रक कंपनी को दिया गया किराया उसके आयकर रिटर्न में कर हेतु गैर-प्रस्तावित

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अनुसार, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, किसी व्यक्ति की, जो निवासी है, किसी भी पिछले वर्ष की कुल आय में किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी आय सम्मिलित होती है जो (क) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से ऐसे वर्ष में भारत में प्राप्त की गई है या प्राप्त की गई मानी जाती है; या (ख) ऐसे वर्ष के दौरान भारत में उसके लिए प्रोद्भूत या उत्पन्न होती है या प्रोद्भूत या उत्पन्न हुई मानी जाती है; या (ग) ऐसे वर्ष के दौरान भारत के बाहर उसके लिए प्रोद्भूत या उत्पन्न होती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि निर्धारिती ने अपने एक संबंधित पक्ष अर्थात एच4 को दिए गए किराए का खुलासा किया था, लेकिन संबंधित पक्ष ने अपने आयकर विभाग में किराये की आय की प्रस्तुति नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.21 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ और ₹ 4.93 करोड़ का कर प्रभाव पड़ा।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2022 और मई 2022 में डीसीआईटी 2(2)(1) अहमदाबाद को अभ्युक्ति से अवगत कराया। नवंबर 2024 और जनवरी 2025 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद, डीसीआईटी का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.5 आई21 के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण

पीसीआईटी-4, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सर्किल 10(1) के अंतर्गत निर्धारित आई21 एक पूर्ण स्वामित्व वाली भारत सरकार की कंपनी है, जिसकी स्थापना जनवरी 2006 में विशेष प्रयोजन इकाई आई21, जिसे सामान्यत: एसआईएफटीआई के रूप में संदर्भित किया जाता है, के माध्यम से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना के माध्यम से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। आई21 सितंबर 2013 से भारतीय रिज़र्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) के साथ एनबीएफसी-एनडी-आईएफसी के रूप में पंजीकृत है और भारतीय रिज़र्व बैंक के लागू विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है। वित्त वर्ष 2015-16 से 2018-19 के लिए वित्तीय विवरण, निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए निर्धारण का विवरण और आई21 के निर्धारण की लेखापरीक्षा में पाई गई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

5.4.5.1 आई21 की वित्तीय विशेषताएँ

आई21 की वित्तीय विशेषताएं, उनके वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक नीचे तालिका 5.62 में दी गई हैं:

तालिका 5.62: आई21 की वित्तीय विशेषताएँ (₹ करोड़ में)

विवरण/वित्तीय वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
उधार	32,161.37	31,570.3	33,608.47	14,402.56
उधार पर ब्याज व्यय	2,660.95	2,204.61	2,130.43	3,618.61
ऋण और अग्रिम	30,698.05	32,462.70	3,085.43	35,136.16
ऋण और अग्रिम पर ब्याज आय	4,210.97	3,695.07	3,500.28	2,347.40
कर पूर्व लाभ	964.53	414.06	-1,027.73	403.88
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	68.83	43.09	-	-
बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण	557.25	658.80	956.55	722.42

स्रोत: वार्षिक प्रतिवेदन

5.4.5.2 आयकर निर्धारण का विवरण

निर्धारण वर्ष 2016-17 से निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए आई21 के निर्धारण को 360-डिग्री विश्लेषण के लिए चुना गया। धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2016-17 से निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए और धारा 143(1) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए पूर्ण संवीक्षा के लिए निर्धारिती की आयकर रिटर्न का चयन किया गया था। निर्धारण वर्ष 2016-17 से निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारिती का निर्धारण विवरण नीचे तालिका 5.63 में दिया गया है:

तालिका 5.63: निर्धारण वर्ष 2016-17 से निर्धारण वर्ष 2019-20 तक आयकर निर्धारण का विवरण (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	रिटर्न की तिथि	रिटर्न की गई आय	निर्धारित आय	परिवर्धन	आय के *प्रतिशत* के रूप में परिवर्धन	वह धारा जिसके अंतर्गत निर्धारण किया गया और निर्धारण की तिथि
1	2016-17	17.10.2016	1,428	1,447.65	19.65	1.38	143(3) दिनांकित 28.12.2018
2	2017-18	17.10.2017	804.10	804.61	0.51	0.06	143(3) दिनांकित 17.12.2019
3	2018-19	04.10.2018	294.61	294.83	0.22	0.07	143(3) दिनांकित 02.09.2021
4	2019-20	31.10.2019	747.58	747.58	0	0	143(1) दिनांकित 20.08.2020
योग			**3,274.29**	**3,294.67**	**20.38**		

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

संवीक्षा निर्धारण के दौरान किए गए परिवर्धन, रिटर्न की गई आय के शून्य से लेकर 1.38 *प्रतिशत* तक थी।

5.4.5.3 360-डिग्री विश्लेषण में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

लेखापरीक्षा में पाँच लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां पाई गईं, जिनमें ₹ 458.20 करोड़ की कम आय का निर्धारण और ₹ 186.21 करोड़ का कम कर आरोपित किया जाना सम्मिलित था। जैसा कि तालिका 5.64 में दर्शाया गया है, सहायक आयकर आयुक्त सर्किल 10(1), दिल्ली ने धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की अधिक अनुमति के लिए निर्धारण वर्ष 2017-18 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्रवाई की, जबकि अनुस्मारक जारी करने (अप्रैल 2023, जून 2023, अप्रैल 2024 और नवंबर 2024) के बावजूद शेष चार अभ्युक्तियों (नवंबर 2025) का उत्तर प्रतीक्षित है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार नीचे तालिका 5.64 में दिया गया है:

तालिका 5.64: आई21 के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	निर्धारण की धारा और तिथि	अनियमितता का सार	कम निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	2016-17	143(3) दिनांकित 28.12.2018	धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की अनुचित अनुमति	15.00	6.91	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
2	2016-17	143(3) दिनांकित 28.12.2018	अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुचित अनुमति	179.80	88.14	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
3	2017-18	143(3) दिनांकित 17.12.2019	अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुचित अनुमति	68.83	23.82	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
4	2018-19	143(3) दिनांकित 02.09.2021	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु कटौती की अधिक अनुमति	182.40	63.13	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
5	2017-18	143(3) दिनांकित 17.12.2019	धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत अतिरिक्त कटौती की अनुमति	12.17	4.21	स्वीकार किया गया और सूचित किया गया (अगस्त 2023)। यह कि धारा 154 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत मई 2023 में सुधारात्मक कार्रवाई की गई।
		कुल		**458.20**	**186.21**	

प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर आगामी अनुच्छेदों में संक्षेप में चर्चा की गई है।

5.4.5.4 धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की कटौती की अतिरिक्त अनुमति

यद्यपि निर्धारण संवीक्षा के अंतर्गत पूरा किया गया था, लेकिन निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा किए गए दावे की सत्यता की जांच नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप कटौती की अधिक अनुमति मिली।

दिल्ली में, प्रधान आयकर आयुक्त-4 प्रभार, मेसर्स आई21 का निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 294.82 करोड़ की आय पर सितंबर 2021 में पूरा हो गया। आयकर अधिनियम की धारा 36(viiए)(सी) के अंतर्गत निर्धारिती को ₹ 208.12 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने लाभ और हानि खाते में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान (पीबीडीडी) के लिए ₹ 208.12 करोड़ की राशि डेबिट की थी। चूंकि निर्धारिती इस खंड और अध्याय VIए के अंतर्गत कोई कटौती करने से पहले गणना की गई कुल आय के पांच *प्रतिशत* की सीमा तक धारा 36(viiए)(सी) के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए अर्ह है, इसलिए निर्धारिती को केवल ₹ 25.71 करोड़ की कटौती की अनुमति थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 182.40 करोड़ का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 63.13 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को मई 2022 में एसीआईटी सर्किल 10(1), दिल्ली को सूचित किया गया था। अप्रैल 2023, जून 2023, अप्रैल 2024 और नवंबर 2024 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.5.5 धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में अथ शेष की कम कटौती के कारण अशोध्य ऋणों की अधिक अनुमति

दिल्ली में, पीसीआईटी-4 प्रभार, निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2018 में ₹ 1,447.65 करोड़ की आय पर पूरा किया गया। सामान्य प्रावधान के अंतर्गत आय की गणना करते समय, विभाग ने धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत ₹ 539.52 करोड़ की राशि के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों को अनुमति दी, जबकि वित्तीय विवरण के अनुसार धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत बनाए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का अथ शेष ₹ 179.80 करोड़ था। इस प्रकार, मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए ₹ 359.72 करोड़ (₹ 539.52 करोड़ - ₹ 179.80 करोड़) की कटौती की अनुमति दी जानी थी। ₹ 359.72 करोड़ की कटौती के स्थान पर ₹ 539.52 करोड़ की

छूट के परिणामस्वरूप ₹ 179.80 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, क्योंकि धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के अतिरिक्त दावे के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 88.14 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को एसीआईटी सर्किल 10(1), दिल्ली को सितंबर 2022 में सूचित किया गया। अप्रैल 2023, जून 2023, अप्रैल 2024 और नवंबर 2024 में अनुस्मारक जारी किए जाने के बावजूद, एसीआईटी का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.5.6 धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए कटौती की अनुचित अनुमति

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत की गई कटौती के दावे को संबंधित निर्धारण वर्ष की वित्तीय लेखाओं में विशेष आरक्षित निधि में अंतरित की गई राशि तक सीमित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक कटौती की अनुमति दी गई। इस मामले में निर्धारिती को धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि के लिए आवश्यकता से अधिक कटौती की अनुमति दी गई, जैसा कि नीचे विवरण में दर्शाया गया है।

बॉक्स 5.21

दिल्ली में निर्धारण वर्ष 2016-17 में मुख्य आयकर आयुक्त-4 के प्रभार में मेसर्स आई21 का निर्धारण दिसंबर 2018 में ₹ 1,447.65 करोड़ की आय पर पूरा किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत दावा की गई ₹ 262.49 करोड़ की कटौती की अनुमति विभाग द्वारा दी गई थी। वित्तीय विवरणों की संवीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि ₹ 247.49 करोड़ की राशि विशेष आरक्षित निधि में अंतरित की गई थी, जिसके अनुसार कटौती को उसी राशि तक प्रतिबंधित किया जाना चाहिए था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹ 15.00 करोड़ (₹ 262.49 करोड़ - ₹ 247.49 करोड़) की अधिक कटौती की अनुमति दी गई, जिसका कर प्रभाव ब्याज सहित ₹ 6.91 करोड़ का रहा।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति मई 2022 में एसीआईटी सर्किल 10(1), दिल्ली को प्रेषित की गई। अनुस्मारक जारी करने (अप्रैल 2023, जून 2023, अप्रैल 2024 और नवंबर 2024) के बावजूद, एसीआईटी से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.6 मेसर्स ए15 का 360-डिग्री विश्लेषण

कंपनी को प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण जमा न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत है और दिसंबर 2014 से इसे 'एनबीएफसी-एमएफआई' के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। निर्धारिती वर्तमान में पीसीआईटी-1, हैदराबाद के अधिकार क्षेत्र में है।

कंपनी भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में महिलाओं की आय-सृजन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से समूहों में संगठित महिलाओं को वित्तीय और अन्य संबंधित सहायता सेवाएं प्रदान करने में संलिप्त है। वित्त वर्ष 2016-17 से 2019-20 का वित्तीय विवरण, निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2018-19 का निर्धारण विवरण एवं मेसर्स ए15 के निर्धारण की लेखापरीक्षा में पाई गई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

5.4.6.1 ए15 की वित्तीय विशेषताएं

वित्त वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए ए15 की वित्तीय विशेषताएं नीचे तालिका 5.65 में दी गई हैं।

तालिका 5.65: वित्तीय विशेषताएँ (₹ करोड़ में)

विवरण/वित्तीय वर्ष	वि.व. 2015-16	वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19	वि.व. 2019-20
दीर्घकालिक उधार	526.36	549.30	497.77	429.94	379.80
उधार पर ब्याज व्यय	75.30	6.46	12.25	10.45	4.98
ऋण व अग्रिम	818.47	1,303.31	1,311.99	1,120.20	774.40
ऋण पर ब्याज आय एवं अग्रिम	71.52	9.72	14.98	14.35	5.08
कर पूर्व लाभ	(-) 42.89	0.15	5.83	2.84	(-)1.02
वर्ष के दौरान अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधान	0	0.06	0.11	0	0
बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण	0.51	1.37	0.12	0	0.02

*(*स्रोत: वित्तीय विवरण और आयकर विभाग अभिलेख)*

5.4.6.2 आयकर निर्धारण का विवरण

मेसर्स ए15 के निर्धारण को निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक 360-डिग्री विश्लेषण के लिए चुना गया। आयकर विभाग द्वारा धारा 143(3) के अंतर्गत निष्पादन लेखापरीक्षा में

सम्मिलित सभी वर्षों में मेसर्स ए15 की आयकर विवरणियों का चयन पूर्ण संवीक्षा के लिए किया गया था; निर्धारण विवरण नीचे तालिका 5.66 में दिया गया है:

तालिका 5.66: निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक का निर्धारण विवरण (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	नि. व.	रिटर्न की तिथि	वह धारा जिसके अंतर्गत निर्धारण किया गया और निर्धारण की तिथि	रिटर्न की गई आय	निर्धारित आय	परिवर्धन	रिटर्न आय के *प्रतिशत* के रूप में परिवर्धन
1	2016-17	31.10.2017 (संशोधित)	143(3) तिथि 18.12.2018	(-13.63)	12.62	26.25	192.60
2	2017-18	31.10.2017	143(3) तिथि 28.12.2019	(-10.80)	(-9.90)	0.90	लागू नहीं
3	2018-19	22.09.2018	143(3) तिथि 26.02.2021	(-9.72)	(-9.72)	0	लागू नहीं
कुल				**(-34.15)**	**12.62 (-19.62)**	**27.15**	**192.60**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

5.4.6.3 360-डिग्री विश्लेषण में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

लेखापरीक्षा में ₹ 313.28 करोड़ की कम आय का निर्धारण और ₹ 108.68 करोड़ के कर प्रभाव से संबंधित चार निष्कर्ष पाए गए, जिनमें से एक निष्कर्ष ₹ 313.28 करोड़ की कम आय का निर्धारण और ₹ 108.68 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण (₹ 0.93 करोड़ का सकारात्मक कर प्रभाव और ₹ 107.75 करोड़ का संभावित कर प्रभाव) सम्मिलित है। डीसीआईटी, सर्किल 1(1), हैदराबाद ने सभी चार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए, केवल निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान कर के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए अशोध्य ऋणों की वसूली से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई पूरी की।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार नीचे तालिका 5.67 में दिया गया है:

तालिका 5.67: लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नि. व.	अनियमितता का सार	कम निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	2017-18	अग्रेनीत हानि की अनुचित अनुमति	295.87	102.39	स्वीकृत (अगस्त 2022)। कृत सुधारात्मक कार्रवाई लंबित (नवंबर 2025)।
2	2017-18	अननुमत प्राप्तियों (एसबीएन) की अनियमित	1.21	0.93	मंत्रालय ने यह कहते हुए स्वीकार किया (नवंबर 2025)

तालिका 5.67: लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण					**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**नि. व.**	**अनियमितता का सार**	**कम निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
		नकद जमा पर कर का गैर-आरोपण			कि त्रुटि को जून 2025 में धारा 154 के अंतर्गत परिशोधित किया गया था।
3	2016-17 से 2018-19	बकाया ऋणों की वसूली पर कर का गैर-आरोपण	14.42	4.77	स्वीकृत एवं सभी निर्धारण वर्षों के लिए धारा 154/263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई नवंबर 2025 में की गई।
4	2018-19	आयकर प्रतिदाय पर प्राप्त ब्याज पर कर का गैर-आरोपण	1.78	0.59	स्वीकृत (अगस्त 2022)। सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
कुल			**313.28**	**108.68**	

5.4.6.4 अग्रेनीत हानि की अनुचित अनुमति

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की हानियों के अग्रनयन की अनुमति देते समय पूर्ववर्ती वर्षों के निर्धारणों की जांच नहीं की, जबकि निर्धारण वर्ष 2016-17 के निर्धारण में हानियों के अग्रनयन को अननुमत किया गया था।

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारिती कंपनी का निर्धारण दिसंबर 2019 में संवीक्षा के बाद पूरा हो गया, जिसमें ₹ 9.90 करोड़ की हानि निर्धारित की गई। लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2017-18 के निर्धारण आदेश में पाया कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा दावा किए गए निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक के ₹ 295.87 करोड़ की व्यावसायिक हानियों के अग्रनयन की अनुमति दी। लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2016-17 (दिसम्बर 2018) में निर्धारण आदेश में आगे पाया कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2015-16 में हानियों के अग्रनयन की अनुमति नहीं दी तथा निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए कुल आय ₹ 12.61 करोड़ निर्धारित की थी। अतः निर्धारण वर्ष 2017-18 में अग्रेनीत करने हेतु कोई हानि नहीं थी। ₹ 295.87 करोड़ की हानियों के अनुचित अग्रनयन के परिणामस्वरूप ₹ 102.39 करोड़ का संभावित कर प्रभाव पड़ा।

यह तथ्य मई 2022 में डीसीआईटी सर्किल 1(1), हैदराबाद के संज्ञान में लाया गया। डीसीआईटी ने इस अभ्युक्ति को अगस्त 2022 में स्वीकार किया। अनुस्मारक जारी करने (जून 2023, अप्रैल 2024) के बावजूद सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.6.5 अननुमत प्राप्तियों (एसबीएन) की अनियमित नकद जमा पर कर का गैर-आरोपण

वित्त मंत्रालय ने नवंबर 2016 में ₹ 500 और ₹1000 के बैंक नोटों, जिन्हें निर्दिष्ट बैंक नोट (एसबीएन) कहा जाता है, की वैध मुद्रा स्थिति को वापस ले लिया। हालांकि, एसबीएन के धारकों को 30 दिसंबर 2016 को या उससे पहले किसी भी बैंक में खोले गए अपने खाते में ऐसे एसबीएन को जमा करने की सुविधा प्रदान की गई थी, ताकि एसबीएन के समतुल्य मूल्य को उन खातों में जमा किया जा सके। सरकार ने आगे यह घोषणा की कि विमुद्रीकरण अवधि के दौरान एसबीएन प्रतिबंधित प्रयोजनों के लिए, जैसे पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां और इसी प्रकार के अन्य स्थानों पर भुगतान हेतु, वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार किए जाते रहेंगे। अतः, उन मामलों को छोड़कर जहाँ एसबीएन बैंकों में जमा किए जाने थे या पेट्रोल पंप जैसे निर्दिष्ट स्थानों पर वस्तुओं अथवा सेवाओं के विनिमय के लिए प्रयुक्त किए जाने थे, अन्य सभी मामलों में ऐसे एसबीएन दिनांक 09.11.2016 से वैध मुद्रा नहीं रह गए थे।

निर्धारण वर्ष 2017-18 में निर्धारिती का निर्धारण दिसंबर 2019 में पूरा किया गया, जिसमें ₹ 9.90 करोड़ की हानि निर्धारित की गई। लेखापरीक्षा ने निर्धारिती के वित्तीय विवरणों के नोट्स में बिंदु 5.4.3 से पाया कि कंपनी ने विमुद्रीकरण अवधि के दौरान बैंक खाते में ₹ 1.20 करोड़ की नकद जमा अननुमेय प्राप्तियों से की थी। अननुमेय प्राप्तियां वे निर्दिष्ट बैंक नोट थीं, जिन्हें कंपनी ने अपने ऋण उधारकर्ताओं से 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 के बीच प्राप्त किया था, और जिन्हें 8 नवंबर 2016 या उससे पहले वितरित किए गए ऋणों से संबंधित देय नियमित ऋण दायित्वों के समायोजन हेतु प्रयोग किया गया था।

चूंकि निर्धारिती एक वित्तीय कंपनी थी जो सहायक सेवाएं प्रदान करती थी, इसलिए वह निर्दिष्ट अधिसूचना के अंतर्गत दी गई छूट का लाभ उठाने के लिए अर्ह नहीं थी। निर्धारिती ने 8 नवंबर 2016 के बाद भी एसबीएन स्वीकार किए और यह मान लिया कि उन्हें बैंक खाते में जमा किया है। इसलिए, ₹ 1.21 करोड़ की अननुमत प्राप्ति को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 68 के अंतर्गत अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट के रूप में कंपनी की कर योग्य आय में परिवर्धित किया जाना आवश्यक था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 0.93 करोड़ की कम मांग हुई।

यह तथ्य मई 2022 में डीसीआईटी सर्किल 1(1), हैदराबाद के संज्ञान में लाया गया। विभाग ने अपने उत्तर में अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (अगस्त 2022)। अनुस्मारक जारी करने (जून 2023, अप्रैल 2024) के बावजूद सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.6.6 अशोध्य ऋण की वसूली को कर के अंतर्गत गैर-सम्मेलन

धारा 41 की उप-धारा (4) में प्रावधान है कि यदि कटौती के रूप में पहले से अनुमत अशोध्य ऋणों से कोई वसूली की जाती है, तो वह व्यवसाय या पेशे से प्राप्त लाभ और प्राप्ति के रूप में कर देय होगी। प्रपत्र 3सीडी के क्रम संख्या 25 में धारा 41(4) के अंतर्गत कर योग्य आय का विवरण दिया गया है।

दो निर्धारितियों अर्थात् मेसर्स ए15, हैदराबाद और मेसर्स एस23, हैदराबाद के मध्य विभाजन और विलय की योजना (अप्रैल 2015) क्रियान्वित की गई, जिसमें उनके व्यवसाय के कुछ हिस्सों को पारस्परिक रूप से अंतरित किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2018-19 के संबंध में, निर्धारिती कंपनी (मेसर्स ए15) को उन ऋणों की वसूली के लिए ₹ 18.09 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जिन्हें पहले अशोध्य ऋणों के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया गया था, जिसमें से ₹ 14.42 करोड़ की राशि आय की गणना में कटौती के रूप में दावा की गई थी। इस राशि पर कर न लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 4.77 करोड़ के कर की कम गणना हुई।

इसी प्रकार, अन्य निर्धारिती मेसर्स एस23 के संबंध में, निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित पिछले वर्ष के दौरान, निर्धारिती को उन ऋणों की वसूली के लिए राशि प्राप्त हुई, जिन्हें पहले अशोध्य ऋणों के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया गया था। ₹ 3.72 करोड़ की वसूली की गई और उसे लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया, तथा आय की गणना में कटौती के रूप में दावा की गई ₹ 0.89 करोड़ की राशि को संवीक्षा निर्धारण के दौरान अननुमत नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.89 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 27.46 लाख के कम कर का उद्ग्रहण हुआ।

निर्धारितियों ने यह प्रस्तुत किया कि उनकी वसूली का एक भाग कटौती के रूप में इसलिए दावा किया गया था क्योंकि यह वसूली पिछले वर्षों में किसी अन्य निर्धारिती द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋणों से संबंधित थी, और निर्धारिती ने इन ऋणों पर किसी कटौती का दावा नहीं

किया था। मेसर्स ए15 ने इस दावे का समर्थन करते हुए कहा कि मेसर्स एस23 द्वारा बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों को पहले ही 100 *प्रतिशत* प्रावधान के विपरीत समायोजित किया जा चुका था, जिसे पिछले निर्धारण वर्षों में आय रिटर्न की गणना में अननुमत कर दिया गया था, और ऋणों को बट्टे खाते में डालते समय मेसर्स एस23 द्वारा किसी कटौती का दावा नहीं किया गया। दोनों निर्धारितियों के मामले में निर्धारितियों के दावे विभाग द्वारा स्वीकार कर लिए गए।

निम्नलिखित कारणों से इन दोनों निर्धारितियों का तर्क स्वीकार्य नहीं है:

(i) एनबीएफसी के लिए मौजूदा प्रावधानों के अनुसार आय की गणना में लाभ और हानि खाते में डेबिट किए गए एनपीए के लिए प्रावधान की अनुमति नहीं है। प्रावधान के विरुद्ध समायोजित बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों को आय की गणना में सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा, लाभ और हानि खाते में अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालना भी स्वीकार्य है। इसलिए, अशोध्य ऋणों की वसूली के बाद, प्राप्त राशि को कर के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(ii) लेखापरीक्षा ने मेसर्स एस23 के आयकर रिटर्न से पाया कि निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए लाभ और हानि खाते में अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिए बड़ी राशि का दावा किया गया था (वित्त वर्ष 2013-14 में ₹ 32.54 करोड़, निर्धारण वर्ष 2014-15 में ₹ 5.73 करोड़)।

(iii) यह तर्क कि वसूले गए अशोध्य ऋण दूसरे निर्धारिती से संबंधित हैं और इसलिए कर देय नहीं हैं, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एक बार अविलयन प्रभावी हो जाने और व्यवसायों के हस्तांतरण के पश्चात, तो दूसरे निर्धारिती द्वारा पहले बट्टे खाते में डाले गए ऋणों से संबंधित की गई वसूली को केवल वर्तमान व्यवसाय धारक की आय के रूप में ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

इन अभ्युक्तियों को मई 2022 में डीसीआईटी सर्किल 1(1), हैदराबाद के संज्ञान में लाया गया। आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए मेसर्स ए15 के मामले में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और निर्धारण वर्ष 2016-17 (मार्च 2023) के लिए धारा 154 के अंतर्गत, निर्धारण वर्ष 2017-18 (मार्च 2023) के लिए धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत और निर्धारण वर्ष 2018-19 (मार्च 2024) के लिए आदेशों के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई पूरी की।

मेसर्स एस23 के मामले में, आयकर अधिकारी (मुख्यालय)1 हैदराबाद ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (नवंबर 2025) तथा त्रुटि को धारा 154 के अंतर्गत परिशोधित किया है।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.6.7 आयकर प्रतिदाय पर प्राप्त ब्याज का कर हेतु अप्रस्तुतिकरण

निर्धारिती का निर्धारण वर्ष 2017-18 का निर्धारण दिसंबर 2019 में पूरा किया गया, जिसमें ₹ 9.90 करोड़ की हानि निर्धारित की गई। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष के दौरान ₹ 1.78 करोड़ की राशि आयकर प्रतिदाय पर ब्याज के रूप में प्राप्त हुई थी, जिसे आय के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.59 करोड़ का संभावित कर प्रभाव पड़ा।

यह तथ्य मई 2022 में डीसीआईटी सर्किल 1(1), हैदराबाद के संज्ञान में लाया गया। विभाग ने अपने उत्तर में अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (अगस्त 2022)। अनुस्मारक जारी करने (जून 2023, अप्रैल 2024) के बावजूद सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.7 मेसर्स एम8 के निर्धारण का 360-डिग्री विश्लेषण

1887 में स्थापित मेसर्स एम8 का निर्धारण पीसीआईटी (सेंट्रल) कोच्चि के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। कंपनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित है। कंपनी 13 नवंबर 2001 से भारतीय रिज़र्व बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक) के साथ पंजीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। कंपनी ऋण प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न है और मुख्य रूप से स्वर्ण ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, लघु एवं मध्यम उद्योग (एसएमई) ऋण, कॉरपोरेट ऋण, सूक्ष्म वित्त, बीमा आदि से संबंधित कार्य करती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए वित्तीय विवरण, निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए निर्धारण के विवरण और मेसर्स एम8 के निर्धारण की लेखापरीक्षा में पाई गई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है।

5.4.7.1 एम8 की वित्तीय विशेषताएं

कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की वित्तीय विशेषताएँ नीचे तालिका 5.68 में दी गई हैं:

तालिका 5.68: मेसर्स एम8 की वित्तीय विशेषताएँ			(₹ करोड़ में)
विवरण/वित्तीय वर्ष	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
उधार ली गई राशि	14,882.27	18,417.47	26,870.59
उधार ली गई राशि पर ब्याज व्यय	974.63	1,378.21	1,867.85
ऋण और अग्रिम	29,506.80	34,932.93	42,604.17
ऋण पर ब्याज आय और अग्रिम	6,202.13	6,757.01	8,564.40
कर पूर्व लाभ	2,844.69	3,076.82	4,057.41
संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	-
बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण	31.64	25.92	59.92

स्रोत: वार्षिक प्रतिवेदन

5.4.7.2 आयकर निर्धारण का विवरण

मेसर्स एम8, एनबीएफसी के निर्धारण को निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक 360-डिग्री विश्लेषण के लिए चुना गया। एम8 समूह के संस्थानों में आयकर विभाग द्वारा शुरू किए गए अन्वेषण अभियान के अनुसरण में, निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक का पुनर्निर्धारण धारा 153ए के अंतर्गत पूरा किया गया तथा निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए संवीक्षा निर्धारण धारा 143(3) के अंतर्गत पूरा किया गया। निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2017-18 के लिए निर्धारिती के संबंध में सकल कारोबार, रिटर्न की तिथि, रिटर्न की गई आय, निर्धारित आय और आयकर विभाग द्वारा की गई मांग जैसे निर्धारण विवरण नीचे तालिका 5.69 में सारणीबद्ध किए गए हैं:

तालिका 5.69: निर्धारण विवरण							(₹ करोड़ में)
क्रम सं.	**नि. व.**	**रिटर्न की तिथि**	**वह धारा जिसके अंतर्गत निर्धारण किया गया और निर्धारण की तिथि**	**रिटर्न की गई आय**	**निर्धारित आय**	**परिवर्धन**	**रिटर्न की गई आय के *प्रतिशत* के रूप में परिवर्धन**
1	2010-11	24.04.2017	147/ 30.11.2017	350.34	374.74	24.4	6.96
2	2011-12	09.03.2017	153ए/ 29.12.2018	792.85	819.93	27.08	3.42
3	2012-13	09.03.2017	153ए/ 29.12.2018	1,363.21	1,430.71	67.5	4.95
4	2013-14	09.03.2017	153ए/ 29.12.2018	1,594.32	1,623.16	28.84	1.81
5	2014-15	09.03.2017	153ए/ 29.12.2018	1,214.22	1,358.09	143.87	11.85
6	2015-16	09.03.2017	153ए/ 29.12.2018	1,087.46	1,113.56	26.1	2.4
7	2016-17	09.03.2017	153ए/ 29.12.2018	1,799.41	1,878.03	78.62	4.37
8	2017-18	30.10.2017	143(3)/ 29.12.2018	1,824.21	1,825.28	1.07	0.06
		योग		**10,026.02**	**10,423.50**	**397.48**	

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

संवीक्षा निर्धारण के दौरान रिटर्न आय में 0.06 *प्रतिशत* से लेकर 11.85 *प्रतिशत* तक का परिवर्धन किया गया।

5.4.7.3 360-डिग्री विश्लेषण में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्ति

लेखापरीक्षा ने आठ निष्कर्ष पाएं, जिनमें से पांच निष्कर्ष ₹ 301.27 करोड़ की कम आय का निर्धारण और ₹ 104.11 करोड़ के कम कर के उद्ग्रहण से संबंधित थे, साथ ही तीन निष्कर्ष प्रणालीगत कमियों के कारण आईटीआर और टीएआर के माध्यम से दर्शाए गए संबंधित पक्ष संव्यवहार में विसंगतियों से संबंधित थे।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार नीचे तालिका 5.70 में दिया गया है:

तालिका 5.70: एम8 के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	नि. व.	निर्धारण की धारा और तिथि	अनियमितता का सार	कम निर्धारण	प्रभावी कर	विभाग का उत्तर
1	2016-17	153ए/ 29.12.2018	मुख्य निर्धारिती द्वारा दी गई दान राशि और संबंधित पक्ष द्वारा दर्शाई गई प्राप्त दान राशि में असंगति – मुख्य निर्धारिती की वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित पक्ष, मेसर्स एम21 को ₹ 14.62 करोड़ का भुगतान किया गया था, जबकि मुख्य निर्धारिती से प्राप्त दान के रूप में संबंधित पक्ष द्वारा केवल ₹ 13.16 करोड़ ही वापस किए गए हैं।	0	0	स्वीकार नहीं किया गया (अक्टूबर 2022)। एसीआईटी सेंट्रल सर्किल 1 कोच्चि ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2022) में कहा कि प्राप्तकर्ता के नाम के उल्लेख में लिपिकीय त्रुटि थी और अंतर राशि वास्तव में एस64 को भुगतान की गई थी। आगे यह भी कहा गया कि एस64 के निर्धारण वर्ष 2016-17 के निर्धारण अभिलेख अग्रेत्तर सत्यापन के लिए मंगवाए गए थे (अप्रैल 2024)। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	2011-12 एवं 2016-17	153ए/ 29.12.2018	संबंधित पक्षों के बीच संव्यवहार में विसंगतियां - दो संबंधित पक्षों द्वारा अन्य संबंधित पक्षों से प्राप्त ब्याज आय पर कर आरोपित नहीं किया गया।	3.09	0.96	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
3	2017-18	143(3) /29.12.2018	अननुमति से संबंधित अन्य मुद्दे - निर्धारण वर्ष 2016-17 के दौरान अन्वेषण कार्यवाही में	291.25	100.77	स्वीकार नहीं किया गया (अक्टूबर 2022)। एसीआईटी सेंट्रल सर्किल 1 कोच्चि ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2022)

तालिका 5.70: एम8 के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नि. व.	निर्धारण की धारा और तिथि	अनियमितता का सार	कम निर्धारण	प्रभावी कर	विभाग का उत्तर
			प्रस्तुत आय का निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान कटौती द्वारा दावा किया गया तथा निर्धारण में उसे अनुमति दी गई।			में केवल निर्धारिती द्वारा निर्धारण वर्ष 2016-17 और निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए जमा रिटर्न का विवरण प्रस्तुत किया। अन्वेषण निर्धारण में प्रदर्शित की गई आय एवं उसके बाद की कटौती के विवरण स्पष्ट नहीं किए गए। प्रत्युत्तर अप्रैल 2024 में जारी किया गया।
4	2017-18	143(3) /29.12.2018	संबंधित पक्षों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक से टीडीएस की कटौती न करने के कारण धारा 40(ए)(iए) के अंतर्गत गैर-अनुमत व्यय - संबंधित पक्षों (निदेशकों) को भुगतान किए गए ₹ 35.80 करोड़ के कुल पारिश्रमिक में से केवल ₹ 19.80 करोड़ पर ही टीडीएस की कटौती की गई थी।	4.80	1.66	स्वीकार नहीं किया गया (अक्टूबर 2022)। एसीआईटी, सेंट्रल सर्किल-1, कोच्चि ने उत्तर (अक्टूबर 2022) में बताया कि संबंधित पक्षों ने यह राशि अगले निर्धारण वर्ष (निर्धारण वर्ष 2018-19) में प्रदर्शित की है तथा टीडीएस की व्यवस्था केवल वास्तविक भुगतान के समय लागू होती है। अतः, निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान धारा 40(ए)(iए) के अंतर्गत प्रावधान लागू नहीं हुआ। *उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूरी राशि पूर्व वर्ष के लाभ-हानि खाते में डेबिट कर दी गई थी और इस प्रकार पूर्व वर्ष में ही ₹35.80 करोड़ पर टीडीएस की कटौती की जानी आवश्यक थी।*
5	2014-15	153ए/ 29.12.2018	कम आय का लेखांकन (आरपीटी) - मुख्य निर्धारिती से प्राप्त ऋण पर ब्याज राशि की संबंधित पक्ष, श्री एम17	2.12	0.72	स्वीकार नहीं किया गया (अक्टूबर 2022)। प्रत्युत्तर जारी किया गया (अप्रैल 2024) जिसमें कहा गया कि एसीआईटी सेंट्रल सर्किल

तालिका 5.70: एम8 के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	नि. व.	निर्धारण की धारा और तिथि	अनियमितता का सार	कम निर्धारण	प्रभावी कर	विभाग का उत्तर
			द्वारा कम लेखांकन किया गया।			(1), एर्नाकुलम द्वारा उनके उत्तर (अक्टूबर 2022) में प्रस्तुत सहायक दस्तावेज (बहीखातों की प्रतिलिपि) लेखांकित राशियों से मेल नहीं खाते। इस संबंध में अग्रेत्तर वांछित प्रासंगिक विवरण अभी भी प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2025)।
6	2015-16	153ए/ 29.12.2018	आय का कम लेखांकन (आरपीटी) - मुख्य निर्धारिती से प्राप्त ऋण पर ब्याज राशि की संबंधित पक्ष श्री एस40 द्वारा कम गणना की गई।	0.01	0	स्वीकार नहीं किया गया (अक्टूबर 2022)।प्रत्युत्तर जारी किया गया (अप्रैल 2024) जिसमें कहा गया कि एसीआईटी सेंट्रल सर्किल (1), एर्नाकुलम द्वारा उनके उत्तर (अक्टूबर 2022) में प्रस्तुत सहायक दस्तावेज (बहीखातों की प्रतिलिपि) पर्याप्त नहीं थे। इस संबंध में अग्रेत्तर वांछित प्रासंगिक विवरण अभी भी प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2025)।
7	2013-14	153ए/ 29.12.2018	आयकर रिटर्न (आईटीआर) और कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रपत्र 3सीए / प्रपत्र 3सीडी) में विसंगतियां पाई गईं - मुख्य निर्धारिती और संबंधित पक्षों के बीच टीडीएस में विसंगति (4 मामले)	0	0	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
8	2013-14 से 2015-16 एवं 2017-18	153ए/ 29.12.2018, 143 (3) /29.12.2018	संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार में विसंगतियां - यद्यपि मुख्य निर्धारिती से ऋण पर ब्याज के रूप में कम राशि प्राप्त हुई,	0	0	स्वीकार नहीं किया गया (अक्टूबर 2022)। प्रत्युत्तर जारी किया गया कि एसीआईटी, सेंट्रल सर्किल-1, एर्नाकुलम द्वारा उनके उत्तर (अक्टूबर 2022) में प्रस्तुत

तालिका 5.70: एम8 के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	नि. व.	निर्धारण की धारा और तिथि	अनियमितता का सार	कम निर्धारण	प्रभावी कर	विभाग का उत्तर
			लेकिन संबंधित पक्षों ने अपने रिटर्न में अधिक राशि का प्रकटीकरण किया (पांच मामले)।			सहायक दस्तावेज़ पर्याप्त नहीं थे। इस संबंध में अग्रेतर वांछित प्रासंगिक विवरण अभी भी प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2025)।
			योग	**301.27**	**104.11**	

कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर आगामी अनुच्छेदों में संक्षेप में चर्चा की गई है।

5.4.7.4 गैर-अनुमत दावे

पीसीआईटी सेंट्रल कोच्चि प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए मेसर्स एम8 का निर्धारण दिसंबर 2018 में ₹ 1,825.28 करोड़ की आय पर पूरा किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 'पिछले वर्षों में अननुमत ब्याज प्रावधान (जिसे अब वापस ले लिया गया है)' के लिए कटौती के रूप में दावा की गई ₹ 291.25 करोड़ की राशि पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष 2016-17 की अन्वेषण कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत आय से संबंधित थी। इसलिए, यह कटौती अनुमेय नहीं थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों निर्धारण एक ही तिथि (29 दिसंबर 2018) को एक ही निर्धारण अधिकारी द्वारा पूरे किए गए थे। विभाग ने अन्वेषण में प्रस्तुत अघोषित आय को एक निर्धारण वर्ष में आय के रूप में प्रशोधित तथा उसी दिन, 29 दिसंबर 2018 को आगामी निर्धारण वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति देने के संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया था। तथ्यात्मक स्थिति की पुष्टि किए बिना निर्धारण वर्ष 2017-18 में कटौती की अनुमति देना उचित नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 291.75 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ और परिणामस्वरूप ₹ 100.77 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति मार्च 2022 में एसीआईटी, सेंट्रल परिक्षेत्र-1, कोच्चि को प्रेषित की गई। एसीआईटी, सेंट्रल सर्किल 1, कोच्चि ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2022) में केवल निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए निर्धारिती द्वारा जमा रिटर्न का विवरण प्रस्तुत किया। अन्वेषण निर्धारण में प्रदर्शित आय तथा उसके पश्चात की गई कटौती से संबंधित विवरण स्पष्ट नहीं किए गए हैं। अनुस्मारक (अप्रैल 2024) जारी किए जाने के बावजूद अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2016-17 की अन्वेषण कार्यवाही के दौरान निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत आय को निर्धारण वर्ष 2017-18 में कटौती के रूप में अनियमित रूप से अनुमति दी गई थी।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.7.5 संबंधित पक्षों को दिए गए पारिश्रमिक से टीडीएस की कम कटौती

धारा 40(ए) के खंड (iए) में प्रावधान है कि निवासी को देय किसी भी राशि, जिस पर अध्याय XVII-बी के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई है, का 30 *प्रतिशत* अननुमत कर दिया जाएगा।

प्रधान आयकर आयुक्त सेंट्रल कोच्चि में, मुख्य निर्धारिती मेसर्स एम8 ने निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर जमा किया, जिसमें कुल आय ₹ 1,824.21 करोड़ (अक्टूबर 2017) घोषित की गई और धारा 143(3) के अंतर्गत नियमित निर्धारण ₹ 1,825.28 करोड़ की आय पर पूरा हुआ (दिसंबर 2018)। चार संबंधित पक्षों अर्थात कंपनी के प्रबंध निदेशकों/निदेशकों ने जुलाई 2017 में निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए अपनी आय का रिटर्न जमा किया। मुख्य निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित पूर्व वर्ष के दौरान अपने प्रत्येक चार संबद्ध पक्षों को ₹ 8.80 करोड़ के पारिश्रमिक के रूप में कुल ₹ 35.20 करोड़ की राशि लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में दर्ज की। यद्यपि, कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए संबंधित पक्षों के कर अभिलेखों से पता चला कि उन्होंने प्रत्येक ₹ 4.80 करोड़ की रिपोर्ट की थी, जो कुल मिलाकर केवल ₹ 19.20 करोड़ थी। इसके अलावा, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए संबंधित पक्षों के प्रपत्र 26एएस के विवरण से पता चला कि उन्हें मेसर्स एम8 से पारिश्रमिक के रूप में प्रत्येक को ₹ 4.80 करोड़ प्राप्त हुए थे, और टीडीएस केवल उक्त राशि से ही काटा गया था। मुख्य निर्धारिती के प्रपत्र 3 सीडी के खंड 23 में, इन संबंधित पक्षों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक ₹ 8.80 करोड़ बताया गया था जबकि लेखा संख्या 32 पर नोट के खंड (ई) के अनुसार (पृष्ठ संख्या 171 देखें), इन चार संबंधित पक्षों को देय पारिश्रमिक प्रत्येक को ₹ 4.00 करोड़ दिखाया गया था। इस प्रकार, ₹ 35.20 करोड़ के कुल दावे में से, मुख्य निर्धारिती ने केवल ₹ 19.20 करोड़ पर ही टीडीएस काटा था, तथा इस राशि पर से टीडीएस काटा गया था। चूंकि मुख्य निर्धारिती ने लाभ और हानि खाते में डेबिट करके ₹ 35.20 करोड़ की पूरी राशि की कटौती का लाभ उठाया था, इसलिए पूरी राशि पर टीडीएस की कटौती की जानी थी।

धारा 40(ए)(iए) के अंतर्गत ₹ 16.00 करोड़ की अंतर राशि पर टीडीएस की कटौती न करना, अर्थात ₹ 16.00 करोड़ का 30 *प्रतिशत* अर्थात ₹ 4.80 करोड़ की राशि, अनुमेय थी, जिसका कर प्रभाव ₹ 1.66 करोड़ था।

यह अभ्युक्ति जून 2022 में एसीआईटी सेंट्रल सर्किल 1, कोच्चि को प्रेषित की गई। एसीआईटी सेंट्रल सर्किल 1, एर्नाकुलम ने अपने उत्तर में अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया (अक्टूबर 2022), यह प्रस्तुत किया कि संबंधित पक्षों ने उक्त राशि को अगले निर्धारण वर्ष (नि.व. 2018-19) में प्रदर्शित किया था तथा टीडीएस का प्रावधान निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान लागू हुआ था। डीसीआईटी, सेंट्रल सर्किल 1, कोच्चि को एक प्रत्युत्तर जारी किया गया (अप्रैल 2024), जिसमें कहा गया कि उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पूरी राशि पिछले वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में डेबिट कर दी गई थी; इस प्रकार, पिछले वर्ष में ही ₹35.20 करोड़ पर टीडीएस लगाया जाना था।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.7.6 संबंधित पक्ष संव्यवहार में पाई गईं विसंगतियां

5.4.7.6.1 आय का अल्प लेखांकन

लेखापरीक्षा में मुख्य निर्धारिती और उसके संबंधित पक्षों द्वारा भुगतान की गई राशि के बीच विसंगति पाई गई, जिसकी जांच निर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निर्धारण अधिकारियों द्वारा की जानी आवश्यक थी।

विवरण नीचे तालिका 5.71 में दिया गया है:

तालिका 5.71: आय का अल्प लेखांकन (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य निर्धारिती का नाम	संबंधित पक्ष का नाम	नि. व.	संव्यवहार की प्रकृति	(मुख्य निर्धारित) द्वारा भुगतान की गई आय	कर योग्य आय (संबंधित पक्ष)	अंतर	प्रभावी कर	विभाग का उत्तर
1	एम8	श्री एम17 (अध्यक्ष) (एएडीटीएम6472एच)	2014-15	ऋण पर ब्याज	7.96	5.83	2.12	0.72	स्वीकार नहीं किया गया (अक्टूबर 2022)। प्रत्युत्तर जारी किया गया (अप्रैल 2024) जिसमें कहा गया कि उत्तर (अक्टूबर 2022) के साथ
2	एम8	एस39 (निदेशक)	2015-16	ऋण पर ब्याज	7.73	7.72	0.01	0.00	

तालिका 5.71: आय का अल्प लेखांकन **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	मुख्य निर्धारिती का नाम	संबंधित पक्ष का नाम	नि. व.	संव्यवहार की प्रकृति	(मुख्य निर्धारित) द्वारा भुगतान की गई आय	कर योग्य आय (संबंधित पक्ष)	अंतर	प्रभावी कर	विभाग का उत्तर
									प्रस्तुत सहायक दस्तावेज़ (बहीखातों की प्रति) लेखा में दर्ज राशि से मेल नहीं खाते। इस संबंध में वांछित अन्य प्रासंगिक विवरण अभी भी प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2025)।
	कुल				15.96	13.55	2.13	0.72	

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने मुख्य निर्धारिती की खाता-बही तथा संबंधित पक्ष की खाता-बही के अनुसार संव्यवहार के विवरण की जांच नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह अभ्युक्ति जून 2022 में एसीआईटी सेंट्रल सर्किल 1, कोच्चि के समक्ष प्रस्तुत की गई। एसीआईटी सेंट्रल परिक्षेत्र (1), एर्नाकुलम ने अक्टूबर 2022 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया, जिसमें कहा गया कि कोई विसंगतियां नहीं पाई गई। अप्रैल 2024 में एक प्रत्युत्तर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि एसीआईटी सेंट्रल सर्किल (1), एर्नाकुलम द्वारा अक्टूबर 2022 के अपने उत्तर में प्रस्तुत सहायक दस्तावेज (बहीखातों की प्रतिलिपि) पर्याप्त नहीं थे। इस संबंध में अग्रेतर वांछित प्रासंगिक विवरण अभी भी प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2025)।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.7.6.2 संबंधित पक्षों द्वारा किए गए संव्यवहार में अन्य विसंगतियां

वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक निर्धारण वर्षों से संबंधित वार्षिक वर्षों के दौरान निर्धारिती के संबंधित पक्ष संव्यवहार (आरपीटी) की संवीक्षा करते समय, दो मामलों में अन्य संबंधित पक्षों के बीच संव्यवहार में ब्याज का कम/ गैर लेखांकन जैसी विसंगतियां पाई गईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

(1) पीसीआईटी, सेंट्रल कोच्चि में, एनबीएफसी मेसर्स एम8 के निदेशकों में से एक, श्री जी7 ने 24 सितंबर 2011 को निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए अपनी आय का रिटर्न जमा किया, जिसमें कुल ₹ 8.37 करोड़ की आय घोषित की गई। धारा 143(3) के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारण 28 मार्च 2014 को पूरा हुआ, जिससे आय ₹12.14 करोड़ निर्धारित हुई। बाद में, 6 मार्च 2015 को धारा 154 के अंतर्गत इस राशि को संशोधित किया गया, जिससे कुल आय ₹ 14.98 करोड़ हो गई। इसके बाद, आयकर विभाग द्वारा 5 अगस्त 2016 को एम8 के व्यावसायिक परिसरों और इसके निदेशकों के आवासों पर धारा 132 के अंतर्गत अन्वेषण अभियान चलाया गया। अन्वेषण अभियान के आधार पर, श्री जी7 के मामले में निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए धारा 153ए के अंतर्गत 28 दिसंबर 2018 को निर्धारण पूरा किया गया। धारा 153ए के अंतर्गत पुनर्निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, धारा 154 के अंतर्गत निर्धारित ₹ 14.98 करोड़ की कुल आय के बजाय, नियमित निर्धारण में निर्धारित ₹ 12.14 करोड़ की आय को ध्यान में रखा गया। ₹ 2.84 करोड़ की आय के कम निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 0.88 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(2) पीसीआईटी, सेंट्रल कोच्चि में, एनबीएफसी, मेसर्स एम8 के अध्यक्ष श्री एम17 ने 27/07/2016 को निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न जमा किया, जिसमें कुल ₹ 12.99 करोड़ की आय घोषित की गई। इसके बाद, 5 अगस्त 2016 को एम8 के व्यावसायिक परिसर और उसके निदेशकों के आवासों पर धारा 132 के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा अन्वेषण अभियान चलाया गया। अन्वेषण अभियान के आधार पर, श्री एम17 के मामले में निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए धारा 153ए के अंतर्गत 30 नवंबर 2018 को निर्धारण पूरा कर लिया गया, जिसमें निर्धारिती द्वारा लौटाई गई आय को स्वीकार कर लिया गया। श्री एम17 के निर्धारण वर्ष 2016-17 के प्रपत्र 26एएस की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि निर्धारिती को मेसर्स एम23 से ब्याज के रूप में ₹0.25 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। कुल आय की गणना के विवरण की अनुसूची 7 के अनुसार, ₹0.03 करोड़ के उपरोक्त भुगतान से काटे गए टीडीएस को निर्धारण वर्ष 2016-17 के दौरान क्रेडिट के रूप में लिया गया। हालाँकि, ₹ 0.25 करोड़ की ब्याज प्राप्तियों को 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा गणना की गई कुल ब्याज प्राप्तियों में सम्मिलित नहीं किया गया था। ₹ 0.25 करोड़ की आय के कम लेखाकरण के परिणामस्वरूप ₹ 0.09 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसके परिणामस्वरूप दोनों मामलों में कुल ₹ 3.09 करोड़ (2.84 + 0.25) का कम निर्धारण हुआ, जिससे राजस्व पर ₹ 0.96 करोड़ का प्रभाव पड़ा।

ये अभ्युक्तियां जून 2022 में एसीआईटी सेंट्रल सर्किल 1, कोच्चि को भेजी गईं। अप्रैल 2024 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद, विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.4.7.7 सम्बद्ध पक्ष संव्यवहार में गैर-मिलान

लेखापरीक्षा ने प्रपत्र 3सीडी प्रतिवेदन में दर्शाई गई राशियों और संबंधित पक्षों के खातों और गणना विवरणों में दर्शाई गई राशियों के बीच विसंगति पाई, जैसा कि नीचे तालिका 5.72 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका 5.72: संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार में विसंगतियां **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	मुख्य निर्धारिती का पीसीआईटी प्रभार	नि. व.	संबंधित पक्ष का नाम	संव्यवहार की प्रकृति	मुख्य निर्धारिती द्वारा प्रपत्र 3सीडी के अनुसार भुगतान की गई राशि	खातों/गणना विवरण के अनुसार संबंधित पक्ष द्वारा कर के लिए प्रस्तुत आय।	विभाग का उत्तर
1	पीसीआईटी सेंट्रल कोच्चि	2014-15	जी8	ऋण पर ब्याज	5.70	8.03	स्वीकार नहीं किया गया (अक्टूबर 2022)।
2	पीसीआईटी सेंट्रल कोच्चि	2017-18	जी7	ऋण पर ब्याज	8.03	8.49	प्रत्युत्तर जारी किया गया (अप्रैल 2024) जिसमें कहा गया कि उत्तर (अक्टूबर 2022) के साथ प्रस्तुत सहायक दस्तावेज़ (बहीखातों की प्रति) लेखा में दर्ज राशि से मेल नहीं खाते। इस संबंध में वांछित अन्य प्रासंगिक विवरण अभी भी प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2025)।
3	पीसीआईटी सेंट्रल कोच्चि	2015-16	जी7	ऋण पर ब्याज	7.71	7.72	
4	पीसीआईटी सेंट्रल कोच्चि	2017-18	एम17	ऋण पर ब्याज	6.50	6.57	
5	पीसीआईटी सेंट्रल कोच्चि	2015-16	एम17	ऋण पर ब्याज	7.20	7.27	
कुल					**35.14**	**38.08**	

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

निर्धारण अधिकारी ने मुख्य निर्धारिती के अभिलेख के अनुसार संव्यवहार के विवरण की संबंधित पक्षों के अभिलेख के साथ तुलना नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप कर का कम उद्ग्रहण हुआ। निर्धारण अधिकारी मुख्य निर्धारिती द्वारा संबंधित पक्षों को किए गए भुगतानों की सूचना संबंधित क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारी के साथ साझा नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप सत्यापन नहीं हो पाता और आय निर्धारण से बचाव हो जाता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

ये अभ्युक्तियां जून 2022 में एसीआईटी सेंट्रल सर्किल 1, कोच्चि को भेजी गईं। एसीआईटी सेंट्रल सर्किल (1), एर्नाकुलम ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया है (अक्टूबर 2022) कि इनमें कोई विसंगतियां नहीं थीं। एक प्रत्युत्तर जारी किया गया (अप्रैल 2024) जिसमें कहा गया कि एसीआईटी सेंट्रल सर्किल (1), एर्नाकुलम द्वारा अपने उत्तर (अक्टूबर 2022) में प्रस्तुत सहायक दस्तावेज़ (बहीखातों की प्रतिलिपि) पर्याप्त नहीं थे। इस संबंध में वांछित अन्य प्रासंगिक सूचनाएं अनुस्मारक (अप्रैल 2024) जारी किए जाने के बावजूद अब तक (नवंबर 2025) प्रतीक्षित हैं।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुशंसा:

सीबीडीटी उन महत्वपूर्ण मूल्य के शेष संबंधित-पक्ष संव्यवहारों की समीक्षा करे, जिनकी जांच नहीं की गई थी, क्योंकि लेखापरीक्षा जांच 360-डिग्री विश्लेषण के लिए चयनित नमूने में आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों तक सीमित थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि अनुशंसा की संवीक्षा की जा रही है।

चूंकि अनुशंसा परीक्षाधीन है, अतः लेखापरीक्षा मे इस संबंध में प्रगति प्रतीक्षित रहेगी।

5.5 अनुपालन मुद्दे और अन्य अनियमितताएं

5.5.1 धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की अनुचित अनुमति

5.5.1.1 अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण खाते के प्रावधान में उपलब्ध अथ शेष को उचित रूप से समायोजित किए बिना बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनियमित अनुमति दी गई

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग के पास पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत कटौती की राशि के संवीक्षण के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं है। यह राशि लेखाबही का हिस्सा नहीं है। विभाग मुख्यतः उस राशि पर विश्वास करता है जो निर्धारिती अपनी रिटर्न में घोषित करता है। समस्या तब और जटिल हो जाती है जब धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत राशि को अक्सर परिशोधन, अपील प्रभाव आदि के कारण संशोधित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कुल आय की पुनः गणना करनी पड़ती है। ऐसे मामलों में, अग्रगामी वर्ष में अनुमत अशोध्य ऋणों

की राशि को भी अद्यतन किया जाना चाहिए। इसलिए, अग्रगामी वर्ष में अनुमत्य अशोध्य ऋणों की राशि का निर्धारण करने में अशुद्धि और अननुपालन की संभावना रहती है।

बैंकों के 172 और एनबीएफसी के 456 मामलों में, जिन्होंने अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का लाभ उठाया था, लेखापरीक्षा ने 80 मामलों में पाया कि कर निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2019-20 के लिए निर्धारण के दौरान अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में उपलब्ध अथ शेष राशि को समायोजित किए बिना ही अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति दी गई थी। विवरण नीचे ***अनुलग्नक 5.1*** और तालिका 5.73 में दिए गए हैं।

तालिका 5.73: धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान में उपलब्ध अथ शेष को उचित रूप से समायोजित किए बिना कटौती की अनियमित अनुमति **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	क्षेत्र	बैंक/ एनबीएफसी	मामलों की संख्या	अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि	अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि	आय का अल्पनिर्धारण	आय का अधिक निर्धारण	प्रभावी कर
1	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	5	112,784.59	74,349.98	38,434.61	---	13,898.07
		एनबीएफसी	8	2,110.76	1,650.44	460.32	---	160.13
		निजी बैंक	10	44,571.12	43,492.35	1,078.77	---	375.29
2	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	5	14,735.52	10,149.53	4,585.99	---	1,559.81
		एनबीएफसी	5	1,255.42	985.92	269.5	---	119.26
3	कोलकाता	निजी बैंक	3	359.67	125.82	233.85	---	81.59
		सार्वजनिक बैंक	7	21,124.51	7,611.89	13,512.65	---	5,353.32
		विदेशी बैंक	1	113.59	110.52	3.07	---	1.33
		एनबीएफसी	1	1.98	1.69	0.29	---	0.10
4	चेन्नई	निजी बैंक	10	3,255.95	2,567.59	688.36	---	238.53
			4	450.47	820.25	----	369.78	127.28
		सार्वजनिक बैंक	7	15,145.96	6,763.55	8,382.41	---	2,881.99
			2	3,903.90	9,378.13	----	5,474.23	1351.06
		एनबीएफसी	5	1,260.92	1,188.26	72.66	---	25.15
5	केरल	निजी बैंक	2	529.07	170.80	358.27	---	123.72
6	अहमदाबाद	एनबीएफसी	2	323.56	325.75	----	2.19	0.77
7	जयपुर	एनबीएफसी	2	41.21	0	41.21	---	16.49
8	बेंगलुरु	एनबीएफसी	1	5.54	0	5.54	---	1.94
योग			**80**	**2,21,973.74**	**1,59,692.47**	**68,127.50**	**5,846.2**	**26,315.83**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख *(अनुलग्नक 5.1 देखें)*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान पूर्ण किए गए निर्धारण में ₹ 26,315.83 करोड़ के कर प्रभाव वाले बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए ₹ 68,127.50 करोड़ की अधिक कटौती और ₹ 5,846.20 करोड़ की कम कटौती की अनुमति दी, जो पूर्ववर्ती वर्षों में धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए अनुमत कटौती के उचित अभिलेख के संरक्षित न करने के कारण हुआ। इस अध्याय में 'निर्धारण के 360-डिग्री विश्लेषण' के अंतर्गत महत्वपूर्ण अनियमितताओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। नीचे तीन अन्य मामलों का उदाहरण दिया गया है।

बॉक्स 5.22: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते में अथ ऋण शेष के समायोजन के बिना अशोध्य ऋणों की अनुमति

(क) प्रभार: पीसीआईटी-6 मुंबई
निर्धारिती: मेसर्स एल4
नि.व.: 2016-17

दिसंबर 2018 में धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण संवीक्षा के बाद निर्धारिती का निर्धारण पूरा किया गया। कर योग्य आय की गणना करते समय, यह पाया गया कि निर्धारिती ने ₹ 49.36 करोड़ के अथ ऋण शेष को कम किए बिना अशोध्य ऋणों के लिए ₹ 119.45 करोड़ की कटौती का दावा किया था, जिसे संवीक्षा निर्धारण के दौरान अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 49.36 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.08 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण हुआ।

जनवरी 2021 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को डीसीआईटी 14(1)(1) मुंबई के संज्ञान में लाया गया। अप्रैल 2024 और नवंबर 2024 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद डीसीआईटी 14(1)(1) का उत्तर प्रतीक्षित है।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी-3 मुंबई
निर्धारिती: मेसर्स एस10
नि.व.: 2019-20

आयकर अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत अप्रैल 2021 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 1,658.77 करोड़ की आय पर निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण अधिकारी ने बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए ₹ 221.89 करोड़ की कटौती की अनुमति देते हुए, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत

कटौती के ₹ 87.32 करोड़ के आदि क्रेडिट शेष को कम नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 87.32 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ और ₹ 30.51 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण हुआ।

मार्च 2022 में यह मामला डीसीआईटी 3(3)(1), मुंबई के संज्ञान में लाया गया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (जून 2025) करते हुए सूचित किया कि आयकर अधिनियम की धारा 148ए(1) के अंतर्गत नोटिस जारी कर सुधारात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी-1, चेन्नई

निर्धारिती: मेसर्स ए13

नि.व.: 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19

निर्धारिती ने धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती के रूप में निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए कुल ₹ 21,488.25 करोड़ का दावा किया था। आय के प्रासंगिक विवरणों के अनुसार, ग्रामीण ऋणों से संबंधित बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों को धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत प्रावधान खाते के प्रति समायोजित किया गया, और गैर-ग्रामीण शाखाओं से संबंधित बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों का पूरा दावा किया गया था। निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए, संवीक्षा निर्धारण में अशोध्य ऋणों के दावों को अनुमति दी गई थी। निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2018-19 के लिए, बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के दावों को धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत प्रावधान खातों तक सीमित कर दिया गया था, जबकि निर्धारण वर्ष 2017-18 में इसे गैर-ग्रामीण बट्टे खाते में डालने तक सीमित कर दिया गया था। इस प्रकार, ₹ 21,488.25 करोड़ के दावे के प्रति, धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत कटौती के रूप में कुल ₹ 14,537.55 करोड़ की राशि की अनुमति दी गई।

लेखापरीक्षा ने विभिन्न अननुमतियों/परिवर्धनों और आदेशों को प्रभावी करने वाली परिणामी अपील के कारण धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत प्रावधान खाते के अथ शेष के सही आंकड़ों को अपनाने में विसंगतियां पाई। धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत प्रावधान खाते की अथ शेष राशि को सही रूप में स्वीकृत करने पर, धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अनुमन्य कटौती की राशि ₹6,744.17 करोड़ निर्धारित हुई। धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत प्रावधान खाते के विरुद्ध गलत समायोजन के परिणामस्वरूप धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत ₹ 7,793.38 करोड़ की अतिरिक्त कटौती हुई, जिसमें ₹ 2,681.79 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

फरवरी 2022 में इसे डीसीआईटी कॉर्पोरेट सर्किल 1(1), चेन्नई के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद अनुस्मारक जारी किए गए (अक्टूबर 2023, अप्रैल 2024, जून 2024 और दिसंबर 2024)। नि.व. 2017-18 हेतु आयकर अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144बी के अंतर्गत मार्च 2025 में सुधारात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई है। नि.व. 2014-15 से 2016-17 तथा 2018-19 हेतु उत्तर प्रतीक्षित है।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयकर विभाग धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के अथ शेष को समायोजित किए बिना अशोध्य ऋणों की अनुमति दे रहा है, जिसमें कटौती की काफी अधिक राशि की अनियमित अनुमति सम्मिलित है।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.5.1.2 अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुचित अनुमति - अन्य मुद्दे

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) तथा 36(2)(v) के प्रावधानों के अनुसार, बैंकों को किसी भी अशोध्य ऋण या उसके किसी भाग की कटौती का दावा करने की अनुमति है, जिसे निर्धारिती के बहीखातों में संबंधित पूर्व वर्ष के दौरान वसूली योग्य न समझकर बट्टे खाते में डाला गया हो। अशोध्य ऋणों के लिए कटौती तब तक अनुमत नहीं है जब तक कि ऋण की राशि वास्तव में लेखाबही में बट्टे खाते में न डाल दी गई हो। धारा 36(1)(vii) के नीचे स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, अशोध्य ऋणों में निर्धारिती के खातों में किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं है।

लेखापरीक्षा ने 172 बैंक मामलों और 456 एनबीएफसी में से 20 मामलों के संबंध में पाया कि अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 20,630.54 करोड़ का कम निर्धारण हुआ, जिससे ₹ 7,143.25 करोड़ का कर निहितार्थ था। विवरण ***अनुलग्नक 5.2*** और नीचे तालिका 5.74 में दिए गए हैं:

तालिका 5.74: अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनियमित अनुमति (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	बैंक/ एनबीएफसी	मामलों की संख्या	अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि	स्वीकार्य अशोध्य ऋणों की राशि	आय का अल्प निर्धारण	प्रभावी कर
1	मुंबई	एनबीएफसी	3	307.52	64.26	243.26	83.79
2	कोलकाता	सार्वजनिक बैंक	4	19,893.76	12,249.88	7,643.88	2,580.81
		एनबीएफसी	2	47.65	41.52	6.13	2.13
3	अहमदाबाद	एनबीएफसी	1	0.35	0.00	0.35	0.14
4	बेंगलुरु	निजी बैंक	1	763.56	131.63	631.93	287.07
5	चेन्नई	एनबीएफसी	6	12,102.73	0	12,102.73	4,188.52
6	केरल	एनबीएफसी	3	346.95	344.69	2.26	0.79
कुल			**20**	**33,462.52**	**12,831.98**	**20,630.54**	**7,143.25**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख *(अनुलग्नक 5.2 देखें)*

नीचे दो मामले दर्शाये गये हैं:

बॉक्स 5.23

(क) प्रभार: पीसीआईटी-8, मुंबई

निर्धारिती: मेसर्स आर2

नि.व.: 2015-16

निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारिती का निर्धारण धारा 143 (3) के अंतर्गत दिसंबर 2017 में पूरा किया गया, जिसमें सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 25.37 करोड़ की अग्रिम हानियों तथा धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 514.56 करोड़ की हानियों को समायोजित करने के पश्चात् आय को शून्य निर्धारित किया गया। निर्धारिती कंपनी वाणिज्यिक ऋण और निवेश गतिविधियों के व्यवसाय में लगी हुई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने ऋण हस्तांतरण की विक्रय पर हानि के लिए ₹ 179 करोड़ का दावा किया था और उसे लाभ और हानि खाते में डेबिट करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, निर्धारिती के पास एक संबंधित पार्टी, मेसर्स जी9 को वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 336.82 करोड़ का अग्रिम ऋण था, जो निर्धारण वर्ष 2014-15 से संबंधित था, तथा उक्त ऋण पर ₹ 41.69 करोड़ का प्रोद्भवन ब्याज देय था, जिसके परिणामस्वरूप कुल बकाया राशि ₹ 378.51 करोड़ हो गई।

निर्धारण वर्ष 2015-16 में, निर्धारिती ने यह ऋण एक अन्य संबंधित पार्टी, मेसर्स आर13 को ₹200 करोड़ में सौंप दिया, जिससे उसे ₹179 करोड़ की हानि हुई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आर13 न तो बैंकिंग कंपनी थी और न ही एनबीएफसी थी तथा इसका गठन 1993 में

रियल एस्टेट के प्राथमिक व्यवसाय के साथ किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, चल निधि की निरन्तरता के लिए बैंकों और एनबीएफसी के विवादास्पद ऋणों को एआरसी (एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों) को सौंपना स्वीकार्य है। यद्यपि, निजी संस्थाओं को ऋण सौंपने और हानि को अशोध्य ऋण के रूप में दावा करने का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि किसी निजी संस्था को ऋण सौंपने को एआरसी को ऋण सौंपने के रूप में नहीं माना जा सकता, इसलिए सौंपने पर हुई हानि को कर योग्य आय की गणना के प्रयोजन के लिए अशोध्य ऋण नहीं माना जा सकता। इस प्रकार, निर्धारिती को ₹ 179 करोड़ की हानि स्वीकार्य नहीं थी। उपरोक्त हानि को अस्वीकार करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 179 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 61.94 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण हुआ।

इसे फरवरी 2022 में डीसीआईटी 15(3)(1), मुंबई के संज्ञान में लाया गया। अप्रैल 2024 और नवंबर 2024 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद डीसीआईटी 15(3)(1), मुंबई का उत्तर प्रतीक्षित है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी कोलकाता-2
निर्धारिती: यू2
नि.व.: 2017-18

निर्धारिती ने अक्टूबर 2017 में निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न जमा किया, जिसमें कुल ₹ 3,033.40 करोड़ की हानि घोषित की। दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें ₹ 2,935.38 करोड़ की हानि आंकी गई। वर्ष के दौरान, निर्धारिती ने ₹ 4,414.68 करोड़ के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के सभी प्रावधानों को बट्टे खाते में डालने का दावा किया तथा अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत कटौती के रूप में इसका दावा किया। लेखाबही में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के दावों के समर्थन में, निर्धारिती ने तुलनपत्र की अनुसूची 9 प्रस्तुत की, जिसमें दिखाया गया कि वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधानों की राशि (तुलनपत्र के नोट 4.1 के अनुसार) को तुलनपत्र में ऋण और अग्रिम राशि से घटा दिया गया था।

अनुसूची 9 में उल्लिखित ऋणों और अग्रिमों की संवीक्षा के साथ-साथ तुलनपत्र के नोट 4.1 में दर्शाए गए एनपीए के प्रावधानों के विवरण से पता चला कि निर्धारिती ने ऋणों और अग्रिमों से केवल ₹ 2,450.55 करोड़ ही बट्टे खाते में डाले थे। इस प्रकार, निर्धारिती धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत ₹ 2,450.55 करोड़ की कटौती के लिए अर्ह था, जबकि वास्तव में ₹ 4,414.68 करोड़ की कटौती की अनुमति थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,964.13 करोड़ की अधिक कटौती

हुई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1,964.13 करोड़ का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 679.74 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था।

मार्च 2022 में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को परिक्षेत्र-5(1), एबी, कोलकाता के संज्ञान में लाया गया। पीसीआईटी-2 कोलकाता के उत्तर में, अप्रैल 2024 (अप्रैल 2025) में धारा 148 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.5.2 धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए कटौती की अनियमित अनुमति

5.5.2.1 धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए कटौती की अनुमति देते समय अनुचित जांच

आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद, निर्धारण अधिकारी ने अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए दावों की जांच नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप गैर-अनुमत मदों जैसे मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान और सकल कुल आय के निर्दिष्ट *प्रतिशत* तक कटौती पर प्रतिबंध न होने के कारण कटौती की अनियमित अनुमति मिली, जैसा कि बैंकों और एनबीएफसी के मामले में लागू है।

बैंकों के 191 मामलों और एनबीएफसी के 287 मामलों की जाँच की गई, जहाँ विभाग ने धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु कटौती की अनुमति दी थी, लेखापरीक्षा ने 52 मामलों में पाया कि अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं का उचित पालन किए बिना कटौती की अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2,006.08 करोड़ का कम निर्धारण और ₹ 1,047.91 करोड़ का अधिक निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 1,150.96 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था। विवरण ***अनुलग्नक 5.3*** और नीचे तालिका 5.75 में दिए गए हैं।

तालिका 5.75: धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु अनुमत कटौती से संबंधित मुद्दे **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	क्षेत्र	बैंक/ एनबीएफसी	मामलों की संख्या	अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि	स्वीकार्य अशोध्य ऋणों की राशि	आय का अल्प निर्धारण	आय का अधिक निर्धारण	कर प्रभाव
1	बेंगलुरु	निजी बैंक	1	146.63	153.9	---	7.28	2.52
		सार्वजनिक बैंक	2	436.46	755.43	---	318.97	187.16

तालिका 5.75: धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु अनुमत कटौती से संबंधित मुद्दे **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	क्षेत्र	बैंक/ एनबीएफसी	मामलों की संख्या	अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि	स्वीकार्य अशोध्य ऋणों की राशि	आय का अल्प निर्धारण	आय का अधिक निर्धारण	कर प्रभाव
2	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	1	17,058.47	17,383.31	---	324.84	112.42
		एनबीएफसी	15	1,134.47	818.27	316.20	---	109.68
		विदेशी बैंक	2	241.48	41.65	199.83	---	86.45
3	दिल्ली	एनबीएफसी	3	485.93	26.89	459.04	---	159.76
		विदेशी बैंक	1	0.97	0.00	0.97	---	0.42
4	कोलकाता	निजी बैंक	2	716.23	389.65	326.58	---	114.01
		सार्वजनिक बैंक	3	1,896.28	1,405.56	490.72	---	166.33
		एनबीएफसी	6	110.64	39.86	70.78	---	24.55
5	चेन्नई	निजी बैंक	1	11.51	0	11.51	---	3.98
		सार्वजनिक बैंक	4	6,367.36	6,292.79	74.57	---	25.4
			1	0	396.82		396.82	138.66
		एनबीएफसी	4	102.47	87.2	15.27	---	5.28
6	केरल	निजी बैंक	1	57.63	52.05	5.58	---	1.93
		एनबीएफसी	1	17.35	7.78	9.57	---	2.96
7	अहमदाबाद	एनबीएफसी	3	110.67	89.04	21.63	---	8.18
8	हैदराबाद	एनबीएफसी	1	3.83	0	3.83	---	1.27
कुल			**52**	**28,898.38**	**27,940.20**	**2,006.08**	**1,047.91**	**1,150.96**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख *(अनुलग्नक 5.3 देखें)*

नीचे तीन मामलों पर चर्चा की गई है:

बॉक्स 5.24: धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु कटौती की अनुमति से संबंधित मुद्दे

(क) प्रभार: पीसीआईटी 3, मुंबई

निर्धारिती: मेसर्स टी4

नि.व.: 2018-19, 2019-20

मई 2021 और सितंबर 2021 में धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए निर्धारिती के निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-19 के लिए ₹ 184.50 करोड़ और निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 43.04 करोड़ की मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का दावा किया गया था और अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधान हेतु धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमति दी गई थी। चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक मुख्य परिपत्र संख्या (आरबीआई/2015-16/101)[102] के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए किए गए प्रावधान को एनपीए के लिए किए गए प्रावधान के रूप में नहीं माना जा सकता है, इसलिए अनुचित अनुमति के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए ₹ 184.50 करोड़ और ₹ 43.04 करोड़ की कम आय का निर्धारण हुआ, जिसमें निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए क्रमशः ₹ 63.85 करोड़ और ₹ 15.03 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण हुआ।

फरवरी 2022 में डीसीआईटी-3(2)(1), मुंबई को इस अभ्युक्ति के बारे में बताया गया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जून 2025) और कहा कि निर्धारण वर्ष 2018-19 और निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए मार्च 2024 में आयकर अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। की गई उपचारात्मक कार्रवाई के संबंध में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी गुवाहाटी
निर्धारिती: मेसर्स एन1
निर्धारण वर्ष: 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20

निर्धारण वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए क्रमशः ₹ 93.77 करोड़, ₹ 75.26 करोड़ और ₹ 65.67 करोड़ की आय पर निर्धारण पूरा किया गया। निर्धारिती ने दावा किया था और उसे निर्धारण वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए क्रमशः ₹ 4.96 करोड़, ₹ 8.18 करोड़ और ₹ 13.07 करोड़ के एनपीए के प्रावधान की अनुमति दी गई थी, जबकि अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान (पीबीडीडी) की स्वीकार्य राशि सकल कुल आय के पांच *प्रतिशत* तक सीमित होनी चाहिए थी, अर्थात निर्धारण वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए क्रमशः ₹ 4.94 करोड़, ₹ 4.17 करोड़ और ₹ 3.94 करोड़। इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए क्रमशः

[102] आरबीआई मुख्य परिपत्र (आरबीआई/2015-16/101) में प्रावधान है कि निवल एनपीए की गणना के लिए मानक परिसंपत्तियों के लिए किए गए प्रावधान पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, जो कि अवमानक परिसंपत्तियों पर लागू होता है। तदनुसार, मानक परिसंपत्तियों के लिए किए गए प्रावधान को धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए अनुमेय कटौती को सीमित करने के उद्देश्य से अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधान के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

₹ 0.02 करोड़, ₹ 4.01 करोड़ और ₹ 9.14 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.008 करोड़, ₹ 1.39 करोड़ और ₹ 3.16 करोड़ का कर कम लगाया गया।

फरवरी 2022 में इसे डीसीआईटी परिक्षेत्र-2, गुवाहाटी के संज्ञान में लाया गया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2025) और कहा कि धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि को सुधार लिया गया है (मार्च 2022)। क्षेत्र सत्यापन के अनुसार, धारा 154 (निर्धारण वर्ष 2017-18) और 144बी के साथ पठित 147 को मार्च 2022 (निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20) और मार्च 2024 में सभी निर्धारण वर्षों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

(ग) प्रभार: पीसीआईटी-1, हैदराबाद
निर्धारिती: मेसर्स एस28
निर्धारण वर्ष: 2017-18

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए संवीक्षा निर्धारण दिसंबर 2019 में ₹ 56.41 करोड़ की आय पर पूरा हुआ। निर्धारिती ने दावा किया था और उसे अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान (पीबीडीडी) के लिए कुल आय पर पांच *प्रतिशत* की दर से ₹3.83 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई थी, जो अग्रेनीत घाटे को समायोजित करने से पहले प्राप्त हुई थी। चूंकि पिछले वर्षों से आगे लाई गई हानियों या अनवशोषित मूल्यह्रास को धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत स्वीकार्य कटौती की गणना करने से पहले समायोजित करने की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप एनपीए के लिए प्रावधान की अनियमित कटौती हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.27 करोड़ के संभावित कर की कम गणना हुई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति फरवरी 2022 में सर्किल 3(1), हैदराबाद के संज्ञान में लाई गई। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया है (सितम्बर 2025) तथा कहा है कि आयकर अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्यवाही की गई है। तथापि जेएओ, सर्किल 3(1), हैदराबाद ने गणना पत्रक प्रस्तुत नहीं किया है।

5.5.2.2 धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत 10 *प्रतिशत* कटौती की अनुमति देते हुए ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों का असत्यापन

आयकर नियम, 1962 के नियम 6एबीए में प्रावधान है कि धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiए) के प्रयोजनों के लिए, अनुसूचित बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए कुल औसत अग्रिमों की गणना उसमें दी गई पद्धति के अनुसार की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण अभिलेखों से पाया कि आयकर विभाग ने निर्धारितियों द्वारा अपने रिटर्न में अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत स्वीकार्य ग्रामीण अग्रिमों के संबंध में किए गए दावों की सत्यता और वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र स्थापित नहीं किया था। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार अनर्ह शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों को ग्रामीण अग्रिमों के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की अर्ह मात्रा की गणना के लिए ध्यान में रखा गया था। इसके परिणामस्वरूप उन शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के लिए कटौती की अनियमित अनुमति दी गई, जो निर्धारितियों की ग्रामीण शाखाओं में अनर्ह थीं।

लेखापरीक्षा ने बैंकों और एनबीएफसी के 478 मामलों में से ग्रामीण अग्रिमों की कटौती की अनियमित अनुमति के 16 मामलों को देखा, जिन्हें धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी गई थी, जैसा कि ***अनुलग्नक 5.4*** और नीचे तालिका 5.76 में विस्तृत रूप से बताया गया है:

तालिका 5.76: ग्रामीण अग्रिमों पर आधारित अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की अनियमित अनुमति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	बैंक की श्रेणी	मामलों की संख्या	ग्रामीण अग्रिमों पर अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु अनुमत कटौती की राशि	ग्रामीण अग्रिमों पर अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु स्वीकार्य कटौती की राशि	आय का अल्प निर्धारण	आय का अधिक निर्धारण	कर प्रभाव
1	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	1	2,022.31	1,934.20	88.11	---	41.47
		निजी बैंक	3	904.66	864.57	40.09	---	16.27
2	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	5	5,671.91	1,187.55	4,484.36	----	1,532.42
		निजी बैंक	3	46.55	0	46.55	---	16.15
			4	23.62	644.36	---	620.74	213.99
कुल			**16**	**8,669.05**	**4,630.68**	**4,659.11**	**620.74**	**1,820.30**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख *(अनुलग्नक 5.4 देखें)*

नीचे दो मामलों पर चर्चा की गई है:

बॉक्स 5.25: ग्रामीण अग्रिमों पर आधारित अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु कटौती की अनियमित अनुमति

(क) प्रभार: पीसीआईटी 2, मुंबई
निर्धारिती: आई7
निर्धारण वर्ष: 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17

निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए निर्धारण क्रमशः दिसंबर 2017, दिसंबर 2017 और दिसंबर 2019 में जांच के आधार पर पूरा किया गया, जिससे क्रमशः ₹ 2,317.06 करोड़, ₹ 2,576.73 करोड़ और ₹ 3,741.37 करोड़ की आय हुई।

लेखापरीक्षा ने 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों से शाखाओं की श्रेणियों की जांच की और पाया कि अमलोह और सर्पवरम नामक दो शाखाएं ग्रामीण शाखाओं के रूप में अर्ह नहीं थीं, क्योंकि उनकी जनसंख्या दस हजार से अधिक थी। हालाँकि, निर्धारिती ने इन शाखाओं को ग्रामीण शाखाएँ माना था। चूंकि ये शाखाएं आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती के लिए अर्ह नहीं थीं, इसलिए निर्धारिती क्रमशः निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए अधिनियम की धारा 36(1)(viiए)के अंतर्गत ₹ 10.41 करोड़, ₹ 13.33 करोड़ और ₹ 16.35 करोड़ की कटौती का दावा करने का अधिकारी नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.27 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को अक्टूबर 2018 (निर्धारण वर्ष 2014-15), दिसंबर 2018 (निर्धारण वर्ष 2015-16) और दिसंबर 2020 (निर्धारण वर्ष 2016-17) में डीसीआईटी 2(3)(1) के संज्ञान में लाया गया था। पीसीआईटी-2 मुंबई ने निर्धारण वर्ष 2014-15 (मार्च 2021) से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा कि दिसंबर 2019 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। निर्धारण वर्ष 2016-17 के संबंध में, पीसीआईटी-2 मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (अप्रैल 2022) को स्वीकार किया और कहा कि मार्च 2022 में धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। अप्रैल 2024 और नवंबर 2024 के अनुस्मारक जारी करने के बावजूद, निर्धारण वर्ष 2015-16 के संबंध में डीसीआईटी 2(3)(1), मुंबई से उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025) है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.5.3 धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की अनुचित अनुमति

यद्यपि निर्धारण जांच के अंतर्गत पूरा किया गया था, लेकिन निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा किए गए दावे की सत्यता की जांच नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के दौरान विशेष आरक्षित निधि में अंतरित राशि से अधिक

कटौती की अनुचित अनुमति और निर्दिष्ट व्यवसाय के अलावा अन्य व्यवसाय से आय पर कटौती की अनुमति दी गई।

लेखापरीक्षा में जांचे गए 202 मामलों में से 32 मामलों में पाया गया कि धारा 36(1)(viii) के प्रावधानों के उल्लंघन में कटौती की अनुमति दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,431.10 करोड़ की कटौती की अधिक अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 531.18 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। विवरण ***अनुलग्नक 5.5*** और नीचे तालिका 5.77 में दिया गया है:

तालिका 5.77: धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की अनुचित अनुमति **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	क्षेत्र	निर्धारिती का प्रकार	मामलों की संख्या	सम्मिलित निर्धारण वर्ष	आय का अल्प निर्धारण	कर प्रभाव
1	जयपुर	एनबीएफसी	2	2017-18 एवं 2018-19	5.04	1.94
2	बेंगलुरु	सार्वजनिक बैंक	1	2017-18	140.28	64.32
3	चंडीगढ़	निजी बैंक	1	2012-13	48.75	30.05
4	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	2	2017-18 एवं 2018-19	73.83	25.55
		निजी बैंक	1	2016-17	107.22	37.11
		एनबीएफसी	4	2012-13 एवं 2014-15 से 2019-20	132.51	45.57
5	केरल	निजी बैंक	1	2015-16	10.68	4.83
		एनबीएफसी	1	2016-17	0.15	0.05
6	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	1	2014-15	7.53	2.56
		एनबीएफसी	2	2016-17 एवं 2017-18	27.17	11.12
7	हैदराबाद	एनबीएफसी	1	2016-17	0.22	0.08
8	कोलकाता	एनबीएफसी	3	2014-15 से 2017-18	93.16	26.46
9	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	1	2016-17	426.81	145.07
		निजी बैंक	3	2014-15 से 2016-17	255.66	94.72
		एनबीएफसी	8	2011-12 एवं 2015-16 से 2018-19	102.09	41.75
			32		**1,431.10**	**531.18**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख। *(अनुलग्नक 5.5 देखें)*

नीचे दो मामलों पर चर्चा की गई है।

बॉक्स 5.26: धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की अनुमति देने में अनियमितता

प्रभार: पीसीआईटी-3, मुंबई
निर्धारिती: मेसर्स ई1
निर्धारण वर्ष: 2016-17

मार्च 2018 में निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए संवीक्षा के बाद ₹ 2,211.91 करोड़ की आय पर निर्धारण पूरा हो गया। भारतीय परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण के अलावा, निर्धारिती निर्यात परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण जैसे निर्यात ऋण उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करने में भी संलग्न था, जो भारत में कृषि, औद्योगिक या बुनियादी ढांचा सुविधाओं के विकास के लिए वित्त प्रदान करने के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। निर्यात परियोजनाओं के लिए प्रदान किए गए दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, निर्धारिती द्वारा दिए गए कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम का 35 *प्रतिशत* थे। धारा 36(1)(viii) के अनुसार, निर्यात परियोजनाओं को दिए गए ऋण और अग्रिम से प्राप्त आय धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती के लिए अर्ह नहीं होगी, क्योंकि यह लाभ भारतीय परियोजनाओं के लिए नहीं है। कुल दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों से प्राप्त आय का केवल लगभग 65 *प्रतिशत* ही धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती के लिए अर्ह होगा, जैसा कि निर्धारण वर्ष 2016-17 से संबंधित पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों से देखा जा सकता है। निर्धारण अभिलेखों से यह देखा गया कि ₹ 137.44 करोड़ की अर्ह राशि के विपरीत ₹ 213.19 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 75.75 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ तथा ₹ 32.51 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार बाद के वर्षों में धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती का दावा नहीं किया।

मार्च 2022 में इंगित किए जाने पर, एसीआईटी 3(1)(1), मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जून 2023) और कहा कि अप्रैल 2023 में धारा 148ए(डी) के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.5.4 छूट की अनुचित अनुमति

आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर से छूट प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना, बचत को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण उत्थान, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश, निर्यात को बढ़ावा देना आदि है। छूट निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन प्रदान की जाती है। निर्धारण अधिकारियों का

यह कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि छूट के रूप में दावा की गई आय की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है, और निर्धारिती ने छूट का दावा करते समय सभी निर्धारित शर्तों को पूरा किया है।

5.5.4.1 अपतटीय बैंकिंग इकाइयों की आय के संबंध में धारा 80 एलए के अंतर्गत अनुमत अतिरिक्त कटौती

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80एलए के अनुसार, किसी अनुसूचित बैंक या विदेशी बैंक के मामले में, जिसकी विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपतटीय बैंकिंग इकाई है या जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाई है, अपतटीय बैंकिंग इकाई या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र की किसी इकाई से होने वाली कोई आय सम्मिलित है, वे पहले पांच वर्षों के लिए ऐसी आय का 100 *प्रतिशत* और अगले पांच वर्षों में ऐसी आय का 50 *प्रतिशत* कटौती के लिए अर्ह हैं। लेखापरीक्षा में 100 निजी क्षेत्र के बैंकों में से पांच मामलों पर गौर किया गया, जिनमें बैंक द्वारा अर्जित लाभ से अधिक, अपतटीय इकाइयों के लिए धारा 80एलए के अंतर्गत कटौती का दावा किया गया। विवरण नीचे तालिका 5.78 में दिया गया है।

तालिका 5.78: धारा 80एलए के अंतर्गत दावा की गई अतिरिक्त कटौती का विवरण **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं	बैंक का नाम	नि. व.	धारा 80एलए के अंतर्गत दावा की गई छूट की राशि (₹ करोड़ में)	अपतटीय इकाई के लिए दावा किया गया लाभ मार्जिन	समग्र रूप से बैंक का लाभ मार्जिन	अल्प निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	वाई1	2016-17	76.69	79.85	23.18	54.43	25.05	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया है (सितम्बर 2025) तथा कहा है कि धारा 147 के साथ पठित धारा 144बी के अंतर्गत मार्च 2022 में सुधारात्मक कार्रवाई की गई।
2	वाई1	2017-18	59.47	30.53	24.51	11.72	4.06	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया है (सितम्बर 2025) तथा कहा है कि धारा 147 के साथ पठित धारा 144बी के अंतर्गत

तालिका 5.78: धारा 80एलए के अंतर्गत दावा की गई अतिरिक्त कटौती का विवरण (₹ करोड़ में)								
क्रम सं	**बैंक का नाम**	**नि. व.**	**धारा 80एलए के अंतर्गत दावा की गई छूट की राशि (₹ करोड़ में)**	**अपतटीय इकाई के लिए दावा किया गया लाभ मार्जिन**	**समग्र रूप से बैंक का लाभ मार्जिन**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
								मार्च 2022 में सुधारात्मक कार्रवाई की गई।
3	वाई1	2018-19	529.30	57.63	16.57	376.54	130.31	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया है (सितम्बर 2025) तथा कहा है कि मार्च 2024 में धारा 147 के साथ पठित धारा 144बी के अंतर्गत मार्च 2022 में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई।
4	आई7	2017-18	70.69	81.25	25.18	48.76	23.05	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया है (सितम्बर 2025) तथा कहा है कि धारा 143(3) के साथ पठित धारा 263 के अंतर्गत मार्च 2023 में सुधारात्मक कार्रवाई की गई।
5	आई24	2017-18	1.57	64.00	14.42	1.21	0.42	उत्तर में (जुलाई 2024) विभाग ने बताया कि निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए वर्तमान मामले में संवीक्षा निर्धारण एनईएफएसी के समक्ष लंबित है अग्रेत्तर विवरण की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)।
	योग		**737.72**			**492.66**	**182.89**	

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पांचों मामलों में धारा 80एलए के अंतर्गत दावा की गई ₹ 737.72 करोड़ की कटौती में से ₹ 492.66 करोड़ अत्यधिक पाए गए, जिससे ₹ 182.89 करोड़ का कर निहितार्थ पाया गया।

नीचे दो मामलों पर चर्चा की गई है।

बॉक्स 5.27: अपतटीय बैंकिंग इकाइयों की आय के संबंध में धारा 80एलए के अंतर्गत अनुमत अतिरिक्त कटौतियों के उदाहरणात्मक मामले

क) प्रभार: पीसीआईटी-2 मुंबई

निर्धारिती: आई7

निर्धारण वर्ष: 2017-18

दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत पूरी जांच के बाद निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारिती का निर्धारण अंतिम रूप दिया गया, जिसमें ₹ 4,841.82 करोड़ की आय निर्धारित की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएफएससी बैंकिंग इकाई, गिफ्ट सिटी में अपनी अपतटीय बैंकिंग इकाई की आय के संबंध में धारा 80एलए के अंतर्गत दावा के अनुसार ₹ 70.69 करोड़ की राशि की अनुमति दी गई थी। हालांकि, दावा की गई छूट वाली आय की गणना से पता चला कि दावा की गई सकल आय में लाभ का *प्रतिशत* अपतटीय इकाई के लिए 81.25 *प्रतिशत* था, जबकि समग्र रूप से बैंक के लिए सकल लाभ 25.18 *प्रतिशत* था। इस प्रकार, दावा की गई छूट बैंक के सामान्य लाभ से ₹ 48.76 करोड़ अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 48.76 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ तथा ब्याज सहित ₹ 23.05 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

यह बात दिसंबर 2020 में डीसीआईटी 2(3)(1), मुंबई के संज्ञान में लाई गई। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को आंशिक रूप से स्वीकार किया (सितंबर 2025) और कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित ₹ 48.76 करोड़ के बजाय ₹ 17.77 करोड़ की राशि को अस्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 144बी के साथ पठित धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत मार्च 2023 में सुधारात्मक कार्यवाही की गई है। मंत्रालय की प्रतिक्रिया के क्षेत्र सत्यापन (सितंबर 2025) के दौरान, डीसीआईटी 2(3)(1) मुंबई ने धारा 80एलए के अंतर्गत कटौती के दावे की गणना का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

ख) प्रभार: पीसीआईटी-2 मुंबई

निर्धारिती: वाई1

निर्धारण वर्ष: 2016-17 से 2018-19

निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए निर्धारिती का निर्धारण धारा 143(3) के अंतर्गत पूर्ण संवीक्षा के बाद दिसंबर 2018, दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 में क्रमशः ₹ 4,281.61 करोड़, ₹ 5,825.69 करोड़ और ₹ 7,596.61 करोड़ की आय पर अंतिम रूप दिया गया। बैंक के खातों के अनुसार, निर्धारिती ने आईएफएससी बैंकिंग इकाई, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में अपनी अपतटीय बैंकिंग इकाई की आय के संबंध में धारा 80एलए के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए ₹76.69 करोड़, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 59.47 करोड़ और निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 529.30 करोड़ की छूट का दावा किया और उसे इसकी अनुमति दी गई। तथापि, छूट प्राप्त आय की गणना की जांच से पता चला कि दावा की गई सकल आय में लाभ का *प्रतिशत* बैंक के सकल लाभ *प्रतिशत* की तुलना में अधिक था। इस प्रकार, दावा की गई छूट तीन वर्षों (2016-17, 2017-18 और 2018-19) के लिए बैंक के सामान्य लाभ से ₹ 442.70 करोड़ अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2016-17, निर्धारण वर्ष 2017-18 और निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए ₹ 442.70 करोड़ की कर योग्य आय का कम निर्धारण हुआ तथा ₹ 159.43 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (सितंबर 2025) और कहा कि मार्च 2022 में दोनों निर्धारण वर्ष के लिए धारा 144बी के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई है जबकि निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए मार्च 2024 में धारा 144बी के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

5.5.4.2 छूट प्राप्त आय के विपरीत धारा 14ए के अंतर्गत व्यय की अनुचित अनुमति

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्‌यपि निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2018-19 में पूर्ण संवीक्षा के अंतर्गत निर्धारण की जांच की गई थी, लेकिन निर्धारण अधिकारियों ने छूट प्राप्त आय के विपरीत अधिनियम की धारा 14ए[103] के अंतर्गत व्यय की अननुमति की गणना के लिए प्रयुक्त गलत आंकड़े की जांच नहीं की।

[103] आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 14ए के अनुसार, निर्धारिती की कुल आय की गणना में छूट प्राप्त आय पर किया गया व्यय कटौती के रूप में स्वीकार्य नहीं है। नियम 8डी के अनुसार, अस्वीकृति उस आय से सीधे संबंधित व्यय की राशि के बराबर होगी जो कुल आय का हिस्सा नहीं है और निवेश के मूल्य के अथ और अंत: शेष के मासिक औसत के वार्षिक औसत के एक *प्रतिशत* के बराबर राशि होगी, जिससे प्राप्त आय कुल आय का हिस्सा नहीं बनती है या नहीं बनेगी।

लेखापरीक्षा ने 1,098 मामलों में से 36 मामलों को देखा, जिनमें छूट प्राप्त आय अर्जित करने के लिए किए गए व्यय को नियम 8डी के साथ पठित धारा 14ए के प्रावधानों के अनुसार वापस नहीं जोड़ा गया था, जिसमें ₹ 785.46 करोड़ का कम निर्धारण सम्मिलित था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 293.59 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया। इन मामलों का सारांश नीचे ***अनुलग्नक 5.6*** और तालिका 5.79 में दिया गया है:

तालिका 5.79: उन मामलों का विवरण जहां छूट प्राप्त आय अर्जित करने के लिए किए गए व्यय को वापस परिवर्धित नहीं किया गया **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं	क्षेत्र	निर्धारिती प्रकार	मामलों की संख्या	निर्धारण वर्ष	दावा की गई छूट प्राप्त आय	आयकर विभाग द्वारा अननुमत व्यय	लेखापरीक्षा के अनुसार अननुमत व्यय	अल्प निर्धारण	कर प्रभाव
1	अहमदाबाद	एनबीएफसी	5	2015-16 से 2018-19	35.21	0.42	8.19	7.77	1.8
2	बेंगलुरु	सार्वजनिक बैंक	1	2015-16	26.31	0.07	75.61	75.54	25.68
		निजी बैंक	1	2019-20	0.31	0	158.15	158.15	71.84
3	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	2	2017-18	15.44	10.19	21.41	11.22	3.88
		निजी बैंक	2	2016-17 एवं 2018-19	9.89	30.85	34.38	3.53	1.22
		विदेशी बैंक	1	2016-17	2.42	0	2.42	2.42	0.84
		एनबीएफसी	4	2013-14 एवं 2015-16 से 2016-17	346.46	176.55	408.11	231.56	80
4	केरल	निजी बैंक	8	2015-16 से 2019-20	31.24	24.35	108.47	84.12	34.45
		एनबीएफसी	2	2015-16 एवं 2017-18	0	0	11.15	11.15	4.7
5	दिल्ली	एनबीएफसी	3	2016-17, 2017-18 एवं 2019-20	6.2	0.25	6.05	5.8	2.01
6	कोलकाता	एनबीएफसी	1	2017-18	9.12	0.64	1.64	1	0.35
7	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	2	2015-16, 2017-18	40.54	43.06	228.22	185.16	64.08
		निजी बैंक	1	2015-16	263.95	317.28	323.34	6.06	2.06
		एनबीएफसी	3	2015-16 एवं 2017-18	4.5	0.32	2.3	1.98	0.68
			36		**791.59**	**603.98**	**1,389.44**	**785.46**	**293.59**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख ***(अनुलग्नक 5.6 देखें)***

नीचे दो मामलों पर चर्चा की गई है।

बॉक्स 5.28: छूट प्राप्त आय के विपरीत धारा 14ए के अंतर्गत व्यय की अनुचित अनुमति

(क) प्रभार: पीसीआईटी-2, मुंबई

निर्धारिती: सी4

निर्धारण वर्ष: 2017-18

दिसंबर 2019 में पूर्ण संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें आय ₹3,849.16 करोड़ निर्धारित की गई। आयकर रिटर्न में, निर्धारिती ने धारा 14ए के अंतर्गत कोई व्यय नहीं जोड़ा, यद्यपि निर्धारिती ने ₹ 28.50 करोड़ की छूट प्राप्त आय अर्जित की थी। निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण आदेश के पैरा 4 में धारा 14ए के अंतर्गत गैर-अनुमत व्यय की गणना ₹ 18.47 करोड़ की तथा उसे कर देय अर्ह आय में जोड़ दिया। यह पाया गया कि कर लेखापरीक्षक ने प्रपत्र 3सीडी में रिपोर्ट दी थी कि धारा 14ए के अंतर्गत गैर-अनुमत व्यय ₹ 28.10 करोड़ था। चूंकि कर लेखापरीक्षक ने रिपोर्ट दी थी कि छूट प्राप्त आय अर्जित करने में किया गया व्यय ₹ 28.10 करोड़ था, इसलिए इसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी अपनाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.63 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 4.43 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

इसे फरवरी 2022 में डीसीआईटी 2(1)(1), मुंबई के संज्ञान में लाया गया। उत्तर में, डीसीआईटी 2(1)(1), मुंबई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया और कहा (मार्च 2022) कि धारा 154 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। अग्रेत्तर विवरण की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

(ख) प्रभार: पीसीआईटी पणजी (पूर्ववर्ती क्षेत्राधिकार: पीसीआईटी मंगलुरु)

निर्धारिती: टी15

निर्धारण वर्ष: 2019-20

सितंबर 2021 में धारा 144बी के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 440.61 करोड़ की आय पर निर्धारिती का निर्धारण पूरा किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि छूट प्राप्त आय अर्जित करने के लिए किए गए ₹ 158.15 करोड़ के व्यय को अननुमत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 158.15 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ तथा ₹ 71.84 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया।

यह लेखापरीक्षा अभ्युक्ति अगस्त 2022 में डीसीआईटी-सर्किल-1(1) मैंगलोर के संज्ञान में लाया गया। डीसीआईटी-परिक्षेत्र-1(1) मैंगलोर से उत्तर की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025) जबकि दिसंबर 2024 और मार्च 2025 के अनुस्मारक जारी किए गए थे।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.5.4.3 प्रतिभूतिकरण न्यास से प्राप्त आय के संबंध में धारा 10(35ए) के अंतर्गत अतिरिक्त छूट की अनुमति

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि मामलों की जांच संवीक्षा निर्धारण के अंतर्गत की गई थी, लेकिन निर्धारण अधिकारी ने धारा 10(35ए)[104] के अंतर्गत दावा की गई छूट की सत्यता का सत्यापन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप वितरित आय पर कर की कम राशि की कटौती के कारण छूट की गलत अनुमति दी गई।

चार मामलों में, जहां धारा 10(35ए) के अंतर्गत ₹ 19.68 करोड़ की अतिरिक्त छूट दी गई और परिणामस्वरूप ₹ 6.72 करोड़ का कम कर आरोपित किया गया, नीचे तालिका 5.80 में सारणीबद्ध किया गया है।

तालिका 5.80: धारा 10(35ए) के अंतर्गत छूट की अनुमति **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार	बैंक/गैर - बैंकिंग वित्तीय संस्थान	निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष	संक्षेप में मुद्दा	अल्प निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	कोलकाता-पश्चिम बंगाल/ पीसीआईटी, कोलकाता-1	एनबीएफसी	एम7/ 2015-16	उक्त न्यासों द्वारा वितरित आय पर कर की कम कटौती के कारण प्रतिभूतिकरण न्यासों से प्राप्त आय पर धारा 10(35ए) के अंतर्गत दावा की गई छूट की अतिरिक्त राशि।	11.59	3.94	स्वीकार नहीं किया गया (फरवरी 2023)। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कर की कम कटौती, अर्थात् ₹ 11.59 करोड़, का भुगतान निर्धारिती को किया जा चुका है, जिस पर निर्धारिती द्वारा छूट का दावा किया गया था।
2	कोलकाता-पश्चिम बंगाल/	एनबीएफसी	एम7/	उक्त न्यासों द्वारा वितरित आय पर कर की कम कटौती	5.20	1.80	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

104 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(35ए) के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतिकरण न्यास से प्राप्त वितरित आय के रूप में धारा 115टीए में निर्दिष्ट किसी भी आय को, जो उक्त न्यास का निवेशक है, उस पिछले वर्ष की कुल आय की गणना में छूट दी जाएगी।

तालिका 5.80: धारा 10(35ए) के अंतर्गत छूट की अनुमति							**(₹ करोड़ में)**
क्रम सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/गैर - बैंकिंग वित्तीय संस्थान**	**निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष**	**संक्षेप में मुद्दा**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
	पीसीआईटी, कोलकाता-1		2016-17	के कारण प्रतिभूतिकरण न्यासों से प्राप्त आय पर धारा 10(35ए) के अंतर्गत दावा की गई छूट की अतिरिक्त राशि।			
3	कोलकाता-पश्चिम बंगाल/ पीसीआईटी, कोलकाता-1	एनबीएफसी	एम16/ 2017-18	उक्त न्यासों द्वारा वितरित आय पर कर की कम कटौती के कारण प्रतिभूतिकरण न्यासों से प्राप्त आय पर धारा 10(35ए) के अंतर्गत दावा की गई छूट की अतिरिक्त राशि।	0.46	0.16	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
4	कोलकाता-पश्चिम बंगाल/ पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफसी	एस३/ 2014-15	धारा 10(35) के अंतर्गत एकमात्र प्रायोजित न्यास से प्राप्त लाभांश पर छूट का अनुचित अनुदान तथा पिछले वर्षों के आयकर विभाग के रुख से विचलन।	2.43	0.82	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
				कुल	**19.68**	**6.72**	

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

एक मामले पर नीचे चर्चा की गई है।

बॉक्स 5.29

क) पीसीआईटी-1, कोलकाता के अंतर्गत एम7 के मामले में, दिसंबर 2017 में पूर्ण संवीक्षा के बाद, निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए कर निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें कर योग्य आय ₹134.41 करोड़ निर्धारित की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा वितरित आय के रूप में धारा 10(35ए) के अंतर्गत ₹100.31 करोड़ की छूट का दावा किया और उसे इसकी अनुमति दी गई। एम24 न्यास द्वारा वितरित आय के संबंध में जारी किए गए प्रमाणपत्रों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान एम24 न्यास द्वारा अर्जित कुल सकल ब्याज ₹134.40 करोड़ था। इस प्रकार, प्रतिभूतिकरण न्यास को धारा 115टीए (एसडीटी) के अंतर्गत वितरित आय पर कर की ₹45.68 करोड़ की कटौती करने के बाद निर्धारिती को ₹88.72 करोड़ की राशि वितरित करनी चाहिए थी। हालाँकि, प्रतिभूतिकरण न्यास ने एसडीटी के रूप में केवल ₹34.09 करोड़ की कटौती की और वितरित आय के रूप में ₹100.31 करोड़ का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप निर्धारिती को ₹11.59 करोड़ की अतिरिक्त आय का भुगतान हुआ। चूँकि

निर्धारिती को धारा 10(35ए) के अंतर्गत ₹88.72 करोड़ (₹134.40 करोड़- ₹45.68 करोड़) के बजाय ₹100.31 करोड़ की छूट मिली, इसलिए ₹11.59 करोड़ की आय आय निर्धारण से छूट गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹3.94 करोड़ का कम कर का उद्ग्रहण किया गया।

यह अप्रैल 2022 में परिक्षेत्र-7(1), एबी, कोलकाता के संज्ञान में लाया गया था। परिक्षेत्र-7(1), एबी, कोलकाता ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं करते हुए (फरवरी 2023) कहा कि वितरण कर प्रभारित करने के परिणामस्वरूप ₹100.31 करोड़ की राशि को छूट के रूप में दावा किया गया, प्रतिभूतिकरण न्यास से प्राप्त निवेशक की आय को आयकर अधिनियम की धारा 10(35ए) के अंतर्गत छूट के रूप में माना जाना था। इस प्रकार, ₹3.94 करोड़ के कम कर का निर्धारण नहीं हुआ है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एम24 ने वितरित ब्याज आय पर कर की कम राशि काटी, जिसके परिणामस्वरूप वितरित आय, अर्थात कर की कम कटौती ₹11.59 करोड़ (₹45.68 करोड़ - ₹34.09 करोड़) के बीच का अंतर, का अधिक हस्तांतरण हुआ। इस प्रकार, आयकर विभाग को देय कर, निर्धारिती को हस्तांतरित कर दिया गया, जिसे बाद में निर्धारिती द्वारा छूट प्राप्त आय के रूप में दावा किया गया। अतः, धारा 35ए के अंतर्गत निर्धारिती को हस्तांतरित इस कर राशि की छूट अनुचित थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.5.5 निर्धारण से छूटने वाली आय

लेखापरीक्षा में विभिन्न कारणों से निर्धारण से छूटने वाली आय के मामले पाए गए, जैसे कि विदेशी मुद्रा विनिमय भंडार (एफ़सीटीआर) खाते में अथ शेष राशि को कर के अधीन न करना, आईसीडीएस के अनुसार अर्जित आय का विवरण न देना, आदि। इन मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

5.5.5.1 विदेशी मुद्रा विनिमय भंडार में अथ शेष राशि के संबंध में आय, जो निर्धारण से छूट रही है

लेखापरीक्षा में ऐसे मामले पाए गए जहाँ निर्धारिती द्वारा आईसीडीएस-VI के प्रावधानों के अनुसार राजस्व की पहचान नहीं की गई, और निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक द्वारा धारित एफ़सीटीआर के अथ शेष के कारण अर्जित आय को भी संवीक्षा निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा वापस नहीं जोड़ा गया, जिसके परिणामस्वरूप आय निर्धारण से छूट गई।

यद्यपि मौजूदा प्रावधानों में यह प्रावधान है कि एफ़सीटीआर के अथ शेष पर कर अधिरोपित किया जाना चाहिए, लेखापरीक्षा ने 218 मामलों में से सात मामलों में पाया कि ₹8,794.98 करोड़ की एफ़सीटीआर की अथ शेष राशि पर कर आरोपित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹3,546.79 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण हुआ, जैसा कि नीचे तालिका 5.81 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका 5.81: एफसीटीआर में अथ शेष राशि के संबंध में आय जो निर्धारण से छूट गई **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार	बैंक/ एनबीएफसी	निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष	संक्षेप में मुद्दा	अल्प निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	अहमदाबाद पीसीआईटी-1 अहमदाबाद	निजी बैंक	ए6/ 2017-18	01.04.2016 तक बैंक के पास ₹102.03 करोड़ का अथ शेष वाला विदेशी मुद्रा विनिमय भंडार (एफ़सीटीआर) था। बैंक ने इस रिज़र्व को आईसीडीएस-VI के अनुसार आय के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईसीडीएस-VI को रद्द कर दिया और वर्ष के दौरान कोई आईसीडीएस-VI लागू नहीं था।	102.03	35.31	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	पश्चिम बंगाल पीसीआईटी-2, कोलकाता	सार्वजनिक बैंक	यू2/ 2017-18	01 अप्रैल 2016 को निर्धारिती के पास ₹435.97 करोड़ का विदेशी मुद्रा अनुवाद रिजर्व (एफसीटीआर) शेष था तथा उसने पिछले किसी भी निर्धारण वर्ष में अपनी आय गणना में इसे मान्यता नहीं दी।	435.97	150.88	विभाग ने अप्रैल 2024 में धारा 148 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)।
3	तमिलनाडु,	सार्वजनिक बैंक	आई5/ 2017-18	एफसीटीआर की अथ शेष राशि पर कर नहीं लगाया गया।	134.34	46.49	लेखापरीक्षा बिंदु पर विचार करने के लिए धारा 147 के

तालिका 5.81: एफसीटीआर में अथ शेष राशि के संबंध में आय जो निर्धारण से छूट गई							(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष**	**संक्षेप में मुद्दा**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
	पीसीआईटी-4, चेन्नई						अंतर्गत मामले को पुनः खोला गया। हालाँकि, धारा 147 के साथ पठित धारा 144बी के अंतर्गत दिनांक 31-03-2022 को पारित कर-निर्धारण आदेशों में, इस संबंध में कोई वृद्धि/ अननुमति न देने का कोई कारण नहीं बताया गया।
4	चेन्नई, पीसीआईटी-1, चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई9/ 2017-18	एफसीटीआर में 01-04-2016 को अथ शेष ₹ 315.94 करोड़ था, जिसमें से निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित वित्त वर्ष 2016-17 के लिए ₹55.59 करोड़ की कटौती के बाद कुल राशि ₹ 260.34 करोड़ थी, जिस पर कर नहीं लगाया गया।	260.34	90.10	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
5	मुंबई, पीसीआईटी-3, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	यू1/ 2017-18	आय गणना और प्रकटीकरण मानकों (आईसीडीएस)-एफसीटीआर मुद्दे के प्रावधानों के अनुसार राजस्व को मान्यता नहीं दी गई।	107.76	37.29	क्षेत्र सत्यापन (जुलाई 2025) के अनुसार, ₹103.90 करोड़ की राशि को अननुमत करते हुए धारा 144 दिनांक 29.03.2022 के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत सुधारात्मक

तालिका 5.81: एफसीटीआर में अथ शेष राशि के संबंध में आय जो निर्धारण से छूट गई							(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष**	**संक्षेप में मुद्दा**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
							कार्यवाही की गई है।
6	मुंबई, पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस8/ 2017-18	आय गणना और प्रकटीकरण मानकों (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार राजस्व की पहचान नहीं की गई है।	6,056.25	2,598.97	अनुमत (मार्च 2022) और मार्च 2021 में धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)।
7	मुंबई, पीसीआईटी 2, मुंबई	निजी बैंक	आई4/ 2017-18	आय गणना और प्रकटीकरण मानकों (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार राजस्व को मान्यता नहीं दी गई है।	1,698.29	587.75	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
				योग	**8,794.98**	**3,546.79**	

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख।

नीचे एक मामला दर्शाया गया है।

बॉक्स 5.30: निर्धारण से बचने वाली विदेशी मुद्रा अनुवाद रिजर्व में अथ शेष राशि के संबंध में आय पर उदाहरणात्मक मामला

क) प्रभार: पीसीआईटी-1 चेन्नई

निर्धारिती: आई9

नि.व.: 2017-18

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारिती की फरवरी 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹4,164.24 करोड़ की आय निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया। एफसीटीआर शीर्षक के अंतर्गत तुलन पत्र की अनुसूची 2- (आरक्षित और अधिशेष) से यह देखा गया कि 01.04.2016 तक एफसीटीआर में शेष ₹315.94 करोड़ था। निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ₹55.59 करोड़ की कटौती करने के बाद, आईसीडीएस-VI के अन्तरिम प्रावधानों के अनुसार, ₹260.34 करोड़ की राशि कर के लिए प्रस्तावित की जानी चाहिए थी।

इस चूक के परिणामस्वरूप ₹260.34 करोड़ की आय में कमी आई और परिणामस्वरूप ₹90.10 करोड़ के कम कर का उद्ग्रहण हुआ।

मार्च 2022 में डीसीआईटी कॉर्पोरेट सर्किल 1(1) चेन्नई के संज्ञान में यह बात लाई गई। अप्रैल 2024, जून 2024 और दिसंबर 2024 के अनुस्मारक जारी होने के बावजूद डीसीआईटी कॉर्पोरेट सर्किल 1(1) चेन्नई से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.5.5.2 अदेय अर्जित ब्याज पर प्रोद्भवन आधार पर कर का गैर-आरोपण

सीबीडीटी परिपत्र[105] में यह प्रावधान किया गया है कि बैंकों को लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का पालन करना होगा और भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों और भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रोद्भवन आधार पर खाते तैयार करने होंगे। सीबीडीटी ने निर्धारण अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि बैंक सभी आय स्रोतों के संबंध में इस प्रणाली का सख्ती से पालन करें, और प्रोद्भवन लेकिन देय नहीं ब्याज पर कर आरोपित किया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अदेय अर्जित ब्याज पर निर्धारिती बैंक को कटौती की अनुमति दी गई, हालाँकि सीबीडीटी ने 23 मार्च 2017 के अपने परिपत्र संख्या 10/2017 में स्पष्ट किया कि आय पर प्रोद्भवन आधार पर कराधान किया जाना था, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

बॉक्स 5.31

प्रभार: प्रधान सीआईटी-3, मुंबई

निर्धारिती: यू1

नि.व.: 2017-18

दिसंबर 2019 में पूर्ण संवीक्षा के बाद, निर्धारिती का कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए अंतिम रूप दिया गया, जिसमें आय ₹5,343.27 करोड़ निर्धारित की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने अर्जित ब्याज के लिए ₹314.72 करोड़ की कटौती का दावा किया, जो कि पूर्व वर्ष के अंतिम दिन तक देय नहीं था। संवीक्षा के बाद कर निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया, इस मुद्दे पर कोई अतिरिक्त सूचना नहीं दी गई, जिससे यह पुष्टि होती है कि निर्धारिती का दावा स्वीकार कर लिया गया। हालाँकि, जैसा कि सीबीडीटी की

[105] आईसीडीएस-IV - राजस्व मान्यता पर परिपत्र संख्या 10/2017, दिनांक 23 मार्च 2017, ने (एफएक्यू-13) और सीबीडीटी ने 26 नवंबर 2008 के निर्देश संख्या 17/2008 के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया है।

2017 की परिपत्र संख्या 10, दिनांक 23 मार्च 2017 द्वारा स्पष्ट किया गया है, ब्याज आय प्रोद्भवन आधार पर दिया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीसीआईटी-2, मुंबई के अंतर्गत एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और उसके सहयोगियों के निर्धारण के मामले में, ब्याज पर नियमित रूप से प्रोद्भवन के आधार पर कर आरोपित किया जाता है और लेकिन अदेय अर्जित ब्याज के लिए निर्धारिती का कटौती का दावा हमेशा जांच निर्धारण में खारिज कर दिया जाता है, तथापि मामला विभिन्न चरणों में मुकदमेबाज़ी के अधीन है। यह भी देखा गया कि यू1 के मामले में, आईटीएटी मुंबई ने आईटीए संख्या 8817/बी/92 में संदर्भित मामले में निर्धारिती को कटौती की अनुमति दी। विभाग से यह सत्यापित करने का अनुरोध किया गया कि क्या यह निर्णय स्वीकार किया गया है या उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है। विभाग से उत्तर की प्रतीक्षा है, और इस मुद्दे पर आईसीडीएस की अधिसूचना के बाद नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है, जो कि निर्धारण वर्ष 2017-18 से लागू है।

उपरोक्त के मद्देनजर, अदेय अर्जित ब्याज की कटौती के लिए निर्धारिती के दावे को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप ₹314.72 करोड़ की आय का कम निर्धारण और ₹108.92 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया।

यह बात दिसंबर 2020 में एसीआईटी 3(4) मुंबई के संज्ञान में लाई गई। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए लेखापरीक्षा को सूचित किया (जुलाई 2025) कि आयकर अधिनियम (मार्च 2022) की धारा 144बी के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्यवाही की गई थी।

5.5.5.3 अननुमत रसीदों कि अनियमित नकद जमा पर कर का गैर-आरोपण

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने नवंबर 2016 में ₹500 और ₹1,000 मूल्य के बैंक नोटों, जिन्हें निर्दिष्ट बैंक नोट[106] (एसबीएन) कहा जाता है, की वैध मुद्रा स्थिति वापस ले ली। हालाँकि, निर्दिष्ट बैंक नोट धारकों को 30.12.2016 को या उससे पहले बिना किसी सीमा के किसी भी बैंक (केवाईसी अनुपालक) में रखे गए अपने खाते में ऐसे निर्दिष्ट बैंक नोट जमा करने की सुविधा प्रदान की गई, ताकि निर्दिष्ट बैंक नोटों के समतुल्य मूल्य ऐसे खातों में जमा हो जाएँ। अननुमत रसीदें 9 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक बैंकों के अलावा अन्य निर्धारिती द्वारा अपने ऋण उधारकर्ताओं से निर्दिष्ट बैंक नोटों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करती

---

[106] विनिर्दिष्ट बैंक नोट (देयताओं की समाप्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार, "विनिर्दिष्ट बैंक नोट" से तात्पर्य 8 नवंबर, 2016 को या उससे पहले विद्यमान श्रृंखला के पांच सौ ₹ या एक हजार ₹ के मूल्यवर्गीय मूल्य के बैंक नोट से है।

हैं और उधारकर्ता के नियमित ऋण दायित्वों के खिलाफ समायोजित की जाती हैं, जो 8 नवंबर 2016 को या उससे पहले वितरित ऋणों के संबंध में व्यवसाय के सामान्य क्रम में देय थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तथापि निर्धारिती एनबीएफ़सी, जो विमुद्रीकरण अवधि के दौरान एसबीएन स्वीकार करने के लिए अर्ह नहीं थे, ने इसे स्वीकार कर लिया और कराधान के लिए अनधिकृत जमा की पेशकश नहीं की, निर्धारण अधिकारी ने भी जांच निर्धारण के दौरान इसे सत्यापित किया और वापस नहीं जोड़ा। लेखापरीक्षा ने देखा कि चार मामलों में, एसबीएन स्वीकार किए गए और निर्धारण के दौरान कर के दायरे में नहीं लाए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 110.86 करोड़ की आय निर्धारित हुई और परिणामस्वरूप ₹ 79.60 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया, जैसा कि नीचे तालिका 5.82 में दिया गया है:

तालिका 5.82: अननुमत प्राप्तियों का अनियमित नकद जमा, जिन पर कर आरोपित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम/ नि.व.**	**संक्षेप में मुद्दा**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
1	अहमदाबाद पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	एफ2 2017-18	विमुद्रीकरण के दौरान बैंकों में जमा किए गए एसबीएन और अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के कारण निर्धारिती नकदी को विभाजित नहीं कर सका।	38.40	45.68	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	अहमदाबाद पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	एम4 2017-18	विमुद्रीकरण के दौरान बैंक खाते में अनधिकृत जमा	0.35	0.36	धारा 263 के अंतर्गत संशोधन हेतु प्रस्ताव एसीआईटी द्वारा 20.06.22 को भेजा गया। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)।
3	हैदराबाद पीसीआईटी-1 हैदराबाद	एनबीएफ़सी	ए15 2017-18	निर्धारिती कंपनी ने विमुद्रीकरण अवधि के दौरान बैंक खाते में अननुमत रसीदों	1.21	0.93	मंत्रालय ने स्वीकार करते हुए कहा (नवंबर 2025) कि धारा

तालिका 5.82: अननुमत प्राप्तियों का अनियमित नकद जमा, जिन पर कर आरोपित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार	बैंक/ एनबीएफ़सी	निर्धारिती का नाम/ नि.व.	संक्षेप में मुद्दा	अल्प निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
				से ₹1.21 करोड़ की नकद जमा की थी।			154 के अंतर्गत त्रुटि परिशोधित कर ली गई है से (जून 2025)
4	लखनऊ प्रधान सीआईटी, इलाहाबाद	एनबीएफ़सी	एस24 2017-18	निर्धारिती ने विमुद्रीकरण के दौरान अपने बैंक खातों में ₹ 70.90 करोड़ की नकद जमा की, और कर निर्धारण में उनका सत्यापन नहीं किया गया।	70.90	32.63	मंत्रालय ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया (मई 2025) कि 23 मार्च, 2022 को धारा 263 के अंतर्गत पीसीआईटी द्वारा इस मुद्दे को निर्धारण अधिकारी को वापस बहाल कर दिया गया था। निर्धारण अधिकारी ने 31 मार्च, 2023 को फिर से इस मुद्दे की समीक्षा की, लेकिन कर रिटर्न में अघोषित नकद जमा के संबंध में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकालने के कारण प्रदान नहीं किए।
				कुल	**110.86**	**79.60**	

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

नीचे दो मामलों पर चर्चा की गई है।

बॉक्स 5.32

क) प्रभार: प्रधान सीआईटी इलाहाबाद

निर्धारिती: एस24

नि.व.: 2017-18

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारिती का निर्धारण धारा 143(3) के अंतर्गत दिसंबर 2019 में ₹ 17.73 करोड़ की आय पर किया गया। वित्तीय विवरण के नोट 34 के अनुसार, निर्धारिती ने विमुद्रीकरण अवधि के दौरान ₹ 70.90 करोड़ (₹ 0.66 करोड़ के एसबीएन सहित) की नकद जमा की। निर्धारिती ने आईटीआर के संबंधित कॉलम में नकद जमा का प्रकटीकरण भी नहीं किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती की कुल आय में ₹ 0.66 करोड़ के एसबीएन की नकद जमा को निर्धारण के दौरान नहीं जोड़ा गया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि निर्धारिती के कुछ कर्मचारियों के पैन से जुड़े कुछ बैंक खातों में नकद जमा किए गए। तथापि ऐसे कर्मचारियों के क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के निर्धारण अधिकारी के साथ सूचना साझा की। निर्धारण अधिकारी ने जांच निर्धारण के दौरान इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया।

निर्धारिती की आय में वापस न जोड़ने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 32.63 करोड़ की कम माँग हुई। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति फरवरी 2022 में डीसीआईटी-1(1), इलाहाबाद के संज्ञान में लाई गई।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2025) में यह कहते हुए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया कि यह मुद्दा 23 मार्च 2022 के आयकर अधिनियम 1961 की धारा 263 के अंतर्गत पीसीआईटी के आदेश द्वारा निर्धारण अधिकारी को वापस कर दिया गया था। इसके बाद, 31 मार्च 2023 के आयकर अधिनियम 1961 की धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा इस मुद्दे की जांच की गई और उक्त आदेश में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला गया। *मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निर्धारण अधिकारी ने आईटीआर में नकद जमा के अप्रकटीकरण और जांच न किए गए मुद्दे के संबंध में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकालने के लिए मार्च 2023 में धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत पारित आदेश में कारण दर्ज नहीं किए हैं।*

उपरोक्त के मद्देनजर, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को दोहराया जाता है।

5.5.5.4 कर निर्धारण से बचने वाली आय के अन्य मामले

जांचे गए 2,378 मामलों में से 28 मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत कर निर्धारण से बचने वाली आय में ₹ 8,721.05 करोड़ की कमी सम्मिलित थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,965.46 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया, जैसा कि ***अनुलग्नक 5.7*** और नीचे तालिका 5.83 में संक्षेपित है।

तालिका 5.83: अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित नहीं की गई आय (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	निर्धारिती का प्रकार	सं.	सम्मिलित नि.व.	कम निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	बेंगलुरु	एनबीएफ़सी	1	2014-15	26.10	13.84	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	3	2013-14 से 2015-16	7.15	2.37	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
3	केरल	निजी बैंक	1	2017-18	5.45	1.89	स्वीकार नहीं किया गया (अक्टूबर 2022)। प्रत्युत्तर जारी किया गया (अप्रैल 2024)।
		एनबीएफ़सी	2	2017-18	300.23	103.55	एक मामले में स्वीकार नहीं किया गया (अक्टूबर 2022), और दूसरे मामले में आयकर विभाग ने उत्तर दिया कि मामले की संवीक्षा की जाएगी (अक्टूबर 2022)। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)।
4	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	5	2014-15 से 2017-18 व 2019-20	7,770.65	3,632.41	उत्तर प्रतीक्षित है (2025)।
5	हैदराबाद	एनबीएफ़सी	3	2016-17 से 2018-19	17.09	5.63	उत्तर प्रतीक्षित है (2025)।
6	कोलकाता	निजी बैंक	1	2016-17	480.28	166.21	उत्तर प्रतीक्षित है (2025)।

तालिका 5.83: अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित नहीं की गई आय (₹ करोड़ में)							
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**निर्धारिती का प्रकार**	**सं.**	**सम्मिलित नि.व.**	**कम निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
		एनबीएफ़सी	10	2012-13; 2015-16; 2016-17; व 2017-18	102.56	34.27	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
7	लखनऊ	एनबीएफ़सी	2	2018-19	11.54	5.29	दोनों मामलों में स्वीकृति और सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई (मई 2024)। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है (अक्टूबर 2025)।
		कुल	**28**		**8,721.05**	**3,965.46**	

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख *(अनुलग्नक 5.7 देखें)*

एक उदाहरणात्मक मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

बॉक्स 5.33

प्रभार: प्रधान सीआईटी- केंद्रीय, कानपुर

निर्धारिती: मैसर्स आई6

नि.व.: 2018-19

फरवरी 2021 में, निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए धारा 143(3) के अंतर्गत, एक एनबीएफ़सी, निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने लाभ-हानि खाते में ₹2.71 करोड़ की प्राप्तियाँ जमा की, लेकिन ₹5.72 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹60.20 लाख का टीडीएस दावा किया। संवीक्षा निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, विभाग ने निर्धारिती द्वारा दावा किए गए ₹60.20 लाख के पूर्ण टीडीएस क्रेडिट की अनुमति दी, हालाँकि ₹5.72 करोड़ की संबंधित प्राप्तियाँ पूरी तरह से प्रस्तुत की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹3.01 करोड़ की आय से बचने में ₹1.38 करोड़ का कर का कम उद्ग्रहण किया गया।

अप्रैल 2022 में डीसीआईटी-सेंट्रल परिक्षेत्र-II, नोएडा के संज्ञान में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति लाई गई। डीसीआईटी-सेंट्रल परिक्षेत्र-II, नोएडा ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए

(मई 2024) कहा कि मई 2024 में अधिनियम की धारा 148ए(बी) के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है (अक्टूबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुशंसा:

सीबीडीटी समय-समय पर बैंकों और एनबीएफ़सी से संबंधित गैर स्वीकार्य-आय और व्यय की मदों के निर्धारण के संबंध में निर्धारण अधिकारी को संवेदनशील बनाने के लिए अपने निर्देशों को दोहराए ताकि निर्धारण में अनुपालन विचलन को कम किया जा सके और चूक की त्रुटियों से बचा जा सके।

मंत्रालय ने अपने जवाब (नवंबर 2024) में कहा कि अनुशंसा की जांच चल रही है।

चूँकि अनुशंसा परीक्षणाधीन है, इस संबंध में लेखापरीक्षा में प्रगति की प्रतीक्षा की जाएगी।

5.5.6 प्रावधानों और व्यय के लिए कटौती की अनुचित अनुमति

आयकर अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, पूंजीगत व्यय के अलावा, पिछले वर्ष में पूर्णतः और विशेष रूप से व्यवसाय के उद्देश्य से किया गया कोई भी व्यय 'व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति' शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना में स्वीकार्य है। 2008 की सीबीडीटी निर्देश संख्या 17, दिनांकित 26 नवंबर 2008, ने स्पष्ट किया कि धारा 37 के अनुसार, केवल प्रोद्भवन या निश्चित देयता के संबंध में लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई राशि ही स्वीकार्य कटौती है, जबकि किसी भी अनिर्धारित देयता या ऐसी देयता जो उपार्जित नहीं हुई है, के संबंध में कोई भी प्रावधान कटौती के लिए अर्ह नहीं है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि आकस्मिक देयताएँ आयकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कटौती देय व्यय नहीं मानी जा सकतीं। बोर्ड ने कहा कि किसी घटना के घटित होने पर व्यय के रूप में आने वाली धनराशि को अलग रखना सामान्यतः आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य व्यय नहीं माना जाएगा। सीबीडीटी ने निर्देश दिया कि निर्धारण अधिकारी ऐसे दावों का सत्यापन करें कि क्या ये आयकर अधिनियम के अनुसार स्वीकार्य हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र[107] के अनुसार, बैंकों को धोखाधड़ी वाले खातों के संबंध में, धोखाधड़ी का पता चलने वाली तिमाही से शुरू होकर अधिकतम चार तिमाहियों की अवधि में प्रावधान करने की अनुमति है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी निर्देश दिया है कि क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों

---

[107] आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.83/21.01.048/2014-15 दिनांक 01 अप्रैल 2015 और परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल 2016।

के संबंध में बनाए गए एनपीए के प्रावधान के अलावा धोखाधड़ी पर नुकसान का प्रावधान एक अतिरिक्त उपाय के रूप में किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि धोखाधड़ी पर प्रदान की गई परिशोधित हानि आईटी अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत कटौती के लिए योग्य नहीं है।

लेखापरीक्षा में जांच किए गए 2,378 मामलों में से 79 मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 15,646.01 करोड़ के प्रावधानों और व्यय के लिए अनियमित कटौती की अनुमति दी थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2,766.55 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया था।

ये मामले नीचे ***अनुलग्नक 5.8*** और तालिका 5.84 में सारणीबद्ध हैं।

तालिका 5.84: निर्धारण से बचने वाले मामलों का विवरण **(₹ करोड़ में)**

क्र.सं.	क्षेत्र	निर्धारिती का प्रकार	मामलों की संख्या	सम्मिलित नि.व.	अल्प निर्धारण	कर प्रभाव
1	अहमदाबाद	निजी बैंक	2	2015-16 व 2016-17	25.94	8.96
		एनबीएफ़सी	1	2018-19	3.18	1.56
2	जयपुर	एनबीएफ़सी	5	2018-19 व 2019-20	16.35	5.70
3	बेंगलुरु	सार्वजनिक बैंक	1	2017-18	49.20	22.40
		निजी बैंक	1	2019-20	22.55	10.24
		एनबीएफ़सी	5	2016-17 से 2019-20	204.36	96.05
4	चंडीगढ़	निजी बैंक	2	2012-13 व 2015-16	5.00	1.69
5	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	5	2017-18 व 2018-19	1689.35	571.35
		निजी बैंक	5	2016-17 से 2017-18	392.39	135.91
		एनबीएफ़सी	8	2015-16 से 2018-19	562.39	191.39
6	केरल	निजी बैंक	9	2015-16 से 2019-20	11.25	3.48
		एनबीएफ़सी	5	2010-11 व 2015-16 से 2017-18	15.52	5.38

तालिका 5.84: निर्धारण से बचने वाले मामलों का विवरण						(₹ करोड़ में)
क्र.सं.	**क्षेत्र**	**निर्धारिती का प्रकार**	**मामलों की संख्या**	**सम्मिलित नि.व.**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**
7	हैदराबाद	एनबीएफ़सी	3	2015-16 से 2017-18	5.09	1.67
8	कोलकाता	सार्वजनिक बैंक	2	2017-18 से 2018-19	368.56	127.51
		निजी बैंक	3	2017-18 व 2018-19	45.02	15.56
		विदेशी बैंक	1	2014-15	79.11	34.22
		एनबीएफ़सी	9	2012-13; 2014-15; 2015-16, 2016-17 व 2017-18	178.57	59.46
9	लखनऊ	एनबीएफ़सी	1	2015-16	1.00	00.45
10	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	3	2015-16, 2016-17, 2018-19	11,354.37	1,260.92
		निजी बैंक	1	2014-15	3.22	1.09
		एनबीएफ़सी	7	2014-15 व 2016-17 से 2019-20	613.59	211.56
		कुल	**79**		**15,646.01**	**2,766.55**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख *(अनुलग्नक 5.8 देखें)*

नीचे दो उदाहरणात्मक मामलों पर चर्चा की गई है:

बॉक्स 5.34

(क) शेयरों में गैर-निष्पादित निवेश के लिए अनियमित कटौती की अनुमति

प्रभार: पीसीआईटी-2 मुंबई

निर्धारिती: सी4

नि.व.: 2018-19

अप्रैल 2021 में ₹469.08 करोड़ की आय पर पूर्ण संवीक्षा के बाद, निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारिती का निर्धारण फेसलेस निर्धारण योजना के अंतर्गत किया गया। निर्धारिती द्वारा जमा आय की गणना से पता चला कि निर्धारिती ने शेयरों में गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के प्रावधान के लिए ₹1,101.72 करोड़ की कटौती का दावा किया। चूंकि शेयरों में निवेश तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में दिखाई देने वाली एक पूंजीगत वस्तु है, इसलिए परिसंपत्ति के मूल्य में कमी के लिए बनाया गया कोई भी प्रावधान 'व्यवसाय या पेशे से लाभ

और प्राप्ति' शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना करते समय स्वीकार्य व्यय नहीं है। यह तथ्य कि निर्धारिती ने धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना करते समय इस प्रावधान को जोड़ा था, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य व्यय नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹1,101.71 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹381.28 करोड़ का कर का कम उद्ग्रहण किया गया।

यह बात फरवरी 2022 में डीसीआईटी 2(1)(1), मुंबई के संज्ञान में लाई गई। अप्रैल 2024 और नवंबर 2024 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद डीसीआईटी 2(1)(1), मुंबई का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

(ख) धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान के लिए प्रावधान का अनुचित दावा

प्रभार: पीसीआईटी-1, चेन्नई

निर्धारिती: मेसर्स ए13

नि.व.: 2018-19

निर्धारिती ने ₹8,699.47 करोड़ की हानि स्वीकार करते हुए आयकर रिटर्न जमा किया और अप्रैल 2021 में संवीक्षा निर्धारण पूरा हुआ, जिसमें ₹6,889.24 करोड़ की हानि निर्धारित की गई। इस मामले में, निर्धारिती ने आय रिटर्न में "धोखाधड़ी से हुई हानि" के लिए ₹1,428.11 करोड़ की कटौती का दावा किया था, जिसे संवीक्षा निर्धारण में स्वीकार कर लिया गया। लेखापरीक्षा ने संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन से पाया कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा बही में "धोखाधड़ी से हुई हानि का परिशोधन" के लिए प्रदान की गई राशि के संबंध में प्रकटीकरण किए गए। यह दावा ऐसे प्रावधानों का प्रतिनिधित्व करता है जो धारा 37 की स्वीकार्य कटौती के अंतर्गत नहीं थे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अग्रिमों पर धोखाधड़ी से हुए नुकसान पर ₹507.90 करोड़ की कटौती का एक समान दावा, निर्धारण वर्ष 2017-18 के निर्धारण के दौरान अननुमत कर दिया गया, लेकिन निर्धारण वर्ष 2018-19 के निर्धारण में इसे अननुमत नहीं किया गया। कटौती की अनुचित अनुमति के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए ₹1,428.11 करोड़ की अतिरिक्त हानि की अनुमति दी गई, जिसमें ₹494.24 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सम्मिलित था।

फरवरी 2022 में यह बात डीसीआईटी कॉर्पोरेट सर्किल 1(1), चेन्नई के संज्ञान में लाई गई। अक्टूबर 2023, अप्रैल 2024, जून 2024 और दिसंबर 2024 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद डीसीआईटी कॉर्पोरेट सर्किल 1(1), चेन्नई से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.5.6.1 विलय पर सृजित साख पर अवमूल्यन की अनुचित अनुमति

वित्त अधिनियम, 2021 में स्पष्ट किया गया है कि साख को अमूर्त संपत्ति के रूप में नहीं माना जाना है। यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड (सितंबर 2016) के मामले में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की बेंगलुरु पीठ ने यह निर्णय दिया कि करदाता, एक एकीकृत कंपनी होने के नाते, एकीकरण योजना में अर्जित परिसंपत्तियों पर, एकीकृत कंपनी को स्वीकार्य मूल्यह्रास से अधिक मूल्यह्रास का दावा नहीं कर सकता।

लेखापरीक्षा में साख पर मूल्यह्रास की अनियमित अनुमति का एक मामला पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹58.99 करोड़ का कर का कम उद्ग्रहण किया गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

बॉक्स 5.35: साख पर मूल्यह्रास की अनुचित अनुमति का उदाहरणात्मक मामला

प्रभार: पीसीआईटी-6, मुंबई
निर्धारिती: सी11
नि.व.: 2014-15, 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19

पीसीआईटी-6, मुंबई के अंतर्गत सी11 का निर्धारण, निर्धारण वर्ष 2014-15, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए धारा 143(3) के अंतर्गत क्रमशः दिसंबर 2017, दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 और जुलाई 2021 में पूरा किया गया। यह देखा गया कि सी27 के विलय के कारण बनाई गई साख पर क्रमशः निर्धारण वर्ष 2014-15, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान ₹ 74.90 करोड़, ₹ 42.23 करोड़, ₹ 31.67 करोड़ और ₹ 23.75 करोड़ का मूल्यह्रास अनुमत किया गया। चूंकि साख पर मूल्यह्रास स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2014-15, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान ₹ 74.90 करोड़, ₹ 42.23 करोड़, ₹ 31.67 करोड़ और ₹ 23.75 करोड़ की आय कम हुई, जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः ₹ 25.46 करोड़, ₹ 14.35 करोड़, ₹ 10.96 करोड़ और ₹ 8.22 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया। कुल मिलाकर ₹ 58.99 करोड़ का कर का कम उद्ग्रहण किया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति क्रमशः मार्च 2019, मार्च 2021, मार्च 2021 और दिसंबर 2021 में डीसीआईटी 14(1)(2), मुंबई के संज्ञान में लाई गई। मंत्रालय ने सभी नि.व. के लिए लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर लिया है (नवंबर 2025) और कहा है कि नि.व. 2014-15 के लिए मई 2023 में आयकर अधिनियम की धारा 144बी के साथ पठित 147 के अंतर्गत और

नि.व. 2016-17 और नि.व. 2017-18 के लिए फरवरी 2025 में और नि.व. 2018-19 के लिए मार्च 2025 में धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत आदेश पारित करके सुधारात्मक कार्यवाही की गई है।

अनुशंसा:

सीबीडीटी बैंकों और एनबीएफसी से संबंधित गैर-स्वीकार्य व्यय की मदों की पहचान कर सकता है, ताकि अर्ह दावों पर व्यय की अनुमति सुनिश्चित करने के लिए इसे निर्धारण अधिकारियों के बीच प्रसारित किया जा सके।

मंत्रालय ने अपने जवाब (नवंबर 2024) में कहा कि अनुशंसा की जांच चल रही है।

चूँकि अनुशंसा परीक्षणाधीन है, इस संबंध में लेखापरीक्षा में प्रगति की प्रतीक्षा की जाएगी।

5.5.7 धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना में अनियमितता

आयकर अधिनियम की धारा 115जेबी के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत परिकलित कर, धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत बही लाभ पर देय कर से कम है, वहाँ निर्धारिती विशेष प्रावधानों के अनुसार बही लाभ पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। धारा 115जेबी के अंतर्गत स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनार्थ बही लाभ की गणना हेतु निवल लाभ में समायोजन का प्रावधान करता है। धारा 115जेबी के अंतर्गत पिछले वर्षों में लेखा बही में किए गए प्रावधानों के संबंध में वास्तविक भुगतान के आधार पर कटौती की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जाँचे गए 2,378 मामलों में से 29 मामलों में, बही लाभ की गणना करते समय गैर-अनुमत अशोध्य ऋणों और अन्य व्ययों के लिए कटौती की अनुमति दी गई, जिसमें ₹1,24,644.73 करोड़ के बही लाभ का कम निर्धारण और ₹985.05 करोड़ के बही लाभ का अधिक निर्धारण सम्मिलित था, जिसमें ₹22,585.34 करोड़ का कर सम्मिलित था। विवरण ***अनुलग्नक 5.9*** और नीचे तालिका 5.85 में संक्षेपित हैं।

तालिका 5.85: उन मामलों का विवरण जहां बही लाभ की गणना सही प्रकार नहीं की गई **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	क्षेत्र	निर्धारिती का प्रकार	मामलों की सं.	सम्मिलित नि.व.	अल्प निर्धारण	अधिक निर्धारण	कर प्रभाव
1	चेन्नई	निजी बैंक	1	2018-19	35.15	---	12.16
		सार्वजनिक बैंक	5	2014-15 से 2018-19	12,015.04	---	1,957.54
2	केरल	निजी बैंक	3	2018-19 से 2019-20	293.13	---	57.37

तालिका 5.85: उन मामलों का विवरण जहां बही लाभ की गणना सही प्रकार नहीं की गई							(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**निर्धारिती का प्रकार**	**मामलों की सं.**	**सम्मिलित नि.व.**	**अल्प निर्धारण**	**अधिक निर्धारण**	**कर प्रभाव**
3	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	3	2015-16 व 2018-19	10,646.89	---	1,326.38
4	चंडीगढ़	एनबीएफ़सी	2	2015-16 व 2016-17	50.86	---	13.77
5	लखनऊ	एनबीएफ़सी	1	2019-20	40.99	---	9.59
6	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	8	2015-16 से 2019-20	87,004.69	---	17,163.69
			1	2018-19	---	985.05	210.22
		निजी बैंक	2	2018-19	12,496.44	---	1,526.14
		एनबीएफ़सी	3	2017-18 से 2019-20	2,061.54	---	308.48
		कुल	**29**		**1,24,644.73**	**985.05**	**22,585.34**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख *(अनुलग्नक 5.9 देखें)*

लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों का उल्लेख किया जहाँ बही लाभ की गणना के लिए निवल लाभ में आवश्यक समायोजन नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप बही लाभ की गलत गणना हुई। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों का भी उल्लेख किया जहाँ निर्धारण सामान्य प्रावधान के अंतर्गत हानि पर पूरा किया गया, हालाँकि अधिनियम की धारा 115जेबी के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) देय था।

नीचे दो मामलों पर चर्चा की गई है।

बॉक्स 5.36

क) प्रभार: पीसीआईटी-7, दिल्ली

निर्धारिती: ओ2

नि.व.: 2018-19

मार्च 2021 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारिती का निर्धारण पूरा किया गया, जिसमें अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹4,898.15 करोड़ की हानि निर्धारित की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के रूप में लाभ और हानि खाते में ₹9,498.08 करोड़ डेबिट किए। साथ ही, विभाग ने सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत धारा 14ए के अंतर्गत ₹27.94 करोड़ की अनुमति नहीं दी। लेकिन, धारा 115जेबी के अंतर्गत एमएटी की गणना के लिए बही लाभ की गणना करते समय, उसे वापस नहीं जोड़ा गया। अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के रूप में दावा की गई राशि और धारा 14ए के अंतर्गत की गई अननुमति को जोड़ने पर, निर्धारिती धारा 115जेबी के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता। इस गलती के

परिणामस्वरूप धारा 115जेबी के अंतर्गत ₹3,637.17 करोड़ की आय कम हुई, जिसमें ब्याज सहित ₹994.12 करोड़ का कर का कम उद्ग्रहण किया गया।

यह बात जून 2022 में सर्किल 19(1), दिल्ली के संज्ञान में लाई गई। अप्रैल 2023, अप्रैल 2024 और नवंबर 2024 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद सर्किल 19(1), दिल्ली से उत्तर प्रतीक्षित है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

ख) प्रभार: पीसीआईटी-1, चेन्नई
निर्धारिती: ए13
नि.व.: 2014-15 से 2018-19

मेसर्स इलाहाबाद बैंक के मामले में, निर्धारिती के "बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान" की कटौती के दावे को धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना में अनुमति दी गई, जैसा कि निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 के निर्धारण अभिलेख से देखा गया है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने संबंधित वार्षिक रिपोर्टों से देखा कि कटौती के रूप में दावा की गई राशि लाभ और हानि खाते में वापस लिए गए/जमा किए गए किसी प्रावधान खाते से संबंधित नहीं थी और इसलिए, बही लाभ की गणना में कमी के रूप में दावा करने के अर्ह नहीं थी। इसके अलावा यह भी देखा गया कि निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना करना छोड़ दिया गया। त्रुटियों के परिणामस्वरूप धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना में चूक/गलत गणना हुई, जो ₹ 12,015.04 करोड़ थी। इसमें कुल ₹ 1,957.54 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है।

फरवरी 2022 में इसे कॉर्पोरेट सर्किल 1(1), चेन्नई के संज्ञान में लाया गया।

नि.व. 2017-18 के लिए, मार्च 2025 में धारा 144बी के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। अक्टूबर 2023, अप्रैल 2024, जून 2024 और दिसंबर 2024 में जारी अनुस्मारकों के बावजूद, डीसीआईटी, कॉर्पोरेट सर्किल 1(1), चेन्नई से उत्तर नि.व. 2014-15 से 2016-17 और 2018-19 के लिए प्रतीक्षित है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.5.8 दीर्घकालिक पूंजीगत हानि/लाभ की अनुचित अनुमति

लेखापरीक्षा में मुंबई क्षेत्र में चार मामले पाए गए, जहाँ विभाग द्वारा ₹ 1,553.83 करोड़ की दीर्घकालिक पूंजीगत हानि/लाभ की गलत गणना की गई और अनुमति दी गई, जिसमें ₹ 102.17 करोड़ का सकारात्मक कर और ₹ 255.18 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सम्मिलित था, जैसा कि नीचे तालिका 5.86 में दिया गया है।

तालिका 5.86: उन मामलों का विवरण जहाँ दीर्घकालिक पूंजीगत हानि की उचित गणना नहीं की गई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पीसीआईटी प्रभार	बैंक/ एनबीएफसी	निर्धारिती का नाम	नि.व.	अल्प निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	मुंबई	पीसीआईटी-6, मुंबई	एनबीएफ़सी	आई2	2017-18	109.25	25.21 (संभावित)	उत्तर की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)।
2	मुंबई	सीआईटी (आईटी)-2 मुंबई	विदेशी बैंक	एस11	2018-19	80.08	17.32 (सकारात्मक)	स्वीकृत (जुलाई 2025) और धारा 147 के अंतर्गत सुधारात्मकार्यवाही (अगस्त 2024) शुरू की गई।
3	मुंबई	पीसीआईटी-2 मुंबई	निजी बैंक	आई4	2016-17	367.75	84.85 (सकारात्मक)	अनुमत (फरवरी 2022) और धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)।
4	मुंबई	पीसीआईटी-2 मुंबई	निजी बैंक	आई4	2015-16	996.75	229.97 (संभावित)	अनुमत (मार्च 2022) और धारा 263 के अंतर्गत मार्च

तालिका 5.86: उन मामलों का विवरण जहाँ दीर्घकालिक पूंजीगत हानि की उचित गणना नहीं की गई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**क्षेत्र**	**पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
								2021 में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)।
	कुल					**1,553.83**	**357.35**	

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

लेखापरीक्षा ने पाया कि शेयरों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को हस्तांतरित करने पर दीर्घकालिक पूंजीगत हानि/लाभ की अनियमित अनुमति दी गई और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना के लिए भूमि की विक्रय प्रतिफल को अनुचित तरीके से अपनाया गया।

एक मामला नीचे दर्शाया गया है:

बॉक्स 5.37
प्रभार: सीआईटी (आईटी)-2, मुंबई
निर्धारिती: मेसर्स एस11
नि.व.: 2018-19

नवंबर 2021 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 144(सी) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारण पूरा किया गया, जिससे ₹ 4,631.56 करोड़ की आय निर्धारित हुई। लेखापरीक्षा ने कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से पाया कि निर्धारिती ने वर्ष के दौरान ₹ 52 करोड़ में ज़मीन बेची थी, जबकि स्टाम्प प्रभार का मूल्य ₹ 132.08 करोड़ माना। हालाँकि, कर निर्धारण अधिकारी ने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना करते समय, आयकर अधिनियम की धारा 50सी[108] के अनुसार ₹ 132.08 करोड़ के बजाय ₹ 52 करोड़ का विक्रय प्रतिफल अपनाया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 80.08 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिससे ₹ 17.32 करोड़ का कर का कम उद्ग्रहण किया गया।

---

108 धारा 50सी में यह प्रावधान है कि जहां किसी पूंजीगत परिसंपत्ति, जो भूमि या भवन या दोनों है, के निर्धारिती द्वारा हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित प्रतिफल, ऐसे हस्तांतरण के संबंध में स्टाम्प शुल्क के भुगतान के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए या मूल्यांकित या कर-निर्धारणीय मूल्य से कम है, वहां अपनाए गए या मूल्यांकित या कर-निर्धारणीय मूल्य को ऐसे हस्तांतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या अर्जित प्रतिफल का पूर्ण मूल्य माना जाएगा।

यह बात मार्च 2022 में डीसीआईआईटी (आईटी)-4(2)(2), मुंबई के संज्ञान में लाई गई। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (जुलाई 2025) को स्वीकार किया और कहा कि धारा 147 (अगस्त 2024) के अंतर्गत सुधारात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.5.9 विदेशी बैंकों को धारा 44सी के अंतर्गत कटौती की अनुचित अनुमति

सीबीडीटी ने 26 नवंबर 2008 के निर्देश संख्या 17/2008 के अंतर्गत निर्देश दिया कि निर्धारण अधिकारी को मुख्यालय व्यय के दावों को स्वीकार करने से पहले, इन प्रावधानों के साथ-साथ लागू डीटीएए के प्रासंगिक खंड(ओं) के आलोक में मुख्यालय व्यय के दावे की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने विदेशी बैंकों के आठ मामले[109] देखे जिनमें धारा 44सी[110] के अंतर्गत ₹ 1,470.35 करोड़ की अनुचित कटौती की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 636.07 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया, जैसा कि नीचे तालिका 5.87 में दिया गया है।

तालिका 5.87: विदेशी बैंकों को धारा 44सी के अंतर्गत कटौती की अनुचित अनुमति (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पीसीआईईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कम निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	मुंबई	सीआईटी (आईटी)-3 मुंबई	जे3	2017-18 व 2018-19	48.98	21.19	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	मुंबई	सीआईटी (आईटी), मुंबई-2	डी1	2016-17	4.69	2.03	स्वीकृत और सूचित किया कि (अगस्त 2023)। धारा 147 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की गई (मई 2022)।
3	मुंबई	सीआईटी (आईटी), मुंबई-2	डी1	2015-16	1.97	0.85	स्वीकृत (अगस्त 2023)। धारा 154 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की गई (मार्च 2022)।

109 जे3 (वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19) (₹48.98 करोड़), डी1 (वित्त वर्ष 2016-17) (₹4.69 करोड़), डी1 (वित्त वर्ष 2015-16) (₹1.97 करोड़), सी1 (वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19) (₹1,415.79 करोड़)

110 अधिनियम की धारा 44सी के अनुसार, भारत में स्थायी प्रतिष्ठान वाली अनिवासी कंपनियाँ, निर्धारिती द्वारा भारत में व्यवसाय या पेशे के कारण किए गए समायोजित कुल आय के पाँच *प्रतिशत* या कार्यालय व्यय शीर्ष की प्रकृति में व्यय की राशि, जो भी कम हो, के बराबर राशि के प्रधान कार्यालय व्यय का दावा करने की हकदार हैं।

तालिका 5.87: विदेशी बैंकों को धारा 44सी के अंतर्गत कटौती की अनुचित अनुमति							(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**पीसीआईटी प्रभार**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**कम निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
4	मुंबई	सीआईटी (आईटी), मुंबई-2	सी1	2014-15	245.62	106.25	अस्वीकृत (जनवरी 2022)। आपत्ति जारी की गई (अप्रैल 2022)।
5	मुंबई	सीआईटी (आईटी), मुंबई-2	सी1	2015-16	264.68	114.50	अस्वीकृत (जनवरी 2022)। प्रत्युत्तर जारी की गई (अप्रैल 2022)।
6	मुंबई	सीआईटी (आईटी), मुंबई-2	सी1	2016-17	291.63	126.16	अस्वीकृत (जनवरी 2022)। प्रत्युत्तर जारी की गई (अप्रैल 2022)।
7	मुंबई	सीआईटी (आईटी), मुंबई-2	सी1	2017-18	316.66	136.99	अस्वीकृत (अप्रैल 2022)। आपत्ति जारी की गई (अगस्त 2022)।
8	मुंबई	सीआईटी (आईटी), मुंबई-2	सी1	2018-19	296.12	128.10	
योग					**1,470.35**	**636.07**	

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख

विभाग ने सीआईटी (आईटी) मुंबई-2 प्रभार में तालिका 5.87 के क्रम संख्या 4 से 8 तक के पाँच मामलों को स्वीकार नहीं किया, जिनमें कहा गया कि कार्यालय व्यय शीर्ष में कटौती स्वीकार्य है, भले ही निर्धारिती ने खातों की बही में व्ययों को डेबिट नहीं किया हो। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारितियों द्वारा दावा किए गए मुख्यालय के व्ययों को विदेशी बैंकों (एच8 और एस11) के अन्य समान मामलों में निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के निर्धारण के दौरान इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि अभिलेख पर यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे कि मुख्यालय के व्ययों के लिए किए गए व्यय भारतीय शाखाओं के कारण थे।

इसके अलावा, सीआईटी (आईटी)-2 मुंबई प्रभार ने ऊपर सारणीबद्ध क्रम संख्या 2 और 3 में दो मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है और सुधारात्मक कार्रवाई पूरी कर ली है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मुख्यालय व्यय के लिए कटौती की अनुमति दी गई, तथापि निर्धारिती ने न तो भारतीय परिचालनों के लिए मुख्यालय व्यय की राशि का भुगतान अपने मुख्यालय को किया था और न ही अपने खातों की बही में ऐसे किसी व्यय को डेबिट किया, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 44सी के अंतर्गत व्यय की अनियमित अनुमति दी गई।

नीचे दो उदाहरणात्मक मामलों पर चर्चा की गई है।

बॉक्स 5.38

क) प्रभार: सीआईटी (आईटी)-3 मुंबई
निर्धारिती: जे3
नि.व.: 2017-18 से 2018-19

निर्धारिती एक अनिवासी बैंकिंग कंपनी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में निगमित है और भारत में अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग गतिविधियाँ करती है। कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए धारा 143(3) के साथ पठित धारा 144सी(3) के अंतर्गत कर निर्धारण जून 2021 में पूरा हुआ, जिससे ₹1,791.96 करोड़ की आय निर्धारित हुई। इसी प्रकार, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए, धारा 144सी(3) के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत कर निर्धारण नवंबर 2021 में पूरा हुआ, जिससे ₹2,024.60 करोड़ की आय निर्धारित हुई। निर्धारिती ने कर निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए धारा 44सी के अंतर्गत क्रमशः ₹21.80 करोड़ और ₹27.17 करोड़ की कटौती का दावा किया था और उसे कर कटौती की अनुमति दी गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने भारतीय शाखाओं के लिए तैयार की गई अपनी लेखा बही में ऐसे व्ययों को डेबिट नहीं किया। इसके अलावा, चूंकि निर्धारिती ने कार्यालय व्यय शीर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में कोई व्यय डेबिट नहीं किया था, इसलिए अधिनियम की धारा 44सी के अंतर्गत व्यय के रूप में कोई कटौती स्वीकार्य नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 21.81 करोड़ और ₹ 27.17 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ, जिसमें ₹ 9.43 करोड़ और ₹ 11.75 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया।

तथ्यों की पुष्टि और टिप्पणियों के लिए इसे फरवरी 2022 में डीएसआईआईटी (आईटी)-3(3)(1), मुंबई के संज्ञान में लाया गया। अप्रैल 2024 और नवंबर 2024 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद डीएसआईआईटी (आईटी)-3(3)(1), मुंबई का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

ख) प्रभार: सीआईटी (आईटी)-2 मुंबई

निर्धारिती: सी1

नि.व.: 2014-15 से 2018-19

निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के लिए निर्धारिती का निर्धारण जांच के बाद पूरा किया गया, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

नि.व.	धारा के अंतर्गत निर्धारण	निर्धारण की तिथि	निर्धारित आय (₹ करोड़ में)
2014-15	144(3)/143(3)	23.01.2018	5,303.52
2015-16	144(3)/143(3)	06.02.2019	5,562.72
2016-17	144(3)/143(3)	03.02.2020	5,625.38
2017-18	144(3)/143(3)	28.06.2021	6,009.20
2018-19	144(3)/143(3)	22.11.2021	5,618.59

लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान प्रधान कार्यालय के व्ययों के लिए ₹ 1,414.71 करोड़ की कटौती का दावा किया गया और उसे अनुमति दी गई। सी1 का भारत में एक स्थायी प्रतिष्ठान (पी.ई.) है और इसके खातों की बही का अधिनियम की धारा 44एबी के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा किया जाता है। चूंकि खाते प्रासंगिक लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि स्थायी प्रतिष्ठान के संचालन से संबंधित सभी व्ययों का लेखा भारतीय शाखा की खातों की बही में किया जाए। लेखापरीक्षा ने देखा कि तथापि प्रधान कार्यालय के व्ययों को लाभ और हानि खाते में डेबिट नहीं किया गया था, लेकिन भारत में पीई की आय की गणना करते समय इसका दावा किया गया और कटौती के रूप में अनुमति दी गई। निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान धारा 44सी के अंतर्गत कटौती की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 1,414.71 करोड़ की आय कम निर्धारित हुई जिसमें ₹ 612 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति डीसीआईआटी (आईटी)-2(1)(1), मुंबई (अगस्त 2021 से फरवरी 2022) के ध्यान में लाई गई। सीआईआटी (आईटी)-2 मुंबई प्रभार ने निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2018-19 (जनवरी 2022 से अप्रैल 2022) के लिए सी1 के लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार नहीं किया है, जिसमें कहा गया है कि जैसा कि आयकर अधिनियम की धारा 44सी और ओईसीडी की मॉडल कमेंट्री 2017 के अनुच्छेद 7 में प्रावधान है, विदेशी मुख्यालय द्वारा किए गए सामान्य प्रशासनिक व्यय की अनुमति प्रदान करता है, जहां तक ऐसे व्यय भारत

में उनके व्यवसाय या पेशे से संबंधित हैं। इसके अलावा, ओईसीडी कमेंट्री में यह भी कहा गया है कि स्थायी प्रतिष्ठान के कारण होने वाले लाभ का निर्धारण करने में उचित प्रभार काटा जाएगा। इस प्रकार, यह दावा किया गया कि ऐसे व्यय स्वीकार्य थे।

सीआईटी (आईटी)-2 मुंबई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारिती का भारत में एक स्थायी प्रतिष्ठान है और उसे स्थायी प्रतिष्ठान की ओर से किए गए सभी व्ययों समेत लेखा बही तैयार करनी होती हैं। इस मामले में, सी1 ने अपने लेखा बही में मुख्यालय के व्ययों से संबंधित कोई भी व्यय डेबिट नहीं किया है, जबकि उसने कर योग्य आय की गणना करते समय इन व्ययों का दावा किया है। चूँकि ये व्यय लेखा बही का भाग नहीं हैं, इसलिए निर्धारिती का दावा अनुमत नहीं किया जाना था। अग्रेत्तर विवरण की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुशंसा:

सीबीडीटी विदेशी बैंकों को धारा 44सी के अंतर्गत कटौती की अनुमति देने में विसंगति की जाँच कर सकता है और समान मामलों के निर्धारण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है।

इसके उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (मार्च 2025) कि आयकर अधिनियम की धारा 44सी के अंतर्गत वैधानिक प्रावधानों में कोई अस्पष्टता नहीं है जिसके लिए और स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो। हालाँकि, सीबीडीटी लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों के विवरण की जाँच कर रहा है और आवश्यकतानुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।

चूंकि विवरण की जांच चल रही है, लेखापरीक्षा इस संबंध में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा करेगी (नवंबर 2025)।

5.5.10 हानियों का अनियमित समायोजन एवं अग्रनयन

अधिनियम की धारा 72(1) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन हानियों को अग्रेनीत करने एवं समायोजित करने का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 72ए(1)(बी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(सी) में निर्दिष्ट बैंकिंग कंपनी के मामले में, कॉर्पोरेट पुनर्गठन, जैसे कि समामेलन, विभाजन, आदि के मामले में संचित हानियों और अनवशोषित मूल्यह्रास अनुमति को अग्रेनीत करने एवं समायोजित करने का प्रावधान करती है।

लेखापरीक्षा में जाँचे गए 2,378 मामलों में से 23 मामलों में हानियों का अनियमित समायोजन और अग्रनयन पाया गया, जिसमें ₹ 2,293.35 करोड़ की आय का कम होना और परिणामस्वरूप ₹ 510.09 करोड़ का कर कम आरोपण सम्मिलित था, जैसा कि ***अनुलग्नक 5.10*** और नीचे तालिका 5.88 में संक्षेपित है।

तालिका 5.88: घाटे के समायोजन/अग्रनयन में अनियमितताएँ **(₹ करोड़ में)**

क्र.सं.	क्षेत्र	निर्धारिती का प्रकार	मामलों की संख्या	सम्मिलित नि.व.	अल्प निर्धारण	कर प्रभाव
1	अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	2	2015-16 व 2019-20	111.25	47.54
2	बेंगलुरु	एनबीएफ़सी	4	2017-18 से 2018-19	284.31	120.63
3	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	1	2017-18	2.94	1.02
		निजी बैंक	1	2015-16	53.25	18.1
4	दिल्ली	एनबीएफ़सी	2	2017-18 व 2019-20	68.45	27.97
5	हैदराबाद	एनबीएफ़सी	2	2017-18 व 2019-20	302.38	104.20
6	कोलकाता	सार्वजनिक बैंक	1	2010-11	42.87	13.25
		एनबीएफ़सी	6	2015-16 से 2017-18	311.30	74.09
7	मुंबई	एनबीएफ़सी	3	2016-17 से 2018-19	302.63	103.29
		निजी बैंक	1	2019-20	813.97	0
कुल			**23**		**2,293.35**	**510.09**

स्रोत: आयकर विभाग के निर्धारण अभिलेख *(अनुलग्नक 5.10 देखें)*

लेखापरीक्षा ने पाया कि पूर्ववर्ती निर्धारण आदेशों के अनुसार, बट्टे खाते में डालने के लिए उपलब्ध राशियों को सत्यापन बिना, अग्रेनीत घाटे को आय के विपरीत समायोजित करने की अनुमति दी गई।

नीचे दो उदाहरणात्मक मामलों पर चर्चा की गई है।

बॉक्स 5.39: समामेलित हो रही कंपनियों के घाटे के गलत समायोजन के उदाहरणात्मक मामले

क) प्रभार: पीसीआईटी-8 मुंबई
निर्धारिती: आर9
नि.व.: 2016-17, 2017-18 और 2018-19

निर्धारिती राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत है और इसकी प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि आवासीय वित्त प्रदान करना है। नि.व. 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए निर्धारण दिसंबर 2018, दिसंबर 2019 और अगस्त 2021 में धारा 144बी के साथ पठित धारा 143(3), 143(3) और 143(3) के अंतर्गत क्रमशः ₹ 18.95 करोड़ की आय, ₹ 96.48 करोड़ की हानि और ₹ 106.40 करोड़ की आय पर किया गया था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समामेलन की एक योजना के माध्यम से वर्ष 2016 में निर्धारिती कंपनी ने आई40 के क्रेडिट व्यवसाय को समामेलित करके ₹ 302.63 करोड़ की संचित हानि का अधिग्रहण किया था। समामेलन की योजना के अनुसार, आई40 के क्रेडिट बिजनेस डिवीजन (यानी, वित्तीय रूप से संकटग्रस्त कंपनियों में निवेश) को कंपनी से अलग कर दिया गया और निर्धारिती कंपनी के साथ समामेलित कर दिया गया। इस प्रकार, उक्त बिजनेस इकाई को खरीदने से, निर्धारिती ने उक्त व्यवसाय से संबंधित संचित हानियों का भी अधिग्रहण किया था। निर्धारिती ने नि.व. 2016-17 और नि.व. 2018-19 में अपनी सकारात्मक आय के पक्ष में आई40 के पूर्व की अग्रेनीत हानियों के समायोजन का दावा किया (अर्थात समामेलक कंपनी), और समायोजन के लिए शेष रह गए नुकसान को बाद के वर्षों हेतु अग्रनयन किया गया था। चूंकि धारा 72ए[111] के प्रावधान एनबीएफसी पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए निर्धारिती कंपनी को आई40 के संचित हानि के समायोजन की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, धारा 72ए(2) के अनुसार, समामेलन की जा रही कंपनी की संचित हानियों की अनुमति समामेलित कंपनी को दी जाएगी, बशर्ते कि समामेलित कंपनी, समामेलन की तिथि से न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए समामेलन की जा रही कंपनी का व्यवसाय जारी रखे। धारा में आगे कहा गया है कि ऐसे मामले में जहां ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किया जाता है, समामेलित कंपनी की किसी भी पिछले वर्ष में किए गए समायोजन नुकसान को समामेलित

[111] आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72ए में समामेलन या डिमर्जर आदि के माध्यम से व्यवसाय के पुनर्गठन के मामले में संचित हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास भत्ते को आगे बढ़ाने और समायोजित करने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। यद्यपि अधिनियम की धारा 72ए के प्रावधान विशेष रूप से बैंकिंग कंपनियों के एकीकरण के मामले में संचित घाटे को आगे बढ़ाने का प्रावधान करते हैं, ऐसा लाभ एनबीएफसी को उपलब्ध नहीं था। इसलिए, एनबीएफसी का कोई भी संचित घाटा समामेलन पर समाप्त हो जाएगा।

कंपनी की उस वर्ष के लिए कर हेतु प्रभार्य आय के रूप में माना जाएगा जिस वर्ष में ऐसी शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है। इस चूक के परिणामस्वरूप नि.व. 2016-17 में ₹ 105.36 करोड़ और नि.व. 2018-19 में ₹ 158.38 करोड़ के घाटे के समायोजन की अनुचित छूट मिली, जिसके परिणामस्वरूप नि.व. 2016-17 और नि.व. 2018-19 में क्रमशः ₹ 36.46 करोड़ और ₹ 54.81 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया था। इसके अलावा, ₹ 12.01 करोड़ के संभावित कर निहितार्थ को सम्मिलित करते हुए ₹ 38.88 करोड़ की शेष संचित हानि को भी आगे के वर्ष तक अग्रेनीत किए जाने की आवश्यकता नहीं थी। कुल कर प्रभाव ₹ 103.29 करोड़ रहा।

एनसीएलटी के समक्ष प्रस्तुत समामेलन के लिए तर्क यह था कि निर्धारिती कंपनी, आर9 के पास कॉर्पोरेट ऋणों की वसूली में तेजी लाने और समर्थ बनाने की क्षमता है, और आई40 के क्रेडिट व्यवसाय का अधिग्रहण एक वाणिज्यिक निर्णय था और जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मितव्ययिता होनी थी। हालांकि, यह पाया गया कि निर्धारिती ने संपूर्ण निवेश (असंपीड़ित कंपनियों में) को बट्टे खाते में डाल दिया था जो समामेलन की योजना के अंतर्गत उसके द्वारा अधिग्रहित किए गए थे। यह भी पाया गया कि निर्धारिती ने किसी भी असंपीड़ित कंपनी में कोई और निवेश नहीं किया और अपने मौजूदा होम फाइनेंसिंग व्यवसाय जारी रखा था। इसके अलावा, लाभ और हानि खाता, वार्षिक प्रतिवेदन की खंड सूचना से संबंधित खाते के लिए नोट्स से पता चला कि निर्धारिती ने क्रेडिट डिवीजन व्यवसाय को बंद कर दिया था, जिसे समामेलन के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था। इस आधार पर भी, निर्धारिती आई40 के क्रेडिट डिवीजन के अग्रेनीत किए जाने का दावा करने का अर्ह नहीं था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को मार्च 2022 में डीसीआईटी 8(1)(1) मुंबई के संज्ञान में लाया गया था। अप्रैल 2024 और नवंबर 2024 में अनुस्मारक जारी होने के बावजूद डीसीआईटी 8(1)(1), मुंबई का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

ख) प्रभार: पीसीआईटी-3 बेंगलुरु
निर्धारिती: एच9
नि.व.: 2017-18 और 2018-19

नि.व. 2017 18-और 2018-19 के लिए निर्धारिती का निर्धारण जनवरी 2022 और अप्रैल 2021 में क्रमशः ₹18.28 करोड़ और ₹18.28 करोड़ की आय पर धारा 143(3)/144 (13)/144बी और 143(3)/143(3ए)/143(3बी) के अंतर्गत पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नि.व. 2017-18 के लिए ₹ 74.31 करोड़ और नि.व. 2018-19 के लिए

₹ 63.58 करोड़ के अग्रिम हानियों की अत्यधिक रूप से समायोजन की अनुमति, पूर्व नि.व. के निर्धारण आदेशों के अनुसार समायोजन के लिए उपलब्ध राशियों के सत्यापन के बिना दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप हानियों को अत्यधिक रूप से अग्रेनीत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नि.व. 2017-18 के लिए ₹ 40.63 करोड़ और नि.व. 2018-19 के लिए ₹ 30.15 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया था।

इस लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अगस्त 2022 में डीसीआईटी, सर्किल-3(1)(1), बेंगलूरु के संज्ञान में लाया गया था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2025) और कहा कि सुधारात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.5.11 आय, कर के उद्ग्रहण, अधिभार, ब्याज, एमएटी क्रेडिट, शास्ति आदि की गणना में त्रुटियाँ

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(1) में प्रावधान है कि संबन्धित वित्त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार, निर्धारिती के पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक नि.व. के लिए आयकर प्रभार्य है। आयकर अधिनियम, 1961 समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर निर्धारिती द्वारा की गयी चूक के संदर्भ में ब्याज[112] के उद्ग्रहण का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 115जेएए, धारा 115जेए/115जेबी के अंतर्गत भुगतान किए गए कर के संबंध में क्रेडिट की अनुमति देता है। धारा 115जेएए के अंतर्गत निर्धारित किए गए कर क्रेडिट को पिछले वर्ष में एक समायोजन के तौर पर अनुमत किया जाता है जिसमें अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कुल आय पर कर देय होता है।

5.5.11.1 आय, कर और ब्याज की गणना में त्रुटियाँ

लेखापरीक्षा ने आय, कर के उद्ग्रहण, अधिभार, ब्याज आदि की गणना में त्रुटियों से संबंधित नमूना मामलों में से 66 मामलों की जांच की थी। इसके परिणामस्वरूप कर की राशि

---

[112] अधिनियम की धारा 234ए निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए आय रिटर्न प्रस्तुत करने में चूक के लिए ब्याज उदग्रहण का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 234बी निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए ब्याज उद्ग्रहण का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 234सी निर्दिष्ट दरों पर और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए अग्रिम कर की किश्तों के भुगतान में चूक के लिए ब्याज उदग्रहण का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 244ए(1) में प्रावधान है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्धारिती को कोई राशि प्रतिदाय है, तो वह इस धारा के प्रावधानों के अधीन, उक्त राशि के अलावा, उस पर तय तरीके से गणना किए गए साधारण ब्याज पाने का हकदार होगा।

₹ 2,211.94 करोड़ की हो गई थी, जैसा कि ***अनुलग्नक 5.11*** और नीचे तालिका 5.89 में संक्षेप में दिया गया है:

तालिका 5.89: आय, कर उद्ग्रहण, अधिभार, ब्याज, एमएटी क्रेडिट और जुर्माना की गणना में त्रुटियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	निर्धारिती के प्रकार	मामलों की संख्या	सम्मिलित नि.व.	अल्प निर्धारण[113]	अधिक निर्धारण	कर प्रभाव
1	अहमदाबाद	निजी बैंक	1	2012-13	0	---	6.79
		एनबीएफ़सी	6	2012-13; 2017-18 से 2019-20	0	---	2.83
2	बेंगलूरु	निजी बैंक	2	2018-19	0	---	73.46
		एनबीएफ़सी	2	2018-19	0	---	44.85
3	चंडीगढ़	निजी बैंक	1	2015-16	0	---	0.12
		एनबीएफ़सी	2	2015-16	0	---	207.26
4	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	1	2018-19	0	---	6.51
		निजी बैंक	6	2015-16 से 2018-19	0	---	158.53
		एनबीएफ़सी	2	2012-13 एवं 2016-17	0	---	1.98
5	केरल	एनबीएफ़सी	1	2015-16	0	---	0.59
6	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	3	2013-14, 2014-15, 2018-19	0	---	19.59
		विदेशी बैंक	1	2013-14	0	---	2.34
		एनबीएफ़सी	12	2013-14 से 2019-20	12.64	---	33.28
7	कोलकाता	विदेशी बैंक	1	2018-19	0	---	5.31
		एनबीएफ़सी	7	2012-13, 2016-17 से 2017-18	1.39	---	1.36
			1	2015-16	--	0.25	0.10

[113] लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों को पाया जहां मामलों में निर्धारिती द्वारा भुगतान की जाने वाली आवश्यक कर मांग की राशि पर त्रुटियों का सीधा प्रभाव पड़ा, चूंकि आय का सही निर्धारण किया गया था, कम निर्धारण तालिका {बॉक्स 5.41(क) संदर्भ} में शून्य के रूप में परिलक्षित है।

तालिका 5.89: आय, कर उद्ग्रहण, अधिभार, ब्याज, एमएटी क्रेडिट और जुर्माना की गणना में त्रुटियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	निर्धारिती के प्रकार	मामलों की संख्या	सम्मिलित नि.व.	अल्प निर्धारण[113]	अधिक निर्धारण	कर प्रभाव
8	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	2	2017-18 एवं 2019-20	349.61	0[114]	719.02
			2	2016-17 एवं 2018-19	---	0[114]	519.47
		निजी बैंक	3	2018-19	0	---	147.73
		विदेशी बैंक	4	2017-18 एवं 2018-19	0	---	243.79
		एनबीएफ़सी	4	2016-17 से 2019-20	89.24	---	16.97
9.	जयपुर	एनबीएफ़सी	2	2017-18 से 2018-19	0	---	0.06
	कुल		**66**		**452.88**	**0.25**	**2,211.94**

स्रोत: आयकर विभाग का निर्धारण अभिलेख *(अनुलग्नक 5.11 देखें)*

पांच उदाहरणों के मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

बॉक्स 5.40: आय, कर और ब्याज की गणना में त्रुटियों पर उदाहरणात्मक मामले

क) प्रभार: पीसीआईटी पणजी

निर्धारिती: टी15

नि.व.: 2018-19

अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत संवीक्षा के बाद, नि.व. 2018-19 का निर्धारण ₹1,548.68 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए सितंबर 2021 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने धारा 115जेएए के अंतर्गत ₹ 53.66 करोड़ (नि.व. 2014-15 से संबंधित ₹ 5.03 करोड़ और नि.व. 2016-17 से संबंधित ₹ 48.63 करोड़) के एमएटी क्रेडिट का दावा किया था। निर्धारण अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि नि.व. 2014-15 और नि.व. 2016-17 के लिए निर्धारण, अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत संपन्न हुए थे, और इस प्रकार, उक्त नि.व. में समायोजन के लिए कोई एमएटी क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 115जेएए के अंतर्गत

114 अतिरिक्त निर्धारण मामले विदेशी कर ऋण की अस्वीकृति से संबंधित है, जो निर्धारिती को स्वीकार्य था।

₹ 53.66 करोड़ के एमएटी क्रेडिट की गलत छूट दी गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 53.66 करोड़ कर का कम उद्ग्रहण हुआ था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अगस्त 2022 में डीसीआईटी-परिक्षेत्र-1(1) मंगलूरु के संज्ञान में लाया गया था। दिसंबर 2024 और मार्च 2025 में अनुस्मारक जारी होने के बावजूद डीसीआईटी-परिक्षेत्र-1(1) मंगलूरु से एक उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

ख) प्रभार: पीसीआईटी-3, बेंगलूरु
निर्धारिती: एच9
नि.व.: 2018-19

अप्रैल 2021 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2018-19 के लिए निर्धारिती का निर्धारण पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि निर्धारिती ने धारा 115जेएए के अंतर्गत नि.व. 2008-09 से 2015-16 से संबंधित ₹ 29.64 करोड़ की अस्तित्वहीन एमएटी क्रेडिट की राशि का दावा किया था, जिसकी अनुमति गलत तरीके से निर्धारण अधिकारी द्वारा दी गई थी। इसकी वज़ह से ₹ 29.64 करोड़ का अनुचित एमएटी क्रेडिट हुआ, फलस्वरूप धारा 234बी और 234सी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 44.66 करोड़ कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह लेखापरीक्षा अभ्युक्ति अगस्त 2022 में डीसीआईटी, सर्किल-3(1)(1), बेंगलूरु के संज्ञान में लाया गया था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2025) और कहा कि सुधारात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

ग) प्रभार: पीसीआईटी-पंचकुला
निर्धारिती: एच5
नि.व.: 2015-16

नि.व. 2015-16 के लिए निर्धारिती का निर्धारण दिसंबर 2017 में संवीक्षा के बाद पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने नि.व. 2015-16 के दौरान नि.व. 2014-15 से संबंधित ₹ 205.07 करोड़ के एमएटी क्रेडिट के अग्रनयन का दावा किया था। नि.व. 2014-15 के अभिलेखों में यह पाया गया कि एमएटी क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि नि.व. 2014-15 में सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कर का भुगतान किया गया था। इसलिए, नि.व. 2014-15 से संबंधित ₹ 205.07 करोड़ के एमएटी क्रेडिट को भविष्य के नि.व. हेतु अग्रेनीत नहीं किया जाना था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अगस्त 2022 में एसीआईटी सर्किल पंचकुला के संज्ञान में लाया गया था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया (जनवरी 2025) जिसमें कहा गया था कि निर्धारिती ने नि.व. 2015-16 में किसी एमएटी क्रेडिट का दावा नहीं किया था। *मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभ्युक्ति एमएटी क्रेडिट के अतिरिक्त अग्रनयन से संबंधित है, जिसकी जांच की जानी है, और भविष्य में एमएटी क्रेडिट के गैर-अनुमत उपयोग की संभावना से बचाव हेतु उचित सुधारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है। इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित रहेगी।*

घ) प्रभार: पीसीआईटी-1, मदुरै
निर्धारिती: मेसर्स टी3
नि.व. 2018-19 और 2019-20

नि.व. 2018-19 और 2019-20 में, निर्धारिती ने नि.व. 2015-16 से अग्रेनीत ₹ 35.57 करोड़ और ₹ 5.56 करोड़, कुल मिलाकर ₹ 41.13 करोड़ के एमएटी क्रेडिट का दावा किया था और संबंधित संवीक्षा निर्धारण में इसकी स्वीकृति दी गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसंबर 2017 में पारित संवीक्षा निर्धारण आदेश और बाद के सीआईटी (अपील) द्वारा मार्च 2019 में पारित प्रभाव आदेश में आय के परिवर्धन के परिणामस्वरूप नि.व. 2015-16 के लिए कोई एमएटी क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। हालांकि, निर्धारण/दिये गए प्रभाव आदेश, में किए गए परिवर्धन के प्रभाव पर विचार किए बिना, नि.व. 2015-16 से संबंधित एमएटी क्रेडिट को नि.व. 2018-19 और 2019-20 के लिए किए गए निर्धारण में धारा 115जेएए के अंतर्गत अनुचित प्रकार से अनुमत किया गया था। ₹ 41.13 करोड़ के अनुचित एमएटी क्रेडिट को वापस लेने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को अगस्त 2022 में एसीआईटी सर्किल 2(1) त्रिची के संज्ञान में लाया गया था। एसीआईटी सर्किल 2(1) त्रिची ने उत्तर में कहा (जुलाई 2025) कि नि.व. 2018-19 के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और ₹ 35.57 करोड़ की वसूली की गई है। नि.व. 2019-20 के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

ङ) प्रभार: सीआईटी (आईटी)-4 मुंबई
निर्धारिती: एस9
नि.व.: 2017-18

नि.व. 2017-18 के लिए निर्धारिती का निर्धारण दिसंबर 2019 में ₹ 710.71 करोड़ की आय पर पूरा किया गया था। कर योग्य आय में ₹ 270.50 करोड़ (कर देय दर 40 *प्रतिशत*)

की व्यावसायिक आय और ₹ 440.21 करोड़ (कर योग्य दर 10 *प्रतिशत*) के अन्य स्रोतों से आय सम्मिलित थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 161.04 करोड़ की उद्ग्रहणीय राशि की तुलना में केवल ₹ 144.36 करोड़ का कर आरोपित किया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 16.68 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया था।

यह लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को फरवरी 2022 में डीसीआईटी (आईटी)-4(2)(2) के संज्ञान में लाया गया था। अपने उत्तर में डीसीआईटी आईटी-4(2)(2) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया (मार्च 2025) कि लेखापरीक्षा ने आय की मूल रिटर्न (30.11.2017 को जमा) के साथ जमा आय की गणना को सत्यापित नहीं किया था, जिसमें निर्धारिती ने ₹ 440.21 करोड़ के अन्य स्रोतों से आय की प्रस्तुति की थी, जिसमें कार्यालय शीर्ष द्वारा अर्जित ₹ 7.74 करोड़ का ब्याज और ईसीबी ऋण पर ₹ 69.21 करोड़ का ब्याज सम्मिलित था, दोनों भारत-जापान दोहरे कराधान परिहार समझौते (डीटीएए) के अंतर्गत 10 *प्रतिशत* की दर से प्रभार्य थे; और ईसीबी ऋण पर ₹ 363.26 करोड़ का ब्याज, आयकर अधिनियम की धारा 194एलसी के अंतर्गत पांच *प्रतिशत* की दर से कर देय और इसलिए, कर की गणना में कोई त्रुटि नहीं थी। *डीसीआईटी आईटी 4(2)(2) (अप्रैल 2025) को एक प्रत्युत्तर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह 30.11.2017 को जमा आय की मूल रिटर्न से सुसज्जित आय की गणना पर आधारित है। हालांकि, धारा 143(3) के अंतर्गत पारित 17.12.2019 के निर्धारण आदेश से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निर्धारिती ने 28.06.2018 को आय का संशोधित रिटर्न भी जमा किया था। आय के संशोधित रिटर्न को स्वीकार करते हुए, निर्धारण अधिकारी ने 17.12.2019 को धारा 143(3) के अंतर्गत एक निर्धारण आदेश पारित किया था, जिसमें पैरा 4 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ₹ 440.21 करोड़ के अन्य स्रोतों से पूरी आय भारत-जापान डीटीएए के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से कर देय है।*

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.5.11.2 कर योग्य आय की गणना करते समय शास्ति का अपरिवर्धन

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 में 'व्यवसाय या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अंतर्गत आय की गणना करते समय व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किए गए किसी भी व्यय की कटौती के लिए अनुमति का प्रावधान है। धारा 37 के नीचे स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, अपराध की श्रेणी में आने वाले या कानून द्वारा निषिद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया कोई भी व्यय, व्यवसाय के उद्देश्य के लिए व्यय किया गया नहीं माना जाएगा और ऐसे

व्यय के लिए किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रपत्र 3 सीडी में धारा 44एबी के अंतर्गत, किसी भी कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए वर्ष के दौरान किए गए जुर्माने या शास्ति की राशि का उल्लेख कर लेखापरीक्षक द्वारा पृथक रूप से क्र.सं. 21 पर करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 220 सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के 7 मामले जिसमें ₹ 6.11 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पांच बैंकों में आरोपित शास्ति के लिए किए गए व्यय की अनियमित अनुमति थी, जैसा कि नीचे तालिका 5.90 में संक्षेप में दिया गया है।

तालिका 5.90: ऐसे मामलों का विवरण जहां आरोपित शास्ति अननुमत नहीं है **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	क्षेत्र	पीसीआईटी प्रभार	बैंक/ एनबीएफ़सी	निर्धारिती का नाम	नि.व.	अल्प निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	बेंगलूरु	पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	सार्वजनिक बैंक	एस15	2019-20	2.00	0.92	अस्वीकृत (जनवरी 2023)। प्रत्युत्तर मई 2024 में जारी किया गया
2	केरल	पीसीआईटी, कोच्चि-1	निजी बैंक	टी11	2016-17, 2018-19 एवं 2019-20	5.04	1.77	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
3	केरल	पीसीआईटी, कोझिकोड	निजी बैंक	टी13	2019-20	4.00	1.25	उत्तर प्रतीक्षित नवंबर 2025)
4	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	सी4	2016-17	4.79	1.66	स्वीकृत (मार्च 2022) और धारा 154 के अंतर्गत शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
5	मुंबई	पीसीआईटी - 1,पुणे	सार्वजनिक बैंक	बी8	2016-17	1.50	0.51	अस्वीकृत (दिसंबर 2021)। प्रत्युत्तर जारी (सितंबर 2022)। आगे का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
				कुल		**17.33**	**6.11**	

स्रोत: आयकर विभाग का निर्धारण अभिलेख

एक मामला नीचे दर्शाया गया है।

बॉक्स 5.41

प्रभार: पीसीआईटी-2, मुंबई
निर्धारिती: सी4
नि.व.: 2016-17

नि.व. 2016-17 के लिए पीसीआईटी-2, मुंबई के अंतर्गत सी4 का निर्धारण दिसंबर 2018 में पूर्ण संवीक्षा के बाद पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 4,177.23 करोड़ की कर योग्य आय निर्धारित की गयी थी। प्रपत्र 3 सीडी में कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के क्रम संख्या 21 में यह पाया गया कि निर्धारिती पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ₹ 4.79 करोड़ का जुर्माना लगाया था। हालांकि, व्यावसायिक आय की गणना करते समय इस राशि को वापस नहीं जोड़ा गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.79 करोड़ की सीमा तक आय का कम निर्धारण हुआ था, जिसमें ₹ 1.66 करोड़ के कम कर की उगाही सम्मिलित थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को फरवरी 2022 में डीसीआईटी 2(1)(1) के संज्ञान में लाया गया था। उत्तर (मार्च 2022) में, डीसीआईटी 2(1)(1) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा कि धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

5.5.11.3 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां

लेखापरीक्षा ने गणना में अंकगणितीय त्रुटियां[115] पायीं, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए शास्ति की अनियमित अनुमति की त्रुटियां, निर्धारण आदेश के अनुसार की गयी अस्वीकृतियों पर विचार न करने के परिणामस्वरूप आयकर गणना पत्र में त्रुटियां, कर की गलत दर को लागू करना, अधिभार का गलत उद्ग्रहण, गैर-अनुमत एमएटी क्रेडिट की अनियमित अनुमति और विदेशी कर क्रेडिट की अतिरिक्त अनुमति सम्मिलित है। लेखापरीक्षा में जांचे गए 2,378 मामलों में से 32 मामलों में ऐसी त्रुटियां पायी गईं, जिनमें ₹ 547.45 करोड़ के कर प्रभाव के साथ ₹ 928.71 करोड़ की आय का अल्प निर्धारण और ₹ 952.41 करोड़

[115] आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) में प्रावधान है कि नि.अ., लिखित आदेश द्वारा, निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करेगा और निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं ऐसे अन्य साक्ष्य जो नि.अ. को निर्दिष्ट बिंदुओं पर आवश्यकता हो सकती है, और सभी प्रासंगिक सामग्री जो उसने एकत्र की है को ध्यान में रखने के बाद ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा देय राशि या किसी भी राशि के प्रतिदाय का निर्धारण करेगा।

की आय का अधिक निर्धारण सम्मिलित है, जैसा की ***अनुलग्नक 5.12*** और निम्नलिखित तालिका 5.91 में संक्षेप में बताया गया है।

तालिका 5.91: आय एवं कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	निर्धारिती का प्रकार	सं.	सम्मिलित नि.व.	अल्प निर्धारण[116]	अधिक निर्धारण	कर प्रभाव
1	अहमदाबाद	निजी बैंक	1	2016-17	---	0	2.62
2	चंडीगढ़	एनबीएफ़सी	2	2016-17 एवं 2017-18	---	33.23	21.49
3	चेन्नई	निजी बैंक	2	2014-15, 2018-19	0	---	54.19
			1	2016-17	---	4.32	1.43
		एनबीएफ़सी	1	2017-18	---	0	21.87
4	केरल	निजी बैंक	1	2018-19	0.98	---	0.34
		एनबीएफ़सी	1	2015-16	0.27	---	0.12
6	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	3	2014-15; 2018-19 एवं 2019-20	25.93	---	89.43
		विदेशी बैंक	3	2016-17, 2017-18 एवं 2019-20	60.57	---	6.46
		एनबीएफ़सी	3	2017-18 एवं 2018-19	25.98	---	16.47
			1	2017-18	---	1.36	0.59
7	कोलकाता	एनबीएफ़सी	2	2012-13	1.56	---	0.51
8	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	2	1997-98 एवं 2018-19	689.51	---	240.82
		विदेशी बैंक	4	2015-16 से 2018-19	100.42	---	75.67
		एनबीएफ़सी	3	2014-15 से 2015-16 एवं 2019-20	23.49	---	8.76
			2	2016-17 एवं 2019-20	---	913.50	6.68
		योग	**32**		**928.71**	**952.41**	**547.45**

स्रोत: आयकर विभाग का निर्धारण अभिलेख ***(अनुलग्नक 5.12 देखें)***

[116] लेखापरीक्षा ने उन मामलों को देखा जहां निर्धारिती द्वारा ऐसे मामलों में भुगतान की जाने वाली आवश्यक कर मांग की राशि पर त्रुटियों का सीधा प्रभाव पड़ता था, चूंकि आय का सही निर्धारण किया गया था, इसलिए तालिका में कम निर्धारण शून्य के रूप में परिलक्षित है।

एक मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

बॉक्स 5.42: आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों पर उदाहरणात्मक मामले

(क) प्रभार: पीसीआईटी-2, मुंबई
निर्धारिती: डी3
नि.व.: 2018-19

निर्धारिती ने नि.व. 2018-19 के लिए दिनांक 29.9.2018 को आय का एक रिटर्न जमा किया जिसमें ₹ 274.58 करोड़ की हानि का दावा किया गया था। अप्रैल 2021 के महीने में फेसलेस निर्धारण योजना के अंतर्गत निर्धारण पूरा किया गया था। निर्धारण आदेश में, निम्नलिखित परिवर्धन किए गए थे।

क्र.सं.	**परिवर्धन की प्रकृति**	**₹ करोड़ में**
1	पैरा-4 धारा 14ए के अंतर्गत परिवर्धन	3.91
2	पैरा-5 अशोध्य ऋण अननुमत	581.66
3	पैरा-6 खण्डावधि का ब्याज	41.01
4	पैरा-7 स्थायी ऋण लिखत पर ब्याज	23.78
5	पैरा-8 एनपीए पर ब्याज	37.55
6	जुर्माना	1.60
	कुल परिवर्धन	**689.51**

आईटीबीए में जारी गणना पत्र में यह पाया गया था कि, दिनांक 19.4.2021 को निर्धारण पूरा होने के बाद, निर्धारण आदेश में किए गए परिवर्धन पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था। इसके बजाय, निर्धारिती द्वारा रिटर्न में दावा किए गए ₹ 274.58 करोड़ के नुकसान को स्वीकार किया गया था। आगे, निर्धारिती द्वारा अग्रिम कर और टीडीएस के रूप में भुगतान किए गए ₹ 161.49 करोड़ की राशि को धारा 244ए के अंतर्गत, ₹ 16.15 करोड़ के ब्याज के साथ निर्धारिती को प्रतिदाय प्रदान कर दिया गया था। निर्धारण आदेश को प्रणाली में पूर्ण रूप से अपलोड करने के अभाव में, निर्धारण आदेश के अंत में की गई कर योग्य आय की गणना लेखापरीक्षा में नहीं जाँची जा सकती थी। आईटीबीए में जारी गणना पत्र में, निर्धारण के समय रिटर्नड आय में किए गए समायोजन पर विचार नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 238.63 करोड़ के कर प्रभाव साथ ₹ 689.51 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ था।

इसे फरवरी 2022 में डीसीआईटी 2(1)(1) के संज्ञान में लाया गया था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा (सितंबर 2025) कि आयकर अधिनियम (नवंबर 2024) की धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी।

5.5.12 संबंधित पक्षों के संव्यवहार पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

लेखापरीक्षा ने यह जानने के लिए अखिल भारतीय आधार पर 360-डिग्री विश्लेषण के लिए मामलों का चयन किया कि, क्या संबंधित निर्धारितियों को दी गई या उनसे प्राप्त की गई आय और व्यय, ऋण और अग्रिम, विविध देनदार और विविध लेनदार, ब्याज भुगतान आदि जैसे विभिन्न संव्यवहार की विश्वसनीयता/वास्तविकता जांच की गई थी या नहीं। लेखापरीक्षा ने विश्लेषण किया कि क्या इस निर्धारण को पूरा करते समय, नमूना में चयनित मुख्य निर्धारिती के अभिलेख में परिलक्षित विवरणों को संबंधित पक्षों के अभिलेख के विवरण के अनुसार सत्यापित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने मुख्य निर्धारितियों द्वारा किए गए विभिन्न व्ययों के दावों की प्रामाणिकता और संबंधित पक्षों के अभिलेख के विवरण की तुलना में उसकी सत्यता को अभिनिश्चित करने की दृष्टि से प्रमुख निर्धारितियों के 278 निर्धारण के संबंध में संबंधित पक्षों के 915 मामलों की पहचान की थी।

5.5.12.1 अभिलेखों का गैर-प्रस्तुतीकरण

सत्यापन के लिए चिन्हित किए गए 915 मामलों में से, लेखापरीक्षा 637 मामलों की जांच और सत्यापन कर सकती थी क्योंकि शेष 278 मामले प्रस्तुत नहीं की गए। सत्यापन के लिए प्रस्तुत न किए जाने वाले मामलों का विवरण ***अनुलग्नक 5.14*** में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने विभिन्न कमियों को पाया जैसे संबंधित पक्षों के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारियों के साथ संबंधित पक्ष संव्यवहार की सूचना न देना, संबंधित पक्ष द्वारा उनके खाता बही में दर्ज राशि की तुलना में मुख्य निर्धारिती के खाता बही में भुगतान के रूप में दर्ज की गई राशि में अंतर, संबंधित पक्ष के खाता बही में दर्ज की गई राशि की तुलना में मुख्य निर्धारिती के खाता बही में दर्ज की गई ऋण राशि में अंतर आदि।

लेखापरीक्षा ने 360-डिग्री विश्लेषण (मुख्य निर्धारितियों) के लिए चयनित कुल मामलों मे से ₹ 38.97 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाली 77 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और संबंधित पक्षों के संदर्भ में ₹ 14.84 करोड़ के कर प्रभाव वाली 41 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को पाया, जैसा कि ***अनुलग्नक 5.13*** और तालिका 5.92 में नीचे वर्णित है।

तालिका 5.92: संबंधित पक्ष संव्यवहार के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	एफनिर्धारण अधिकारी द्वारा 360-डिग्री विश्लेषण के लिए चुने गए मामलों की संख्या	एफनिर्धारण अधिकारी द्वारा चयनित संबंधित पक्षों संव्यवहार की संख्या	सत्यापित मामलों/ संव्यवहार की संख्या	सत्यापित नहीं किए गए मामलों/ संव्यवहार की संख्या	मुख्य निर्धारितियों को जारी की गई ऑडिट क्वेरी		संबन्धित पक्षों को जारी की गई ऑडिट क्वेरी	
						अभ्युक्तियों की संख्या	आय प्रभाव	अभ्युक्तियों की संख्या	आय प्रभाव
1	अहमदाबाद	14	39	25	14	02	शून्य	07	6.13
2	बेंगलूरु	33	61	42	19	02	0.59	शून्य	शून्य
3	हैदराबाद	15	29	28	01	02	1.12	शून्य	शून्य
4	चंडीगढ़	26	117	117	0	14	32.68	शून्य	शून्य
5	केरल	51	133	129	04	17	1.66	26	8.71
6	लखनऊ	28	95	01	94	01	0.48	शून्य	शून्य
7	कोलकाता	17	81	17	64	02	2.44	शून्य	शून्य
8	दिल्ली	42	59	25	34	शून्य	शून्य	08	शून्य
9	मुंबई	60	301	253	48	37	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	**286**	**915**	**637**	**278**	**77**	**38.97**	**41**	**14.84**

(अनुलग्नक 5.13 देखें)

ऊपर सारणीबद्ध टिप्पणियों में से,पाँच महत्वपूर्ण मामलों पर पैरा 5.5.12.2 में निम्नलिखित रूप से चर्चा की गई है।

5.5.12.2 आयकर विभाग के भीतर समन्वय

लेखापरीक्षा ने संबंधित पक्षों की तुलना में मुख्य निर्धारिती के अभिलेखों और दस्तावेजों में किए गए संव्यवहार के मूल्य के प्रकटीकरण में भिन्नताएं पायीं।

पांच मामलों पर नीचे प्रकाश डाला गया है।

बॉक्स 5.43: आयकर विभाग के भीतर समन्वय पर उदाहरणात्मक मामले

(क) प्रभार: प्रधान आयकर आयुक्त-2, बेंगलूरु
निर्धारिती: मेसर्स जे5
नि.व.: 2014-15, 2018-19

इस मामले में, नि.व. 2014-15 और 2018-19 के लिए आय का रिटर्न क्रमशः ₹ 80.13 करोड़ (मार्च 2016) की आय और ₹ 1,035.66 करोड़ (अगस्त 2018) की हानि पर जमा किया गया था। नि.व. 2014-15 और 2018-19 के लिए संवीक्षा निर्धारण क्रमशः ₹ 86.69 करोड़ (दिसंबर 2017) की आय और ₹ 1,035.66 करोड़ (सितंबर 2021) की हानि का निर्धारण करते हुए धारा 143(3) के अंतर्गत पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया

कि 'सेवा शुल्क' के लिए ₹ 3.00 करोड़ और व्यावसायिक सेवाओं के लिए ₹ 21.35 करोड़ का भुगतान' इसके संबंधित पक्षोंअर्थात जे6 और जे7 को क्रमशः नि.व. 2014-15 और 2018-19 में किया गया था। हालांकि, संबंधित पक्षों ने अपने खाता बही में नि.व. 2014-15 और नि.व. 2018-19 में क्रमशः ₹ 2.89 करोड़ और ₹ 19.75 करोड़ की गणना की थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.58 करोड़ के संभावित कर प्रभाव के साथ निर्धारण से बचते हुए ₹ 1.71 करोड़ की कुल आय हुई थी। डीसीआईटी, सर्किल-4(3)(1), बेंगलूरु (अगस्त 2022) को अभ्युक्तियां जारी की गईं थी। दिसंबर 2024 और मार्च 2025 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद डीसीआईटी सर्किल-4(3)(1), बेंगलूरु का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

(ख) प्रभार: प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय), कानपुर
निर्धारिती: मेसर्स आई6
नि.व.: 2018-19

इस मामले में, नि.व. 2018-19 के लिए आय का रिटर्न ₹ शून्य की आय पर जमा की गई थी (अक्टूबर 2018)। नि.व. 2018-19 के लिए संवीक्षा निर्धारण धारा 143(3) के अंतर्गत पूरा किया गया, जिसमें विवरणीकृत आय को उसी तरह स्वीकार किया गया (फरवरी 2021)।

नि.व. 2018-19 के लिए निर्धारिती का संवीक्षा निर्धारण दिनांक 20.02.2021 को धारा 143(3) के अंतर्गत पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने सूची संख्या 2.11 के अंतर्गत दिनांक 31.03.2018 को सहयोगी कंपनी मेसर्स आई39 को दिए गए ₹ 16.28 करोड़ के ऋणों का अंत शेष दिखाया था, लेकिन मेसर्स आई39 द्वारा संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के अनुसार, दिनांक 31.03.2018 को ₹ 16.74 करोड़ के ऋण को बकाया देयता के रूप में दर्शाया गया था। इस प्रकार, ऋण खाते में ₹ 0.46 करोड़ का अंतर था जिसकी जांच की आवश्यकता है।

इस अभ्युक्ति को अप्रैल 2022 में डीसीआईटी सेंट्रल सर्किल-II, नोएडा को इंगित किया गया था। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते समय, डीसीआईटी सेंट्रल सर्किल-II, नोएडा ने कहा (अक्टूबर 2024) की धारा 148 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

मंत्रालय से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

(ग) प्रभार: प्रधान आयकर आयुक्त-4, दिल्ली
निर्धारिती: मेसर्स आर1
नि.व.: 2017-18

नि.व. 2017-18 के लिए संवीक्षा निर्धारण, ₹ 7,580.76 करोड़ की रिटर्न आय की सापेक्ष में ₹ 8,167.74 करोड़ (दिसंबर 2019) की आय पर धारा 143(3) के अंतर्गत पूरा किया गया था। प्रपत्र 3 सीडी के खंड 23 के अनुसार, मेसर्स आर1 ने निगरानी शुल्क के रूप मेसर्स आर1 को ₹ 30.65 करोड़ का भुगतान किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मेसर्स आर12 की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के पैरा 28.3 (संबंधित पक्ष संव्यवहार) के अनुसार, "मेसर्स आर1 (नियंत्रक कंपनी) से प्रदान की गई सेवाओं" के अंतर्गत प्राप्त आय के रूप में ₹ 5.09 करोड़ की राशि को दर्शाया गया था।। इसके परिणामस्वरूप निगरानी शुल्क के संबंध में आर12 के लिए ₹ 25.56 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया था। इस अभ्युक्ति के विषय में जून 2022 में डीसीआईटी सर्किल 10(1), दिल्ली को सूचित किया गया था। डीसीआईटी सर्किल 10(1), दिल्ली को अप्रैल 2023, अप्रैल 2024 और नवंबर 2024 के अनुस्मारक जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025) है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

(घ) प्रभार: सीआईटी (आईटी), मुंबई
निर्धारिती: मेसर्स एस11
नि.व.: 2015-16 से 2018-19

नि.व. 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए निर्धारिती की आय का रिटर्न क्रमशः ₹ 4,250.42 करोड़ (नवंबर 2015), ₹ 609.68 करोड़ (नवंबर 2016), ₹ 3,966.26 करोड़ (नवंबर 2017) और ₹ 2,819.32 करोड़ (नवंबर 2018) की आय पर जमा किया गया था। नि.व. 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए संवीक्षा निर्धारण क्रमशः ₹ 5,360.11 करोड़ (जनवरी 2019), ₹ 1,435.30 करोड़ (फरवरी 2020), ₹ 6,394.68 करोड़ (अक्टूबर 2021) और ₹ 3,127.18 करोड़ (नवंबर 2021) की आय पर पूरा किया गया था।

एस11 द्वारा नि.व. 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान अपने संबंधित पक्ष अर्थात् एस46 को सेवा शुल्क और सावधि जमा पर ब्याज के लिए किए गए भुगतानों की तुलना,

जैसा कि प्रपत्र 3 सीडी के खंड 23 में दर्शाया गया है, एस46 द्वारा जमा प्रपत्र-3सीईबी से करने पर निम्नलिखित अंतर सामने आए थे:

तालिका 5.93: मुख्य निर्धारिती के अभिलेख के अनुसार, संबंधित पक्षों के अभिलेख के विवरण का प्रति सत्यापन **(₹ करोड़ में)**

क्र.सं.	**नि.व.**	**संव्यवहार की प्रकृति**	**एस11 के प्रपत्र 3 सीडी के अनुसार**	**एस46 के प्रपत्र 3 सीईबी के अनुसार**	**अंतर**
1	2015-16	भुगतान किया गया सेवा शुल्क	95.6	1.39	94.21
2	2015-16	सावधि जमा पर ब्याज	1	0.99	0.01
3	2016-17	भुगतान किए गए सेवा शुल्क	32.41	1.13	31.28
4	2017-18	भुगतान किए गए सेवा शुल्क	32.18	0	32.18
5	2018-19	भुगतान किए गए सेवा शुल्क	37.37	0	37.37
कुल			**198.56**	**3.51**	**195.05**

लेखापरीक्षा के दौरान पायी गई भिन्नताएँ जो आय के संभावित पलायन को दर्शाती हैं, मार्च 2022 में संबंधित पक्ष के डीसीआईटी (आईटी)-4(2)(2), मुंबई प्रभार को सूचित की गई थीं। अप्रैल 2024 और नवंबर 2024 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद डीसीआईटी (आईटी)-4(2)(2), मुंबई प्रभार से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

(ङ) प्रभार: पीसीआईटी-2, मुंबई
निर्धारिती: मेसर्स एच4
नि.व.: 2014-15 से 2016-17

नि.व. 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए निर्धारिती की आय का रिटर्न क्रमशः ₹ 12,595.28 करोड़ (नवंबर 2014), ₹ 15,265.95 करोड़ (नवंबर 2015) और ₹ 19,228 करोड़ (अक्टूबर 2016) की आय पर जमा किया गया था। नि.व. 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए संवीक्षा निर्धारण क्रमशः ₹ 12,981.77 (दिसंबर 2019), ₹ 16,013.07 करोड़ (फरवरी 2019) और ₹ 20,659.15 करोड़ (दिसंबर 2018) की आय निर्धारित करते हुए धारा 143(3) के अंतर्गत पूरा किया गया था।

डीसीआईटी परिपत्र 2(1)(1), अहमदाबाद के अंतर्गत निर्धारित, एच4 द्वारा अपनी संबंधित पक्ष अर्थात् ए24 को सहायता सेवाओं के लिए किए गए भुगतानों की तुलना से ज्ञात हुआ कि प्रपत्र-3 सीडी के खंड-23 के अनुसार और नि.व. 2014-15 से 2015-16 अवधि के दौरान

ए24 द्वारा जमा आईटीआर में दी गई सूचना के बीच अंतर था। विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 5.94: मुख्य निर्धारिती के अभिलेख के अनुसार, संबंधित पक्षों के अभिलेख के विवरण का प्रति सत्यापन **(₹ करोड़ में)**

क्र.सं.	**नि.व.**	**एच4 के प्रपत्र 3 सीडी के अनुसार**	**प्राप्तकर्ता के रिटर्न में दर्शाई गई राशि**	**अंतर**
1	2014-15	429.80	388.45	41.34
2	2015-16	398.31	407.30	-8.98
3	2016-17	464.22	428.48	35.74
कुल		**1,292.33**	**1,224.23**	**68.10**

लेखापरीक्षा में पायी गई भिन्नताएं, जो आय के संभावित कर से बचाव को दर्शाती हैं, अप्रैल 2022 में संबंधित पक्ष के प्रभारी नि.अ., डीसीआईटी सर्किल 2(1)(1), अहमदाबाद को सूचित कर दी गई थीं। डीसीआईटी सर्किल 2(1)(1), अहमदाबाद से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुशंसा:

सीबीडीटी, क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारियों के साथ संबंधित पक्ष संव्यवहार के विवरण साझा करने और मुख्य निर्धारिती के अभिलेखों और दस्तावेजों में किए गए संव्यवहार की तुलना में संबंधित दलों के अभिलेखों के प्रति सत्यापन को मजबूत करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि अनुशंसा की जांच की जा रही है।

चूंकि अनुशंसा की जांच चल रही है, इस संबंध में प्रगति का लेखापरीक्षा में इंतजार किया जाएगा।

अध्याय 6 आंतरिक नियंत्रण, समन्वय मुद्दे एवं निगरानी तंत्र

लेखापरीक्षा ने यह सुनिश्चित किया कि क्या उपयुक्त, समय पर कार्रवाई और गुणवत्ता निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए विभाग में और बाहरी विभागों के साथ एक उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, निगरानी और समन्वय तंत्र मौजूद है। आंतरिक नियंत्रण विभाग द्वारा एकत्र की गई सूचना की सत्यता सुनिश्चित करने, उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न कार्यवाही के दौरान गलत दावों की रोकथाम के लिए लागू तंत्र, नियमों और प्रक्रियाओं को संदर्भित करते हैं। संभावित राजस्व हानि को रोकने के लिए संबंधित निर्धारितियों की सूचना को परस्पर-सत्यापित करने हेतु महत्वपूर्ण सूचना का समन्वय और समय पर साझा करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग के पास, निर्धारितियों द्वारा अपने आयकर रिटर्न में किए गए ग्रामीण अग्रिमों के दावों की वास्तविकता से संबंधित निर्धारितियों के दावों को सत्यापित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र नहीं था। लेखापरीक्षा ने 21 मामलों में अनियमितताओं को पाया जहां, विभिन्न नि.व. के लिए एक ही निर्धारिती हेतु जनगणना आंकडों के आधार पर ग्रामीण अग्रिमों के लिए कटौती की अनुमति देने में विसंगति, बही खाता में दर्ज प्रावधानों की राशि और अनर्ह ग्रामीण शाखाओं द्वारा प्रस्तुत अग्रिमों की राशि तक इसे सीमित किए बिना ही धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनियमित रूप से कटौती की अनुमति जैसे कारणों के लिए पात्रता को सत्यापित किए बिना ही अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की कटौती की अनुमति दी गयी थी। जैसा कि मुख्य निर्धारिती के अभिलेख से स्पष्ट है, लेखापरीक्षा ने मुख्य निर्धारिती के साथ संव्यवहार में सम्मिलित संबंधित पक्षों द्वारा कर की कम राशि जमा करने के उदाहरणों को पाया, जिनके विषय में क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारियों (क्षे.नि.अ.) को सूचित नहीं किया गया था। उधारकर्ताओं के वित्तीय विवरणों में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों/ऋणों के बट्टे खाते में डालने की सूचना उधारकर्ताओं के क्षे.नि.अ. को नहीं दी गई थी। न तो निर्धारिती ने प्रकट किया और न ही कर लेखापरीक्षकों ने क्रमशः आईटीआर और टीएआर के निर्धारित कॉलम में अशोध्य ऋणों के सापेक्ष वसूली, अशोध्य ऋणों के लिए कटौती, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान आदि पर महत्वपूर्ण सूचना को प्रमाणित किया था। निर्धारिती द्वारा गैर प्रकटीकरण और कर लेखापरीक्षकों द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण विवरणों को

प्रमाणित न करने से कटौती की गलत अनुमति और आय के निर्धारण से बचने की अनुचित अनुमति के जोखिम सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा ने ऐसे उदाहरण देखे, जहां नि.व. 2017-18 और नि.व. 2018-19 के दौरान विभिन्न आधारों पर नियमित रूप से अस्वीकृतियां की गई थीं, लेकिन इस अध्याय के पैरा 6.1.3 में की गयी चर्चा के अनुसार, फेसलेस निर्धारण योजना के अंतर्गत नि.व. 2019-20 के लिए संवीक्षा निर्धारण के दौरान समान अस्वीकृतियां नहीं की गईं, जैसा कि इस अध्याय के पैरा 6.1.3 में चर्चा की गई है। पूर्व के निर्धारण वर्षों में समान दावों के कर उपचार पर विचार किए बिना निर्धारण का निष्कर्ष, और सत्यापन के बिना डीआईटी राहत की अनुमति, निर्धारण प्रक्रिया और आंतरिक नियंत्रण में कमजोरियों का संकेत है।

लेखापरीक्षा में जांचे गए नमूना मामलों में से, विभाग ने 290 मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा की। लेखापरीक्षा ने उन मामलों में ₹ 3,773.39 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 123 उदाहरणों में अनियमितताएँ पाईं जिसकी जांच आंतरिक लेखापरीक्षा ने भी की थी। लेखापरीक्षा ने, लेखापरीक्षकों द्वारा आयकर विभाग को प्रपत्र 3 सीडी में प्रस्तुत आंकड़े की तुलना में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के सापेक्ष में की गई वसूली पर प्रस्तुत किए गए आंकड़े, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किया गया था, उन आंकड़ों में विसंगतियों को पाया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों को पाया जहां एनएचबी द्वारा वसूल की गई राशि की रिपोर्ट, कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रदान नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने एससीबी द्वारा बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के विषय में भारतीय रिज़र्व बैंक और एनएचबी को रिपोर्ट किए आंकड़ों की तुलना में निर्धारितियों और जिन्हे निर्धारण की अनुमति थी उनके द्वारा रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों में भी विसंगतियां पाईं।

आयकर विभाग के पास पूर्व वर्षों में अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत कटौती के दावों की जांच और विनियमन के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं है। ऐसे मामलों में निगरानी तंत्र की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जहां धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत राशि को परिशोधन, अपील प्रभाव आदि के परिणामस्वरूप आय की पुन: गणना के कारण परिशोधित किया जाता है, क्योंकि बाद के वर्षों में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि को भी तदनुसार परिशोधित करने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष में कटौती पर आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि में त्रुटियां और गैर-अनुपालन होने की संभावना है।

संज्ञान में आए मुद्दों का सारांश नीचे तालिका 6.1ए में विस्तृत है।

तालिका 6.1ए: आंतरिक नियंत्रण, समन्वय मुद्दों और निगरानी तंत्र के अंतर्गत पायी गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

पैरा संख्या	मुद्दों का सार	जांच किए गए कुल मामले	जिन मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा अनियमितताएं पाई गईं
6.1	**आंतरिक नियंत्रण मुद्दे**		
6.1.1	धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए कटौती से संबंधित मुद्दे	478	21
6.1.2	निर्धारण की गुणवत्ता	2,378	60
6.1.3	फेसलेस निर्धारण योजना के अंतर्गत किए गए निर्धारण में आय की गणना में विसंगतियां	आंतरिक नियंत्रण	2
6.1.4	आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता	290	123
6.2	**अन्य नियामक निकायों के साथ समन्वय मुद्दे**		
6.2.1	प्रपत्र 3 सीडी के अनुसार, बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के सापेक्ष में वसूली जो भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़े से मेल नहीं खाते	353	58
6.2.2	प्रपत्र 3 सीडी के अनुसार बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के सापेक्ष में वसूली जो एनएचबी आंकड़े के साथ मेल नहीं खाते	40	15
6.2.3	प्रपत्र 3 सीडी के अनुसार अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गए जो भारतीय रिज़र्व बैंक/एनएचबी आंकड़े के साथ मेल नहीं खाते	2,378	125
6.3	**आयकर विभाग में निगरानी तंत्र**		
6.3.1	निगरानी प्रणाली की कमी और बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के भविष्य के दावों के सापेक्ष समायोजन के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत कटौती के अभिलेख का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाना	628	80
6.3.2	बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती के दावों और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की निगरानी	निगरानी मामले	निगरानी मामले
6.3.3	संवीक्षा निर्धारण में किए गए परिवर्धन की असततता	निगरानी मामले	41
	कुल		**525**

6.1 आंतरिक नियंत्रण मुद्दे

आंतरिक नियंत्रण, सूचना उपलब्धता की सटीकता और समयबद्धता में सुधार कर प्रचालन दक्षता में सुधार करने में सहायक हो सकता है। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान पाये गए आंतरिक नियंत्रण से संबंधित कुछ मुद्दों पर नीचे चर्चा की गई है।

6.1.1 धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए कटौती से संबंधित मुद्दे

लेखापरीक्षा ने निर्धारण फोल्डरों में उपलब्ध अभिलेखों में पाया कि, विभाग के पास रिटर्न में निर्धारितियों द्वारा किए गए ग्रामीण अग्रिमों के दावे की वास्तविकता के संदर्भ में निर्धारितियों के दावे को सत्यापित करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं था।

लेखापरीक्षा ने जाँचे गए 478 मामलों[117] में से नौ निर्धारितियों के 21 मामलों में पाया कि अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधान के लिए गैर-अनुमत कटौती को इसकी पात्रता के सत्यापन के बिना अनियमित रूप से अनुमति दी गई थी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका 6.1 में विस्तृत है।

तालिका 6.1: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधान हेतु अनुमत कटौती से संबंधित अभ्युक्तियां
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र/प्रभार	निर्धारिती का नाम /नि.व.	सैक्टर	मामले का सार	अल्प/अधिक की अनुमति	विभाग का उत्तर
1	अहमदाबाद /प्रधान आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद	ए6, नि.व. 2012-13, 2015-16, 2016-17	निजी बैंक	निर्धारिती द्वारा किए गए ₹ 576.49 करोड़ के ग्रामीण अग्रिमों से संबंधित कटौती की अनुमति उसकी पात्रता के सत्यापन के बिना दी गई थी।	576.49 (अधिक की स्वीकृति)	नि.व. 2015-16 और 2016-17 के लिए स्वीकृत (मई 2022)। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)। नि.व. 2012-13 का उत्तर प्रतीक्षित है, (नवंबर 2025)।
2	मुंबई/प्रधान आयकर आयुक्त-2, मुंबई	वाई1, नि.व. 2018-19	निजी बैंक	ग्रामीण अग्रिमों के दस *प्रतिशत* की कटौती के लिए निर्धारिती के दावे की अस्वीकृति, धारा 36(1)(vii) का स्पष्टीकरण 2 विस्तार से व्याख्या और कहता है	96.76 (अल्प अनुमति)	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

[117] टूलकिट आंकड़ों के अनुसार, उन मामलों की कुल संख्या जहां अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की अनुमति दी गई थी।

तालिका 6.1: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधान हेतु अनुमत कटौती से संबंधित अभ्युक्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र/प्रभार	निर्धारिती का नाम /नि.व.	सैक्टर	मामले का सार	अल्प/अधिक की अनुमति	विभाग का उत्तर
				कि उप-धारा 36(1) के खंड (viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए केवल एक खाता होना चाहिए।		
3	चेन्नई /प्रधान आयकर आयुक्त-4, चेन्नई	आई5, नि.व. 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19	सार्वजनिक बैंक	नि.व. 2019-20 के संवीक्षा निर्धारण में, यह माना गया था कि ग्रामीण शाखा जनसंख्या आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे क्योंकि वे जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित नहीं थे, और धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत ग्रामीण शाखाओं से संबंधित कटौती को अननुमत कर दिया गया था। चूंकि वही जनगणना आंकड़ा नि.व. 2014-15 से 2018-19 तक लागू होते हैं, इसलिए इसी तरह के अस्वीकरण की आवश्यकता थी।	4,484.38 (अधिक की स्वीकृति)	निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई को दिनांक 31-03-2022 को समय-सीमा के कारण बाधित है। नि.व. 2016-17 से नि.व. 2018-19 के लिए उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
4	चेन्नई /प्रधान आयकर आयुक्त -1, चेन्नई प्रभार	ई4, नि.व. 2017-18 एवं 2018-19	निजी बैंक	ग्रामीण शाखाओं के जनसंख्या विवरण की जांच से पता चला कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या 10,000 से अधिक थी; इसलिए, ऐसी शाखाएं "ग्रामीण शाखाएं" नहीं हैं और नि.व. 2017-18 और 2018-19 के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत	35.17 (अधिक की स्वीकृति)	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

तालिका 6.1: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधान हेतु अनुमत कटौती से संबंधित अभ्युक्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र/प्रभार	निर्धारिती का नाम /नि.व.	सैक्टर	मामले का सार	अल्प/अधिक की अनुमति	विभाग का उत्तर
				ग्रामीण अग्रिमों के लिए कटौती हेतु अर्ह नहीं थीं। इसके अलावा, नि.व. 2017-18 के लिए, जैसा कि बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 23.12.2016 से एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में अधिसूचित किया गया था, वह अवधि जिसके लिए ग्रामीण अग्रिमों को कटौती हेतु गणना की जाती है, वह चार महीने (दिसंबर 2016 से मार्च 2017) है न कि पूरा पूर्व वर्ष, जैसा कि बैंक द्वारा दावा किया गया है।		
5	चंडीगढ़/प्रधान आयकर आयुक्त फ़रीदाबाद	बी10, नि.व. 2016-17	एनबीएफ़सी	निर्धारिती ने दावा किया और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए एक गैर-अनुमत कटौती की अनुमति दी गई थी।	18.97 (अधिक की स्वीकृति)	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
6	चंडीगढ़/प्रधान आयकर आयुक्त फ़रीदाबाद	आई1 नि.व. 2016-17	एनबीएफ़सी	निर्धारिती ने दावा किया और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए एक गैर-अनुमत कटौती की अनुमति दी गई थी।	0.05 (अधिक की स्वीकृति)	क्षे.नि.अ. ने स्वीकार किया (मार्च 2022) कि कटौती स्वीकार्य नहीं थी, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के कारण, कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकी।
7	चेन्नई /प्रधान आयकर आयुक्त-1, मदुरै	टी6,नि.व. 2014-15 से 2018-19	निजी बैंक	यद्यपि धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती को ग्रामीण और	620.73 (अल्प अनुमति)	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

तालिका 6.1: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधान हेतु अनुमत कटौती से संबंधित अभ्युक्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**क्षेत्र/प्रभार**	**निर्धारिती का नाम /नि.व.**	**सैक्टर**	**मामले का सार**	**अल्प/अधिक की अनुमति**	**विभाग का उत्तर**
				अ-ग्रामीण शाखाओं से संबंधित प्रावधानों को विभाजित किए बिना खाता बही में किए गए प्रावधानों की राशि तक सीमित रखने की आवश्यकता है; यह प्रतिबंध ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों (खाता बही के अनुसार) के प्रावधानों के संदर्भ में किया गया था, जबकि गैर-ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए प्रावधानों की अनदेखी की गई थी।		
8	चेन्नई /प्रधान आयकर आयुक्त-4, चेन्नई प्रभार	आई5, नि.व. 2019-20	सार्वजनिक बैंक	निर्धारण के दौरान धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की फिर से गणना करते समय, सकल कुल आय के 8.5 *प्रतिशत* की लागू दर के बजाय 7.5 *प्रतिशत* पर कटौती की अनुमति दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कम अनुमत हुआ था।	396.82 (अल्प अनुमति)	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
9	पूर्वोत्तर क्षेत्र/प्रधान आयकर आयुक्त-गुवाहाटी	एन1, नि.व. 2018-19 एवं 2019-20	एनबीएफ़सी	निर्धारिती ने दावा किया और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए एक गैर-अनुमत कटौती की अनुमति दी गई थी।	13.15 (अधिक की स्वीकृति)	नि.व. 2018-19 और 2019-20 के लिए स्वीकार किया गया और कहा गया कि धारा 147 के साथ पठित 144बी के अंतर्गत मार्च 2025 में उपचारात्मक कार्रवाई की गई।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि विभाग ने धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु कटौतियों से संबंधित दावों के सत्यापन हेतु कोई संस्थागत तंत्र स्थापित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, अनर्ह शाखाओं द्वारा दिए गए ग्रामीण अग्रिम के लिए भी कटौतियाँ दी गईं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न निर्धारण वर्षों में एक ही निर्धारिती के मामले में धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की असंगत अनुमति दी गई।

अनुलग्नक 6.8 में दो मामलों पर चर्चा की गई है।

अनुशंसा:

सीबीडीटी अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के प्रावधानों के अंतर्गत समग्र ग्रामीण अग्रिमों के आधार पर कटौती के दावों और उनकी पात्रता के सत्यापन के लिए एक उचित संस्थागत तंत्र स्थापित कर सकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2025) में बताया कि प्रासंगिक अनुशंसा/सुझाव पर आधारित एक नया नियम वर्तमान में सीएएसएस समिति 2025 के विचाराधीन है। *चूंकि अनुशंसा विचाराधीन है, इसलिए इस संबंध में कृत कार्रवाई के विवरण की लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा की जाएगी।*

6.1.2 निर्धारण की गुणवत्ता

आयकर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारियों को आयकर अधिनियम के प्रावधानों, आयकर नियमों और उसके अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं, तथा सीबीडीटी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी करते हुए, कर निर्धारण में किए गए संशोधनों को अपील प्रक्रिया में निरस्त किया जाना निश्चित है। कर प्रभावों से जुड़े अनुपालन संबंधी मुद्दों पर अध्याय 5 में विस्तार से चर्चा की गई है। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कुछ नियंत्रण कमियाँ, जिनका कर संबंधी प्रभाव नहीं है, की चर्चा नीचे की गई है।

6.1.2.1 भुगतान किए गए कर के क्रेडिट की अनुमति देने में विसंगति

एक निर्धारण अधिकारी को निर्धारण को अंतिम रूप देते समय अपने पास उपलब्ध सभी सूचनाओं और अभिलेखों की जांच करनी होती है तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर योग्य आय और कर देयता का निर्धारण करना होता है।

लेखापरीक्षा ने कर निर्धारण के दौरान भुगतान किए गए कर पर विचार किए बिना कर जमा की अनियमित अनुमति का एक मामला देखा, जैसा कि विभाग के ओएलटीएएस[118] आंकड़ों में दर्शाया गया है, जो आंतरिक नियंत्रण कमियों का संकेत था। इस मामले पर नीचे चर्चा की गई है:

प्रधान आयकर आयुक्त श्रीनगर आयुक्तालय के अंतर्गत मेसर्स टी8 द्वारा जमा विवरण का निर्धारण, निर्धारण वर्ष 2012-13, निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए मार्च 2015, दिसंबर 2017 और दिसंबर 2019 में पूर्ण संवीक्षा के बाद किया गया था, जिसमें क्रमशः ₹10.09 करोड़, ₹112.86 करोड़ और ₹22.73 करोड़ की निवल माँग थी। निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारण एक सारांश निर्धारण के बाद किया गया था, जिसमें ₹258.95 करोड़ का प्रतिदाय निर्धारित किया गया था। सभी वर्षों में, निर्धारण में भुगतान किए गए कर का क्रेडिट ओएलटीएएस में दर्शाए गए भुगतान किए गए कर से कम था। विवरण नीचे तालिका 6.2 में दिए गए हैं।

तालिका 6.2: भुगतान किए गए कर हेतु क्रेडिट की अनुमति देने में मिलान न होने का विवरण

(₹ करोड़ में)

निर्धारण वर्ष	मुद्दे का सार	विभाग का उत्तर
2012-13	विभाग ने ओएलटीएएस में दर्शाए गए ₹426.89 करोड़ के विपरीत ₹403.91 करोड़ के कर भुगतान की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान किए गए कर में ₹22.98 करोड़ का अंतर हो गया।	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2015-16	विभाग ने ओएलटीएएस में दर्शाए गए ₹ 656.79 करोड़ (सितंबर 2018 तक) के विपरीत ₹ 301.18 करोड़ के कर भुगतान की अनुमति दी, जो ₹ 355.60 करोड़ के कर भुगतान के अंतर को दर्शाता है।	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2016-17	विभाग ने ओएलटीएएस में दर्शाए गए ₹485.88 करोड़ के विपरीत ₹455.02 करोड़ के कर भुगतान की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान किए गए कर में ₹30.86 करोड़ का अंतर हो गया।	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2017-18	विभाग ने ओएलटीएएस में दर्शाए गए ₹170.04 करोड़ के विपरीत ₹146.26 करोड़ के कर भुगतान की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप भुगतान किए गए कर में ₹23.78 करोड़ का अंतर हो गया।	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

निर्धारण वर्ष 2012-13, 2015-16 से 2017-18 तक निर्धारिती द्वारा पहले ही भुगतान किए गए कर हेतु जमा कर की अल्प अनुमति के परिणामस्वरूप कर का अधिक प्रभार लगाया गया।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

[118] ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) सभी श्रेणियों के करदाताओं से प्रत्यक्ष करों की प्राप्तियों और भुगतानों के संग्रहण, लेखांकन और सूचना हेतु बैंक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन एक प्रणाली है।

6.1.2.2 धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत बही लाभ की गणना से संबंधित मुद्दे

धारा 115जेबी[119] के अंतर्गत प्रदत्त स्पष्टीकरण में इस धारा के प्रयोजनार्थ बही लाभ की गणना हेतु निवल लाभ में किए जाने वाले समायोजनों का प्रावधान है। बही लाभ की गणना में कर प्रभाव वाली अनियमितताओं के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अध्याय 5 के पैरा संख्या 5.5.7 में विस्तार से चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि प्रधान आयकर आयुक्त-1 जयपुर के अंतर्गत पाँच मामलों[120], प्रधान आयकर आयुक्त-2 जयपुर के अंतर्गत एक मामले[121] और प्रधान आयकर आयुक्त-1 अहमदाबाद के अंतर्गत एक मामले[122] में, धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना करते समय मानक परिसंपत्तियों और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधानों को वापस नहीं जोड़ा गया था। इसके अलावा, अहमदाबाद क्षेत्र में, उपर्युक्त प्रावधानों को निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान निर्धारिती की विवरणीकृत आय में वापस परिवर्धित कर दिया गया था, हालाँकि निर्धारण वर्ष 2018-19 में इन्हें वापस परिवर्धित किया जाना बाकी था। बही लाभ की गणना में अनियमितताओं का विवरण नीचे तालिका 6.3 में दिया गया है।

तालिका 6.3: बही लाभ की गणना से संबंधित मुद्दे **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार	एनबीएफसी	निर्धारण वर्ष	धारा के अंतर्गत निर्धारण/ निर्धारण की तिथि	लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई वस्तुओं का विवरण	गैर-निष्पादित संपत्तियाँ के लिए प्रावधान और मानक परिसंपत्तियों आदि के लिए प्रावधान के लिए लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई राशि
1.	प्रधान आयकर आयुक्त-1 जयपुर	ए5	2017-18	143(3) 22.12.2019	गैर-निष्पादित संपत्तियाँ और मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	22.37
2.	प्रधान आयकर आयुक्त-1 जयपुर	ए19	2017-18	143(3) 21.12.2019	गैर-निष्पादित संपत्तियाँ और मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	3.82

119 आयकर अधिनियम की धारा 115जेबी में यह प्रावधान है कि जहां सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत गणना किया गया कर धारा 115जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत बही लाभ पर देय कर से कम है, वहां निर्धारिती विशेष प्रावधानों के अनुसार बही लाभ पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

120 ए5 निर्धारण वर्ष 2017-18, ए19 निर्धारण वर्ष 2017-18, ई2 निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20

121 एन3 निर्धारण वर्ष 2017-18

122 जी4 निर्धारण वर्ष 2018-19

तालिका 6.3: बही लाभ की गणना से संबंधित मुद्दे						**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**एनबीएफसी**	**निर्धारण वर्ष**	**धारा के अंतर्गत निर्धारण/ निर्धारण की तिथि**	**लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई वस्तुओं का विवरण**	**गैर-निष्पादित संपत्तियाँ के लिए प्रावधान और मानक परिसंपत्तियों आदि के लिए प्रावधान के लिए लाभ और हानि खाते में डेबिट की गई राशि**
3.	प्रधान आयकर आयुक्त-1 जयपुर	ई2	2017-18	143(3) 15.12.2019	गैर-निष्पादित संपत्तियाँ के लिए प्रावधान	3.87
4.	प्रधान आयकर आयुक्त-1 जयपुर	ई2	2018-19	143(1) 25.12.2019	गैर-निष्पादित संपत्तियाँ, मानक परिसंपत्तियों और अन्य अग्रिमों के लिए आकस्मिक प्रावधान	6.64
5.	प्रधान आयकर आयुक्त-1 जयपुर	ई2	2019-20	143(1) 29.05.2020	गैर-निष्पादित संपत्तियाँ, मानक परिसंपत्तियों और अन्य अग्रिमों के लिए आकस्मिक प्रावधान	8.80
6.	प्रधान आयकर आयुक्त-2 जयपुर	एन3	2017-18	143(3) 23.12.2019	मानक परिसंपत्तियों, उप-मानक परिसंपत्तियों और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0.14
7	सीआईटी-1 अहमदाबाद	जी4	2018-19	143 (3) 27.09.2021	गैर-निष्पादित संपत्तियाँ के लिए प्रावधान	6.87
		कुल				**52.51**

धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना के लिए गैर-अनुमत कटौती की अनुमति देकर ₹ 52.51 करोड़ की सीमा तक बही लाभ की गैर-निवल गणना, जैसे मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान, गैर-निष्पादित संपत्तियाँ के लिए प्रावधान, अन्य अग्रिमों के लिए आकस्मिक प्रावधान आदि, विभाग के भीतर प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता को इंगित करता है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां फरवरी[123] 2022 और मार्च 2022[124] को विभाग के ध्यान में लाया गया। *जयपुर क्षेत्र में विभाग ने दो मामलों[125] के संबंध में उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि आपति विचाराधीन है और यदि स्वीकार्य पाई जाती है, तो आयकर अधिनियम के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। शेष मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।*

अनुशंसा:

सीबीडीटी, आय की गणना और आयकर प्रतिवेदन के अनुसूची एमएटी में दर्शाए गए संदिग्ध देनदारियों, जैसे कि मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, की निगरानी के लिए एक प्रणाली विकसित करे ताकि अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत बही लाभ की सटीक गणना सुनिश्चित की जा सके।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2025) में बताया कि प्रासंगिक अनुशंसा/सुझाव पर आधारित एक नया नियम वर्तमान में सीएएसएस समिति 2025 के विचाराधीन है। *चूंकि अनुशंसा विचाराधीन है, इसलिए इस संबंध में कृत कार्रवाई के विवरण की लेखापरीक्षा में प्रतीक्षा की जाएगी।*

6.1.2.3 अन्य क्षेत्राधिकारियों के साथ समन्वय का अभाव

उचित, समय पर कार्रवाई और गुणवत्तापूर्ण निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए विभाग के भीतर और बाहरी विभागों के साथ एक सुव्यवस्थित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, संवीक्षण और समन्वय तंत्र आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने संज्ञान में लाया कि मुख्य निर्धारिती के साथ संबंधित पक्ष के संव्यवहार की सूचना न तो संबंधित पक्षों के क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारी को उधारकर्ताओं द्वारा उनके आईटीआर और टीएआर में किए गए समान दावे की सूचना के प्रति-सत्यापन के लिए दी गई थी और न ही मुख्य निर्धारिती के क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारी ने दावों की सत्यता के लिए इसका सत्यापन किया। परिणामस्वरूप 41 मामलों में ₹ 14.84 करोड़ का कर कम लगाया गया, जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैरा 5.5.12.2 में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा ने छह मुख्य निर्धारितियों के 11 मामलों में विभाग के भीतर समन्वय की कमी देखी, क्योंकि यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या निर्धारण अधिकारी ने देनदारियों की समाप्ति से उत्पन्न आय के कराधान के सत्यापन के लिए उधारकर्ताओं के क्षेत्राधिकार वाले

---

123 पीसीआईटी-1 जयपुर

124 पीसीआईटी-2 जयपुर और सीआईटी-1 अहमदाबाद

125 ए5 (निर्धारण वर्ष 2017-18), ए19 (निर्धारण वर्ष 2017-18)।

निर्धारण अधिकारी को उधारकर्ताओं के विरुद्ध बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का विवरण सूचित किया था, जैसा कि नीचे तालिका 6.4 में दिया गया है।

तालिका 6.4: अन्य क्षेत्राधिकार अधिकारियों के साथ समन्वय की कमी से संबंधित मुद्दे

क्रमांक	क्षेत्र/प्रभार	निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष/ कर निर्धारण विवरण	क्षेत्र	मुद्दे का सार	विभाग का उत्तर
1	कोलकाता / प्रधान आयकर आयुक्त, कोलकाता-1	एम7, निर्धारण वर्ष 2015-16 [धारा 143(3) दिनांक 20-12-2017] और निर्धारण वर्ष 2016-17 [धारा 143 (3) दिनांक 21-12-2018]	एनबीएफसी	निर्धारिती के साथ संव्यवहार में सम्मिलित संबंधित पक्ष द्वारा ₹17.25 करोड़ (निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए ₹11.59 करोड़, निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए ₹5.20 करोड़) का कम कर जमा किया गया, जैसा कि वसूली के लिए क्षेत्राधिकार वाले कर निर्धारण प्रभारों को सूचित न किए गए अभिलेखों से प्रमाणित होता है। इन मुद्दों की ओर अप्रैल 2022 में विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया।	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	कोलकाता / प्रधान आयकर आयुक्त, कोलकाता-3	एम16, निर्धारण वर्ष 2017-18 धारा 143(3) दिनांक 16-12-2019	एनबीएफसी	निर्धारिती के साथ संव्यवहार में सम्मिलित संबंधित पक्ष द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए ₹0.46 करोड़ का कम कर जमा किया गया, जैसा कि अभिलेखों से स्पष्ट है, वसूली हेतु क्षेत्राधिकार निर्धारण प्रभारों को सूचित नहीं किया गया। इस मुद्दे को अप्रैल 2022 में विभाग के समक्ष उठाया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
3	बेंगलुरु/प्रधान आयकर आयुक्त-पणजी/ सर्किल-1(1) मैंगलोर	टी15, निर्धारण वर्ष 2019-20, धारा 143(3)/ 144बी दिनांक 29.09.2021	निजी बैंक	₹ 895.19 करोड़ के अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने का दावा किया गया था, जिसमें से ₹763.55 करोड़ की कटौती के रूप में निर्धारण वर्ष 2019-20 के दौरान अनुमति दी गई थी, लेकिन कराधान के	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

तालिका 6.4: अन्य क्षेत्राधिकार अधिकारियों के साथ समन्वय की कमी से संबंधित मुद्दे					
क्रमांक	**क्षेत्र/प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष/ कर निर्धारण विवरण**	**क्षेत्र**	**मुद्दे का सार**	**विभाग का उत्तर**
				लिए प्रस्तावित राशि के सत्यापन के लिए उधारकर्ताओं के क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारी को सूचित नहीं किया गया था।	
4	बेंगलुरु/प्रधान आयकर आयुक्त-2/ सर्किल-4(3)(1)	जे5, निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2019-20 धारा 143(3)/ 144बी दिनांक 28.12.2019 [निर्धारण वर्ष 2017-18]	एनबीएफसी	₹2,945.62 करोड़ (निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए ₹39.95 करोड़, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 122.11 करोड़, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ₹140.30 करोड़ और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ₹2,643.26 करोड़) के बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों को अनुमति दी गई और कटौती के रूप में दावा किया गया, उधारकर्ताओं द्वारा कराधान के लिए प्रस्तावित राशि के सत्यापन के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को सूचित नहीं किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
5	बेंगलुरु/ प्रधान आयकर आयुक्त-3 बेंगलुरु	एच9, निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2016-17 धारा 143(3)/ 144सी(5) दिनांक 26.11.2018 (निर्धारण वर्ष 2014-15) एवं धारा 143(1) दिनांक 12.08.2017	एनबीएफसी	₹180.40 करोड़ (निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए ₹82.97 करोड़, निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए ₹97.43 करोड़) के बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों को, जिन्हें कटौती के रूप में अनुमति दी गई थी और दावा किया गया था, उधारकर्ताओं द्वारा कराधान के लिए प्रस्तावित राशि के सत्यापन के लिए क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारी को सूचित नहीं किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

तालिका 6.4: अन्य क्षेत्राधिकार अधिकारियों के साथ समन्वय की कमी से संबंधित मुद्दे					
क्रमांक	**क्षेत्र/प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष/ कर निर्धारण विवरण**	**क्षेत्र**	**मुद्दे का सार**	**विभाग का उत्तर**
6	चंडीगढ़/ प्रधान आयकर आयुक्त, पंचकूला	एच5, निर्धारण वर्ष 2017-18 धारा 143(3) दिनांक 11.12.2019	एनबीएफसी	निर्धारण के समय वर्ष के अंत में बकाया ऋण की पुष्टि नहीं मांगी गई।	विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2025) कि मार्च 2024 में धारा 147 के साथ पठित 144बी के अंतर्गत कार्रवाई की गई है

विभाग के भीतर समन्वय की कमी के एक उदाहरणात्मक मामले पर ***अनुलग्नक 6.9*** में चर्चा की गई है।

यद्यपि प्रस्तुत अभिलेखों में उधारकर्ताओं के पैन उपलब्ध थे, फिर भी लेखापरीक्षा को ऐसा कोई मामला नहीं मिला जहाँ कर निर्धारण अधिकारियों ने उधारकर्ताओं के विवरण संप्रेषित किए हों या उधारकर्ताओं की खाता बही में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के विवरणों का प्रति-सत्यापन करने के लिए क्षेत्राधिकार वाले कर निर्धारण अधिकारियों के साथ समन्वय किया हो। ऋणदाताओं द्वारा उधारकर्ताओं को दिए गए धन के लिए अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने से संबंधित सूचना समय पर साँझा करने से यह सुनिश्चित होगा कि देयता की समाप्ति से उत्पन्न आय पर उधारकर्ताओं को कर का भुगतान करना होगा।

अनुशंसा:

सीबीडीटी, बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के कारण उधारकर्ताओं की कर देयता की निगरानी के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारियों के बीच समन्वय हेतु एक मानक संचालन प्रोटोकॉल को संस्थागत रूप दे सकता है।

अपने उत्तर (नवंबर 2024) में, मंत्रालय ने कहा कि अनुशंसा की जाँच की जा रही है। *आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।*

6.1.2.4 आईटीआर-6 और कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सूचना का अपूर्ण प्रस्तुतीकरण

कंपनियों द्वारा आयकर रिटर्न जमा करने के लिए आईटीआर-6 और कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ प्रपत्र 3सीडी का प्रारूप, सीबीडीटी द्वारा पारदर्शी तरीके से निर्धारण पूरा करने के लिए विभाग द्वारा आवश्यक सूचना को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आईटीआर-6 और प्रपत्र 3सीडी में कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विभिन्न कॉलम, निर्धारण अधिकारियों को सही कर योग्य आय निर्धारित करने में सहायता के लिए महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने 2,378 मामलों में से 23 ऐसे मामले देखे, जहां निर्धारती ने आईटीआर और कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रपत्र में निर्धारित सूचना प्रस्तुत नहीं की, जैसा कि नीचे तालिका 6.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 6.5: आईटीआर-6 और कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना

क्रमांक	क्षेत्र	प्रभार	निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष	क्षेत्र	मुद्दे का सार	विभाग का उत्तर
1	गुजरात	प्रधान आयकर आयुक्त 1 अहमदाबाद	ए6, निर्धारण वर्ष 2016-17; (143(3) धारा 144सी(3) के साथ पठित दिनांक 28.01.2020)	निजी बैंक	निर्धारिती द्वारा दावा किए गए ₹ 3,163.94 करोड़ के अशोध्य ऋणों को आईटीआर में नहीं दर्शाया गया।	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	गुजरात	प्रधान आयकर आयुक्त 1 अहमदाबाद	ए6, (निर्धारण वर्ष 2011-12 (143(3)/147 दिनांक 15.11.2018); निर्धारण वर्ष 2012-13 (143(3)/147 दिनांक 15.11.2018); निर्धारण वर्ष 2015-16 (143/263 दिनांक 02.02.2018) और निर्धारण वर्ष 2016-17 (143(3)/144सी	निजी बैंक	₹ 947.41 करोड़ (निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 325.22 करोड़, निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 291.84 करोड़, निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए ₹169.86 करोड़ तथा निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 160.49 करोड़) के अशोध्य ऋणों की वसूली को सभी चार वर्षों के आईटीआर में निर्धारित कॉलम में नहीं दर्शाया गया।	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

तालिका 6.5: आईटीआर-6 और कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना						
क्रमांक	**क्षेत्र**	**प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष**	**क्षेत्र**	**मुद्दे का सार**	**विभाग का उत्तर**
			(3) दिनांक 28.01.2020)			
3	लखनऊ	प्रधान आयकर आयुक्त - बरेली	टी7, निर्धारण वर्ष 2017-18; (143(3) दिनांक 06.11.2019)	निजी बैंक	आय की गणना में निर्धारिती ने ₹ 29.52 करोड़ के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान (पीबीडीडी) का दावा किया, जिसे न तो पी एंड एल खाते के माध्यम से पारित किया गया और न ही आईटीआर के कॉलम 40 के अंतर्गत दर्शाया गया।	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
4	जयपुर	प्रधान आयकर आयुक्त-1 जयपुर	ए5, निर्धारण वर्ष 2018-19 (143(3) दिनांक 19.03.2021) और 2019-20 (143(1) दिनांक 11.11.2020)	एनबीएफसी	धारा 40ए(2)(बी) के अंतर्गत निर्दिष्ट संबंधित पक्ष संव्यवहार के बारे में प्रपत्र 3सीडी के क्रमांक 23 में पैन का आवश्यक विवरण कर लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
5	अहमदाबाद	प्रधान आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद	एच10, निर्धारण वर्ष 2016-17 (143(3) दिनांक 19.12.2018); निर्धारण वर्ष 2017-18 (143(3) दिनांक 19.12.2019); निर्धारण वर्ष 2018-19 (143(3)/144बी दिनांक 23.08.2021); निर्धारण वर्ष 2019-20 (143(3)/144बी दिनांक 26.09.2021)	एनबीएफसी	धारा 41 के अंतर्गत मान्य आय के अंतर्गत अनुसूची बीपी के भाग-ए के क्रमांक 20 पर आईटीआर में पृथकतया: ₹ 526.72 करोड़ (निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए ₹51.74 करोड़, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 75.28 करोड़, निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए ₹152.83 करोड़ और निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 246.87 करोड़) के अशोध्य ऋणों के विपरीत वसूली को	धारा 263 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई को प्रधान आयकर आयुक्त-1 अहमदाबाद द्वारा 21.12.2023 को अनुमोदित किया गया। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है (अक्टूबर 2025)।

तालिका 6.5: आईटीआर-6 और कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना						
क्रमांक	**क्षेत्र**	**प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष**	**क्षेत्र**	**मुद्दे का सार**	**विभाग का उत्तर**
					उजागर नहीं किया गया।	
6	अहमदाबाद	प्रधान आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद	जी4, निर्धारण वर्ष 2018-19, 143(3) दिनांक 27.09.2021	एनबीएफसी	धारा 41 के अंतर्गत मान्य आय के अंतर्गत अनुसूची बीपी के भाग-ए, लाभ - हानि खाते के क्रमांक 20 पर आईटीआर में अशोध्य ऋणों के विपरीत वसूली का अलग से खुलासा नहीं किया गया था।	उप आयकर आयुक्त गांधीनगर ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया (फरवरी 2023) जिसमें कहा गया था कि निर्धारितीने पहले ही आईटीआर के भाग एपी एंड एल, मद संख्या 2 (x) में अन्य आय के अंतर्गत अशोध्य ऋण वसूली का प्रस्ताव दिया था। इसलिए, अनुसूची बीपी के क्रमांक 20 में वसूली का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धारा 44एबी के अंतर्गत लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के लिए आईटीआर का भाग ए-ओआई जमा करना अनिवार्य है, जिसमें क्रमांक 14 में धारा 41 के अंतर्गत मानी गई आय का विवरण विशेष रूप से मांगा गया है।
7	जयपुर	प्रधान आयकर आयुक्त-1 जयपुर	ई2, निर्धारण वर्ष 2016-17 143(1) दिनांक 25.05.2017 और निर्धारण वर्ष 2019-20 143(1) दिनांक 29.05.2020	एनबीएफसी	धारा 40ए(2)(बी) के अंतर्गत निर्दिष्ट संबंधित पक्ष संव्यवहार के बारे में प्रपत्र 3सीडी के क्रमांक 23 में पैन का आवश्यक विवरण अमान्य/गलत था।	विभाग ने स्वीकार किया (नवंबर 2025) और कहा कि यह एक लिपिकीय त्रुटि थी।
8	जयपुर	प्रधान आयकर आयुक्त-1 जयपुर	ई2, निर्धारण वर्ष 2017-18 143(3) दिनांक 15.12.2019, निर्धारण वर्ष 2018-19	एनबीएफसी	अशोध्य ऋणों के समक्ष वसूली को निर्धारण वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के संबंध में टीएआर की क्रमांक 25 में नहीं दर्शाया गया	उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2025)।

तालिका 6.5: आईटीआर-6 और कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना						
क्रमांक	**क्षेत्र**	**प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष**	**क्षेत्र**	**मुद्दे का सार**	**विभाग का उत्तर**
			143(1) दिनांक 25.12.2019 और निर्धारण वर्ष 2019-20 143(1) दिनांक 29.05.2020		था, यद्यपि इसे लाभ-हानि खाते में जमा कर दिया गया था।	
9	जयपुर	प्रधान आयकर आयुक्त-1 जयपुर	ए19, निर्धारण वर्ष 2017-18 [143(3) दिनांक 21.12.2019] और निर्धारण वर्ष 2018-19 [143(3) दिनांक 03.03.2021]	एनबीएफसी	निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए अशोध्य ऋणों के विपरीत वसूली और पूंजीगत व्यय को क्रमशः क्रमांक 25 और 21 पर टीएआर में नहीं दर्शाया गया।	उप आयकर आयुक्त सर्किल 1, जयपुर के उत्तर (फरवरी 2022) के अनुसार, निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आपत्ति तथ्यात्मक रूप से सही पाई गई और भविष्य के संदर्भ के लिए नोट कर ली गई। निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए उत्तर स्वीकृत है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
10	जयपुर	प्रधान आयकर आयुक्त-1 जयपुर	ई2, निर्धारण वर्ष 2017-18 [143(3) दिनांक 15.12.2019]	एनबीएफसी	आईटीआर में व्यवसाय कोड '0807-एनबीएफसी' था, जबकि प्रपत्र 3सीडी में यह '13018-वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं' और '13006-वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं' था। आय की सही सूचना और सही निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए उचित वर्गीकरण आवश्यक है।	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
11	लखनऊ	सीआईटी-इलाहाबाद	एस24, निर्धारण वर्ष 2017-18 [143(3) दिनांक 28.12.2019]	एनबीएफसी	निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर में, अशोध्य ऋणों के लिए कटौती कॉलम 41 के अंतर्गत गलत तरीके से दर्शायी गई थी- भाग ए, पी & एल के अन्य प्रावधान - आईटीआर-6 के कॉलम 39-अशोध्य	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

तालिका 6.5: आईटीआर-6 और कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करना						
क्रमांक	**क्षेत्र**	**प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष**	**क्षेत्र**	**मुद्दे का सार**	**विभाग का उत्तर**
					ऋणों के स्थान पर अन्य प्रावधानों के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के वर्णन में निर्धारण के दौरान अनुमत दावे की जाँच न किए जाने का जोखिम सम्मिलित था।	
12	लखनऊ	सीआईटी-इलाहाबाद	एस24, निर्धारण वर्ष 2017-18 [143 (3) दिनांक 28.12.2019]	एनबीएफसी	आय की गणना में निर्धारिती ने अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान (पीबीडीडी) का दावा किया था, जिसे न तो पी एंड एल खाते के माध्यम से पारित किया गया था और न ही आईटीआर के कॉलम 40 के अंतर्गत दिखाया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

निर्धारिती, कर विवरण (आईटीआर) और कर लेखापरीक्षा (टीएआर) में अशोध्य ऋणों की वसूली, बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की कटौती आदि से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना को उजागर या सूचित नहीं कर रहे हैं। निर्धारण अधिकारी ने भी निर्धारण के दौरान इसकी माँग नहीं की। निर्धारण अधिकारी द्वारा कर लेखापरीक्षकों और निर्धारितियों द्वारा प्रमाणित/प्रकट की गई सूचना पर अत्यधिक निर्भर होने के कारण, आईटीआर और कर लेखापरीक्षा (टीएआर) में सटीक विवरण प्रस्तुत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि कर योग्य आय की उचित सूचना और उचित निर्धारण सुनिश्चित किया जा सके।

निर्धारित कॉलम में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने से विभाग को अर्ह निर्धारिती को कटौती के दावे की अनुमति देने में सहायता मिलेगी।

यद्यपि अधिकांश मामलों का निर्धारण संवीक्षा के अंतर्गत किया गया था, फिर भी निर्धारण अभिलेखों में दस्तावेज़ी साक्ष्य के अभाव में लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या निर्धारण अधिकारियों ने निर्धारण पूरा करते समय दावों, कटौतियों और कर देय राशि के गलत प्रकटीकरण से संबंधित सूचना मांगी थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

6.1.2.5 निर्धारण की गुणवत्ता के अंतर्गत अन्य मुद्दे

लेखापरीक्षा में निर्धारण अधिकारी की ओर से चूक के 15 मामले पाए गए, जैसे कि नकद जमा से संबंधित सूचना के उचित सत्यापन का अभाव, अशोध्य ऋणों और छूटों के लिए दावा की गई कटौती की अनुमति देते समय उचित सावधानी न करना आदि। निर्धारण की गुणवत्ता से संबंधित कुछ मुद्दे नीचे तालिका 6.6 में दिए गए हैं:

तालिका 6.6: निर्धारण की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे

क्रमांक	क्षेत्र/प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार	निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष/ कर निर्धारण विवरण	क्षेत्र	मुद्दे का सार	विभाग का उत्तर
1	केरल, प्रधान आयकर आयुक्त-कोझिकोड	टी13 (नि.व. 2017-18) धारा 143 (3) दिनांक 18.12.2019	निजी बैंक	धारा 14ए के अंतर्गत अस्वीकृति का निर्धारण करते समय आईटी नियमों के नियम 8डी का पालन न करना - निर्धारण वर्ष 2017-18 से पहले लागू प्रावधानों को निर्धारण वर्ष 2017-18 में धारा 14ए के अंतर्गत अस्वीकृति की गणना के लिए माना गया था।	लेखापरीक्षा आपत्ति उप आयकर आयुक्त सर्किल 1(1) और टीपीएस, त्रिशूर को अप्रैल 2022 में सूचित की गई थी। उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	केरल, प्रधान आयकर आयुक्त-कोझिकोड	टी14, (नि.व. 2017-18) धारा 143(3) दिनांक 29.12.2019	एनबीएफसी	विमुद्रीकरण अवधि के दौरान ₹0.67 करोड़ की नकद जमा राशि के संबंध में जारी नोटिस के विपरीत कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई, लेकिन कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। विमुद्रीकरण अवधि के दौरान नकद जमा राशि के संबंध में आईटीओ मैंगलोर से प्राप्त सूचना की निर्धारण के दौरान जाँच नहीं की गई।	लेखापरीक्षा आपत्ति मई 2022 में उप आयकर आयुक्त सर्किल 1(1) और टीपीएस, त्रिशूर को सूचित की गई थी। मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत (नवंबर 2025)।
3	अहमदाबाद, प्रधान आयकर आयुक्त-3, अहमदाबाद	एस14 (नि.व. 2010-11 और नि.व. 2011-12) धारा 143(3)/147 दिनांक 06.12.2017 (नि.व. 2010-11 एवं नि.व. 2011-12)	एनबीएफसी	यद्यपि नकद जमा के स्रोत की जाँच नहीं की गई, फिर भी कटौती की अनुमति दी गई। निर्धारिती को 01.04.2009 से 12.08.2010 तक छह पक्षों से ₹3.81 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी, जो निर्धारण वर्ष 2010-11 और 2011-12 से संबंधित थी। कार्यवाही शुरू करने के लिए दर्ज कारणों के अनुसार, ये धनराशियाँ न तो अस्तित्व में थीं और न ही उनका पता लगाया जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप ₹3.81 करोड़ की राशि कर निर्धारण से बच गई, जिस पर ₹1.29 करोड़ का कर प्रभाव पड़ा।	लेखापरीक्षा आपत्ति आईटीओ वार्ड 4(1)(1), अहमदाबाद को फरवरी 2022 में सूचित की गई थी। उप आयकर आयुक्त का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

तालिका 6.6: निर्धारण की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे					
क्रमांक	**क्षेत्र/प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष/ कर निर्धारण विवरण**	**क्षेत्र**	**मुद्दे का सार**	**विभाग का उत्तर**
4	मुंबई, प्रधान आयकर आयुक्त-3, मुंबई	एस5, (नि.व. 2017-18) धारा 143(3) दिनांक 18.12.2019	एनबीएफसी	सहायक कंपनी मेसर्स एस43 को दिए गए ₹219.26 करोड़ के ऋण और अग्रिम राशि को 23 उधारकर्ताओं को हस्तांतरित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ऋण गैर-निष्पादित संपत्तियाँ बन गए। एस5 ने गैर-निष्पादित संपत्तियाँ के लिए एक प्रावधान बनाया, जिससे एस5 को धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अधिक कटौती का दावा करने में सक्षम बनाया गया।	लेखापरीक्षा आपत्ति मई 2022 में उप आयकर आयुक्त सर्किल 3(3)(1), मुंबई को सूचित की गई थी। उप आयकर आयुक्त का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
5	चंडीगढ़, प्रधान आयकर आयुक्त, जालंधर	एम19 (नि.व. 2016-17) धारा 143(3) दिनांक 27.12.2018	एनबीएफसी	निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए विदेशी संबंध में प्रपत्र 15सीए जमा करते समय[126] विभिन्न कंपनियों, पैन या प्राप्तकर्ता को लाभांश के रूप में ₹30.56 करोड़ का प्रेषण वितरित किया गया जिसका विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।	लेखापरीक्षा आपत्ति को अगस्त 2022 में उप आयकर आयुक्त सर्किल 1, जालंधर को सूचित किया गया। उप आयकर आयुक्त का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
6	केरल, प्रधान आयकर आयुक्त कोझिकोड	ई7 (नि.व. 2017-18) धारा 143(3) दिनांक 29.12.2019	एनबीएफसी	कर देयता की गणना में अनियमितता के कारण लागू दर 30 *प्रतिशत* के बजाय 29 *प्रतिशत* की दर से गणना की गई, जिसके परिणामस्वरूप कर का कम उद्ग्रहण हुआ।	लेखापरीक्षा आपत्ति को अप्रैल 2022 में उप आयकर आयुक्त सर्किल 1(1) और टीपीएस, त्रिशूर को सूचित किया गया था। उप आयकर आयुक्त का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
7	दिल्ली, प्रधान आयकर आयुक्त-7 दिल्ली	पी3, (नि.व. 2017-18) धारा 143(3) दिनांक 24.12.2019	एनबीएफसी	कर मांगों की गणना करते समय आईटीएनएस में मूल्यांकित आय को गलत तरीके से अपनाने के परिणामस्वरूप आय का अधिक निर्धारण हुआ।	लेखापरीक्षा आपत्ति जुलाई 2022 में उप आयकर आयुक्त सर्किल 19(1) दिल्ली को सूचित की गई थी। उप आयकर आयुक्त का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

[126] प्रपत्र 15सीए किसी व्यक्ति द्वारा गैर-निवासी (कंपनी नहीं) या किसी विदेशी कंपनी को भुगतान के लिए किए गए धन प्रेषण के लिए जमा किया जाता है।

तालिका 6.6: निर्धारण की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे					
क्रमांक	**क्षेत्र/प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष/ कर निर्धारण विवरण**	**क्षेत्र**	**मुद्दे का सार**	**विभाग का उत्तर**
8	चंडीगढ़, प्रधान आयकर आयुक्त, जालंधर	एम2, (नि.व. 2017-18) धारा 143(3) दिनांक 31.12.2019	एनबीएफसी	लेखापरीक्षा ने पाया कि सीमित जाँच के लिए मामले को चुनने का एक आधार नकद जमा में असामान्य वृद्धि थी। यद्यपि, निर्धारिती ने भाग एपी&एल के क्रम संख्या 1(ए)(i) में उत्पादों/माल की विक्रय के समक्ष 'शून्य' आय दर्शाई थी। इसके अतिरिक्त, अस्पष्टीकृत नकद जमा के कारण आय से बचने के कारण कोई वृद्धि नहीं की गई है।	लेखापरीक्षा आपत्ति मई 2022 में आईटीओ वार्ड 4(3), जालंधर को सूचित की गई थी। विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2025) कि मार्च 2025 में धारा 147 के साथ पठित 144बी के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
9	हैदराबाद, प्रधान आयकर आयुक्त-2, हैदराबाद	जे2, निर्धारण वर्ष 2015-16 धारा 143(3) दिनांक 29.12.2017	एनबीएफसी	संवीक्षा निर्धारण पूरा करते समय, निर्धारण अधिकारी ने संशोधित विवरण में घोषित आय के स्थान पर मूल विवरण में घोषित आय को अपना लिया, जिसके परिणामस्वरूप आय का अधिक निर्धारण हो गया।	लेखापरीक्षा आपत्ति को अप्रैल 2022 में उप आयकर आयुक्त सर्किल 2(1), हैदराबाद को सूचित किया गया था। उप आयकर आयुक्त का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
10	बेंगलुरु, प्रधान आयकर आयुक्त-2 बेंगलुरु	के3, निर्धारण वर्ष 2016-17 धारा 143(1) दिनांक 22.07.2017	एनबीएफसी	यद्यपि निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान धारा 14ए के अंतर्गत क्रमशः ₹42.85 करोड़ और धारा 40ए(iiबी)[127] के अंतर्गत गारंटी कमीशन के लिए ₹22.93 करोड़ की अस्वीकृति की गई थी, फिर भी निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारिती के विवरण को संवीक्षा निर्धारण के लिए नहीं चुना गया। इस प्रकार, धारा 14ए के अंतर्गत दावा की गई ₹33.31 करोड़ और गारंटी कमीशन के रूप में दावा की गई ₹16.04 करोड़ की राशि निर्धारण के दौरान जाँच से बच गई, जिसके परिणामस्वरूप	लेखापरीक्षा आपत्ति को अगस्त 2022 में उप आयकर आयुक्त सर्किल 4(3)(1), बेंगलुरु को सूचित किया गया था। उप आयकर आयुक्त का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

[127] आयकर अधिनियम की धारा 40(ए)(iiबी) के अंतर्गत, रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, सेवा शुल्क, विशेषाधिकार शुल्क, सेवा प्रभार या किसी अन्य शुल्क या प्रभार के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो विशेष रूप से राज्य सरकार के उपक्रम पर आरोपित की जाती है या जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे ली जाती है, कटौती के रूप में अनुमत नहीं है।

तालिका 6.6: निर्धारण की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे					
क्रमांक	**क्षेत्र/प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष/ कर निर्धारण विवरण**	**क्षेत्र**	**मुद्दे का सार**	**विभाग का उत्तर**
				₹19.77 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹49.35 करोड़ के व्यय की गलत अनुमति दी गई।	
11	अहमदाबाद, प्रधान आयकर आयुक्त-1 अहमदाबाद	ए6, निर्धारण वर्ष 2011-12, 2015-16 और 2016-17 धारा 143(3)/147 दिनांक 15.11.2018 [नि.व. 2011-12], धारा 143(3)/263 दिनांक 02.02.2018 [नि.व. 2015-16], धारा 143(3)/144सी(3) दिनांक 28.01.2020 [नि.व.2016-17]	निजी बैंक	धारा 90/91 के अंतर्गत कर भुगतान के साक्ष्य की पुष्टि किए बिना ही आयकर राहत प्रदान कर दी गई। निर्धारण वर्ष 2011-12, निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए ₹199.44 करोड़ के भुगतान का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।	लेखापरीक्षा आपत्ति को जनवरी और फरवरी 2022 में उप आयकर आयुक्त सर्किल 1(1)(1), अहमदाबाद को सूचित किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
12	अहमदाबाद, प्रधान आयकर आयुक्त-1 अहमदाबाद	ए6, निर्धारण वर्ष 2016-17 धारा 143(3)/ 144सी(3) दिनांक 28.01.2020	निजी बैंक	दो उधारकर्ताओं, जी10 और टी26 के मामले में, निर्धारण वर्ष 2016-17 के दौरान बट्टे खाते में डाले जाने वाले ₹385.01 करोड़ के अशोध्य ऋण, 1 अप्रैल 2016 तक उनके विपरीत बकाया ₹363.72 करोड़ के गैर-निष्पादित संपत्तियाँ से अधिक थे। इस प्रकार, ₹21.29 करोड़ के अशोध्य ऋणों की अधिक की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹7.37 करोड़ का कर प्रभाव पड़ा, जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैरा 5.2.3.2 में भी चर्चा की गई है।	लेखापरीक्षा आपत्ति फरवरी 2022 में उप आयकर आयुक्त सर्किल 1(1)(1), अहमदाबाद को सूचित की गई थी। उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

चार मामलों में निर्धारण की गुणवत्ता के अंतर्गत अन्य मुद्दों पर ***अनुलग्नक 6.10*** में चर्चा की गई है अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या, आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां, निर्धारिती के पूर्व मुद्दों की जांच किए बिना निर्धारण पूरा करना, तथा अधिनियम के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के दुरुपयोग का पता न लगाना,

अन्य कमियों के अतिरिक्त, आयकर विभाग की निर्धारण प्रक्रिया और आंतरिक नियंत्रण में कमियों को रेखांकित करता है।

अनुशंसा:

सीबीडीटी निर्धारण अधिकारियों को निर्देश जारी कर सकता है कि वे संवीक्षा निर्धारण के दौरान वित्तीय संस्थानों द्वारा अपने संबंधित पक्षों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों से संबंधित वित्तीय संव्यवहार के विभिन्न स्तरों की जांच करें, ताकि ऐसे ऋणों और अग्रिमों का उपयोग अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान और बाद में अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिए कटौती के दावे और अनुमति के लिए एक बनावटी साधन के रूप में उपयोग किए जाने के संभावित जोखिम को कम किया जा सके।

6.1.3 फेसलेस योजना के अंतर्गत किए गए निर्धारण में कर योग्य आय की गणना में अनियमितताएं

सरकार ने कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती के बीच के अंतरसंबंध को समाप्त करके अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 143 की नई उप-धारा (3ए) के अंतर्गत 1 अप्रैल 2018 से एक ई-निर्धारण योजना शुरू की। इसका उद्देश्य पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और कार्यात्मक विशेषज्ञता के माध्यम से संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कुछ मामलों में, जहाँ पिछले वर्षों के दौरान पूर्व मुद्दों पर परिवर्धन किए गए थे, उनकी फेसलेस निर्धारण योजना के अंतर्गत जाँच के बाद किए गए निर्धारण में मदों/दावों की कर देयता और अनुमतता की जाँच नहीं की गई थी। यद्यपि निर्धारण वर्ष 2017-18 और निर्धारण वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न आधारों पर नियमित परिवर्धन किए गए थे, लेकिन फेसलेस निर्धारण योजना के अंतर्गत जाँच के बाद पूरा किए गए निर्धारण वर्ष 2019-20 के निर्धारण के दौरान समान आधारों पर समान प्रकृति के दावों पर कोई परिवर्धन नहीं किया गया था। विवरण नीचे तालिका 6.7 में दिए गए हैं:

तालिका 6.7: फेसलेस निर्धारण योजना के अंतर्गत पूर्ण जांच								(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती का नाम/बैंक/ एनबीएफसी/ एवाई/ निर्धारण विवरण**	**संवीक्षा निर्धारण में किस मुद्दे को जोड़ा गया**	**निर्धारण आदेशों में की गई अननुमतियां**			**लेखापरीक्षा के अनुसार पिछले वर्ष के निर्धारण के आधार पर निर्धारण वर्ष 2019-20 में अननुमत की जाने वाली राशि**	**विभाग का उत्तर**
				निर्धारण वर्ष 2017-18	**निर्धारण वर्ष 2018-19**	**निर्धारण वर्ष 2019-20**		
1	प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई प्रभार	एस8 (सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक) निर्धारण वर्ष 2019-20 143(3) दिनांक 29.09.2021	उपार्जित परंतु देय नहीं ब्याज	2,148.35	3,370.34	0	21.19	उत्तर में (जून 2022), उप आयकर आयुक्त-2(2) (1), मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2023) कि निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारण मार्च 2023 में धारा 263 के साथ पठित धारा 143 (3) के अंतर्गत पुनर्निर्धारण किया गया था।
			खंडावधि का भुगतान किया गया ब्याज	981.17	2,804.95	0	2,475.93	
			धारा 14ए के अंतर्गत अस्वीकृति	95.49	125.54	0	150.63	
			एचटीएम प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए अधिमूल्य का परिशोधन	799.08	1,771.72	0	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	
			गैर-निष्पादित संपत्तियाँ पर ब्याज आय	62.2	177.62	0	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	
			धारा 36 (1) (vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों का दावा	26,469.63	46,648.49	0	17,058.50	
			बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली	246.09	246.51	0	116.63	
			विदेशी शाखाओं से आय	3,008.57	1,997.29	0	2,668.19	
			सतत ऋण उपकरणों पर ब्याज (आईपीडीआई)	788.43	1,207.58	0	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	
			कुल	**34,599.01**	**58,350.04**	**0**	**22,684.07**	
2	मुंबई प्रधान आयकर	वाई1 (निजी बैंक)	धारा 14ए	11.16	3.16	0	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	मंत्रालय द्वारा स्वीकृत (सितंबर 2025)। धारा

तालिका 6.7: फेसलेस निर्धारण योजना के अंतर्गत पूर्ण जांच **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार	निर्धारिती का नाम/बैंक/ एनबीएफसी/ एवाई/ निर्धारण विवरण	संवीक्षा निर्धारण में किस मुद्दे को जोड़ा गया	निर्धारण आदेशों में की गई अननुमतियां			लेखापरीक्षा के अनुसार पिछले वर्ष के निर्धारण के आधार पर निर्धारण वर्ष 2019-20 में अननुमत की जाने वाली राशि	विभाग का उत्तर
				निर्धारण वर्ष 2017-18	निर्धारण वर्ष 2018-19	निर्धारण वर्ष 2019-20		
	आयुक्त-2 मुंबई	निर्धारण वर्ष 2019-20 धारा 144/144बी दिनांक 29.09.2021	धारा 35डी	12.62	12.62	0	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	148ए(1) के तहत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)।
			निवेश पर भुगतान की गई ब्रोकरेज पर अस्वीकृति	0.0016	0.0022	0	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	
			एचटीएम प्रतिभूतियों पर खंडावधि ब्याज	190.17	190.43	0	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	
			एचटीएम पर अधिमूल्य का परिशोधन	43.99	112.37	0	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	
			बैंक गारंटी पर कमीशन	29.05	16.69	0	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	
			गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर ब्याज	53.17	24.77	0	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	
			ग्रामीण विकास का प्रावधान	62.06	96.76	0	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	
			स्थायी बांड पर भुगतान की गई राशि	155.13	583.29	0	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	
			ईएसओपी	280.31	505.63	0	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई	
			कुल	**837.66**	**1,545.72**	**0**		

बिना किसी औचित्य के विभिन्न आधारों पर की गई असंगतता विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमी का संकेत है और इससे पिछले वर्षों के संबंध में अपीलीय कार्यवाही में विभागीय पक्ष खतरे में पड़ सकता है।

मार्च 2022 में पीसीआईटी-2 मुंबई को लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी की गईं। एक मामले के उत्तर में (जून 2022), उप आयकर आयुक्त-2(2)(1), मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2023) कि निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारण मार्च 2023 में धारा 263 के साथ धारा 143(3) के अंतर्गत पुनर्निर्धारण किया गया था। वाई1 के मामले में प्रधान आयकर आयुक्त-2, मुंबई का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

फेसलेस योजना के अंतर्गत पूरे किए गए निर्धारण में अनियमितता के एक मामले पर ***अनुलग्नक 6.11*** में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि निवेश पर अधिमूल्य के परिशोधन पर हानि, साख पर मूल्यह्रास, एचटीएम प्रतिभूतियों पर खंडावधि ब्याज, बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली आदि जैसी मदों के संबंध में पूर्व वर्षों में किए गए निर्धारण में की गई वृद्धि, फेसलेस निर्धारण योजना के अंतर्गत पूर्ण किए गए संवीक्षा निर्धारण में नहीं की गई, जैसा कि पूर्व निर्धारण वर्षों में किया गया था। फेसलेस निर्धारण योजना के दौरान विभाग द्वारा अपनाए गए असंगत रुख और पूर्व वर्षों में पूर्ण किए गए निर्धारण के परिणामस्वरूप निर्धारितीको कटौती की अनियमित अनुमति मिली।

अनुशंसा:

सीबीडीटी यह सुनिश्चित कर सकता है कि फेसलेस योजना के अंतर्गत निर्धारण पूरा करते समय संबंधित बैंकों और एनबीएफसी के पिछले वर्षों में पूरे किए गए निर्धारणों की जांच की जा सकती है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि अनुशंसा की जांच की जा रही है।

चूँकि अनुशंसा पर विचार किया जा रहा है, अतः इस संबंध में मंत्रालय द्वारा शुरू/कृत कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

6.1.4 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक अभिन्न अंग होने के नाते, निर्धारित नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिणामस्वरूप, इसे सभी नियंत्रणों का नियंत्रण कहा जाता है। यह एक स्वतंत्र प्रबंधन कार्य है जिसमें किसी इकाई के कामकाज का निरंतर और आलोचनात्मक निर्धारण सम्मिलित होता है ताकि उसमें सुधार के सुझाव दिए जा सकें और इकाई के समग्र शासन तंत्र को मजबूत

करने के लिए मूल्यवर्धन किया जा सके, जिसमें इकाई का रणनीतिक जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भी सम्मिलित है।

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा जाँच का दायरा[128] बढ़ा दिया गया है और इसे प्राप्ति लेखापरीक्षा के साथ ही समकालिक बना दिया गया है। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, नमूने के रूप में चयनित इकाइयों के संबंध में की गई आंतरिक लेखापरीक्षा की सूचना इस उद्देश्य से प्राप्त की गई थी कि (क) क्या आंतरिक लेखापरीक्षा सीबीडीटी और वरिष्ठ प्रबंधन को अनुपालन, निर्धारण और अन्य अंतर्संबंधित गतिविधियों से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में, जैसा कि सीबीडीटी द्वारा निर्धारित किया गया है, उचित आश्वासन प्रदान करने में प्रभावी है और (ख) क्या आंतरिक लेखापरीक्षा निर्धारण की गुणवत्ता बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभा रही है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-2021 के दौरान सात राज्यों के संबंध में नमूने के रूप में चयनित इकाइयों में किए गए आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण नीचे तालिका 6.8 में दिया गया है:

तालिका 6.8: आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	सेक्टर	मामलों की संख्या जहां आंतरिक लेखापरीक्षा				कॉलम [4] के संबंध में जारी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	कॉलम [8] के संबंध में कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आंतरिक लेखापरीक्षा में देखे गए मामलों के संबंध में जारी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या कॉलम [5]	कॉलम [10] के संबंध में कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
			आयकर विभाग द्वारा प्रदान किया गया	आयोजित की गई	सूचना उपलब्ध नहीं	आयोजित नहीं की गई				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	मुंबई	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**38**	7	19	12	54	38,286.66	4	845.84
		निजी क्षेत्र के बैंक	**48**	8	26	14	51	4,884.23	5	452.96
		विदेशी बैंक	**90**	36	35	19	20	1,059.29	6	384.68
		एनबीएफसी	**463**	119	265	79	114	729.00	24	103.86
2	अहमदाबाद	निजी क्षेत्र के बैंक	**4**	3	शून्य	1	5	25.74	2	7.78

[128] जैसा कि आयकर विभाग के लेखापरीक्षा नियमावली 2019 के पैरा 1.2 और 1.3 में उल्लिखित है, और इसमें अंकगणितीय सटीकता का सत्यापन, प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का गैर-अनुप्रयोग या गलत अनुप्रयोग, बाध्यकारी न्यायिक घोषणाओं/पूर्ववर्ती के अनुरूप पारित नहीं किए गए आदेश और सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों के अनुरूप पारित नहीं किए गए आदेश सम्मिलित हैं, जिसका उद्देश्य निर्धारण अधिकारियों, टीआरओ और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निर्धारण, वसूली और अभिलेख के संरक्षण के दौरान की गई गलतियों और त्रुटियों का पता लगाने की रोकथाम सुनिश्चित करना और अधिक प्रभार/अधिक निर्धारण के मामले में निर्धारिती को राहत या राजस्व की हानि के मामलों में उचित उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

तालिका 6.8: आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	सेक्टर	मामलों की संख्या जहां आंतरिक लेखापरीक्षा				कॉलम [4] के संबंध में जारी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	कॉलम [8] के संबंध में कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	आंतरिक लेखापरीक्षा में देखे गए मामलों के संबंध में जारी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या कॉलम [5]	कॉलम [10] के संबंध में कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
			आयकर विभाग द्वारा प्रदान किया गया	आयोजित की गई	सूचना उपलब्ध नहीं	आयोजित नहीं की गई				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
		एनबीएफसी	**34**	9	15	10	18	131.36	2	0.40
3	जयपुर	एनबीएफसी	**38**	0	6	32	0	0	0	0
4	हैदराबाद	एनबीएफसी	**37**	20	7	10	3	51.20	10	113.80
5	चंडीगढ़	निजी क्षेत्र के बैंक	**4**	0	0	4	0	0	0	0
		एनबीएफसी	**71**	12	38	21	10	0	0	36.54
6	चेन्नई	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**17**	2	8	7	34	10,188.44	7	979.28
		निजी क्षेत्र के बैंक	**28**	1	27	0	29	1,129.68	0	0
		विदेशी बैंक	**7**	4	0	3	2	1.18	1	0.75
		एनबीएफसी	**147**	29	88	30	25	4,267.33	5	650.83
7	केरल	निजी क्षेत्र के बैंक	**30**	25	0	5	45	237.59	33	183.14
		एनबीएफसी	**54**	15	33	6	37	121.95	24	13.53
	कुल		**1,110**	**290**	**567**	**253**	**447**	**61,113.65**	**123**	**3,773.39**

नोट: आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता के बारे में सूचना दिल्ली, ग्वालियर, कोलकाता, बेंगलुरु और लखनऊ से प्राप्त नहीं हुई।

स्रोत: आयकर विभाग से इनपुट

लेखापरीक्षा में जांचे गए कुल 2,378 नमूना मामलों में से केवल 1,110 मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा के बारे में विवरण प्रदान किया गया था। 1,110 मामलों में से, विभाग ने केवल 290 मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा की थी, जबकि 253 मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। 567 मामलों के संबंध में, विभाग यह पुष्टि नहीं कर सका कि आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी या नहीं। लेखापरीक्षा ने 290 मामलों में से 123 मामलों में कमियां देखीं, जहां विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा की, जिनकी राशि ₹ 3,773.39 करोड़ थी। प्रधान आयकर आयुक्त-1 जयपुर से संबंधित 11 मामलों में सीआईटी (लेखापरीक्षा) जयपुर ने उत्तर दिया (दिसंबर 2022) कि 11 मामलों में छह संवीक्षण और पांच सारांश निर्धारण के मामले सम्मिलित थे। छह संवीक्षा मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा लंबित है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

यद्यपि विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा 123 मामलों की जाँच की गई, लेकिन प्राप्ति लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अनियमितताओं पर उनका ध्यान नहीं गया। यह आंतरिक नियंत्रण तंत्र की कमियों का संकेतक है, जिसके लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

अनुशंसा:

सीबीडीटी

(i) **हाल के वर्षों में निर्धारण के दायरे में हुए बदलावों, निर्धारण पूरा करने की समय-सीमा में परिवर्तन और पुन:निर्धारण की अवधि में न्यूनता के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा के कामकाज को सुव्यवस्थित कर सकता है।**

(ii) **बैंकों, जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी, आदि जैसी उच्च जोखिम निर्धारण इकाइयों के आंतरिक लेखापरीक्षा को समय पर पूरा करना सुनिश्चित कर सकता है, ताकि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई अनियमितताओं या गलतियों के मामलों में समय-सीमा समाप्त होने से पहले उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।**

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2024), "(i) 13.08.2020 से विभाग में फेसलेस निर्धारण योजना की शुरुआत और पिछले कुछ वर्षों में अन्य विकासों को ध्यान में रखते हुए, 2024 के निर्देश संख्या 2 दिनांक 09.09.2024 को जारी करने के साथ विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव किए गए हैं।

सीबीडीटी द्वारा जारी निर्देश संख्या 2/2024 में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित प्रावधान हैं:

क) वित्तीय वर्ष के दौरान ही आंतरिक लेखापरीक्षा का समय पर पूरा होना;

ख) लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर प्रस्तुत करने की कम समय-सीमा; और

ग) समय पर सुधारात्मक उपाय शुरू करना।

विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन किए जाने के संबंध में मंत्रालय का उत्तर, लेखापरीक्षा में इस मुद्दे के संज्ञान में आने के बाद दिनांक 09.09.2024 को निर्देश संख्या 2/2024 जारी किया गया। हालाँकि, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)

के निर्धारण मामलों में प्राप्ति लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई अनियमितताओं, जो आंतरिक लेखापरीक्षा दलों को दृष्टिगत नहीं हुईं, उनकी समीक्षा की जा सकती है ताकि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के त्रुटि-रहित निर्धारण को अंतिम रूप दिया जा सके।

6.2 अन्य नियामक निकायों के साथ समन्वय मुद्दे

6.2.1 प्रपत्र 3सीडी के अनुसार, बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के सापेक्ष में वसूली जो भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़े से मेल नहीं खाते

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 41 की उप-धारा 4 के अनुसार, पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के विपरीत की गई वसूली को वसूली के वर्ष में कर के अधीन प्रस्तुत करना आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, सभी निधारित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को एक वित्तीय वर्ष में बट्टे खाते में डाले गए अग्रिमों के विपरीत वसूली गई कुल राशि का विवरण देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है।

प्रपत्र 3सीडी के खंड 25 के अनुसार, कर लेखापरीक्षक को धारा 44एबी के अंतर्गत प्रस्तुत कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में धारा 41(4) के अंतर्गत कर योग्य आय का विवरण प्रदान करना आवश्यक है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा धारा 44एबी के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शन नोट[129] आयकर उद्देश्यों के लिए कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में किए जाने वाले खुलासों की कार्यप्रणाली की व्याख्या करता है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान एससीबी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किए गए बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के विपरीत की गई वसूली के आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक से मांगे गए थे, जिसे फरवरी 2022 में लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया था। प्रपत्र 3सीडी में कर लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों की तुलना में महत्वपूर्ण विसंगतियां सामने आईं, जैसा कि नीचे तालिका 6.9 और ***अनुलग्नक 6.1*** में दिखाया गया है:

---

[129] कर लेखापरीक्षक को धारा 41 के अंतर्गत देय सभी राशियों की एक सूची प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें साक्ष्य, पत्राचार आदि सम्मिलित हों। उसे सभी प्रासंगिक मामलों में, निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई सूचना की सत्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए पिछले अभिलेखों की जाँच करनी चाहिए। कर लेखापरीक्षक को इस धारा के अंतर्गत कर देय लाभ का उल्लेख करना होगा। यह सूचना इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना दी जानी चाहिए कि संबंधित राशि लाभ-हानि खाते में जमा की गई है या नहीं। इस खंड के अंतर्गत देय लाभ की गणना का भी उल्लेख करना होगा।

तालिका 6.9: कर के लिए गैर-प्रस्तावित अशोध्य ऋणों के विपरीत वसूली						(₹ करोड़ में)
क्रम सं.	**क्षेत्र**	**सैक्टर**	**मामलों की संख्या**	**भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित वसूली**	**प्रपत्र 3सीडी में सूचित की गई वसूली**	**अंतर**
1	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	6	941	0	941
		निजी बैंक	12	477	0	477
2	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	10	2,227	972	1,255
		निजी बैंक	2	2,006	791	1,215
		विदेशी बैंक	8	408	0	408
3	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	8	6,619	147.52	6,471.48
		विदेशी बैंक	1	53	0	53
4	केरल	निजी बैंक	3	32	0	32.00
5	बेंगलुरु	सार्वजनिक बैंक	2	1,540	187.83	1,352.17
कुल			**52**	**14,303.00**	**2,098.35**	**12,204.65**

(अनुलग्नक 6.1 देखें)

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि लेखापरीक्षा में जांचे गए 353 बैंक मामलों में से 52 बैंक मामलों में, जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में सूचीबद्ध है, केवल ₹2,098.35 करोड़ कर हेतु प्रस्तुत किया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई प्रतिवेदन के अनुसार वास्तविक वसूली ₹ 14,303.00 करोड़ थी। कुल राशि जिस पर कर प्रस्तावित नहीं किया गया ₹12,204.65 करोड़ थी। 40 मामलों में, जैसा कि ***अनुलग्नक 6.1*** में बताया गया है, कर लेखापरीक्षकों ने विवरण में राशि शून्य बताई, जिसे धारा 44एबी (प्रपत्र 3सीडी) के अंतर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक है।

मुंबई क्षेत्र में, कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रपत्र 3सीडी) में दिए गए विवरणों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों का मिलान न होने से संबंधित मुद्दे पर, प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए सुझाव दिया (जून 2022) कि सीबीडीटी बैंकों के लिए लेखापरीक्षा प्रारूप में बदलाव/या पृथक लेखापरीक्षक सत्यापित प्रतिवेदन तैयार करने पर विचार कर सकता है, जो बैंकों/एनबीएफसी द्वारा भारतीय रिज़र्वबैंक और आयकर विभाग को दी गई सूचनाओं का मिलान और उनमें अंतर करेगी। ऊपर सारणीबद्ध शेष मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

आरबीआई को रिपोर्ट की गई वसूली की राशि और प्रपत्र 3 सीडी में विसंगति के एक मामले की ***अनुलग्नक 6.12*** में चर्चा की गई है।

6.2.1.1 लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि जांचे गए 353 मामलों में से 39 बैंक मामलों में, भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित की गई वसूली की राशि प्रपत्र 3सीडी में दर्शाई गई वसूली की राशि से मेल खाती है, जैसा कि नीचे तालिका 6.10 और ***अनुलग्नक 6.2*** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

तालिका 6.10: उन बैंकों की सूची जिन्होंने कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अशोध्य ऋणों के विपरीत वसूली सही ढंग से दर्शाई है **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	क्षेत्र	सैक्टर	मामलों की संख्या	भारतीय रिज़र्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार वसूली	प्रपत्र 3सीडी में सूचित की गई वसूली	अंतर
1	दिल्ली	विदेशी बैंक	15	69.00	69.00	0
		सार्वजनिक बैंक	5	1,978.00	1,978.00	0
2	मुंबई	निजी बैंक	10	4,534.00	4,534.00	0
		सार्वजनिक बैंक	8	8,952.00	8,952.00	0
3	चेन्नई	निजी बैंक	1	47.00	47.00	0
कुल			**39**	**15,580.00**	**15,580.00**	**0**

(अनुलग्नक 6.2 देखें)

उपरोक्त तालिका में लेखापरीक्षा द्वारा रिपोर्ट किए गए 39 मामलों को देखते हुए, जिसमें कर लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित प्रपत्र 3सीडी की तुलना में आरबीआई को रिपोर्ट की गई वसूली मेल खा रही है, वहां मंत्रालय को उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए मामलों की समीक्षा करने की आवश्यकता है जहां इस तरह के विवरण आरबीआई को रिपोर्ट की गई वसूली की राशि के साथ मिलान न होने नहीं मिल रहे हैं, जैसा कि इस प्रतिवेदन के उपरोक्त अनुच्छेद 6.2.1.1 में चर्चा की गई है।

अनुशंसा:

सीबीडीटी, आरबीआई को सूचित की गई वसूली की राशि और प्रपत्र 3सीडी में दर्ज राशि के बीच विसंगतियों की जांच करे ताकि गैर-मिलान के कारणों की पहचान की जा सके और ऐसे मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके जहां आयकर विभाग को कर योग्य राशि की कम रिपोर्टिंग की जाती है।

मत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

6.2.1.2 लेखापरीक्षा ने भारतीय रिज़र्व बैंक को एससीबी द्वारा बताए गए अशोध्य ऋणों के समक्ष की गई वसूली पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और कर लेखापरीक्षकों द्वारा प्रपत्र 3सीडी में प्रस्तुत आंकड़ों में विसंगतियां पाईं। तालिका 6.11 में

सूचीबद्ध छह मामलों में, जांचे गए 353 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रपत्र 3सीडी में दर्शाई गई वसूली भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों में दर्शाई गई वसूली राशि से अधिक थी।

तालिका 6.11: प्रपत्र 3सीडी में दर्शाई गई वसूली का विवरण बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक आंकड़ों में दर्शाई गई वसूली **(₹ करोड़ में)**

क्र.सं.	क्षेत्र	सैक्टर	बैंक का नाम	निर्धारण वर्ष	भारतीय रिज़र्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार वसूली	प्रपत्र 3सीडी में सूचित की गई वसूली	अंतर
1	अहमदाबाद	निजी बैंक	ए6	2017-18	180	181.9	1.9
2	चैन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2016-17	7	7.56	0.56
3	चैन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2017-18	1	6.79	5.79
4	दिल्ली	विदेशी बैंक	ए16	2016-17	0	27.18	27.18
5	दिल्ली	विदेशी बैंक	ए16	2017-18	0	43.81	43.81
6	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	यू1	2017-18	19	200.00	181.00
कुल					**207**	**467.24**	**260.24**

6.2.2 प्रपत्र 3सीडी के अनुसार बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के सापेक्ष में वसूली जो एनएचबी आंकड़े के साथ मेल नहीं खाते

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) का नियामक प्राधिकरण है। एनएचबी निर्देश का पैरा 44[130] यह निर्धारित करता है कि एचएफसी को एनएचबी को निर्धारित अनुसूचियों में विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने एनएचबी से एचएफसी द्वारा एनएचबी को वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान सूचित किए गए, बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के समक्ष की गई वसूली पर आंकड़ों की मांग की, जो मई 2022 में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया। एनएचबी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की तुलना प्रपत्र 3सीडी के खंड 25 के अंतर्गत कर लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से करने पर मुंबई में 40 में से 15 एचएफसी मामलों में महत्वपूर्ण विसंगतियां सामने आईं। इन मामलों का विवरण तालिका 6.12 और ***अनुलग्नक 6.3*** में दिया गया है।

[130] अधिसूचना संख्या एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.1/सीएमडी/2010, 10 जून, 2010

तालिका 6.12: आवास वित्त कंपनियों द्वारा कर के लिए गैर-प्रस्तुत अशोध्य ऋणों के प्रति वसूली का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	मामलों की संख्या	निर्धारण वर्ष	कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार धारा 41(4) के अंतर्गत वसूल की गई राशि	एनएचबी के अनुसार धारा 41(4) के अंतर्गत वसूल की गई राशि
मुंबई	2	2015-16	0	96.94
	1	2016-17	0	0.87
	3	2017-18	0	0.95
	5	2018-19	0	12.61
	4	2019-20	0	26.52
कुल	**15**		**0**	**137.89**

(अनुलग्नक 6.3 देखें)

मुंबई में लेखापरीक्षा में जांचे गए 40 आवास वित्त कंपनियों में से 15 मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएचबी को वसूल की गई ₹ 137.89 करोड़ की राशि की प्रतिवेदन कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में नहीं की गई थी।

एनएचबी को रिपोर्ट किए गए अशोध्य ऋणों के विपरीत वसूली की राशि में विसंगति का एक मामला और जैसा कि प्रपत्र 3 सीडी में खुलासा किया गया है, की ***अनुलग्नक 6.13*** में चर्चा की गई है।

अनुशंसा:

सीबीडीटी, भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए गए कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (टीएआर) में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की वसूली के आंकड़ों में अंतर की जांच के उपरान्त उचित कार्यवाही कर सकता है जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या बैंकों ने अपनी बही खातों में अशोध्य ऋणों की वसूली का हिसाब नहीं रखा है, अथवा कर लेखापरीक्षक ने प्रपत्र 3सीडी में इसकी रिपोर्ट करने में लापरवाही बरती है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

6.2.3 बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण जो भारतीय रिज़र्व बैंक/एनएचबी आंकड़े के साथ मेल नहीं खाते

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(vii) के अनुसार, अप्राप्य वसूली वाले अशोध्य ऋण जो बट्टे खाते में डाले गए हो, एक स्वीकार्य कटौती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक

परिपत्र[131] में यह निर्धारित किया गया है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को भारतीय रिज़र्व बैंक को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की कुल राशि का विवरण दिया गया हो। एनएचबी के निर्देशों में यह भी कहा गया है कि आवास वित्त कंपनियों को एनएचबी को निर्धारित अनुसूचियों में विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत करने चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान एससीबी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए गए बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के प्रति की गई वसूलियों के आंकडें मुंबई क्षेत्राधिकार में भारतीय रिज़र्व बैंक से मांगे गए थे, जिसे फरवरी 2022 में लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार, वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान एचएफसी द्वारा एनएचबी को रिपोर्ट किए गए बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के आंकडें मुंबई क्षेत्राधिकार में एनएचबी से मांगे गए थे, जिसे मई 2022 में लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए अशोध्य ऋणों के आंकड़ों का निर्धारितियों द्वारा रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों और कर निर्धारण के दौरान निर्धारितियों को दिए गए अशोध्य ऋणों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने पर लेखापरीक्षा में जांचे गए 353 बैंकों में से 39 मामलों में विसंगतियां थीं, जहां बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक को दी गई अशोध्य ऋणों की वास्तविक राशि की तुलना में आयकर निर्धारण में कटौती के रूप में अधिक अशोध्य ऋणों का दावा किया।

इसी प्रकार, 2,025 मामलों की जांच में से चार एनबीएफसी मामलों में लेखापरीक्षा, अशोध्य कर निर्धारण में दावा किए गए ऋण एनएचबी को दी गई राशि से अधिक थे।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक को दी गई सूचना के अनुसार बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों और निर्धारितियों द्वारा रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों में विसंगतियाँ थीं, और निर्धारितियों को भारतीय रिज़र्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के आंकड़ों से मिलान किए बिना ही इसकी अनुमति दे दी गई थी। इन विसंगतियों का विवरण नीचे तालिका 6.13 और ***अनुलग्नक 6.4*** में दिया गया है:

131 परिपत्र संख्या डीओएस संख्या बीसी/4/22.05.001/97 दिनांक 24 फरवरी 1997

तालिका 6.13: उन मामलों का विवरण जहां निर्धारण के दौरान अनुमत अशोध्य ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक/ एनएचबी को सूचित किए गए ऋण से अधिक थे **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	क्षेत्र	बैंक/एनबीएफसी	मामलों की संख्या	रिटर्न में दावा किए गए अशोध्यऋणों की कुल राशि	निर्धारण आदेश में अनुमत अशोध्य ऋणों की कुल राशि	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार अशोध्य ऋण	अंतर
1	चेन्नई	निजी बैंक	3	1,965.35	1,922.59	1,081	841.59
		सार्वजनिक बैंक	1	9,886.81	8,088.20	3,635	4,453.20
2	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	2	11,709.28	11,709.28	8,224	3,485.28
		विदेशी बैंक	2	217.81	217.81	188	29.81
3	अहमदाबाद	निजी बैंक	1	8,956.31	8,956.31	8,278	678.31
4	केरल	निजी बैंक	5	1,934.29	1,934.29	620.65	1,313.64
5	कोलकाता	सार्वजनिक बैंक	3	18,057.40	18,057.40	6,245	11,812.40
6	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	5	11,565.99	11,565.99	9,349	2,216.99
		निजी बैंक	17	55,445.51	55,445.51	53,180	2,265.51
		एनबीएफसी	4	1,082.58	1,082.58	1,032.44	50.14
कुल			**43**	**1,20,821.33**	**1,18,979.96**	**91,833.09**	**27,146.87**

(अनुलग्नक 6.4 देखें)

प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों के लिए, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया गया (जून 2022)। यह भी सुझाव दिया गया कि सीबीडीटी बैंकों के लिए लेखापरीक्षा प्रारूप में बदलाव/अथवा पृथक लेखापरीक्षक सत्यापित प्रतिवेदन तैयार करने पर विचार कर सकता है, जो बैंकों/एनबीएफसी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक और आयकर विभाग को दी गई सूचनाओं का मिलान और तुलना करेगी।

प्रधान आयकर आयुक्त-8 मुंबई के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एम14 (एवाई 2017-18) के मामले में, उप आयकर आयुक्त सर्किल 7(1)(1), मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया (फरवरी 2023), जिसमें कहा गया था कि निर्धारण कार्यवाही के समय निर्धारण अधिकारी के पास राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) डेटा उपलब्ध नहीं था। उप आयकर आयुक्त का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निर्धारण अधिकारी को विभिन्न विनियामक निकायों/ प्राधिकरणों को दी गई प्रतिवेदन के अनुसार दावा की गई कटौतियों और कराधान के लिए प्रस्तावित वसूली राशि के विवरण तथा आयकर विभाग को दी गई प्रतिवेदन का सत्यापन

करना होता है, जिससे कराधान के लिए उत्तरदायी दावों और वसूलियों की अनुमति की सत्यता सुनिश्चित की जा सके।

आरबीआई को रिपोर्ट किए गए बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण और निर्धारिती द्वारा रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋण के बीच अंतर के एक मामले पर ***अनुलग्नक 6.14*** में चर्चा की गई है।

6.2.3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक/एनएचबी को बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों का अधिक उल्लेख करना

लेखापरीक्षा ने 2,378 मामलों में से 82 मामलों (77 बैंकों और 5 एनबीएफसी) का उल्लेख किया जहां भारतीय रिज़र्व बैंक/एनएचबी को रिपोर्ट किए गए गैर-निष्पादित संपत्तियाँ, निर्धारण में निर्धारिती को अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि से अधिक थी। यह मुख्य रूप से इस कारण से था कि पिछले वर्षों में धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत निर्धारितियों को अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान लेखा पुस्तकों में दर्ज किए गए अशोध्य ऋणों की राशि से अधिक था और इसलिए, कर रिटर्न में निर्धारितियों द्वारा अशोध्य ऋणों के लिए कोई दावा नहीं किया गया था। विशेष रूप से, किसी भी निर्धारण वर्ष में धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के प्रति कटौती की अनुमतता को उस राशि तक सीमित करने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा अशोध्य ऋण धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधान से अधिक हो, जैसा कि पूर्ववर्ती वर्षों में विभाग द्वारा अनुमति दी गई थी। आरबीआई/एनएचबी को रिपोर्ट किए गए बट्टे खाते में डाले गए क्षेत्र-वार अतिरिक्त गैर-निष्पादित संपत्तियाँ निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि से अधिक है, जैसा कि नीचे तालिका 6.14 और ***अनुलग्नक 6.5*** में दिया गया है।

तालिका 6.14: भारतीय रिज़र्व बैंक/एनएचबी को रिपोर्ट की गई गैर-निष्पादित संपत्तियाँ और निर्धारण में निर्धारिती को दी गई अशोध्य ऋणों की राशि में अंतर **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	क्षेत्र	बैंक/एनबीएफसी	मामलों की संख्या	निर्धारण में अशोध्य ऋणों की अनुमति	भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार गैर-निष्पादित संपत्तियाँ को बट्टे खाते में डाला गया	अंतर
1	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	21	1,06,640.12	1,64,130	-57489.88
		निजी बैंक	14	34,197.48	37,503	-3,305.52

तालिका 6.14: भारतीय रिज़र्व बैंक/एनएचबी को रिपोर्ट की गई गैर-निष्पादित संपत्तियाँ और निर्धारण में निर्धारिती को दी गई अशोध्य ऋणों की राशि में अंतर (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	बैंक/एनबीएफसी	मामलों की संख्या	निर्धारण में अशोध्य ऋणों की अनुमति	भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार गैर-निष्पादित संपत्तियाँ को बट्टे खाते में डाला गया	अंतर
		एनबीएफसी	5	3,599.24	6,682.85	-3,083.61
2	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	11	37.72	42,961	-42,923.28
		विदेशी बैंक	1	0	4	-4
3	अहमदाबाद	निजी बैंक	3	15,609.09	16,495	-885.91
4	चंडीगढ़	निजी बैंक	2	35.05	88	-52.95
5	लखनऊ	निजी बैंक	3	0	15	-15
6	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	10	4,005.47	30,244	-26,238.53
		निजी बैंक	9	2,380.35	4,765	-2,384.65
7	केरल	निजी बैंक	3	0	900	-900
कुल			**82**	**1,66,504.52**	**3,03,787.85**	**-1,37,283.33**

(अनुलग्नक 6.5 देखें)

आयकर रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों के आंकडें और आरबीआई को रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के मिलान न होने का एक मामला ***अनुलग्नक 6.15*** में चर्चा की गई है।

इसके अतिरिक्त, मुंबई क्षेत्राधिकार में, लेखापरीक्षा ने प्रधान आयकर आयुक्त-2, मुंबई और प्रधान आयकर आयुक्त-3, मुंबई प्रभार की प्रतिक्रिया मांगी (जनवरी 2022) कि क्या वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक/आरओसी/एनसीएलटी/डीआरटी के साथ उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बैंकों के निर्धारण के दौरान उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में कोई पत्राचार किया गया था। प्रत्युत्तर में, प्रधान आयकर आयुक्त-3, मुंबई ने कहा (मई 2022) कि वित्त वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक/आरओसी/एनसीएलटी/डीआरटी के साथ ऐसा कोई पत्राचार नहीं किया गया था। हालांकि, प्रधान आयकर आयुक्त-2, मुंबई ने यह कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक का डेटा आयकर विभाग के लिए उपयोगी होगा ताकि बैंकों/एनबीएफसी को आयकर रिटर्न में अपनी आय सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रधान आयकर आयुक्त-2, मुंबई ने सुझाव दिया कि बैंकों के लिए कर लेखापरीक्षा प्रारूप में परिवर्तन या एक पृथक

लेखापरीक्षक-सत्यापित प्रतिवेदन तैयार किया जा सकता है, जो बैंकों/एनबीएफसी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक और आयकर विभाग को रिपोर्ट की गई सूचना को एकत्रित और पृथक करेगी।

आयकर रिटर्न में दावा किए गए बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के आंकड़ों का भारतीय रिज़र्वबैंक/एनएचबी को सूचित किए गए अशोध्य ऋणों के आंकड़ों से मिलान न होने पर, आयकर रिटर्न में निर्धारिती द्वारा अशोध्य ऋणों के कारण कटौती की अनुचित अनुमति का जोखिम सम्मिलित है, जिसके लिए निर्धारण के दौरान विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

अनुशंसा:

सीबीडीटी

(i) **आरबीआई/एनएचबी से बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों और उनसे वसूली के माध्यम से प्राप्त आय के आंकडें वार्षिक रूप से प्राप्त करे और इस सूचना को बैंकों और एनबीएफसी के निर्धारण के दौरान उपयोग के लिए निर्धारण अधिकारियों के बीच साझा करे।**

(ii) **बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों और बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों से प्राप्त आय, जैसा आरबीआई और एनएचबी को सूचित किया जाता है, के प्रकटीकरण हेतु आयकर रिटर्न (आईटीआर) प्रारूप में संशोधन करें, ताकि कटौती की गलत अनुमति और आय के निर्धारण से बचने के संबंधित जोखिम से बचा जा सके।**

उत्तर में, मंत्रालय ने यह कहा (सितंबर 2024), "आईटीआर-6 के भाग क - लाभ एवं हानि जिसमें लाभ और हानि लेखा है, को भरना अनिवार्य है। उक्त अनुसूची की पंक्ति 47 में उस व्यक्ति के पैन/आधार संख्या सहित अशोध्य ऋणों का विवरण मांगा गया है, जिसके लिए ₹1 लाख या उससे अधिक की अशोध्य ऋण राशि का दावा किया गया है। इसके अतिरिक्त, जहां पैन/आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, और दावा किया गया अशोध्य ऋण ₹1 लाख या उससे अधिक है तो आईटीआर-6 में नाम और पूरा पता जैसे विवरण मांगे जाते हैं। चूंकि अशोध्य ऋणों का विवरण पहले से ही आईटीआर-6 में दर्ज किया जा रहा है, इसलिए समान डेटा के लिए प्रपत्र में एक अतिरिक्त पंक्ति मद का प्रावधान करने से निर्धारिती पर अनुपालन का अतिरिक्त भार पड़ेगा। अनुपालन भार को कम करने और कराधान व्यवस्था को सरल बनाने की सरकार की घोषित नीति के ध्यानार्थ, डुप्लिकेट पंक्तियों में समान विवरण मांगकर आईटीआर प्रपत्र-6 को और जटिल बनाना उचित नहीं है।" इसलिए इस संबंध में फार्म में अन्य किसी भी संसोधन की आवश्यकता नहीं है।

मंत्रालय का प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में विभिन्न प्राधिकरणों को दिए गए आंकड़ों में अंतर और गलत कटौती की अनुमति और आय के निर्धारण से बचने के जोखिम को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक और एनएचबी को बताए गए बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की राशि और उनसे वसूली से प्राप्त आय के सत्यापन के लिए आईटीआर प्रपत्र में बदलाव करने का सुझाव दिया गया है। मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार करे।

6.3 आयकर विभाग में निगरानी तंत्र

6.3.1 निगरानी प्रणाली की कमी और बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के भविष्य के दावों के सापेक्ष समायोजन के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत कटौती के अभिलेख का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि आयकर विभाग के पास धारा 36(1)(viiए)) के प्रावधानों के अंतर्गत पिछले वर्षों में अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की राशि की निगरानी के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं है। यह राशि लेखा-पुस्तकों का भाग नहीं है। विभाग निर्धारिती द्वारा जमा आईटीआर में घोषित राशि पर बहुत अधिक निर्भर करता है। समस्या इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि ज्यादातर मामलों में, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत राशि अक्सर परिशोधन, अपील प्रभाव और अन्य कारकों के कारण संशोधित की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कुल आय की पुनः गणना होती है। ऐसे मामलों में, अनुवर्ती वर्ष में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि को भी बदलने की आवश्यकता होती है। इसलिए, अनुवर्ती वर्ष में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि का निर्धारण करने में अशुद्धि और अननुपालन की संभावना है।

बैंकों के 172 और एनबीएफसी के 456 मामलों में, जिन्होंने अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का लाभ उठाया, लेखापरीक्षा ने 80 मामलों (56 बैंक और 24 एनबीएफसी) का अवलोकन किया, जहाँ लेखा पुस्तकों में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती, धारा 36(1)(viiए) के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्व वर्षों में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमत प्रावधान में उपलब्ध अथशेष राशि को समायोजित किए बिना दी गई थी। विवरण नीचे तालिका 6.15 में दिए गए हैं:

तालिका 6.15: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान लेखा में उपलब्ध अथ शेष राशि के समायोजन के बिना अनुमत अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का विवरण **(₹ करोड़ में)**

क्रमांक	क्षेत्र	बैंक/एनबीएफसी	मामलों की संख्या	अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि	अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि
1	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	5	1,12,784.59	74,349.98
		एनबीएफसी	8	2,110.76	1,650.44
		निजी बैंक	10	44,571.12	43,492.35
2	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	5	14,735.52	10,149.53
		एनबीएफसी	5	1,255.42	985.92
3	कोलकाता	निजी बैंक	3	359.67	125.82
		सार्वजनिक बैंक	7	21,124.51	7,611.89
		विदेशी बैंक	1	113.59	110.52
		एनबीएफसी	1	1.98	1.69
4	चेन्नई	निजी बैंक	10	3,255.95	2,567.59
			4	450.47	820.25
		सार्वजनिक बैंक	7	15,145.96	6,763.55
			2	3903.9	9,378.13
		एनबीएफसी	5	1,260.92	1,188.26
5	केरल	निजी बैंक	2	529.07	170.8
6	अहमदाबाद	एनबीएफसी	2	323.56	325.75
7	जयपुर	एनबीएफसी	2	41.21	0
8	बेंगलुरु	एनबीएफसी	1	5.54	0
कुल			**80**	**2,21,973.74**	**1,59,692.47**

(अनुलग्नक 5.1 देखें)

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा गया है कि पिछले वर्षों में धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के उचित अभिलेख के रखरखाव न करने के कारण, विभाग ने 72 मामलों में ₹ 68,127.50 करोड़ की राशि के अशोध्य ऋणों के लिए की राशि अतिरिक्त कटौती की अनुमति दी और ₹ 5,846.20 करोड़ के 08 मामलों में कम कटौती की अनुमति दी, जिसमें ₹ 24,836.72 करोड़ का कर कम लगाया गया और ₹ 1,479.11 करोड़ का कर अधिक लगाया गया, जिससे कुल मिलाकर ₹ 26,315.83 करोड़ का कर प्रभाव हुआ। इस संबंध में महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों पर इस प्रतिवेदन के अनुच्छेद 5.5.1.1 में विस्तार से चर्चा की गई है।

जिन तीन मामलों में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में उपलब्ध अथ शेष को समायोजित किए बिना अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति दी गई थी, उन पर ***अनुलग्नक 6.16*** में चर्चा की गई है:

वर्तमान परिदृश्य में, आयकर विभाग के पास धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए दावे की राशि और अनुमति की निगरानी करने तथा धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत किए गए दावे से समायोजन के निगरानी हेतु पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष में कटौती के रूप में अनुमत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के अथ जमा शेष के निगरानी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। चूँकि इन कटौतियों का कर योग्य आय की गणना पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अनुमति की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आयकर विभाग प्रणालियों के माध्यम से इनकी निगरानी की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऐसे दावों की निगरानी के लिए प्रस्तावित प्रारूप नीचे पैरा 6.3.2 में सुझाया गया है।

6.3.2 बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती के दावों और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की निगरानी

मुंबई क्षेत्राधिकार में, प्रधान आयकर आयुक्त-2 और प्रधान आयकर आयुक्त-3 प्रभार, 38 सार्वजनिक क्षेत्र और 48 निजी क्षेत्र के बैंकों के निर्धारण का प्रबंधन करते हुए, लेखापरीक्षा ने विभिन्न वर्षों में बैंकों को धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के संबंध में अभिलेख की अलग-अलग लेखा पुस्तकों के रखरखाव और परिशोधन, अपील प्रभाव आदि के दौरान किए गए संशोधनों के आधार पर समय-समय पर उन्हें अद्यतित करने के संबंध में विवरण मांगा (जनवरी 2022)।

उत्तर में, प्रधान आयकर आयुक्त-3 मुंबई ने बताया (मई 2022) कि विभाग के पास धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत बैंकों को विभिन्न वर्षों में दिए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान से संबंधित अभिलेख रखने के लिए कोई अलग तंत्र नहीं था। आगे बताया गया कि निर्धारण वर्ष 2017-18 से, चूँकि निर्धारण आदेश, परिशोधन आदेश और अपील प्रभाव आदेश आईटीबीए पोर्टल के माध्यम से पारित किए गए थे, इसलिए ये आईटीबीए पोर्टल पर उपलब्ध थे।

आयकर विभाग के पास धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत पूर्ववर्ती वर्ष में अनुमत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की राशि की निगरानी के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं है, जिससे आगामी वर्षों में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि का निर्धारण त्रुटियों से ग्रस्त हो जाता है। लेखापरीक्षा में, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान (पीबीडीडी) के लिए अधिक कटौती की अनुमति के उदाहरण पाए गए, जिनका कारण अशोध्य ऋण प्रावधान के उचित अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया जाना था।

6.3.2.1 धारा 36(1)(vii) और 36(1)(viiए) अंतर्गत कटौती के दावों की गैर-निगरानी

निर्धारण वर्ष 2014-15 से धारा 36(1)(vii) में स्पष्टीकरण 2 के समावेशन के ध्यानार्थ, विभाग बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के संबंध में निर्धारण वर्ष 2014-15 से और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में निर्धारण वर्ष 2017-18 से बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के दावों का विवरण मांग सकता है। इस सूचना को प्रपत्र 3सीडी में भर कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी सम्मिलित किया जा सकता है ताकि दावा की गई कटौतियों के संबंध में प्रकट की गई सूचना का तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

तमिलनाडु क्षेत्र में, लेखापरीक्षा ने एक विस्तृत प्रारूप का सुझाव दिया है जिसे विभागीय स्तर पर ऐसे दावों को विनियमित करने के लिए निर्धारितियों से सूचना प्राप्त करने के लिए तैयार किया जा सकता है, जैसा कि नीचे बताया गया है:

निर्धारण वर्ष	धारा 36(1) (viiए) के अंतर्गत प्रावधान लेखा में अथशेष (आयकर अधिनियम के अनुसार)	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को लाभ एवं हानि लेखा में डेबिट किया गया	धारा 36(1) (viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान की अनुमति है [कॉलम 3 में दी गई राशि से अधिक नहीं हो सकती]	धारा 36(1) (viiए) के अंतर्गत प्रावधान लेखा में जमा कुल राशि [कॉलम 2+कॉलम 4]	वर्ष के लिए अशोध्य ऋण [लेखा की लेखा पुस्तकों के अनुसार] प्रावधान लेखा और/या लाभ और हानि लेखा में डेबिट किए गए	धारा 36(1) (viiए) के अंतर्गत प्रावधान लेखा में समायोजित किए जाने वाले अशोध्य ऋण (आईटी अधिनियम के अनुसार) [कॉलम 2 में दी गई राशि तक सीमित]	धारा 36(1) (vii) के अंतर्गत स्वीकार्य अशोध्य ऋण [प्रावधान लेखा के क्रेडिट शेष से अधिक] [कॉलम 6-कॉलम 7]	धारा 36(1) (viiए) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए शेष प्रावधान लेखा को आगामी निर्धारण वर्षों में आगे ले जाया जाएगा (आयकर अधिनियम के अनुसार) [कॉलम 5-कॉलम 7]
कॉलम1	कॉलम2	कॉलम3	कॉलम4	कॉलम5	कॉलम6	कॉलम7	कॉलम8	कॉलम9

मसौदा प्रारूप प्रधान आयकर आयुक्त, चेन्नई को अगस्त 2022 में सूचित किया गया था। अनुस्मारक जारी (दिसंबर 2024) करने के बावजूद विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुशंसा:

सीबीडीटी आयकर विभाग की प्रणालियों के माध्यम से अशोध्य ऋणों के लिए कटौती के दावों और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की निगरानी पर विचार करे, जिसके लिए आयकर रिटर्न जमा करने वाले प्रपत्र 3सीडी में आईटीआर-6/टीएआर में धारा 36(1)(viiए) के प्रावधान के अंतर्गत निर्धारितियों को दी गई अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों के निर्धारण की वर्षवार सूचना एकत्र कर ली जाएगी, ताकि आगामी वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए कटौती के दावे की सत्यता सुनिश्चित की जा सके।

उत्तर में, मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2024), "प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा आईटीआर प्रपत्र जमा किए जाते हैं। आईटीआर-6 के भाग ए- लाभ एवं हानि, जिसमें लाभ-हानि का विवरण सम्मिलित है, को भरना अनिवार्य है। उक्त अनुसूची की पंक्ति 48 में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण मांगा गया है। चूँकि कर निर्धारण वर्ष-वार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों का विवरण पहले से ही प्रपत्र में दर्ज किया जा रहा है, इसलिए इस संबंध में प्रपत्र में किसी और संशोधन की आवश्यकता नहीं है।"

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आईटीआर-6 के भाग ए-लाभ एवं हानि की पंक्ति 48 में दर्शाए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, वास्तव में लाभ और हानि लेखा में डेबिट की गई अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की राशि है और यह धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत दावा की गई राशि नहीं है। इसके बाद, कुल आय के 8.5 प्रतिशत की दर से और बैंकों के लिए ग्रामीण अग्रिमों के 10 प्रतिशत की दर से और एनबीएफसी के लिए कुल आय के पांच प्रतिशत की दर से कटौती की अनुमति है। इस प्रकार, आईटीआर-6 वर्तमान में निर्धारिती द्वारा दावा की गई कटौती की वास्तविक राशि नहीं दिखाता है। इसलिए, मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार करे।

6.3.3 संवीक्षा निर्धारण में किए गए परिवर्धन की असततता

लेखापरीक्षा द्वारा बैंकों और एनबीएफसी के निर्धारण के दौरान किए गए परिवर्धन की स्थिरता की सीमा का विश्लेषण करने के लिए नमूना मामलों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान जारी किए गए अपील प्रभाव देने वाले आदेशों की जांच की गई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंकों और एनबीएफसी के संबंध में संवीक्षा निर्धारण के दौरान समान मदों में वृद्धि की गई, जैसे कि प्रोद्भूत परंतु गैर-देय ब्याज पर कटौती की अनुमति न देना, खंडावधि का ब्याज आदि। हालाँकि, ये वृद्धियाँ प्रथम अपीलीय चरण में यथावत नहीं रहीं।

प्रासंगिक वर्षों के अपील आदेशों के आधार पर लेखापरीक्षित किए गए 780 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने नोट किया कि सीआईटी (अपील) स्तर पर हटाए गए मामलों का 0.27 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* तक था, जैसा कि नीचे दी गई तालिका 6.16 और ***अनुलग्नक 6.6*** में बताया गया है।

तालिका 6.16: संवीक्षा निर्धारण में किए गए परिवर्धन की असंधारणीयता **(₹ करोड़ में)**

क्रमांक	क्षेत्र	बैंक/ एनबीएफसी	निर्धारण वर्ष	मामलों की संख्या	किए गए परिवर्धन	प्रदत्त राहत / किए गए विलोपन	जारी रखे गए परिवर्धन	सततता का *प्रतिशत [प्रतिशत में]*
1	चेन्नई	निजी बैंक	2015-16	1	218.74	194.37	24.37	11.14
		सार्वजनिक बैंक	2014-15 से 2015-16	2	2,201.95	990.57	1,211.38	34 से 71
		एनबीएफसी	2012-13 से 2013-14, 2015-16 से 2017-18	8	617.61	597.93	19.68	0 से 35
2	केरल	एनबीएफसी	2011-12 से 2016-17	6	372.02	309.45	62.57	0 से 58.46
3	बेंगलुरु	सार्वजनिक बैंक	2015-16	1	2,838.11	467.87	2,370.24	83.51
		निजी बैंक	2015-16	1	339.20	118.84	220.36	64.96
		एनबीएफसी	2014-15 से 2016-17	4	36.65	1.02	35.63	0 से 99.73
4	अहमदाबाद	निजी बैंक	2011-12, 2012-13, 2015-16	3	1,081.71	311.84	769.87	54 से 99.04
		एनबीएफसी	2010-11 से 2011-12 2015-16 से 2016-17	4	3.23	3.12	0.11	0 से 6
5	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	2010-11 से 2014-15	7	6,226.82	5,176.48	1,050.34	0 से 98
6	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	2016-17	1	33,991.65	3,555.18	30,436.47	89.54
		निजी बैंक	2012-13, 2014-15	3	5,457.53	4,677.53	780	3 से 19

(अनुलग्नक 6.6 देखें)

परिवर्धन की असततता के दो मामलों पर ***अनुलग्नक 6.17*** में विस्तार से चर्चा की गई है।

परिवर्धन की असततता के कारणों में से एक आयकर अधिनियम के अंतर्गत लागू कटौती के लिए विशिष्ट प्रावधानों में स्पष्टता की कमी थी, क्योंकि विभिन्न प्राधिकरण, अर्थात् निर्धारण अधिकारी और सीआईटी (अपील), आयकर अधिनियम के समान प्रावधानों की अलग-अलग व्याख्या करते हैं। जैसा कि इस प्रतिवेदन के अनुच्छेद 4.4 के अंतर्गत चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा ने खंडावधि के ब्याज की कटौती, एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत प्रतिधारित सुरक्षा पर भुगतान किए गए अधिमूल्य के परिशोधन आदि की अनुमति में एक असंगतता देखी, जिसके लिए मंत्रालय को प्रणाली को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। निर्धारण अधिकारी द्वारा असंगत रुख से बचने के लिए निर्देश जारी करके और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारितियों द्वारा प्रदान किए गए/प्रस्तुत विवरण के आधार पर किए गए परिवर्धन की जांच निर्धारण अधिकारी द्वारा यथोचित जांच के बाद की जाती है, अपीलीय चरण में बनाए रखा जाता है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

6.4 बैंकों के निर्धारण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

कर प्रबंधन और निर्धारण के विभिन्न चरणों में विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में एकरूपता लाने और विभिन्न कर मुद्दों पर विभाग द्वारा अपनाए गए रुख में स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सीबीडीटी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत क्षेत्रीय संरचनाओं को आदेश, निर्देश या अनुदेश या एसओपी जारी करने का अधिकार है। सीएजी की प्रतिवेदन संख्या 8/2008 (प्रत्यक्ष कर) में की गई अभ्युक्तियों के आधार पर, सीबीडीटी ने 26 नवंबर 2008 को निर्देश संख्या 17/2008 जारी किया था जिसमें निर्धारण अधिकारी को बैंकों के निर्धारण के समय विभिन्न मुद्दों पर विभाग द्वारा अपनाए जाने वाले रुख के बारे में निर्देश दिया गया था।

सीबीडीटी की प्रथा है कि वह क्षेत्रीय कार्यालयों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)[132] जारी करता है, जिसमें विवादास्पद कराधान मुद्दों के निपटान के लिए मानक प्रक्रियाओं का सुझाव

[132] उदाहरण के लिए, सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम की धारा 68 के प्रावधानों को लागू करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में 10 जनवरी 2018 को निर्देश संख्या 246/151/2017-ए-पीएसी-1 के माध्यम से एसओपी जारी किया। सीबीडीटी ने अपने आंतरिक निर्देश संख्या 247/140/2017-ए एंड पीसी-1, दिनांक 10.01.2018 के माध्यम से अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत संतुष्टि दर्ज करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। हाल ही में, सीबीडीटी ने आयकर विभाग में एक फेसलेस निर्धारण योजना शुरू करते हुए विभिन्न परिपत्रों और निर्देशों के माध्यम से एक एसओपी जारी किया।

दिया जाता है, जो विभिन्न व्याख्याओं के अधीन होते हैं और जिनके विभिन्न अपीलीय स्तरों पर न्यायिक निर्णय लंबित होते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के लिए एसओपी तैयार किए थे जिससे वे एक समान लेखांकन विधियों को अपनाएं। भारतीय रिज़र्व बैंक[133] ने एक एसओपी जारी किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई थी कि बैंकों के पास गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की पहचान और संबंधित डेटा/विवरणी तैयार करने, नियामक रिपोर्टिंग और बैंक की अपनी एमआईएस आवश्यकताओं दोनों के लिए प्रावधान आवश्यकताओं की गणना के लिए उपयुक्त आईटी सिस्टम होने चाहिए। स्वचालित परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान गणना और आय पहचान प्रक्रियाओं की पूर्णता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने सिस्टम को स्थापित/अपग्रेड करने की सलाह दी गई थी। यह भी कहा गया कि क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों (एनपीए/एनपीआई) के मामले में आय की पहचान / पहचान का रद्दीकरण प्रणाली-संचालित होनी चाहिए, तथा आय लेखा से वापस ली जाने वाली राशि को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्रणाली से प्राप्त किया जाना चाहिए।

6.4.1 बैंकों के निर्धारण हेतु एसओपी की आवश्यकता

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत विभिन्न बैंकों के निर्धारण अभिलेखों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि सीबीडीटी द्वारा तैयार की गई एसओपी, बैंकों के निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारी को सुविधा प्रदान कर सकती है और लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों को उल्लेखनीय रूप से कम कर सकती है। निम्नलिखित कारणों से ऐसी एसओपी की आवश्यकता महसूस की गईः-

क) बैंक प्रत्येक वर्ष राजकोष में बड़ी मात्रा में कर का भुगतान करते हैं। लगभग सभी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों की प्रत्येक वर्ष जांच की जाती है। प्रत्येक वर्ष संवीक्षा निर्धारण के समय बैंकों के निर्धारण में महत्वपूर्ण वृद्धि की जाती है। जांच निर्धारण के समय किए गए परिवर्धन की स्थिरता दर बहुत कम पाई गई।

ख) बैंकों के निर्धारण से संबंधित कई मुद्दे हैं जिन पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, खंडावधि के ब्याज का निपटान, आयकर नियमों के नियम 8डी के

[133] अधिसूचना संख्या आरबीआई/20-21/37, दिनांक 14 सितंबर 2020

साथ धारा 14ए के अंतर्गत की जाने वाली अस्वीकृतियों की गणना, एचटीएम श्रेणी के निवेश पर भुगतान किए गए अधिमूल्य के परिशोधन का निपटान, धारा 43डी/नियम 6ईए के अंतर्गत गैर-निष्पादित संपत्तियाँ पर ब्याज की करयोग्यता, गैर-देय अर्जित ब्याज की करयोग्यता, धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों की अनुमति, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की अनुमति, धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की अनुमति, आदि।

ग) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत स्वीकार्य कटौती की निगरानी के लिए बैंकों के निर्धारण के लिए विभाग में उचित अभिलेख रखना अनिवार्य है, नियम 6एबीए सहित धारा 36(1)(viiए) के प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिमों के 10 *प्रतिशत* की दर से कटौती की गणना के प्रयोजन के लिए ग्रामीण शाखाओं और उनके द्वारा दिए गए अग्रिमों का विवरण, अशोध्य ऋणों की वसूली और वसूली के लिए कृत कार्रवाई आदि की निगरानी करना।

घ) प्रावधान आवश्यकताओं, परिसंपत्ति वर्गीकरण आदि पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में अद्यतन सूचना रखना आवश्यक है, क्योंकि इनका निर्धारण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, आईसीडीएस VIII में कहा गया है कि प्रतिभूतियों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसी प्रकार, धारा 43डी गैर-निष्पादित संपत्तियाँ के रूप में वर्गीकृत ऋणों पर ब्याज की करयोग्यता के प्रयोजनार्थ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लेख करती है।

ङ) बैंकों के निर्धारण के समय सामान्यतः उठने वाले मुद्दों से संबंधित सभी नवीनतम न्यायिक निर्णयों का एक संग्रह संकलित करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

च) निर्धारण अधिकारी को ऐसे विवरणों की आवश्यकता होती है जो रिटर्न प्रपत्र 3सीडी या वित्तीय विवरणों में उपलब्ध नहीं होते। इन विवरणों में धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत दावा की गई कटौती की राशि और उसकी गणना, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत स्वीकार्य कटौती और उसकी गणना, धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत स्वीकार्य कटौती और उसकी गणना, नियम 8डी के पठित धारा 14ए के अंतर्गत गैर-अनुमत व्यय की राशि और अन्य सम्मिलित हैं। इसलिए, दावों, कटौतियों, कराधान के लिए उत्तरदायी मदों से संबंधित सूचनाओं की एक सांकेतिक सूची होनी चाहिए, जिसे निर्धारिती द्वारा मामले की पूरी जाँच के लिए चयन करते समय माँगना आवश्यक हो।

छ) लेखा-पुस्तकों और अनुसूचियों से निर्धारण के समय आवश्यक जानकारी, जहाँ से यह सूचना प्राप्त की जानी है, को मानकीकृत किया जा सकता है क्योंकि बैंकों की लेखा-लेखा पुस्तकों बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की आवश्यकताओं के अनुसार एक मानक प्रारूप में रखी जाती है। ये मुख्य रूप से लाभ-हानि लेखा में डेबिट किए गए प्रावधानों और आकस्मिकताओं, लेखा पुस्तकों में बनाए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, गैर-निष्पादित संपत्तियाँ का विवरण, बीडीडी के प्रावधानों के प्रति बट्टे खाते में डाली गई राशि, बनाए गए अन्य प्रावधान, विशेष आरक्षित निधि में अंतरित राशि आदि का मूलभूत विवरण हैं।

ज) बैंकों के निर्धारण के लिए विशेष रूप से आवश्यक आईटीआर और प्रपत्र 3सीडी के विवरण, मुख्य रूप से अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों, बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों और अन्य गैर-अनुमत व्ययों जैसे आरबीआई द्वारा आरोपित शास्ति आदि से संबंधित हैं।

झ) आरबीआई को प्रस्तुत करने के लिए बैंकों द्वारा आमतौर पर तैयार किए गए रिटर्न की सूची का, और जांच निर्धारण के दौरान बैंकों के निर्धारण में इसकी प्रासंगिकता को जांच के लिए प्रपत्रीकरण किया जा सकता है।

6.4.2 बैंकों के निर्धारण के लिए एसओपी की प्रस्तावित रूपरेखा

विभाग, बैंकों के निर्धारण में निर्धारण अधिकारियों की सहायता के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करे। एसओपी में सम्मिलित किए जाने वाले मुद्दों की एक सांकेतिक सूची ***अनुलग्नक 6.7*** में दी गई है।

मार्च 2022 में यह बात प्रधान आयकर आयुक्त-2/प्रधान आयकर आयुक्त-3 मुंबई के संज्ञान में लाई गई। प्रधान आयकर आयुक्त-3, मुंबई ने अपने उत्तर (मई 2022) में बताया कि यदि बैंकों के निर्धारण हेतु एसओपी जारी करते समय लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों को सम्मिलित किया जाए, तो यह विभाग के लिए लाभदायक होगा। प्रधान आयकर आयुक्त-2, मुंबई ने उत्तर (जून 2022) में बताया कि ये सुझाव बैंकों के प्रभावी संवीक्षा निर्धारण हेतु निर्धारण अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन हैं। उन्होंने कहा कि इन सुझावों का उपयोग निर्धारण अधिकारियों के प्रशिक्षण और बैंकिंग क्षेत्र में निर्धारितियों के प्रभावी निर्धारण हेतु क्षमता निर्माण हेतु किया जा सकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुशंसा:

सीबीडीटी बैंकों के निर्धारण के दौरान निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर सकता है, ताकि सभी निर्धारण शुल्कों में बैंकों के लिए छूट और कटौतियों की अनुमति देने में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके और निर्धारण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में कहा कि अनुशंसा परीक्षाधीन है।

चूंकि अनुशंसा की जांच की जा रही है, इसलिए इस संबंध में मंत्रालय द्वारा शुरू की गई/कृत कार्रवाई का विवरण लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित रहेगी। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

6.5 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु कटौती के अभिलेखों का उचित रखरखाव नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आगामी निर्धारण वर्षों में अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अधिक अनुमति दी गई। विभाग ने अशोध्य ऋणों के लिए कटौती, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान और दीर्घकालिक वित्तपोषण के लाभों से सृजित विशेष आरक्षित निधियों के लिए कटौती की अनुमति से संबंधित समान मामलों में अस्वीकृतियाँ करने में निरंतरता का अभाव दर्शाया। ये परिवर्धन निर्धारण आदेश में उचित औचित्य दर्ज किए बिना, नियमित और विवेकाधीन तरीकों से किए गए।

लेखापरीक्षा, नमूना परीक्षण में जाँचे गए मामलों में निर्धारण के विभिन्न चरणों और अंतिम रूप देने के दौरान अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने के कारण अनुमत दावों की सत्यता और वास्तविकता के सत्यापन के लिए विभाग में किसी विद्यमान तंत्र की प्रभावशीलता पता नहीं लगा सकी। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता चले कि विभाग बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों से की गई वसूली पर उचित निगरानी रखता है और यह कि उस पर वर्तमान कानून के अनुसार कर आरोपित किया गया था। विभाग, रिपोर्ट किए गए अशोध्य ऋणों, की गई वसूली आदि जैसे प्रासंगिक आँकड़े प्राप्त करने और निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ऐसे आँकड़ों का उपयोग करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक और अन्य नियामक प्राधिकरणों के साथ समन्वय नहीं कर रहा था।

लेखा पुस्तकों में लाभ की गणना करते समय, निवल लाभ से कटौती की अनुमति, विशेष रूप से लाभ-हानि लेखा में नामे न किए गए अशोध्य ऋणों की कटौती, के संबंध में एक समान

रुख नहीं अपनाया गया। छूट की अनुमति तो दी गई, लेकिन इस बात की उचित जाँच नहीं की गई कि छूट प्राप्त आय अर्जित करने से संबंधित व्यय कानून के अनुसार अननुमत था या नहीं। विभाग नवीनतम न्यायिक निर्णयों, सीबीडीटी के निर्देशों और अर्जित आय की कर देयता तथा बैंकों एवं एनबीएफसी को कटौतियों की अनुमति से संबंधित संशोधनों पर दृष्टि नहीं रख रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग को बैंकों के निर्धारण के लिए एक उचित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की आवश्यकता है।

नई दिल्ली **(मोनिका वर्मा)**
दिनांक: 04 फरवरी 2026 **महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 05 फरवरी 2026 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1.1

{संदर्भित पैरा 1.2}

बैंक	एनबीएफ़सी
बैंक मांग डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं।	एनबीएफसी मांग डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते।
बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा हैं और स्वयं पर आहरित चेक जारी कर सकते हैं।	एनबीएफसी भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं और स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकते हैं।
बैंकों के संदर्भ में डिपॉजिट बीमा की डिपॉजिट बीमा सुविधा और क्रेडिट गारंटी निगम, बैंकों जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।	बैंकों के विपरीत एनबीएफसी के संदर्भ में डिपॉजिट बीमा की डिपॉजिट बीमा सुविधा और क्रेडिट गारंटी निगम एनबीएफसी जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है।
बैंकों को आरबीआई के साथ नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरल अनुपात (एसएलआर) जैसे आरक्षित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है।	बैंकों के विपरीत, एनबीएफसी को आरबीआई के साथ आरक्षित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।
आयकर अधिनियम (धारा 194ए के अंतर्गत) बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को भुगतान किए गए ब्याज के हिस्से पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के लागू नहीं होने पर विशिष्ट छूट प्रदान करता है।	आयकर अधिनियम की धारा 194ए के अंतर्गत, एनबीएफसी को भुगतान की गई किस्त के ब्याज हिस्से पर 10 *प्रतिशत* की दर से टीडीएस की कटौती की जानी आवश्यक है।
आयकर अधिनियम और नियमों के नियम 6ईए के साथ पठित धारा 43डी के अंतर्गत, गैर-निष्पादित परिसंपत्ति[134] (एनपीए) पर ब्याज के माध्यम से आय उस पिछले वर्ष में कर के लिए प्रभार्य होगी जिसमें इसे पी एवं एल खाते में जमा किया जाता है या पिछले वर्ष में जब यह प्राप्त होता है, जो भी पहले हो।	धारा 43डी के प्रावधान धारा 43डी के अंतर्गत निर्दिष्ट सार्वजनिक वित्तीय संस्थान[135] या सार्वजनिक कंपनियों के मामले को छोड़कर एनबीएफसी पर लागू नहीं होते हैं।

[134] 1 अक्टूबर 2021 को जारी आरबीआई मुख्य परिपत्र - आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, कोई भी परिसंपत्ति, जिसमें पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति भी सम्मिलित है, तब गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है। गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) एक ऋण या अग्रिम है जहाँ, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

[135] आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के नीचे स्पष्टीकरण (iii) के अनुसार, "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4ए में दिया गया है।

आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती कुल आय के 8.5 *प्रतिशत* (नि.व. 2017-18 तक 7.5 *प्रतिशत*) की सीमा तक अनुमेय है।	आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती कुल आय के पांच *प्रतिशत* की सीमा तक अनुमेय है, नि.व. 2017-18 से प्रभावी।
बैंकिंग कंपनियों के समामेलन के मामले में, आयकर अधिनियम की धारा 72ए संचित घाटे को अग्रेनीत करने और समामेलित इकाई द्वारा उसका दावा किए जाने का प्रावधान करती है।	एनबीएफसी हेतु इसी तरह का लाभ प्रदान नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप समामेलन या विघटन पर संचित नुकसान होता है।

अनुलग्नक 1.2

{संदर्भित पैरा 1.7}

1 अशोध्य ऋण के लिए कटौती (धारा 36(1)(vii))

इस प्रावधान के अनुसार, बैंक किसी भी अशोध्य ऋण या उसके हिस्से की राशि के लिए कटौती का दावा करने के लिए अर्ह हैं, जिसे पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की लेखाओं में वसूल के रूप में बट्टे खाते में डाला गया है। तथापि, ऐसे निर्धारिती के मामले में, जिस पर खंड (viiए) लागू होता है, ऐसे किसी ऋण या उसके भाग से संबंधित कटौती की राशि उस राशि तक सीमित होगी, जिससे ऐसा ऋण या उसका भाग उस खंड के अंतर्गत किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाता में जमा शेष से अधिक हो।

2 अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए किए गए प्रावधान हेतु कटौती (धारा 36(1)(viiए))

धारा 36(1)(viiए) विदेशी बैंक के अलावा किसी अनुसूचित बैंक द्वारा किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के किसी प्रावधान के संबंध में कटौती का प्रावधान करती है, कुल आय का साढ़े आठ *प्रतिशत* (नि.व. 2017-18 तक 7.5 *प्रतिशत*) से अधिक की राशि नहीं और निर्धारित तरीके से गणना किए गए बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा सृजित किए गए कुल औसत अग्रिमों के दस *प्रतिशत* से अधिक की राशि नहीं। विदेशी बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक निवेश निगम या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए उपलब्ध कटौती (नि.व. 2017-18 से प्रभावी) इस खंड और अध्याय VI-ए के अंतर्गत कोई कटौती करने से पहले गणना की गई कुल आय के पांच *प्रतिशत* से अधिक की राशि नहीं होगी।

3 दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए विशेष निधि हेतु कटौती - (धारा 36(1)(viii))

किसी निर्दिष्ट इकाई द्वारा सृजित और अनुरक्षित किसी विशेष रिजर्व निधि के संदर्भ में कटौती उस राशि की सीमा तक अनुमेय है जो ऐसे आरक्षित खाते में ''व्यवसाय या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ'' शीर्ष के अधीन संगणित अर्ह व्यवसाय से प्राप्त लाभों के बीस *प्रतिशत* से अधिक न हो। तथापि, जहां समय-समय पर ऐसे आरक्षित खाते में जमा की गई राशि का कुल योग, निर्दिष्ट इकाई की प्रदत शेयर पूंजी और सामान्य रिजर्व निधि की राशि के दोगुने से अधिक हो जाता है, वहां इस खंड के अंतर्गत ऐसी अधिकता के संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

4 अशोध्य ऋणों के लिए कटौती से संबंधित सामान्य प्रावधान (धारा 36(2))

अशोध्य ऋण या उसके किसी भाग के लिए कटौती की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे ऋण या उसके किसी भाग को निर्धारिती की उस पिछले वर्ष की आय की गणना में सम्मिलित न किया गया हो जिसमें ऐसे ऋण या उसके किसी भाग की राशि को बट्टे खाते में डाला गया था, या फिर किसी पूर्ववर्ती वर्ष की आय की गणना में सम्मिलित न किया गया हो। अशोध्य ऋण के लिए कटौती भी अनुमेय है जब अशोध्य ऋण, निर्धारिती द्वारा किए जाने वाले बैंकिंग या धन उधार देने के व्यवसाय के सामान्य क्रम में उधार दिया गया धन हो।

5 गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर ब्याज आय की करदेयता (धारा 43डी)

बैंकों और एनबीएफसी के मामले में, जैसे जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, अशोध्य या संदिग्ध ऋणों पर ब्याज के माध्यम से उस पूर्व वर्ष में आय कर के लिए प्रभार्य होगी, जिसमें यह उनके द्वारा उस वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता में जमा किया जाता है या जिस वर्ष में यह वास्तव में उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो भी पहले हो।

6 आय के संबंध में किया गया व्यय जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है

अधिनियम की धारा 14ए के अनुसार, निर्धारिती द्वारा उस आय के संबंध में उपगत व्यय के संदर्भ में कोई कटौती स्वीकार नहीं की जाएगी जो इस अधिनियम के अधीन कुल आय का भाग नहीं है। यदि निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती के लेखाओं को ध्यान में रखते हुए, आय के संदर्भ में ऐसे व्यय के संबंध में निर्धारिती के दावे की सत्यता से संतुष्ट नहीं है जो इस अधिनियम के अंतर्गत कुल आय का हिस्सा नहीं है, तो निर्धारण अधिकारी आयकर नियम, 1962 के नियम 8डी में निर्धारित ऐसी विधि के अनुसार ऐसी छूट आय के संबंध में किए गए व्यय की राशि का निर्धारण करेगा।

2 जून 2016 की अधिसूचना 43/2016 द्वारा संशोधित नियम 8डी के अनुसार, वैसी आय के संबंध में व्यय जो कुल आय का हिस्सा नहीं है, (i) आय से संबंधित व्यय की राशि जो कुल आय का हिस्सा नहीं है; और (ii) निवेश के मूल्य के अथ शेष और अंत शेष के मासिक औसत के वार्षिक औसत के एक *प्रतिशत* के बराबर राशि, जो कुल आय का हिस्सा नहीं है या नहीं होगा, का कुल योग होगा। नियम यह भी उपबंध करता है कि खंड (i) और खंड (ii) में निर्दिष्ट राशि निर्धारिती द्वारा दावा किए गए कुल व्यय से अधिक नहीं होगी।

7 कर से प्रभार्य लाभ (धारा 41)

धारा 41 की उपधारा (4) के अनुसार, जहां धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (vii) के उपबंधों के अधीन बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण या ऋण के भाग के संदर्भ में कटौती अनुमत की गई है, वहां यदि तत्पश्चात् ऐसे किसी ऋण या भाग पर वसूल की गयी राशि ऋण या ऋण के भाग और इस प्रकार की स्वीकृत राशि के बीच के अंतर से अधिक है तो आधिक्य को व्यवसाय या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा और तदनुसार उस पूर्व वर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा जिसमें वह वसूल की गई है, चाहे वह व्यवसाय या वृत्ति जिसके संदर्भ में कटौती अनुमत की गई है, उस वर्ष में हो अथवा नहीं।

धारा 41 की उपधारा (4ए) के अनुसार, जहां धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) के अधीन सृजित और अनुरक्षित किसी विशेष निधि के संदर्भ में कटौती अनुमत की गई है, वहां ऐसी विशेष निधि से तत्पश्चात् निकाली गई कोई राशि व्यवसाय या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझी जाएगी और तदनुसार उस पूर्व वर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगी जिसमें ऐसी राशि निकाली गई है।

8 लेखाकरण की विधि (धारा 145)

"व्यवसाय या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखाकरण की नकद या वाणीज्यिक प्रणाली के अनुसार की जाएगी।

9 विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का कराधान

अधिनियम की धारा 43एए के अनुसार, विदेशी मुद्रा दरों में किसी परिवर्तन के कारण होने वाले किसी भी लाभ या हानि को आय या हानि के रूप में माना जाएगा, और ऐसे लाभ या हानि की गणना धारा 145 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचित आय गणना और प्रकटीकरण मानकों के अनुसार की जाएगी। उप-धारा (1) के उद्देश्यों के लिए, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभावों के कारण उत्पन्न लाभ या हानि सभी विदेशी मुद्रा संव्यवहार के संबंध में होगी, जिसमें (i) मौद्रिक मद और गैर-मौद्रिक मद; (ii) विदेशी संचालन के वित्तीय विवरणों का अनुवाद; (iii) अग्रवर्ती विनिमय संविदा; (iv) विदेशी मुद्रा विनिमय रिजर्व सम्मिलित हैं। सीबीडीटी ने मार्च 2017 में जारी परिपत्र[136] में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न संबंधित मुद्दों को स्पष्ट किया था। उक्त परिपत्र में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 16 में, यह स्पष्ट

[136] संख्या 10/2017 दिनांक 23.03.2017

किया गया था कि विनिमय अंतर से संबंधित 1 अप्रैल 2016 के एफसीटीआर में अथ शेष को पिछले वर्ष में निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित उस सीमा तक मान्य समझा जाएगा जो पूर्व में आय गणना में मान्य नहीं है।

10 अनिवासियों के प्रधान कार्यालय व्यय के संबंध में कटौती (धारा 44डी)

इस धारा के अनुसार, किसी निर्धारिती के मामले में, जो अनिवासी है, "व्यवसाय या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना करते समय, मुख्यालय व्यय की श्रेणी में व्यय के उस भाग के संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी जो समायोजित कुल आय के पांच *प्रतिशत* के बराबर राशि से अधिक हो; या निर्धारिती द्वारा प्रधान कार्यालय के व्यय के रूप में किए गए व्यय की उस राशि के संबंध में हो जो निर्धारिती के भारत में व्यवसाय या वृत्ति के कारण है, इनमें से जो भी कम हो:

11 किसी बैंकिंग कंपनी के समामेलन की योजना में संचित हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास के समायोजन के लिए प्रावधान (धारा 72एए)

इस धारा के अनुसार जहां बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उप-धारा (7) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा संस्वीकृत और लागू की गई योजना के अंतर्गत किसी अन्य बैंकिंग संस्थान के साथ बैंकिंग कंपनी का समामेलन हुआ है, संचित हानि और ऐसी बैंकिंग कंपनी का अनवशोषित मूल्यह्रास के लिए हानि माना जाएगा या, जैसा भी मामला हो, उस पिछले वर्ष के लिए ऐसी बैंकिंग संस्था के मूल्यह्रास के लिए छूट जिसमें समामेलन की योजना लागू की गई थी और मूल्यह्रास के लिए हानि और छूट को समायोजित एवं अग्रेनीत करने से संबंधित इस अधिनियम के अन्य प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

12. धारा 10 के अंतर्गत बैंकों/एनबीएफसी पर लागू छूट

धारा 10 की विभिन्न उप-धाराओं के अंतर्गत उपलब्ध कुछ प्रमुख छूटें नीचे तालिका में सूचीबद्ध हैं।

धारा 10 के अंतर्गत बैंकों/ एनबीएफसी पर लागू छूट	
छूटें	**संक्षिप्त वर्णन**
10(15)	ब्याज के माध्यम से अर्जित आय, अधिमूल्य या मोचन या अधिसूचित बांड और प्रतिभूतियों पर अन्य भुगतान, मुख्य रूप से, 10(15)(iv) (एच) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बांड पर ब्याज।
10(23डी)	सेबी के अंतर्गत पंजीकृत म्यूचुअल फंड, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और आरबीआई द्वारा अधिकृत सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा स्थापित एमएफ से आय।
10(23ईए)	निवेशक संरक्षण निधि से आय।
10(23ईसी)	वस्तु विनिमयों और इसके सदस्यों से निवेशक संरक्षण निधि द्वारा प्राप्त योगदान।
10(23ईडी)	निवेशक संरक्षण निधि के निक्षेपागार से प्राप्त योगदान (2014-15 से प्रभावी)।

धारा 10 के अंतर्गत बैंकों/ एनबीएफसी पर लागू छूट	
छूटें	**संक्षिप्त वर्णन**
10(34)	लाभांश वितरण कर से लाभांश आय प्रभावित हुई थी। विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश के मामले में, धारा 115बीबीडी के प्रावधान नि.वर्ष 2012-13 से प्रभावी।
10(34ए)	शेयरधारक होने के कारण, शेयरों के प्रति-क्रय (नि.व. 2014-15 से प्रभावी है) के संदर्भ में एक निर्धारिती को होने वाली आय।
10(35)	म्यूचुअल फंड की इकाइयों से आय।
10(38)	प्रतिभूति संव्यवहार कर द्वारा सम्मिलित किए गए इक्विटी शेयरों/इकाइयों के अंतरण पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (नि.व. 2019-20 से लागू नहीं)
115जेजी	किसी विदेशी बैंक की भारतीय शाखा को भारतीय समनुषंगी में परिवर्तित करने से होने वाला पूंजी अभिलाभ, कर से छूट प्राप्त है।

13 अपतटीय बैंकिंग इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (धारा 80एलए) के कुछ आय के संबंध में कटौती

एक अनुसूचित बैंक या विदेशी बैंक जिसकी एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपतटीय बैंकिंग इकाई है या एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाई होने के नाते अपतटीय बैंकिंग इकाई या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र की किसी भी इकाई से कोई आय समावेशित करते हैं, पहले पांच वर्षों में ऐसी आय के सौ *प्रतिशत* और अगले पांच वर्षों में ऐसी आय के पचास *प्रतिशत* की कटौती के अर्ह हैं।

अनुलग्नक 1.3

{संदर्भित पैरा 1.8}

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार धारा	**आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रावधान**	**आयकर अधिनियम 2025 के अनुसार धारा**	**आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत प्रावधान**
36(1) (vii)- अशोध्य ऋण के लिए कटौती	इस प्रावधान के अनुसार, बैंक किसी भी अशोध्य ऋण या उसके हिस्से की राशि के लिए कटौती का दावा करने के लिए अर्ह हैं, जिसे पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती के लेखाओं में वसूल के रूप में बट्टे खाते में डाला गया है। हालाँकि, किसी निर्धारिती के मामले में, जिस पर खंड (viiए) लागू होता है, ऐसे किसी भी ऋण या उसके हिस्से से संबंधित कटौती की राशि उस राशि तक सीमित होगी जिससे ऐसा ऋण या उसका हिस्से में उस खंड के अंतर्गत बनाए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋण खाता प्रावधान में क्रेडिट शेष से अधिक है।	**31(2), 31(3)- अशोध्य ऋण के लिए कटौती**	उस कर वर्ष में, जिसमें ऐसी राशि बट्टे खाते में डाली जाती है, अशोध्य ऋण की कोई राशि या उसका कोई भाग निर्धारिती के लेखाओं में वसूल है, धारा 26 के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुमत किया जाएगा, जो पूर्ति शर्तों के अधीन होगाः क) यह उस कर वर्ष[137] के निर्धारिती की आय की गणना करने में विचारित है जिसमें इसे बट्टे खाते में डाला जाता है, या किसी भी पूर्व के कर वर्ष में यह बैंकिंग व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में उधार दिए गए धन या निर्धारिती द्वारा दिये गए धन उधार को दर्शाता है। ख) यदि अंततः ऋण या ऋण के हिस्से के रूप में वसूल की गई राशि ऐसे ऋण या हिस्से के बीच के अंतर से कम है और इस प्रकार कटौती की गई कमी उस कर वर्ष में कटौती योग्य होगी जिसमें अंतिम वसूली की जाती है। ग) जहां वह धारा 31(1) के अधीन कटौती का दावा करने वाले निर्धारिती से संबंधित है, वहां वह राशि जो उस उपधारा के अधीन अशोध्य और

137 कर वर्ष का अर्थ है 1 अप्रैल को शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष की बारह महीने की अवधि। नए स्थापित व्यवसाय या वृत्ति के कर वर्ष के मामले में ऐसे व्यवसाय या वृत्ति की स्थापना की तिथि से शुरू होने वाली अवधि होगी।

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार धारा	आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रावधान	आयकर अधिनियम 2025 के अनुसार धारा	आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत प्रावधान
			संदिग्ध ऋण खाता के उपबंध में जमा अतिशेष से अधिक है, कटौती के रूप में अनुमत की जाएगी; ii) ऐसी राशि तभी अनुमत की जाएगी जब निर्धारिती ने उस उपधारा के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋण खाता के उपबंध के लिए उस कर वर्ष में अशोध्य ऋण या उसके भाग की किसी राशि को डेबिट किया हो और iii) उपरोक्त खाता उप-धारा (1) के अंतर्गत ऐसा केवल एक खाता होगा और ऐसा खाता ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए अग्रिमों सहित सभी प्रकार के अग्रिमों से संबंधित होगा। 3) 31(2) के दावे और कटौती के प्रयोजन के लिए, क) वसूली के रूप में बट्टे खाते में डाले गए किसी भी अशोध्य ऋण या इसके हिस्से में किसी अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं होगा, ख) अशोध्य ऋण या उसके भाग की कोई राशि, जिसे उस कर वर्ष की निर्धारिती की आय की संगणना करने में हिसाब में लिया गया है, जिसमें अशोध्य ऋण की राशि या उसका कोई भाग वसूल हो जाता है या संगणना और प्रकटन मानकों के अनुसार लेखाओं में उसे अभिलिखित किए बिना पूर्व के कर वर्ष की आय के लिए, जिस कर वर्ष में वह वसूल हो जाता है उसमें निर्धारिती की आय की

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार धारा	**आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रावधान**	**आयकर अधिनियम 2025 के अनुसार धारा**	**आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत प्रावधान**
			गणना करने हेतु कटौती के रूप में अनुमत किया जाएगा और ऐसा अशोध्य ऋण या उसका कोई भाग धारा 31(2) के प्रयोजनों के लिए लेखाओं में वसूल के रूप में बट्टे खाते में डाले गए माना जाएगा।
36(1) (viiए) अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	धारा 36(1)(viiए) विदेशी बैंक के अतिरिक्त किसी अनुसूचित बैंक द्वारा किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के किसी प्रावधान के संबंध में कटौती का प्रावधान करती है, कुल आय का साढ़े आठ *प्रतिशत* (आ.व. 2017-18 तक 7.5 *प्रतिशत*) से अधिक की राशि नहीं और निर्धारित तरीके से गणना किए गए ऐसे बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिमों के दस *प्रतिशत* से अधिक की राशि नहीं। विदेशी बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक निवेश निगम या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए उपलब्ध कटौती (आ.व. 2017-18 से प्रभावी), इस खंड और अध्याय VI-ए के अंतर्गत कोई कटौती करने से पहले गणना की गई कुल आय के पांच *प्रतिशत* से अधिक की राशि नहीं होगी।	**31(1) अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान**	अधिनियम की धारा 31(1) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान अनुसूचित बैंक, भारत के बाहर किसी देश के कानूनों द्वारा या उसके अंतर्गत निगमित बैंक के अतिरिक्त, या गैर-अनुसूचित बैंक या प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि के अतिरिक्त सहकारी बैंक और ग्रामीण विकास बैंक को स्वीकार्य है। अनुमति दी जाने वाली कटौती की राशि इस खंड और अध्याय VIII के अंतर्गत कोई कटौती करने से पहले गणना की गई कर वर्ष की कुल आय के 8.5 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होगी, और ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिमों के 10 *प्रतिशत* तक की परिवर्धित राशि निर्धारित तरीके से गणना की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, यह भारत के बाहर किसी देश के कानूनों द्वारा या उसके अंतर्गत निगमित बैंक, या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या राज्य वित्तीय निगम या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को छोड़कर अनुसूचित बैंक को स्वीकार्य है। अनुमत की जाने वाली

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार धारा	आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रावधान	आयकर अधिनियम 2025 के अनुसार धारा	आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत प्रावधान
			कटौती की राशि इस खंड और अध्याय 8 के अधीन कोई कटौती करने के पूर्व संगणित कर वर्ष की कुल आय के 5 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होनी चाहिए।
धारा 43डी- सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की आय के मामले में विशेष प्रावधान	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43डी में प्रावधान है कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या अनुसूचित बैंक के मामले में, एनपीए पर ब्याज के माध्यम से आय पिछले वर्ष में कर के लिए प्रभार्य होगी जिसमें इसे उस वर्ष के लाभ और हानि खाता में क्रेडिट किया जाता है या जब यह वास्तव में उस संस्थान या बैंक द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो भी पहले हो।	**धारा 56- निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों की ब्याज आय के मामले में विशेष प्रावधान।**	किसी विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्था के अशोध्य या संदिग्ध ऋणों के संबंध में ब्याज आय, उस कर वर्ष में, "व्यवसाय या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य होगी, जिसमें ऐसा ब्याज है,- (क) लाभ और हानि खाता में जमा किया गया; या (ख) वास्तव में प्राप्त, जो भी पहले हो।
धारा 36(1)(viii) - विशेष रिजर्व में की गई राशि पर कटौती	किसी विनिर्दिष्ट इकाई द्वारा सृजित और अनुरक्षित किसी विशेष आरक्षित निधि से संबन्धित कटौती अनुमत है, उस राशि की सीमा तक जो ऐसे आरक्षित खाता में "व्यवसाय या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित अर्ह व्यवसाय से प्राप्त लाभों के बीस *प्रतिशत* से अनधिक हो। हालांकि, जहां ऐसे आरक्षित खाता में समय-समय पर जमा की गई राशि का कुल योग, कुल भुगतान की गई शेयर पूंजी और निर्दिष्ट इकाई के सामान्य आरक्षित की राशि के दोगुने से अधिक है, ऐसी अधिकता के संबंध में इस खंड के अंतर्गत कोई छूट नहीं दी जाएगी।	**धारा 32(ई)- विशेष रिजर्व में की गई राशि पर कटौती**	एक निर्दिष्ट इकाई द्वारा बनाए गए और अनुरक्षित किए गए विशेष रिजर्व में जमा की गई राशि, निम्नलिखित शर्तों के अधीन: - (i) ऐसी राशि इस खंड के अंतर्गत किसी भी कटौती से पहले "व्यवसाय या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अंतर्गत गणना किए गए अर्ह व्यवसाय से प्राप्त लाभ के 20 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होगी; और (ii) जब समय-समय पर ऐसे आरक्षित खाता में जमा की गई ऐसी राशि का योग, प्रदत्त शेयर पूंजी और निर्दिष्ट इकाई के सामान्य आरक्षित की राशि से दोगुना से अधिक है, तो ऐसी अतिरिक्त राशि पर कोई कटौती अनुमेय नहीं होगी।

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार धारा	**आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रावधान**	**आयकर अधिनियम 2025 के अनुसार धारा**	**आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत प्रावधान**
धारा 44सी- अनिवासियों के मामले में प्रधान कार्यालय व्यय की कटौती	निर्धारिती की स्थिति में, जो अनिवासी है, प्रधान कार्यालय व्यय के रूप में इतने व्यय के संबंध में जितना कि नीचे गणना की गई राशि से अधिक है, "व्यवसाय या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कोई छूट नहीं दी जाएगी, अर्थात्: - (क) समायोजित कुल आय के पांच *प्रतिशत* के बराबर राशि; या (ग) निर्धारिती द्वारा किए गए प्रधान कार्यालय व्यय के रूप में उतने व्यय की राशि, जो भारत में निर्धारिती के व्यवसाय या वृत्ति के कारण है, इनमें से जो भी कम हो: बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां निर्धारिती की समायोजित कुल हानि आय है, खंड के अंतर्गत राशि (क) निर्धारिती की औसत समायोजित कुल आय के पांच *प्रतिशत* की दर से संगणित की जाएगी।	**धारा 60- अनिवासियों के मामले में प्रधान कार्यालय व्यय की कटौती**	अनिवासी निर्धारिती के मामलों में, ऐसे निर्धारिती द्वारा उपगत प्रधान कार्यालय व्यय, जो भारत में उसके व्यवसाय या वृत्ति के कारण है, कटौती "व्यवसाय या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में अनुमत की जाएगी। (2) निर्धारिती की औसत समायोजित कुल हानि आय है जिसे, अनुमेय कटौती के 5 *प्रतिशत* की ऊपरी मौद्रिक सीमा तक सीमित किया जाएगा। (ख) किसी अन्य मामले में, निर्धारिती की समायोजित कुल आय के 5 *प्रतिशत* की ऊपरी मौद्रिक सीमा तक।
धारा 80 एलए- अपतटीय बैंकिंग इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कुछ आय के संबंध में कटौती	एक अनुसूचित बैंक या विदेशी बैंक जिसकी एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपतटीय बैंकिंग इकाई है या एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाई होने के नाते अपतटीय बैंकिंग इकाई या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र की किसी भी इकाई से कोई आय सम्मिलित है, पहले पांच वर्षों में ऐसी आय का सौ *प्रतिशत* और अगले पांच वर्षों में ऐसी आय के पचास *प्रतिशत* की कटौती के पात्र हैं।	**धारा 147- अपतटीय बैंकिंग इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाइयों की कुछ आय के संबंध में कटौती**	(1)धारा 147(3) के अनुसार ऐसी आय के 100 *प्रतिशत* के बराबर कटौती अनुमेय है (क) एक अनुसूचित बैंक, या एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक अपतटीय बैंकिंग इकाई के साथ भारत के बाहर किसी देश के कानूनों के अंतर्गत निगमित बैंक; या (ख) एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक इकाई। (2) कटौती अनुमत की जाएगी- (क) उप-धारा (1)(ए) में उल्लिखित इकाई के मामले में प्रासंगिक कर वर्ष

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार धारा	आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रावधान	आयकर अधिनियम 2025 के अनुसार धारा	आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत प्रावधान
			से शुरू होने वाले दस निरंतर कर वर्षों के लिए; (ख)उप-धारा (1)(बी) में उल्लिखित इकाई के मामले में, एक निर्धारिती के विकल्प पर, प्रासंगिक कर वर्ष से शुरू होने वाले पंद्रह वर्षों में से निरंतर दस कर वर्षों के लिए। (3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय निम्नलिखित से आय होगी - (क) किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित अपतटीय बैंककारी इकाई; या (ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6(1) में संदर्भित व्यावसायिक गतिविधियां, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में उपक्रमों के साथ या इकाइयां जो विकास, विकास और प्रचालन, या विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करते हैं; या (ग) किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की किसी भी इकाई की अनुमोदित व्यावसायिक गतिविधियाँ; या (घ) एक विमान या जहाज के रूप में किसी परिसंपत्ति का अंतरण, खंड (ग) में निर्दिष्ट इकाई द्वारा पट्टे पर दिया जाता है यदि ऐसी इकाई ने 31 मार्च, 2030 तक अपना व्यवसाय प्रचालन शुरू कर दिया था।

अनुलग्नक 4.1ए

{संदर्भित पैरा 4.1.3}

धारा 36(1)(vii), 36(1)(viiए), 36(1)(viii) के अंतर्गत अनुमेय कटौती के संबंध में आवश्यक अनुमतता मानदंड और जानकारी।		
कटौती	**अनुमतता मानदंड**	**आवश्यक सूचना/विवरण**
धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत अशोध्य ऋण	• केवल तभी उपलब्ध है जब राशि को खाता बही में वसूल के रूप में बट्टे खाते में डाला गया हो। • जहां पिछले वर्ष (वर्षों) में धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किसी भी प्रावधान की अनुमति है, वर्तमान नि.व. के अशोध्य ऋण दावे को अशोध्य और संदिग्ध ऋण खाते के प्रावधान के सापेक्ष समायोजित किया जाना चाहिए। • वास्तविक कटौती केवल धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के क्रेडिट शेष से अधिक राशि की सीमा तक ही उपलब्ध है।	खाता बही में वसूल के रूप में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के विषय में जानकारी, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत उपलब्ध अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की शेष राशि को अग्रनीत करती थी, जिसके सापेक्ष चालू वर्ष के अशोध्य ऋण दावे को समायोजित किया जा सकता था, धारा 36(1)(viiए) (चालू वर्ष की कटौती के बाद) के अंतर्गत प्रावधान खाते में शेष राशि की आवश्यकता होती है। यह निर्धारण अधिकारी को सक्षम करेगा यदि प्रपत्र 3 सीडी में कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में धारा 36(1)(viiए) के अनुसार सृजित किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋण खातों के प्रावधान के अंतर्गत उपलब्ध जमा शेष का वर्ष-वार विवरण भी सम्मिलित है। इस सूचना को अनुसूची सीएफएल और बीएफएलए एवं कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अंतर्गत मांगे जा रहे प्रत्येक नि.व. के लिए समान तर्ज पर स्पष्ट रूप से प्राप्त किया जा सकता है।
धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	इस प्रावधान के अंतर्गत कटौती, नियम 6एबीए[138] के प्रावधानों और इस खंड के अंतर्गत कटौती की अनुमति देने से पहले कुल आय के 8.5 *प्रतिशत* के अनुसार गणना किए गए कुल ग्रामीण अग्रिमों के दस *प्रतिशत* की सीमा तक उपलब्ध है। इसके अलावा, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती की कुल राशि, चालू वर्ष के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान की राशि तक सीमित होनी चाहिए।	आवश्यक सूचना में सम्मिलित हैं: • बही खातों के अनुसार वर्ष के दौरान वास्तव में सृजित किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान की राशि। • नियम 6एबीए के अनुसार गणना का विवरण, बैंकों के संबंध में ग्रामीण शाखाओं की संख्या का विवरण।

[138] यह अधिनियम की धारा 36(1)(viiए) के उद्देश्य के लिए अनुसूचित बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा सृजित किए गए कुल ग्रामीण अग्रिमों की गणना की पद्धति को निर्दिष्ट करता है।

धारा 36(1)(vii), 36(1)(viiए), 36(1)(viii) के अंतर्गत अनुमेय कटौती के संबंध में आवश्यक अनुमतता मानदंड और जानकारी।		
कटौती	**अनुमतता मानदंड**	**आवश्यक सूचना/विवरण**
		• धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अग्रेनीत प्रावधान खाते के सापेक्ष समायोजित चालू वर्ष के लिए अशोध्य ऋण दावों के समायोजन की सीमा की आवश्यकता है।
धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	अर्ह व्यवसाय के दीर्घकालिक वित्तपोषण के व्यवसाय में लगे निर्धारिती को "व्यवसाय आय" शीर्ष के अधीन संगणित लाभ और अभिलाभ के 20 *प्रतिशत* की सीमा तक उपलब्ध। तथापि, इस तरह की कटौती वर्ष के दौरान सृजित किए गए विशेष आरक्षित की राशि तक सीमित होनी चाहिए, और कटौती प्रदत्त शेयर पूंजी की राशि और निर्दिष्ट इकाई के सामान्य आरक्षित से दोगुनी से अधिक नहीं हो सकती है।	आवश्यक सूचना में सम्मिलित हैं: • बही खातों के अनुसार विशेष रिजर्व में अंतरण की गयी राशि का विवरण। • अर्ह व्यवसाय से लाभ की राशि। • प्रदत्त शेयर पूंजी की राशि। • निर्दिष्ट इकाई के सामान्य आरक्षित की आवश्यकता है।

अनुलग्नक 4.1

{संदर्भित पैरा 4.1.4}

लेखापरीक्षा में पाये गए मामले जहां कर के लिए देयता की समाप्ति का प्रस्ताव नहीं दिया गया था							
क्र. स.	**सीआईटी प्रभार**	**श्रेणी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**वास्तव में स्वीकृत अशोध्य ऋण (₹ करोड़ में)**	**उधारकर्ताओं द्वारा विचार की जाने वाली देयता की समाप्ति (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
1	पीसीआईटी-1 चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	ए13	2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19	14,928.15	14,928.15	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
2	पीसीआईटी, चेन्नई-4	सार्वजनिक बैंक	आई5	2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20	4,512.31	4,512.31	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
3	पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी3	2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20	2,314.51	2,314.51	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
4	पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी6	2013-14 2016-17 2017-18 2018-19	977.44	977.44	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
5	पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी5	2015-16 2016-17 2017-18 2018-19	431.37	431.37	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
6	पीसीआईटी-1 चेन्नई	एनबीएफ़सी	सी2	2018-19	96.88	96.88	उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2025)।
7	पीसीआईटी, चेन्नई-3	एनबीएफ़सी	एस32	2018-19	8.44	8.44	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
8	पीसीआईटी, चेन्नई-3	एनबीएफ़सी	एस19	2018-19	4.4	4.4	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

लेखापरीक्षा में पाये गए मामले जहां कर के लिए देयता की समाप्ति का प्रस्ताव नहीं दिया गया था							
क्र. स.	**सीआईटी प्रभार**	**श्रेणी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**वास्तव में स्वीकृत अशोध्य ऋण (₹ करोड़ में)**	**उधारकर्ताओं द्वारा विचार की जाने वाली देयता की समाप्ति (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
9	पीसीआईटी-1 चेन्नई	एनबीए फ़सी	एफ़1	2019-20	1.75	1.75	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
10	पीसीआईटी-1 चेन्नई	एनबीए फ़सी	एच12	2018-19	1,149.45	1,149.45	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
11	सीआईटी (आईटी एवं टीपी), कोलकाता	एनबीए फ़सी	एन6	2019-20	115	115	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
12	पीसीआईटी-1 वडोदरा	एनबीए फ़सी	एन2	2017-18	15.2	15.2	मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था (मार्च 2025)। लेखापरीक्षा प्रत्युत्तर के लिए इस प्रतिवेदन का पैरा 4.1.4 देखें।
13	पीसीआईटी-1 वडोदरा	एनबीए फ़सी	एन2	2018-19	33.91	33.91	
14	पीसीआईटी-3, अहमदाबाद	एनबीए फ़सी	जी4	2018-19	91.61	91.61	समापन बैठक के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया (जनवरी 2023)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
कुल					**24,680.42**	**24,680.42**	

अनुलग्नक 4.2

{संदर्भित पैरा 4.1.5}

अशोध्य ऋणों का दावा जो स्पष्ट नहीं है						
क्र. स.	**क्षेत्र**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**अशोध्य ऋण की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
1	अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	एन2	2016-17	31.99	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकार नहीं किया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	एन2	2018-19	26.20	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकार नहीं किया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
3	कोलकाता	एनबीएफ़सी	सी13	2017-18	4.5	मंत्रालय ने स्वीकार किया था (नवंबर 2025)। धारा 263 के अंतर्गत मार्च 2022 में उपचारात्मक कार्रवाई की गयी थी।
4	चेन्नई	एनबीएफ़सी	एस16	2017-18	4.82	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
5	चेन्नई	एनबीएफ़सी	एस6	2016-17	2,264.36	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
6	चेन्नई	एनबीएफ़सी	एस6	2017-18	3,627.59	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
7	चेन्नई	एनबीएफ़सी	एस6	2018-19	5,392.92	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
8	चेन्नई	एनबीएफ़सी	टी16	2017-18	35.15	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
9	चेन्नई	एनबीएफ़सी	टी16	2018-19	29.76	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
10	चेन्नई	एनबीएफ़सी	एस7	2016-17	599.89	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
11	चेन्नई	एनबीएफ़सी	एस7	2017-18	1,236.18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
12	चेन्नई	एनबीएफ़सी	एस7	2018-19	1,781.11	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
13	चेन्नई	एनबीएफ़सी	आर8	2018-19	157.6	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
14	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2014-15	9.11	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
15	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2015-16	599.30	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
16	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2018-19	3,903.90	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
17	चेन्नई	निजी बैंक	टी6	2013-14	46.21	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
18	चेन्नई	निजी बैंक	टी6	2016-17	96.55	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
19	चेन्नई	निजी बैंक	टी6	2017-18	241.72	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
20	चेन्नई	निजी बैंक	टी6	2018-19	592.95	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
21	चेन्नई	निजी बैंक	टी3	2015-16	342.67	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

अशोध्य ऋणों का दावा जो स्पष्ट नहीं है						
क्र. स.	**क्षेत्र**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**अशोध्य ऋण की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
22	चेन्नई	निजी बैंक	टी3	2016-17	223.96	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
23	चेन्नई	निजी बैंक	टी3	2018-19	817.51	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
24	चेन्नई	निजी बैंक	टी3	2019-20	806.88	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
25	चेन्नई	निजी बैंक	टी5	2015-16	17.92	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
26	चेन्नई	निजी बैंक	टी5	2016-17	89.88	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
27	चेन्नई	निजी बैंक	टी5	2017-18	25.35	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
28	चेन्नई	निजी बैंक	टी5	2018-19	298.2	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
29	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	ए13	2014-15	785.23	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
30	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	ए13	2015-16	1,697.68	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
31	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	ए13	2016-17	1,842.70	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
32	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	ए13	2017-18	2,123.74	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
33	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	ए13	2018-19	8,088.20	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
34	चेन्नई	एनबीएफ़सी	डी7	2016-17	10.10	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
35	चेन्नई	एनबीएफ़सी	डी7	2017-18	15.94	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
36	चेन्नई	एनबीएफ़सी	डी7	2018-19	14.75	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
37	चेन्नई	एनबीएफ़सी	एफ़1	2018-19	3.38	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
38	चेन्नई	एनबीएफ़सी	एफ़1	2019-20	1.75	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
39	चेन्नई	एनबीएफ़सी	एफ़4	2019-20	6.89	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
40	चेन्नई	एनबीएफ़सी	एफ़3	2019-20	30.99	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
41	चेन्नई	एनबीएफ़सी	एच12	2014-15	66.01	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
42	चेन्नई	एनबीएफ़सी	एच12	2016-17	118.48	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
43	चेन्नई	एनबीएफ़सी	एच12	2017-18	108.96	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
44	चेन्नई	एनबीएफ़सी	एच12	2018-19	387.41	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
45	चेन्नई	एनबीएफ़सी	एच12	2019-20	480.54	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
46	केरल	निजी बैंक	टी10	2015-16	294.77	आयकर विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2022) कि विजया बैंक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, अशोध्य ऋणों को अनुमत करने के लिए आवश्यक नहीं कि उधारकर्ताओं के व्यक्तिगत खातों से अशोध्य ऋणों को कम
47	केरल	निजी बैंक	टी10	2016-17	93.73	
48	केरल	निजी बैंक	टी10	2017-18	84.68	
49	केरल	एनबीएफ़सी	ई7	2018-19	31.99	

अशोध्य ऋणों का दावा जो स्पष्ट नहीं है						
क्र. स.	**क्षेत्र**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**अशोध्य ऋण की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
						किया जाए बल्कि तुलन-पत्र में अग्रिमों को कुल से कम कर देना भी पर्याप्त अनुपालन होगा। दिनांक 04.08.2023 को केरल उच्च न्यायालय के आदेश को प्रभावी करने के लिए जारी किए गए आदेश के माध्यम से नि.व. 2015-16 के लिए उपचारात्मक कार्रवाई को दिनांक 08.11.2023 को पूरा कर लिया गया था।
कुल					**39,592.10**	

अनुलग्नक 4.3

{संदर्भित पैरा 4.1.6}

एनबीएफसी के संबंध में धारा 43डी के अंतर्गत एनपीए पर ब्याज का कर प्रशोधन					
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**श्रेणी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**विभाग का नाम**
1	मुंबई पीसीआईटी-14, मुंबई	एनबीएफ़सी	आई12	2019-20	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
2	मुंबई पीसीआईटी-सीसी-1, मुंबई	एनबीएफ़सी	आई29	2017-18	स्वीकृत नहीं (अप्रैल 2022)। प्रत्युत्तर जारी किया गया था (जून 2022)।
3	मुंबई पीसीआईटी-1, मुंबई	एनबीएफ़सी	एस26	2017-18	स्वीकृत (दिसंबर 2023)। धारा 263 के अंतर्गत दिनांक 29.03.2023 तक उपचारात्मक कार्रवाई पूरी की गयी थी।
4	मुंबई पीसीआईटी-1, मुंबई	एनबीएफ़सी	एस26	2018-19	उत्तर के अनुसार (मई 2024)। उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गयी थी। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
5	मुंबई पीसीआईटी- 15, मुंबई	एनबीएफ़सी	एस31	2017-18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
6	मुंबई पीसीआईटी-6, मुंबई	एनबीएफ़सी	जे1	2018-19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
7	मुंबई पीसीआईटी-14, मुंबई	एनबीएफ़सी	आर5	2017-18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
8	मुंबई पीसीआईटी-14, मुंबई	एनबीएफ़सी	सी11	2017-18	क्षेत्र सत्यापन के अनुसार लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने धारा 144बी के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की है (फरवरी 2025)।
9	मुंबई पीसीआईटी-14, मुंबई	एनबीएफ़सी	सी11	2018-19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
10	मुंबई पीसीआईटी-3, मुंबई	एनबीएफ़सी	ई5	2018-19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
11	मुंबई पीसीआईटी-3, मुंबई	एनबीएफ़सी	ई5	2017-18	जैस कि पैरा 4.1.6, बॉक्स 4.3 (क) में विवरण दिया गया है, इसे स्वीकृत नहीं किया गया था (मई 2024)।
12	मुंबई पीसीआईटी-14, मुंबई	एनबीएफ़सी	आई25	2017-18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

एनबीएफसी के संबंध में धारा 43डी के अंतर्गत एनपीए पर ब्याज का कर प्रशोधन					
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**श्रेणी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**विभाग का नाम**
13	मुंबई पीसीआईटी-14, मुंबई	एनबीएफ़सी	एल4	2018-19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
14	गुजरात पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	एच10	2017-18	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान विभाग ने उत्तर दिया कि ऐसे मामलों की अग्रेतर जांच करने की आवश्यकता है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
15	गुजरात पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	एच10	2018-19	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान विभाग ने उत्तर दिया कि ऐसे मामलों की अग्रेतर जांच करने की आवश्यकता है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
16	गुजरात पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	एच10	2019-20	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान विभाग ने उत्तर दिया कि ऐसे मामलों की अग्रेतर जांच करने की आवश्यकता है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
17	गुजरात पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	एफ़2	2017-18	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान विभाग ने उत्तर दिया कि ऐसे मामलों की अग्रेतर जांच करने की आवश्यकता है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
18	गुजरात पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	एफ़2	2018-19	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान विभाग ने उत्तर दिया कि ऐसे मामलों की अग्रेतर जांच करने की आवश्यकता है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
19	गुजरात पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	एम4	2017-18	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान विभाग ने उत्तर दिया कि ऐसे मामलों की अग्रेतर जांच करने की आवश्यकता है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
20	गुजरात पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	एम4	2018-19	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान विभाग ने उत्तर दिया कि ऐसे मामलों की अग्रेतर जांच करने की आवश्यकता है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

एनबीएफसी के संबंध में धारा 43डी के अंतर्गत एनपीए पर ब्याज का कर प्रशोधन					
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**श्रेणी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**विभाग का नाम**
21	राजस्थान पीसीआईटी-1, जयपुर	एनबीएफ़सी	ए5	2016-17	विभाग ने स्वीकार किया (नवंबर 2025) और कहा कि धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई पूरी की जा चुकी है (मार्च 2024)।
22	राजस्थान पीसीआईटी-1, जयपुर	एनबीएफ़सी	ए5	2017-18	उत्तर के अनुसार, धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गयी थी। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
23	राजस्थान पीसीआईटी-1, जयपुर	एनबीएफ़सी	ई2	2016-17	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
24	राजस्थान पीसीआईटी-1, जयपुर	एनबीएफ़सी	ई2	2017-18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
25	राजस्थान पीसीआईटी-1, जयपुर	एनबीएफ़सी	ई2	2018-19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
26	राजस्थान पीसीआईटी-1, जयपुर	एनबीएफ़सी	ई2	2019-20	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
27	राजस्थान पीसीआईटी-2, जयपुर	एनबीएफ़सी	एन3	2017-18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
28	दिल्ली पीसीआईटी-4, दिल्ली	एनबीएफ़सी	आई1	2017-18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
29	दिल्ली पीसीआईटी-4, दिल्ली	एनबीएफ़सी	एच1	2017-18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
30	दिल्ली पीसीआईटी-4, दिल्ली	एनबीएफ़सी	एच1	2018-19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
31	दिल्ली पीसीआईटी-4, दिल्ली	एनबीएफ़सी	एच1	2019-20	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
32	दिल्ली पीसीआईटी-7, दिल्ली	एनबीएफ़सी	एस2	2017-18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
33	दिल्ली पीसीआईटी-7, दिल्ली	एनबीएफ़सी	एस2	2018-19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
34	दिल्ली पीसीआईटी-7, दिल्ली	एनबीएफ़सी	पी6	2018-19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
35	दिल्ली पीसीआईटी-7, दिल्ली	एनबीएफ़सी	पी6	2019-20	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
36	दिल्ली पीसीआईटी-4, दिल्ली	एनबीएफ़सी	आई21	2017-18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
37	दिल्ली पीसीआईटी-4, दिल्ली	एनबीएफ़सी	आई21	2018-19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

एनबीएफसी के संबंध में धारा 43डी के अंतर्गत एनपीए पर ब्याज का कर प्रशोधन					
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**श्रेणी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**विभाग का नाम**
38	दिल्ली पीसीआईटी-4, दिल्ली	एनबीएफ़सी	आई21	2019-20	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
39	दिल्ली पीसीआईटी-4, दिल्ली	एनबीएफ़सी	आर1	2017-18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
40	दिल्ली पीसीआईटी-4, दिल्ली	एनबीएफ़सी	आर1	2018-19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
41	ग्वालियर पीसीआईटी-1, भोपाल	एनबीएफ़सी	सी7	2018-19	स्वीकृत नहीं (जुलाई 2024)। नवंबर 2024 में प्रत्युत्तर जारी किया गया था।
42	ग्वालियर पीसीआईटी-1, भोपाल	एनबीएफ़सी	सी7	2019-20	स्वीकृत नहीं (जुलाई 2024)। नवंबर 2024 में प्रत्युत्तर जारी किया गया था।
43	ग्वालियर पीसीआईटी-1, भोपाल	एनबीएफ़सी	सी7	2017-18	दिनांक 23.02.2024 को ₹ 14.86 करोड़ की समान आय पर आईटी अधिनियम की धारा 147/144 के अंतर्गत आदेश पारित करके इस मामले में उपचारात्मक कार्रवाई की गई है। विभाग द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई के संदर्भ में जुलाई 2024 में विभाग को प्रत्युत्तर पत्र जारी किया गया है।अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
44	ग्वालियर पीसीआईटी-1, इंदौर	एनबीएफ़सी	एम12	2017-18	स्वीकृत नहीं[139] (जनवरी 2025)। विभाग को प्रत्युत्तर जारी किया गया था (जनवरी 2025)। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
45	ग्वालियर पीसीआईटी-1, इंदौर	एनबीएफ़सी	एम12	2018-19	

[139] विभाग ने यह बताते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया है [क्र.सं.44, 45, 46] कि राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी) होने के नाते निर्धारिती अधिनियम की धारा 43डी के प्रावधानों द्वारा शासित था और इसलिए, ब्याज आय की ऐसे अशोध्य या संदिग्ध ऋणों की श्रेणियों पर गणना की जानी चाहिए, जिसमें ऋणों (अर्थात गैर-निष्पादित प्राप्ति परिसंपत्तियों) पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों को संज्ञान में रखा जाना चाहिए, जिन्हें उनके वास्तविक महत्व के आधार पर मान्यता दी जानी चाहिए। निर्धारिती ने विशेष रूप से मान्यता प्राप्त लेखाकरण नीतियों (अनुसूची यू) में अपने नोट 2 में यह भी उल्लेख किया है कि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर राजस्व को धारा 43डी के अनुसार वसूली के आधार पर मान्यता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इसे सीआईटी बनाम यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम के मामले में न्यायिक रूप से कहा गया है कि एसएफसी नकद आधार पर अशोध्य ऋणों पर ब्याज के लिए गणना का हकदार है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूको बैंक बनाम आयकर आयुक्त (1999) 237 आईटीआर 889 (एससी) के मामले में कहा गया है कि एक वित्तीय संस्थान के मामले में अशोध्य या संदिग्ध ऋणों पर ब्याज केवल प्राप्ति के आधार पर कर देय है। लेखापरीक्षा ने आयकर विभाग को एक प्रत्युत्तर पत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि राजस्व मान्यता पर आईसीडीएस-IV के अनुसार, नि.व. 2017-18 से प्रभावी 29.09.2016 से अधिसूचित, और दिनांक 23 मार्च 2017 को जारी वर्ष 2017 के परिपत्र संख्या 10 के प्रश्न 2 के अंतर्गत, सीबीडीटी द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, ब्याज आय को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जानी है।

एनबीएफसी के संबंध में धारा 43डी के अंतर्गत एनपीए पर ब्याज का कर प्रशोधन					
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**श्रेणी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**विभाग का नाम**
46	ग्वालियर पीसीआईटी-1, इंदौर	एनबीएफ़सी	एम12	2019-20	
47	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	एनबीएफ़सी	एस6	2017-18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
48	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	एनबीएफ़सी	एस6	2018-19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
49	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	एनबीएफ़सी	एस7	2017-18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
50	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	एनबीएफ़सी	एस7	2018-19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
51	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एनबीएफ़सी	सी2	2017-18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
52	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एनबीएफ़सी	सी2	2018-19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
53	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	एनबीएफ़सी	सी12	2017-18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
54	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	एनबीएफ़सी	सी14	2017-18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
55	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	एनबीएफ़सी	सी14	2018-19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
56	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	एनबीएफ़सी	सी8	2017-18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
57	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	एनबीएफ़सी	सी8	2018-19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
58	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	एनबीएफ़सी	टी20	2017-18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
59	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	एनबीएफ़सी	वी1	2017-18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
60	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	एनबीएफ़सी	वी1	2018-19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
61	बेंगलूरु पीसीआईटी-3 बेंगलूरु	एनबीएफ़सी	एच9	2017-18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
62	बेंगलूरु पीसीआईटी-3 बेंगलूरु	एनबीएफ़सी	एच9	2018-19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
63	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	एनबीएफ़सी	एस4	2018-19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

अनुलग्नक 4.4

{संदर्भित पैरा 4.2.1}

धारा 43डी के प्रावधानों के साथ आयकर नियम 6ईए में अस्पष्टता, जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य कानूनी विवाद हुआ						
क्र.सं.	**क्षेत्र**	**श्रेणी**	**बैंक का नाम**	**नि.व.**	**धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण की तिथि**	**अमान्य राशि (₹ करोड़ में)**
1	मुंबई	निजी बैंक	आई24	2016-17	29.12.2018	867.33
2	मुंबई	निजी बैंक	आई24	2017-18	27.12.2019	109.53
3	मुंबई	निजी बैंक	आई24	2018-19	15.09.2021	99.00
4	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	यू1	2016-17	15.03.2019	236.22
5	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	यू1	2017-18	26.12.2019	230.97
6	मुंबई	निजी बैंक	आई4	2015-16	12.02.2019	47.05
7	मुंबई	निजी बैंक	आई4	2016-17	14.02.2020	139.34
8	मुंबई	निजी बैंक	आई4	2017-18	18.11.2021	171.84
9	मुंबई	निजी बैंक	आई4	2018-19	25.11.2021	633.67
10	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस8	2016-17	27.03.2018	103.05
11	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस8	2017-18	16.03.2019	62.2
12	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस8	2018-19	20.03.2020	177.62
13	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस18	2016-17	14.03.2018	6.65
14	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस18	2017-18	06.03.2019	6.70
15	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस17	2017-18	06-03-2019	9.65
16	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस13	2016-17	30.11.2018	9.76
17	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस13	2017-18	26.12.2019	13.39
18	मुंबई	निजी बैंक	वाई1	2016-17	12.27.2018	16.8
19	मुंबई	निजी बैंक	वाई1	2017-18	12.28.2019	53.17
20	मुंबई	निजी बैंक	वाई1	2018-19	29.02.2020	24.77

धारा 43डी के प्रावधानों के साथ आयकर नियम 6ईए में अस्पष्टता, जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य कानूनी विवाद हुआ						
क्र.सं.	**क्षेत्र**	**श्रेणी**	**बैंक का नाम**	**नि.व.**	**धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण की तिथि**	**अमान्य राशि (₹ करोड़ में)**
21	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	सी4	2017-18	28.12.2019	135.91
22	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	सी4	2018-19	22.04.2021	109.08
23	मुंबई	निजी बैंक	के1	2016-17	28.12.2018	10.48
24	मुंबई	निजी बैंक	के1	2017-18	27.12.2019	19.06
25	मुंबई	निजी बैंक	के1	2018-19	23.04.2021	21.43
26	मुंबई	निजी बैंक	डी2	2017-18	25.12.2019	2.23
27	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	डी3	2017-18	26.12.2019	58.03
28	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	डी3	2018-19	21.04.2021	37.55
29	मुंबई	निजी बैंक	आई7	2016-17	29.12.2019	5.17
30	मुंबई	निजी बैंक	आई7	2017-18	29.12.2019	15.06
31	मुंबई	निजी बैंक	आई7	2018-19	24.05.2021	21.82
32	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	वी3	2018-19	29.02.2020	44.86
33	अहमदाबाद	निजी बैंक	ए6	2011-12	15.11.2018	11.17
34	अहमदाबाद	निजी बैंक	ए6	2012-13	15.11.2018	30.41
35	अहमदाबाद	निजी बैंक	ए6	2015-16	02.02.2018	40.57
36	अहमदाबाद	निजी बैंक	ए6	2016-17	28.01.2020	61.38
कुल						**3,642.92**

अनुलग्नक 4.5

{संदर्भित पैरा 4.3.1}

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र / पीसीआईटी प्रभार**	**निर्धारिती के बैंक का नाम /एनबीएफ़सी नि.व.**	**दावा किए गए कुल अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ दावा किए गए अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ अनुमत किए गए अशोध्य ऋण**	**विभाग का उत्तर**
1	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	एच4 निजी बैंक नि.व. 2017-18	2,385.93	1,007.22	1,007.22	स्वीकृत (जून 2022)
2	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	एच4 निजी बैंक नि.व. 2018-19	3,265.83	685.25	685.25	स्वीकृत (जून 2022)
3	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	एच4 निजी बैंक नि.व. 2019-20	4,580.38	उपलब्ध नहीं*	उपलब्ध नहीं*	स्वीकृत (जून 2022)
4	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	आई7 निजी बैंक नि.व. 2017-18	560.35	63.58	63.58	स्वीकृत (जून 2022)
5	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	आई7 निजी बैंक नि.व. 2018-19	1,010.55	262.22	262.22	स्वीकृत (जून 2022)
6	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	आई7 निजी बैंक नि.व. 2019-20	2,152.36	51.30	51.30	स्वीकृत (जून 2022)
7	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	के1 निजी बैंक नि.व. 2017-18	383.98	0	0	स्वीकृत (जून 2022)
8	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	के1 निजी बैंक नि.व. 2018-19	395.63	42.43	42.43	स्वीकृत (जून 2022)
9	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	के1 निजी बैंक नि.व. 2019-20	218.31	उपलब्ध नहीं*	उपलब्ध नहीं*	स्वीकृत (जून 2022)

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र / पीसीआईटी प्रभार**	**निर्धारिती के बैंक का नाम /एनबीएफ़सी नि.व.**	**दावा किए गए कुल अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ दावा किए गए अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ अनुमत किए गए अशोध्य ऋण**	**विभाग का उत्तर**
10	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	आई4 निजी बैंक नि.व. 2017-18	12,891.19	1,988.55	1,988.55	स्वीकृत (जून 2022)
11	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	आई4 निजी बैंक नि.व. 2018-19	8,720.60	2,512.29	2,512.29	स्वीकृत (जून 2022)
12	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	आई4 निजी बैंक नि.व. 2019-20	10,696.43	उपलब्ध नहीं*	उपलब्ध नहीं*	स्वीकृत (जून 2022)
13	मुंबई पीसीआईटी-3, मुंबई	आई24 निजी बैंक नि.व. 2017-18	3,029.21	110.65	110.65	स्वीकृत (जून 2022)
14	मुंबई पीसीआईटी-3, मुंबई	आई24 निजी बैंक नि.व. 2018-19	12,500.97	964.62	964.62	स्वीकृत (जून 2022)
15	मुंबई पीसीआईटी-3, मुंबई	आई24 निजी बैंक नि.व. 2019-20	16,053.24	उपलब्ध नहीं*	उपलब्ध नहीं*	स्वीकृत (जून 2022)
16	मुंबई पीसीआईटी-14, मुंबई	आर5 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	156.07	33.91	33.91	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
17	मुंबई पीसीआईटी-14, मुंबई	सी11 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	7.55	7.55	7.55	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
18	मुंबई पीसीआईटी-4, मुंबई	आई23 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	0.12	0.12	0.12	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
19	मुंबई पीसीआईटी-4, मुंबई	आई23 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	4.55	4.55	4.55	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
20	मुंबई पीसीआईटी-6, मुंबई	एल4 एनबीएफ़सी नि.व. 2019-20	554.11	554.11	554.11	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र / पीसीआईटी प्रभार**	**निर्धारिती के बैंक का नाम /एनबीएफ़सी नि.व.**	**दावा किए गए कुल अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ दावा किए गए अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ अनुमत किए गए अशोध्य ऋण**	**विभाग का उत्तर**
21	मुंबई पीसीआईटी-6, मुंबई	आर5 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	114.62	45.55	45.55	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
22	मुंबई पीसीआईटी-8, मुंबई	आर9 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19 से 2019-20	307.46	17.97	17.97	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
23	मुंबई पीसीआईटी-3, मुंबई	ई 5 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	217.21	217.21	217.21	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
24	मुंबई पीसीआईटी-3, मुंबई	वी7 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18 से 2019-20	112.66	52.81	52.81	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
25	मुंबई पीसीआईटी-1, मुंबई	टी19 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	163.13	163.13	163.13	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
26	मुंबई पीसीआईटी-1. मुंबई	टी19 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	345.52	345.52	345.52	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
27	मुंबई पीसीआईटी-1, मुंबई	टी19 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	625.01	625.01	625.01	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
28	मुंबई पीसीआईटी-1, मुंबई	टी19 एनबीएफ़सी नि.व. 2019-20	514.08	514.08	514.08	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
29	मुंबई पीसीआईटी-8, मुंबई	आर9 एनबीएफ़सी 2016-17	3.76	1.67	1.67	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
30	अहमदाबाद पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	ए6 निजी बैंक *नि.व. 2015-16	1,193.170	376.68	376.68	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकृत नहीं किया गया था। अग्रेतर

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र / पीसीआईटी प्रभार**	**निर्धारिती के बैंक का नाम /एनबीएफ़सी नि.व.**	**दावा किए गए कुल अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ दावा किए गए अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ अनुमत किए गए अशोध्य ऋण**	**विभाग का उत्तर**
						विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
31	अहमदाबाद पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एच10 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	116.55	116.55	116.55	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकृत नहीं किया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
32	अहमदाबाद पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एच10 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	224.81	224.81	224.81	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकृत नहीं किया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
33	अहमदाबाद पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एच10 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	376.66	376.66	376.66	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकृत नहीं किया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
34	अहमदाबाद पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एच10 एनबीएफ़सी नि.व. 2019-20	12.55	12.55	12.55	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकृत नहीं किया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
35	अहमदाबाद पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एम4 एनबीएफ़सी नि.व. 2015-16	15.71	15.71	15.71	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकृत नहीं किया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र / पीसीआईटी प्रभार**	**निर्धारिती के बैंक का नाम /एनबीएफ़सी नि.व.**	**दावा किए गए कुल अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ दावा किए गए अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ अनुमत किए गए अशोध्य ऋण**	**विभाग का उत्तर**
36	अहमदाबाद पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एम4 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	20.17	20.17	20.17	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकृत नहीं किया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
37	अहमदाबाद पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एम4 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	21.52	21.52	21.52	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकृत नहीं किया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
38	अहमदाबाद पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एम4 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	37.16	37.16	37.16	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकृत नहीं किया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
39	जयपुर पीसीआईटी-1 जयपुर	ए19 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	2.86	2.86	2.86	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
40	जयपुर पीसीआईटी-1 जयपुर	ए19 एनबीएफ़सी नि.व. 2019-20	3.27	3.27	3.27	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
41	जयपुर पीसीआईटी-1 जयपुर	ई2 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	1.73	1.07	1.07	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
42	जयपुर पीसीआईटी-1 जयपुर	ई2 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	7.13	5.05	5.05	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
43	जयपुर पीसीआईटी-1 जयपुर	ई2 एनबीएफ़सी नि.व. 2019-20	12.84	9.53	9.53	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र / पीसीआईटी प्रभार**	**निर्धारिती के बैंक का नाम /एनबीएफ़सी नि.व.**	**दावा किए गए कुल अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ दावा किए गए अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ अनुमत किए गए अशोध्य ऋण**	**विभाग का उत्तर**
44	हैदराबाद सर्किल 3(1), हैदराबाद	एस28 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	10.68	10.68	10.68	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
45	हैदराबाद वार्ड 2(1) हैदराबाद	आई11 एनबीएफ़सी नि.व. 2019-20	0.12	0.12	0.12	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
46	हैदराबाद वार्ड 17(1) हैदराबाद	वी4 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	0.11	0.11	0.11	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
47	हैदराबाद वार्ड 16(1) हैदराबाद	पी11 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	0.84	0.84	0.84	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
48	हैदराबाद वार्ड 16(1) हैदराबाद	पी11 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	0.84	0.84	0.84	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
49	हैदराबाद सर्किल 1(1) हैदराबाद	के2 एनबीएफ़सी नि.व. 2015-16	0.04	0.04	0.04	स्वीकार नहीं किया गया था (जुलाई 2022)। विभाग ने कहा कि आईटीआर-6 प्रारूप के अनुसार, निर्धारिती के पैन का उल्लेख केवल तभी किया जाना है जब यह उपलब्ध हो और यह अनिवार्य न हो। तथापि, मंत्रालय ने अपने उत्तर (सितंबर 2024) में कहा है कि अशोध्य ऋणों की कटौती का दावा करते समय रिटर्न में उधारकर्ताओं के पैन का विवरण अनिवार्य है।
50	हैदराबाद सर्किल 1(1) हैदराबाद	के2 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	1.79	1.79	1.79	
51	हैदराबाद सर्कल 1(1) हैदराबाद	के2 एनबीएफ़सी नि.व. 2019-20	3.10	3.10	3.10	

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	क्षेत्र / पीसीआईटी प्रभार	निर्धारिती के बैंक का नाम /एनबीएफ़सी नि.व.	दावा किए गए कुल अशोध्य ऋण	जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ दावा किए गए अशोध्य ऋण	जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ अनुमत किए गए अशोध्य ऋण	विभाग का उत्तर
52	हैदराबाद सर्किल 1(1) हैदराबाद	ए7 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	148.91	148.91	148.91	विभाग ने अपने उत्तर में कहा (अगस्त 2022) कि धारा 133 (6) के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाएगा। तथापि, मंत्रालय ने अपने उत्तर (सितंबर 2024) में कहा है कि अशोध्य ऋणों की कटौती का दावा करते समय रिटर्न में उधारकर्ताओं के पैन का विवरण अनिवार्य है।
53	हैदराबाद सर्किल 1(1) हैदराबाद	ए7 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	120.50	120.50	120.50	
54	हैदराबाद सर्किल 1(1) हैदराबाद	ए7 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	120.25	120.25	120.25	
55	हैदराबाद सर्किल 1(1) हैदराबाद	ए7 एनबीएफ़सी नि.व. 2019-20	107.34	107.34	107.34	
56	हैदराबाद सर्किल 2(1) हैदराबाद	के8 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	2.62	2.62	2.62	स्वीकृत नहीं (मई 2024)। विभाग ने यह कहते हुए आपत्ति को अस्वीकार कर दिया कि आईटीआर प्रारूप के अनुसार, पैन का उद्धरण अनिवार्य नहीं है, भले ही इसमें ₹1 लाख से अधिक की राशि सम्मिलित हो। हालांकि, मंत्रालय ने अपने उत्तर (सितंबर 2024) में कहा है कि अशोध्य ऋणों की कटौती का दावा करते समय रिटर्न में उधारकर्ताओं के पैन का विवरण अनिवार्य है।
57	हैदराबाद सर्किल 2(1) हैदराबाद	जे2 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	1.51	1.51	1.51	
58	हैदराबाद सर्किल 2(1)	जे2 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	5.49	5.49	5.49	
59	दिल्ली पीसीआईटी-4	आई18 एनबीएफ़सी 2015-16	734.63	734.63	734.63	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण						**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**क्षेत्र / पीसीआईटी प्रभार**	**निर्धारिती के बैंक का नाम /एनबीएफ़सी नि.व.**	**दावा किए गए कुल अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ दावा किए गए अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ अनुमत किए गए अशोध्य ऋण**	**विभाग का उत्तर**
60	दिल्ली पीसीआईटी-4	आई18 एनबीएफ़सी 2016-17	560.48	560.48	560.48	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
61	दिल्ली पीसीआईटी-4	एच1 एनबीएफ़सी 2016-17	4.28	4.28	4.28	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
62	दिल्ली पीसीआईटी-4	एच1 एनबीएफ़सी 2017-18	9.67	9.67	9.67	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
63	दिल्ली पीसीआईटी-4	एच1 एनबीएफ़सी 2018-19	82.98	0.64	0.64	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
64	दिल्ली पीसीआईटी-1	ए1 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	0.13	0.13	0.13	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
65	दिल्ली पीसीआईटी-1	ए2 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	0.62	0.62	0.62	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
66	दिल्ली पीसीआईटी-7	ओ3 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	0.02	0.02	0.02	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
67	दिल्ली पीसीआईटी-7	टी2 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	0.39	0.39	0.39	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
68	दिल्ली पीसीआईटी-7	टी2 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	0.88	0.88	0.88	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
69	दिल्ली पीसीआईटी-7	टी1 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	8.38	8.38	8.38	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
70	दिल्ली पीसीआईटी-7	टी1 एनबीएफ़सी 2017-18	4.57	4.57	4.57	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण						**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**क्षेत्र / पीसीआईटी प्रभार**	**निर्धारिती के बैंक का नाम /एनबीएफ़सी नि.व.**	**दावा किए गए कुल अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ दावा किए गए अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ अनुमत किए गए अशोध्य ऋण**	**विभाग का उत्तर**
71	दिल्ली पीसीआईटी-7	वी2 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	7.35	7.35	7.35	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
72	दिल्ली पीसीआईटी-4	जी1 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	0.02	0.02	0.02	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
73	दिल्ली पीसीआईटी-7	एस22 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	201.94	201.94	201.94	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
74	दिल्ली पीसीआईटी-7	एस22 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	329.15	329.15	329.15	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
75	दिल्ली पीसीआईटी-7	आर10 एनबीएफ़सी नि.व. 2015-16	112.09	112.09	112.09	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
76	दिल्ली पीसीआईटी-7	आर10 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	63.67	63.17	63.17	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
77	दिल्ली पीसीआईटी-7	आर10 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	956.50	956.50	956.50	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
78	दिल्ली पीसीआईटी-7	आर10 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	123.65	123.65	123.65	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
79	दिल्ली पीसीआईटी-7	पी6 एनबीएफ़सी नि.व. 2015-16	1.02	1.02	1.02	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
80	दिल्ली पीसीआईटी-7	पी6 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	18.30	18.30	18.30	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
81	दिल्ली पीसीआईटी-7	पी3 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	7.66	7.66	7.66	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण						**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**क्षेत्र / पीसीआईटी प्रभार**	**निर्धारिती के बैंक का नाम /एनबीएफ़सी नि.व.**	**दावा किए गए कुल अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ दावा किए गए अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ अनुमत किए गए अशोध्य ऋण**	**विभाग का उत्तर**
82	दिल्ली सीआईटी (आईटी)-2	एम9 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	97.65	97.65	97.65	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
83	गुवाहाटी एसीआईटी सर्कल-2, गुवाहाटी	एन1 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	25.36	25.36	25.36	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
84	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	यू2 सार्वजनिक बैंक नि.व. 2010-11	327.48	327.48	327.48	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
85	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	यू2 सार्वजनिक बैंक नि.व. 2011-12	570.02	570.02	570.02	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
86	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	यू2 सार्वजनिक बैंक नि.व. 2012-13	333.16	333.16	333.16	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
87	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	यू2 सार्वजनिक बैंक नि.व. 2018-19	7,343.38	7,343.38	7,343.38	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
88	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	वी1 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	12.80	12.68	12.68	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
89	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	वी1 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	48.72	48.26	48.26	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
90	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	यू4 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	3.65	3.65	3.65	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
91	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	सी8 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	0.85	0.85	0.85	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र / पीसीआईटी प्रभार**	**निर्धारिती के बैंक का नाम /एनबीएफ़सी नि.व.**	**दावा किए गए कुल अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ दावा किए गए अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ अनुमत किए गए अशोध्य ऋण**	**विभाग का उत्तर**
92	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	सी8 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	5.54	5.54	5.54	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
93	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	एस15 सार्वजनिक बैंक नि.व. 2015-16	42.17	42.17	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
94	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	एस15 सार्वजनिक बैंक नि.व. 2016-17	83.12	83.12	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
95	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	एस15 सार्वजनिक बैंक नि.व. 2017-18	148.50	148.50	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
96	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	एस15 सार्वजनिक बैंक नि.व. 2019-20	1,030.64	1,030.64	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
97	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	के3 एनबीएफ़सी नि.व. 2015-16	252.12	252.12	252.12	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
98	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	के3 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	2.57	2.57	2.57	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
99	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	के3 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	0.35	0.35	0.35	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
100	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	के3 एनबीएफ़सी नि.व. 2019-20	72.25	72.25	72.25	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
101	बेंगलूरु पीसीआईटी-3 बेंगलूरु	एच9 एनबीएफ़सी नि.व. 2014-15	82.98	82.98	82.98	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
102	बेंगलूरु पीसीआईटी-3 बेंगलूरु	एच9 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	97.44	97.44	97.44	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र / पीसीआईटी प्रभार**	**निर्धारिती के बैंक का नाम /एनबीएफ़सी नि.व.**	**दावा किए गए कुल अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ दावा किए गए अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ अनुमत किए गए अशोध्य ऋण**	**विभाग का उत्तर**
103	बेंगलूरु पीसीआईटी-3 बेंगलूरु	एच9 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	0.02	0.02	0.02	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
104	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	सी6 सार्वजनिक बैंक नि.व. 2018-19	11,024.95	11,024.95	शून्य	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
105	बेंगलूरु पीसीआईटी-2 बेंगलूरु	सी6 सार्वजनिक बैंक नि.व. 2019-20	12,188.77	12,188.77	शून्य	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
106	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एफ़1 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	3.38	3.38	3.38	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
107	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एफ़1 एनबीएफ़सी नि.व. 2019-20	1.75	0.30	0.30	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
108	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	डी7 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	14.75	14.75	14.75	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
109	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एच12 एनबीएफ़सी नि.व. 2014-15	66.01	51.49	51.49	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
110	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एच12 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	118.48	118.48	118.48	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
111	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एच12 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	108.96	108.96	108.96	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
112	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एच12 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	387.41	387.41	387.41	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
113	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-4	आर8 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	15.77	15.73	15.73	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र / पीसीआईटी प्रभार**	**निर्धारिती के बैंक का नाम /एनबीएफ़सी नि.व.**	**दावा किए गए कुल अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ दावा किए गए अशोध्य ऋण**	**जहां पैन उपलब्ध नहीं है वहाँ अनुमत किए गए अशोध्य ऋण**	**विभाग का उत्तर**
114	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	एस6 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	2,264.36	2,264.36	2,264.36	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
115	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	एस6 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	3,627.59	3,627.59	3,627.59	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
116	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	एस6 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	5,392.92	5,392.92	5,392.92	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
117	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	टी16 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	35.15	33.47	33.47	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
118	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	टी16 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	29.76	28.61	28.61	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
119	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	एस7 एनबीएफ़सी नि.व. 2016-17	599.89	599.89	599.89	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
120	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	एस7 एनबीएफ़सी नि.व. 2017-18	1,236.18	1,236.18	1,236.18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
121	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	एस7 एनबीएफ़सी नि.व. 2018-19	1,781.11	1,781.11	1,781.11	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
122	चेन्नई पीसीआईटी, मदुरै-1	टी3 निजी बैंक नि.व. 2016-17	68.28	68.28	68.28	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
123	चेन्नई पीसीआईटी, मदुरै-1	टी3 निजी बैंक नि.व. 2018-19	0.41	0.41	0.41	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
124	चेन्नई पीसीआईटी (केंद्रीय), चेन्नई-2	एस16 एनबीएफ़सी 2017-18	4.82	4.82	4.82	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
कुल			**1,37,320.93**	**64,696.62**	**40,178.47**	

अनुलग्नक 4.6

{संदर्भित पैरा 4.3.2.1}

उन मामलों का विवरण जहां अशोध्य ऋणों को लाभ और हानि खाता में डेबिट नहीं किया गया था, लेकिन उधारकर्ताओं के किसी भी विवरण को मांगे बिना निर्धारण में अनुमति दी गई थी।

क्र. सं.	क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार	बैंक/ एनबीएफ़सी	निर्धारिती का नाम	नि.व.	लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए अशोध्य ऋण की राशि और आईटीआर में दर्शाये गए	रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋण (₹ करोड़ में)	निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋण की राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर
1	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस8	2017-18	0	32,905.63	19,764.74	स्वीकृत (जून 2022)। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस8	2018-19	0	71,374.23	24,725.74	स्वीकृत (जून 2022)। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
3	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस8	2019-20	0	54,694.33	54,694.33	स्वीकृत (जून 2022)। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
4	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	सी4	2016-17	0	1,431.46	1,431.46	स्वीकृत (जून 2022)। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
5	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	सी4	2017-18	0	2,536.17	2,536.17	स्वीकृत (जून 2022)। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
6	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	सी4	2018-19	0	2,957.22	2,957.22	स्वीकृत (जून 2022)। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

उन मामलों का विवरण जहां अशोध्य ऋणों को लाभ और हानि खाता में डेबिट नहीं किया गया था, लेकिन उधारकर्ताओं के किसी भी विवरण को मांगे बिना निर्धारण में अनुमति दी गई थी।								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए अशोध्य ऋण की राशि और आईटीआर में दर्शाये गए**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋण (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋण की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
7	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	बी2	2017-18	0	902.33	902.33	स्वीकृत (जून 2022)। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
8	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	बी2	2018-19	0	2,202.78	2,202.78	स्वीकृत (जून 2022)। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
9	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	डी3	2016-17	0	697.23	697.23	स्वीकृत (जून 2022)। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
10	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	डी3	2017-18	0	811.25	811.25	स्वीकृत (जून 2022)। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
11	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	डी3	2018-19	0	605.08	605.08	स्वीकृत (जून 2022)। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
12	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	वी3	2018-19	0	1,541.26	1,541.26	स्वीकृत (जून 2022)। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
13	कोलकाता पीसीआईटी-2, कोलकाता	सार्वजनिक बैंक	यू2	2010-11	0	327.47	327.47	आयकर विभाग ने उत्तर दिया कि मामला दिनांक 31.03.2015 को

उन मामलों का विवरण जहां अशोध्य ऋणों को लाभ और हानि खाता में डेबिट नहीं किया गया था, लेकिन उधारकर्ताओं के किसी भी विवरण को मांगे बिना निर्धारण में अनुमति दी गई थी।								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए अशोध्य ऋण की राशि और आईटीआर में दर्शाये गए**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋण (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋण की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
								समय-बाधित हो गया है।
14	कोलकाता पीसीआईटी-2, कोलकाता	सार्वजनिक बैंक	यू2	2011-12	0	570.01	570.01	आयकर विभाग ने उत्तर दिया कि मामला दिनांक 31.03.2015 को समय-बाधित हो गया है।
15	कोलकाता पीसीआईटी-2, कोलकाता	सार्वजनिक बैंक	यू2	2012-13	0	333.16	333.16	आयकर विभाग ने उत्तर दिया कि मामला दिनांक 31.03.2015 को समय-बाधित हो गया है।
16	कोलकाता पीसीआईटी-2, कोलकाता	सार्वजनिक बैंक	यू2	2015-16	0	1,836.37	1,836.37	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
17	कोलकाता पीसीआईटी-2, कोलकाता	सार्वजनिक बैंक	यू2	2016-17	0	6,299.34	6,299.34	सितंबर 2025 में धारा 263 के अंतर्गत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

उन मामलों का विवरण जहां अशोध्य ऋणों को लाभ और हानि खाता में डेबिट नहीं किया गया था, लेकिन उधारकर्ताओं के किसी भी विवरण को मांगे बिना निर्धारण में अनुमति दी गई थी।								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए अशोध्य ऋण की राशि और आईटीआर में दर्शाये गए**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋण (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋण की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
18	कोलकाता पीसीआईटी-2, कोलकाता	सार्वजनिक बैंक	यू2	2017-18	0	4,414.68	4,414.68	अप्रैल 2024 में धारा 148ए(डी) के अंतर्गत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
19	कोलकाता पीसीआईटी-2, कोलकाता	सार्वजनिक बैंक	यू2	2018-19	0	7,343.37	7,343.37	मार्च 2025 में धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
20	दिल्ली सीआईटी -1 (अंतर. कर)	विदेशी बैंक	ए16	2016-17	0	95.31	95.31	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
21	दिल्ली सीआईटी -1 (अंतर. कर)	विदेशी बैंक	ए16	2017-18	0	122.50	122.50	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
22	दिल्ली सीआईटी -1 (अंतर. कर)	विदेशी बैंक	सी5	2018-19	0	59.03	59.03	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
23	दिल्ली सीआईटी -1 (अंतर.कर)	विदेशी बैंक	सी5	2016-17	0	4	4	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
24	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त-7	सार्वजनिक बैंक	यू3	2010-11	0	123.34	123.34	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

उन मामलों का विवरण जहां अशोध्य ऋणों को लाभ और हानि खाता में डेबिट नहीं किया गया था, लेकिन उधारकर्ताओं के किसी भी विवरण को मांगे बिना निर्धारण में अनुमति दी गई थी।								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए अशोध्य ऋण की राशि और आईटीआर में दर्शाये गए**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋण (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋण की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
25	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त -7	सार्वजनिक बैंक	यू3	2011-12	0	389.09	389.09	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
26	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त -7	सार्वजनिक बैंक	यू3	2012-13	0	192.75	192.75	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
27	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त -7	सार्वजनिक बैंक	यू3	2014-15	0	462.78	462.78	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
28	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त -7	सार्वजनिक बैंक	यू3	2015-16	0	680.09	680.09	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
29	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त -7	सार्वजनिक बैंक	यू3	2016-17	0	1,532.29	1,532.29	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
30	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त -7	सार्वजनिक बैंक	यू3	2017-18	0	675.99	675.99	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
31	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त -7	सार्वजनिक बैंक	ओ2	2013-14	0	1,393.21	1,393.21	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
32	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त -7	सार्वजनिक बैंक	ओ2	2014-15	0	1,231.56	1,231.56	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
33	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त -7	सार्वजनिक बैंक	ओ2	2018-19	0	7,235.2	7,235.2	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

उन मामलों का विवरण जहां अशोध्य ऋणों को लाभ और हानि खाता में डेबिट नहीं किया गया था, लेकिन उधारकर्ताओं के किसी भी विवरण को मांगे बिना निर्धारण में अनुमति दी गई थी।								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए अशोध्य ऋण की राशि और आईटीआर में दर्शाये गए**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋण (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋण की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
34	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	ए13	2014-15	0	785.23	785.23	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
35	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	ए13	2015-16	0	1,697.68	1,697.68	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
36	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	ए13	2016-17	0	5,132.51	1,842.70	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
37	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	ए13	2017-18	0	3,986.01	2,123.74	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
38	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	ए13	2018-19	0	9,886.82	8,088.20	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
39	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई9	2015-16	0	416.84	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
40	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई9	2016-17	0	635.04	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
41	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई9	2017-18	0	914.14	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
42	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई9	2018-19	0	777.00	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

उन मामलों का विवरण जहां अशोध्य ऋणों को लाभ और हानि खाता में डेबिट नहीं किया गया था, लेकिन उधारकर्ताओं के किसी भी विवरण को मांगे बिना निर्धारण में अनुमति दी गई थी।								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए अशोध्य ऋण की राशि और आईटीआर में दर्शाये गए**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋण (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋण की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
43	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-4	सार्वजनिक बैंक	आई5	2014-15	0	1,723.15	9.11	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
44	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-4	सार्वजनिक बैंक	आई5	2015-16	0	2,178.63	599.3	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
45	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-4	सार्वजनिक बैंक	आई5	2016-17	0	2,123.96	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
46	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-4	सार्वजनिक बैंक	आई5	2017-18	0	2,116.95	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
47	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-4	सार्वजनिक बैंक	आई5	2018-19	0	8,751.17	3,903.90	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
48	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-4	सार्वजनिक बैंक	आई5	2019-20	0	8,567.79	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
49	चेन्नई पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी5	2015-16	0	65.13	17.92	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
50	चेन्नई पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी5	2016-17	0	150.22	89.88	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
51	चेन्नई पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी5	2017-18	0	30.99	25.35	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

उन मामलों का विवरण जहां अशोध्य ऋणों को लाभ और हानि खाता में डेबिट नहीं किया गया था, लेकिन उधारकर्ताओं के किसी भी विवरण को मांगे बिना निर्धारण में अनुमति दी गई थी।								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए अशोध्य ऋण की राशि और आईटीआर में दर्शाये गए**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋण (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋण की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
52	चेन्नई पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी5	2018-19	0	298.20	298.20	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
53	चेन्नई पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी3	2015-16	0	480.84	342.67	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
54	चेन्नई पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी3	2019-20	0	806.88	806.88	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
55	चेन्नई पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी6	2014-15	0	29.36	29.36	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
56	चेन्नई पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी6	2016-17	0	96.55	96.55	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
57	चेन्नई पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी6	2017-18	0	241.72	241.72	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
58	चेन्नई पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी6	2018-19	0	592.95	592.95	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
कुल						**2,60,466.27**	**1,69,782.47**	

अनुलग्नक 4.7

{संदर्भित पैरा 4.3.2.2}

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार	बैंक/ एनबीएफ़सी	निर्धारिती का नाम	नि.व.	लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए और आईटीआर में दर्शाये गए अशोध्य ऋणों की राशि [₹ करोड़ में]	रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)	निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर
1	राजस्थान पीसीआईटी 1 जयपुर	एनबीएफ़सी	ए5	2016-17	33.52	33.52	33.52	विभाग ने स्वीकार किया (नवंबर 2025) और कहा कि धारा 147 (मार्च 2024) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई पूरी हो गई है।
2	राजस्थान पीसीआईटी 1 जयपुर	एनबीएफ़सी	ए5	2017-18	42.81	42.81	42.81	उत्तर (फरवरी 2022) के अनुसार आपत्ति तथ्यात्मक रूप से सही पाई गई और भविष्य के संदर्भ के लिए नोट की गई थी।
3	राजस्थान पीसीआईटी 1 जयपुर	एनबीएफ़सी	ए5	2018-19	39.43	39.43	39.43	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
4	राजस्थान पीसीआईटी 1 जयपुर	एनबीएफ़सी	ए5	2019-20	28.47	28.47	28.47	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
5	राजस्थान पीसीआईटी 1 जयपुर	एनबीएफ़सी	ए19	2018-19	1.78	1.78	1.78	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
6	राजस्थान पीसीआईटी 1 जयपुर	एनबीएफ़सी	ई2	2016-17	3.22	3.22	3.22	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
7	चंडीगढ़ जलंधर-1	एनबीएफ़सी	एम2	2015-16	0.04	0.04	0.04	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
8	चंडीगढ़ जलंधर-1	एनबीएफ़सी	एम2	2017-18	0.18	0.18	0.18	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए और आईटीआर में दर्शाये गए अशोध्य ऋणों की राशि [₹ करोड़ में]**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
9	चंडीगढ़ जलंधर-1	एनबीएफ़सी	पी8	2017-18	0.01	0.01	0.01	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
10	चंडीगढ़ लुधियाना-1	एनबीएफ़सी	आई14	2017-18	0.04	0.04	0.04	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
11	चंडीगढ़ श्रीनगर	निजी बैंक	टी8	2012-13	144.10	144.10	144.10	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
12	चंडीगढ़ श्रीनगर	निजी बैंक	टी8	2015-16	929.40	929.40	929.40	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
13	चंडीगढ़ श्रीनगर	निजी बैंक	टी8	2016-17	861.26	861.26	861.26	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
14	चंडीगढ़ श्रीनगर	निजी बैंक	टी8	2017-18	853.17	853.17	853.17	विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2025) और कहा कि धारा 147 के अंतर्गत कार्रवाई का मामला फिर से शुरू किया गया था।
15	चंडीगढ़ पंचकुला	एनबीएफ़सी	एच6	2015-16	50.84	50.84	50.84	विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2025) और कहा कि धारा 147 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है
16	चंडीगढ़ पंचकुला	एनबीएफ़सी	एच6	2016-17	0.04	0.04	0.04	विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2025) और कहा कि धारा 147 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
17	चंडीगढ़ पंचकुला	एनबीएफ़सी	एच6	2017-18	0.02	0.02	0.02	विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2025) और कहा कि धारा 147 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए और आईटीआर में दर्शाये गए अशोध्य ऋणों की राशि [₹ करोड़ में]**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
18	चंडीगढ़ पंचकुला	एनबीएफ़सी	एच5	2015-16	6.68	6.68	6.68	विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2025) और कहा कि धारा 147 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
19	चंडीगढ़ पंचकुला	एनबीएफ़सी	एच5	2016-17	14.09	5.38	5.38	विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2025) और कहा कि धारा 147 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
20	चंडीगढ़ पंचकुला	एनबीएफ़सी	एच5	2017-18	0	7.17	7.17	विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2025) और कहा कि धारा 147 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
21	चंडीगढ़ फ़रीदाबाद	एनबीएफ़सी	एच11	2015-16	7.39	7.39	7.39	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
22	चंडीगढ़ फ़रीदाबाद	एनबीएफ़सी	एच11	2016-17	12.56	12.56	12.56	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
23	चंडीगढ़ फ़रीदाबाद	एनबीएफ़सी	एच11	2017-18	55.49	55.49	55.49	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
24	चंडीगढ़ फ़रीदाबाद	एनबीएफ़सी	एच11	2019-20	382.81	382.81	382.81	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
25	लखनऊ प्रधान आयकर आयुक्त-इलाहबाद	एनबीएफ़सी	एस24	2017-18	32.91	32.91	32.91	लेखापरीक्षा के प्रत्युत्तर पर आयकर विभाग उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।
26	गुजरात	निजी बैंक	ए6	2011-12	678.37	678.37	678.37	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकार किया गया था।

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए और आईटीआर में दर्शाये गए अशोध्य ऋणों की राशि [₹ करोड़ में]**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
	पीसीआईटी-1, अहमदाबाद							अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
27	गुजरात पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	निजी बैंक	ए6	2012-13	721.87	721.87	721.87	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकार किया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
28	गुजरात पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	निजी बैंक	ए6	2015-16	1,217.81	1,217.81	1,217.81	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकार किया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
29	गुजरात पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	निजी बैंक	ए6	2016-17	3,163.94	3,163.94	3,163.94	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकार किया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
30	गुजरात पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	एच10	2016-17	116.55	116.55	116.55	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकार किया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
31	गुजरात पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	एच10	2017-18	224.81	224.81	224.81	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकार किया गया था। अग्रेतर विवरण

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए और आईटीआर में दर्शाये गए अशोध्य ऋणों की राशि [₹ करोड़ में]**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
								प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
32	गुजरात पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	एच10	2018-19	376.66	376.66	376.66	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकार किया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
33	गुजरात पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	एच10	2019-20	516.41	516.41	516.41	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकार किया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
34	गुजरात पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	एम4	2015-16	15.71	15.71	15.71	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकार किया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
35	गुजरात पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	एम4	2016-17	20.17	20.17	20.17	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकार किया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
36	गुजरात पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	एम4	2017-18	21.52	21.52	21.52	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकृत। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए और आईटीआर में दर्शाये गए अशोध्य ऋणों की राशि [₹ करोड़ में]**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
37	गुजरात पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एनबीएफ़सी	एम4	2018-19	37.16	37.16	37.16	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकृत। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
38	गुजरात पीसीआईटी-केंद्रीय, सूरत	एनबीएफ़सी	बी3	2016-17	0.15	0.15	0.15	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान स्वीकृत। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
39	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एनबीएफ़सी	एफ1	2018-19	3.38	3.38	3.38	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
40	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एनबीएफ़सी	एफ1	2019-20	1.75	1.75	1.75	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
41	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एनबीएफ़सी	डी7	2016-17	10.10	10.10	10.10	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
42	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एनबीएफ़सी	डी7	2017-18	15.94	15.94	15.94	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
43	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एनबीएफ़सी	डी7	2018-19	14.75	14.75	14.75	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
44	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एनबीएफ़सी	एफ4	2019-20	6.89	6.89	6.89	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
45	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एनबीएफ़सी	एफ3	2019-20	30.99	30.99	30.99	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए और आईटीआर में दर्शाये गए अशोध्य ऋणों की राशि [₹ करोड़ में]**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
46	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एनबीएफ़सी	एच12	2014-15	66.01	66.01	66.01	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
47	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एनबीएफ़सी	एच12	2016-17	118.48	118.48	118.48	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
48	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एनबीएफ़सी	एच12	2017-18	108.96	108.96	108.96	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
49	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एनबीएफ़सी	एच12	2018-19	387.41	387.41	387.41	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
50	चेन्नई पीसीआईटी-1 चेन्नई	एनबीएफ़सी	एच12	2019-20	480.54	480.54	480.54	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
51	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-4	एनबीएफ़सी	आर8	2018-19	15.76	15.73	15.76	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
52	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	एनबीएफ़सी	एस6	2016-17	2,264.36	2,264.36	2,264.36	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
53	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	एनबीएफ़सी	एस6	2017-18	3,627.59	3,627.59	3,627.59	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया (जून2025) विभाग को प्रत्युत्तर जारी किया गया (जुलाई 2025)।
54	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	एनबीएफ़सी	एस6	2018-19	5,392.92	5,392.92	5,392.92	
55	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	एनबीएफ़सी	टी16	2017-18	35.15	33.47	35.15	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए और आईटीआर में दर्शाये गए अशोध्य ऋणों की राशि [₹ करोड़ में]**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
56	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	एनबीएफ़सी	टी16	2018-19	29.76	28.61	29.76	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
57	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	एनबीएफ़सी	एस7	2016-17	599.89	599.89	599.89	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
58	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	एनबीएफ़सी	एस7	2017-18	1,236.18	1,236.18	1,236.18	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
59	चेन्नई पीसीआईटी, चेन्नई-3	एनबीएफ़सी	एस7	2018-19	1,781.11	1,781.11	1,781.11	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
60	चेन्नई पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी3	2016-17	68.28	223.96	223.96	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
61	चेन्नई पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी3	2017-18	0.90	264.89	0	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
62	चेन्नई पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी3	2018-19	0.41	860.27	817.51	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
63	चेन्नई पीसीआईटी (केंद्रीय), चेन्नई-2	एनबीएफ़सी	एस16	2017-18	4.82	4.82	4.82	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
64	चेन्नई पीडीएसी, चेन्नई	एनबीएफ़सी	एस4	2017-18	52.88	52.88	52.88	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए और आईटीआर में दर्शाये गए अशोध्य ऋणों की राशि [₹ करोड़ में]**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
65	केरल पीसीआईटी तिरुवनंतपुरम	एनबीएफ़सी	के6	2016-17	58.67	58.67	58.67	अस्वीकृत[140] (नवंबर 2022)।
66	केरल पीसीआईटी तिरुवनंतपुरम	एनबीएफ़सी	के6	2017-18	120.61	120.61	120.61	अस्वीकृत (नवंबर 2022)। [इस अनुलग्नक की पाद टिप्पणी 65 देखें]
67	केरल पीसीआईटी तिरुवनंतपुरम	एनबीएफ़सी	के6	2018-19	124.81	124.81	123.48	अस्वीकृत (नवंबर 2022) [इस अनुलग्नक की पाद टिप्पणी 65 देखें]
68	केरल पीसीआईटी तिरुवनंतपुरम	एनबीएफ़सी	के6	2019-20	167.67	167.67	167.67	अस्वीकृत (नवंबर 2022) [इस अनुलग्नक की पाद टिप्पणी 65 देखें]
69	केरल पीसीआईटी तिरुवनंतपुरम	एनबीएफ़सी	के7	2016-17	0.05	0.05	0.05	अस्वीकृत (नवंबर 2022)
70	केरल पीसीआईटी तिरुवनंतपुरम	एनबीएफ़सी	के7	2017-18	0.02	0.02	0.02	अस्वीकृत (नवंबर 2022)

140 विभाग ने अपने प्रत्युत्तर (नवंबर 2022) में कहा कि अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत तथा विजया बैंक प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत, उधार लेने वाली इकाई के खातों की आगे कोई जाँच किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है।विभाग का यह प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स्थायी खाता संख्या (पैन) एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में व्यक्तियों के वित्तीय लेन-देन की प्रभावी निगरानी एवं अन्वेषण में सहायक है तथा निर्धारिती की पहचान भी सुनिश्चित करता है। आयकर विभाग निर्धारण के समय पैन से संबंधित सूचनाओं का उपयोग कर निर्धारिती द्वारा दावा की गई कटौतियों की जाँच कर सकता है।लेखापरीक्षा ने उच्च मूल्य के मामलों में अशोध्य ऋण (विहित सीमा से अधिक) के दावे के सत्यापन तथा संवीक्षा निर्धारण के समय उसकी स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए पैन विवरण उपलब्ध कराये जाने और उधारकर्ताओं के स्तर पर ऐसे लिखे गए अग्रिमों के करोपचार का निर्धारण किया जाने की आवश्यकता लक्षित की।

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए और आईटीआर में दर्शाये गए अशोध्य ऋणों की राशि [₹ करोड़ में]**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
71	केरल पीसीआईटी कोझिकोड	एनबीएफ़सी	एम6	2017-18	31.32	31.32	31.32	अस्वीकृत (नवंबर 2022)
72	केरल पीसीआईटी केंद्रीय कोच्चि	एनबीएफ़सी	एम10	2017-18	17.35	17.35	17.35	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
73	केरल पीसीआईटी केंद्रीय कोच्चि	एनबीएफ़सी	एम10	2018-19	25.74	25.74	25.74	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
74	चेन्नई पीसीआईटी 1, चेन्नई	निजी बैंक	आई28	2018-19	991.09	991.09	991.09	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
75	गुवाहाटी पीसीआईटी गुवाहाटी	एनबीएफ़सी	एस27	2017-18	उपलब्ध नहीं है	0.07	0.07	स्वीकार किया गया (नवंबर 2024) और धारा 154 के अंतर्गत दिनांक 15.11.2022 के आदेश के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
76	गुवाहाटी पीसीआईटी गुवाहाटी	एनबीएफ़सी	एन1	2018-19	उपलब्ध नहीं है	25.40	25.40	स्वीकार किया गया (नवंबर 2024) और धारा 147 के अंतर्गत दिनांक 27.03.2024 के आदेश के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
77	केरल पीसीआईटी कोझिकोड	एनबीएफ़सी	ई7	2018-19	31.99	31.99	31.99	अस्वीकृत (नवंबर 2022)

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए और आईटीआर में दर्शाये गए अशोध्य ऋणों की राशि [₹ करोड़ में]**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
78	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	निजी बैंक	बी11	2017-18	31.19	31.19	31.19	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
79	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	निजी बैंक	बी11	2018-19	51	51	51	अस्वीकृत(अप्रैल 2024)
80	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	निजी बैंक	बी11	2019-20	277.49	277.49	277.49	अस्वीकृत(अप्रैल 2024)
81	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफ़सी	टी9	2017-18	0.021	0.021	0.021	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
82	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफ़सी	डबल्यू1	2016-17	29.89	29.89	29.89	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
83	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफ़सी	डबल्यू1	2017-18	26.03	26.03	26.03	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
84	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-1	एनबीएफ़सी	एम7	2015-16	0.00	0.00	0.00	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
85	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-1	एनबीएफ़सी	एम7	2016-17	0.00	0.00	0.00	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
86	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-1	एनबीएफ़सी	एम7	2012-13	27.11	27.11	27.11	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
87	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-1	एनबीएफ़सी	एम7	2017-18	0.00	0.00	0.00	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए और आईटीआर में दर्शाये गए अशोध्य ऋणों की राशि [₹ करोड़ में]**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
88	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफ़सी	जी5	2017-18	5.05	5.05	5.05	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
89	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफ़सी	जी5	2011-12	1.26	1.26	1.26	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
90	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफ़सी	जी5	2018-19	1.08	1.08	1.08	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
91	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफ़सी	जी5	2019-20	0.86	0.86	0.86	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
92	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफ़सी	जी5	2016-17	5.43	5.43	5.43	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
93	कोलकाता पीसीआईटी (केंद्रीय), कोलकाता-1	एनबीएफ़सी	एस20	2017-18	0.04	0.04	0.04	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
94	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफ़सी	एस30	2016-17	396.18	396.18	396.18	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
95	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-5	एनबीएफ़सी	आर4	2017-18	0.24	0.24	0.24	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
96	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-5	एनबीएफ़सी	आर4	2018-19	0.13	0.13	0.13	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
97	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-5	एनबीएफ़सी	आर4	2019-20	0.02	0.02	0.02	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण								
क्र. सं.	क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार	बैंक/ एनबीएफ़सी	निर्धारिती का नाम	नि.व.	लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए और आईटीआर में दर्शाये गए अशोध्य ऋणों की राशि [₹ करोड़ में]	रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)	निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर
98	कोलकाता पीसीआईटी-1, कोलकाता	एनबीएफ़सी	पी15	2017-18	0.32	0.32	0.32	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
99	कोलकाता सीसीआईटी-2, कोलकाता	एनबीएफ़सी	एस30	2014-15	230.83	230.83	230.83	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
100	कोलकाता सीसीआईटी-2, कोलकाता	एनबीएफ़सी	एस30	2012-13	97.68	97.68	97.68	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
101	कोलकाता पीसीआईटी 2 कोलकाता	एनबीएफ़सी	एस3	2014-15	14.84	14.84	14.84	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
102	कोलकाता पीसीआईटी 2 कोलकाता	एनबीएफ़सी	एस3	2012-13	0.50	0.50	0.50	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
103	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफ़सी	ए12	2015-16	0.15	0.15	0.15	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
104	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-1	एनबीएफ़सी	एम16	2017-18	21.03	21.03	21.03	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
105	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफ़सी	एल3	2014-15	58.85	58.85	58.85	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
106	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफ़सी	एल3	2015-16	98.78	98.78	98.78	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
107	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफ़सी	डी4	2017-18	0.01	0.01	0.01	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफ़सी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए और आईटीआर में दर्शाये गए अशोध्य ऋणों की राशि [₹ करोड़ में]**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
108	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफ़सी	बी6	2012-13	0.03	0.03	0.03	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
109	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-1	एनबीएफ़सी	ए10	2017-18	0.09	0.09	0.09	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
110	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-1	एनबीएफ़सी	ई6	2016-17	0.18	0.18	0.18	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
111	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-1	एनबीएफ़सी	ई6	2017-18	22.55	22.55	22.55	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
112	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-1	एनबीएफ़सी	एन5	2017-18	0.10	0.10	0.10	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
113	कोलकाता वार्ड 1(1), पीसीआईटी, कोलकाता-1	एनबीएफ़सी	के5	2017-18	0.01	0.01	0.01	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
114	कोलकाता वार्ड 1(1), पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफ़सी	पी13	2017-18	0.1	0.1	0.1	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
115	कोलकाता वार्ड 5(1), पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफ़सी	ए8	2018-19	0.65	0.65	0.65	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
116	कोलकाता वार्ड 5(1), पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफ़सी	वी6	2016-17	0.49	0.49	0.49	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)

उधारकर्ता के पैन के सत्यापन के बिना दावा किए गए अशोध्य ऋणों का विवरण								
क्र. सं.	क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार	बैंक/ एनबीएफ़सी	निर्धारिती का नाम	नि.व.	लाभ और हानि खाता में डेबिट किए गए और आईटीआर में दर्शाये गए अशोध्य ऋणों की राशि [₹ करोड़ में]	रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)	निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर
117	कोलकाता सर्किल 7(1), पीसीआईटी-1	एनबीएफ़सी	एम16	2016-17	12.46	12.46	12.34	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
118	कोलकाता सर्किल 11(1), पीसीआईटी-2	एनबीएफ़सी	एस3	2017-18	544.26	544.26	179.68	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
119	कोलकाता सर्किल 11(1), पीसीआईटी-2	एनबीएफ़सी	एस3	2018-19	74.92	74.92	11.2	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
120	कोलकाता सर्किल 11(1), पीसीआईटी-2	एनबीएफ़सी	एस30	2015-16	336.58	336.58	336.58	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
121	कोलकाता सर्किल 11(1), पीसीआईटी-2	एनबीएफ़सी	एस30	2017-18	252.73	252.73	252.73	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
122	कोलकाता सर्किल 11(1), पीसीआईटी-2	एनबीएफ़सी	एस30	2018-19	296.29	296.29	296.29	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
123	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफ़सी	डबल्यू1	2015-16	44.03	44.03	44.03	विभाग ने अपने उत्तर (अप्रैल 2025) में कहा कि उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए समय बीत जाने के बाद सूचना प्राप्त हुई थी।
कुल					**31,497.40**	**32,798**	**32,063.46**	

अनुलग्नक 4.8

{संदर्भित पैरा 4.4.1}

खंडावधि के ब्याज की अनुमति के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत रुख							
क्रम सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि व**	**निर्धारण की तिथि**	**अस्वीकृत खंडावधि ब्याज की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
1	मुंबई पीसीआईटी-2	निजी बैंक	आई7	2017-18	29.12.2019	28.01	स्वीकृत (मार्च 2022)
2	मुंबई पीसीआईटी-2	निजी बैंक	आई7	2018-19	24.05.2021	37.26	स्वीकृत (मार्च 2022)
3	मुंबई पीसीआईटी-2	निजी बैंक	के1	2017-18	27.12.2019	16.71	स्वीकृत (मार्च 2022)
4	मुंबई पीसीआईटी-2	निजी बैंक	के1	2018-19	23.04.2021	10.85	स्वीकृत (मार्च 2022)
5	मुंबई पीसीआईटी-2	निजी बैंक	आई4	2017-18	18-11-2021	अनुमत कटौती	स्वीकृत (मार्च 2022)
6	मुंबई पीसीआईटी-2	निजी बैंक	आई4	2018-19	25-11-2021	अनुमत कटौती	स्वीकृत (मार्च 2022)
7	मुंबई पीसीआईटी-2	सार्वजनिक बैंक	एस8	2017-18	16.03.2019	981.17	स्वीकृत (मार्च 2022)
8	मुंबई पीसीआईटी-2	सार्वजनिक बैंक	एस8	2018-19	20-03-2020	2,804.95	स्वीकृत (मार्च 2022)
9	मुंबई पीसीआईटी-2	निजी बैंक	एच4	2017-18	30.12.2019	1,052.63	स्वीकृत (मार्च 2022)
10	मुंबई पीसीआईटी-2	निजी बैंक	एच4	2018-19	30.01.2021	686.50	स्वीकृत (मार्च 2022)
11	मुंबई पीसीआईटी-2	सार्वजनिक बैंक	बी2	2017-18	19-03-2019	486.79	स्वीकृत (मार्च 2022)
12	मुंबई पीसीआईटी-2	सार्वजनिक बैंक	बी2	2018-19	30.03.2020	469.83	स्वीकृत (मार्च 2022)
13	मुंबई पीसीआईटी-2	सार्वजनिक बैंक	सी4	2017-18	28.12.2019	2,852.16	स्वीकृत (मार्च 2022)
14	मुंबई पीसीआईटी-2	सार्वजनिक बैंक	सी4	2018-19	22.04.2021	62.01	स्वीकृत (मार्च 2022)
15	मुंबई पीसीआईटी-2	निजी बैंक	डी2	2017-18	25.12.2019	31.21	स्वीकृत (मार्च 2022)
16	मुंबई पीसीआईटी-2	निजी बैंक	डी2	2018-19	10.03.2021	5.87	स्वीकृत (मार्च 2022)

खंडावधि के ब्याज की अनुमति के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत रुख							
क्रम सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि व**	**निर्धारण की तिथि**	**अस्वीकृत खंडावधि ब्याज की राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
17	मुंबई पीसीआईटी-2	सार्वजनिक बैंक	डी3	2017-18	26.12.2019	39.30	स्वीकृत (मार्च 2022)
18	मुंबई पीसीआईटी-2	सार्वजनिक बैंक	डी3	2018-19	21.04.2021	41.01	स्वीकृत (मार्च 2022)
19	मुंबई पीसीआईटी-2	निजी बैंक	आई24	2017-18	27.12.2019	43.16	स्वीकृत (मार्च 2022)
20	मुंबई पीसीआईटी-2	निजी बैंक	आई24	2018-19	15.09.2021	1.09	स्वीकृत (मार्च 2022)
21	मुंबई पीसीआईटी-2	सार्वजनिक बैंक	यू1	2017-18	26.12.2019	297.92	स्वीकृत (मार्च 2022)
22	मुंबई पीसीआईटी-2	सार्वजनिक बैंक	वी3	2018-19	17.03.2020	186.80	स्वीकृत (मार्च 2022)
23	मुंबई पीसीआईटी-2	निजी बैंक	वाई1	2017-18	28.12.2019	190.17	स्वीकृत (मार्च 2022)
24	मुंबई पीसीआईटी-2	निजी बैंक	वाई1	2018-19	29.02.2020	190.43	स्वीकृत (मार्च 2022)
कुल						**10,515.83**	

अनुलग्नक 4.9

{संदर्भित पैरा 4.4.2}

ए. निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान अस्वीकृत एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत प्रतिधारित प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए अधिमूल्य का विवरण।							
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि. व.**	**अधिमूल्य के परिशोधन की स्वीकृत/ अस्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
1	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	निजी बैंक	आई7	2017-18	56.99	स्वीकृत (जून 2022)
2	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	निजी बैंक	आई7	2018-19	179.32	स्वीकृत (जून 2022)
3	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस8	2017-18	799.08	स्वीकृत (जून 2022)
4	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस8	2018-19	1,771.72	स्वीकृत (जून 2022)
5	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	बी2	2017-18	शून्य	स्वीकृत (जून 2022)
6	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	बी2	2018-19	420.97	स्वीकृत (जून 2022)
7	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	सी4	2017-18	247.78	स्वीकृत (जून 2022)
8	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	सी4	2018-19	107.32	स्वीकृत (जून 2022)
9	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	निजी बैंक	डी2	2017-18	11.75	स्वीकृत (जून 2022)
10	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	निजी बैंक	डी2	2018-19	0	स्वीकृत (जून 2022)
11	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	निजी बैंक	आई24	2017-18	170.50	स्वीकृत (जून 2022)
12	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	निजी बैंक	आई24	2018-19	181.80	स्वीकृत (जून 2022)
13	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	यू1	2017-18	188.50	स्वीकृत (जून 2022)
14	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	निजी बैंक	वाई1	2017-18	43.99	स्वीकृत (जून 2022)
15	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	निजी बैंक	वाई1	2018-19	112.37	स्वीकृत (जून 2022)
16	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	निजी बैंक	आई4	2017-18	कोई परिवर्धन नहीं किया गया। अभिलेखों	स्वीकृत (जून 2022)

ए. निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान अस्वीकृत एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत प्रतिधारित प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए अधिमूल्य का विवरण।							
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि. व.**	**अधिमूल्य के परिशोधन की स्वीकृत/ अस्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
						में राशि उपलब्ध नहीं है।	
17	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	निजी बैंक	आई4	2018-19	कोई परिवर्धन नहीं किया गया। अभिलेखों में राशि उपलब्ध नहीं है।	स्वीकृत (जून 2022)
18	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	निजी बैंक	एच4	2017-18	कोई परिवर्धन नहीं किया गया। अभिलेखों में राशि उपलब्ध नहीं है।	स्वीकृत (जून 2022)
19	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	निजी बैंक	एच4	2018-19	कोई परिवर्धन नहीं किया गया। अभिलेखों में राशि उपलब्ध नहीं है।	स्वीकृत (जून 2022)
20	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	डी3	2017-18	कोई परिवर्धन नहीं किया गया। अभिलेखों में राशि उपलब्ध नहीं है।	स्वीकृत (जून 2022)
21	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	डी3	2018-19	कोई परिवर्धन नहीं किया गया। अभिलेखों में राशि उपलब्ध नहीं है।	स्वीकृत (जून 2022)
22	मुंबई	पीसीआईटी-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	वी3	2018-19	कोई परिवर्धन नहीं किया गया। अभिलेखों में राशि उपलब्ध नहीं है।	स्वीकृत (जून 2022)
23	कोलकाता	पीसीआईटी, कोलकाता-2	सार्वजनिक बैंक	यू2	2017-18	96.04	अप्रैल 2024 में धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
24	कोलकाता	पीसीआईटी, कोलकाता-2	सार्वजनिक बैंक	यू2	2018-19	61.08	अप्रैल 2024 में धारा 148 के अंतर्गत नोटिस

ए. निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान अस्वीकृत एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत प्रतिधारित प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए अधिमूल्य का विवरण।

क्र. सं.	क्षेत्र	पीसीआईटी प्रभार	बैंक/ एनबीएफसी	निर्धारिती का नाम	नि. व.	अधिमूल्य के परिशोधन की स्वीकृत/ अस्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर
							जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
25	दिल्ली	प्र. सीआईटी-7, दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी4	2017-18	29.86	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
26	दिल्ली	प्र. सीआईटी-7, दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी4	2018-19	24.16	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
27	दिल्ली	प्र. सीआईटी-7, दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी4	2019-20	0	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
28	दिल्ली	प्र. सीआईटी-7, दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी1	2017-18	29.86	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
29	दिल्ली	प्र. सीआईटी-7, दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी1	2018-19	कोई परिवर्धन नहीं किया गया। अभिलेखों में राशि उपलब्ध नहीं है।	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
30	दिल्ली	प्र. सीआईटी-7, दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी1	2019-20	कोई परिवर्धन नहीं किया गया। अभिलेखों में राशि उपलब्ध नहीं है।	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
31	दिल्ली	प्र. सीआईटी-7, दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	ओ2	2017-18	91.64	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
32	दिल्ली	प्र. सीआईटी-7, दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	ओ2	2018-19	कोई परिवर्धन नहीं किया गया। अभिलेखों में राशि उपलब्ध नहीं है।	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
33	दिल्ली	प्र. सीआईटी-7, दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	ओ2	2019-20	कोई परिवर्धन नहीं किया गया। अभिलेखों में राशि उपलब्ध नहीं है।	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
34	चेन्नई	पीसीआईटी-1 चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई9	2018-19	108.64	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
35	चेन्नई	पीसीआईटी-1 चेन्नई	निजी बैंक	आई28	2017-18	29.31	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
36	चेन्नई	पीसीआईटी-1 चेन्नई	निजी बैंक	आई28	2018-19	113.58	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
37	चेन्नई	पीसीआईटी-1 चेन्नई	निजी बैंक	ई4	2017-18	1.05	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
38	चेन्नई	पीसीआईटी-1 चेन्नई	निजी बैंक	ई4	2018-19	5.07	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)

ए. निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान अस्वीकृत एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत प्रतिधारित प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए अधिमूल्य का विवरण।

क्र. सं.	क्षेत्र	पीसीआईटी प्रभार	बैंक/ एनबीएफसी	निर्धारिती का नाम	नि. व.	अधिमूल्य के परिशोधन की स्वीकृत/ अस्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर
39	चेन्नई	पीसीआईटी-1 चेन्नई	निजी बैंक	ई4	2019-20	5.16	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
40	चेन्नई	पीसीआईटी-1 चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई9	2017-18	80.81	नवंबर 2022 में धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
41	चेन्नई	पीसीआईटी-1 चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2018-19	68.62	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
42	चेन्नई	पीसीआईटी-1 चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2019-20	66.2	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
43	चेन्नई	पीसीआईटी-1 चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2017-18	92.88	विभाग ने उत्तर दिया कि नवंबर 2022 में धारा 147/144बी के अंतर्गत पारित पुनःनिर्धारित किएगए पुनर्निर्धारण आदेश में लेखापरीक्षा बिंदु पर विचार नहीं किया गया था।
44	चेन्नई	पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी6	2017-18	23.55	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
45	चेन्नई	पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी6	2018-19	30.8	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
46	चेन्नई	पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी6	2019-20	29.37	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
47	चेन्नई	पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी5	2017-18	4.60	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
48	चेन्नई	पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी5	2018-19	30.9	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
49	चेन्नई	पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी3	2017-18	27.62	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)

ए. निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान अस्वीकृत एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत प्रतिधारित प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए अधिमूल्य का विवरण।							
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि. व.**	**अधिमूल्य के परिशोधन की स्वीकृत/ अस्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
50	चेन्नई	पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी3	2018-19	40.24	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
51	चेन्नई	पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी3	2019-20	43.93	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
कुल						**5,427.06**	

बी. निर्धारण वर्ष 2017-18 से पहले के निर्धारण वर्ष से संबंधित मामलों का विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र	पीसीआईटी प्रभार	बैंकएनबीए/ फसी	निर्धारिती का नाम	नि व	स्वीकृत/ अस्वीकृत अधिमूल्य परिशोधन राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर
1	कोलकाता	पीसीआईटी, कोलकाता-2	सार्वजनिक बैंक	यू2	2015-16	155.93	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
2	कोलकाता	पीसीआईटी, कोलकाता-2	सार्वजनिक बैंक	यू2	2016-17	156.35	सितंबर 2025 में धारा 263 के अंतर्गत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है
3	दिल्ली	प्रधान सीआईटी-7 दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी1	2015-16	216.80	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
4	दिल्ली	प्रधान सीआईटी-7 दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी1	2016-17	215.32	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
5	दिल्ली	प्रधान सीआईटी-7 दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	ओ2	2013-14	28.84	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
6	दिल्ली	प्रधान सीआईटी-7 दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	ओ2	2014-15	66.49	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
7	दिल्ली	प्रधान सीआईटी-7 दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	ओ2	2016-17	81.44	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
8	दिल्ली	प्रधान सीआईटी-7 दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी4	2016-17	कोई परिवर्धन नहीं किया गया। अभिलेखों में राशि उपलब्ध नहीं है।	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
9	चेन्नई	पीसीआईटी-1 चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई9	2015-16	74.16	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
10	चेन्नई	पीसीआईटी-1 चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई9	2016-17	61.69	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)

बी. निर्धारण वर्ष 2017-18 से पहले के निर्धारण वर्ष से संबंधित मामलों का विवरण							
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**पीसीआईटी प्रभार**	**बैंकएनबीए/ फसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि व**	**स्वीकृत/ अस्वीकृत अधिमूल्य परिशोधन राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
11	चेन्नई	पीसीआईटी-1 चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2016-17	103.87	उत्तर (अप्रैल 2022): धारा 147 के साथ पठित धारा 144बी के अंतर्गत दिनांक 31-03-2022 को पारित कर निर्धारण आदेशों में, इस संबंध में कोई वृद्धि/अस्वीकृति न देने का कोई कारण नहीं बताया गया था। आगे बताया गया (07-07-2023) कि निर्धारण वर्ष 2016-17 के संबंध में धारा 263 के अंतर्गत समय-सीमा 31-03-2024 थी। अग्रेतर उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
12	चेन्नई	पीसीआईटी-1 चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2015-16	88.37	स्वीकृत (फरवरी 2022) तथा दिसंबर 2019 में धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
13	चेन्नई	पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी5	2015-16	8.45	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
14	चेन्नई	पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी5	2016-17	8.64	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)

बी. निर्धारण वर्ष 2017-18 से पहले के निर्धारण वर्ष से संबंधित मामलों का विवरण							
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**पीसीआईटी प्रभार**	**बैंकएनबीए/ फसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि व**	**स्वीकृत/ अस्वीकृत अधिमूल्य परिशोधन राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
15	चेन्नई	पीसीआईटी, मदुरै-1	निजी बैंक	टी3	2016-17	22.74	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)
कुल						**1,289.09**	

अनुलग्नक 4.10

{संदर्भित पैरा 4.4.3}

निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास की कटौती की अनुमति के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत रुख

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	पीसीआईटी प्रभार	बैंक का नाम/ श्रेणी/ निर्धारण वर्ष	निवेश पर दावा किया गया मूल्यह्रास	निवेश पर मूल्यह्रास की अनुमति	निवेश पर मूल्यह्रास अस्वीकृत	टिप्पणियाँ/उत्तर
1	पीसीआईटी-1 चेन्नई	आई9 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2017-18	102.06	102.06	0	यद्यपि मद्रास उच्च न्यायालय (मेसर्स एन पावर फाइनेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के निर्धारण वर्ष 2018-19 के निर्णय के आधार पर अस्वीकृति की गई थी, परंतु वर्ष 2017-18 के लिए ऐसी अस्वीकृति नहीं दी गई। विभाग ने उत्तर दिया (मई 2022) कि लेखापरीक्षा आपत्ति पर विचार किया गया और धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण पूरा कर लिया गया (नवंबर 2022)। हालाँकि, पुनर्निर्धारण आदेश में लेखापरीक्षा बिंदु पर चर्चा नहीं की गई।
2	पीसीआईटी-1 चेन्नई	आई 9 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	314.88	0	314.88	मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर अस्वीकृति की गई (मेसर्स टीएन पावर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड) विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
3	पीसीआईटी-1 चेन्नई	आई 9 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2019-20	1,128.59	0	1128.59	संवीक्षा निर्धारण में, निर्धारिती द्वारा दावा की गई सम्पूर्ण कटौतियों को इस आधार पर गैर-अनुमत कर दिया गया कि निर्धारिती ने कोई संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया था। निर्धारिती ने एक रिट याचिका दायर की और इस संबंध में स्थगन प्राप्त कर लिया गया है। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
4	पीसीआईटी-1 मदुरै	टी3 प्राइवेट बैंक	35.95	33.03	2.92	आईटीएमआर में निवेश की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि/ मूल्यह्रास का कोई शेयर-वार विवरण

निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास की कटौती की अनुमति के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत रुख (₹ करोड़ में)						
क्रम सं.	**पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक का नाम/ श्रेणी/ निर्धारण वर्ष**	**निवेश पर दावा किया गया मूल्यह्रास**	**निवेश पर मूल्यह्रास की अनुमति**	**निवेश पर मूल्यह्रास अस्वीकृत**	**टिप्पणियाँ/उत्तर**
		निर्धारण वर्ष 2017-18				उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, दावे के अनुसार कोई मूल्यह्रास अनुमत नहीं था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
5	पीसीआईटी-1 मदुरै	टी3 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	91.05	0	91.05	निर्धारिती प्रत्येक निवेश श्रेणी के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास का विवरण शेयरवार प्रस्तुत नहीं कर सका, इसलिए राशि गैर-अनुमत कर दी गई। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
6	पीसीआईटी-1 मदुरै	टी3 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2019-20	17.35	0	17.35	निर्धारिती प्रत्येक निवेश श्रेणी के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास का विवरण शेयरवार प्रस्तुत नहीं कर सका, इसलिए राशि गैर-अनुमत कर दी गई। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
7	पीसीआईटी-1 मदुरै	टी5 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2017-18	16.07	3.47	12.60	आंशिक अस्वीकृति की गई। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
8	पीसीआईटी-1 मदुरै	टी5 निजी बैंक 2018-19	53.34	53.34	0	प्रत्येक श्रेणी के निवेश के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास का कोई भी शेयर-वार विवरण आयकर अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
9	पीसीआईटी-4 चेन्नई	आई5 सार्वजनिक बैंक 2017-18	79.95	79.95	0	निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए, आयकर आयुक्त (अपील) ने संवीक्षा निर्धारण में की गई ₹3330.61 करोड़ की अस्वीकृति के लिए राहत प्रदान की है। विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2022) कि नवंबर 2022 में धारा 147/144बी के अंतर्गत पारित पुनः निर्धारित किए

निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास की कटौती की अनुमति के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत रुख (₹ करोड़ में)						
क्रम सं.	**पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक का नाम/ श्रेणी/ निर्धारण वर्ष**	**निवेश पर दावा किया गया मूल्यह्रास**	**निवेश पर मूल्यह्रास की अनुमति**	**निवेश पर मूल्यह्रास अस्वीकृत**	**टिप्पणियाँ/उत्तर**
						गए पुनर्निर्धारण आदेश में लेखापरीक्षा बिंदु पर विचार नहीं किया गया था।
10	पीसीआईटी-4 चेन्नई	आई5 सार्वजनिक बैंक 2018-19	912.38	912.38	0	निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016 के लिए, निर्धारिती ने "वापस लिखे गए मूल्यह्रास प्रावधान" के लिए कटौती का दावा इस आधार पर किया था कि पिछले निर्धारण वर्षों में इसकी अनुमति नहीं थी। इन्हें अनुमति नहीं दी गई। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
11	पीसीआईटी-4 चेन्नई	आई5 सार्वजनिक बैंक 2019-20	884.28	884.28	0	निर्धारण वर्ष 2016-17 के संवीक्षा निर्धारण में यह माना गया कि चूँकि मामला निर्धारिती और विभाग, दोनों द्वारा उच्च अपीलीय स्तरों पर अपीलाधीन है, इसलिए कटौती के रूप में प्रतिदाय का दावा स्वीकार नहीं किया गया। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
12	पीसीआईटी, मदुरै	टी6 निजी बैंक 2017-18	68.79	68.79	0	निर्धारण वर्ष 2017-18 की संवीक्षा कार्यवाही में, निर्धारिती ने प्रतिभूतियों के श्रेणी-वार वर्गीकरण और निवेशों के मूल्य में श्रेणी-वार मूल्यह्रास का विवरण प्रस्तुत किया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
13	पीसीआईटी, मदुरै	टी6 निजी बैंक 2018-19	41.39	41.39	0	हालाँकि, निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए, प्रत्येक निवेश श्रेणी के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास का कोई शेयर-वार विवरण आईटीएमआर में उपलब्ध नहीं है। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
14	पीसीआईटी-1 चेन्नई	आई28 निजी बैंक 2016-17	1.03	0	1.03	निर्धारण वर्ष 2016-17 के संवीक्षा निर्धारण में निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान हेतु ₹1.03

निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास की कटौती की अनुमति के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत रुख (₹ करोड़ में)						
क्रम सं.	**पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक का नाम/ श्रेणी/ निर्धारण वर्ष**	**निवेश पर दावा किया गया मूल्यह्रास**	**निवेश पर मूल्यह्रास की अनुमति**	**निवेश पर मूल्यह्रास अस्वीकृत**	**टिप्पणियाँ/उत्तर**
15	पीसीआईटी-1 चेन्नई	आई28 निजी बैंक 2017-18	156.9	156.9	0	करोड़ की राशि को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि आयकर अधिनियम के अनुसार आनुपातिक व्यय अनुमेय नहीं हैं। निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए भी ऐसा ही व्यवहार नहीं अपनाया गया। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
		कुल	**3,904.01**	**2,335.59**	**1,568.42**	

अनुलग्नक 4.11

{संदर्भित पैरा 4.4.4}

सीएसआर व्यय के लिए कटौती की गलत अनुमति **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार	बैंक/ एनबीएफसी	निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष	दावा की गई कटौती की राशि	विभाग का उत्तर
1	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	निजी बैंक	वाई1	2017-18	14.49	स्वीकृत (फरवरी 2022)। 29.03.2022 को धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।
2	मुंबई पीसीआईटी 2, मुंबई	निजी बैंक	आई4	2017-18	24.20	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
3	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	निजी बैंक	आई4	2018-19	32.16	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
4	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	निजी बैंक	एच4	2018-19	73.03	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
5	मुंबई पीसीआईटी-3, मुंबई	निजी बैंक	आई24	2016-17	3.21	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
6	मुंबई पीसीआईटी-3, मुंबई	निजी बैंक	आई24	2017-18	1.74	विभाग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए संवीक्षा निर्धारण एनईएफएसी के समक्ष लंबित है।
7	मुंबई पीसीआईटी-2, मुंबई	निजी बैंक	के1	2015-16	6.89	अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
8	मुंबई पीसीआईटी 8 मुंबई	एनबीएफसी	जी6	2017-18	0.72	स्वीकृत (अक्टूबर 2022) और धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
9	मुंबई पीसीआईटी 8 मुंबई	एनबीएफसी	एम15	2017-18	0.69	स्वीकृत (अक्टूबर 2022) और धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू

सीएसआर व्यय के लिए कटौती की गलत अनुमति						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**दावा की गई कटौती की राशि**	**विभाग का उत्तर**
						की गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
10	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	एनबीएफसी	आई26	2016-17 2017-18	7.13	यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया गया (फरवरी 2023) कि मामला न्यायिक मंचों के समक्ष लंबित है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
11	मुंबई पीसीआईटी 4 मुंबई	एनबीएफसी	आई3	2016-17 2017-18	5.20	अस्वीकृत (मार्च 2022)
12	मुंबई पीसीआईटी 3 मुंबई	एनबीएफसी	ई5	2016-17 2017-18 2018-19	11.25	निर्धारण वर्ष 2016-17 (जून 2023) के संबंध में स्वीकृत और अप्रैल 2023 में धारा 148 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के संबंध में, उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2025)।
13	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	एनबीएफसी	एस1	2017-18	1.14	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
14	मुंबई पीसीआईटी 8 मुंबई	एनबीएफसी	एम1	2019-20	12.75	अस्वीकृत (अक्टूबर 2022)।
15	मुंबई पीसीआईटी 1 मुंबई	एनबीएफसी	एस26	2017-18	2.62	उत्तर के अनुसार (मई 2024) धारा 148 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)।
16	मुंबई पीसीआईटी 1 मुंबई	एनबीएफसी	एस26	2018-19	2.09	धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई 27.03.2023 को पूरी हुई।
17	मुंबई पीसीआईटी 4	एनबीएफसी	आई23	2018-19	1.06	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

सीएसआर व्यय के लिए कटौती की गलत अनुमति						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**दावा की गई कटौती की राशि**	**विभाग का उत्तर**
	मुंबई					
18	मुंबई पीसीआईटी 6 मुंबई	एनबीएफसी	ए4	2018-19	1.80	अस्वीकृत (अप्रैल 2022)
19	मुंबई पीसीआईटी 6 मुंबई	एनबीएफसी	ए4	2017-18	1.13	अस्वीकृत (अप्रैल 2022)
20	मुंबई पीसीआईटी 6 मुंबई	एनबीएफसी	ए4	2016-17	0.61	अस्वीकृत (अप्रैल 2022)
21	मुंबई पीसीआईटी 4 मुंबई	एनबीएफसी	आई23	2017-18	0.78	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
22	मुंबई पीसीआईटी 4 मुंबई	एनबीएफसी	आई19	2016-17	2.30	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
23	मुंबई पीसीआईटी 4 मुंबई	एनबीएफसी	आई19	2017-18	3.51	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
24	मुंबई पीसीआईटी 8 मुंबई	एनबीएफसी	आर9	2015-16	0.49	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
25	मुंबई पीसीआईटी 8 मुंबई	एनबीएफसी	आर9	2016-17	0.67	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
26	अहमदाबाद पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	निजी बैंक	ए6	2015-16	31.13	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान, आयकर विभाग ने उत्तर दिया कि मामला आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) अहमदाबाद के समक्ष विचाराधीन है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
27	अहमदाबाद पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	निजी बैंक	ए6	2016-17	36.85	समापन बैठक (जनवरी 2023) के दौरान, आयकर विभाग ने उत्तर दिया कि

सीएसआर व्यय के लिए कटौती की गलत अनुमति						**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**दावा की गई कटौती की राशि**	**विभाग का उत्तर**
						मामला आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) अहमदाबाद के समक्ष विचाराधीन है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
28	कोलकाता सीआईटी (आईटी और टीपी), कोलकाता	विदेशी बैंक	आर7	2016-17	8.16	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
29	कोलकाता सीआईटी (आईटी और टीपी), कोलकाता	विदेशी बैंक	आर7	2015-16	12.87	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
30	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-1	एनबीएफसी	सी13	2017-18	6.22	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
31	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-1	एनबीएफसी	ओ5	2017-18	0.49	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
32	चंडीगढ़ पीसीआईटी लुधियाना-1	एनबीएफसी	वी5	2016-17	0.25	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
33	चंडीगढ़ पीसीआईटी लुधियाना-1	एनबीएफसी	वी5	2017-18	0.05	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
34	दिल्ली सीआईटी-4	एनबीएफसी	आर1	2019-20	48.79	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
35	दिल्ली सीआईटी-4	एनबीएफसी	आर1	2018-19	20.20	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
36	दिल्ली सीआईटी-4	एनबीएफसी	आर1	2015-16	6.97	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
37	दिल्ली सीआईटी-4	एनबीएफसी	आर1	2017-18	5.25	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
38	दिल्ली सीआईटी-2	एनबीएफसी	एम9	2018-19	4.08	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)

सीएसआर व्यय के लिए कटौती की गलत अनुमति						**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**दावा की गई कटौती की राशि**	**विभाग का उत्तर**
39	दिल्ली सीआईटी-7	एनबीएफसी	एस22	2017-18	3.32	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
40	दिल्ली सीआईटी-7	एनबीएफसी	पी6	2017-18	2.29	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
41	दिल्ली सीआईटी-4	एनबीएफसी	आर1	2016-17	2.27	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
42	दिल्ली सीआईटी-7	एनबीएफसी	एस22	2016-17	1.11	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
43	दिल्ली सीआईटी-1	एनबीएफसी	डी6	2019-20	0.89	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
44	दिल्ली सीआईटी-1	एनबीएफसी	डी6	2018-19	0.82	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
45	दिल्ली सीआईटी-7	एनबीएफसी	एस2	2018-19	0.57	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
46	दिल्ली सीआईटी-7	एनबीएफसी	एस2	2017-18	0.53	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
47	दिल्ली सीआईटी-7	एनबीएफसी	आर10	2015-16	0.25	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
48	केरल कोच्चि	निजी बैंक	टी11	2015-16	1.32	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
49	केरल कोच्चि	निजी बैंक	टी11	2016-17	2.01	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
50	केरल कोच्चि	निजी बैंक	टी11	2017-18	5.77	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
51	केरल कोच्चि	निजी बैंक	टी11	2018-19	5.46	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
52	केरल केंद्रीय	एनबीएफसी	एम8	2015-16	4.46	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
53	केरल केंद्रीय	एनबीएफसी	एम8	2016-17	7.31	इस प्रतिवेदन के पैरा 4.4.4 के बाक्स 4.9 (ख) में विस्तृत लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया
54	केरल केंद्रीय	एनबीएफसी	एम8	2017-18	7.50	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)

सीएसआर व्यय के लिए कटौती की गलत अनुमति						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**दावा की गई कटौती की राशि**	**विभाग का उत्तर**
55	केरल कोझिकोड	एनबीएफसी	एम6	2017-18	5.49	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
56	केरल कोझिकोड	एनबीएफसी	एम6	2015-16	2.08	फरवरी 2024 में धारा 147 के अंतर्गत स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई
57	केरल कोझिकोड	एनबीएफसी	एम6	2016-17	4.6	जून 2024 में धारा 263 के साथ धारा 143 (3) के अंतर्गत स्वीकार किया गया और उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
58	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	ए13	2018-19	5.25	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
59	मुंबई पीसीआईटी-3 पुणे	एनबीएफसी	बी5	2016-17	14.00	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
60	मुंबई पीसीआईटी-3 पुणे	एनबीएफसी	बी5	2017-18	14.04	स्वीकृत (अप्रैल 2024)। धारा 263 के अंतर्गत 30.03.2022 को उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई।
61	मुंबई पीसीआईटी-3 पुणे	एनबीएफसी	बी5	2018-19	19.47	स्वीकृत (अप्रैल 2024) धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई पर विचार किया गया। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
62	मुंबई पीसीआईटी-3 पुणे	एनबीएफसी	बी5	2019-20	27.81	स्वीकृत (अप्रैल 2024)। धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई पर विचार किया गया। अग्रेत्तर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
कुल					**531.59**	

अनुलग्नक 4.12

{संदर्भित पैरा 4.4.5}

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) / परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को परिसंपत्तियों की विक्रय पर लाभ/हानि के कराधान के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत रुख (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीसीआईटी प्रभार	निर्धारिती बैंक/ एनबीएफसी का नाम पैन श्रेणी	नि. व.	प्रस्तुत न की गई आय	कटौती की अनुमति	विभाग के उत्तर सहित संक्षेप में मुद्दा
1	पीसीआईटी-4, चेन्नई	आई5 सार्वजनिक बैंक	2013-14	3.00	0.00	एससी/एआरसी को बेची गई परिसंपत्तियों की विक्रय से प्राप्त लाभ को राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए उसे कराधान किया जाना चाहिए। जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया है, एआरसी को संपत्तियों की विक्रय पर प्राप्त प्रतिफल को निर्धारण वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है, जिन्हें दिनांक 03-12-2019 को धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत पुनः निर्धारित किए गए निर्धारण में कर के दायरे में लाया गया था। निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए, लेखापरीक्षा बिंदु पर विचार करने के लिए धारा 147 के अंतर्गत मामलों को पुनः खोला गया था। हालाँकि, दिनांक 31-03-2022 को धारा 144बी के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत पारित निर्धारण आदेशों में, इस संबंध में कोई वृद्धि/ अस्वीकृति न देने का कोई
2	पीसीआईटी-4, चेन्नई	आई5 सार्वजनिक बैंक	2014-15	278.96	0.00	
3	पीसीआईटी-4, चेन्नई	आई5 सार्वजनिक बैंक	2015-16	270.20	0.00	
4	पीसीआईटी-4, चेन्नई	आई5 सार्वजनिक बैंक	2016-17	54.10	0.00	
5	पीसीआईटी-4, चेन्नई	आई5 सार्वजनिक बैंक	2017-18	483.39	0.00	
6	पीसीआईटी-4, चेन्नई	आई5 सार्वजनिक बैंक	2018-19	1,355.01	0.00	
7	पीसीआईटी-4, चेन्नई	आई5 सार्वजनिक बैंक	2019-20	840.27	0.00	

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) / परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को परिसंपत्तियों की विक्रय पर लाभ/हानि के कराधान के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत रुख (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीसीआईटी प्रभार	निर्धारिती बैंक/ एनबीएफसी का नाम पैन श्रेणी	नि. व.	प्रस्तुत न की गई आय	कटौती की अनुमति	विभाग के उत्तर सहित संक्षेप में मुद्दा
						कारण नहीं बताया गया था। आगे बताया गया (जुलाई 2023) कि निर्धारण वर्ष 2016-17 के संबंध में धारा 263 के अंतर्गत समय सीमा 31-03-2024 थी। निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
8	पीसीआईटी-1 चेन्नई	आई28 निजी बैंक	2017-18	178.55	0.00	एससी/एआरसी को बेची गई परिसंपत्तियों की विक्रय से प्राप्त लाभ पर कर आरोपित नहीं किया गया। उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
9	पीसीआईटी-1 चेन्नई	आई10 एनबीएफसी	2014-15	51.11	0.00	एससी/एआरसी को बेची गई परिसंपत्तियों की विक्रय से प्राप्त लाभ पर कर आरोपित नही किया गया। विभाग ने अपने उत्तर (फरवरी 2019) में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि कर उद्देश्यों के लिए, सकल बही मूल्य की तुलना प्राप्त प्रतिफल से की जानी चाहिए। चूँकि, ₹51.10 करोड़ के ऋण प्रावधान को पहले ही कर उद्देश्यों के लिए गैर-अनुमत किया जा चुका था, इसलिए इसे फिर से कराधान किया जाना से दोहरा कराधान होगा। विभाग का उत्तर असमर्थनीय है। यह तर्क कि लेखा-बही में

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) / परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को परिसंपत्तियों की विक्रय पर लाभ/हानि के कराधान के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत रुख (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**पीसीआईटी प्रभार**	**निर्धारिती बैंक/ एनबीएफसी का नाम पैन श्रेणी**	**नि. व.**	**प्रस्तुत न की गई आय**	**कटौती की अनुमति**	**विभाग के उत्तर सहित संक्षेप में मुद्दा**
						किए गए प्रावधानों को अस्वीकृत कर दिया गया था और वापस परिवर्धित कर दिया गया था, तथापि धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती के रूप में दावा करने योग्य है। जैसा कि धारा 143 के अंतर्गत धारा 92सीए(3) के साथ पठित दिनांक 29-12-2017 के निर्धारण आदेश से देखा जा सकता है, धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत ₹137.19 करोड़ की कटौती की अनुमति दी गई है। अतः, दोहरे कराधान का प्रश्न ही नहीं उठता। अग्रेतर उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
10	पीसीआईटी-1, चेन्नई	ई3 एनबीएफसी	2016-17	20.41	0.00	एससी/एआरसी को बेची गई परिसंपत्तियों की विक्रय से प्राप्त लाभ पर कर नहीं लगाया गया। उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)। धारा 147, धारा 144 और धारा 144 बी के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए मार्च 2025 में उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
11	पीसीआईटी-1, चेन्नई	ई3 एनबीएफसी	2017-18	13.88	0.00	
12	पीसीआईटी-1 चेन्नई	आई9 सार्वजनिक बैंक	2018-19	2,172.78	0.00	जबकि प्राप्त विक्रय प्रतिफल के नकद घटक को लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त प्रावधान के प्रत्यावर्तन के माध्यम से आय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, आर.सी. से प्राप्त प्रतिभूति

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) / परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को परिसंपत्तियों की विक्रय पर लाभ/हानि के कराधान के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत रुख (₹ करोड़ में)						
क्र. सं.	**पीसीआईटी प्रभार**	**निर्धारिती बैंक/ एनबीएफसी का नाम पैन श्रेणी**	**नि. व.**	**प्रस्तुत न की गई आय**	**कटौती की अनुमति**	**विभाग के उत्तर सहित संक्षेप में मुद्दा**
						प्राप्तियों के बही मूल्य को दर्शाने वाली राशि को कर के अधीन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
13	पीसीआईटी-1, मदुरै	टी3 सार्वजनिक बैंक	2016-17	0.00	657.84	एआरसी को परिसंपत्तियों की विक्रय पर नुकसान एआरसी को समनुदेशन/विक्रय के समय स्पष्ट नहीं हुआ है क्योंकि संव्यवहार "समनुदेशन" आधार पर है। चूँकि लेखा पुस्तकों में हानि को तकनीकी बट्टे खाते में डालने या वास्तविक बट्टे खाते में डालने के रूप में नहीं दर्शाया गया है, इसलिए ये धारा 36(1)(vii) के साथ पठित धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के रूप में कटौती के लिए योग्य नहीं हैं। इसलिए, एआरसी को बेची गई परिसंपत्तियों की विक्रय पर नुकसान का दावा, धारा 37 के अंतर्गत कटौती के रूप में दावा/अनुमति के रूप में, उचित नहीं है। यह बताना उचित होगा कि निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान, एआरसी को विक्रय पर हुए नुकसान को दर्शाने वाली राशि को निर्धारिती द्वारा स्वयं आय विवरण में वापस परिवर्धित कर दिया गया था।
14	पीसीआईटी-1, मदुरै	टी3 सार्वजनिक बैंक	2019-20	0.00	226.44	
15	पीसीआईटी-1, मदुरै	टी3 सार्वजनिक बैंक	2018-19	0.00	185.07	

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) / परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को परिसंपत्तियों की विक्रय पर लाभ/हानि के कराधान के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत रुख (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीसीआईटी प्रभार	निर्धारिती बैंक/ एनबीएफसी का नाम पैन श्रेणी	नि. व.	प्रस्तुत न की गई आय	कटौती की अनुमति	विभाग के उत्तर सहित संक्षेप में मुद्दा
						उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
16	पीसीआईटी-1, मदुरै	टी5 निजी बैंक	2015-16	0.00	27.43	एआरसी को परिसंपत्तियों की विक्रय पर हानि के प्रावधान हेतु परिशोधित राशि, एआरसी को समनुदेशन/विक्रय के समय तक उद्घाटित नहीं हुई है क्योंकि यह संव्यवहार "समनुदेशन" आधार पर है। चूँकि लेखा बहियों में हानि को तकनीकी बट्टे खाते में डालने या वास्तविक बट्टे खाते में डालने के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसलिए ये धारा 36(1)(vii) के साथ पठित धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के रूप में कटौती के लिए योग्य नहीं हैं। इसलिए, एआरसी को विक्रय की गई परिसंपत्तियों की विक्रय पर हानि के प्रावधान का दावा, जिसे धारा 37 के अंतर्गत कटौती के रूप में दावा/अनुमति दी गई है, उचित नहीं है। उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
17	पीसीआईटी-1, मदुरै	टी5 निजी बैंक	2016-17	0.00	76.33	
18	पीसीआईटी-1, मदुरै	टी5 निजी बैंक	2017-18	0.00	74.90	
19	पीसीआईटी-1, मदुरै	टी5 निजी बैंक	2018-19	0.00	31.29	
20	पीसीआईटी-2 हैदराबाद	के8 एनबीएफसी	2017-18	13.60	4.50	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) / परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को परिसंपत्तियों की विक्रय पर लाभ/हानि के कराधान के संबंध में आयकर विभाग द्वारा अपनाया गया असंगत रुख (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीसीआईटी प्रभार	निर्धारिती बैंक/ एनबीएफसी का नाम पैन श्रेणी	नि. व.	प्रस्तुत न की गई आय	कटौती की अनुमति	विभाग के उत्तर सहित संक्षेप में मुद्दा
21	पीसीआईटी, कोलकाता-2	यू2 निजी बैंक	2011-12, 2015-16	192.00	0.00	आयकर विभाग द्वारा “परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को वित्तीय परिसंपत्तियों की विक्रय पर लाभ” पर विचार करने में कोई स्थिरता नहीं है। विभाग ने अपने उत्तर (अप्रैल 2025) में बताया कि अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत संशोधन का प्रस्ताव निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित मामलों के लिए प्रस्तुत किया गया है। निर्धारण वर्ष 2011-12 के संबंध में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
कुल				**5,927.26**	**1,283.80**	

अनुलग्नक 4.13

{संदर्भित पैरा 4.6}

क्रम सं	अनुक्रम सं.	डीजी (सिस्टम) डेटा के अनुसार स्थिति	लेखापरीक्षा के अनुसार स्थिति	निर्धारिती का नाम
1	25215	एनबीएफसी	निजी बैंक	टी3
2	25216	एनबीएफसी	निजी बैंक	टी3
3	25217	एनबीएफसी	निजी बैंक	टी3
4	25218	एनबीएफसी	निजी बैंक	टी3
5	25219	एनबीएफसी	निजी बैंक	टी3
6	41462	एनबीएफसी	निजी बैंक	आई24
7	41463	एनबीएफसी	निजी बैंक	आई24
8	41464	एनबीएफसी	निजी बैंक	आई24
9	41465	एनबीएफसी	निजी बैंक	आई24
10	41466	एनबीएफसी	निजी बैंक	आई24
11	41467	एनबीएफसी	निजी बैंक	आई24
12	46983	एनबीएफसी	निजी बैंक	आई41
13	20052	एनबीएफसी	निजी बैंक	के1
14	20053	एनबीएफसी	निजी बैंक	के1
15	20057	एनबीएफसी	निजी बैंक	के1
16	20058	एनबीएफसी	निजी बैंक	के1
17	20061	एनबीएफसी	निजी बैंक	के1
18	20059	एनबीएफसी	निजी बैंक	के1
19	25349	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	डी8
20	25350	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	डी8
21	25351	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	डी8
22	25352	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	डी8
23	25353	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	डी8
24	54091	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	आर7
25	54092	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	आर7
26	54093	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	आर7
27	54094	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	आर7
28	54096	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	आर7
29	54097	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	आर7
30	13742	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	बी18
31	13743	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	बी18
32	13744	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	बी18
33	13745	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	बी18
34	13747	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	बी18
35	13749	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	बी18
36	13746	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	बी18
37	14846	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	डी1
38	14847	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	डी1

क्रम सं	अनुक्रम सं.	डीजी (सिस्टम) डेटा के अनुसार स्थिति	लेखापरीक्षा के अनुसार स्थिति	निर्धारिती का नाम
39	14849	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	डी1
40	14850	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	डी1
41	14848	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	डी1
42	14852	एनबीएफसी	विदेशी बैंक	डी1
43	26729	एनबीएफसी	सार्वजनिक बैंक	वी3
44	26730	एनबीएफसी	सार्वजनिक बैंक	वी3
45	26731	एनबीएफसी	सार्वजनिक बैंक	वी3
46	26732	एनबीएफसी	सार्वजनिक बैंक	वी3
47	61928	एनबीएफसी	सार्वजनिक बैंक	एस15
48	61929	एनबीएफसी	सार्वजनिक बैंक	एस18
49	61930	एनबीएफसी	सार्वजनिक बैंक	एस18
50	23149	एनबीएफसी	सार्वजनिक बैंक	पी4
51	23151	एनबीएफसी	सार्वजनिक बैंक	पी4
52	23152	एनबीएफसी	सार्वजनिक बैंक	पी4
53	23150	एनबीएफसी	सार्वजनिक बैंक	पी4

अनुलग्नक 5.1

{संदर्भित पैरा 5.5.1.1 और पैरा 6.3.1}

अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का विवरण अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते में उपलब्ध अथ शेष राशि को उचित रूप से समायोजित किए बिना दिया गया था **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	क्षेत्र/ पीसीसीआईटी प्रभार	नाम/ सेक्टर/ निर्धारण वर्ष	अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि	अनुमेय अशोध्य ऋणों की राशि	निर्धारण के अंतर्गत	अति निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	मुंबई पीसीआईटी 2, मुंबई	एस8 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	24,725.74	18,732.19	5,993.55	---	2,613.56	स्वीकृत (फरवरी 2022) और धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	मुंबई पीसीआईटी 2, मुंबई	एस8 निर्धारण वर्ष 2017-18	6,436	0	6,436	---	2,227.37	स्वीकृत (फरवरी 2022) और धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
3	मुंबई पीसीआईटी 2, मुंबई	एस8 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	24,725.74	15,867.89	8,857.85	---	3,065.52	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
4	मुंबई पीसीआईटी 2, मुंबई	एस8 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2019-20	54,694.33	37,635.85	17,058.48	---	5,960.91	स्वीकृत (जून 2022) और कहा गया कि उचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
5	मुंबई पीसीआईटी 2, मुंबई	बी2 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	2,202.78	2,114.05	88.73	---	30.71	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
6	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	आई24 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2017-18	2,566.33	2,382.66	183.67	---	63.57	विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2024) में बताया कि वर्तमान मामले में निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए संवीक्षा निर्धारण एनईएफएसी के समक्ष लंबित है और निर्धारण आदेश तैयार करते समय

अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का विवरण अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते में उपलब्ध अथ शेष राशि को उचित रूप से समायोजित किए बिना दिया गया था **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	क्षेत्र/ पीसीसीआईटी प्रभार	नाम/ सेक्टर/ निर्धारण वर्ष	अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि	अनुमेय अशोध्य ऋणों की राशि	निर्धारण के अंतर्गत	अति निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
								इस मुद्दे पर विचार करने के लिए 01.04.2024 को आईटीबीए पोर्टल पर सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
7	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	आई4 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2016-17	974.23	815.01	159.22	---	55.1	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
8	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	आई4 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2014-15	1,482.07	1,450.78	31.29	---	10.63	स्वीकृत (फरवरी 2022) और धारा 148 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई नवंबर 2021 में शुरू की गई। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है (नवंबर 2025)।
9	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	आई4 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2017-18	12,891.19	12,704.43	186.76	---	64.64	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
10	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	आई4 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	8,720.6	8,631.35	89.25	---	30.89	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
11	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	एच4 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	3,265.83	3,219.6	46.23	---	16	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
12	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	आई24 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	12,500.97	12,385.46	115.51	---	39.97	विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2024) में बताया कि धारा 148 के अंतर्गत पुनः निर्धारण का प्रस्ताव प्रगति पर है। अग्रेतर

अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का विवरण अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते में उपलब्ध अथ शेष राशि को उचित रूप से समायोजित किए बिना दिया गया था **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	क्षेत्र/ पीसीसीआईटी प्रभार	नाम/ सेक्टर/ निर्धारण वर्ष	अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि	अनुमेय अशोध्य ऋणों की राशि	निर्धारण के अंतर्गत	अति निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
								विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
13	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	आई7 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2015-16	367.24	130.57	236.67	---	80.44	स्वीकृत (जनवरी 2022) और नवंबर 2021 में धारा 148 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
14	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	आई7 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	1,010.55	1,003.85	6.7	---	2.32	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
15	मुंबई पीसीआईटी 6 मुंबई	एल4 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2016-17	119.45	70.09	49.36	---	17.08	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
16	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-6	एल4 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2019-20	554.11	549.05	5.06	---	1.77	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
17	मुंबई पीसीआईटी 3 मुंबई	एस10 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2019-20	221.89	134.57	87.32	---	30.51	मंत्रालय द्वारा स्वीकृत (जून 2025)। मार्च 2025 में धारा 148(1) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
18	मुंबई पीसीआईटी, पुणे-3	बी5 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2017-18	817.53	816.43	1.1	---	0.37	स्वीकृत (अप्रैल 2024) धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई पर विचार किया जाता है।
19	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-6	एम3 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2019-20	16.81	10.27	6.54	---	1.9	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का विवरण अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते में उपलब्ध अथ शेष राशि को उचित रूप से समायोजित किए बिना दिया गया था **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	क्षेत्र/ पीसीसीआईटी प्रभार	नाम/ सेक्टर/ निर्धारण वर्ष	अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि	अनुमेय अशोध्य ऋणों की राशि	निर्धारण के अंतर्गत	अति निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
20	मुंबई पीसीआईटी 6 मुंबई	एल1 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2017-18	23.29	0	23.29	---	8.06	उत्तर (फरवरी 2023) के अनुसार, अप्रैल 2022 में धारा 147 के अंतर्गत निर्धारण फिर से खोला गया। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
21	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-2	एल1 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 20-2019	265.66	0	265.66	---	92.83	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
22	अहमदाबाद प्रधान सीआईटीआई-, अहमदाबाद	एफ2 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2019-20	4.71	6.88	--	2.17	0.76	आयकर विभाग ने उत्तर दिया (मई 2024) कि अभ्युक्ति स्वीकार्य था और पुनः निर्धारण की प्रक्रिया नवंबर 2023 में शुरू की गई है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
23	जयपुर पीसीआईटी-1, जयपुर	ए19 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2018-19	1.78	0	1.78	---	0.73	उत्तर (सितंबर 2022) के अनुसार आपत्ति विचाराधीन है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
24	जयपुर पीसीआईटी-1, जयपुर	ए5 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2018-19	39.43	0	39.43	---	15.76	स्वीकृत (नवंबर 2025) मार्च 2023 में धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
25	कोलकाता पीसीआईटी 2, कोलकाता	बी11 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2017-18	31.18	22.65	8.53	---	2.95	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
26	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	यू2 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2017-18	4,414.68	2,450.52	1,964.16	---	679.74	अप्रैल 2024 में धारा 148 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई।

अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का विवरण अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते में उपलब्ध अथ शेष राशि को उचित रूप से समायोजित किए बिना दिया गया था (₹ करोड़ में)								
क्रम सं.	**क्षेत्र/ पीसीसीआईटी प्रभार**	**नाम/ सेक्टर/ निर्धारण वर्ष**	**अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि**	**अनुमेय अशोध्य ऋणों की राशि**	**निर्धारण के अंतर्गत**	**अति निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
								अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
27	कोलकाता पीसीआईटी 2, कोलकाता	बी11 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	51	25.91	25.09	---	8.68	पैरा 5.2.4.2 (अप्रैल 2024) में दिए गए विवरण के अनुसार स्वीकार नहीं किया गया। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
28	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	बी11 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2019-20	277.49	77.26	200.23	---	69.96	पैरा 5.2.4.2 (अप्रैल 2024) में दिए गए विवरण के अनुसार स्वीकार नहीं किया गया। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
29	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	यू2 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	7,343.38	0	7,343.38	---	2,541.40	मार्च 2024 में धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
30	कोलकाता सीआईटी (आईटी और टीपी), कोलकाता	आर7 विदेशी बैंक निर्धारण वर्ष 2014-15	113.59	110.52	3.07	---	1.33	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
31	दिल्ली पीसीआईटी 4, दिल्ली	आई21 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2016-17	539.52	359.72	179.80	---	88.14	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
32	दिल्ली पीसीआईटी 4, दिल्ली	आई21 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2017-18	658.8	589.97	68.83	---	23.82	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
33	दिल्ली पीसीआईटी-7, दिल्ली	ओ2 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2013-14	1,393.20	549.25	843.95	---	273.82	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का विवरण अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते में उपलब्ध अथ शेष राशि को उचित रूप से समायोजित किए बिना दिया गया था **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	क्षेत्र/ पीसीसीआईटी प्रभार	नाम/ सेक्टर/ निर्धारण वर्ष	अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि	अनुमेय अशोध्य ऋणों की राशि	निर्धारण के अंतर्गत	अति निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
34	दिल्ली पीसीआईटी-7, दिल्ली	ओ2 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2014-15	1,231.56	168.83	1,062.73	---	361.22	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
35	दिल्ली पीसीआईटी-7, दिल्ली	ओ2 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	7,235.20	5,869.51	1,365.69	---	472.64	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
36	दिल्ली पीसीआईटी-7, दिल्ली	यू3 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2014-15	401.48	0	401.48	---	136.46	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
37	दिल्ली पीसीआईटी 4, दिल्ली	डी5 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2018-19	12	11.75	0.25	---	0.12	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
38	दिल्ली पीसीआईटी 7, दिल्ली	पी6 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2018-19	18.3	13.21	5.10	---	1.76	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
39	दिल्ली पीसीआईटी 7, दिल्ली	पी6 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2019-20	26.8	11.27	15.52	---	5.42	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
40	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	ए13 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	8,088.20	6,744.17	1,344.03	---	465.14	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर (2025।
41	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	ए13 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2014-15	785.23	0	785.23	---	266.9	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
42	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	ए13 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2015 16	1,697.68	0	1,697.68	---	577.04	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का विवरण अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते में उपलब्ध अथ शेष राशि को उचित रूप से समायोजित किए बिना दिया गया था **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	क्षेत्र/ पीसीसीआईटी प्रभार	नाम/ सेक्टर/ निर्धारण वर्ष	अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि	अनुमेय अशोध्य ऋणों की राशि	निर्धारण के अंतर्गत	अति निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
43	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	ए13 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2016-17	1,842.70	0	1,842.70	---	637.72	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
44	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	ए13 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2017-18	2,123.74	0	2,123.74	---	734.98	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
45	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	आई5 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	9.11	0	9.11	---	3.1	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
46	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	आई5 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	599.3	19.38	579.92	---	197.11	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
47	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	आई5 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	0	1,377.71	---	1,377.71	476.8	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
48	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	आई5 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	3,903.9	8,000.42	---	4,096.52	874.26	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
49	चेन्नई पीसीआईटी 1, मदुरै	टी6 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2014-15	29.36	24.41	4.95	---	1.68	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
50	चेन्नई पीसीआईटी 1, मदुरै	टी6 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2016-17	96.55	71.81	24.74	---	8.56	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का विवरण अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते में उपलब्ध अथ शेष राशि को उचित रूप से समायोजित किए बिना दिया गया था **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	क्षेत्र/ पीसीसीआईटी प्रभार	नाम/ सेक्टर/ निर्धारण वर्ष	अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि	अनुमेय अशोध्य ऋणों की राशि	निर्धारण के अंतर्गत	अति निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
51	चेन्नई पीसीआईटी 1, मदुरै	टी6 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2017-18	241.72	233.16	8.56	---	2.96	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
52	चेन्नई पीसीआईटी 1, मदुरै	टी6 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	592.95	583.53	9.42	---	3.26	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
53	चेन्नई पीसीआईटी 1, मदुरै	टी3 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2015-16	342.67	418	---	75.33	25.6	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
54	चेन्नई पीसीआईटी 1, मदुरै	टी3 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2016-17	223.95	99.55	124.4	---	43.05	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
55	चेन्नई पीसीआईटी 1, मदुरै	टी3 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2017-18	0	222.42	---	222.42	76.97	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
56	चेन्नई पीसीआईटी 1, मदुरै	टी3 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	817.51	634.37	183.14	---	63.38	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
57	चेन्नई पीसीआईटी 1, मदुरै	टी3 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2014-15	123.48	65.82	57.66	---	19.6	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
58	चेन्नई पीसीआईटी 1, मदुरै	टी5 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2015-16	17.92	54.8	---	36.88	12.54	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
59	चेन्नई पीसीआईटी 1, मदुरै	टी5 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2016-17	89.88	125.03	---	35.15	12.17	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का विवरण अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते में उपलब्ध अथ शेष राशि को उचित रूप से समायोजित किए बिना दिया गया था (₹ करोड़ में)								
क्रम सं.	**क्षेत्र/ पीसीसीआईटी प्रभार**	**नाम/ सेक्टर/ निर्धारण वर्ष**	**अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि**	**अनुमेय अशोध्य ऋणों की राशि**	**निर्धारण के अंतर्गत**	**अति निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
60	चेन्नई पीसीआईटी 1, मदुरै	टी5 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2017-18	25.35	8.01	17.34	---	6	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
61	चेन्नई पीसीआईटी 1, मदुरै	टी5 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	298.2	247.16	51.04	---	17.67	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
62	चेन्नई पीसीआईटी 1, मदुरै	टी3 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2019-20	806.88	599.77	207.11	---	72.37	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
63	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	सी2 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2018-19	96.88	47.42	49.46	---	17.12	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
64	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	एच12 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2018-19	1,149.45	1,134.65	14.8	---	5.12	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
65	चेन्नई पीसीआईटी-3, चेन्नई	एस32 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2018-19	8.44	6.19	2.25	---	0.78	पीसीआईटी 3, चेन्नई ने धारा 263 (नवंबर 2023) के अंतर्गत आदेश पारित किया है। प्रभावी आदेश देने के संबंध में अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
66	चेन्नई पीसीआईटी-3, चेन्नई	एस19 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2018-19	4.4	0	4.4	---	1.52	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
67	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	आई4 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2015-16	792.11	768.64	23.47	---	11.73	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का विवरण अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते में उपलब्ध अथ शेष राशि को उचित रूप से समायोजित किए बिना दिया गया था **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	क्षेत्र/ पीसीसीआईटी प्रभार	नाम/ सेक्टर/ निर्धारण वर्ष	अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि	अनुमेय अशोध्य ऋणों की राशि	निर्धारण के अंतर्गत	अति निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
68	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-6	आई12 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2018-19	92.02	70.03	21.99	---	7.61	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
69	अहमदाबाद पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एच10 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2018-19	318.85	318.87	---	0.02	0.01	आयकर विभाग ने उत्तर दिया (मई 2024) कि धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई को पीसीआईटी-1 अहमदाबाद द्वारा 21.12.2023 को अनुमोदित कर दिया गया था। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
70	केरल पीसीआईटी, कोझिकोड	टी13 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	7.84	0.50	7.34	---	2.27	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
71	बेंगलुरु पीसीआईटी-2 बेंगलुरु	सी8 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2018-19	5.54	0	5.54	---	1.94	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
72	चेन्नई	एफ1 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2019-20	1.75	0	1.75	---	0.61	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
73	दिल्ली पीसीआईटी-7	यू3 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	4,474.08	3,561.94	912.14	---	315.67	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)
74	कोलकाता	ई6 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2018-19	1.98	1.69	0.29	---	0.10	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)

अशोध्य ऋणों के लिए कटौती का विवरण अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते में उपलब्ध अथ शेष राशि को उचित रूप से समायोजित किए बिना दिया गया था **(₹ करोड़ में)**

क्रम सं.	**क्षेत्र/ पीसीसीआईटी प्रभार**	**नाम/ सेक्टर/ निर्धारण वर्ष**	**अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि**	**अनुमेय अशोध्य ऋणों की राशि**	**निर्धारण के अंतर्गत**	**अति निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
75	केरल पीसीआईटी, कोझीकोड	टी12 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2017-18	521.23	170.3	350.93	---	121.45	विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है और प्रत्युत्तर जारी किया गया
76	पीसीआईटी, कोलकाता-2	यू2 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2010-11	327.47	0	327.47	---	111.31	विभाग ने अपने उत्तर (अप्रैल 2025) में बताया कि उपचारात्मक उपाय शुरू करने के लिए समय बीत जाने के बाद सूचना प्राप्त हुई थी जोकि तर्कसंगत नहीं है।
77	पीसीआईटी, कोलकाता-2	यू2 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2011-12	570.05	0	570.05	---	189.34	
78	पीसीआईटी, कोलकाता-2	यू2 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2012-13	333.19	0	333.19	---	108.09	
79	पीसीआईटी, कोलकाता-2	यू2 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2015-16	1,836.37	435.23	1,401.14	---	624.05	
80	पीसीआईटी, कोलकाता-2	यू2 सार्वजनकि बैंक निर्धारण वर्ष 2016-17	6,299.37	4,726.11	1,573.26	---	1,099.39	
	कुल		**2,21,973.74**	**1,59,692.47**	**68,127.50**	**5,846.20**	**26,315.83**	

अनुलग्नक 5.2

{संदर्भित पैरा 5.5.1.2}

अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की गलत अनुमति-अन्य मुद्दे							**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**क्षेत्र प्रधान सीआईटीसी/ आईटी**	**निर्धारिती का नाम /क्षेत्र/ निर्धारण वर्ष**	**अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि**	**अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि**	**कम निर्धारण का मूल्य**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
1	मुंबई पीसीआईटी 6 मुंबई	आर2 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2015-16	179	0	179	61.95	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
2	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	एल1 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2015-16	59.36	29.68	29.68	10.09	क्षेत्रीय सत्यापन के अनुसार (मार्च 2023) धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
3	मुंबई पीसीआईटी मुंबई 2	एल1 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2016-17	69.16	34.58	34.58	11.75	क्षेत्रीय सत्यापन के अनुसार (मार्च 2023) धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
4	अहमदाबाद पीसीआईटी-सेंट्रल सूरत	बी3 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2015-16	0.35	0	0.35	0.14	अस्वीकृत (मार्च 2022) प्रत्युत्तर जारी किया गया (नवंबर 2025)।
5	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	यू2 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2015-16	1,836.37	435.23	1,401.14	420.34	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
6	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	यू2 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2016-17	6,299.34	4,726.11	1,573.23	544.46	सितंबर 2025 में धारा 263 के अंतर्गत नोटिस जारी करके उपचारात्मक

अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की गलत अनुमति-अन्य मुद्दे							**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**क्षेत्र प्रधान सीआईटीसी/ आईटी**	**निर्धारिती का नाम /क्षेत्र/ निर्धारण वर्ष**	**अनुमत्त अशोध्य ऋणों की राशि**	**अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि**	**कम निर्धारण का मूल्य**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
							कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
7	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	यू2 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2017-18	4,414.68	2,450.55	1,964.13	679.74	पीसीआईटी-2 कोलकाता के उत्तर में, अप्रैल 2024 (अप्रैल 2025) में धारा 148 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
8	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	यू2 सार्वजनिक बैंक निर्धारण वर्ष 2018-19	7,343.37	4,637.99	2,705.38	936.27	मार्च 2025 में धारा 263 के अंतर्गत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।
9	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	एस3 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2016-17	47.08	41.02	6.06	2.1	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
10	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	पी12 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2017-18	0.57	0.50	0.07	0.03	विभाग ने बताया कि (अप्रैल 2025) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति तथ्यात्मक रूप से सही है एवं (मार्च 2024) में धारा 154/143 (3) के अंतर्गत नोटिस

अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की गलत अनुमति-अन्य मुद्दे							**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**क्षेत्र प्रधान सीआईटीसी/ आईटी**	**निर्धारिती का नाम /क्षेत्र/ निर्धारण वर्ष**	**अनुमत्त अशोध्य ऋणों की राशि**	**अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि**	**कम निर्धारण का मूल्य**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
							जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
11	बेंगलुरु पीसीआईटी-पणजी (पूर्ववर्ती क्षेत्राधिकार: पीसीआईटी-मंगलुरु)	टी15 निजी बैंक निर्धारण वर्ष 2019-20	763.56	131.63	631.93	287.07	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
12	चेन्नई पीसीआईटी-3, चेन्नई	एस6 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2018-19	5,392.92	0	5,392.92	1,866.38	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
13	चेन्नई पीसीआईटी-3, चेन्नई	एस7 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2017-18	1,236.19	0	1,236.19	427.82	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
14	चेन्नई पीसीआईटी-3, चेन्नई	एस7 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2018-19	1,781.12	0	1,781.12	616.41	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
15	चेन्नई पीसीआईटी-3, चेन्नई	टी16 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2017-18	35.15	0	35.15	10.3	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
16	चेन्नई पीसीआईटी-3, चेन्नई	टी16 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2018-19	29.76	0	29.76	12.17	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
17	चेन्नई पीसीआईटी-3, चेन्नई	एस6 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2017-18	3,627.59	0	3,627.59	1,255.44	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की गलत अनुमति-अन्य मुद्दे							(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र प्रधान सीआईटीसी/ आईटी**	**निर्धारिती का नाम /क्षेत्र/ निर्धारण वर्ष**	**अनुमत्त अशोध्य ऋणों की राशि**	**अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि**	**कम निर्धारण का मूल्य**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
18	केरल पीसीआईटी, त्रिवेंद्रम	के6 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2016-17	58.67	57.84	0.83	0.29	विभाग ने (अक्टूबर 2022) उत्तर दिया कि मामले पर विचार किया जाएगा। अंतिम विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
19	केरल पीसीआईटी, त्रिवेंद्रम	के6 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2017-18	120.61	119.81	0.8	0.28	विभाग ने (अक्टूबर 2022) उत्तर दिया कि मामले पर विचार किया जाएगा। अंतिम विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
20	केरल पीसीआईटी, त्रिवेंद्रम	के6 एनबीएफसी निर्धारण वर्ष 2019-20	167.67	167.04	0.63	0.22	विभाग ने (अक्टूबर 2022) उत्तर दिया कि मामले पर विचार किया जाएगा। अंतिम विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
		कुल	**33,462.52**	**12,831.98**	**20,630.54**	**7,143.25**	

अनुलग्नक 5.3

{संदर्भित पैरा 5.5.2.1}

धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए कटौती से संबंधित मुद्दे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र/ प्रधान सीआईटी/ सीआईटी	सेक्टर	निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-2	सार्वजनिक बैंक	एस8	2018-19	112.42	सैद्धांतिक रूप में स्वीकार किया गया (फरवरी 2022)। निर्धारिती सीआईटी (अपील) के समक्ष अपीलीय है।
2	मुंबई सीआईटी (आईटी), मुंबई-2	विदेशी बैंक	डी1	2016-17	43.89	स्वीकृत (अगस्त 2023)। धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई (मई 2022)।
3	मुंबई सीआईटी (आईटी), मुंबई-2	विदेशी बैंक	डी1	2015-16	42.56	स्वीकृत (अगस्त 2023)। धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई (नवंबर 2022)।
4	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-6	एनबीएफसी	एल4	2017-18	0.63	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
5	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-2	एनबीएफसी	एल1	2017-18	9.15	स्वीकृत एवं मार्च 2022 में धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
6	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-3	एनबीएफसी	टी4	2019-20	15.04	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (जून 2025) किया एवं कहा कि मार्च 2024 में आयकर अधिनियम की धारा 263 के अंतर्गत आदेश जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
7	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-3	एनबीएफसी	टी4	2018-19	63.85	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (जून 2025) किया एवं कहा कि मार्च 2024 में आयकर अधिनियम की धारा 263 के

धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए कटौती से संबंधित मुद्दे (₹ करोड़ में)						
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान सीआईटी/ सीआईटी**	**सेक्टर**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
						अंतर्गत आदेश जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
8	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-6	एनबीएफसी	आई17	2019-20	0.13	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
9	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-6	एनबीएफसी	सी11	2018-19	0.20	क्षेत्रीय सत्यापन के अनुसार लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने (मार्च 2025) में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 263 के साथ पठित धारा 144बी अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की है
10	मुंबई पीसीआईटी, पुणे-3	एनबीएफसी	बी9	2018-19	0.64	स्वीकृत (अप्रैल 2024)। उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। आगे का अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
11	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-6	एनबीएफसी	आई13	2018-19	0.36	स्वीकृत (अक्टूबर 2024)। धारा 143(3) के साथ पठित धारा 263 के अंतर्गत दिनांक 27.02.2024 को उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
12	मुंबई पीसीआईटी, पुणे-3	एनबीएफसी	बी5	2019-20	6.93	स्वीकृत (अप्रैल 2024)। धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है। अग्रेतर सूचना प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
13	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-1	एनबीएफसी	एस26	2017-18	0.80	अस्वीकृत (दिसंबर 2023)। प्रत्युत्तर जारी किया गया (मार्च 2024)।
14	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-6	एनबीएफसी	सी11	2017-18	0.20	दायर सत्यापन के अनुसार लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने (फरवरी 2025) में

धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए कटौती से संबंधित मुद्दे (₹ करोड़ में)						
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान सीआईटी/ सीआईटी**	**सेक्टर**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
						धारा 147 के साथ पठित धारा 144बी अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की है।
15	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-2	एनबीएफसी	आई26	2017-18	0.39	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
16	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-6	एनबीएफसी	आई17	2017-18	0.07	आयकर विभाग (नवंबर 2025) ने स्वीकार किया और फरवरी 2022 में धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
17	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-2	एनबीएफसी	एल1	2019-20	10.84	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
18	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-6	एनबीएफसी	एल4	2016-17	0.45	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
19	अहमदाबाद प्रधान सीआईटी-I, अहमदाबाद	एनबीएफसी	एफ2	2019-20	3.32	आयकर विभाग ने उत्तर दिया (मई 2024) कि अभ्युक्ति स्वीकार्य थी और पुनः निर्धारण की प्रक्रिया मार्च 2023 में शुरू की गई है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
20	अहमदाबाद प्रधान सीआईटी-I, अहमदाबाद	एनबीएफसी	एफ2	2018-19	1.12	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
21	अहमदाबाद प्रधान सीआईटी-I, अहमदाबाद	एनबीएफसी	एच10	2018-19	3.74	आयकर विभाग ने उत्तर दिया (मई 2024) कि धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई को पीसीआईटी-1 अहमदाबाद द्वारा 21.12.2023 को अनुमोदित कर दिया गया था। अग्रेतर

धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए कटौती से संबंधित मुद्दे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान सीआईटी/ सीआईटी**	**सेक्टर**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
						विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
22	हैदराबाद पीसीआईटी 1	एनबीएफसी	एस28	2017-18	1.27	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (सितंबर 2025) किया एवं कहा कि जून 2025 में आयकर अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत आदेश जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
23	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफसी	एस3	2014-15	0.68	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
24	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफसी	एस3	2012-13	0.44	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
25	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	निजी बैंक	बी11	2019-20	103.22	विभाग (अप्रैल 2025) उत्तर दिया एवं कहा कि जून 2025 में धारा 148 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शरू की गई है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
26	कोलकाता पीसीआईटी, सिलीगुड़ी	एनबीएफसी	यू5	2017-18	18.87	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
27	कोलकाता पीसीआईटी गुवाहाटी	एनबीएफसी	एन1	2017-18	0.01	स्वीकार किया गया (मई 2024) और धारा 154 के अंतर्गत दिनांक 16.03.2022 के आदेश द्वारा त्रुटि को सुधारा गया।
28	कोलकाता पीसीआईटी गुवाहाटी	एनबीएफसी	एन1	2018-19	1.39	स्वीकार किया गया (मई 2024) और धारा 147/144बी के अंतर्गत

धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए कटौती से संबंधित मुद्दे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र/ प्रधान सीआईटी/ सीआईटी	सेक्टर	निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
						दिनांक 27.03.2024 के आदेश द्वारा त्रुटि को सुधारा गया।
29	कोलकाता पीसीआईटी गुवाहाटी	एनबीएफसी	एन1	2019-20	3.16	स्वीकार किया गया (मई 2024) और धारा 147/144बी के अंतर्गत दिनांक 28.03.2024 के आदेश द्वारा त्रुटि को सुधारा गया।
30	बेंगलुरु पीसीआईटी-2, बेंगलुरु	सार्वजनिक बैंक	एस15	2019-20	15.97	स्वीकृत (जनवरी 2023)।
31	बेंगलुरु पीसीआईटी-2, बेंगलुरु	सार्वजनिक बैंक	एस15	2018-19	171.19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
32	बेंगलुरु पीसीआईटी- पणजी (पूर्ववर्ती क्षेत्राधिकार: पीसीआईटी- मंगलुरु)	निजी बैंक	टी15	2018-19	2.52	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
33	दिल्ली पीसीआईटी-4	एनबीएफसी	आर1	2019-20	96.43	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
34	दिल्ली पीसीआईटी-4	एनबीएफसी	आई21	2018-19	63.13	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
35	दिल्ली सीआईटी (आईटी)-1	विदेशी बैंक	सी5	2017-18	0.42	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
36	मध्य प्रदेश पीसीआईटी-1, भोपाल	एनबीएफसी	सी7	2019-20	0.20	विभाग द्वारा स्वीकार नही किया गया (जुलाई 2024) एवं प्रत्युत्तर जारी किया गया (नवंबर 2024)
37	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	निजी बैंक	आई28	2016-17	3.98	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
38	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई9	2017-18	1.31	नवंबर 2022 में धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई। हालाँकि लेखापरीक्षा बिंदु पर विचार नहीं किया गया। प्रत्युत्तर

धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए कटौती से संबंधित मुद्दे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान सीआईटी/ सीआईटी**	**सेक्टर**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
						जारी किया गया (जुलाई 2022)
39	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई9	2018-19	1.12	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
40	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	एनबीएफसी	आई10	2016-17	2.94	नवंबर 2022 में धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
41	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2019-20	138.66	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
42	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2015-16	17.87	विभाग ने बताया (जनवरी 2023) कि नवंबर 2022 में धारा 144बी के साथ धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
43	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2014-15	5.10	मार्च 2022 में धारा 144बी के साथ धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
44	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	एनबीएफसी	आर8	2017-18	0.88	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
45	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	एनबीएफसी	आर8	2018-19	0.96	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
46	चेन्नई पीसीआईटी-3, चेन्नई	एनबीएफसी	एस19	2018-19	0.50	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
47	केरल पीसीआईटी (सेंट्रल), कोच्चि	एनबीएफसी	एम10	2017-18	2.96	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
48	केरल पीसीआईटी, कोझिकोड	निजी बैंक	टी12	2017-18	1.93	मार्च 2023 में धारा 263 के साथ धारा 143 के अंतर्गत स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
49	कोलकाता	निजी बैंक	बी11	2017-18	10.79	विभाग ने अपने उत्तर (अप्रैल 2025) में बताया कि धारा 148ए(डी) के अंतर्गत नोटिस

धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए कटौती से संबंधित मुद्दे (₹ करोड़ में)						
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान सीआईटी/ सीआईटी**	**सेक्टर**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
	पीसीआईटी, कोलकाता-2					जारी कर दिया गया है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है।
50	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	सार्वजनिक बैंक	यू2	2012-13	105.70	विभाग को एक्यू जारी किया गया (मार्च 2022)। तथापि विभाग ने अपने उत्तर (अप्रैल 2025) में बताया कि उपचारात्मक उपाय शुरू करने के लिए समय बीत जाने के बाद सूचना प्राप्त हुई थी जोकि तर्कसंगत नहीं है।
51	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	सार्वजनिक बैंक	यू2	2011-12	21.80	
52	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-2	सार्वजनिक बैंक	यू2	2012-13	38.83	
कुल					**1,150.96**	

अनुलग्नक 5.4

{संदर्भित पैरा 5.5.2.2}

ग्रामीण विकास अग्रिमों पर आधारित अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की अनियमित अनुमति (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र/ प्रधान सीआईटी/ सीआईटी	निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष/ सेक्टर	अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)	स्वीकार्य अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)	अल्प निर्धारण	अति निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-3	यू1 2016-17 सार्वजनिक बैंक	2,022.31	1,934.20	88.11	---	41.47	उत्तर में (जुलाई 2024) विभाग ने बताया कि मामला पुनः उठाया गया है और मार्च 2021 को धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है तथा जाँच निर्धारण फेसलेस इकाई के पास लंबित है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-2	आई7 2016-17 निजी बैंक	412.01	395.66	16.35	---	8.20	स्वीकृत (अप्रैल 2022) और मार्च 2022 में धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
3	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-2	आई7 2014-15 निजी बैंक	223.34	212.93	10.41	---	3.54	स्वीकृत (मार्च 2021) एवं दिसंबर 2019 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
4	मुंबई पीसीआईटी, मुंबई-2	आई7 2015-16 निजी बैंक	269.31	255.98	13.33	---	4.53	उत्तर प्रतीक्षित था नवंबर) (2025।
5	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	ई4 2017-18 निजी बैंक	24.28	0.00	24.28	---	8.40	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
6	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	ई4 2018-19 निजी बैंक	10.89	0.00	10.89	---	3.77	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
7	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	ई4 2018-19 निजी बैंक	11.38	0.00	11.38	---	3.98	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
8	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	आई5 2014-15 सार्वजनिक बैंक	1,635.54	95.73	1,539.81	---	523.38	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

ग्रामीण विकास अग्रिमों पर आधारित अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की अनियमित अनुमति (₹ करोड़ में)								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान सीआईटी/ सीआईटी**	**निर्धारिती का नाम/ निर्धारण वर्ष/ सेक्टर**	**अनुमत अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**स्वीकार्य अशोध्य ऋणों की राशि (₹ करोड़ में)**	**अल्प निर्धारण**	**अति निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
9	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	आई5 2015-16 सार्वजनिक बैंक	2,158.15	538.28	1,619.87	---	550.59	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
10	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	आई5 2016-17 सार्वजनिक बैंक	705.06	257.72	447.34	---	154.82	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
11	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	आई5 2017-18 सार्वजनिक बैंक	750.75	295.82	454.93	---	157.44	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
12	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	आई5 2018-19 सार्वजनिक बैंक	422.41	0	422.41	---	146.19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
13	चेन्नई पीसीआईटी-1, मदुरै	टी6 2014-15 निजी बैंक	4.63	140.73	---	136.10	46.26	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
14	चेन्नई पीसीआईटी-1, मदुरै	टी6 2016-17 निजी बैंक	8.56	133.61	---	125.05	43.28	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
15	चेन्नई पीसीआईटी-1, मदुरै	टी6 2017-18 निजी बैंक	9.42	278.40	---	268.98	93.09	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
16	चेन्नई पीसीआईटी-1, मदुरै	टी6 2018-19 निजी बैंक	1.01	91.62	---	90.61	31.36	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
कुल			**8,669.05**	**4,630.68**	**4,659.11**	**620.74**	**1,820.30**	

अनुलग्नक 5.5

{संदर्भित पैरा 5.5.3}

धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति							**(₹ करोड़ में)**
क्र.सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/एनबीए फसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**निर्धारण के अंतर्गत**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
1	जयपुर पीसीआईटी-1 जयपुर	एनबीएफसी	ए19	2017-18	2.07	0.72	स्वीकृत (नवंबर 2025)। मार्च 2023 में धारा 3 (3) के साथ पठित धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
2	जयपुर पीसीआईटी-1 जयपुर	एनबीएफसी	ए19	2018-19	2.97	1.22	स्वीकृत (नवंबर 2025)। धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरु की गई।
3	बेंगलुरु पीसीआईटी-2 बेंगलुरु	सार्वजनिक बैंक	एस15	2017-18	140.28	64.32	अस्वीकृत (मार्च2021) जैसा कि पैरा 5.1.3.6 में विस्तृत है।
4	चंडीगढ़ सीआईटी श्रीनगर	निजी बैंक	टी8	2012-13	48.75	30.05	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
5	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	एनबीएफसी	आई10	2015-16 और 2016-17	96.32	33.11	मार्च 2022 में निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2016-17 दोनों के लिए धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
6	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	निजी बैंक	आई28	2016-17 और 2017-18	107.22	37.11	स्वीकृत (अप्रैल 2022) और निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए नवंबर 2025 में उपचारात्मक कार्रवाई की गई। निर्धारण वर्ष 2017-18 (नवंबर 2025) के लिए उत्तर प्रतीक्षित है।

धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति							(₹ करोड़ में)
क्र.सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**निर्धारण के अंतर्गत**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
7	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	एनबीएफसी	आर8	2012-13 और 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18	15.52	5.27	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
8	चेन्नई पीसीआईटी-3, चेन्नई	एनबीएफसी	एस19	2018-19	0.65	0.23	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
9	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई9	2018-19	23.53	8.14	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
10	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	एनबीएफसी	ए18	2018-19 और 2019-20	20.02	6.96	निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 (नवंबर 2025) के लिए उत्तर प्रतीक्षित है।
11	केरल पीसीआईटी, कोझिकोड	निजी बैंक	टी12	2015-16	10.68	4.83	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
12	केरल पीसीआईटी, तिरुवनंतपुरम	एनबीएफसी	के6	2016-17	0.15	0.05	नवंबर 2023 में धारा 154 के अंतर्गत स्वीकार किया गया और उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
13	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई9	2017-18	50.30	17.41	मार्च 2022 में धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई। ₹ 50.03 करोड़ के संपूर्ण दावे के बरक्श ₹ 4.19 करोड़ की अस्वीकृति की गई।
14	दिल्ली पीसीआईटी-7	सार्वजनिक बैंक	पी1	2014-15	7.53	2.56	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
15	दिल्ली पीसीआईटी-4	एनबीएफसी	आई21	2016-17	15.00	6.91	उत्तर प्रतीक्षित था (2025 नवंबर)।
16	हैदराबाद	एनबीएफसी	ए7	2016-17	0.22	0.08	विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2022) कि

धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति							(₹ करोड़ में)
क्र.सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**निर्धारण के अंतर्गत**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
	पीसीआईटी-1 हैदराबाद						धारा 148 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
17	मुंबई पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफसी	एल4	2014-15	3.96	1.37	उत्तर प्रतीक्षित था (2025 नवंबर)।
18	मुंबई पीसीआईटी-6 मुंबई	एनबीएफसी	जी2	2017-18	0.15	0.05	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
19	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	एनबीएफसी	आई15	2017-18	0.41	0.14	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
20	मुंबई पीसीआईटीसीसी 3 मुंबई	एनबीएफसी	आई2	2011-12	2.54	0.88	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
21	मुंबई पीसीआईटी 6 मुंबई	एनबीएफसी	आई2	2017-18	5.40	1.84	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
22	मुंबई पीसीआईटी 6 मुंबई	एनबीएफसी	ई1	2015-16	75.75	32.51	स्वीकृत (जून 2023) और अप्रैल 2023 में धारा 148ए (डी) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
23	मुंबई पीसीआईटी 3 मुंबई	एनबीएफसी	आर9	2016-17	12.44	4.30	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
24	मुंबई पीसीआईटी 8 मुंबई	एनबीएफसी	बी2	2018-19	426.81	145.07	स्वीकृत (फरवरी 2022) और धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती की गलत अनुमति							(₹ करोड़ में)
क्र.सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/एनबीए फसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**निर्धारण के अंतर्गत**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
25	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	सार्वजनिक बैंक	आई4	2016-17	159.37	55.16	स्वीकृत। नवंबर 2019 में धारा 263 के साथ धारा 143(3) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
26	मुंबई पीसीआईटी 2	निजी बैंक	आई4	2016-17	53.59	18.22	स्वीकृत (फरवरी 2022) और धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
27	मुंबई पीसीआईटी 2	निजी बैंक	आई4	2014-15	42.70	21.34	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
28	मुंबई पीसीआईटी 2	निजी बैंक	एस10	2015-16	1.44	0.66	स्वीकृत (फरवरी 2023) और मार्च 2022 में धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई।
29	कोलकाता पीसीआईटी-2 कोलकाता	एनबीएफसी	एस3	2015-16	14.55	4.95	उत्तर प्रतीक्षित था (2025 नवंबर)।
30	कोलकाता पीसीआईटी-2 कोलकाता	एनबीएफसी	एस3	2016-17	29.27	10.13	उत्तर प्रतीक्षित था (2025 नवंबर)।
31	कोलकाता पीसीआईटी-2 कोलकाता	एनबीएफसी	एस3	2017-18	49.34	11.38	उत्तर प्रतीक्षित था (2025 नवंबर)।
32	दिल्ली पीसीआईटी-4 दिल्ली	एनबीएफसी	आई21	2017-18	12.17	4.21	स्वीकार किया गया (अगस्त 2023) और मई 2023 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
कुल					**1,431.10**	**531.18**	

अनुलग्नक 5.6

{संदर्भित पैरा 5.5.4.2}

छूट प्राप्त आय के समक्ष धारा 14ए के अंतर्गत व्यय की गलत अननुमति										(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**दावा की गई छूट प्राप्त आय**	**निर्धारिती / आयकर विभाग द्वारा अननुमत व्यय**	**लेखापरीक्षा के अनुसार गैर-अनुमत व्यय**	**निर्धारण के अंतर्गत**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
1	अहमदाबाद पीसीआईटी-1, अहमदाबाद	एनबीएफसी	एम4	2018-19	0.05	0.02	0.11	0.09	0.04	धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई (मार्च 2023)। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	अहमदाबाद पीसीआईटी-3, अहमदाबाद	एनबीएफसी	जी4	2018-19	3.79	0.40	0.89	0.49	0.24	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।
3	अहमदाबाद पीसीआईटी-वलसाड	एनबीएफसी	एम13	2015-16	10.50	0.00	2.26	2.26	0.47	अस्वीकृत (दिसंबर 2022)। प्रत्युत्तर जारी किया गया (नवंबर 2025)।
4	अहमदाबाद पीसीआईटी-वलसाड	एनबीएफसी	एम13	2016-17	15.13	0.00	2.69	2.69	0.57	अस्वीकृत (दिसंबर 2022)। प्रत्युत्तर जारी किया गया (नवंबर 2025)।
5	अहमदाबाद पीसीआईटी-वलसाड	एनबीएफसी	एम13	18-2017	5.74	0.00	2.24	2.24	0.48	अस्वीकृत (दिसंबर 2022) प्रत्युत्तर जारी किया गया (नवंबर 2025)।
6	बेंगलुरु पीसीआईटी-2 बेंगलुरु	सार्वजनिक बैंक	एस15	2015-16	26.31	0.07	75.61	75.54	25.68	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
7	बेंगलुरु पीसीआईटी-पणजी (पूर्ववर्ती क्षेत्राधिकार: पीसीआईटी-मंगलुरु)	निजी बैंक	टी15	2019-20	0.31	0.00	158.15	158.15	71.84	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
8	केरल पीआरएल.सीआईटी कोच्चि 1	निजी बैंक	टी11	16-2015, 17-2016, 2017-18, 2018-19, 2019-20	31.11	23.86	105.68	81.82	33.74	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

छूट प्राप्त आय के समक्ष धारा 14ए के अंतर्गत व्यय की गलत अननुमति										(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**दावा की गई छूट प्राप्त आय**	**निर्धारिती / आयकर विभाग द्वारा अननुमत व्यय**	**लेखापरीक्षा के अनुसार गैर-अनुमत व्यय**	**निर्धारण के अंतर्गत**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
9	केरल पीसीआईटी, कोझिकोड	निजी बैंक	टी10	19-2018 और 2019-20	0.13	0.13	0.62	0.49	0.15	सितंबर 2021 में निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए धारा 143 (3) के अंतर्गत स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई और निर्धारण वर्ष 2019-20 (नवंबर 2025) के लिए उत्तर प्रतीक्षित है।
10	केरल पीसीआईटी, कोझिकोड	एनबीएफसी	एम6	16-2015 और 2017-18	0.00	0.00	11.15	11.15	4.70	फरवरी 2024 (निर्धारण वर्ष 2015-16) में धारा 147 के साथ पठित धारा 143 (3) के अंतर्गत स्वीकृत एवं उपचारात्मक कार्रवाई की गई। निर्धारण वर्ष 2017-18 (नवंबर 2025) के लिए उत्तर प्रतीक्षित है।
11	केरल पीसीआईटी, कोझिकोड	निजी बैंक	टी10	2016-17	0.00	0.36	2.17	1.81	0.56	स्वीकृत एवं नवंबर 2023 में धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
12	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	एनबीएफसी	आई10	16-2015 को 2016-17	343.67	176.50	406.24	229.74	79.37	नवंबर 2022 में निर्धारण वर्ष 2015-16 और निर्धारण वर्ष 2016-17 दोनों के लिए धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
13	चेन्नई पीसीआईटी-3, चेन्नई	एनबीएफसी	एस32	2016-17	2.79	0.01	1.38	1.37	0.48	धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है (मार्च 2023)।
14	चेन्नई सीआईटी (आईटी), चेन्नई	विदेशी बैंक	डबल्यू2	2016-17	2.42	0.00	2.42	2.42	0.84	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

छूट प्राप्त आय के समक्ष धारा 14ए के अंतर्गत व्यय की गलत अननुमति										(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**दावा की गई छूट प्राप्त आय**	**निर्धारिती / आयकर विभाग द्वारा अननुमत व्यय**	**लेखापरीक्षा के अनुसार गैर-अनुमत व्यय**	**निर्धारण के अंतर्गत**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
15	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	निजी बैंक	आई28	2016-17	9.89	30.82	32.99	2.17	0.75	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
16	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	एनबीएफसी	आर8	2013-14	0	0.04	0.49	0.45	0.15	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
17	चेन्नई पीसीआईटी-1, मदुरै	निजी बैंक	टी3	2018-19	0.00	0.03	1.39	1.36	0.47	मार्च 2024 के उत्तर के अनुसार, धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
18	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई9	18-2017 और 2018-19	15.44	10.19	21.41	11.22	3.88	निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए, धारा 147 के अंतर्गत मार्च 2022 में उपचारात्मक कार्रवाई की गई, जैसा कि उत्तर (मई 2022) में बताया गया है। हालांकि, लेखापरीक्षा बिंदु पर विचार नहीं किया गया। निर्धारण वर्ष 2018-19 (नवंबर 2025) के लिए उत्तर प्रतीक्षित है।
19	दिल्ली पीसीआईटी-7	एनबीएफसी	पी9	2017-18	2.27	0.25	5.42	5.17	1.79	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
20	दिल्ली पीसीआईटी-4	एनबीएफसी	आई22	2016-17	3.93	0.00	0.51	0.51	0.18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
21	छत्तीसगढ़ पीसीआईटी-1 रायपुर	एनबीएफसी	एक्स1	2019-20	0.00	0.00	0.12	0.12	0.04	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
22	कोलकाता पीसीआईटी, कोलकाता-1	एनबीएफसी	ओ5	2017-18	9.12	0.64	1.64	1.00	0.35	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
23	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	सी4	2017-18	28.50	18.47	28.10	9.63	4.43	स्वीकृत (मार्च 2022) और धारा 154 के

छूट प्राप्त आय के समक्ष धारा 14ए के अंतर्गत व्यय की गलत अननुमति										(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**दावा की गई छूट प्राप्त आय**	**निर्धारिती / आयकर विभाग द्वारा अननुमत व्यय**	**लेखापरीक्षा के अनुसार गैर-अनुमत व्यय**	**निर्धारण के अंतर्गत**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
	पीसीआईटी-2 मुंबई									अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है।
24	मुंबई पीसीआईटी-2 मुंबई	निजी बैंक	वाई1	2015-16	263.95	317.28	323.34	6.06	2.06	स्वीकृत (सितंबर 2022) और मार्च 2021 में धारा 148 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई।
25	मुंबई पीसीआईटी 6 मुंबई	एनबीएफसी	बी1	2017-18	0.67	0.10	0.42	0.32	0.11	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
26	मुंबई पीसीआईटी 6 मुंबई	एनबीएफसी	बी1	2015-16	2.06	0.04	0.11	0.07	0.02	अस्वीकृत एवं प्रत्युत्तर जारी किया गया (नवंबर 2025)।
27	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	एनबीएफसी	एस1	2017-18	1.77	0.18	1.77	1.59	0.55	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)
28	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	सार्वजनिक बैंक	डी3	2015-16	12.04	24.59	200.12	175.53	59.65	स्वीकृत (मार्च 2021) और मार्च 2020 में धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
कुल					**791.59**	**603.98**	**1,389.44**	**785.46**	**293.59**	

अनुलग्नक 5.7

{संदर्भित पैरा 5.5.5.4}

अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत गैर-निर्धारित आय							(₹ करोड़ में)
क्रम सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
1	बेंगलुरु पीसीआईटी 3-बेंगलुरु	एनबीएफसी	एच9	2014-15	26.10	13.84	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
2	केरल पीसीआईटी, कोझिकोड	निजी बैंक	टी12	2017-18	5.45	1.89	अस्वीकृत[141] (अक्टूबर 2022)।
3	केरल पीसीआईटी, तिरुवनंतपुरम	एनबीएफसी	के7	2017-18	8.98	2.78	विभाग ने (अक्टूबर 2022) उत्तर दिया कि मामले पर विचार किया जाएगा। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
4	केरल पीसीआईटी (सेंट्रल), कोच्चि	एनबीएफसी	एम8	2017-18	291.25	100.77	अस्वीकृत[142] (अक्टूबर 2022)।
5	दिल्ली पीसीआईटी-7 दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी1	2016-17	2,297.58	1152.96	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
6	दिल्ली पीसीआईटी-7 दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी1	2017-18	2,132.99	981.78	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
7	दिल्ली पीसीआईटी-7 दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी1	2019-20	1,808.00	821.32	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
8	दिल्ली पीसीआईटी-7 दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी1	2015-16	1,017.24	501.35	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
9	दिल्ली पीसीआईटी-7 दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी1	2014-15	514.84	175.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

141 त्रिशूर के एसीआईटी 1(1) के प्रभार में कहा गया है कि आईसीडीएस लागू होने के कारण लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव को कुल आय की गणना में सही ढंग से ध्यान में रखा गया है, अर्थात् लाभ एवं हानि खाते में डेबिट की गई मूल्यह्रास राशि को निवल लाभ में वापस परिवर्धित कर दिया गया है और आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुमत मूल्यह्रास की राशि को ही कटौती के रूप में दावा किया गया है। सीबीडीटी अधिसूचना संख्या 87/2016 दिनांक 29.09.2016 के मद्देनजर यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, जिसके अनुसार आईसीडीएस बनाम मूर्त अचल संपत्तियों पर लागू प्रावधानों में यह निर्धारित किया गया है कि किसी मूर्त अचल संपत्ति की लागत उसके अधिग्रहण या निर्माण के बाद मूल्य समायोजन, शुल्क में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के कारण आईसीडीएस में निर्दिष्ट विनिमय उतारचढ़ाव जैसे कारकों के कारण परिवर्तित हो जाती है। इसलिए-, इसका प्रभाव प्रपत्र 3सीडी में दर्ज किया जाना चाहिए, जबकि लेखा लेखाबही और आयकर विभाग के अनुसार मूल्यह्रास का निवल प्रभाव प्रपत्र 3सीडी में दर्ज किया गया है।

142 त्रिशूर स्थित डीसीआईटी सर्किल 1(1) ने निर्धारिती द्वारा जमा किए गए केवल निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के रिटर्न का विवरण प्रस्तुत किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारण एक ही तिथि (29 दिसंबर 2018) को एक ही निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्ण किए गए थे। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 2016-17 में तलाशी में प्रदर्शित अघोषित आय को 'आय' के रूप में मानने और उसी दिन पूर्ण किए गए निर्धारण वर्ष 2017-18 में कटौती के रूप में अनुमति दिए जाने के संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया। निर्धारण वर्ष 2017-18 में वास्तविक स्थिति का सत्यापन किए बिना कटौती की अनुमति देना उचित नहीं है।

अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत गैर-निर्धारित आय							(₹ करोड़ में)
क्रम सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
10	हैदराबाद पीसीआईटी-1 हैदराबाद	एनबीएफसी	ए15	2016-17; 2017-18; 2018-19	14.42	4.77	स्वीकृत उपचारात्मक कार्रवाई की गई (मार्च 2023)।
11	हैदराबाद पीसीआईटी-1 हैदराबाद	एनबीएफसी	एस23	2017-18	0.89	0.27	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
12	हैदराबाद पीसीआईटी-1 हैदराबाद	एनबीएफसी	ए15	18-2017	1.78	0.59	स्वीकृत (अगस्त 2022), उपचारात्मक कार्रवाई लंबित। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2025)।
13	कोलकाता पीसीआईटी-2, कोलकाता	निजी बैंक	बी11	2016-17	480.28	166.21	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
14	कोलकाता पीसीआईटी-1, कोलकाता	एनबीएफसी	एम7	2017-18	12.91	3.99	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
15	कोलकाता पीसीआईटी-1, कोलकाता	एनबीएफसी	एम7	2016-17	32.88	11.38	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
16	कोलकाता पीसीआईटी-1, कोलकाता	एनबीएफसी	एम7	2015-16	24.98	8.49	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
17	कोलकाता पीसीआईटी-2, कोलकाता	एनबीएफसी	एम16	2017-18	2.11	0.65	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
18	कोलकाता पीसीआईटी-2, कोलकाता	एनबीएफसी	एस3	2016-17	3.30	1.14	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
19	कोलकाता पीसीआईटी-1, कोलकाता	एनबीएफसी	बी7	2012-13	21.14	6.53	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
20	कोलकाता पीसीआईटी-1, कोलकाता	एनबीएफसी	बी7	2012-13	0.12	0.04	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
21	कोलकाता पीसीआईटी-1, कोलकाता	एनबीएफसी	पी15	2016-17	0.18	0.06	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
22	लखनऊ प्रधान सीआईटी, मध्य कानपुर	एनबीएफसी	आई6	2018-19	8.53	3.91	स्वीकृत (मई 2024), मई 2024 में अधिनियम की धारा 148ए(बी) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
23	लखनऊ प्रधान सीआईटी, मध्य कानपुर	एनबीएफसी	आई6	2018-19	3.01	1.38	स्वीकृत (मई 2024), मई 2024 में अधिनियम की धारा 148ए(बी) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की

अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत गैर-निर्धारित आय							**(₹ करोड़ में)**
क्रम सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
							गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
24	चेन्नई प्रधान सीआईटी, मध्य कानपुर	सार्वजनिक बैंक	आई5	2013-14	3.83	1.24	स्वीकृत (नवंबर 2023), दिसंबर 2019 में धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
25	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2014-15	2.33	0.79	स्वीकृत (मार्च 2023), दिसंबर 2019 में उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
26	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2015-16	0.99	0.34	स्वीकृत (फरवरी 2021), दिसंबर 2019 में धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
27	कोलकाता पीसीआईटी-2, कोलकाता	एनबीएफसी	डबल्यू1	2017-18	4.33	1.80	विभाग ने अपने उत्तर (अप्रैल 2025) में बताया कि मामला पुनः निर्धारण किया गया है और निर्धारिती को धारा 148 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
28	कोलकाता पीसीआईटी-2, कोलकाता	एनबीएफसी	डबल्यू1	2017-18	0.61	0.19	
कुल					**8,721.05**	**3,965.46**	

अनुलग्नक 5.8

{संदर्भित पैरा 5.5.6}

प्रावधानों और व्यय के लिए कटौती की गलत अनुमति **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार	बैंक/ एनबीएफसी	निर्धारिती का नाम	नि.व.	अल्प निर्धारण	कर प्रभाव	विभाग का उत्तर
1	अहमदाबाद पीसीआईटी-1 अहमदाबाद	निजी बैंक	ए6	2015-16	2.9	0.99	उत्तर प्रतीक्षित था (2025 नवंबर)।
2	अहमदाबाद पीसीआईटी-1 अहमदाबाद	निजी बैंक	ए6	2016-17	23.04	7.97	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
3	अहमदाबाद पीसीआईटी-3, अहमदाबाद	एनबीएफसी	जी4	2018-19	3.18	1.56	अस्वीकृत (जून 2022) प्रत्युत्तर जारी किया गया (नवबंर 2025)।
4	जयपुर पीसीआईटी-1 जयपुर	एनबीएफसी	ए5	2019-20	7.62	2.66	स्वीकृत (नवंबर 2025), मार्च 2024 धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
5	जयपुर पीसीआईटी-1 जयपुर	एनबीएफसी	ए19	2018-19	0.93	0.38	उत्तर (सितंबर 2022) के अनुसार, लेखापरीक्षा आपत्ति विचाराधीन है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
6	जयपुर पीसीआईटी-1 जयपुर	एनबीएफसी	ए19	2019-20	3.85	1.34	स्वीकृत (नवंबर 2025), मार्च 2024 में धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
7	जयपुर पीसीआईटी-1 जयपुर	एनबीएफसी	ई2	2018-19	1.00	0.42	उत्तर प्रतीक्षित (2025 नवंबर)।
8	जयपुर पीसीआईटी-1 जयपुर	एनबीएफसी	ई2	2019-20	2.95	0.90	उत्तर प्रतीक्षित (2025 नवंबर)।

प्रावधानों और व्यय के लिए कटौती की गलत अनुमति							**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
9	बेंगलुरु पीसीआईटी-2 बेंगलुरु	एनबीएफसी	सी14	2019-20	0.90	0.32	स्वीकृत (जनवरी 2023)।
10	बेंगलुरु पीसीआईटी-2 बेंगलुरु	सार्वजनिक बैंक	एस15	2017-18	49.20	22.40	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
11	बेंगलुरु पीसीआईटी-पणजी	निजी बैंक	टी15	2019-20	22.55	10.24	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
12	बेंगलुरु पीसीआईटी-2 बेंगलुरु	एनबीएफसी	जे5	2017-18	8.73	3.02	उत्तर प्रतीक्षित था (2025 नवंबर)।
13	बेंगलुरु पीसीआईटी-3 बेंगलुरु	एनबीएफसी	एच9	2017-18	46.54	25.45	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
14	बेंगलुरु पीसीआईटी-3 बेंगलुरु	एनबीएफसी	एच9	2016-17	43.28	17.52	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
15	बेंगलुरु पीसीआईटी-3 बेंगलुरु	एनबीएफसी	एच9	2018-19	104.91	49.74	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
16	चंडीगढ़ श्रीनगर	निजी बैंक	टी8	2012-13	0.76	0.25	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
17	चंडीगढ़ श्रीनगर	निजी बैंक	टी8	2015-16	4.24	1.44	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
18	चेन्नई पीसीआईटी-1, मदुरै	निजी बैंक	टी3	2016-17 2017-18 2018-19 2019-20	280.44	97.17	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
19	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	ए13	2018-19	1,428.11	494.20	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
20	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	निजी बैंक	आई28	2017-18	111.95	38.74	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

प्रावधानों और व्यय के लिए कटौती की गलत अनुमति							**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
21	केरल पीसीआईटी, कोझिकोड	निजी बैंक	टी10	2018-19 2019-20	0.45	0.14	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
22	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	एनबीएफसी	एन4	2017-18	5.45	1.88	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
23	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	एनबीएफसी	डी7	2016-17	4.4	1.52	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
24	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	एनबीएफसी	एस4	2018-19	3.6	1.25	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
25	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	एनबीएफसी	आई10	2015-16	523.27	177.86	उत्तर के अनुसार (मई 2022) धारा 147 के अंतर्गत मार्च 2022 में उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
26	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई9	2018-19	48.44	16.77	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

प्रावधानों और व्यय के लिए कटौती की गलत अनुमति							**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
27	चेन्नई पीसीआईटी-4, चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2017-18 2018-19	200	55.95	विभाग ने निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए उत्तर दिया कि मार्च 2022 में धारा 147/144बी के अंतर्गत पारित पुनर्निर्धारण आदेश में लेखापरीक्षा बिंदु पर विचार नहीं किया गया था। प्रत्युत्तर जारी किया गया था (फरवरी 2023)। निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
28	केरल पीसीआईटी, कोझिकोड	एनबीएफसी	टी14	2010-11 2015-16 2017-18 2018-19	1.64	0.66	अस्वीकृत[143] (अक्टूबर 2022)।
29	केरल पीसीआईटी, कोझिकोड	निजी बैंक	टी10	2017-18	0.01	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
30	केरल पीसीआईटी, कोझिकोड	निजी बैंक	टी10	2015-16	0.08	0.02	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
31	केरल पीसीआईटी, कोझिकोड	एनबीएफसी	एम6	2015-16	13.88	4.72	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
32	केरल पीसीआईटी, कोझिकोड	निजी बैंक	टी13	2016-17	3.26	1.01	स्वीकृत एवं जनवरी 2022 में धारा 143(3) के साथ

[143] विभाग ने लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों को स्वीकार न करते हुए कहा कि 'पूर्व अवधि के व्यय' के अंतर्गत दर्शाए गए व्यय को 'वेतन का बकाया, किराया का बकाया आदि' मद के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था। चूंकि निर्धारिती वाणिज्यिक लेखा प्रणाली का पालन कर रहा है, इसलिए वेतन, किराया आदि के व्यय संबंधित वित्तीय वर्षों के लेखाओं में दर्ज किए गए थे। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है और वेतन और किराए के बकाया को पूर्व अवधि के व्यय में सम्मिलित करने के कारण की आगे जांच की जानी आवश्यक है, क्योंकि 'पूर्व अवधि के व्यय' के अंतर्गत अन्य मद भी दर्ज किए गए थे।

प्रावधानों और व्यय के लिए कटौती की गलत अनुमति							**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
							पठित धारा 263 के अंतर्गत एवं मार्च 2022 में धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्यवाही की गई।
33	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	ए13	2017-18	12.8	4.43	मार्च 2025 में धारा 144बी के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
34	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	एनबीएफसी	एच12	2017-18	15.55	5.38	मार्च 2022 में धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
35	केरल पीसीआईटी, कोझिकोड	निजी बैंक	टी13	18-2017	0.17	0.05	सितंबर 2022 में धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत स्वीकृत एवं उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
36	केरल पीसीआईटी, कोझिकोड	निजी बैंक	टी13	2016-17	0.11	0.03	उत्तर प्रतीक्षित था (2025 नवंबर)।
37	केरल पीसीआईटी, कोझिकोड	निजी बैंक	टी13	2018-19	0.49	0.15	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
38	केरल पीसीआईटी, कोझिकोड	निजी बैंक	टी13	2019-20	6.68	2.08	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
39	हैदराबाद पीसीआईटी-1 हैदराबाद	एनबीएफसी	एस28	2016-17 और 2017-18	4.41	1.46	स्वीकृत एवं निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए धारा 147 के साथ पठित धारा 144बी के अंतर्गत नवंबर 2022 में उपचारात्मक कार्रवाई

प्रावधानों और व्यय के लिए कटौती की गलत अनुमति							**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
							की गई। निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए मंत्रालय ने आंशिक स्वीकार (सितंबर 2025) किया एवं धारा 154 (जून 2025) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई एवं लेखापरीक्षा में ₹1.03 करोड़ की राशि बताई गई थी, लेकिन ₹0.49 करोड़ की राशि अननुमत कर दी गई।
40	ओडिशा पीसीआईटी-1 भुवनेश्वर	एनबीएफसी	ओ4	2015-16	0.68	0.21	स्वीकृत (दिसंबर 2024) और धारा 154 के अंतर्गत दिनांक 17.03.2022 के आदेश के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
41	पश्चिम बंगाल पीसीआईटी-2, कोलकाता	निजी बैंक	बी11	2018-19	36.61	12.66	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
42	कोलकाता- पश्चिम बंगाल पीसीआईटी-2, कोलकाता	निजी बैंक	बी11	2017-18	3.78	1.3	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
43	कोलकाता- पश्चिम बंगाल पीसीआईटी-2, कोलकाता	एनबीएफसी	एस30	2014-15	3.04	1.03	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
44	कोलकाता- पश्चिम बंगाल	एनबीएफसी	एस30	2016-17	4.14	1.41	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

प्रावधानों और व्यय के लिए कटौती की गलत अनुमति							**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
	पीसीआईटी-2, कोलकाता						
45	कोलकाता- पश्चिम बंगाल पीसीआईटी-2, कोलकाता	सार्वजनिक बैंक	यू2	2017-18	368.39	127.49	अप्रैल 2024 में धारा 148 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। आगे के विवरण की प्रतीक्षा है(नवंबर 2025)।
46	कोलकाता- पश्चिम बंगाल सीआईटी (आईटी और टीपी), कोलकाता	विदेशी बैंक	आर7	2014-15	79.11	34.22	उत्तर प्रतीक्षित था (2025 नवंबर)।
47	कोलकाता- पश्चिम बंगाल पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफसी	एस3	2012-13	0.88	0.29	उत्तर प्रतीक्षित था(नवंबर 2025)।
48	कोलकाता- पश्चिम बंगाल पीसीआईटी, कोलकाता-1	एनबीएफसी	एम7	2017-18	47.54	14.69	उत्तर प्राप्त हुआ (नवंबर 2022) और प्रत्युत्तर जारी किया गया।
49	कोलकाता- पश्चिम बंगाल पीसीआईटी, कोलकाता-1	एनबीएफसी	एम7	2016-17	40.44	14	उत्तर प्राप्त हुआ (फरवरी 2023) और प्रत्युत्तर जारी किया गया।
50	कोलकाता- पश्चिम बंगाल पीसीआईटी, कोलकाता-2	एनबीएफसी	एल5	2014-15	17.26	5.87	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
51	कोलकाता- पश्चिम बंगाल पीसीआईटी, कोलकाता-2	सार्वजनिक बैंक	यू2	2014-15	0.17	0.02	मार्च 2024 में धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
52	कोलकाता- पश्चिम बंगाल	एनबीएफसी	एम7	2017-18	0.12	0.04	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

प्रावधानों और व्यय के लिए कटौती की गलत अनुमति							(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
	पीसीआईटी, कोलकाता-1						
53	कोलकाता-पश्चिम बंगाल पीसीआईटी, कोलकाता-1	एनबीएफसी	एम7	2017-18	0.4	0.12	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
54	कोलकाता-पश्चिम बंगाल पीसीआईटी, कोलकाता-1	निजी बैंक	बी11	2017-18	4.63	1.6	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
55	लखनऊ प्रधान सीआईटी, इलाहाबाद	एनबीएफसी	एस24	2015-16	1	0.45	लेखापरीक्षा के प्रत्युत्तर पर विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
56	मुंबई पीसीआईटी-2 मुंबई	सार्वजनिक बैंक	सी4	2018-19	1,101.72	381.28	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
57	मुंबई पीसीआईटी-6 मुंबई	एनबीएफसी	के9	2019-20	1	0.28	विभाग ने कहा (नवंबर 2025) कि धारा 148 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है। (मार्च 2024)।
58	मुंबई पीसीआईटी-6 मुंबई	एनबीएफसी	आर5	2018-19	40.04	13.86	क्षेत्रीय सत्यापन के अनुसार धारा 148(ए) (अगस्त 2025) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरु की गई है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
59	मुंबई पीसीआईटी-6 मुंबई	एनबीएफसी	सी11	2018-19	23.75	8.22	मंत्रालय ने स्वीकार (नवंबर 2025) किया एवं धारा 143(3) के साथ

प्रावधानों और व्यय के लिए कटौती की गलत अनुमति							(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
							पठित धारा 263 (मार्च 2025) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
60	मुंबई पीसीआईटी-6 मुंबई	एनबीएफसी	सी11	2017-18	31.67	10.96	मंत्रालय ने स्वीकार (नवंबर 2025) किया एवं धारा 147 के साथ पठित धारा 144बी (फरवरी 2025) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
61	मुंबई पीसीआईटी-6 मुंबई	एनबीएफसी	सी11	2016-17	42.23	14.35	मंत्रालय ने स्वीकार (नवंबर 2025) किया एवं धारा 147 के साथ पठित धारा 144बी (फरवरी 2025) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
62	मुंबई पीसीआईटी-6 मुंबई	एनबीएफसी	सी11	2014-15	74.9	25.46	मंत्रालय ने स्वीकार (नवंबर 2025) किया एवं धारा 147 के साथ पठित धारा 144बी (मई 2023) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
63	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	सार्वजनिक बैंक	डी3	2015-16	72.15	24.52	स्वीकृत (मार्च 2021) और मार्च 2020 में धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
64	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	सार्वजनिक बैंक	बी2	2015-16	10,180.5	855.12	स्वीकृत (मार्च 2021) एवं मार्च 2019 में धारा 263

प्रावधानों और व्यय के लिए कटौती की गलत अनुमति							(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र/ पीसीआईटी प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**अल्प निर्धारण**	**कर प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
							के साथ धारा 143(3) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
65	मुंबई पीसीआईटी 2 मुंबई	निजी बैंक	आई7	2014-15	3.22	1.09	स्वीकृत (मार्च 2021) एवं दिसंबर 2019 में धारा 147 के साथ धारा 143(3) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
66	मुंबई पीसीआईटी 1 मुंबई	एनबीएफसी	टी17	2017-18	400	138.43	स्वीकृत (अक्टूबर 2022) और मार्च 2022 में धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
67	चेन्नई पीसीआईटी-3, चेन्नई	एनबीएफसी	एस7	2017-18	3.01	1.04	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
68	चेन्नई पीसीआईटी-3, चेन्नई	एनबीएफसी	एस7	2016-17	4.01	1.39	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
69	कोलकाता पीसीआईटी-2, कोलकाता	एनबीएफसी	एस30	2015-16	64.75	22.01	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
70	चेन्नई पीसीआईटी-1, चेन्नई	एनबीएफसी	एच12	2017-18	3.10	1.07	मार्च 2022 में धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
कुल					**15,646.01**	**2,766.55**	

अनुलग्नक 5.9

{संदर्भित पैरा 5.5.7}

धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना में अनियमितता								(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**दावा की गई कटौती**	**अधिक निर्धारण**	**कर का प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
1	चेन्नई प्रधान आयकर आयुक्त-1, मदुरै	निजी बैंक	टी5	2018-19	35.15	---	12.16	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
2	केरल प्रधान आयकर आयुक्त, कोझिकोड	निजी बैंक	टी13	2018-19	38.82	---	8.29	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
3	केरल प्रधान आयकर आयुक्त, कोझिकोड	निजी बैंक	टी10	2018-19 से 2019-20	254.31	---	49.08	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
4	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त-7	सार्वजनिक बैंक	ओ2	2018-19	9,498.08	---	994.12	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
5	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त-7	सार्वजनिक बैंक	यू3	2015-16	124.75	---	37.91	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
6	लखनऊ प्रधान आयकर आयुक्त-इलाहाबाद	एनबीएफसी	यू6	2019-20	40.99	---	9.59	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
7	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस8	2018-19	24,725.74	---	5,276.87	अस्वीकृत (फरवरी 2022)। प्रत्युत्तर जारी किया गया (फरवरी 2022)।
8	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस8	2019-20	57,381.10	---	10,742.11	स्वीकृत (जून 2022) और कहा गया कि उचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (मई 2024)।
9	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई	निजी बैंक	आई24	2018-19	11,722.20	---	1,360.91	उत्तर (जुलाई 2024) में विभाग ने बताया कि धारा 148 के अंतर्गत पुनः निर्धारण का

धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना में अनियमितता								(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**दावा की गई कटौती**	**अधिक निर्धारण**	**कर का प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
								प्रस्ताव प्रगति पर है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
10	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई	निजी बैंक	आई24	2018-19	774.24	---	165.23	उत्तर (जुलाई 2024) में विभाग ने बताया कि धारा 148 के अंतर्गत पुनः निर्धारण का प्रस्ताव प्रगति पर है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
11	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई	सार्वजनिक बैंक	बी2	2016-17	1,413.80	---	301.73	अस्वीकृत (मार्च 2021) एवं प्रत्युत्तर जारी किया गया (अगस्त 2021)।
12	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई	सार्वजनिक बैंक	डी3	2016-17	759.65	---	162.12	अस्वीकृत (जनवरी 2022) एवं प्रत्युत्तर जारी किया गया (अगस्त 2021)।
13	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई	सार्वजनिक बैंक	डी3	2017-18	833.39	---	177.86	स्वीकृत (फरवरी 2022) और धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
14	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई	सार्वजनिक बैंक	सी4	2016-17	24.30	---	5.19	स्वीकृत (जनवरी 2022) और धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
15	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस8	2018-19	1,796.70	---	483.14	स्वीकृत (मार्च 2022)। मामले का निर्धारण धारा 263 के अंतर्गत पुनः किया गया और मार्च 2023 परिवर्धन किया गया।

धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना में अनियमितता								(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**दावा की गई कटौती**	**अधिक निर्धारण**	**कर का प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
16	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस8	2018-19	---	985.05	210.22	निर्धारिती ने आयुक्त (ए) के समक्ष अपीलदायर की है (जनवरी 2022)।
17	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त-3 मुंबई	एनबीएफसी	ई1	2017-18	591.26	----	0.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
18	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त-3 मुंबई	एनबीएफसी	ई1	2018-19	1,445.64	----	303.17	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
19	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त केंद्रीय-2 मुंबई	एनबीएफसी	बी4	2019-20	24.64	----	5.31	स्वीकृत (अगस्त 2024)। धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है (मार्च 2024)।
20	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त केंद्रीय-2 मुंबई	सार्वजनिक बैंक	डी3	2015-16	70.01	----	14.67	स्वीकृत (मार्च 2021) तथा मार्च में 2020 उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई।
21	चेन्नई प्रधान आयकर आयुक्त-1, चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	ए13	2018-19	3,404.98	---	726.68	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
22	चेन्नई प्रधान आयकर आयुक्त-1, चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	ए13	2014-15 2015-16 2016-17 2017-18	8,610.06	---	1,230.86	निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए, मार्च 2025 में धारा 144बी के साथ पठित धारा 147 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है। निर्धारण वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
23	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त-7 दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	यू3	2018-19	1,024.06	----	294.35	उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025)।

धारा 115जेबी के अंतर्गत बही लाभ की गणना में अनियमितता								**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**दावा की गई कटौती**	**अधिक निर्धारण**	**कर का प्रभाव**	**विभाग का उत्तर**
24	चंडीगढ़ एसीआईटी परिक्षेत्र पंचकुला	एनबीएफसी	एच6	2015-16	45.90		12.43	स्वीकृत तथा धारा 147 के साथ पठित धारा 144बी के अंतर्गत मार्च 2023 में आदेश पारित कर उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
25	चंडीगढ़ एसीआईटी परिक्षेत्र पंचकुला	एनबीएफसी	एच6	2016-17	4.96	---	1.34	स्वीकृत तथा धारा 147 के के साथ पठित धारा 144बी के अंतर्गत मार्च 2024 में आदेश पारित कर उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
कुल					**1,24,644.78**	**985.05**	**22,585.34**	

अनुलग्नक 5.10

{संदर्भित पैरा 5.5.10}

हानियों के समायोजन/ अग्रनयन में अनियमितताएँ							(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**अल्प निर्धारण**	**प्रभावी कर**	**विभाग का उत्तर**
1	अहमदाबाद प्रधान आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद	एनबीएफसी	एफ2	2019-20	63.78	26.08	आयकर विभाग ने उत्तर दिया (मई 2024) कि यह अभ्युक्ति स्वीकार्य है तथा पुनः निर्धारण की प्रक्रिया मार्च 2023 में आरंभ की गई है। अग्रेतर विवरण (नवंबर 2025) प्रतीक्षित है।
2	अहमदाबाद प्रधान आयकर आयुक्त-1, वडोदरा	एनबीएफसी	एन2	2015-16	47.47	21.46	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
3	बेंगलुरु प्रधान आयकर आयुक्त-3 बेंगलुरु	एनबीएफसी	एच9	2018-19	63.58	30.15	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (जुलाई 2025) किया एवं कहा कि अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई प्रक्रियाधान है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
4	बेंगलुरु प्रधान आयकर आयुक्त-3 बेंगलुरु	एनबीएफसी	एच9	2017-18	74.31	40.63	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (जुलाई 2025) किया एवं कहा कि अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई प्रक्रियाधान है। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
5	बेंगलुरु प्रधान आयकर आयुक्त-2 बेंगलुरु	एनबीएफसी	के3	2017-18	80.44	19.30	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
6	बेंगलुरु प्रधान आयकर आयुक्त-2 बेंगलुरु	एनबीएफसी	के3	2018-19	65.98	30.55	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
7	चेन्नई प्रधान आयकर आयुक्त-1, मदुरै	निजी बैंक	टी5	2015-16	53.25	18.10	सितंबर 2021 में धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
8	चेन्नई प्रधान आयकर आयुक्त-4, चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2017-18	2.94	1.02	मामला धारा 147 के अंतर्गत पुनः खोला गया, परंतु कोई परिवर्धन नहीं किया गया (मार्च 2022)। प्रत्युत्तर जारी किया गया (फरवरी 2023)।
9	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त केंद्रीय -1	एनबीएफसी	एस21	2017-18	40.62	14.06	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

हानियों के समायोजन/ अग्रनयन में अनियमितताएँ							(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**अल्प निर्धारण**	**प्रभावी कर**	**विभाग का उत्तर**
10	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त-4	एनबीएफसी	आई18	2019-20	27.83	13.91	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
11	हैदराबाद प्रधान आयकर आयुक्त-1 हैदराबाद	एनबीएफसी	ए15	2017-18	295.87	102.39	स्वीकृत (अगस्त 2022)। उपचारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
12	हैदराबाद प्रधान आयकर आयुक्त-1 भुवनेश्वर	एनबीएफसी	ओ4	2019-20	6.51	1.81	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (सितंबर 2025) किया एवं कहा कि धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई (मार्च 2022)।
13	पश्चिम बंगाल प्रधान आयकर आयुक्त, कोलकाता-2	एनबीएफसी	आई30	2017-18	1.37	0.60	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
14	पश्चिम बंगाल. परिक्षेत्र 7(1), कोलकाता	एनबीएफसी	सी13	2016-17	3.22	0.71	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
15	पश्चिम बंगाल परिक्षेत्र 7(1), कोलकाता	एनबीएफसी	सी13	2017-18	3.31	0.73	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
16	पश्चिम बंगाल परिक्षेत्र 7(1), कोलकाता	एनबीएफसी	सी13	2017-18	26.08	8.06	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
17	पश्चिम बंगाल प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय), कोलकाता-2	एनबीएफसी	पी14	2015-16	0.11	0.03	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
18	पश्चिम बंगाल प्रधान आयकर आयुक्त, कोलकाता-1	सार्वजनिक बैंक	यू2	2010-11	42.87	13.25	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
19	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त-8 मुंबई	एनबीएफसी	आर9	2016-17 2017-18 2018-19	302.63	103.29	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

हानियों के समायोजन/ अग्रनयन में अनियमितताएँ							**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**नि.व.**	**अल्प निर्धारण**	**प्रभावी कर**	**विभाग का उत्तर**
20	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त-2, मुंबई	निजी बैंक	डी8	2019-20	813.97	0[144]	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
21	पश्चिम बंगाल प्रधान आयकर आयुक्त, कोलकाता-2	एनबीएफसी	एस3	2017-18	277.21	63.96	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
कुल					**2,293.35**	**510.09**	

[144] लेखापरीक्षा विभाग ने विभाग से यह पता लगाने का प्रयास किया कि क्या अभिलेखों में सूचना उपलब्ध न होने के कारण इस मामले को जांच के दायरे में चुना गया था। पिछले वर्षों के अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण लेखापरीक्षा कर प्रभाव का निर्धारण नहीं कर सकी।

अनुलग्नक 5.11

{संदर्भित पैरा 5.5.11.1}

आय, कर के उद्ग्रहण, अधिभार, ब्याज, एमएटी क्रेडिट, शास्ति आदि की गणना में त्रुटियाँ								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**कम निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**अधिक निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**प्रभावी कर (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
1	अहमदाबाद प्रधान आयकर आयुक्त-3, अहमदाबाद	एनबीएफसी	जी4	2019-20	0.00	---	1.69	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	जयपुर प्रधान आयकर आयुक्त उदयपुर	एनबीएफसी	सी9	2017-18	0.00	---	0.04	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
3	जयपुर प्रधान आयकर आयुक्त उदयपुर	एनबीएफसी	सी9	2018-19	0.00	---	0.02	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
4	अहमदाबाद प्रधान आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद	निजी बैंक	ए6	2012-13	0.00	---	6.79	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
5	अहमदाबाद प्रधान आयकर आयुक्त-3, अहमदाबाद	एनबीएफसी	जी4	2018-19	0.00	---	0.18	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
6	अहमदाबाद प्रधान आयकर आयुक्त-3, अहमदाबाद	एनबीएफसी	एस14	2012-13	0.00	---	0.03	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
7	बेंगलुरु प्रधान आयकर आयुक्त, पणजी	निजी बैंक	टी15	2018-19	0.00	---	53.66	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
8	बेंगलुरु प्रधान आयकर आयुक्त-3, बेंगलुरु	एनबीएफसी	एच9	2018-19	0.00	---	44.66	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार (जुलाई 2025) किया एवं कहा कि उपचारात्मक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है (नवंबर 2025)।
9	बेंगलुरु प्रधान आयकर आयुक्त,-पणजी	निजी बैंक	टी15	2018-19	0.00	---	19.80	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

आय, कर के उद्ग्रहण, अधिभार, ब्याज, एमएटी क्रेडिट, शास्ति आदि की गणना में त्रुटियाँ								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**कम निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**अधिक निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**प्रभावी कर (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
10	बेंगलुरु प्रधान आयकर आयुक्त-2 बेंगलुरु	एनबीएफसी	वी8	2018-19	0.00	---	0.19	स्वीकृत (नवंबर 2025) तथा धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई। अग्रेतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
11	चंडीगढ़ प्रधान आयकर आयुक्त, जालंधर-1	एनबीएफसी	एम5	2015-16	0.00	---	2.19	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
12	चंडीगढ़ प्रधान आयकर आयुक्त, श्रीनगर	निजी बैंक	टी8	2015-16	0.00	---	0.12	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
13	चंडीगढ़ प्रधान आयकर आयुक्त, पंचकुला	एनबीएफसी	एच5	2015-16	0.00	---	205.07	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया (जनवरी 2025) एवं कहा कि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2015-16 में किसी एमएटी क्रेडिट का दावा नहीं किया। प्रत्युत्तर का विवरण पैरा 5.5.11.1 के बॉक्स 5.40(सी) में है।
14	चेन्नई प्रधान आयकर आयुक्त-1, मदुरै	निजी बैंक	सी3	2016-17	0.00	---	42.32	मार्च 2023 में धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई और जुलाई 2023 में ₹42.36 करोड़ की मांग का संग्रहण किया गया।
15	चैन्नई प्रधान आयकर आयुक्त-4, चैन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2018-19	0.00	......	6.51	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
16	चेन्नई प्रधान आयकर आयुक्त -4, चेन्नई	एनबीएफसी	एल2	2016-17	0.00	---	1.65	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
17	चेन्नई	निजी बैंक	टी5	2015-16	0.00	---	2.53	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

आय, कर के उद्ग्रहण, अधिभार, ब्याज, एमएटी क्रेडिट, शास्ति आदि की गणना में त्रुटियाँ								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**कम निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**अधिक निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**प्रभावी कर (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
	प्रधान आयकर आयुक्त -1, मदुरै							
18	चेन्नई प्रधान आयकर आयुक्त -4, चेन्नई	एनबीएफसी	एस4	2012-13	0.00	---	0.33	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
19	चेन्नई प्रधान आयकर आयुक्त -1, मदुरै	निजी बैंक	टी6	2015-16	0.00	---	31.19	मार्च 2022 में धारा 154 के अंतर्गत परिशोधन आदेश पारित करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई और नवंबर 2022 से जनवरी 2025 के दौरान ₹31.18 करोड़ की वसूली की गई है।
20	चेन्नई प्रधान आयकर आयुक्त -1, मदुरै	निजी बैंक	टी3	2018-19	0.00	---	35.57	आयकर विभाग ने (जुलाई 2025 में) कहा गया कि उपचारात्मक कार्रवाई की गई है और अक्टूबर 2024 में ₹35.57 करोड़ की वसूली की गई है।
21	चेन्नई प्रधान आयकर आयुक्त -1, मदुरै	निजी बैंक	टी3	2019-20	0.00	---	5.56	अगस्त 2025 में धारा 154 के अंतर्गत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।
22	केरल प्रधान आयकर आयुक्त, कोझिकोड	एनबीएफसी	एम6	2015-16	0.00	---	0.59	फरवरी 2024 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत स्वीकृत और उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
23	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त केंद्रीय-2 दिल्ली	एनबीएफसी	पी7	2017-18	0.00	---	12.68	उत्तर (नवंबर 2021) के अनुसार, सितंबर 2021 में धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
24	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त -7 दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	ओ2	2014-15	0.00	---	8.91	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

आय, कर के उद्ग्रहण, अधिभार, ब्याज, एमएटी क्रेडिट, शास्ति आदि की गणना में त्रुटियाँ								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**कम निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**अधिक निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**प्रभावी कर (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
25	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त -7 दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	ओ2	2013-14	0.00	---	7.73	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
26	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त केंद्रीय-1 दिल्ली	एनबीएफसी	सी10	2018-19	3.77	---	4.36	उत्तर (फ़रवरी 2022) के अनुसार, धारा 263 के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
27	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त केंद्रीय-1 दिल्ली	एनबीएफसी	सी10	2019-20	4.05	---	4.31	उत्तर के अनुसार (फ़रवरी 2022), धारा 263 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
28	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त -7 दिल्ली	एनबीएफसी	आर10	2017-18	0.00	---	3.82	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
29	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त केंद्रीय-1 दिल्ली	एनबीएफसी	सी10	2017-18	3.08	---	3.68	उत्तर के अनुसार (फ़रवरी 2022), धारा 263 के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
30	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त -7 दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी4	2018-19	0.00	---	2.95	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
31	दिल्ली सीआईटी (आईटी)-2 दिल्ली	विदेशी बैंक	एम9	2013-14	0.00	---	2.34	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
32	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त -1 दिल्ली	एनबीएफसी	ए3	2017-18	0.00	---	1.36	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
33	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त -7 दिल्ली	एनबीएफसी	पी6	2017-18	0.00	---	0.82	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

आय, कर के उद्ग्रहण, अधिभार, ब्याज, एमएटी क्रेडिट, शास्ति आदि की गणना में त्रुटियाँ								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**कम निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**अधिक निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**प्रभावी कर (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
34	दिल्ली सीसी-4 दिल्ली	एनबीएफसी	सी10	2013-14	0.00	---	0.56	उत्तर के अनुसार (फ़रवरी 2022), धारा 263 के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
35	दिल्ली सीसी-4 दिल्ली	एनबीएफसी	सी10	2016-17	1.74	---	0.54	उत्तर के अनुसार (फ़रवरी 2022), धारा 263 के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
36	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त केंद्रीय-2 दिल्ली	एनबीएफसी	पी2	2017-18	0.00	---	0.44	उत्तर के अनुसार (जून 2022), मई 2022 में धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
37	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त केंद्रीय-2 दिल्ली	एनबीएफसी	पी2	2015-16	0.00	---	0.37	उत्तर के अनुसार (जून 2022), मई 2022 में धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
38	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त केंद्रीय-2 दिल्ली	एनबीएफसी	पी2	2014-15	0.00	---	0.34	उत्तर के अनुसार (जून 2022), मई 2022 में धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
39	कोलकाता- उत्तर पूर्वी क्षेत्र प्रधान आयकर आयुक्त, गुवाहाटी	एनबीएफसी	पी10	2012-13	0.00	---	0.05	विभाग का उत्तर (दिसंबर 2024) ऑडिट क्वेरी से संबंधित नहीं है।
40	कोलकाता- प.बं. प्रधान आयकर आयुक्त, सिलीगुड़ी	एनबीएफसी	यू5	2017-18	0.00	---	0.58	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
41	कोलकाता-प.बं. सीआईटी (आईटी और टीपी), कोलकाता	विदेशी बैंक	एन6	2018-19	0.00	---	5.31	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

आय, कर के उद्ग्रहण, अधिभार, ब्याज, एमएटी क्रेडिट, शास्ति आदि की गणना में त्रुटियाँ								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**कम निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**अधिक निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**प्रभावी कर (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
42	कोलकाता- कोलकाता-प.बं. प्रधान आयकर आयुक्त, कोलकाता-2	एनबीएफसी	ए11	2016-17	0.00	---	0.08	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
43	कोलकाता- प.बं. प्रधान आयकर आयुक्त, कोलकाता-2	एनबीएफसी	ए9	2015-16	---	0.25	0.10	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
44	कोलकाता- कोलकाता-प.बं. प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय), कोलकाता-1	एनबीएफसी	एच7	2017-18	0.00	---	0.04	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
45	कोलकाता- कोलकाता-प.बं. प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय), कोलकाता-1	एनबीएफसी	एच7	2017-18	0.00	---	0.11	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
46	कोलकाता- कोलकाता-प.बं. प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय), कोलकाता-1	एनबीएफसी	एच7	2016-17	0.00	---	0.04	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
47	कोलकाता- कोलकाता-प.बं. प्रधान आयकर आयुक्त, कोलकाता-2	एनबीएफसी	ए11	2016-17	1.39	---	0.46	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
48	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त (आईटी), मुंबई	विदेशी बैंक	एस11	2017-18	0.00	---	215.71	स्वीकृत (जुलाई) और अगस्त 2023 में धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
49	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त (आईटी), मुंबई	विदेशी बैंक	एस9	2017-18	0.00	---	16.68	अस्वीकृत (मार्च 2025) जैसा कि पैरा 5.5.11.1/बॉक्स 5.40ई में दिए गए विवरण के अनुसार है।

आय, कर के उद्ग्रहण, अधिभार, ब्याज, एमएटी क्रेडिट, शास्ति आदि की गणना में त्रुटियाँ								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**कम निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**अधिक निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**प्रभावी कर (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
50	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त -2, मुंबई	निजी बैंक	आई7	2018-19	0.00	---	30.39	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
51	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त -2, मुंबई	निजी बैंक	के1	2018-19	0.00	---	9.64	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
52	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त (आईटी), मुंबई	विदेशी बैंक	एच8	2018-19	0.00	---	2.28	अगस्त 2022 में धारा 154 के अंतर्गत स्वीकार किया गया और उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
53	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त 6 मुंबई	एनबीएफसी	एल4	2018-19	1.48	---	0.51	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
54	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त 1 मुंबई	एनबीएफसी	एच3	2017-18	64.65	---	10.19	अस्वीकृत (जून 2025)[145]।
55	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त 1 मुंबई	एनबीएफसी	एच3	2016-17	23.11	---	5.47	अस्वीकृत (जून 2025)[146]।
56	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त 6 मुंबई	एनबीएफसी	ए14	2019-20	0.00	---	0.80	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
57	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस8	2017-18	349.61	0	499.64	स्वीकृत(फरवरी 2022) और धारा 154 के

[145] उत्तर में डीसीआईटी 2(3)(1), मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया, जिसमें कहा गया कि मामले का पुनः निर्धारण अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित 144बी के अंतर्गत 21.03.2022 को किया गया था, जिसमें यह पाया गया कि डेल्टा ब्रेक कंपनी के शेयरों की विक्रय वार्षिक लेखाओं में विधिवत दर्शाई गई थी तथा उसे लाभ-हानि खाते में सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार आय की कोई चोरी नहीं हुई तथा एफटीसी की कोई अतिरिक्त अनुमति भी नहीं दी गई। जुलाई 2025 में मुंबई स्थित डीसीआईटी 2(3)(1) को एक प्रत्युत्तर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि निर्धारिती द्वारा आय की गणना से यह स्पष्ट है कि शेयरों की विक्रय पर पूंजीगत लाभ के रूप में ₹ 64.65 करोड़ की राशि को व्यावसायिक आय से घटा दिया गया था, लेकिन इसे दीर्घकालिक या अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के अंतर्गत कर के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर पुनर्विचार किया जाए। अग्रतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

[146] उत्तर में डीसीआईटी 2(3)(1), मुंबई ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया, जिसमें कहा गया कि मामले का पुनः निर्धारण अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित 144बी के अंतर्गत 22.03.2022 को किया गया था और उक्त पुनर्निर्धारण के दौरान पाया गया कि डेल्टा ब्रेक कंपनी के शेयरों की विक्रय वार्षिक लेखाओं में विधिवत रूप से दर्शायी गई थी और उसे लाभ और हानि खाते में सम्मिलित किया गया था।, इसलिए आय की कोई चोरी नहीं हुई थी। जुलाई 2025 में मुंबई स्थित डीसीआईटी 2(3)(1) को एक प्रत्युत्तर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि निर्धारिती की आय की गणना से यह स्पष्ट है कि शेयरों की विक्रय एवं यूनिटों के मोचन पर पूंजीगत लाभ के रूप में ₹ 23.11 करोड़ की राशि को व्यावसायिक आय से घटा दिया गया था, लेकिन इसे दीर्घकालिक या अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के अंतर्गत कर के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर पुनर्विचार किया जाए। अग्रतर विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

आय, कर के उद्ग्रहण, अधिभार, ब्याज, एमएटी क्रेडिट, शास्ति आदि की गणना में त्रुटियाँ								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**कम निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**अधिक निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**प्रभावी कर (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
	प्रधान आयकर आयुक्त 2 मुंबई							अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
58	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त 2 मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस8	2016-17	---	0	209.88	सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत(फरवरी 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
59	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त 2 मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस8	2018-19	---	0	309.59	सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत (फरवरी 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
60	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त 2 मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस8	2019-20	0	---	219.38	स्वीकृत (जून 2022) और कहा गया कि उचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
61	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त 2 मुंबई	निजी बैंक	आई4	2018-19	0	---	107.70	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
62	मुंबई सीआईटी (आईटी), मुंबई -2	विदेशी बैंक	डी1	2018-19	0	---	9.12	स्वीकृत (अगस्त 2023)। धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
63	अहमदाबाद प्रधान आयकर आयुक्त -1, अहमदाबाद	एनबीएफसी	एफ2	2017-18	0	---	0.66	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
64	अहमदाबाद प्रधान आयकर आयुक्त -1, अहमदाबाद	एनबीएफसी	एफ2	2018-19	0	---	0.15	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

आय, कर के उद्ग्रहण, अधिभार, ब्याज, एमएटी क्रेडिट, शास्ति आदि की गणना में त्रुटियाँ								
क्र. सं.	**क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती का नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**कम निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**अधिक निर्धारण (₹ करोड़ में)**	**प्रभावी कर (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
65	अहमदाबाद प्रधान आयकर आयुक्त -3, अहमदाबाद	एनबीएफसी	जी4	2018-19	0	---	0.12	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
66	चेन्नई प्रधान आयकर आयुक्त -1, मदुरै	निजी बैंक	टी5	2017-18	0	---	41.36	सितंबर 2021 में धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
योग					**452.88**	**0.25**	**2,211.94**	

अनुलग्नक 5.12

{संदर्भित पैरा 5.5.11.3}

आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार	बैंक/ एनबीएफसी	निर्धारिती के नाम	निर्धारण वर्ष	निर्धार्नाधीन	अतिनिर्धारण	प्रभावी कर	विभाग का उत्तर
1	चंडीगढ़ प्रधान आयकर आयुक्त, गुडगाँव	एनबीएफसी	एस29	2017-18	---	23.43	18.10	विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2025 में) और कहा गया कि धारा 154 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
2	चंडीगढ़ प्रधान आयकर आयुक्त, गुडगाँव	एनबीएफसी	एस29	2016-17	---	9.80	3.39	विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2025 में) और कहा गया कि धारा 154 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
3	चेन्नई प्रधान आयकर आयुक्त-1, मदुरै	निजी बैंक	टी6	2014-15	0	---	43.25	उपचारात्मक कार्रवाई की गई और नवंबर 2022 में ₹5.33 करोड़ की वसूली की गई।
4	केरल प्रधान आयकर आयुक्त, तिरुवनंतपुरम	एनबीएफसी	के7	2015-16	0.27	---	0.12	विभाग ने (नवंबर 2022 में) उत्तर दिया कि इस मामले की जांच की जाएगी। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
5	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त-7, दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी1	2019-20	0.00	---	80.56	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
6	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त-7, दिल्ली	एनबीएफसी	आर11	2017-18	21.01	---	13.24	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
7	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त-7, दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी1	2014-15	25.54	---	8.68	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
8	दिल्ली सीआईटी (आईटी)-1, दिल्ली	विदेशी बैंक	सी5	2019-20	34.20	---	2.30	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
9	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त-7, दिल्ली	एनबीएफसी	आर3	2017-18	4.97	---	2.21	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
10	दिल्ली	विदेशी बैंक	सी5	2016-17	13.69	---	1.02	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ								(₹ करोड़ में)
क्र.सं.	क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार	बैंक/ एनबीएफसी	निर्धारिती के नाम	निर्धारण वर्ष	निर्धार्नाधीन	अतिनिर्धारण	प्रभावी कर	विभाग का उत्तर
	सीआईटी (आईटी)-1, दिल्ली							
11	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त -4, दिल्ली	एनबीएफसी	आई8	2018-19	0.00	---	1.02	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
12	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त -4, दिल्ली	एनबीएफसी	जी3	2017-18		1.36	0.59	उत्तर (अगस्त 2022) के अनुसार, मई 2022 में धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
13	दिल्ली प्रधान आयकर आयुक्त -7, दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी4	2018-19	0.39	---	0.19	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
14	कोलकाता-कोलकाता-प.बं. प्रधान आयकर आयुक्त-2, कोलकाता	एनबीएफसी	एस30	2012-13	1.52	---	0.49	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
15	कोलकाता-कोलकाता-प.बं. प्रधान आयकर आयुक्त-1 (केंद्रीय), कोलकाता	एनबीएफसी	एस25	2012-13	0.04	---	0.02	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
16	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त सीसी 3 मुंबई	एनबीएफसी	आई20	2015-16	0.00	---	0.55	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
17	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त 6 मुंबई	एनबीएफसी	आई12	2019-20	---	894.21	0.00	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
18	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त 6 मुंबई	एनबीएफसी	एल4	2019-20	23.49	---	8.21	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
19	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त 3 मुंबई	एनबीएफसी	ई5	2016-17	---	19.29	6.68	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ								(₹ करोड़ में)
क्र.सं.	**क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती के नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**निर्धार्नाधीन**	**अतिनिर्धारण**	**प्रभावी कर**	**विभाग का उत्तर**
20	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त (आईटी) 3 मुंबई	एनबीएफसी	एम11	2014-15	0.00	---	0.00	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
21	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त 2 मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस8	1997-98	0.00	---	2.19	स्वीकृत (मार्च 2021) और मार्च 2018 में धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
22	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त (आईटी) 2 मुंबई	विदेशी बैंक	सी1	2017-18	0.00	---	25.61	स्वीकृत (अगस्त 2022) और धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई फरवरी 2022 में की गई।
23	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त (आईटी) 2 मुंबई	विदेशी बैंक	सी1	2018-19	62.19	---	33.52	स्वीकृत (अगस्त 2022) और धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई जुलाई 2022 में की गई।
24	मुंबई सीआईटी (आईटी), मुंबई-2	विदेशी बैंक	डी1	2016-17	36.39	---	15.74	स्वीकृत (अगस्त 2023)। धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई (मई 2022)।
25	मुंबई सीआईटी (आईटी), मुंबई-2	विदेशी बैंक	डी1	2015-16	1.84	---	0.80	स्वीकृत (अगस्त 2023)। धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई (मार्च 2022)।
26	केरल प्रधान आयकर आयुक्त कोझिकोड	निजी बैंक	टी12	2018-19	0.98	---	0.34	विभाग ने अपने उत्तर में (अक्टूबर 2022 में) कहा कि उपचारात्मक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
27	मुंबई प्रधान आयकर आयुक्त-2, मुंबई	सार्वजनिक बैंक	डी3	2018-19	689.51	---	238.63	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (सितंबर 2025) और कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है (नवंबर 2024)।
28	चेन्नई	एनबीएफसी	आई10	2017-18	---	0.00	21.87	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ								(₹ करोड़ में)
क्र.सं.	**क्षेत्र/ प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारिती के नाम**	**निर्धारण वर्ष**	**निर्धार्नाधीन**	**अतिनिर्धारण**	**प्रभावी कर**	**विभाग का उत्तर**
	प्रधान आयकर आयुक्त -1 चेन्नई							
29	चेन्नई प्रधान आयकर आयुक्त-1, मदुरै	निजी बैंक	टी5	2016-17	---	4.32	1.43	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
30	चेन्नई प्रधान आयकर आयुक्त -1, चेन्नई	निजी बैंक	आई28	2018-19	0.00	---	10.94	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
31	अहमदाबाद प्रधान आयकर आयुक्त -1 अहमदाबाद	निजी बैंक	ए6	2016-17		0.00	2.62	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
32	दिल्ली सीआईटी (आईटी)-1, दिल्ली	विदेशी बैंक	टी5	2017-18	12.68	---	3.14	उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
योग					**928.71**	**952.41**	**547.45**	

अनुलग्नक 5.13

{संदर्भित पैरा 5.5.12}

संबंधित पक्षों को किए गए भुगतान के आंकड़ों में भिन्नता **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	क्षेत्र	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त	सेक्टर	निर्धारिती के नाम	मुख्य निर्धारिती को जारी की गई ऑडिट क्वेरी		संबंधित पक्ष को जारी किया गया ऑडिट क्वेरी		प्रभावी कर	विभाग का उत्तर
					सं.	प्रभावी कर	सं.	प्रभावी कर		
1	अहमदाबाद	प्रधान आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद	निजी बैंक	ए6	02	0.00	3	1.20	1.20	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
		प्रधान आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद	एनबीएफसी	एच10	0	0.00	4	4.93	4.93	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
2	मुंबई	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त-3, मुंबई	निजी बैंक	आई24	5	0.00	0	0.00	0.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
		प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त-2, मुंबई	निजी बैंक	एच4	6	0.00	0	0.00	0.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
			निजी बैंक	आई4	1	0.00	0	0.00	0.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
			सार्वजनिक बैंक	एस8	3	0.00	0	0.00	0.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
		सीआईटी (आईटी)-4, मुंबई	विदेशी बैंक	एस11	11	0.00	0	0.00	0.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
		प्रधान आयकर आयुक्त-3, पुणे	एनबीएफसी	बी5	2	0.00	0	0.00	0.00	निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए अंतरिम उत्तर और निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए स्वीकृत (अप्रैल 2024)। निर्धारण वर्ष — उपचारात्मक कार्रवाई का विवरण (अप्रैल 2024)। 2017-18 — 30.03.2022 को धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई।
		प्रधान आयकर आयुक्त-4, पुणे	एनबीएफसी	बी5	2	0.00	0	0.00	0.00	
		प्रधान आयकर आयुक्त-5, पुणे	एनबीएफसी	बी5	6	0.00	0	0.00	0.00	

संबंधित पक्षों को किए गए भुगतान के आंकड़ों में भिन्नता **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	क्षेत्र	प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त	सेक्टर	निर्धारिती के नाम	मुख्य निर्धारिती को जारी की गई ऑडिट क्वेरी		संबंधित पक्ष को जारी किया गया ऑडिट क्वेरी		प्रभावी कर	विभाग का उत्तर
					सं.	प्रभावी कर	सं.	प्रभावी कर		
										2018-19: धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई पर विचार किया जाता है। 2019-20: धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई पर विचार किया जाता है।
		प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त-3, मुंबई	एनबीए फसी	एस5	1	0.00	0	0.00	0.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
3	केरल	प्रधान आयकर आयुक्त, कोझिकोड	एनबीए फसी	एम6	3	0.00	9	0.44	0.44	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
		प्रधान आयकर आयुक्त-1, कोच्चि	निजी बैंक	टी11	1	0.00	5	6.56	6.56	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
		प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय), कोच्चि	एनबीए फसी	एम10	0	0.00	2	0.03	0.03	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
			एनबीए फसी	एम8	13	1.66	10	1.68	3.34	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
4	बेंगलुरु	प्रधान आयकर आयुक्त-2, बेंगलुरु	एनबीए फसी	जे5	2	0.59	0	0.00	0.59	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
5	चंडीगढ़	प्रधान आयकर आयुक्त-1, जालंधर	एनबीए फसी	एम5	4	2.99	0	0.00	2.99	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
			एनबीए फसी	एम19	2	20.64	0	0.00	20.64	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
		प्रधान आयकर आयुक्त फरीदाबाद	एनबीए फसी	एच11	7	8.89	0	0.00	8.89	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
		प्रधान आयकर	एनबीए फसी	ओ1	1	0.16	0	0.00	0.16	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

संबंधित पक्षों को किए गए भुगतान के आंकड़ों में भिन्नता										(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त**	**सेक्टर**	**निर्धारिती के नाम**	**मुख्य निर्धारिती को जारी की गई ऑडिट क्वेरी**		**संबंधित पक्ष को जारी किया गया ऑडिट क्वेरी**		**प्रभावी कर**	**विभाग का उत्तर**
					सं.	**प्रभावी कर**	**सं.**	**प्रभावी कर**		
		आयुक्त फरीदाबाद								
6	लखनऊ	प्रधान आयकर आयुक्त सेंट्रल कानपुर	एनबीएए फसी	आई6	1	0.48	0	0.00	0.48	स्वीकृत (मई 2024)। अधिनियम की धारा 148ए (बी) के अंतर्गत मई 2024 में उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
7	कोलकाता	प्रधान आयकर आयुक्त-2, कोलकाता	एनबीएए फसी	एस30	2	2.44	0	0.00	2.44	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
8	दिल्ली	प्रधान आयकर आयुक्त-4, दिल्ली	एनबीएए फसी	पी5	0	0.00	7	0.00	0.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
			एनबीएए फसी	आर1	0	0.00	1	0.00	0.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
9	हैदराबाद	प्रधान आयकर आयुक्त-2, हैदराबाद	एनबीएए फसी	के8	2	1.12	0	0.00	1.12	विभाग ने इन पैरा का विरोध किया। प्रत्युतर जारी किया गया।
				योग	**77**	**38.97**	**41**	**14.84**	**53.81**	

अनुलग्नक 5.14

{संदर्भित पैरा 5.5.12}

संबंधित पक्ष संव्यवहार के संदर्भ में गैर-प्रस्तुत मामलों का विवरण				
क्र. सं.	**मुख्य निर्धारिती का विवरण**	**संबंधित पक्षों का विवरण**	**संबंधित पक्ष मामलों/लेन-देन प्रस्तुत नहीं की गई की संख्या**	**संबंधित पक्षों के संबंध में प्रस्तुत न किए गए अभिलेखोंदस्तावेजों की सूची/**
1	ए6, निर्धारण वर्ष 2011-12, 2012-13, 2016-17 प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद	1. ए27 2. ए17 3. ए26 4. ए25	10	आईटीआर, 3सीडी, वार्षिक लेखे, निर्धारण आदेश, कर गणना पत्रक, मांग नोटिस, 26एएस, संव्यवहार के संबंध में बहीखाते 'भुगतान किया गया ब्याज, शुल्क एवं कमीशन' तथा कोई अन्य प्रासंगिक अभिलेख जैसे अपील आदेश, 3सीईबी आदि।
2	एफ2 निर्धारण वर्ष 2017-18, 2018-19 प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त-1, अहमदाबाद	1. आई46 2. एफ7	2	सत्यापन हेतु पीडीए(सी) कार्यालय, बेंगलुरु को भेजे गए मामलों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।
3	एन2 निर्धारण वर्ष 2015-16, 2016-17 प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त-1, वडोदरा	1. एम36	2	सत्यापन हेतु डीजीएसीआर-दिल्ली कार्यालय को भेजे गए मामलों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।
4	सी6 निर्धारण वर्ष 2018-19, 2019-20 प्रधान आयकर आयुक्त 2, बेंगलुरु	1. सी19	2	सत्यापन हेतु डीजीएसीआर-दिल्ली कार्यालय को भेजे गए मामलों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।
5	एस15 निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक प्रधान आयकर आयुक्त 2, बेंगलुरु	1. एस49 2. ए22 3. के10 4. पी16	8	आईटीआर, धारा 143(3)/143(1) के अंतर्गत आदेश की प्रति

संबंधित पक्ष संव्यवहार के संदर्भ में गैर-प्रस्तुत मामलों का विवरण				
क्र. सं.	**मुख्य निर्धारिती का विवरण**	**संबंधित पक्षों का विवरण**	**संबंधित पक्ष मामलों/लेन-देन प्रस्तुत नहीं की गई की संख्या**	**संबंधित पक्षों के संबंध में प्रस्तुत न किए गए अभिलेखोंदस्तावेजों की सूची/**
6	टी20 निर्धारण वर्ष 2017-18 प्रधान आयकर आयुक्त 2, बेंगलुरु	1.टी22	1	आईटीआर, धारा 143(3)/143(1) के अंतर्गत आदेश की प्रति
7	यू4 निर्धारण वर्ष 2017-18 प्रधान आयकर आयुक्त 2, बेंगलुरु	1.यू8	1	सत्यापन हेतु डीजीएससीआर-दिल्ली कार्यालय को भेजे गए मामलों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।
8	वी8 निर्धारण वर्ष 2017-18, 2018-19 प्रधान आयकर आयुक्त 2, बेंगलुरु	1.वी10	2	आईटीआर, धारा 143(3)/143(1) के अंतर्गत आदेश की प्रति
9	जे5 निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2019-20 प्रधान आयकर आयुक्त 2, बेंगलुरु	1.सी18	5	आईटीआर, निर्धारण आदेश
10	के8 निर्धारण वर्ष 2016-17 प्रधान आयकर आयुक्त 2, हैदराबाद	1. के13	1	अंकेक्षित वित्तीय रिपोर्ट
11	टी11, निर्धारण वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 प्रधान आयकर आयुक्त-1, कोच्चि	1. एफ6	3	वित्तीय विवरण, प्रपत्र 3सीडी, आयकर रिटर्न प्रपत्र, तथा धारा 143(1) के अंतर्गत आदेश की प्रति
12	एम8 निर्धारण वर्ष 2011-12 प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय), कोच्चि	1. एम22	1	आईटीआर, प्रपत्र 3सीए, वार्षिक प्रतिवेदन, धारा 143(3) के अंतर्गत आदेश की प्रति
13	बी14 निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18	1. सी15 2. एन7 3. सी17	5	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

संबंधित पक्ष संव्यवहार के संदर्भ में गैर-प्रस्तुत मामलों का विवरण				
क्र. सं.	**मुख्य निर्धारिती का विवरण**	**संबंधित पक्षों का विवरण**	**संबंधित पक्ष मामलों/लेन-देन प्रस्तुत नहीं की गई की संख्या**	**संबंधित पक्षों के संबंध में प्रस्तुत न किए गए अभिलेखोंदस्तावेजों की सूची/**
	प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय), कोलकाता-2			
14	बी11 निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक प्रधान आयकर आयुक्त, कोलकाता-2	1. डी10 2. वी9 3. ए23 4. एन7 5. सी15 6. बी16 7. एस44 8. टी24	30	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
15	एम7 निर्धारण वर्ष 2012-13, 2015-16, 2016-17, 2017-18 प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय), कोलकाता-2	1. एम32 2. एस54 3. एस58 4. सी20 5. एम26 6. एच14	22	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
16	एस3 निर्धारण वर्ष 2014-15, 2016-17 प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय), कोलकाता-2	1. एस60 2. एस53 3. सी17	5	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
17	आर16 निर्धारण वर्ष 2017-18 प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय), कोलकाता-2	1. ए35 2. आर17	2	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
18	आई18 निर्धारण वर्ष 2016-17, 2018-19, 2019-20 प्रधान आयकर आयुक्त-4 नई दिल्ली	1. आई42 2. आई43 3. टी29	8	वार्षिक खाते, धारा 143(1) के तहत रिटर्न का प्रसंस्करण, फॉर्म 10बी और धारा 80जी के तहत कटौती के दावे के लिए अनुमोदन।
19	आर1 निर्धारण वर्ष 2015-16, 2016-17, 2018-19, 2019-20 प्रधान आयकर आयुक्त-4 नई दिल्ली	1. आर18 2. आर12	6	वार्षिक खाते, धारा 143(1) के तहत रिटर्न का प्रसंस्करण

संबंधित पक्ष संव्यवहार के संदर्भ में गैर-प्रस्तुत मामलों का विवरण				
क्र. सं.	**मुख्य निर्धारिती का विवरण**	**संबंधित पक्षों का विवरण**	**संबंधित पक्ष मामलों/लेन-देन प्रस्तुत नहीं की गई की संख्या**	**संबंधित पक्षों के संबंध में प्रस्तुत न किए गए अभिलेखोंदस्तावेजों की सूची/**
20	पी6 निर्धारण वर्ष 2018-19 प्रधान आयकर आयुक्त-7 दिल्ली	1. पी17	1	संगणना पत्रक
21	के14 निर्धारण वर्ष 2014-15 प्रधान आयकर आयुक्त, ग्वालियर	1. एच13	1	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
22	सी7 निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक डीसीआईटी 1(1), भोपाल	1. बी19 2. एस55 3. सी4 4. एच13 5. ए33 6. एस61 7. एस56 8. एन9	14	सत्यापन के लिए मामले डीजीए मुंबई (सी) पीडीए/(सी), चेन्नई, कोलकाता कार्यालय को भेजे गए, कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ
23	एम12 निर्धारण वर्ष 2015-16, निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक पीसीआईटी 1 इंदौर	1. एम25 2. एस59	4	फॉर्म 3सीडी में पैन उपलब्ध नहीं है
24	सी1 निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक सीआईटी(आईटी)-2, मुंबई	1. सी23 2. सी22 3. सी24 4. सी21	10	आईटीआर, आईटीआर की पावती (आईटीआर वी), 3सीडी/3सीईबी रिपोर्ट, निर्धारण आदेश, आईटीएनएस, आय की गणना, वार्षिक खाते।
25	एल1 निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक प्रधान आयकर आयुक्त 2, मुंबई	1. एल6	4	आईटीआर, निर्धारण आदेश, फॉर्म 3सीडी रिपोर्ट, कर गणना और वित्तीय खाते

संबंधित पक्ष संव्यवहार के संदर्भ में गैर-प्रस्तुत मामलों का विवरण				
क्र. सं.	**मुख्य निर्धारिती का विवरण**	**संबंधित पक्षों का विवरण**	**संबंधित पक्ष मामलों/लेन-देन प्रस्तुत नहीं की गई की संख्या**	**संबंधित पक्षों के संबंध में प्रस्तुत न किए गए अभिलेखोंदस्तावेजों की सूची/**
26	टी19 निर्धारण वर्ष 2016-17 प्रधान आयकर आयुक्त 2, मुंबई	1. टी27	4	फॉर्म 3सीडी रिपोर्ट, कर गणना और वित्तीय खाते
27	एस26 निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक प्रधान आयकर आयुक्त 1, मुंबई	1. बी20	16	फॉर्म 26एएस, एआईएस डेटा, आईटीएस, 360 डिग्री व्यू
28	आर9 निर्धारण वर्ष 2015-16, 2016-17, 2019-20 प्रधान आयकर आयुक्त 8, मुंबई	1. आर19 2. आर21 3. आर2 4. आर20	5	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
29	एम1 निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक प्रधान आयकर आयुक्त 8, मुंबई	1. एम28 2. एम31 3. एम30 4. एम29	9	निर्धारण आदेश, आईटीआर, गणना शीट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, वित्तीय खाते
30	एस24 निर्धारण वर्ष 2015-16, 2017-18 प्रधान आयकर आयुक्त इलाहाबाद	1. यू11 2. यू10 3. जी11 4. यू9 5. ए29 6. ए32 7. ए34	10	चूंकि संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन दिए गए ऋण से संबंधित नहीं था, इसलिए संबंधित पार्टी को पीए में ऑडिट के अधीन नहीं किया गया था।
31	यु6 निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक प्रधान आयकर आयुक्त, इलाहाबाद	1. यु11 2. यु10 3. जी11 4. यु9 5. ए29 6. ए32 7. ए34	10	चूंकि संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन दिए गए ऋण से संबंधित नहीं था, इसलिए संबंधित पार्टी को पीए में ऑडिट के अधीन नहीं किया गया था।
32	एफ8	1. एस57	2	चूंकि संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन दिए गए ऋण से

संबंधित पक्ष संव्यवहार के संदर्भ में गैर-प्रस्तुत मामलों का विवरण				
क्र. सं.	**मुख्य निर्धारिती का विवरण**	**संबंधित पक्षों का विवरण**	**संबंधित पक्ष मामलों/लेन-देन प्रस्तुत नहीं की गई की संख्या**	**संबंधित पक्षों के संबंध में प्रस्तुत न किए गए अभिलेखोंदस्तावेजों की सूची/**
	निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2017-18 तक प्रधान आयकर आयुक्त, इलाहाबाद	एक संबंधित पक्ष का नाम उपलब्ध नहीं है		संबंधित नहीं था, इसलिए संबंधित पार्टी को पीए में ऑडिट के अधीन नहीं किया गया था।
33	पी18 निर्धारण वर्ष 2015-16, 2017-18 प्रधान आयकर आयुक्त, (केंद्रीय) कानपुर	1. पी19 2. ए31 3. ए28 4. एम35	5	चूंकि संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन दिए गए ऋण से संबंधित नहीं था, इसलिए संबंधित पार्टी को पीए में ऑडिट के अधीन नहीं किया गया था।
34	आई6 निर्धारण वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक प्रधान आयकर आयुक्त, (केंद्रीय) कानपुर	1. डी13 2. एल7 3. बी22 4. आर15 5. वी12 6. एस62 7. बी21 8. आई45 9. एस63 10. एम34 11. सी25 12. एच15 13. आई44	29	चूंकि संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन दिए गए ऋण से संबंधित नहीं था, इसलिए संबंधित पार्टी को पीए में ऑडिट के अधीन नहीं किया गया था।
35	एम27 निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2017-18 प्रधान आयकर आयुक्त, पटना-1	दो संबंधित पक्षों के नाम उपलब्ध नहीं हैं	2	
36	एम33 निर्धारण वर्ष 2017-18 प्रधान आयकर आयुक्त, बरेली	संबंधित पक्षों के नाम उपलब्ध नहीं हैं	1	
37	टी7 निर्धारण वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पीसीआईटी, बरेली	1. वी11 2. एन10 3. एम37 4. के12	34	चूंकि संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन दिए गए ऋण से संबंधित नहीं था, इसलिए संबंधित पार्टी को पीए में

संबंधित पक्ष संव्यवहार के संदर्भ में गैर-प्रस्तुत मामलों का विवरण				
क्र. सं.	**मुख्य निर्धारिती का विवरण**	**संबंधित पक्षों का विवरण**	**संबंधित पक्ष मामलों/लेन-देन प्रस्तुत नहीं की गई की संख्या**	**संबंधित पक्षों के संबंध में प्रस्तुत न किए गए अभिलेखोंदस्तावेजों की सूची/**
		5. एस52 6. बी2 7. एम38 8. वी13 • एक संबंधित पक्ष का नाम उपलब्ध नहीं है		ऑडिट के अधीन नहीं किया गया था।
38	टी28 निर्धारण वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक पीसीआईटी लखनऊ	1. एस51 • तीन संबंधित पक्षों का नाम उपलब्ध नहीं है	4	चूंकि संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन दिए गए ऋण से संबंधित नहीं था, इसलिए संबंधित पार्टी को पीए में ऑडिट के अधीन नहीं किया गया था।
39	सी26 निर्धारण वर्ष 2017-18, 2019-20 पीसीआईटी, पटना-1	संबंधित पक्ष का नाम उपलब्ध नहीं है	2	
40	वी14 निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18 पीसीआईटी, पटना-1	संबंधित पक्ष का नाम उपलब्ध नहीं है		
	कुल		**278**	

अनुलग्नक 6.1

{संदर्भित पैरा 6.2.1}

बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की वसूली - आरबीआई के आंकड़ों से गैर-मिलान (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	सेक्टर	बैंक के नाम	नि.व.	आरबीआई को दी गई प्रतिवेदन के अनुसार वसूली	प्रपत्र 3सीडी में रिपोर्ट की गई वसूली	अंतर	विभाग का उत्तर
1	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	सी4	2016-17	111	0	111	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	सी4	2017-18	121	0	121	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
3	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	सी4	2018-19	410	0	410	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
4	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	बी2	2016-17	221	179	42	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
5	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	बी2	2017-18	327	224	103	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
6	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	बी2	2018-19	621	569	52	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
7	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस17	2016-17	88	0	88	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
8	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस17	2017-18	59	0	59	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण

बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की वसूली - आरबीआई के आंकड़ों से गैर-मिलान								**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**सेक्टर**	**बैंक के नाम**	**नि.व.**	**आरबीआई को दी गई प्रतिवेदन के अनुसार वसूली**	**प्रपत्र 3सीडी में रिपोर्ट की गई वसूली**	**अंतर**	**विभाग का उत्तर**
								प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
9	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस13	2016-17	119	0	119	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
10	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस13	2017-18	150	0	150	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
11	मुंबई	निजी बैंक	आई4	2018-19	279	214	65	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
12	मुंबई	निजी बैंक	आई4	2019-20	1,727	577	1,150	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
13	मुंबई	विदेशी बैंक	सी1	2016-17	55	0	55	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
14	मुंबई	विदेशी बैंक	सी1	2017-18	72	0	72	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
15	मुंबई	विदेशी बैंक	सी1	2018-19	83	0	83	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
16	मुंबई	विदेशी बैंक	सी1	2019-20	100	0	100	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
17	मुंबई	विदेशी बैंक	एच8	2016-17	17	0	17	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
18	मुंबई	विदेशी बैंक	एच8	2017-18	19	0	19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
19	मुंबई	विदेशी बैंक	एच8	2018-19	26	0	26	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
20	मुंबई	विदेशी बैंक	एच8	2019-20	36	0	36	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की वसूली - आरबीआई के आंकड़ों से गैर-मिलान								(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**सेक्टर**	**बैंक के नाम**	**नि.व.**	**आरबीआई को दी गई प्रतिवेदन के अनुसार वसूली**	**प्रपत्र 3सीडी में रिपोर्ट की गई वसूली**	**अंतर**	**विभाग का उत्तर**
21	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी4	2016-17	34	20.40	13.60	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
22	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी4	2017-18	26	10.53	15.47	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
23	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी4	2018-19	49	7.79	41.21	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
24	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी4	2019-20	160	14.10	145.90	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
25	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	यू3	2016-17	111	94.70	16.30	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
26	दिल्ली	विदेशी बैंक	एम9	2017-18	53	0	53	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
27	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी1	2016-17	2,298	0	2,298	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
28	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी1	2017-18	2,133	0	2,133	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
29	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	पी1	2019-20	1,808	0	1,808	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
30	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई9	2016-17	353	0	353	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
31	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई9	2017-18	150	0	150	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
32	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई9	2018-19	249	0	249	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
33	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई9	2019-20	158	0	158	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
34	चेन्नई	निजी बैंक	आई28	2016-17	2	0	2	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
35	चेन्नई	निजी बैंक	आई28	2019-20	86	0	86	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
36	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2018-19	3	0	3	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
37	चेन्नई	सार्वजनिक बैंक	आई5	2019-20	28	0	28	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की वसूली - आरबीआई के आंकड़ों से गैर-मिलान (₹ करोड़ में)								
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**सेक्टर**	**बैंक के नाम**	**नि.व.**	**आरबीआई को दी गई प्रतिवेदन के अनुसार वसूली**	**प्रपत्र 3सीडी में रिपोर्ट की गई वसूली**	**अंतर**	**विभाग का उत्तर**
38	चेन्नई	निजी बैंक	टी5	2019-20	22	0	22	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
39	चेन्नई	निजी बैंक	टी3	2016-17	26	0	26	उत्तर में (सितंबर 2025 में) कहा गया कि इस पर विचार किया गया और कराधान के लिए प्रस्ताव दिया गया। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
40	चेन्नई	निजी बैंक	टी3	2017-18	5	0	5	
41	चेन्नई	निजी बैंक	टी3	2018-19	44	0	44	
42	चेन्नई	निजी बैंक	टी3	2019-20	70	0	70	
43	चेन्नई	निजी बैंक	सी3	2016-17	37	0	37	उत्तर में (जून 2025 में) कहा गया कि इस पर विचार किया गया और कराधान के लिए प्रस्ताव दिया गया। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
44	चेन्नई	निजी बैंक	टी6	2016-17	37	0	37	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
45	चेन्नई	निजी बैंक	टी6	2017-18	27	0	27	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
46	चेन्नई	निजी बैंक	टी6	2018-19	80	0	80	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
47	चेन्नई	निजी बैंक	टी6	2019-20	41	0	41	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
48	केरल	निजी बैंक	टी10	2017-18	7	0	7	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
49	केरल	निजी बैंक	टी10	2018-19	14	0	14	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
50	केरल	निजी बैंक	टी10	2019-20	11	0	11	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
51	बेंगलुरु	सार्वजनिक बैंक	सी6	2018-19	236	185.58	50.42	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की वसूली - आरबीआई के आंकड़ों से गैर-मिलान								(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**सेक्टर**	**बैंक के नाम**	**नि.व.**	**आरबीआई को दी गई प्रतिवेदन के अनुसार वसूली**	**प्रपत्र 3सीडी में रिपोर्ट की गई वसूली**	**अंतर**	**विभाग का उत्तर**
52	बेंगलुरु	सार्वजनिक बैंक	सी6	2019-20	1,304	2.25	1,301.75	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
योग					**14,491.00**	**2,294.60**	**12,196.40**	

अनुलग्नक 6.2

{संदर्भित पैरा 6.2.1.1}

उन मामलों की सूची जहां आरबीआई को रिपोर्ट की गई वसूली की राशि प्रपत्र 3सीडी में दर्शाई गई वसूली की राशि से गैर-मिलान

क्रम सं.	क्षेत्र	सेक्टर	बैंक के नाम	नि.व.	आरबीआई को दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार वसूली (₹ करोड़ में)	प्रपत्र 3सीडी में रिपोर्ट की गई वसूली (₹ करोड़ में)	अंतर (₹ करोड़ में)
1	दिल्ली	विदेशी बैंक	सी5	2016-17	0	0	0
2	दिल्ली	विदेशी बैंक	सी5	2017-18	0	0	0
3	दिल्ली	विदेशी बैंक	सी5	2018-19	0	0	0
4	दिल्ली	विदेशी बैंक	सी5	2019-20	0	0	0
5	दिल्ली	विदेशी बैंक	जे4	2016-17	0	0	0
6	दिल्ली	विदेशी बैंक	एम9	2016-17	0	0	0
7	दिल्ली	विदेशी बैंक	एम9	2018-19	0	0	0
8	दिल्ली	विदेशी बैंक	एम9	2019-20	69	69	0
9	दिल्ली	विदेशी बैंक	एस12	2017-18	0	0	0
10	दिल्ली	विदेशी बैंक	एस12	2018-19	0	0	0
11	दिल्ली	विदेशी बैंक	एस12	2019-20	0	0	0
12	दिल्ली	विदेशी बैंक	आई27	2016-17	0	0	0
13	दिल्ली	विदेशी बैंक	आई27	2017-18	0	0	0
14	दिल्ली	विदेशी बैंक	आई27	2018-19	0	0	0
15	दिल्ली	विदेशी बैंक	आई27	2019-20	0	0	0
16	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	ओ2	2016-17	234	234	0
17	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	ओ2	2017-18	291	291	0
18	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	ओ2	2018-19	264	264	0
19	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	ओ2	2019-20	1,062	1,062	0
20	दिल्ली	सार्वजनिक बैंक	यू3	2017-18	127	127	0
21	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	यू1	2016-17	186	186	0
22	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस18	2016-17	28	28	0

उन मामलों की सूची जहां आरबीआई को रिपोर्ट की गई वसूली की राशि प्रपत्र 3सीडी में दर्शाई गई वसूली की राशि से गैर-मिलान							
क्रम सं.	**क्षेत्र**	**सेक्टर**	**बैंक के नाम**	**नि.व.**	**आरबीआई को दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार वसूली (₹ करोड़ में)**	**प्रपत्र 3सीडी में रिपोर्ट की गई वसूली (₹ करोड़ में)**	**अंतर (₹ करोड़ में)**
23	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस18	2017-18	79	79	0
24	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	एस8	2019-20	8,345	8,345	0
25	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	बी8	2016-17	68	68	0
26	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	बी8	2017-18	38	38	0
27	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	डी3	2016-17	66	66	0
28	मुंबई	सार्वजनिक बैंक	डी3	2018-19	142	142	0
29	मुंबई	निजी बैंक	आई4	2016-17	193	193	0
30	मुंबई	निजी बैंक	वाई1	2016-17	8	8	0
31	मुंबई	निजी बैंक	वाई1	2017-18	49	49	0
32	मुंबई	निजी बैंक	डी2	2016-17	10	10	0
33	मुंबई	निजी बैंक	डी2	2017-18	5	5	0
34	मुंबई	निजी बैंक	एच4	2016-17	808	808	0
35	मुंबई	निजी बैंक	एच4	2017-18	864	864	0
36	मुंबई	निजी बैंक	एच4	2018-19	1,094	1,094	0
37	मुंबई	निजी बैंक	एच4	2019-20	1,431	1,431	0
38	मुंबई	निजी बैंक	आई7	2016-17	72	72	0
39	चेन्नई	निजी बैंक	टी5	2018-19	47	47	0
			योग		**15,580**	**15,580**	

अनुलग्नक 6.3

{संदर्भित पैरा 6.2.2}

एचएफसी द्वारा कर के लिए गैर-प्रस्तावित अशोध्य ऋणों की वसूली

क्रम सं.	प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार	निर्धारिती के नाम	नि.व.	कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार धारा 41(4) के अंतर्गत वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)	एनएचबी के अनुसार धारा 41(4) के अंतर्गत वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर
1	प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय)-3, मुंबई	आई20	2015-16	0	96.02	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
2	प्रधान आयकर आयुक्त-1 मुंबई	टी18	2018-19	0	2.08	उत्तर के अनुसार (मई 2024) धारा 133(6) के अंतर्गत निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
3	प्रधान आयकर आयुक्त-1 मुंबई	टी18	2019-20	0	12	उत्तर के अनुसार (मई 2024) धारा 133(6) के अंतर्गत निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
4	प्रधान आयकर आयुक्त-1 मुंबई	एच2	2015-16	0	0.92	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

एचएफसी द्वारा कर के लिए गैर-प्रस्तावित अशोध्य ऋणों की वसूली						
क्रम सं.	**प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती के नाम**	**नि.व.**	**कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार धारा 41(4) के अंतर्गत वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)**	**एनएचबी के अनुसार धारा 41(4) के अंतर्गत वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
5	प्रधान आयकर आयुक्त-1 मुंबई	एच2	2016-17	0	0.87	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
6	प्रधान आयकर आयुक्त-1 मुंबई	एच2	2018-19	0	0.61	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
7	प्रधान आयकर आयुक्त-1 मुंबई	एच2	2019-20	0	0.93	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
8	प्रधान आयकर आयुक्त-1 मुंबई	एच2	2017-18	0	0.74	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
9	प्रधान आयकर आयुक्त-8 मुंबई	एम14	2017-18	0	0.09	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
10	प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई	एल1	2018-19	0	7.18	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
11	प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई	एल1	2019-20	0	13.22	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
12	प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई	जी2	2017-18	0	0.12	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

एचएफसी द्वारा कर के लिए गैर-प्रस्तावित अशोध्य ऋणों की वसूली						
क्रम सं.	**प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार**	**निर्धारिती के नाम**	**नि.व.**	**कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार धारा 41(4) के अंतर्गत वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)**	**एनएचबी के अनुसार धारा 41(4) के अंतर्गत वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
13	प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई	जी2	2018-19	0	1.65	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
14	प्रधान आयकर आयुक्त-4 मुंबई	आई23	2018-19	0	1.09	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
15	प्रधान आयकर आयुक्त-4 मुंबई	आई23	2019-20	0	0.37	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
योग					**137.89**	

अनुलग्नक 6.4

{संदर्भित पैरा 6.2.3}

आरबीआई/एनएचबी आंकड़ों से अधिक अनुमत अशोध्य ऋण									(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	क्षेत्र	निर्धारिती के नाम	बैंक/ एनबीएफसी	निर्धारण वर्ष	रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में)	निर्धारण आदेश में अनुमत अशोध्य ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में)	आरबीआई के अनुसार अशोध्य ऋण (₹ करोड़ में)	अंतर (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर
1	मुंबई	आई4	निजी बैंक	2017-18	12,891.19	12,891.19	12,192	699.19	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
2	मुंबई	आई4	निजी बैंक	2018-19	8,720.60	8,720.60	8,350	370.60	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
3	मुंबई	वाई1	निजी बैंक	2016-17	261.08	261.08	258	3.08	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
4	मुंबई	वाई1	निजी बैंक	2017-18	181.66	181.66	142	39.66	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
5	मुंबई	वाई1	निजी बैंक	2018-19	711.06	711.06	709	2.06	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
6	मुंबई	वाई1	निजी बैंक	2019-20	483.30	483.30	469	14.30	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
7	मुंबई	डी2	निजी बैंक	2017-18	44.36	44.36	44	0.36	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
8	मुंबई	डी2	निजी बैंक	2018-19	33.01	33.01	32	1.01	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
9	मुंबई	एच4	निजी बैंक	2016-17	1,942.44	1,942.44	1,854	88.44	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी

आरबीआई/एनएचबी आंकड़ों से अधिक अनुमत अशोध्य ऋण									(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**निर्धारिती के नाम**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारण वर्ष**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण आदेश में अनुमत अशोध्य ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में)**	**आरबीआई के अनुसार अशोध्य ऋण (₹ करोड़ में)**	**अंतर (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
									विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
10	मुंबई	एच4	निजी बैंक	2017-18	2,385.93	2,385.93	2,323	62.93	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
11	मुंबई	एच4	निजी बैंक	2019-20	4,580.38	4,580.38	4,568	12.38	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
12	मुंबई	आई7	निजी बैंक	2016-17	404.79	404.79	281	123.79	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
13	मुंबई	आई7	निजी बैंक	2017-18	560.35	560.35	466	94.35	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
14	मुंबई	आई7	निजी बैंक	2018-19	1,010.55	1,010.55	783	227.55	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
15	मुंबई	आई7	निजी बैंक	2019-20	2,152.36	2,152.36	1,923	229.36	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
16	मुंबई	एस13	सार्वजनिक बैंक	2016-17	3,099.90	3,099.90	1,156	1,943.90	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
17	मुंबई	सी4	सार्वजनिक बैंक	2016-17	1,431.46	1,431.46	1,334	97.46	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
18	मुंबई	सी4	सार्वजनिक बैंक	2017-18	2,536.15	2,536.15	2,396	140.15	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

आरबीआई/एनएचबी आंकड़ों से अधिक अनुमत अशोध्य ऋण									(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**निर्धारिती के नाम**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारण वर्ष**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण आदेश में अनुमत अशोध्य ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में)**	**आरबीआई के अनुसार अशोध्य ऋण (₹ करोड़ में)**	**अंतर (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
19	मुंबई	सी4	सार्वजनिक बैंक	2018-19	2,957.22	2,957.22	2,924	33.22	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
20	मुंबई	वी3	सार्वजनिक बैंक	2018-19	1,541.26	1,541.26	1,539	2.26	स्वीकृत (जून 2022)। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
21	मुंबई	आई24	निजी बैंक	2017-18	3,029.21	3,029.21	2,868	161.21	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
22	मुंबई	आई24	निजी बैंक	2019-20	16,053.24	16,053.24	15,918	135.24	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
23	मुंबई	टी19	एनबीएफसी	2017-18	345.52	345.52	343.2	2.32	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
24	मुंबई	टी19	एनबीएफसी	2018-19	625.01	625.01	578.43	46.58	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
25	मुंबई	एस5	एनबीएफसी	2017-18	101.63	101.63	101.24	0.39	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
26	अहमदाबाद	ए6	निजी बैंक	2019-20	8,956.31	8,956.31	8,278	678.31	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
27	कोलकाता	यू2	सार्वजनिक बैंक	2016-17	6,299.34	6,299.34	1,573	4,726.34	मंत्रालय ने इसे स्वीकार कर लिया (नवंबर 2025) और सितंबर 2025 में धारा 263 के अंतर्गत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
28	कोलकाता	यू2	सार्वजनिक बैंक	2017-18	4,414.68	4,414.68	1,937	2,477.68	मंत्रालय ने (नवंबर 2025) स्वीकार कर लिया है और अप्रैल 2024 में धारा 148ए(डी) के अंतर्गत नोटिस जारी करके

आरबीआई/एनएचबी आंकड़ों से अधिक अनुमत अशोध्य ऋण									(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**निर्धारिती के नाम**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारण वर्ष**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण आदेश में अनुमत अशोध्य ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में)**	**आरबीआई के अनुसार अशोध्य ऋण (₹ करोड़ में)**	**अंतर (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
									उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।
29	कोलकाता	यू2	सार्वजनिक बैंक	2018-19	7,343.38	7,343.38	2,735	4,608.38	मंत्रालय ने स्वीकार किया (नवंबर 2025) और मार्च 2025 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
30	दिल्ली	ए16	विदेशी बैंक	2016-17	95.31	95.31	82	13.31	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
31	दिल्ली	ए16	विदेशी बैंक	2017-18	122.50	122.50	106	16.50	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
32	दिल्ली	ओ2	सार्वजनिक बैंक	2018-19	7,235.20	7,235.20	6,357	878.20	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
33	केरल	टी10	निजी बैंक	2018-19	134.24	134.24	2	132.24	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
34	केरल	टी10	निजी बैंक	2019-20	74.69	74.69	3	71.69	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
35	केरल	टी12	निजी बैंक	2019-20	876.92	876.92	287	589.92	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
36	केरल	टी13	निजी बैंक	2016-17	217.89	217.89	142.34	75.55	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
37	केरल	टी11	निजी बैंक	2019-20	630.55	630.55	186.31	444.24	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
38	चेन्नई	टी3	निजी बैंक	2018-19	860.27	817.51	362	455.51	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
39	चेन्नई	टी3	निजी बैंक	2019-20	806.88	806.88	447	359.88	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
40	चेन्नई	टी5	निजी बैंक	2018-19	298.2	298.2	272	26.20	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
41	चेन्नई	ए13	सार्वजनिक बैंक	2018-19	9,886.81	8,088.20	3,635	4,453.20	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

आरबीआई/एनएचबी आंकड़ों से अधिक अनुमत अशोध्य ऋण									**(₹ करोड़ में)**
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**निर्धारिती के नाम**	**बैंक/ एनबीएफसी**	**निर्धारण वर्ष**	**रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में)**	**निर्धारण आदेश में अनुमत अशोध्य ऋणों की कुल राशि (₹ करोड़ में)**	**आरबीआई के अनुसार अशोध्य ऋण (₹ करोड़ में)**	**अंतर (₹ करोड़ में)**	**विभाग का उत्तर**
42	मुंबई	एम14	एनबीएफसी	2017-18	10.42	10.42	9.57	0.85	पैरा 6.2.3 के अंतर्गत विस्तृत विवरण के अनुसार (फरवरी 2022 में) स्वीकृत नहीं किया गया।
43	दिल्ली	यू3	सार्वजनिक बैंक	2018-19	4,474.08	4,474.08	1,867	2,607.08	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
योग					**1,20,821.33**	**1,18,979.96**	**91,833.09**	**27,146.87**	

अनुलग्नक 6.5

{संदर्भित पैरा 6.2.3.1}

आरबीआई को रिपोर्ट किए गए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ बट्टे खाते में डाली गई राशि, निर्धारण में निर्धारिती को अनुमत अशोध्य ऋण की राशि से अधिक थी। **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	क्षेत्र	बैंक/ एनबीएफसी का नाम	सेक्टर	नि.व.	निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋण	आरबीआई को रिपोर्ट किए गए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ बट्टे खाते में डाली गई राशि	अंतर	विभाग का उत्तर
1	मुंबई	यू1	सार्वजनिक बैंक	2016-17	0	792	-792	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
2	मुंबई	यू1	सार्वजनिक बैंक	2017-18	0	1,264	-1,264	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
3	मुंबई	एस18	सार्वजनिक बैंक	2016-17	0	643	-643	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
4	मुंबई	एस18	सार्वजनिक बैंक	2017-18	0	1,560	-1,560	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
5	मुंबई	एस17	सार्वजनिक बैंक	2016-17	0	1,204	-1,204	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
6	मुंबई	एस17	सार्वजनिक बैंक	2017-18	0	1,430	-1,430	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
7	मुंबई	एस13	सार्वजनिक बैंक	2017-18	0	3,528	-3,528	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
8	मुंबई	एस8	सार्वजनिक बैंक	2016-17	0	15,955	-15,955	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
9	मुंबई	एस8	सार्वजनिक बैंक	2017-18	19,764.74	20,339	-574.26	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
10	मुंबई	एस8	सार्वजनिक बैंक	2018-19	24,725.74	39,151	-14,425.26	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
11	मुंबई	एस8	सार्वजनिक बैंक	2019-20	54,694.33	58,905	-4,210.67	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
12	मुंबई	बी8	सार्वजनिक बैंक	2016-17	887.7	903	-15.3	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
13	मुंबई	बी8	सार्वजनिक बैंक	2017-18	1,320.88	1,374	-53.12	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
14	मुंबई	बी8	सार्वजनिक बैंक	2018-19	0	2,460	-2,460	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
15	मुंबई	वी3	सार्वजनिक बैंक	2019-20	28.06	1,518	-1,489.94	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
16	मुंबई	बी2	सार्वजनिक बैंक	2016-17	0	1,554	-1,554	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

आरबीआई को रिपोर्ट किए गए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ बट्टे खाते में डाली गई राशि, निर्धारण में निर्धारिती को अनुमत अशोध्य ऋण की राशि से अधिक थी। (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	बैंक/ एनबीएफसी का नाम	सेक्टर	नि.व.	निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋण	आरबीआई को रिपोर्ट किए गए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ बट्टे खाते में डाली गई राशि	अंतर	विभाग का उत्तर
17	मुंबई	बी2	सार्वजनिक बैंक	2017-18	902.33	4,348	-3,445.67	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
18	मुंबई	बी2	सार्वजनिक बैंक	2018-19	2,202.78	4,948	-2,745.22	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
19	मुंबई	डी3	सार्वजनिक बैंक	2016-17	697.23	760	-62.77	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
20	मुंबई	डी3	सार्वजनिक बैंक	2017-18	811.25	833	-21.75	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
21	मुंबई	डी3	सार्वजनिक बैंक	2018-19	605.08	661	-55.92	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
22	मुंबई	आई24	निजी बैंक	2016-17	5,298.42	5,459	-160.58	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
23	मुंबई	आई24	निजी बैंक	2018-19	12,500.97	12,515	-14.03	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
24	मुंबई	आई4	निजी बैंक	2016-17	974.23	2,955	-1,980.77	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
25	मुंबई	आई4	निजी बैंक	2019-20	10,696.43	11,557	-860.57	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
26	मुंबई	डी2	निजी बैंक	2016-17	58.27	60	-1.73	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
27	मुंबई	डी2	निजी बैंक	2019-20	66.5	67	-0.5	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
28	मुंबई	डी8	निजी बैंक	2018-19	0	144	-144	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
29	मुंबई	के1	निजी बैंक	2016-17	286.22	289	-2.78	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
30	मुंबई	के1	निजी बैंक	2017-18	383.98	422	-38.02	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
31	मुंबई	के1	निजी बैंक	2018-19	395.63	407	-11.37	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
32	मुंबई	के1	निजी बैंक	2019-20	218.31	220	-1.69	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
33	मुंबई	एच4	निजी बैंक	2018-19	3,265.83	3,266	-0.17	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
34	मुंबई	आर6	निजी बैंक	2016-17	0	73	-73	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

आरबीआई को रिपोर्ट किए गए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ बट्टे खाते में डाली गई राशि, निर्धारण में निर्धारिती को अनुमत अशोध्य ऋण की राशि से अधिक थी। **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	क्षेत्र	बैंक/ एनबीएफसी का नाम	सेक्टर	नि.व.	निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋण	आरबीआई को रिपोर्ट किए गए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ बट्टे खाते में डाली गई राशि	अंतर	विभाग का उत्तर
35	मुंबई	आर6	निजी बैंक	2017-18	52.69	69	-16.31	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
36	मुंबई	टी19	एनबीएफसी	2019-20	514.08	528.04	-13.96	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
37	मुंबई	एस5	एनबीएफसी	2019-20	48.87	63.55	-14.68	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
38	मुंबई	एम1	एनबीएफसी	2017-18	845	1,789.37	-944.37	अस्वीकृत (अक्टूबर 2022)।
39	मुंबई	एम1	एनबीएफसी	2018-19	1,057.63	1,961.82	-904.19	
40	मुंबई	एम1	एनबीएफसी	2019-20	1,133.66	2,340.07	-1,206.41	
41	दिल्ली	ओ2	सार्वजनिक बैंक	2016-17	0	1,668	-1,668	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
42	दिल्ली	ओ2	सार्वजनिक बैंक	2017-18	0	2,308	-2,308	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
43	दिल्ली	पी4	सार्वजनिक बैंक	2016-17	0	335	-335	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
44	दिल्ली	पी4	सार्वजनिक बैंक	2017-18	0	491	-491	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
45	दिल्ली	पी4	सार्वजनिक बैंक	2018-19	0	460	-460	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
46	दिल्ली	पी4	सार्वजनिक बैंक	2019-20	0	1,635	-1,635	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
47	दिल्ली	पी1	सार्वजनिक बैंक	2016-17	0	6,485	-6,485	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
48	दिल्ली	पी1	सार्वजनिक बैंक	2017-18	0	9,205	-9,205	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
49	दिल्ली	पी1	सार्वजनिक बैंक	2018-19	0	7,407	-7,407	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
50	दिल्ली	पी1	सार्वजनिक बैंक	2019-20	0	12,253	-12,253	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
51	दिल्ली	यू3	सार्वजनिक बैंक	2017-18	37.72	714	-676.28	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
52	दिल्ली	सी5	विदेशी बैंक	2016-17	0	4	-4	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
53	अहमदाबाद	ए6	निजी बैंक	2016-17	3,163.94	3,234	-70.06	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
54	अहमदाबाद	ए6	निजी बैंक	2017-18	1,350.14	1,987	-636.86	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

आरबीआई को रिपोर्ट किए गए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ बट्टे खाते में डाली गई राशि, निर्धारण में निर्धारिती को अनुमत अशोध्य ऋण की राशि से अधिक थी। **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	क्षेत्र	बैंक/ एनबीएफसी का नाम	सेक्टर	नि.व.	निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋण	आरबीआई को रिपोर्ट किए गए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ बट्टे खाते में डाली गई राशि	अंतर	विभाग का उत्तर
55	अहमदाबाद	ए6	निजी बैंक	2018-19	11,095.01	11,274	-178.99	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
56	चंडीगढ़	टी8	निजी बैंक	2016-17	3.44	12	-8.56	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
57	चंडीगढ़	टी8	निजी बैंक	2017-18	31.61	76	-44.39	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
58	चेन्नई	ए13	सार्वजनिक बैंक	2016-17	1,842.70	2,126	-283.30	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
59	चेन्नई	ए13	सार्वजनिक बैंक	2017-18	2,123.73	2,442	-318.27	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
60	चेन्नई	आई28	निजी बैंक	2017-18	111.95	1,371	-1,259.05	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
61	चेन्नई	आई28	निजी बैंक	2018-19	998	998	0.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
62	चेन्नई	आई9	सार्वजनिक बैंक	2016-17	0	926	-926.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
63	चेन्नई	आई9	सार्वजनिक बैंक	2017-18	0	437	-437.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
64	चेन्नई	आई9	सार्वजनिक बैंक	2018-19	0	1,606	-1,606.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
65	चेन्नई	आई9	सार्वजनिक बैंक	2019-20	0	2,872	-2,872.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
66	चेन्नई	आई5	सार्वजनिक बैंक	2016-17	0	2,067	-2,067.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
67	चेन्नई	आई5	सार्वजनिक बैंक	2017-18	0	3,066	-3,066.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
68	चेन्नई	आई5	सार्वजनिक बैंक	2018-19	39.04	6,908	-6,868.96	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
69	चेन्नई	आई5	सार्वजनिक बैंक	2019-20	0	7,794	-7,794	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
70	चेन्नई	टी5	निजी बैंक	2016-17	89.88	160	-70.12	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
71	चेन्नई	टी5	निजी बैंक	2017-18	25.35	92	-66.65	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
72	चेन्नई	टी3	निजी बैंक	2016-17	223.95	943	-719.05	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

आरबीआई को रिपोर्ट किए गए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ बट्टे खाते में डाली गई राशि, निर्धारण में निर्धारिती को अनुमत अशोध्य ऋण की राशि से अधिक थी। (₹ करोड़ में)								
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**बैंक/ एनबीएफसी का नाम**	**सेक्टर**	**नि.व.**	**निर्धारण में अनुमत अशोध्य ऋण**	**आरबीआई को रिपोर्ट किए गए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ बट्टे खाते में डाली गई राशि**	**अंतर**	**विभाग का उत्तर**
73	चेन्नई	टी3	निजी बैंक	2017-18	0	264	-264.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
74	चेन्नई	टी6	निजी बैंक	2016-17	96.55	99	-2.45	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
75	चेन्नई	टी6	निजी बैंक	2017-18	241.72	244	-2.28	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
76	चेन्नई	टी6	निजी बैंक	2018-19	592.95	594	-1.05	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
77	लखनऊ	टी7	निजी बैंक	2017-18	0	1	-1.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
78	लखनऊ	टी7	निजी बैंक	2018-19	0	13	-13.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
79	लखनऊ	टी7	निजी बैंक	2019-20	0	1	-1.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
80	केरल	टी11	निजी बैंक	2016-17	0	452	-452.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
81	केरल	टी11	निजी बैंक	2017-18	0	236	-236.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
82	केरल	टी11	निजी बैंक	2018-19	0	212	-212.00	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
योग					**1,66,504.52**	**3,03,787.85**	**-1,37,283.33**	

अनुलग्नक 6.6

{संदर्भित पैरा 6.3.3}

संवीक्षा निर्धारण में किए गए परिवर्धन की असंधारणीयता (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	बैंक/ एनबीएफसी के नाम	सेक्टर	नि.व.	रिटर्न आय	किया गया परिवर्धन	अनुमत राहत/ हटाया गया	स्थायी परिवर्धन	सततता का *प्रतिशत*	विभाग का उत्तर
1	केरल	एम8	एनबीएफसी	2011-12	792.85	27.09	23.92	3.17	11.7	मंत्रालय द्वारा स्वीकृत नहीं (अप्रैल 2025)। प्रत्युत्तर परिशिष्ट 6.17 में।
2	केरल	एम8	एनबीएफसी	2012-13	1,363.21	67.50	58.49	9.01	13.35	
3	केरल	एम8	एनबीएफसी	2013-14	1,594.32	28.84	11.98	16.86	58.46	
4	केरल	एम8	एनबीएफसी	2014-15	1,214.22	143.87	143.87	0	0	
5	केरल	एम8	एनबीएफसी	2015-16	1,087.46	26.1	26.1	0	0	
6	केरल	एम8	एनबीएफसी	2016-17	1,799.41	78.62	45.09	33.53	42.65	
7	चेन्नई	एस4	एनबीएफसी	2015-16	569.77	181.87	175.48	6.39	35.1	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
8	चेन्नई	एस4	एनबीएफसी	2016-17	625.76	117.8	110.01	7.79	6.61	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
9	चेन्नई	एस4	एनबीएफसी	2017-18	610.31	132.98	127.48	5.5	4.14	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
10	चेन्नई	एल2	एनबीएफसी	2017-18 सामान्य प्रावधान	0.52	112.16	112.16	0	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
11	चेन्नई	एल2	एनबीएफसी	2017-18 धारा 115 जेबी के अंतर्गत	1.53	21.68	21.68	0	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
12	चेन्नई	एच12	एनबीएफसी	2016-17	208.54	44	44	0	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
13	चेन्नई	एच12	एनबीएफसी	2012-13	128.77	0.32	0.32	0	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
14	चेन्नई	के4	एनबीएफसी	2013-14	58.21	6.8	6.8	0	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
15	चेन्नई	टी3	निजी बैंक	2015-16	89.36	218.74	194.37	24.37	11.14	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
16	चेन्नई	ए13	सार्वजनिक बैंक	2014-15	(-)366.08	1239.13	359.53	879.6	70.99	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
17	चेन्नई	ए13	सार्वजनिक बैंक	2015-16	2,274.62	962.82	631.04	331.78	34.46	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
18	दिल्ली	पी1	सार्वजनिक बैंक	2014-15	5,469.46	2,553.29	2,553.29	0	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

संवीक्षा निर्धारण में किए गए परिवर्धन की असंधारणीयता										(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**बैंक/ एनबीएफसी के नाम**	**सेक्टर**	**नि.व.**	**रिटर्न आय**	**किया गया परिवर्धन**	**अनुमत राहत/ हटाया गया**	**स्थायी परिवर्धन**	**सततता का *प्रतिशत***	**विभाग का उत्तर**
19	दिल्ली	ओ2	सार्वजनिक बैंक	2013-14	769.94	1,226.49	1,219.73	6.76	0.55	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
20	दिल्ली	ओ2	सार्वजनिक बैंक	2014-15	665.32	1,331.11	1,324.53	6.58	0.5	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
21	दिल्ली	यू3	सार्वजनिक बैंक	2014-15	(-)1,719.74	988.85	21.02	967.83	97.87	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
22	दिल्ली	यू3	सार्वजनिक बैंक	2012-13	326.5	39.84	21.83	18.01	45.2	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
23	दिल्ली	यू3	सार्वजनिक बैंक	2010-11	132.38	22.57	18.49	4.08	18.08	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
24	दिल्ली	यू3	सार्वजनिक बैंक	2011-12	123.96	64.67	17.59	47.08	72.8	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
25	अहमदाबाद	ए6	निजी बैंक	2011-12	5,831	283.89	2.72	281.17	99.04	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
26	अहमदाबाद	ए6	निजी बैंक	2012-13	6,784.49	316.82	88.12	228.70	72.19	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
27	अहमदाबाद	ए6	निजी बैंक	2015-16	11,253.00	481	221	260	54	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
28	अहमदाबाद	एम4	एनबीएफसी	2010-11	20.09	0.70	0.70	0	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
29	अहमदाबाद	एम4	एनबीएफसी	2011-12	26.68	0.75	0.75	0	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
30	अहमदाबाद	एम4	एनबीएफसी	2015-16	60.30	0.91	0.86	0.05	5.39	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
31	अहमदाबाद	एम4	एनबीएफसी	2016-17	83.90	0.87	0.81	0.06	6.32	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
32	मुंबई	आई4	निजी बैंक	2012-13	6,187.13	1,477.99	1,432.63	45.36	3.06	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
33	मुंबई	आई4	निजी बैंक	2014-15	11,404.92	3,789.56	3,071.58	717.98	18.94	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
34	मुंबई	आई7	निजी बैंक	2014-15	2,105.16	189.98	173.32	16.66	8.77	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
35	मुंबई	एस8	सार्वजनिक बैंक	2016-17	12,338.34	33,991.65	3,555.18	30,436.47	89.54	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
36	बेंगलुरु	जे5	एनबीएफसी	2014-15	80.13	6.56	0.08	6.48	98.73	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
37	बेंगलुरु	जे5	एनबीएफसी	2015-16	109.58	29.23	0.08	29.15	99.73	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।

संवीक्षा निर्धारण में किए गए परिवर्धन की असंधारणीयता										(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**क्षेत्र**	**बैंक/ एनबीएफसी के नाम**	**सेक्टर**	**नि.व.**	**रिटर्न आय**	**किया गया परिवर्धन**	**अनुमत राहत/ हटाया गया**	**स्थायी परिवर्धन**	**सततता का *प्रतिशत***	**विभाग का उत्तर**
38	बेंगलुरु	टी20	एनबीएफसी	2015-16	0	0.26	0.26	0	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
39	बेंगलुरु	टी20	एनबीएफसी	2016-17	36.07	0.60	0.60	0	0	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
40	बेंगलुरु	टी15	निजी बैंक	2015-16	910.44	339.20	118.84	220.36	64.96	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
41	बेंगलुरु	एस15	सार्वजनिक बैंक	2015-16	504.75	2,838.11	467.87	2,370.24	83.51	उत्तर प्रतीक्षित था (नवंबर 2025)।
योग						**53,385.22**	**16,404.20**	**36,981.02**		

अनुलग्नक 6.7

{संदर्भित पैरा 6.4.2}

बैंकों के निर्धारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की प्रस्तावित रूपरेखा

बैंकों के निर्धारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया में निम्नलिखित व्यापक मुद्दे आच्छादित किये जाएं।

क) बैंकों के निर्धारण से संबंधित मुद्दों, विशेष रूप से बैंकों को दी जाने वाली कटौतियों और छूटों से संबंधित आयकर अधिनियम के मुख्य प्रावधानों का सारांश।

ख) बैंकों के निर्धारण से संबंधित नवीनतम न्यायिक निर्णयों का सारांश।

ग) बैंकों के निर्धारण से संबंधित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड परिपत्रों की सूची।

घ) अन्य परिसंपत्तियों के वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य परिपत्रों और निर्देशों की सूची।

ङ) उन प्रतिवेदनों की सूची जिन्हें बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य नियामक प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, जिनका संबंध बही में आय और व्यय के लेखांकन के साथ-साथ करदेय आय की गणना में कटौती के दावे से होता है।

च) विभिन्न मुद्दों का सारांश जहाँ बैंकों के निर्धारण में आमतौर पर परिवर्धन किया जाता है एवं इस मुद्दे पर नवीनतम न्यायिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए निर्धारण अधिकारी द्वारा अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण। दिशानिर्देश में अन्य बातों के अतिरिक्त, निम्नलिखित मुद्दों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए:

i) निर्धारण के प्रयोजन हेतु खंडावधि के ब्याज का निपटान

ii) एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत प्रतिधारित निवेशों पर भुगतान किए गए अधिमूल्य के परिशोधन का निपटान।

iii) नियम 6ईए की तुलना में धारा 43डी के अंतर्गत प्रोद्भवित ब्याज की कर देयता

iv) नियम **8**डी के साथ पठित धारा 14ए के अंतर्गत अननुमत व्ययों की गणना कैसे करें।

v) अर्जित किन्तु अदेय ब्याज की कर देयता

vi) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ की विक्रय पर हानि का निपटान

vii) नवोन्मेषी संधारणीय ऋण प्रपत्र (आईपीडीआई) बांडों के कारण हुए ब्याज व्यय का प्रशोधन

viii) कोई अन्य मुद्दा जिस पर विभाग को लगता है कि बैंकों के मामले में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

छ) धारा 36(1)(vii), 36(1)(viiए) और 36(1)(viii) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों को अनुमेय कटौती की गणना की रीति, कुछ उदाहरणों सहित।

ज) प्रत्येक निर्धारण अधिकारी द्वारा उन विवरणों का प्रारूप सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है, जो विभिन्न वर्षों में बैंकों को धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत दी गई कटौती से संबंधित हों, ताकि निर्धारण अधिकारी आगामी निर्धारण वर्ष में अनुमन्य अशोध्य ऋण निर्धारित करते समय इनका उपयोग किया जा सके।

झ) समग्र ग्रामीण अग्रिमों के संबंध में नियम 6एबीए के साथ पठित धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमेय कटौती की गणना के प्रयोजनार्थ ग्रामीण शाखाओं की सूची।

ञ) निर्धारिती से मांगी जाने वाली अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेजों की सूची, जो सामान्यतः आवश्यक हों और जो बही, आईटीआर-6, प्रपत्र 3सीए/3सीबी/3सीडी, या किसी अन्य प्रपत्र में उपलब्ध न हों।

ट) छूट प्राप्त आय से संबंधित व्ययों को अननुमत करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि।

ठ) नियम 128 के अंतर्गत निर्धारित विदेशी कर क्रेडिट के लिए धारा 90/91 के अंतर्गत स्वीकार्य कटौती की गणना के लिए अपनाई जाने वाली विधि।

ड) ऋणदाता इकाई के निर्धारण अधिकारी द्वारा उधारकर्ता इकाई के निर्धारण अधिकारी को लिखे गए अशोध्य ऋणों के बारे में संचार का प्रारूप और ऋणदाता इकाई को अनुमत लाभ एवं हानि खाते में डेबिट किए गए अशोध्य ऋणों के अंतर्गत आईटीआर-6 के एस. नंबर-47 में निर्दिष्ट उधारकर्ता के पैन/आधार संख्या या पते के विवरण। प्रारूप में अशोध्य ऋणों में सम्मिलित मूलधन और ब्याज घटकों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

ढ) अशोध्य ऋण बैंकों द्वारा दावा की जाने वाली प्रमुख कटौतियों में से एक है और इसका देय कर आय की गणना पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अशोध्य ऋण में वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक यह है कि ऋण लेने वाली संस्थाओं द्वारा निधियों को अपनी ही समूह से संबंधित इकाइयों की ओर अपयोजन किया जाना। भारतीय

रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उधार ली गई राशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि निर्धारण अधिकारी विभिन्न संस्थाओं द्वारा उधार ली गई धनराशि के उपयोग की संवीक्षा करें। यदि उन्हें ऐसा कोई मामला मिलता है, जहां उधार की शर्तों का उल्लंघन करते हुए धनराशि को अ-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए या किसी समूह इकाई को हस्तांतरित किया गया है, तो उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए ऋणदाता इकाई और भारतीय रिजर्व बैंक या एनएचबी, जैसा भी मामला हो, के ध्यान में लाया जाए। इससे बैंक या ऋणदाता संस्था को ऋण की अदायगी में चूक की संभावना का पूर्वानुमान लगाने तथा इससे पहले कि देर हो जाए जिसके परिणामस्वरूप अशोध्य ऋण उत्पन्न होगा, उपचारात्मक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

अनुलग्नक 6.8

{संदर्भित पैरा 6.1.1 और तालिका 6.1}

धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान हेतु कटौती से संबंधित मुद्दों पर मामले

(क) प्रभार: प्रधान आयकर आयुक्त-4 चेन्नई

निर्धारिती: मैसर्स आई5

नि.व.: 2014-15 से 2018-19

निर्धारिती बैंक ने निर्धारण वर्ष 2019-20 में धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत ₹ 1,539.56 करोड़ की कटौती का दावा किया। संवीक्षा निर्धारण (सितंबर 2021) में, विभाग द्वारा यह माना गया कि प्रस्तुत यादृच्छिक ग्रामीण शाखाओं की जनसंख्या विवरण की संवीक्षा में कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 10,000 से अधिक प्राप्त हुई। यह निष्कर्ष निकाला गया कि बैंक द्वारा प्रस्तुत विवरण विश्वसनीय नहीं थे, और ₹ 1,539.56 करोड़ की ग्रामीण अग्रिम राशि के संपूर्ण दावे को अस्वीकार कर दिया गया। यद्यपि, पूर्व निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2018-19 में निर्धारण के दौरान दावा किए गए समान ग्रामीण शाखाओं से संबंधित कटौती की अनुमति दी गई थी, लेकिन निर्धारण वर्ष 2019-20 में ऐसी कटौती को अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि शाखाएं जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण शाखा के मानदंडों को पूरा नहीं करती थीं, जिसका अर्थ है कि इन दावों को पूर्व निर्धारण वर्ष में जनसंख्या जनगणना के आंकड़ों को सत्यापित किए बिना अनुमति दी गई थी, जैसा कि निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए किया गया था। इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए कुल ₹ 4,484.37 करोड़ की कटौती की गलत अनुमति दी गई, जिसमें ₹ 1,476.38 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था।

मई 2022 में इसे उप आयकर आयुक्त सीसी1(1), चेन्नई के संज्ञान में लाया गया। उप आयकर आयुक्त ने कहा (जनवरी 2023) कि निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए धारा 147 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई 31-03-2022 की समय सीमा के कारण वर्जित है, और इसलिए, आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकी। अनुस्मारक (दिसम्बर 2024) जारी किए जाने के बावजूद, निर्धारण वर्ष 2016-17 से निर्धारण वर्ष 2018-19 (नवंबर 2025) के लिए उप आयकर आयुक्त से उत्तर प्रतीक्षित है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

(ख) प्रभार: प्रधान आयकर आयुक्त-1, चेन्नई प्रभार

निर्धारिती: मैसर्स ई4

नि.व.: **2017-18 एवं 2018-19**

निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए निर्धारिती द्वारा जमा रिटर्न का दिसंबर 2019 और अप्रैल 2021 में संवीक्षा के बाद निर्धारण किया गया, जिसमें क्रमशः ₹ 101.92 और ₹ 186.69 करोड़ की आय निर्धारित की गई। ग्रामीण शाखाओं के जनसंख्या विवरण की नमूना संवीक्षा से पता चला कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या 10,000 से अधिक थी, इसलिए ये शाखाएं "ग्रामीण शाखाओं" के रूप में योग्य नहीं थीं और वे निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती के लिए अर्ह नहीं थीं। इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत ₹ 35.17 करोड़ की अधिक कटौती की अनुमति दी गई, जिसमें ₹ 12.17 करोड़ का कुल कर प्रभाव सम्मिलित था।

मई 2022 में यह बात उप आयकर आयुक्त गैर-निगमित परिक्षेत्र-8 के संज्ञान में लाई गई। अनुस्मारक (दिसंबर 2024) जारी करने के बावजूद उप आयकर आयुक्त से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुलग्नक 6.9

{संदर्भित पैरा 6.1.2.3 और तालिका 6.4}

अन्य अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों के साथ समन्वय की कमी के मामले

प्रभार: प्रधान आयकर आयुक्त-1 और 2 कोलकाता

निर्धारिती: मैसर्स एम7

नि.व.: 2015-16 से 2017-18

प्रधान आयकर आयुक्त-1, कोलकाता के अंतर्गत दो एनबीएफसी अर्थात एम7 (निर्धारण वर्ष 2015-16 और 2016-17) और एम16 (निर्धारण वर्ष 2017-18) के निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारणकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 10(35ए) के अंतर्गत अपने प्रायोजित प्रतिभूतिकरण न्यासों से प्राप्त आय पर छूट का दावा किया था। निर्धारितियों ने संबंधित न्यासों से आय के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें धारा 115टीए के अंतर्गत अपेक्षित कर की कटौती के बाद भुगतान का विवरण दिया गया था। इन प्रमाणपत्रों की संवीक्षा से पता चला कि उक्त न्यास ने सरकारी खाते में ₹ 17.25 करोड़ का कम कर काटा/जमा किया, जिसके परिणामस्वरूप एनबीएफसी को अतिरिक्त आय हुई, जिस पर बाद में उनके द्वारा धारा 10(35ए) के अंतर्गत छूट का दावा किया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रतिभूतिकरण न्यास द्वारा ₹ 17.25 करोड़ की कर कटौती की गई तथा एनबीएफसी को उसी सीमा तक अतिरिक्त छूट प्रदान की गई।

कर की कम कटौती की वसूली की जा सकती थी, यदि इसकी सूचना प्रतिभूतिकरण न्यासों के क्षेत्राधिकार निर्धारण प्रभारियों को समय पर दी गई होती। हालांकि, निर्धारण अभिलेखों के अनुसार, इन एनबीएफसी के निर्धारण अधिकारी ने यह सूचना संबंधित क्षेत्राधिकार वाले निर्धारण अधिकारी को नहीं दी, जिसके कारण राजस्व की वसूली नहीं हो सकी।

यह मुद्दा उप आयकर आयुक्त परिक्षेत्र 7(1) कोलकाता (अप्रैल 2022) के समक्ष इंगित किया गया। अनुस्मारक (नवंबर 2024) जारी होने के बावजूद उप आयकर आयुक्त का उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025) है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुलग्नक 6.10

{संदर्भित पैरा 6.1.2.5 एवं तालिका 6.6}

निर्धारण की गुणवत्ता के अंतर्गत अन्य मुद्दों पर मामले

(क) प्रभार: प्रधान आयकर आयुक्त-कोझिकोड

निर्धारिती: मैसर्स टी14

नि.व.: 2017-18

विषय: विमुद्रीकरण अवधि के दौरान जमा की गई राशि का गैर-प्रकटीकरण

निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए मूल रिटर्न अक्टूबर 2017 में जमा किया था, जबकि संशोधित रिटर्न मार्च 2018 में जमा किया गया था, जिसमें कुल ₹ 182.41 करोड़ की आय घोषित की गई थी। मामले को सीएएसएस द्वारा संवीक्षा के लिए चुना गया था, और दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण पूरा किया गया था, जिसमें ₹ 407.42 करोड़ की आय निर्धारित की गई थी।

आयकर अधिकारी, वार्ड 2(3), मंगलुरु ने जून 2019 में उप आयकर आयुक्त परिक्षेत्र 1(1) और टीपीएस त्रिशूर को सूचित किया था कि निर्धारिती ने विमुद्रीकरण अवधि के दौरान के 11, उप्पला शाखा, कासरगोड में ₹ 0.67 करोड़ जमा किए थे, जिसके बारे में आयकर अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक निर्धारिती की संवीक्षा कार्यवाही के दौरान पता चला। उप आयकर आयुक्त ने नवंबर 2019 में आयकर अधिनियम की धारा 142(1) के अंतर्गत नोटिस के माध्यम से 9.11.2016 से 30.12.2026 तक विमुद्रीकरण अवधि के दौरान जमा किए गए एसबीएन के विवरण, जमा की गई नकदी के स्रोत और इसके लिए साक्ष्य के साथ नकद जमा का विवरण मांगा। उक्त नोटिस के उत्तर में, निर्धारिती ने सूचित किया (नवंबर 2019) कि विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। हालाँकि, निर्धारिती ने कर निर्धारण की तिथि तक जमा राशि का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया। संवीक्षा निर्धारण आदेश में, निर्धारण अधिकारी ने विमुद्रीकरण के दौरान जमा की गई नकदी के संबंध में की गई संवीक्षा का विवरण नहीं दिया, जैसा कि उनके संज्ञान में लाया गया था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा, विमुद्रीकरण अवधि के दौरान की गई उपरोक्त जमाओं से संबंधित आगे की सूचना प्राप्त करने के लिए उप आयकर आयुक्त द्वारा किए गए प्रयासों का पता नहीं लगा सकी, क्योंकि इस खाते पर कर योग्य आय में कोई वृद्धि नहीं की गई थी।

यह इस तथ्य का संकेत था कि निर्धारण प्रक्रिया के दौरान पहचाने गए मुद्दे की संवीक्षा नहीं की गई थी और निर्धारण आदेश में उसका दस्तावेज़ीकरण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त,

अन्य क्षेत्राधिकार कार्यालयों द्वारा साझा की गई सूचना पर भी निगरानी नहीं की गई और उसका दस्तावेज़ीकरण भी नहीं किया गया।

यह अभ्युक्ति मई 2022 में उप आयकर आयुक्त सर्किल 1(1) और टीपीएस त्रिशूर के समक्ष प्रस्तुत की गई। उत्तर में, मंत्रालय (नवंबर 2025) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार नहीं किया और कहा कि सूचना यह है कि क्या निर्धारिती द्वारा जमा की गई नकदी कैशबुक से ही ली गई थी या नहीं तथा कैशबुक में इस जमा के लिए पर्याप्त नकद उपलब्ध था या नहीं। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है और इनका व्यवसाय चिटीज है। जब तक अन्यथा सिद्ध न हो, बैंक खाते में नकद जमा केवल कैशबुक से ही किया जा सकता है। निर्धारिती के खातों की लेखापरीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं महालेखाकार द्वारा की जाती है। कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि किसी भी दिन नकदी शेष ऋणात्मक था। केवल नकद बही में ऋणात्मक शेष होने पर ही इस जमा राशि को निर्धारिती की आय के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। तुलनपत्र में बैंक खाते का दिखना ही इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि जमा राशि का स्रोत स्पष्ट है। *मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के समक्ष उत्तर में उल्लिखित तथ्यों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इस संबंध में मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार करे।*

(ग) प्रभार: प्रधान आयकर आयुक्त-3, अहमदाबाद
निर्धारिती: मैसर्स एस14
नि.व.: 2010-11 एवं 2011-12

निर्धारण वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए निर्धारिती के कर निर्धारण को धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत दिसंबर 2017 में बिना कोई संशोधन किए अंतिम रूप दे दिया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपनिदेशक आयकर (अन्वेषण), यूनिट-2(2), अहमदाबाद से मार्च 2017 में सूचना प्राप्त हुई थी कि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान छः पक्षों से ₹ 3.81 करोड़ प्राप्त किए थे, जो न तो अस्तित्व में थे और न ही उनका पता लगाया जा सकता था।

निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2017 में निर्धारिती से पक्षों की वास्तविकता और अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कहा, और निर्धारिती ने अपने प्रस्तुतीकरण में कहा (अप्रैल 2017) कि यह एक एनबीएफसी है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे वित्तीय व्यवसाय करने की अनुमति दी गई है। हालाँकि, निर्धारिती पक्षकारों के अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सका। निर्धारण अधिकारी ने अक्टूबर 2017 में एच8 से इन छः पक्षों के बारे में पूछताछ की। एच8 ने उत्तर दिया (नवंबर 2017) कि इन पक्षों का खाता 2009 में खोला गया था और 2011 में बंद कर दिया गया था, और बैंक ने कोई और विवरण प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए, इन पक्षोंका अस्तित्व

अप्रमाणित ही रहा। चूंकि नकद जमा का स्रोत अस्पष्ट था, इसलिए जमा की गई राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत कर आरोपित किया जाना आवश्यक था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 3.81 करोड़ की आय की चोरी हुई, जिसमें ₹ 1.29 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था।

यह अभ्युक्ति आईटीओ वार्ड 4(1)(1), अहमदाबाद (फरवरी 2022) के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। अनुस्मारक (नवंबर 2024) जारी किए जाने के बावजूद आईटीओ का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

(ग) प्रभार: प्रधान आयकर आयुक्त-2, बेंगलुरु
निर्धारिती: मैसर्स के3
नि.व.: 2016-17

प्रतिवर्ष, व्यापक चयन फिल्टर के आधार पर सीएएसएस के अंतर्गत मामलों का चयन किया जाता है। आयकर महानिदेशक (प्रणाली) ऐसे मामलों की सूची संबंधित क्षेत्राधिकार प्राधिकारियों को आगे की संवीक्षा निर्धारण कार्रवाई के लिए भेजते हैं। लेखापरीक्षित मामलों से यह देखा गया है कि आयकर विभाग मुख्य रूप से सीएएसएस के अंतर्गत संवीक्षा के लिए मामलों का चयन करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2019-20 के लिए सीएएसएस चयन मानदंड, और यह पाया गया कि अधिकांश मामलों को 'दावा की गई बड़ी कटौतियों' या 'दावा की गई बड़ी छूटों' के मानदंडों पर संवीक्षा के लिए चुना गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्स के3 को नियमित रूप से 'बड़ी कटौतियों का दावा' या 'बड़ी छूट का दावा' के सीएएसएस मानदंडों के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारण के लिए चुना गया था। तथापि, इस मामले को निर्धारण वर्ष 2016-17 में सीएएसएस के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारण के लिए नहीं चुना गया, क्योंकि यह प्रत्येक पूर्ववर्ती और अनुवर्ती निर्धारण वर्ष में समान मानदंडों के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिवर्धन के बावजूद उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करता था।

तथापि, निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए धारा 143(1) के अंतर्गत जारी सारांश निर्धारण आदेश की समीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने आयकर नियम, 1962 के नियम 8डी के साथ पठित आयकर अधिनियम की धारा 14ए के अनुसार छूट प्राप्त आय अर्जित करने के लिए ₹ 33.31 करोड़ का व्यय किया था और सरकार को ₹ 16.04 करोड़ की राशि का गारंटी कमीशन दिया था, जो धारा 40(ए)(iiबी) के अंतर्गत अननुमत हो सकता था, यदि मामले को संवीक्षा के लिए चुना गया होता। इसके परिणामस्वरूप ₹ 49.35 करोड़ की आय का कम

निर्धारण हुआ, परिणामस्वरूप ₹ 19.77 करोड़ का कर कम लगाया गया। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी के दिनांक 7 जुलाई 2017 के निर्देश संख्या 5/2017 के बावजूद मामले को भौतिक रूप से भी संवीक्षा निर्धारण के लिए नहीं चुना गया। सीएएसएस द्वारा संवीक्षा के लिए मामले का चयन न करने तथा भौतिक चयन के परिणामस्वरूप ₹ 19.77 करोड़ की संभावित राजस्व हानि हुई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को उप आयकर आयुक्त सर्किल 4(3)(1) बेंगलुरु (अगस्त 2022) के समक्ष इंगित किया गया। अनुस्मारक (दिसंबर 2024) जारी किए जाने के बावजूद उप आयकर आयुक्त से उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025) है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

(घ) प्रभार: **प्रधान आयकर आयुक्त-3, मुंबई**
निर्धारिती: मैसर्स एस5
निर्धारण वर्ष: **2017-18**

दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत पूरी संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारिती का निर्धारण अंतिम रूप दिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के पास 49.07 *प्रतिशत* शेयर थे, ने अपनी 100 *प्रतिशत* सहायक कंपनी मैसर्स एस43 को ₹ 106.05 करोड़ का ऋण दिया था, जो एक एनबीएफसी भी है। ऋण और ब्याज का भुगतान न करने के कारण एस5 द्वारा ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अभिलेखों के अनुसार, वसूली न होने का कारण यह था कि एस43 ने इन निधियों का उपयोग 23 निजी संस्थाओं को ₹ 219.26 करोड़ के ऋण और अग्रिम देने के लिए किया, जो मैसर्स एस43 के खातों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ में बदल गए।

निर्धारण वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए मैसर्स एस43 के वित्तीय विवरणों से पता चला कि 23 निजी उधारकर्ताओं को भेजे गए ₹ 219.26 करोड़ के ऋण और अग्रिम निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान संदिग्ध हो गए थे और निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान भी ऐसे ही बने रहे। इन 23 निजी संस्थाओं के तीन निर्धारण वर्षों (2017-18 से 2019-20) के निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा यह पता लगाने के लिए की गई कि क्या ये उधारकर्ता मैसर्स एस43 को ऋण चुकाने की स्थिति में थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित बातें सामने आई:

(i) दो उधारकर्ताओं, मैसर्स टी21 और मैसर्स डी12 के मामलों में, आईटीबीए अन्वेषण क्वेरी में उनके अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई आंकड़ा नहीं मिला।

(ii) सात उधारकर्ताओं के मामलों में, अर्थात मैसर्स यू7, मैसर्स एम18, मैसर्स एम20, डब्ल्यू3, मैसर्स एस35, मैसर्स डी9 और मैसर्स एस45, तीनों निर्धारण वर्षों के लिए कोई आयकर रिटर्न जमा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, निगमित मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर मैसर्स यू7 को परिसमापन के अंतर्गत दिखाया गया था।

(iii) एक उधारकर्ता, मैसर्स टी25 के मामले में, यह देखा गया कि निर्धारिती ने वर्ष 2016-17 (निर्धारण वर्ष 2017-18) के अपने लेखाओं में मैसर्स एस43 से ऋण की पुष्टि भी नहीं की थी और ब्याज व्यय के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था। सांविधिक लेखापरीक्षक ने कहा कि निर्धारिती की निवल संपत्ति में काफी कमी आ चुकी है, तथा निर्धारिती की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर काफी संदेह है।

(iv) एक उधारकर्ता, मैसर्स एस37 के मामले में, यह देखा गया कि निर्धारिती एनसीएलटी, मुंबई बेंच के दिनांक 13/02/2019 के आदेश के अनुसार निगमित दिवाला समाधान प्रक्रियाधीन था, एवं

(v) छः उधारकर्ताओं अर्थात मैसर्स ई8, मैसर्स टी23, मैसर्स ए20, मैसर्स ए21, मैसर्स डी11 और मैसर्स एस38 के मामलों में, तीनों निर्धारण वर्षों में कोई संवीक्षा निर्धारण नहीं किया गया था। इसलिए, मैसर्स एस43 द्वारा उन्हें दिए गए ऋण और अग्रिम की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

उपरोक्त के आलोक में, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मैसर्स एस43 द्वारा 23 उधारकर्ताओं को दिए गए ₹ 219.26 करोड़ के ऋण और अग्रिम, जिन्हें निरंतर तीन वर्षों तक संदिग्ध संपत्ति श्रेणी में रखा गया था, वसूली योग्य नहीं हैं।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ के लिए बनाया गया प्रावधान एस5 को धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए एक छलावा प्रतीत होता है, तथापि समूह कंपनी के माध्यम से दिए गए ऋणों की वसूली की कोई संभावना नहीं थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को उप आयकर आयुक्त 3(3)(1) मुंबई (मई 2022) के समक्ष इंगित किया गया। अनुस्मारक (अप्रैल 2024, नवंबर 2024) जारी किए जाने के बावजूद उप आयकर आयुक्त का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुलग्नक 6.11

{संदर्भित पैरा 6.1.3 और तालिका 6.7}

फेसलेस निर्धारण योजना के अंतर्गत आय की गणना में अनियमितता से संबंधित मामला

(क) प्रभार: प्रधान आयकर आयुक्त-2, मुंबई

निर्धारिती: मैसर्स वाई1

नि.व.: 2019-20

सितंबर 2021 में फेसलेस निर्धारण योजना के अंतर्गत पूर्ण संवीक्षा के बाद धारा 144बी के साथ पठित धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए संवीक्षा निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 6,223.86 करोड़ की आय स्वीकार की गई। निर्धारण अभिलेखों के अनुसार, मामले को 31.3.2021 को धारा 143(2) के अंतर्गत नोटिस जारी करके संवीक्षा के लिए चुना गया था, इसके बाद 13.9.2021 को धारा 142(1) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया और 17.09.2021 को अनुस्मारक जारी करने के बावजूद निर्धारिती उत्तर देने में विफल रहा। आदेश के अनुसार, मार्च 2021 में जारी नोटिस के उत्तर में, जिन बिंदुओं के लिए मामले को संवीक्षा के लिए चुना गया था, उनमें से प्रत्येक के लिए निर्धारिती ने केवल एक अस्पष्ट उत्तर जमा किया। यद्यपि निर्धारिती सितंबर 2021 में जारी नोटिस का उत्तर देने में विफल रहा, फिर भी निर्धारण अधिकारी ने पिछले निर्धारण अभिलेखों को सत्यापित किए बिना एवं पिछले निर्धारणों में निर्धारित गैर-अनुमत व्ययों को अननुमत किए बिना प्रतिदाय आय को अनुमत कर लिया एवं धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण को अंतिम रूप दिया जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान धारा 14ए, धारा 35डी, निवेश पर भुगतान की गई ब्रोकरेज, एचटीएम प्रतिभूतियों पर खंडावधि ब्याज, एचटीएम पर अधिमूल्य का परिशोधन, बैंक गारंटी पर कमीशन, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ पर ब्याज, ग्रामीण अग्रिमों का प्रावधान, संधारणीय बांड पर भुगतान की गई राशि, ईएसओपी के अंतर्गत क्रमशः ₹ 837.66 करोड़ और ₹ 1,545.72 करोड़ का परिवर्धन / को अननुमत किया गया और इनमें से अधिकांश मुद्दे विभिन्न स्तरों पर अपील में लंबित थे। किसी विशेष निर्धारण वर्ष (निर्धारण वर्ष 2019-20) में बिना कोई औचित्य दिए विभाग का असंगत रुख पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में अपीलीय कार्रवाई में विभाग के दृष्टिकोण को खतरे में डाल देता। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि धारा 80जी, धारा 80एलए और धारा 80जेजेएए के अंतर्गत क्रमशः ₹ 20.42 करोड़, ₹ 527.37 करोड़ और ₹ 12.59 करोड़ की कटौतियों का दावा किया गया और उन्हें अनुमति दी गई, हालाँकि अभिलेखों में सहायक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं थे। इन कटौतियों की अनुमेयता की जाँच आवश्यक है।

मार्च 2022 में उप आयकर आयुक्त सर्किल 2(2)(1), मुंबई को इस ओर इंगित किया गया। अनुस्मारक (अप्रैल 2024, नवंबर 2024) जारी करने के बावजूद उप आयकर आयुक्त से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय ने (सितंबर 2025) लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और कहा कि नोटिस 148ए(1) जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुलग्नक 6.12

{संदर्भित पैरा 6.2.1}

प्रपत्र 3सीडी के अनुसार बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की वसूली से संबंधित मामलों का भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से गैर-मिलान

(क) प्रधान आयकर आयुक्त प्रभार: प्रधान आयकर आयुक्त मदुरै-1

निर्धारिती : टी6

नि.व.: 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को पिछले वर्षों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से क्रमशः निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से संबंधित ₹ 37 करोड़, ₹ 27 करोड़, ₹ 80 करोड़ और ₹ 41 करोड़ के पिछले वर्ष के गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ से वसूली की सूचना दी। तथापि, धारा 41(4) के अंतर्गत अपेक्षित, निर्धारिती-बैंक द्वारा धारा 44एबी के अंतर्गत प्रस्तुत कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इसकी रिपोर्ट नहीं की गई, यद्यपि निर्धारिती-बैंक ने संबंधित निर्धारण वर्षों में "अन्य आय" शीर्षक के अंतर्गत वसूली की प्रस्तुती की, जैसा कि नीचे सारणीबद्ध विवरण में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट की गई वसूली राशि और प्रपत्र 3सीडी में अंतर

(₹ करोड़ में)

निर्धारण वर्ष	भारतीय रिजर्व बैंक को दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार वसूली	प्रपत्र 3सीडी में रिपोर्ट की गई वसूली	आय विवरण में रिपोर्ट की गई वसूली
2016-17	37	शून्य	36.68
2017-18	27	शून्य	26.51
2018-19	80	शून्य	80.17
2019-20	41	शून्य	41.32

अगस्त 2022 में उप आयकर आयुक्त सर्किल 1, तिरुनेलवेली को इस ओर इंगित किया गया था। अनुस्मारक (दिसंबर 2024) जारी होने के बावजूद उप आयकर आयुक्त से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुलग्नक 6.13

{संदर्भित पैरा 6.2.2}

प्रपत्र 3सीडी के अनुसार बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों की वसूली मामले का एनएचबी डेटा से गैर-मिलान

(क) प्रभार: प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय-3), मुंबई
निर्धारिती: मैसर्स आई20
नि.व.: 2015-16

निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारिती का निर्धारण मई 2018 में धारा 143 (3) के साथ पठित धारा 153ए के अंतर्गत पूरा किया गया, जिसमें सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 1,240.71 करोड़ और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 2,460.54 करोड़ की आय निर्धारित की गई। कर का निर्धारण अधिनियम की धारा 115जेबी के अनुसार विशेष प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के प्रति वसूली शून्य बताई गई, जबकि एनएचबी डेटा में ₹ 96.02 करोड़ की राशि बताई गई। कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के विरुद्ध वास्तविक वसूली की रिपोर्ट नहीं दी गई। एनएचबी डेटा में दर्शाई गई ₹ 96.02 करोड़ की राशि तथा टीएआर में शून्य के बीच के अंतर की संवीक्षा आय से बचने के निर्धारण के लिए की जानी चाहिए थी।

मई 2022 में प्रधान आयकर आयुक्त (केंद्रीय-3), मुंबई को इस ओर ध्यान दिलाया गया। अनुस्मारक (अप्रैल 2024, नवंबर 2024) जारी होने के बावजूद प्रधान आयकर आयुक्त से उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुलग्नक 6.14

{संदर्भित पैरा 6.2.3}

निर्धारण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से गैर-मिलान बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों से संबंधित मामला।

(क) प्रभार: प्रधान आयकर आयुक्त-2, कोलकाता
निर्धारिती: यू2
नि.व.: 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19

निर्धारण के दौरान निर्धारिती को अनुमत अशोध्य ऋणों पर निर्धारण आंकड़ों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए अशोध्य ऋणों के आंकड़ों की तुलना करने पर, लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण विसंगतियां देखीं, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक को बताए गए बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के आंकड़ों और निर्धारण आंकड़ों में अंतर **(₹ करोड़ में)**

निर्धारण वर्ष	आयकर रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की राशि/निर्धारण आदेश में अनुमत राशि	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार अशोध्य ऋण की राशि	अंतर
2016-17	6,299.34	1,573	4,726.34
2017-18	4,414.68	1,937	2,477.68
2018-19	7,343.38	2,735	4,608.38
कुल	**18,057.40**	**6,245**	**11,812.40**

जैसा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है, निर्धारिती बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक को बताई गई वास्तविक राशि से अधिक अशोध्य ऋणों का दावा किया। इसके परिणामस्वरूप अशोध्य ऋणों की अधिक अनुमति के कारण ₹11,812.40 करोड़ का कम निर्धारण हुआ।

यह लेखापरीक्षा अभ्युक्ति अप्रैल 2022 में उप आयकर आयुक्त सर्किल 5(1) कोलकाता को सूचित की गई थी। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया (नवंबर 2025 में) और कहा है कि निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए सितंबर 2025 में धारा 263 के अंतर्गत नोटिस जारी करके उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए अप्रैल 2024 में धारा 148ए(डी) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है, जबकि निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए मार्च 2025 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की गई है। आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुलग्नक 6.15

{संदर्भित पैरा 6.2.3.1}

मामला निर्धारण के दौरान बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों में अंतर से संबंधित है तथा जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया गया है।

प्रभार: प्रधान आयकर आयुक्त-2, मुंबई
निर्धारिती: मैसर्स एस8
नि.व.: 2016-17 से 2019-20 तक

वर्तमान मामले में, निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2016-17 से निर्धारण वर्ष 2019-20 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए ₹ 1,86,196.17 करोड़ की कटौती का दावा किया। हालाँकि, भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, एस8 द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को बताई गई गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ राशि उक्त चार वर्षों के दौरान केवल ₹ 1,34,350 करोड़ थी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

आईटीआर के अनुसार एस8 द्वारा दावा किए गए अशोध्य ऋणों और भारतीय रिज़र्व बैंक को दिए गए प्रतिवेदन की तुलना (₹ करोड़ में)

निर्धारिती का नाम	निर्धारण वर्ष	रिटर्न में दावा किए गए अशोध्य ऋणों की कुल राशि	निर्धारण आदेश में अनुमत अशोध्य ऋणों की कुल राशि	भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार अशोध्य ऋण	विवरण में अशोध्य ऋणों की तुलना में अंतर
एस8	2016-17	27,221.98	0	15,955	11,266.98
	2017-18	32,905.63	19,764.74	20,339	12,566.63
	2018-19	71,374.23	24,725.74	39,151	32,223.23
	2019-20	54,694.33	54,694.33	58,905	-4,210.67
कुल		**1,86,196.17**	**99,184.81**	**1,34,350**	**51,846.17**

इस प्रकार, निर्धारिती ने भारतीय रिज़र्व बैंक को बताई गई गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ राशि की तुलना में ₹ 51,846.17 करोड़ के बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए अतिरिक्त कटौती का दावा किया। निर्धारण के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक से डेटा नहीं मांगा गया और इसलिए उसे संज्ञान में नहीं लिया गया। संवीक्षा के बाद पूरे किए गए निर्धारण में, निर्धारण अधिकारी ने विभिन्न आधारों पर निर्धारिती के दावे को अननुमत करने के बाद इन चार वर्षों में ₹ 99,184.81 करोड़ की कटौती की अनुमति दी थी।

यह लेखापरीक्षा अभ्युक्ति प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई को (जनवरी 2022) में सूचित की गई। विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (जून 2022)। अनुस्मारक जारी करने (अप्रैल 2024, नवंबर 2024) के बावजूद आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुलग्नक 6.16

{संदर्भित पैरा 6.3.1}

भविष्य के दावों और अशोध्य ऋणों के समायोजन के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अनुमत कटौती के अभिलेखों का गैर-रखरखाव और संवीक्षण प्रणाली की कमी के मामले

(क) प्रभार: प्रधान आयकर आयुक्त कोलकाता-2
निर्धारिती: मैसर्स यू2
नि.व. : 2017-18

वर्तमान मामले में, निर्धारिती ने अक्टूबर 2017 में आयकर रिटर्न जमा किया, जिसमें ₹ 3,033.40 करोड़ की हानि घोषित की गई, और दिसंबर 2019 में धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 2,935.38 करोड़ की हानि का निर्धारण किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारिती ने अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (पीबीडीडी) के रूप में लाभ एवं हानि खातों में ₹ 4,414.68 करोड़ की राशि डेबिट की, लेकिन अशोध्य ऋणों के लिए कोई राशि डेबिट नहीं की। व्यावसायिक आय की गणना में, निर्धारिती ने अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की राशि को वापस परिवर्धन और धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत ₹ 4,414.68 करोड़ की कटौती का दावा किया, क्योंकि अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया गया था, जिसे संवीक्षा के दौरान निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमति दी गई थी। हालाँकि, निर्धारण अधिकारी ने धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत कटौती के रूप में ₹ 4,414.68 करोड़ की अनुमति देते हुए अशोध्य और संदिग्ध ऋण खाते के प्रावधान में उपलब्ध ₹ 8,002.08 करोड़ के अथ शेष पर विचार नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4,414.68 करोड़ के अशोध्य ऋणों की कटौती का अतिरिक्त अनुदान दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,527.83 करोड़ का कर कम लगाया गया।

मार्च 2022 में उप आयकर आयुक्त सर्किल 5(1) कोलकाता को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति जारी की गई थी। आयकर विभाग ने अप्रैल 2024 में अधिनियम की धारा 148 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की थी। अनुस्मारक (नवंबर 2024) जारी करने के बावजूद आगामी विवरण प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

(ख) प्रभार: प्रधान आयकर आयुक्त कोझिकोड
निर्धारिती: मैसर्स टी13
नि.व.: 2018-19

निर्धारिती द्वारा जमा किए गए निर्धारण वर्ष 2018-19 के रिटर्न का सितंबर 2021 में संवीक्षा के बाद निर्धारण किया गया, जिसमें आय शून्य निर्धारित की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत ₹ 7.84 करोड़ के अशोध्य ऋणों के लिए कटौती की अनुमति दी थी। धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत बनाए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋण खाते के प्रावधान में निर्धारिती के पास ₹ 7.34 करोड़ का अथ क्रेडिट शेष था। यह देखा गया कि दावा किए गए अशोध्य

ऋणों को अशोध्य और संदिग्ध खातों के लिए प्रावधान में उपलब्ध अथ क्रेडिट शेष से कम नहीं किया गया था। चूंकि निर्धारिती अथ ऋण शेष के समायोजन के बाद केवल अशोध्य ऋणों के लिए ₹ 0.50 करोड़ की कटौती के लिए अर्ह था, इसलिए ₹ 7.34 करोड़ के अशोध्य ऋणों की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 2.27 करोड़ की राशि का कम कर आरोपित किया गया।.

यह अभ्युक्ति मई 2022 में उप आयकर आयुक्त (सर्किल 1(1)), त्रिशूर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुस्मारक (दिसम्बर 2024) जारी करने के बावजूद विभाग का उत्तर प्रतीक्षित (नवंबर 2025) है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

(ग) प्रभार: प्रधान आयकर आयुक्त-1, मदुरै

निर्धारिती: मैसर्स टी3

नि.व.: 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20

निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2019-20 के लिए धारा 36(1)(vii) और 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य ऋणों के लिए ₹ 2,524.73 करोड़ और ₹ 1,118.66 करोड़ की कटौती का अलग-अलग दावा किया था। अशोध्य ऋण दावों को पात्रता मानदंडों के अनुपालन न करने के आधार पर तथा धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत प्रावधान खाते के प्रति किए जाने वाले समायोजन के संदर्भ में विनियमित किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने विभिन्न अस्वीकृतियों/परिवर्धनों और परिणामी अपील के कारण धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत प्रावधान खाते के अंत: शेष के सही आंकड़ों को अपनाने में विसंगतियां देखीं। धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अर्ह प्रावधानों की गलत गणना के परिणामस्वरूप धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत ₹ 696.74 करोड़ की सीमा तक अशोध्य ऋणों की परिणामत: अतिरिक्त अनुमति हुई, जिसमें निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 और 2018-19 से 2019-20 के लिए ₹ 240.83 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था और निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 76.97 करोड़ के कर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए ₹ 222.42 करोड़ के अशोध्य ऋणों की अल्प अनुमति थी।

मार्च 2022 में यह बात उप आयकर आयुक्त सर्किल 2(1) त्रिची के संज्ञान में लाई गई। उप आयकर आयुक्त ने अपने उतर में कहा (जून 2023) कि अशोध्य ऋणों का समायोजन केवल तभी किया जाना आवश्यक है जब दावा धारा 36(1)(viiए) के उप-खंड (बी) से (डी) के अंतर्गत किया जाता है, मेसर्स कैथोलिक सीरियन बैंक के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए। यह आगे कहा गया था, यदि निर्धारिती बैंक है, तो यह धारा 36(1)(viiए) के उप-खंड (ए) के अंतर्गत आता है, और दावे को केवल धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत प्रावधान खाते के प्रति ग्रामीण ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिए समायोजित किया जाना है। उप आयकर आयुक्त सर्किल 2(1) त्रिची का तर्क कि समायोजन की विधि केवल उन निर्धारितियों के मामलों में लागू होती है जो एक विदेशी बैंक, एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, एक राज्य वित्तीय निगम या एक राज्य औद्योगिक निवेश निगम हैं, और एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो धारा 36(1)(viiए) के उप-खंड (ए) से (डी) के अंतर्गत आती है, अमान्य है। धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत पहला प्रावधान धारा 36(1)(viiए) के उप-खंड (ए) से (डी) के बीच कोई अंतर निर्धारित नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, धारा 36(1)(vii) के स्पष्टीकरण 2 में यह

प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत दावे को विनियमित करने के लिए धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत केवल एक प्रावधान खाता हो सकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

अनुलग्नक 6.17

{संदर्भित पैरा 6.3.3}

संवीक्षा निर्धारण में किए गए परिवर्धन की असंधारणीयता संबंधी मामले

(क) प्रभार: प्रधान आयकर आयुक्त मध्य कोच्चि

निर्धारिती: मैसर्स एम8

नि.व.: 2011-12 से 2016-17

मेसर्स एम8 और उसके निदेशकों के परिसर में 05-08-2016 को धारा 132 के अंतर्गत की गई अन्वेषण के परिणामस्वरूप, निर्धारिती को धारा 153ए के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस के उत्तर में, निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न जमा किया, और दिसंबर 2018 में धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण पूरा किया गया। निर्धारण आदेशों में, जो परिवर्धन किया गया वह मुख्य रूप से स्वर्ण के समपहरण की विक्रय से प्राप्त अलेखांकित आय तथा धारा 14ए के अंतर्गत ब्याज व्यय के लिए किए गए दावों के कारण थी। इन मामलों में कुल ₹ 372.02 करोड़ का परिवर्धन किया गया।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2016-17 के लिए मेसर्स एम8 के मामले में निर्धारण के दौरान किए गए परिवर्धन की संधारणीयता की सीमा का विश्लेषण करने के लिए नमूना मामलों से संबंधित सीआईटी (अपील) आदेश (जनवरी 2022) को प्रभावी करने वाले आदेशों की संवीक्षा की। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी [सीआईटी (अपील)] ने ₹ 372.02 करोड़ की कुल वृद्धि में से ₹ 309.45 करोड़ को हटा दिया था। इस मामले में संधारणीयता का *प्रतिशत* केवल 16.82 *प्रतिशत* था।

यह अभ्युक्ति जून 2022 में उप आयकर आयुक्त (सीसी-I) कोच्चि के समक्ष प्रस्तुत की गई।

मंत्रालय ने (अप्रैल 2025) यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया है कि आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक के निर्धारण में की गई बढ़ोतरी को हटाना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह तथ्य कि अपीलीय स्तर पर अतिरिक्त राशि को बरकरार नहीं रखा जा सका, इसके लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा सांविधिक प्रावधानों की अनुचित व्याख्या या निर्धारण के समय मौजूदा न्यायिक उदाहरणों पर विचार करने में विफलता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। कर कानूनों की न्यायिक व्याख्या निरंतर विकसित होती रहती है, प्राधिकारी अनुवर्ती कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर मामले पर पुनर्विचार करने का अधिकार रखते हैं, जो पहले उपलब्ध नहीं थीं या जिनका उचित रूप से प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया था। यह केवल अपीलीय चरण में ही है कि निर्धारिती ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर भरोसा किया, जिसके परिणामस्वरूप किए गए परिवर्धन को हटाया गया।

निर्धारण अधिकारी का निर्धारण उस समय प्रचलित कानून की उचित व्याख्या पर आधारित है और अपीलीय स्तर पर किसी भी संशोधन का मतलब यह नहीं है कि मूल निर्धारण में कोई त्रुटि थी।

इसलिए, अपीलीय स्तर पर किए गए संशोधनों को हटाना निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुचित कार्रवाई नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह स्वाभाविक कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसमें अपीलीय प्राधिकारी मामले की नए सिरे से समीक्षा करते हैं, और उन अतिरिक्त तथ्यों, तर्कों और न्यायिक उदाहरणों पर विचार करते हैं जिन्हें निर्धारण कार्यवाही के दौरान पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया हो। चूंकि अपीलीय स्तर पर किसी भी संशोधन का अर्थ यह नहीं है कि मूल निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि हुई है, इसलिए आपत्ति स्वीकार नहीं की जाती है।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ये निर्धारण विभाग द्वारा निर्धारित कंपनी और उसके निदेशकों के परिसर में की गई तलाशी के परिणामस्वरूप किए गए थे। अन्वेषण और ज़ब्ती तथा उसके बाद के निर्धारण की प्रक्रिया में निर्धारण अधिकारियों के अतिरिक्त कई स्तर के अधिकारी सम्मिलित होते हैं। निर्धारितियों को होने वाली अनावश्यक कठिनाइयों और मुकदमों को कम करने के लिए, तलाशी और ज़ब्ती की पूरी प्रक्रिया तथा उसके बाद के निर्धारण के दौरान उचित सावधानी बरतना आवश्यक है। मंत्रालय/सीबीडीटी निर्धारण के दौरान किए गए अतिरिक्त करों के कम परिवर्धन की संधारणीयता के कारणों की जांच करे ताकि समान मामलों में निर्धारण में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

(ख) प्रभार: प्रधान आयकर आयुक्त-2 मुंबई
निर्धारिती: आई7
नि.व.: 2014-15

निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारिती का निर्धारण, धारा 143(3) के साथ पठित धारा 144सी के अंतर्गत दिसंबर 2017 में ₹ 2,317.05 करोड़ की आय पर पूरा किया गया। लेखापरीक्षा ने निर्धारण के दौरान किए गए परिवर्धन की संधारणीयता की सीमा का विश्लेषण करने के लिए तत्काल मामले से संबंधित मार्च 2019 में पारित सीआईटी (अपील) आदेश दिनांक 25.02.2019 को प्रभावी करने वाले आदेश की जांच की। यह वृद्धि मुख्य रूप से खंडावधि ब्याज, धारा 14ए के अंतर्गत अस्वीकृत ब्याज व्यय, एचटीएम प्रतिभूतियों के परिशोधन तथा उपार्जित परंतु गैर-देय ब्याज के कारण हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, सीआईटी (अपील) ने स्वयं ही निर्धारण में किए गए उपरोक्त सभी परिवर्धनों को हटा दिया। अतः, इस मामले में संधारणीयता का *प्रतिशत* शून्य था।

यह अभ्युक्ति अप्रैल 2022 में उप आयकर आयुक्त-2(3)(1), मुंबई के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुस्मारक जारी करने (दिसंबर 2024) के बावजूद विभाग से उत्तर की प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2025)।

संक्षिप्त शब्द

संक्षेपाक्षर	विवरण
एसीआईटी	सहायक आयकर आयुक्त
अधिनियम	आयकर अधिनियम 1961
एयूसीए	अग्रिम अधीन संकलन खाता
एई	संबद्ध उद्यम
एएलपी	आर्म्स लेंथ मूल्य
एओ	निर्धारण अधिकारी
एवाई	निर्धारण वर्ष
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीसीआईटी	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
पीसीआईटी	प्रधान आयकर आयुक्त
पीसीआईटी (आईटी)	प्रधान आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)
सीआईटी	आयकर आयुक्त
सीआईटी (ए)	आयकर आयुक्त (अपील)
डीसीआईटी	आयकर उपायुक्त
डीजीआईटी (प्रणाली)	महानिदेशक, आयकर (प्रणाली)
एफ़वाई	वित्तीय वर्ष
आईटीएटी	आयकर अपीलीय अधिकरण
आईटीडी	आयकर विभाग
आईटीआर	आयकर रिटर्न
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एनबीएफ़सी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनपीए	गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ
सीआरआर	नकद आरक्षित अनुपात
एसएलआर	सांविधिक तरलता अनुपात
एआरसी	परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ
आईबीसी	दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता
आईटीबीए	आयकर व्यापार अनुप्रयोग
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण
सीआईआरपी	निगमीय दिवाला समाधान प्रक्रिया
एनसीएलएटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण
पीई	स्थायी प्रतिष्ठान
एचओ	प्रधान कार्यालय

संक्षेपाक्षर	विवरण
डीटीएए	दोहरा कराधान बचाव समझौता
टीपीए	अंतरण मूल्य समायोजन
टीपीओ	अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी
आईसीडीएस	आय गणना एवं प्रकटीकरण मानक
एनपीआई	गैर-निष्पादित निवेश
एफ़टीसी	विदेशी कर क्रेडिट
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
जीएनपीए	सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ
डीजीआईटी	महानिदेशक, आयकर
सीएसआर	निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व
टीआरओ	कर वसूली अधिकारी
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एचटीएम	परिपक्वता तक धारित
एचएफ़टी	व्यापार हेतु धारित
पीएसबी	सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक
एसएआरजी	संपीड़ित परिसंपत्ति समाधान समूह
एनएमएस	नॉन-फाइलर प्रबंधन प्रणाली
आईएफ़एससी	भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड
एफ़सीटीआर	विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधि
टीएआर	कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
ओबीएसटी	ऑर्डर आधारित अनुसूचीकरण तकनीक
डीआईटी	दोहरा आयकर

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/hi/page-pa-on-banks